

का महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने जहों तिलक—गोखले—आगरकरवादियों के इन हमलों का उद्दिश्य से सफलतापूर्वक सामना किया, वहों कम्यूनिज्म के नये तत्वज्ञान की भी गम्भीर अध्ययन के बाद कही आलोचना की। १९२० से आजतक वे नरावर प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन करते आ रहे हैं।

१९३० तथा १९३२ में वे यरवदा तथा नाविक जेल में रहे। इन्हीं दिनों आचार्यजी ने मार्क्सवाद का गहरा अध्ययन व चित्रन किया। जेल से छुट्टने पर उनका अधिक समय स्वराज्य, जनशक्ति, लोकसाम्बन्ध, लोकशक्ति आदि अखबारों के संपादन में वीता। १९२८ में उनके सहयोग से मराठी भाषा द्वारा राष्ट्रीय विचारों के प्रशार-हेतु 'भुलम राष्ट्रीय व्रियमाला' का जन्म हुआ।

१९४२ के आदोलन में वे फिर गिरफतार किये गये। दो वर्ष जेल में रहे। आजकल वे महाराष्ट्र के प्रतिद्वंद्वी लोकावासिक 'साधना' के संपादक हैं। रास्तस्थ होने पर भी उन्हिन्होंने महाराष्ट्र का मार्गदर्शन करने की विमेदारी आज भी वे सभाल रहे हैं।

लोकशक्ति की शुद्धि के लिए जिन साधकों की आशयकता आचार्यजी मानते हैं, वे उस वर्ग के स्वयं एक सदस्य हैं। उनकी श्रद्धा है कि सनातन सभ्यग्राही धर्म व समाजवादी युगधर्म के समन्वय से बना हुआ नया दर्शन ही भारत एवं संसार का कल्याण करेगा।

'आधुनिक मारत' आचार्यजी की महान् साहित्यिक कृति है। इसमें जहाँ ऐतिहासिक दृष्टि है, वहाँ आचार्यजी ने कातिशास्त्र एवं समाजवादी तत्वज्ञान का समन्वयात्मक विवेचन भी किया है। यह पुस्तक सर्वप्रथम मराठी में १९३८ में छ्यायी। राजनीतिक इतिहास के निरूपण के अलावा इसमें साकृतिक समस्याओं पर मौलिक चर्चा है। इसीसे यह कोरा इति-हास न रहकर विचारों के लिए तत्वज्ञान का प्रथ बन गया है। आचार्यजी की यह सच्चाई आज के आडोलनों को समझने व उचित मार्गदर्शन पाने के लिए बड़े काम की है, इसमें सदैह नहीं।

—यदुनाथ थच्चे

आधुनिक भारत

[भारत के राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विकास का इतिहास]

शंकर दत्तात्रेय जावडेकर

०

अनुचादक
हरिभाऊ उपाध्याय

१९५३

सस्ता साहित्य मंडल-प्रकाशन

प्रकाशक
मार्टेंड उपाध्याय
मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

श्री हंसराज बच्छराज नाहटा
सरदारशहर निवासी
द्वारा
जैन विश्व भारती, लाडनू
को सप्रेम भेट -

मुद्रक
उद्योगशाला प्रेस,
दिल्ली,

प्रकाशकीय

इस पुस्तक का पहला संस्करण आज से लगभग दस वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था, लेकिन निरतर माँग होने पर भी नया संस्करण जल्दी निकालने की सुविधा न हो सकी। इस बीच देश स्वतंत्र हो गया और हमें हर्ष है कि अब यह पुस्तक वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्त्तित एवं परिवर्द्धित रूप में प्रकाशित हो रही है। इसमें दो अध्याय नये जोड़ दिये गये हैं, साथ ही यत्रतंत्र आवश्यक सुधार करके पुस्तक को अद्यतन बना दिया गया है।

इस पुस्तक में ब्रिटिश शासन के भारत में स्थापित होने के समय से लेकर अबतक का इतिहास है। पाठक जानते हैं कि स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए किया गया हमारा आदोलन केवल राजनैतिक आदोलन नहीं था, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि साकृतिक थी और इसलिए हमारी मान्यता है कि हमारे इतिहास के ये पृष्ठ भारत के लिए ही नहीं, ; दुनिया के लिए भी चिरकाल तक मार्गदर्शक रहेंगे।

विद्वान् लेखक ने इस पुस्तक में जो सामग्री प्रस्तुत की है वह केवल एक इतिहास-लेखक के नाते नहीं दी है। वे स्वयं लगभग तीस साल तक भारत के विविध आदोलनों में सक्रिय भाग लेते रहे हैं।

मराठी की यह बड़ी लोकप्रिय पुस्तक है। गुजराती में भी इसे बहुत पसंद किया गया है। हिन्दी में भी इसकी लोकप्रियता सर्वविदित है। वर्तमान संस्करण के परिवर्द्धित अध्यायों का मूल पुस्तक से अनुवाद करने एवं अतिम पृष्ठों से आवश्यक सुधार करने में हमें श्री यदुनाथ थत्ते से जो सहयोग मिला है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

हमें विश्वास है कि यह परिवर्द्धित संस्करण और भी चाव से पढ़ा जायगा।

—संत्री

लेखक-परिचय

आचार्य शंकर दत्तात्रेय जावडेकर का जन्म कोल्हापुर रियासत के मलापुर नामक गाँव में २६ सितम्बर १८८४ को हुआ। उनके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। कोल्हापुर और पूना में आचार्यजी की शिक्षा हुई। 'तत्त्वज्ञान' विषय लेकर उन्होंने १८१७ में बी० ए० पास कर लिया। एम० ए० का अध्ययन कर ही रहे थे कि गाधीजी के नेतृत्व में असहयोग-आदोलन छिड़ा। तत्कालीन राजनीति से प्रभावित होकर आचार्यजी ने परीक्षा में न बैठने का निश्चय किया।

आचार्यजी बचपन में ही राजनीति एवं राष्ट्रीय शिक्षा में रुचि लेने लगे, क्योंकि उनके पिता अपने मित्र श्री अरण्णा साहब बीजापूरकर से सामयिक राजनीति की चर्चा प्रायः करते थे। मध्यप्रदेश के मजदूर नेता आर० एस० रूझकर आचार्यजी के बचपन के साथी हैं। दोनों को साथ-साथ ही देशसेवा की लगन लगी। कालेज छोड़कर वे इस्लामपुर चले गये। वहाँ से तीन मील की दूरी पर उन्होंने हरिजन-विद्यार्थियों के लिए 'महात्मा बोर्डिंग' नाम से एक छात्रावास चलाया। यहाँ पर आचार्यजी ने 'राजनीति-शास्त्र-परिचय' नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक से उनकी विद्वत्ता को पहचानकर तिलक राष्ट्रीय विद्यापीठ में उन्हें अध्यापक-पद संभालने का निमत्रण दिया गया। १८२६ में वे इस नये पद पर नियुक्त हुए।

१८२० में गाधीजी भारतीय राजनैतिक मच पर आए। उन दिनों भारत के राष्ट्रीय नेता श्री गोखले, न्याय० रानडे, लो० तिलक एवं श्री आगरकर की विभिन्न राजनैतिक विचारधाराएँ देश में प्रचलित थीं। विशेषतः महाराष्ट्र में इन विचारप्रणालियों के गुट से बने थे। महात्मा गाधी ने इन नीतियों का समन्वित रूप देश के सामने रखा। इसपर विभिन्न सम्प्रदायनिष्ठ गुट उनसे अप्रसन्न हुए और वे गाधीबाद का प्रतिवाद करने लगे। आचार्यजी ने ऐसे मौके पर एक बक्ता व पत्रकार के रूप में महाराष्ट्र के नवयुवकों को अखिल भारतीय राजनीति के प्रवाह में लाने

विषय-सूची

१. हिन्दुस्तान क्यों और कैसे जीता गया ?	• •	७
२. अंग्रेजी राज्य कैसे जमा ?		२८
३. सर्वांगीण सुधार की आधुनिक ज्ञान-ज्योति	• • •	५१
४. भारतीय राजनीति और अर्थनीति का पाया	•	७१
५. कांग्रेस का जन्म और प्रचार	• •	८५
६. भारतीय संस्कृति का तत्वमथन	•	९०
७. कांतिकारी राजनीति		९६
८. कांतिकारी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद	• •	११७
९. राष्ट्रीय आपद्धर्म		१४६
१०. भारतीय सत्याग्रह-संग्राम	•	१६८
११. प्रातीय स्वायत्ता और द्विराष्ट्रवाद	•	२१७
१२. अन्तिम स्वातंत्र्य-युद्ध	• •	२४५
१३. सत्याग्रही कान्तिशाला	•	२७२
१४. भारतीय संस्कृति का अमृत तत्व		३१२

आधुनिक भारत

: १ :

हिन्दुस्तान क्यों और कैसे जीता गया ?

सोलहवीं सदी से यूरोप में मानव-संस्कृति एक नई दिशा की ओर जाने लगी। यूरोपीय समाज और राज्य में एक नई क्रान्ति होने लगी। समाज में अमीर-उमरावों का महत्व कम होने लगा और समाज-व्यवस्था तथा राजनीति में व्यापारी-वर्ग को विशेष महत्व मिलने लगा। वहाँ के व्यापारी-वर्ग की महत्वाकांक्षा को एक नवीन चेतना मिली। मानव-संस्कृति के इतिहास में व्यापारी-युग का प्रारम्भ प्रायः तबसे हुआ जबसे (अर्थात् पन्द्रहवीं सदी के अखीर से) वास्कोडिगामा ने अफ्रीका होकर हिन्दुस्तान आने का जल-मार्ग खोज निकाला। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप में एक छोटा राष्ट्र है; परन्तु फिर भी सोलहवीं और सत्रहवीं सदी में वह इस व्यापारी युग की संस्कृति में बहुत आगे बढ़ गया और सत्रहवीं सदी के अन्त में तो इस द्वीप के राज्य-सूत्र व्यापारी-भूमि वर्ग के लोगों के हाथों में आगये। इससे पहले वहाँ समाज में और राजकाज में अमीर-उमरा और धर्माधिकारियों को जो अग्रस्थान मिलता था, वह बिलकुल जाता रहा और ब्रिटिश-राष्ट्र एक व्यापारी-राष्ट्र और ब्रिटिश-संस्कृति एक व्यापारी-संस्कृति बन गई।

इस नवीन व्यापारी-युग के कारण मानव-संस्कृति जहाँ कुछ बातों में आगे बढ़ी, वहाँ कुछ अशों में पीछे भी हटी। आज इस युग का अन्त करके मानव-संस्कृति एक और युग में प्रवेश कर रही है, परन्तु इस नवीन युग में प्रवेश करने से पहले यदि व्यापारी-युग में हुई प्रगति को आत्मसात् किये बगैर आगे जाने की कोशिश की गई तो फिर पीछे हटना पड़ेगा। अतः यह उचित है कि इस युग की महिमा को ठीक-ठीक

समझ लिया जाय, उसके गुण-दोपों की अच्छी तरह छानवीन कर ली जाय, फिर कोई समाज या राष्ट्र अपना कदम आगे बढ़ावे। यूरोप को वहाँ के व्यापारी-वर्ग 'ने स्वराष्ट्र-सघटन और परराष्ट्र-आक्रमण के सम्बन्ध में बहुत-सी नई बातें बताई हैं और दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने के बाद उसका अधिक-से-अधिक लाभ अपने राष्ट्र के लोगों को कैसे पहुँचाया जाय, अपने राष्ट्र की सम्पत्ति, सत्ता और वैभव की अधिक-से-अधिक वृद्धि कैसे की जाय — इसका भी ज्ञान इस व्यापारी-वर्ग ने यूरोप को पहले-पहल कराया।

इस व्यापारी-वर्ग के आगे आने के मार्ग में धर्माधिकारी, अमीर-उमरा और राजा लोग बाधक-स्वरूप थे। इसलिए उन्होंने पहले तो धर्म-संस्थाओं के खिलाफ बगावत खड़ी की, अमीर-उमरा का नोर हटाने में राजाओं की सहायता की और अन्त को राजा के खिलाफ भी बगावत का झरणा उठाया और सारे शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिये। यह धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन अथवा क्रान्ति पहले हैलैण्ड में हुई और फिर फ्रान्स, इटली, जर्मनी आदि दूसरे देशों में क्रम से उसका प्रवेश हुआ। इस क्रान्ति-कार्य में जो देश जितने पीछे रह गये, वे ससार की राजनीति में भी उसी हिसाब से पिछुडे रह गये और जिन देशों ने इस नये युग का महत्व बिलकुल ही नहीं समझा और न उसका स्वरूप ही जिनके ध्यान में आ सका, वे, जिन देशों ने इस युग की महिमा को ठीक-ठीक आत्मसात् कर लिया था, उनके सम्पर्क में आते ही, हार गये। ससार के व्यवहारों में पीछे रहने का यह अनिवार्य फल है। परन्तु जो लोग मानव-संस्कृति की एक अवस्था में पीछे रह गये, वे उसकी दूसरी अवस्था में संसार में बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। हों, उसके लिए यह जरूरी है कि अपने और दुनिया के अनुभवों से सबक लेकर आगे कदम बढ़ाने का और अपनी वृद्धि से नई खोज और आविष्कार करके विश्व-संस्कृति में वृद्धि करने का सामर्थ्य और पराक्रम उनमें हो।

जब यूरोप के व्यापारी-समाज की महत्वाकांक्षा पूरे जोर में थी और वह अमेरिका से हिन्दुस्तान और चीन तक सारी दुनिया में

व्यापार के बहाने धूम - धाम रहा था, उस समय हिन्दुस्तान की क्या दशा थी ? उस समय जब कि यूरोप के व्यापारियों से उसका सम्बन्ध हुआ, अमेरिका, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के लोगों की तरह हिन्दुस्तानी जगली नहीं थे । तब तो हिन्दुस्तान में हिन्दुओं और मुसलमानों के प्रबल राज्य और साम्राज्य थे । धनोत्पादन और युद्ध-कला में तत्कालीन यूरोपीय राजाओं से पीछे नहीं थे । अकबर या औरंगजेब के साम्राज्यों के मुकाबले में एलिजावेथ अथवा एन का राज्यविस्तार और वैभव चिल्कुल नाचीन था । एलिजावेथ के राज्यकाल से लेकर एन के शासनकाल में ब्रिटिश व्यापारी पश्चिम में अमेरिका से लेकर पूर्व में हिन्दुस्तान और चीन में फैल गये थे । भिन्न-भिन्न देशों में उन्होंने अपने छोटे - छोटे उपनिवेश और व्यापार - कोठियों कायम कर ली थी । इन कोठियों की हिफाजत के लिए वे कुछ शखाल्ल और सैनिक अपने पास रखते थे और जिस समुद्र पर किसी राजा की सत्ता नहीं थी, उसपर भी वे अपना प्रभुत्व और धाक जमाने लगे थे । इसी जमाने में इन व्यापारी लोगों ने अपने देश के शासनसूत्र अमीर - उमरा और राजाओं के हाथ से छीन लिये और समाज - संघटन, राज्य - व्यवस्था, व्यापारिक - सघटन, युद्ध - शाखा, सामाजिक - शाष्ट्र और भौतिक - विद्या में कितने ही नये - नये शोध किये । इस कारण उनके मन में यह अभिमान भी उत्पन्न होगया या कि हम हिन्दुस्तान और एशिया के हिन्दू, मुसलमान और बौद्धों की अपेक्षा अधिक सुसंस्कृत और सभ्य हैं ।

जब हम यह कहते हैं कि ब्रिटिश - राष्ट्र व्यापारी - राष्ट्र है और ब्रिटिश - संस्कृति व्यापारी - संस्कृति है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है ? ब्रिटेन के सभी लोग व्यापारी हैं अथवा दूसरे राष्ट्रों में कोई व्यापारी ही नहीं हैं, ऐसा इसका अर्थ नहीं हो सकता । बल्कि यह है कि ब्रिटेन में व्यापारी लोगों की प्रधानता है और वहाँ की संस्कृति पर उस वर्ग की गहरी छाप पड़ी है । परन्तु इतने से ही इस वाक्य का असली अर्थ व्यक्त नहीं होता । ब्रिटेन के व्यापारियों को आखिर यह प्रधानता कैसे मिली ? जब इसका विचार करते हैं तो यह दिखाई देता है कि वहाँ के व्यापारी - वर्ग ने अपने राष्ट्र की शासन - सत्ता अपने हाथों में ली और धर्माधिकारियों तथा अमीर -

उमराओं के वर्ग की प्रधानता मिटा दी अर्थात् ये व्यापारा लोग राजकाजी और लडवैये थे। हमारे देश के व्यापारी - वर्ग की तरह महज व्यापार करके पेट भरनेवाले निश्चिह्नवी जीव नहीं थे। राजा और अमीर - उमरा अर्थात् लॉर्ड्स तो हमारी रक्षा करके देश में शाति^१स्थापित करे और हम सिर्फ व्यापार करके पेट भरते रहें, यह वृत्ति उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने इस सिद्धान्त को गलत ठहरा दिया कि शासन करना महज उमराओं का ही काम है। जब उन्होंने देखा कि अमीर - उमरा देश में शान्ति - स्थापन नहीं कर सकते और आपस में लड़भिड़ कर उल्टी अशाति पैदा करते हैं और व्यापार - धनधों की स्थिरता नष्ट करते हैं, तो उन्होंने शासन - कार्य अपने ही हथों में ले लिया। इतना ही नहीं, बल्कि राज्यविस्तार का जिम्मा भी खुद ले लिया। पहले यह होता था कि अमीर - उमरा जाकर किसी देश पर कब्जा करते थे, राज्य - विस्तार करते थे, पीछे व्यापारी लोग जाकर अपना व्यापार जमाते थे। अब इस क्रम को बदलकर उन्होंने नया मार्ग निकाला कि व्यापारी पहले दूसरे देशों में जाकर व्यापार का अद्भुत जमायें और पीछे अपने राष्ट्र का भरणा वहाँ गाढ़ दें। पहले राज्यविस्तार और फिर व्यापार - विस्तार के बाय पहले व्यापार - विस्तार और फिर राज्य - विस्तार — यह विचार - शृङ्खला उन्होंने रूढ़ि की। मतलब यह कि जो अँग्रेज इधर आये, वे महज व्यापार करनेवाले नहीं थे, बल्कि लडवैये और दूसरे देशों पर कब्जा करके राज्य - विस्तार करनेवाले व्यापारी थे। समुद्री डाकुओं से और लूटमार से अपनी रक्षा करने के लिए वे शक्तिशाली और युद्ध - सामग्री अपने पास रखते थे। दूसरे देशों में जहाँ - जहाँ अपनी व्यापार - कोठियों उन्होंने कायम की थीं, वहाँ - वहाँ अपने उपनिवेश और छावनियों उन्होंने बना ली थी। जो राजा व सरदार उनके व्यापार को सरक्षण न दे सके, उनको पदच्युत करके राज्यक्रान्ति कैसे की जाय, यह विद्या वे जानते थे और यदि उन्हें कमज़ोर समझकर कोई कुचलने की कोशिश करे, तो उनके देश की राजसत्ता का बल उनकी सहायता के लिए आ सकता था। उनके अपने देश में जिन लोगों के हाथ में राजसत्ता थी, वे परदेशों की अपनी व्यापार - कोठियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे, क्योंकि वे व्यापारी - वर्ग के ही प्रतिनिधि थे। विटिश लोग

व्यापारी है, अथवा उनकी सम्झौति व्यापारिक है इस वाक्य का अर्थ इसना गहरा है ।

राजशास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो सब्रह्मीं सदी में जो मराठा-सम्झौति उट्टय हुई और अठारहवीं सदी के मध्य तक जिसने सारे हिन्दु-स्तानका सर्वभौमत्व प्राप्त करने में काफी सफलता पाई वह ब्रिटिश-सम्झौति से राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्र इन दो बातों में पिछङ्गी हुई दिखाई देती है । जिस समय मराठे लोग शिवाजी के नेतृत्व में हिन्दू-राज्य की स्थापना कर रहे थे, उसी समय ब्रिटिश लोग क्रॉमवेल के नेतृत्व में अपने ही धर्म और देश के राजा को पदच्युत करके प्रजातन्त्र की स्थापना का प्रयत्न कर रहे थे । फिर सम्भाजी के बध के बाद (१६८४ ई०) जब मराठे विधर्मियों की सत्ता और आक्रमण को निवारण करके स्वराज्य और स्वधर्म के सरक्षण में लगे हुए थे और उसके लिए उन्होंने असीम स्वार्थत्याग करके सफलता प्राप्त की, उसी समय ब्रिटिश लोगों ने अपने देश के जालिम राजा, दूसरे जैम्स, को गढ़ी से उतारकर उस सम्राट् में सफलता प्राप्त की जो क्रॉमवेल के समय से अनियन्त्रित राजसत्ता और प्रातिनिधिक लोकसत्ता में हो रहा था, और इस प्रकार अपने देश में लोक-नियन्त्रित (अर्थात् प्रजा-सत्तात्मक) राज की स्थापना की । इस बात को ध्यान में रखता जाय तो जिस समय मराठे सिर्फ परधर्मिया और परकीयों के राज्यों को नष्ट करके स्वधर्मीय राजा के राज्य-स्थापन करने के विचार और प्रयत्न में लगे थे, उसी समय ब्रिटिश लोग इस सिद्धान्त की प्रस्थापना में लगे हुए थे कि राजा चाहे स्वकीय हो चाहे स्वधर्मी हो, यदि वह जालिम है तो उसे हटाकर दूसरे राजा को गढ़ी पर बिठाना और लोकमतानुसार शासनकार्य चलाना उनका कर्तव्य है । इस तत्त्व की प्रस्थापना ब्रिटेन के व्यापारी-धर्म के नेताओं ने व्यापारों और किसान वर्ग का नेतृत्व करके उनके धन-जन-जल पर की । इस कारण वह राष्ट्र राजकीय-सम्झौति की दृष्टि से दूसरे सब राष्ट्रों के आगे निकल गया । इधर मराठों ने अपनी स्वतंत्रता कायम रहने तक यह सबक नहीं सीखा, फलतः ब्रिटिश लोगों की गुलामी स्वीकार करके दूसरे भारतीयों के साथ-साथ उन्हें भी प्रजातन्त्र का सिद्धान्त सीखना पड़ा ।

अँग्रेजों ने यहाँ के व्यापारियों को अपनी मीटु में लेकर राजक्रान्ति तो की, परन्तु राजसत्ता अपने ही हाथों में रखवी। अँग्रेजों को राज्य-विस्तार में गुप्त नामक जैन व्यापारी की बहुत सहायता मिली। यह घराना धर्मनिष्ठ था और उसने हिन्दुस्तान में बड़े सुन्दर मन्दिर बनवाये हैं। इस घराने की यह तजबीज थी कि प्रत्येक लड्डाई के समय या उससे पहले हिन्दुस्तान के राजाओं की जानकारी और रुपये-पैसे की सहायता अँग्रेजों को दे तथा उनके शातिष्ठी शासन का जाल सारे हिन्दुस्तान में फैला दिया जाय। क्लाइव से लार्ड कैनिंघम के शासनकाल तक यह ब्रह्म उन्होंने ब्राह्मण निभाया, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की ओर से सिफारिशी पत्र मिले। सारा हिन्दुस्तान जीतकर जब ब्रिटिश राजनीतिज अफगानिस्तान और ईरान में अपने पाँव फैला रहे थे, तब सर अलेक्जेंडर बर्न्स ने सन् १८३७ में इस खानदान का वर्णन इस प्रकार किया है—

‘स्वरूपचन्द्र गुप्त शालिवर्मा कक्ष्यावाशा के वशज कावुल - कन्दहार, समरकन्द, हिरात और अन्य स्थानों के कई एशियाई लोगों की अनेक गतिविधियों पर सतर्क होकर नजर रखते हैं और ब्रिटिश अधिकारियों के लाभ के लिए अपनी जानकारी भेजते रहते हैं। तभाम युद्ध, सधि और सैनिक बातों की व्यवस्था उनकी जानकारी पर ही अवलंबित रहती है, इसलिए सरकार उनकी बहुत मृग्यणी है।’ इस प्रकार ये ब्रिटिश पक्ष के बड़े विश्वसनीय और राजनिष्ठ लोग थे। इनकी जानकारी सही और विश्वसनीय होती थी। इसी तरह लॉर्ड एलिनबरा ने, १८४४ ईस्वी में अँग्रेजों को जो मदद इनकी दुकान या पेढ़ी की ओर से मिली, उसकी बहुत प्रशसा की है। वह लिखता है कि ‘आप मेरे ही नहीं, जिस सरकार का मैं प्रतिनिधि हूँ उसके भी सच्चे मित्र हैं। उस सरकार के कल्याण के लिए और पूर्वी देशों में उसका राज्य कायम करने में जो सेवा आपकी तरफ से हुई है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। मराठा और जाट युद्धों में, तथा मेरे शासनकाल के दूसरे युद्धों में, अँग्रेज अधिकारियों को जिस सबसे बड़ी आर्थिक सहायता की जरूरत थी वह आपने बहुत उदारता के साथ की है।’ घग्गाल के जगत् सेठ अमीचन्द भी गुप्तघराने के आत्मीय थे जिन्होंने लार्ड क्लाइव और सरकार को तरफ

सहायता की थी। लार्ड ह्वाइव सन् १७८५ में लिखे अपने एक प्रमाण-पत्र में लिखते हैं—

‘आप लोगों ने लगभग ५० लाख रुपये इकट्ठा करके जगह-जगह मकान बनाकर पूर्वी देशों की खतरे भेजने के लिए डाक बाधने का जो निश्चय किया है, उसे सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपने खुद अपना रुपया लगाकर लोगों को जो हमारे छुत्र के नीचे लाने की आयोजना की है, उसे सुनकर भी मुझे बड़ा आनंद हुआ है। खासकर अरकाट में आपने और आपके लोगों ने जो सहायता की है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता।’

ग्वालियर का किला फतह करने में इस धराने ने जो सहायता दी, उसके सम्बन्ध में इस किले का विजेता आपने १७८२ ईसवी के पत्र में लिखता है—‘ग्वालियर के जैसे अगम्य और अमेद्य किले को सर करने में अग्र महाराजाधिराज सवाई सिंहदर स्वरूपचन्द्र गुप्त की हार्दिक सहायता न होती तो किसी भी दशा में वह किला जीता नहीं जा सकता था। किले में जाने के गुप्त मार्ग की जानकारी बड़े परिश्रम से प्राप्त करके उन्होंने हमें दी, जिससे हम आसानी से किला ले सके।’

खिङ्कली की लडाई (१८१७) में पूना-विजय कराने में इस खानदान ने जो काम किया, उसके बारे में जेनिन्स लिखता है—‘आपने एक अत्यत महत्वपूर्ण, गुप्त खबर ऐसे ऐन मौके पर दी कि उसके बिना हमें विजय पाने में बहुत समय और पारथ्रम लगता।’ गुप्त धराने के व्यापारियों ने ब्रिटिश व्यापारी राज्यकर्ताओं को हिन्दुस्तान जीतने में जो सहायता की, वह जिस तरह ब्रिटिश राज्यकर्ता नहीं भूलेंगे, उसी तरह हिन्दुस्तान के लोग भी उसे नहीं भूल सकते।

लार्ड ह्वाइव ने जब बगाल फतह किया तो हिन्दू व्यापारियों और राजाओं अर्थात् जमीदारों ने ब्रिटिश सरकार की स्थापना में सहायता की। ऑफिस लेखक एस. सी. हिल ने अपनी पुस्तक ‘१७८६—८७ ई० का बगाल’ की प्रस्तावना में लिखा है—‘इस देश के व्यापार और उद्योग-धन्वे प्रायः पूरी तरह हिन्दू लोगों के ही हाथ में थे, इसलिए व्यापार के लिए आकर वसनेवाले यूरोपीय व्यापारियों का स्वभावतः

ही उनसे निकट सम्बन्ध बना और हम भौतिक स्वार्थ के आधार पर हिन्दू और यूरोपीय व्यापारियों का एक प्रकार का गुप्त गुह्य ही इस समय बन गया था ।^१ १७५५-६० में स्कॉट नामक एक यूरोपियन ने बगाल के बारे में एक पत्र लिखकर बगाल की स्थिति का चर्चा किया है । उसका यह मत था कि यहाँ के व्यापारी व हिन्दुराजा राजकाति के काम में यूरोपियनों की सहायता करेंगे । श्री चाल्स एफ नोबुल ने २३ सितम्बर, १७५६-६० को ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सिलेक्ट कॉमिटी को एक पत्र में लिखा था कि^२ कनैल स्कॉट ने बगाल की परिस्थिति का जो निरीक्षण किया, उससे ऐसा मालूम होता है कि हिन्दू राजा और प्रजा मुसलमानी शासकों से बहुत नाराज है और उनकी जालिमाना हुक्मत के तौक को उठा लेने का मौका छूँढ़ता है । पी ई रॉबर्ट्स अपनी 'विटिश हिन्दुस्तान का इतिहास' नामक पुस्तक में लिखता है कि '१७५६-५७ में बगाल में जो राजकाति हुई वह मुख्यतः अथवा पूर्णतः यूरोपियन व्यापारी छावनी के द्वारा हिन्दुस्तानी प्रान्त को जोत लेने के जैसी नहीं थी, बल्कि स्वदेशी (हिन्दू) व्यापारी और साहूकार वर्ग तथा ब्रिटिशों के सयुक्त प्रयत्न द्वारा विदेशी (मुसलमान) राज्य को उखाड़ फेकने - जैसा स्वरूप उसका था । यद्यपि व्यापार के लिए आवश्यक शाति की दृष्टि से स्वदेशी और ब्रिटिश व्यापारी दोनों का इसमें समान हित था, फिर भी प्रत्यक्ष उथल - पुथल में अंग्रेज ही अग्रसर हुए और राजसन्ता भी अकेले वे ही हड्डप बैठे ।^३ वही लेखक आगे लिखता है— 'अलीवर्दीखों की मृत्यु के पहले भी सूचम निरीक्षकों को यह साफ दिखाई देता था कि यह भगाङा अधिक टल नहीं सकता । नवाच अन्यायी था, यह कहने की अपेक्षा वह सख्त था, यह कहना अधिक उचित होगा ।' अंग्रेज अपने व्यापार पर लगे अनेक असहा बन्धनों से अत्यन्त असतुष्ट थे । आर्म १७५२-६० में ही झाइव को लिखता है— 'इस बुड्ढे कुत्ते को जरा अच्छा तरह दाग दिया जाय तो अच्छा । यदि कम्पनी ने ऐसा नहीं किया तो बगाल में उसके लिए व्यापार करना असमव हो जायगा ।' जब-तक अलीवर्दीखों जीवित था, तबतक यह असन्तोष भीतर-ही-भीतर

*Rise of the Christian Powers by Major Basu, P 45

†History of Br India, Page 131-32

परच रहा था। उसकी मृत्यु के बाद दुराग्रही, दुर्वेल और दुर्वर्षसनी युवक जब गद्दी पर बैठा तो वह यूरोपियन व्यापारियों और हिन्दू नागरिकों पर ज़ुल्म करने लगा और सेठ- साहूकार घराने का अपमान करने लगा, तब इस घटना को अधिक गति मिली और उसी से भावी उत्पात शुरू हुआ। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को अपने राज से निकाल देने का निश्चय किया और डच अधिकारी फ्रेंच लोगों की अपेक्षा अंग्रेजों की तरफ अधिक ध्यान देने का इरादा किया। यह भी उसकी दृष्टि से ठीक ही था। उनकी छावनी ही सबसे बड़ी और सबसे सपन्न थी, उनका व्यापार सबसे बढ़ा - बढ़ा था और हिन्दू व्यापारी - बर्ग से उन्हींका अधिक निकट सम्बन्ध होगया था। अंग्रेजों को एक बार निकाल भगाने के बाद यरोपियों को खबर लेने के लिए उसे अवसर मिल सकता था।⁺

१८२३ई० में राजा राममोहन राय प्रभृति बगाली नेताओं ने मुद्रण- स्वातंत्र्य के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड के राजा के पास एक निवेदनपत्र भेजा था जिससे प्रकट होता है कि बगाल के हिन्दू खासकर सुशिक्षित हिन्दू नेताओं की अमर्जी-राज के प्रति क्या भावनाएँ थीं —

‘हिन्दुस्तान के अधिकार इससे पर सिद्धियों तक मुसलमानों का प्रभुत्व रहा था, जिसमें यहाँ के मूल निवासियों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों पर पटाधात होता रहता था। परन्तु बगाली लोगों में शारीरिक पराक्रम की और कष्ट- सहन के साथ पुरुर्णार्थ करने की कमी होने के कारण उनका धन- माल बारबार लूटा जाता था। उनके धर्म का अपमान होता था और मनमाने द्वारा से उनका खून बहाया जाता था। फिर भी वे आखीर तक मुसलमान राजसत्ता के प्रति बफाटार रहे। अन्त को परमात्मा की अपार दया से अंग्रेज राष्ट्र को इन अत्याचारों शासकों के चगुल से बंगाल को मुक्त कराने की और उन्हें अपनी छत्रछाया में लाने की प्रेरणा मिली।†

इससे यह जाना जाता है कि अंग्रेजों ने जब बगाल में अपनी सत्ता

⁺ History of Br India, Page 132—33

[†] Indian Speeches and Documents on British Rule,
P 15, Editor—J K. Majumdar

स्थापित की तो व्यापारी-वर्ग द्वारा मिली सहायता के साथ इस धर्म-विरोधी भावना का भी लाभ उन्हें मिला। हिंदू व्यापारी और सेठ-साहू-कारों ने अंग्रेजों को जो मदद ढी, उसमें उनका भाव न केवल इतना ही था कि मुसलमान शासक व्यापार में सहायता नहीं करते और नवाच और जर्मीनार बार-बार लड़ाइयों लड़कर लूटपाट मचाते थे, बल्कि यह भी शायद रहा हो तो आशर्चर्य नहीं कि वे विदेशी और विधर्मी हैं। परन्तु यह कहना कि मुसलमानों के जमाने में हमेशा ही यह अन्धा-धुन्धी, लड़ाइयों और अशान्ति रहती थी, ठीक नहीं है। यदि सारे हिन्दुस्तान में इस तरह हमेशा अन्धा-धुन्धी रही होती, तो कैसे वहाँ इतने बड़े सेठ-साहूकार और उनकी पेटियों(firms) बनी और फूली-फली होतीं और कैसे इतना धन और प्रतिष्ठा कायम रही होती ? जगत्-सेठ अमीचन्द अथवा गुप्त जैसे सेठ-साहूकार और व्यापारी-वश कैसे बढ़े, राजदरवार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और राजा-नवाबों को भी उनसे आर्थिक सहायता लेना जरूरी मालूम होने लगा। इसका अर्थ ही यह है कि इस देश में बड़े-बड़े राज्य और साम्राज्य थे, लोगों का धन-माल और धरबार सुरक्षित था। परन्तु जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और दक्षिण से मराठे, पश्चिम से सिक्ख और वायव्य कोण से ईरान, अफगानिस्तान के राजाओं ने हमले शुरू किये तब हिन्दुस्तान में कुछ समय अन्धा-धुन्धी अधिक बढ़ गई। इस अन्धा-धुन्धी की आग में अंग्रेजी और फ्रासीसी जैसे लड़वैये, राजकाजी और कूटनीतिश व्यापारियों ने घी डालने का काम किया। इस समय बगाल-प्रान्त की स्थिति विशेष शोचनीय थी क्योंकि वह एक और बहुत सबल और दूसरी ओर बहुत दुर्बल हो गया था। गगासागर से आनेवाले विदेशी व्यापारियों और उनके अनेक हमलों का मुकाबला करके उन्हें हटा दें इतना समर्थ और सबल जहाजी बेड़ा बगाल की खाड़ी में नहीं था। इधर मलाबार के समुद्रतट पर उस समय आप्र का जबरदस्त जहाजी बेज्जा था। उसको नष्ट किये बगैर बम्बई इलाके में विदेशी व्यापारियों को शरारत करने का विशेष अवसर नहीं था। फिर अठारहवीं सदी में मराठों की सत्ता बम्बई प्रान्त में बहुत जोरों से बढ़ रही थी और उनके साम्राज्य का सामर्थ्य और अहंकार इतना बढ़ गया था कि वे यह

समझने लगे थे कि नाटिरशाह जैसे इरानी लुटेरे से दिल्ली के तख्त को बचाने की जिम्मेदारी हमपर है। बाजीराव की मृत्यु के बाट राजोबा दादा ने अटक पर अपना भरणा गाडा, जिससे उत्तरी भारत के मुसलमान और गजपूतों द्वारा यह डर हुआ कि दिल्ली का तख्त दक्षिण के हिन्दुओं के कब्जे में चला जायगा, इसलिए मुसलमान रोहिलों ने अहमदशाह अब्दाली जैसे को बुलाकर इस बात की कोशिश की कि इस दक्षिणी साम्राज्य की रोक हो और दिल्ली का तख्त मुसलमानों के हाथ से न जाय। इधर यह टथल - पुथल हो रही थी, उधर बगाल और मद्रास के समुद्र - तट पर अंग्रेज व्यापारी अपनी राजनीति के खेल खेल रहे थे। मराठों और सिक्खों ने मुसलमान साम्राज्य के खिलाफ बगावत खड़ी कर अपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये थे। यह खवरें बगाल के हिन्दुओं तक पहुँचती रहती होंगी, इससे अनेक मतों में मुसलमान सत्ता के खिलाफ भाव पैदा हुए होंगे तो आश्चर्य नहीं, परन्तु मराठों के हमले बगाल पर होने के कारण वहाँ के व्यापारी धनियों पर एक नई आपत्ति आई मालूम हुई होगी। इन हमलों का मुकाबला करने के लिए वहाँ के नवाब इन सेट - साहूकारों पर जुल्म करके, इन्हें तग करके, आर्थिक सहायता लेते होंगे और अगर मराठों की जीत हो गई तो भी उनकी लूटमार और मनमानी का डर रहा होगा। ऐसी स्थिति में बगाल के व्यापारियों ने मुसलमान शासकों और नवाबों के खिलाफ बगावत खड़ी करने में अंग्रेज व्यापारियों को सहायता दी हो और मत्यम वर्ग के लोगों को कुछ समय तक अंग्रेजों का शान्ति-पूर्ण शासन जालिय और विदेशी जर्मींदारों के चास से बचाने और छुड़ाने के लिए ईश्वरीय देन है, ऐसा लगा हो तो आश्चर्य नहीं।

परन्तु यह भावना हिन्दुस्तान के मध्य प्रान्तों में सर्वत्र नहीं थी क्योंकि उन्हीं दिनों एक ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन माल्कम ने लिखा है —

‘हमारा राज्यविस्तार कुछ व्यापारी-वर्ग और अत्यत दरिद्र और अरक्षित लोगों के लिए अनुकूल हुआ है, परन्तु हिन्दुस्तान के उच्च-वर्ग और सैनिक - वर्ग पर उसका बहुत ही प्रतिकूल परिणाम हुआ है।’*

* Notes on the Administration of India By Sir John Moulton, Part I, Page 139

इसी तरह यहाँ के उद्योग - धन्वे और दस्तकारी पर भी ब्रिटिश राज्य का बहुत बुरा असर हुआ है, यह सब बातें आज स्पष्ट हो गई हैं। शान्तिपूर्ण ब्रिटिश शासन परमेश्वरीय प्रसाद है यह भाव सिर्फ यहाँ के सेठ - साहूकार और व्यापारी वर्ग के ही मन में पैदा हुआ, जो कि सरकारी नौकर-वर्ग और यूरोपियन व्यापारियों के आश्रय में ही रह और पनप सकता है, फिर भी यह भावना जितनी बगाल और गुजरात में थी, उतनी महाराष्ट्र में नहीं। सर जॉन माल्कम, जो बंबई का गवर्नर था, लिखता है— ‘मालवा. राजपूताना, सारा गुजरात और कच्छ की तरह के प्रदेश में भोल, कोल, राजपूत आदि लुटेरे और टगई लोग रहते हैं। उनके बार-बार हमले होते हैं, जिनसे मैदान में रहनेवाले सधन लोग मुसीबत में पड़ते रहते थे। मुगलों और मराठों के हमले इस प्रदेश पर बार - बार होते रहते थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सत्ता का यहाँ सुस्थिर होना इन लोगों को एक बड़ी परमेश्वरी देन मालूम हुई।’ परन्तु यही लेखक महाराष्ट्रीय लोगों की भावना के सम्बन्ध में लिखता है— ‘यहाँ सरकारी शासन जितना सौम्य था, उतना बहुत ही थोड़े देशों पर रहा होगा और आन्तरिक उत्कर्ष के लिए आवश्यक खेती को इतना प्रोत्साहन देने वाली सरकार तो दूसरी जगह कही भी न होगी। इसलिए गुजरात के लोगों की तरह दक्षिणी लोगों को अप्रेजों की शान्ति परमेश्वरी प्रसाद नहीं मालूम होती। राजा से लेकर रङ्ग तक मराठे लोग युद्ध को उतना ही चाहते हैं, जितना कि अपने बाल - बच्चों को। भारी विजय अथवा बड़ा राज्य मिलने पर भी उनका अपने सम्बन्धियाँ और अपनी जन्म - भूमि के प्रति प्रेम कम नहीं होता। दूसरी जगह लूट से कुछ निश्चित रूपया वे नियम - पूर्वक अपने घर मेजते हैं जिससे उनकी खेती - बारी अच्छी चलती है। उनके रूपये से उनके जन्म-स्थान में कुएँ, तालाब, मदिर बनाये जाते हैं। दक्षिण के पेशवाओं के शासन में मराठों की जन्म - भूमि का इस प्रकार उत्कर्ष होना अनिवार्य था और आज जो राजकान्ति हुई है, वह जानमाल की रक्षा के अलावा सब बातों में यहाँ के सभी वर्गों और विशेषतः उच्च वर्ग के हित में बाधक हो हुई है॥*

*Notes on the Administration of India by Sir John M'Cormick Part I, Page 139

इस तरफ महाराष्ट्रीय जनता को अँग्रेजों को दुश्मा देने का कोई खास कारण न था । मुगल सल्तनत के पतन के बाद मराठों ने जिन - जिन प्रान्तों पर अर्थात् वगाल - गुजरात जैसों पर हमले करके 'मुल्कगोरी', के रूप में लूटपाट की, वहीं १८वीं सदी के मध्य के कुछ समय बाद तक ऐसा मालूम होता है कि बड़ी धौखली और गोलमाल रहा होगा और वहाँ के नवाबों को मराठों का प्रतिकार करने में सेठ - साहूकारों से बहुत रुपया - पैसा छीनना पड़ा होगा । परन्तु यदि ऐसा जोर - जुल्म या ऐसी अनधाधु धी हमेशा ही होती रहती तो यह स्पष्ट है कि इतने सेठ - साहूकार और इतनी पेंडियों का उदय भी हिन्दुस्तान में न हो सका होता ।

वगाल के हिन्दू राजाओं और सेठ - साहूकारों ने ब्रिटिश व्यापारियों का पक्ष लेकर मुसलमानी शासन को उखाड़ तो फँका और अपने देश में अँग्रेजों की सत्ता काशम तो की मगर यह नहीं कह सकते कि इस कार्य में उन्होंने जाग्रत वर्ग - भावना से काम लिया हो । बात यह है कि अँग्रेज व्यापारी राजक्रान्ति की विधि जानते थे और उन्होंने इस वर्ग को अपनाकर राजक्रान्ति की और राजसत्ता को भी खुद ही हड्डप बैठे । यदि वगाल के व्यापारीवर्ग ने वर्ग - भावना से अथवा राजक्रान्ति करने के इरादे से उसमें भाग लिया होता, तो उसके मन में इस बात पर कि सारी सत्ता अँग्रेजों ने खुट अपने हाथ में रखकी और उसके बल पर आगे चलकर हिन्दुस्तान का व्यापार भी छीन लिया, अँग्रेजों से ईर्ष्या या द्वेष हुआ होता, परन्तु यह व्यापारी - वर्ग तो उस समय जानता ही नहीं था कि राजनीति में हम पड़ सकते हैं या राजक्रान्ति कर सकते हैं और अपने हाथ में राजसत्ता ले सकते हैं । हाँ, राजा राममोहन राय के बक्त में अर्थात् १८वीं सदी के पहले चरण के अन्त में अलबत्ता वगाली लोगों को कुछ - कुछ यह जान होने लगा था कि सामन्त युग हटकर जब व्यापारी - वर्ग का उत्कर्ष होता है और वह आगे बढ़ता है, तब लोकसत्तात्मक राजक्रान्ति हो सकती है ।

'वगाल हैरल्ड' नामक अखबार में '१८२६ में वगाल का उत्कर्ष' - शीर्षक लेख में कहा गया है कि 'कलकत्ता व कुल वगाल प्रान्त में आज -

कल सम्पत्ति बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि व्यापार पर रुक्काघट की कमी हो गई है और यूरोपियन लोग वहाँ ज्यादा तादाद में रहने लगे हैं और जमीन की कीमत बढ़ गई। जो जमीन ३० वरस पहले कलकत्ते में १५) ८० में मिलती थी, उसका दाम आज ३००) ८० हो गया है। इसके कारण उच्च जमीदार - वर्ग और गरीब जनता इनके बीच एक नया वर्ग पैदा हो गया है। इसके पहले देश की सम्पत्ति बहुत घोड़े लोगों के पास थी और दूसरे सब लोग इसी छोटे वर्ग पर अवलम्बित रहते थे। सामान्य जनता शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी बहुत दरिद्र थी। हिन्दू लोगों की गुलामी का कारण धर्म अथवा आवश्यकी की अपेक्षा यह विषम परिस्थिति ही अधिक मालूम होती है। यह एक नवीन युग का उष्णकाल है। जब - जब समाज में ऐसा वर्ग - निर्माण होता है, तब - तब स्वतन्त्रता अपने आप आती है। इंग्लैण्ड का ही उदाहरण लीजिये - जब जर्मन लोगों ने हॉलैंड पर विजय की, तब वहाँ भी हमारे यहाँ की तरह जमीदार लोग थे और सब उनके भूटास थे। परन्तु आठवें हैनरी तक उनकी प्रगति को देखें तो उस समय समाज का साम्पत्तिक विभाग समान होने लगा था और आगे चलकर एक खट्टीक के लड़के (क्रॉमवेल) ने वहाँ के राजा को कत्ल करके हॉलैंड के प्रजासत्तात्मक राज्य का दौर-दौरा और कीर्ति सारी दुनिया में फैला दी। समाज में जब जमीदार और किसान ऐसे दो ही वर्ग होते हैं, तो कितनी हानि होती है, इसका नमूना देखना हो तो स्पेन की ओर देखो। वहाँ हर मनुष्य बौद्धिक और शारीरिक श्रम किये विना जीना चाहता है। दूसरा उदाहरण पुर्तगाल का लीजिये, वहाँ जमीन के साथ - साथ किसानों का भी क्रय - विक्रय होता है। ऐसी दशा में बगाल में आज जो एक मध्यम - वर्ग निर्माण हो रहा है, वह एक अत्यन्त उत्साहवर्धक दृश्य है।*

इस उद्घरण में वर्णित अर्थशास्त्र बहुत उथला ही नहीं, बल्कि भ्रमोत्पादक है क्योंकि कलकत्ते जैसे राजधानी के और व्यापारी शहर में जमीन की कीमत का बढ़ जाना और उसकी बदौलत कुछ लोगों को

बहुत पैसा मिलने लगना तथा अँग्रेजों का पक्का माल यहाँ लाकर बेचने-वाले और यहाँ के उद्योगधन्वों को बरबाट करके कच्चा माल बाहर भेजने-वाले व्यापारियों का धनी होना, अथवा नील के व्यापारियों जैसे कुछ अँग्रेजों का इस देश में आकर बस जाना और खेतों व खानों में काम करनेवाले मजदूरों को कुछ मजदूरी अधिक नकदी पैसों के रूप में देने लगना और इसपर ही यह मान लेना कि सारा देश धनी होने लगा है अथवा ऐश्वर्य बढ़ने लगा है, गलत था । परन्तु इस विवेचन में अँग्रेजों ने यहाँ के मध्यम वर्ग को एक - दो नये सिद्धान्त सिखाये हैं और वही इस नवीन युग के निर्दर्शक हैं । पहले के युग में परोपजीवी जर्मांदार और कष्टशील किसान — ये ही दो वर्ग समाज के प्रमुख थे । उस समय सारी सम्पत्ति जर्मांदारों के पास सचित थी और शेष सारा समाज दासता और दरिद्रता में फँसा हुआ था । अब व्यापारियों का एक नवीन मध्यम वर्ग व्यापारियों में महत्व पाने लगा — इस कारण सारे राष्ट्र का साम्पत्तिक उत्कर्ष होने लगा और इस नवीन वर्ग के उदय में से अन्त में इंग्लैण्ड की तरह हिन्दुस्तान में राजनैतिक स्वतन्त्रता का और लोकसत्ता का विकास होगा, इस प्रकार के ये सिद्धान्त हैं । इस मध्यम व्यापारी वर्ग का और अँग्रेजी सुशिक्षितों का उदय, अँग्रेजों इतिहास का ज्ञान और सामन्तशाही युग का अन्त, इन घटनाओं में से अन्त को आधुनिक राष्ट्रीयता का निर्माण हिन्दुस्तान में हुआ और शुरु-दी-शुरु में वह बहुत-कुछ अँग्रेजों के सहवास और शिक्षण के द्वारा हुआ, यह कहना बेज़ा न होगा । परन्तु आधुनिक राष्ट्रीयता के उदय होने में (१८२६ से लेकर) ५० वर्ष का समय लगा होगा । ब्रिटिश - शासन में उत्कर्ष पानेवाला यह नया व्यापारी और सुशिक्षित वर्ग उस समय, अर्थात् १८२६ के आसपास, अँग्रेजी शासकों का गुणगान करने में और लोगों को इस बात का कायल करने में कि पहले के जर्मांदार वर्ग के जालिम-शासन से मुक्त करनेवाला ब्रिटिश राज्य परमेश्वर का प्रसाद है और उनकी उन्नति में वाधक विदेशायात्रा-निपेद आदि सामाजिक और धर्मिक घटनों के खिलाफ विरोध करने में अपने को धन्य मान रहा था । पुरानी सामन्तशाही का कवच तोड़कर 'ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यापारियों ने यहाँ के मध्यम वर्ग को राजनैतिक

अवस्था से मुक्त किया था, परन्तु पुराने सामाजिक और धार्मिक वधना को तोड़ने में अँग्रेजी सत्ता का उपयोग अभी उसे करना चाही था। यह नया सुशिक्षित मध्यम वर्ग जब - तब इस काम में लगा हुआ था और जब-तक उसे यह अनुभव नहीं हुआ था कि हमारे श्रीद्योगिक अभ्युदय में ब्रिटिश सत्ता बाधा डाल रही है, तबतक वह इस देश में अँग्रेजी सत्ता स्थिर करने में ईमान - धर्म और वफादारी के साथ ब्रिटिश राज्य की सेवा कर रहा था। जो सामन्तवर्ग इस खयाल से कि अँग्रेजों ने हमारे राज्य, राज्य-सत्ता और वैभव को छीन लिया असन्तुष्ट होकर उन्हें बुराभला कहता था, उसे वे बागी समझते थे और उसका दमन करने में अँग्रेजों की सहायता करते थे। अँग्रेज भी इस नवीन वर्ग की सहायता से अपनी सत्ता इस देश में सुस्थिर कर रहे थे। मतलब यह कि अँग्रेजों ने हिन्दुस्तान को जीतते समय और जीतने के बाद अपनी सत्ता सुस्थिर करते हुए इस देश में एक सामाजिक कान्ति कर डाली थी और एक वर्ग को जीतने के लिए दूसरे वर्ग को अपनाने और उसे ऊपर उठाने का आभास तो उत्पन्न किया ही था अर्थात् अँग्रेजों ने हिन्दुस्तान को जीत कर एक राज्य - कान्ति ही नहीं बल्कि एक सर्वांगीण समाजक क्रान्ति करने का भी बीजारोपण किया।

सर जॉन सिली ने 'इंग्लैण्ड का विस्तार' नामकी एक पुस्तक लिखी है। उसमें उसने यह प्रतिपादित किया है कि अँग्रेजों के द्वारा हिन्दुस्तान जीते जाने की जो राजनैतिक घटना हुई, वह दूसरे देश को जीत लेने की परराष्ट्रीय राजनीति के मद में डाली जानेवाली बात नहीं, बल्कि वास्तव में भारतीय समाज के एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को गिराने व एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथ में देने-जैसी अन्तर्गत क्रान्ति का स्वरूप रखनेवाली थी। उसका रहस्य पाठक अब ठीक-ठीक समझ सकेंगे। वह कहते हैं—

“एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के जीते जाने—जैसा उदाहरण यह नहीं है। जिसमें निदान प्रत्यक्षतः तो दो राज्यों का परस्पर सघर्ष हो, ऐसी यह घटना नहीं है। परराष्ट्रीय विभाग से इस घटना का कोई सम्बन्ध नहीं आता। यह तो भारतीय समाज की एक अन्तर्गत क्रान्ति है और

इसकी तुलना उस प्रकार की घटना से की जानी चाहिये, जिसमें किसी समाज में कुछ अन्धाधुनधी होने पर उसी के एक वर्ग के द्वारा एकदम गजमत्ता छीन ली गई और शान्ति-स्थापना की गई। थोड़ी देर के लिए हम यही कल्पना करें कि जिन व्यापारियों ने राजसत्ता हथियाई, वे विदेशी नहीं थे, ऐसा मानने पर भी इस घटना का स्वरूप बदल नहीं जाता। हम यह कल्पना करें कि राजनैतिक अन्धाधुनधी के कारण अपनी व्यापार-हानि से ऊबकर बग्बग्है के पारसी व्यापारियों ने चन्दा जमाकर अपनी रक्षा के लिए किले बनाये होते और सेना खड़ी कर ली होती और सुदैव से उन्हें शूर - बीर सेनापति मिल गये होते तो वे भी पलासी और बक्सर जैसी लड़ाइयाँ जीत सके होते। उन्हें भी यहि मुगल सम्राट् के द्वारा किसी ग्रान्त की दीवानगीरी मिल गई होती तो अपनी सत्ता की ऐसी बुनियाट डाल सके होते कि जिसपर सारे भारतीय साम्राज्य की इमारत खड़ी की जा सकी होती !*

यहाँ यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि यहाँ का सेठ-साहूकार और व्यापारी वर्ग यहि सामन्त वर्ग की जुलम-ज्यादतियों, लड़ाइयों और तजात अशान्ति से ऊब उठा था, तो उसी ने राज्य-क्रान्ति क्यों नहीं कर ली ? इसका उत्तर यही ही सकता है कि हिन्दुस्तान के तत्कालान समाज में लोकमत्तात्मक क्रान्ति करके आधुनिक दण्ड का राष्ट्रनिर्माण करने के विचार किसी के टिमाग में आये ही नहीं थे। यूरोप में उस समय चारों ओर ये विचार फैल रहे थे और विटिश राष्ट्र में तो बहुत अश तक प्रस्थापित भी हो चुके थे। परन्तु इधर हिन्दुस्तान में “हिन्दूपद पादशाही” अथवा “मुगल बाटशाही”— के ध्येय का ही झगड़ा हो रहा था। कोई यह नहीं जानता था कि भिन्न-भिन्न धर्म के लोगों को एक राष्ट्र बनाया जा सकता है, सामन्त-पद्धति के बिना भी बड़े राज्यों का शासन चलाया जा सकता है और समाज के सामान्य नागरिक भी राज्य-क्रान्ति करके राज्यसत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं। यद्यपि प्राचीन वर्ण-व्यवस्था अपने शुद्ध रूप में कहीं भी नहीं थी, तथापि उस समय यही कल्पना रूढ़ हो रही थी कि राजे-रजवाड़े और सरदार ही राज करें। त्राहण और वैश्य का काम करने-

*‘Expansion of England’ By J R. Seely, Page 210-11

बालों के लिए राजनैतिक क्षेत्र नहीं है। यदि कुछ वाहाण राजा और सरदार थे तो कुछ वैश्य भी राजा और सामन्त बनते होंगे, परन्तु उसका अर्थ यह नहीं था कि वैश्य वृत्ति करनेवाले राजनीति में पड़ें और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य-शासन चलायें। अर्थात् वैश्यों को यदि अपने राजा का शासन आवाञ्छनीय मालूम हुआ तो वे दूसरे राजा का आश्रम ले लेते और वाहाण भी जो कोई राजा हो जाता हो उसके आश्रित बनकर रहने में कोई दीनता नहीं समझते थे। अग्रेजों की सेना में अनेक व्राह्मण नौकर थे और शास्त्र-धर्म के अनुयायी केनाम से प्रसिद्ध राजपूत भी बहुत थे। बड़ाल और मद्रास प्रान्त की अग्रेजों सेना में बहुतेरे उच्च-वर्णीय हिन्दू थे, परन्तु बम्बई प्रान्त की सेना में ऐसा नहीं था। इससे यह मालूम होता है कि बम्बई प्रान्त के उच्च वर्णियों को परकीय और परधर्मी शासकों की सेना में भरती होने की अपेक्षा स्वकीय राज्य-कर्ताओं की सेना में नौकरी करके जमीन-जागीर प्राप्त करना अधिक आकर्षक मालूम पड़ता होगा, और उनके सद्गुरुओं, स्वाभिमान और स्वामिनिष्ठा को स्वराज्य-सेवा का स्वरूप प्राप्त हो गया होगा। फिर भी तत्कालीन भारत के हिन्दू समाज की ओर देखे तो अनेक लेखकों ने जो यह लिखा है कि उसमें स्वाभिमान, स्वामिनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, शौर्य, धैर्य आदि गुण - सपत्नि भरपूर थी, परन्तु राष्ट्राभिमान बिल्कुल नहीं था, वह सही मालूम होता है।

यहाँ धर्माभिमान अथवा धर्मनिष्ठा का कुछ विवेचन कर लेना ठीक होगा। स्वधर्म-निष्ठा और स्वराज्य-निष्ठा का सयोग इस समय बिल्कुल नहीं दिखाई देता। धर्माभिमान से प्रेरित होकर शिवाजी ने स्वराज्य-स्थापना की, ऐसा हम मानते हैं और किसी समय स्वधर्म - भावना ने आधुनिक राष्ट्रनिष्ठा का कार्य किया भी होगा, परन्तु अठारहवीं सदी के हिन्दुओं में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं पाया जाता कि स्वराज्य - निष्ठा और स्वधर्म - निष्ठा में कुछ समन्वय है। उस समय व्यापारियों और सेठ - साहू - कारों को अग्रेजों ने यह आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और तुम्हारे मनिदरों की रक्षा करेंगे। इससे उनके मन में यह ख्याल आया दिखाई नहीं देता कि यह आश्वासन देनेवाले विधर्मी और विदेशी हैं और उनकी सहायता करके स्वधर्मी और स्वदेशी राजाओं को

उनका गुलाम बना देना अपने धर्म का घात है । व्यापारी और सेठ-साहूकारों की शान्ति और धर्म-मन्दिरों की रक्षा के लिए स्वराज्य-स्थापना की आवश्यकता मालूम नहीं होती थी । राजनीति में पड़ना और राज-काज करना उन्हें अपना धर्म नहीं मालूम होता था, इसलिए विदेशियों को अपने धर्म में घुसाने की राजनीति के बे शिकार हो गये । धर्म - सरक्षण का भार जिस ब्राह्मण - वर्ग पर था, उसकी यह दशा थी । कुछ ब्राह्मण राजा जरूर थे, परन्तु महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर और कहीं भी ब्राह्मणों को अपना यह कर्त्तव्य नहीं मालूम होता था कि विदेशी और विधर्मी आक्रमणों के विच्छद सबको जाग्रत और सगठित किया जाय । हम मानते हैं कि समर्थ रामदास और शिवाजी का महाराष्ट्र - धर्म यही था । परन्तु राष्ट्र - धर्म की भावना ब्राह्मणों और ज्ञात्रियों में व्यापक रूप से फैली हुई नहीं दिखाई देती । यूरोप में भी भारत की तरह मध्ययुग में आनुवाणिकता नहीं परन्तु एक प्रकार की चातुर्वय - व्यवस्था जरूर थी ; पर वहाँ की धर्म - स्थान हमारे यहाँ की अपेक्षा अतिक सगठित थी और जब वहाँ के मुसलमानों के हमले ईसाइयों के धर्म - स्थानों पर हुए, तब वहाँ के धर्माधिकारियों ने यूरोप के तमाम राजाओं को मुसलमानों के खिलाफ धर्म - युद्ध करने को प्रोत्साहन दिया तथा प्रत्यक्ष रणक्षेत्र में जाकर लड़नेवाले नथे धर्म - सम्प्रदाय भी बनाये । हमारे यहाँ ऐसा हुआ दिखाई नहीं देता । स्वधर्म - रक्षण के लिए स्वराज्य की आवश्यकता होती है, यह प्रतीति धर्माधिकारी ब्राह्मणवर्ग में मुसलमानों के आक्रमण के समय भी व्यापक रूप में नहीं दिखाई देती । कहीं यह हसी माघना का फल तो न हो कि राजकाज ज्ञात्रियों का काम है, उससे ब्राह्मणों को क्या लेना - देना ।

कारण कुछ भी हो, ब्राह्मण व वैश्य - वृत्ति के और अन्य वर्ग के लोगों में राजनीति की, स्वराज्य - रक्षण की अथवा स्वराज्य - स्थापन की आवश्यकता की प्रतीति दिखाई नहीं देती । हमारा स्वधर्मभिमान स्वराज्याभिमान से प्रायः अलिप्त ही था । निदान मुसलमानों के सैकड़ों वर्षों के शासन के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई थी, यह निर्विवाद है । उनमें समर्थ रामदास अथवा शिवाजी का अपवाद हो सकता है और इसीलिए उनके महाराष्ट्र - धर्म को महत्व दिया जाता है । परन्तु यह महाराष्ट्र - धर्म भी उच्चर - पेशवाई में

चच नहीं रहा था और अन्य प्रान्त के हिन्दुओं में तो उसका नामो-निशान भी नहीं था। मगठों ने साम्राज्य-स्थापना का प्रयत्न जरूर किया मगर आखिर में इस साम्राज्य के भिन्न-भिन्न सरदारों ने अग्रेजों के पक्ष में मिलकर स्वामि-द्वोह और स्वराज्य - द्वोह किया, यह स्पष्ट है। सर जॉन मालकम ने सन् १८३० में लिखा है कि इन सरदारों ने पिछले तीस साल तक स्वामि-द्वोह करके ब्रिटिश राज्य के प्रति एकनिष्ठा टिखलाड़ है और इसके उपलक्ष्म में ब्रिटिश सरकार से सिफारिश की है कि इनके इनाम और जागीर जब्त न की जाय। मतलब यह है कि उस समय हमारा स्वामिनिष्ठा का गुण भी चुहुत कुछ लुप्त हो गया था और हमारे उच्च-वर्णीय, उच्च-कुलीन सरदार द्वाही बन गये। हमारी धर्म-निष्ठा जिस प्रकार हीन और सकुर्चत बन गयी थी और विदेशी और विधर्मी शासकों की ओर से जिस प्रकार हमारे धार्मिक रक्ष - रिवाज में हस्तक्षेप न करने और हमारे धर्म - मन्दिरों पर हाथ न डालने का अभिवचन पाकर उनकी सहायता करने के लिए हम तैयार थे, उसी प्रकार हमारी स्वामि - निष्ठा भी इतनी मंकुचित हो गयी थी कि हमारे ऊपरी निकट सैनिक अधिकारी यदि हमसे प्रेम की टो मीठी चाँतें कर लेते तो हम प्राणपन से उनकी सेवा करने को तैयार हो जाते थे। वह स्वामी हमारे गाँव का, धर्म का अथवा राज्य का होना चाहिये, ऐसी भावना समाज के कनिष्ठ ही नहीं बरिष्ठ समझे जानेवाले वर्ग में भी जाग्रत न थी, अर्थात् राष्ट्रीयता की दृष्टि से सब वर्ग शूद्र अथवा दास बन गये थे। उनके मन से यह ख्याल ही निकल गया था कि अपने धर्म और सकृति की रक्षा के लिए स्वराज्य की आवश्यकता है। सराश यह है कि धर्मनिष्ठा व स्वामि - निष्ठा इन गुणों से स्वराज्य-स्थापना अथवा स्वराज्य - सरक्षण हांगा ऐसी हमारी स्थिति उस समय नहीं रह गयी थी। हमारे पास केवल वैयक्तिक सद्गुण हैं। राष्ट्र - निर्माण व स्वराज्य - निर्माण के लिए आवश्यक सद्गुण विलकुल लुप्त हो गये थे।

धर्म - जाति - निरपेक्ष आधुनिक लोक - सत्ता वा राष्ट्रीयता तो उस समय हमारे देश में नहीं था, परन्तु धर्मनिष्ठा और स्वामिनिष्ठा इन सद्गुणों के बल पर जो एक स्वराज्य - निष्ठा मराठा में शिवाजी और सभाजी के समय में और बाट में राजाराम के समय में दिखाई दा वह भी उत्तर - पेशवाई

में बाकी नहीं बची। इसको जिम्मेदारी पेशवाओं पर कितनी और दूसरे सरदारों पर कितनी आती है, इसकी चर्चा की गुज्जाइश यहाँ नहीं है। बाजीराव यदि अप्रोग्य था तो उसे हटाकर सबके एक मुख्य प्रयत्न करने का मार्ग तमाम सरदारों को ग्रहण करना चाहिये था, परन्तु इसके विपरीत वे अप्रेंटों द्वारा मिली अपनी जागीर जमीन और इनाम को स्थिर और चिरन्तन करने में लग गये—यह राज्य-द्वौह, धर्म-द्वौह और स्वामिद्वौह नहीं तो और क्या है? इस तरह हिन्दू समाज को इस स्थिरता पर पहुँचाने का पाप उसके कर्तृत्वाना ब्राह्मण, ज्ञानिय अथवा ब्राक्षण और सरदारवर्ग को लगे बिना नहीं रह सकता। हाँ, इसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती।

यूरोप के व्यापार-पेशा साम्राज्य-बद्ध कलोग यदि सत्रहवीं शताब्दी सदी में हिन्दुस्तान में आये ही न होते तो सभव था कि गिरते हुए मुगल साम्राज्य को मिटाकर दिल्ली में मराठा-शाही अथवा हिन्दू-पद पातशही-स्थापित की जा सकती थी, ऐसी कल्पना की जा सकती है, परन्तु वह निरर्थक है। यूरोप में जो नई व्यापारी-सकृति निर्माण हुई उससे टक्कर लेने का सामर्थ्य भारतीय सकृति में शताब्दीं सदी के उत्तरद्धु में बाकी नहीं बचा था और यह माने बिना गति नहीं है कि आधुनिक, मध्युगीन किंवा प्राचीन किसी भी प्रकार के स्वराज्य-रक्षण या स्वराज्य-संस्थापन के लिए वह असमर्थ हो गयी थी। मुसलमानी-साम्राज्य और उसमें से निर्माण हुए दूसरे राज्यों को मराठों ने ढीला और निर्जिव कर दिया था और उन्हें ऐसी आशा होने लगी थी कि हम हिन्दुस्तान की सार्वभौम सत्ता बन जावेंगे। इतने में ही अप्रेंटों ने उनकी सत्ता को ढगमगा दिया और भारतीय हिन्दू-मुसलमानों को यकीन करा दिया कि आधुनिक राष्ट्रीयता का पान इससे सीधे बगैर तुम इस दुनिया में स्वतंत्र होकर नहीं रह सकते। १८१८ ईस्वी में पेशवाई का अस्त होने से प्राचीन व मध्युगीन भारत का अन्त हुआ और आधुनिक भारत का इतिहास अथवा यों कहें कि भारत का आधुनिक इतिहास शुरू हुआ। इस आधुनिक भारत के निर्माण में किसने क्या-क्या पराक्रम किया और इसके विधाता कौन-कौन हैं यही इस पुस्तक का विषय है।

अनेक धर्म और जातियों के लोगों में राष्ट्रीयता कैसे पैदा की जाय और सामन्तशाही को हटाकर लोकशाही अर्थात् प्रजातन्त्र की स्थापना कैसे की जाय — ये दो सबक उस बहु भारतीयों को यूरोपियनों से सीखने थे। भारत उन्हें अब नीख चुका, पर उधर ब्रिटेन में आज पूँजीवाट के कारण राष्ट्रीयता का नाश होकर उसके अंतर्गत वर्ग - युद्ध जम रहा है और लोक - शाही धनिक - शाही बन गई है। अब भारत के युवक समाज के समने यह एक महत्व का प्रश्न है कि आधुनिक भारत पूँजीवाट, तजन्य अपरिहार्य वर्ग - युद्ध और अन्त को प्रजातन्त्र का त्याग और राष्ट्रीयता का विपर्यास — इस मार्ग को स्वीकार करेगा या दूसरे किसी मार्ग को ग्रहण करके राष्ट्रीयता और प्रजा - सत्ता का विकास यूरोप से भिन्न दिशा में करके यूरोप को शान्ति, समता, सुख और स्वतंत्रता का अभिनव मार्ग दिखायेगा। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले भारतीय युवकों को आधुनिक भारत के पिछले १०० वर्षों के इतिहास का अवश्य मन्थन करना चाहिए। इस काल में जो महान राष्ट्र-भक्त विभूतियों हुई उनकी सत्य - निष्ठा व स्वातंत्र्य की आत्म - प्रेरणा उन्हें अपने अत.करण में जाग्रत करनी चाहिये और उस प्रेरणा से वनी तेजस्वी बुद्धि के द्वारा ससार के घटना - चक्रों को देखकर अपना भावी इतिहास स्वातंत्र्य की आत्मा-प्रेरणा और बुद्धि-त्रल की सहायता से निर्माण करना चाहिए।

: ३

अंग्रेजी-राज्य कैसे जमा ?

“जनतक हम लोगों के रीति-रिवाज न बदलें तबतक इस देश का हित नहीं है। सबना और ज्वतक हममें मुठ स्वराज्य चलाने का सामर्थ्य न आ जायागा तभतक अंग्रेजों के इस देश से चले जाने में कोई लाभ न होगा। फिर अंग्रेजीं होंगी और किनी का जान-माल नुरचित न रहेगा। जगदस्त का बोलवाला होगा और कमजोर भूतों मरेंगे। उन्हें सबकुछ खोना होगा। इसलिए जो मुझ हूँ उन्हें चाहिए कि वे अंग्रेजों के जाने की इच्छा न करें।” —लोक हितवदी, २० जनवरी, १८५०, गतपत न० ८६

'If the argument be that the spread of knowledge may eventually be fatal to our rule in India, I maintain that whatever may be the consequence, it is our duty to communicate the benefits of knowledge. If India could only be preserved as a part of the British Empire, by keeping its inhabitants in a state of ignorance, our domination may be a curse to the country and ought to cease. But I see more ground for just apprehension in ignorance itself. I look to the increase of knowledge with a hope that it may strengthen our Empire' *

अंग्रेजी राज्य यहाँ कैसे जमा ? इसका उत्तर अंग्रेजी शासकों की समय-समय पर हुई उन चर्चाओं से मिल सकता है कि यहाँ की शासन-पद्धति किस प्रकार की हो, उसकी नीति और अन्तिम स्थेय क्या हो और यहाँ के निवासियों के साथ उनका व्यवहार कैसा हो, उनके प्रति हमारा भाव क्या हो ? उसी प्रकार यहाँ की शासन-पद्धति का विकास कैसा होता गया, उसे वर्तमान-स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, और उसका भविष्य क्या होगा ? —इसपर जो प्रकाश डाला गया है और जो चर्चा हुई है उन्हें पढ़ने से भी यह मालूम हो सकता है। सन् १८१८ में पेशवाई नष्ट होने के बाद सारे हिन्दुस्तान का सार्वभौमत्व प्राप्त होने का निश्चय अंग्रेजों को हो गया और वे इस बात का विचार करने लगे कि इस सार्वभौमत्व की वृनियाद मजबूत कैसे हो, और वह अधिक-से-अधिक समय तक कैसे ठिक़ रहे ? ऐसा विचार करके जो नीति उन्होंने निश्चित की, उसमें उन्हें बहुत सफलता मिली और उसमें उन्होंने समय-समय पर जो सुधार किये, उन्हें देखते हुए यह कहना पड़ता है कि उनके सार्वभौमत्व को ज्यादा-से-ज्यादा समय कायम रखने के लिए इसमें अच्छी नीति दूसरों नहीं हो सकती। उस दूरदर्शी नीति के कारण भारतीय जनता की भवितव्यता पर इसका कैसा, क्या असर पड़ेगा इसका विचार उन्होंने पहले से ही कर रखा था और यह कहना होगा कि पिछले सौ, सवा-सौ वर्ष के इतिहास

* Lord Metcalf 'Life of Lord Metcalf' – Vol II, P 262-264

को देखते हुए उनके दूरदर्शी राजनीतिज्ञों का अन्दर बहुत-कुछ सही निकला ।

पिछले प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि अग्रेज़ों ने हिन्दुस्तान पर जो विजय भी पाई वह विदेश या पर-राज्य पर आक्रमण करने के स्वरूप की नहीं थी, बल्कि बहुत-कुछ एक अन्तर्गत क्रान्ति करने के दृग की, कम से-कम शुरू-शुरू में, थी । हिन्दुस्तान के किसी भी प्रथम श्रेणी के राज्य पर चढ़ाई करके उसपर अपना स्वामित्व प्रकट रूप से उन्होंने नहीं जमाया । किसी राज्य में टो पक्का हो गये तो कमज़ोर पक्का को अपना बल देकर उसे सत्ताधारी बना देना, मार्डलिंग्झों को सर्वभौम-सत्ता के लिलाफ़ खड़ा कर देना, सरटारों को राजा-नवाबों के लिलाफ़ भड़का देना और कहीं-कहीं नामधारी राजा को अपनाकर प्रजा में फूट ड़लवा देना, इसी प्रकार की भेड़-नीति के द्वारा उन्होंने अधिकाश राज्यों को पराजित किया है और बगाल को सर करने में तो उन्होंने मुसलमानों के लिलाफ़ हिन्दुओं का और सरटार-समन्तों के लिलाफ़ आपारी मध्य-वर्ग का दुरुपयोग करके धर्म-द्वेष और वर्ग-द्वेष तक का भी उपयोग किया दिखाई देता है । हिन्दुस्तान का सर्वभौमत्व प्राप्त होने के बाद तो उन्होंने हिन्दुस्तान में एक सर्वांगीण क्रान्ति कर डालने की नीति सोच-समझ कर स्वीकार की थी । उनमें एक दल ऐसा भी या जो यह मानता था तो इस सर्वांगीण ब्राति का अतिम परिणाम हमारी साम्राज्य-सत्ता के लिए घातक सिद्ध होगा, परन्तु साय ही उनमें एक दूसरे पक्का का मत था कि यद्यपि अतिम परिणाम आगे जाकर कभी घातक सिद्ध हो तो भी इस नीति का सन्निकट परिणाम हमारे साम्राज्य का पाया सुट्ठ करने में कारगर साधित होगा । इस नीति का अवलम्बन उग्रता के साथ न करके नरमी के साथ धोरे-धीरे किया जाय तो भारतीय राष्ट्र की सर्वांगीण क्राति होने में जो सौ-दो-सौ साल लगेगे, उनमें तो हमारे राज्य को भीतरी खतरे का अटेशा न रहेगा । इतना ही नहीं, बल्कि हमारी इस नीति के फल-स्वरूप जो एक सर्वांगीण सुधारवादी नेता-वर्ग उत्पन्न होगा वह हमारे साम्राज्य पर होने वाले विदेशी आक्रमणों का मुकाबला करने में काम आयेगा, ऐसा इन राजनीतिज्ञों का मत था और वह बहुत-कुछ सही निकला । अग्रेज़ों ने

हिन्दुस्तान का सर्वभौमत्व प्राप्त करने के बाट जो एक सर्वांगीण सुधारक-वर्ग निर्माण किया, वह ब्रिटिश - साम्राज्य के प्रति बफादार रहा और पहले-पहल तो चिल्कुल अराष्ट्रांय बनकर बदेशगों का एजेंट ही बन गया। ब्रिटिश गजनीतिजों ने डस बात का चढ़ी सावधानी रखती थी कि इस तरह अप्रेजों का प्रेरणा से जो सर्वांगीण सुवारवाट हिन्दुस्तान में उट्ट्य हुआ वह राजनीष्ठा की मर्यादा को न छोड़े। जिस प्रकार रामदामी सप्रदाय का उपयोग शिवाजी के स्वराज्य सबधी प्रेम को हिन्दू-जनता में फैलाने में हुआ, उसी तरह इस नव-सुशिक्षित वर्ग का उपयोग ब्रिटिशों के साम्राज्य-सबधी प्रेम को अशिक्षित हिन्दी जनता में फैलाने में होगा—ऐसा ब्रिटिश गजनीतिज्ञ की कल्पना थी और इसमें सदैर नहीं कि इस प्रकार यह परगञ्ज-प्रेरित सुवारवाट भारतीय राष्ट्र की बुद्धिमत्ता को राजनीति-विमुख अथवा अराष्ट्रांय जनवाने में कुछ समय तक कारणभूत हुआ। यही कारण है कि हिन्दुस्तान में जब वास्तविक राष्ट्रायता उट्ट्य हुई तब सर्वांगीण सुधारों के विरोध के रूप में उसका जन्म हुआ, तथापि उसका वास्तविक अतरंग भामाजिक और धार्मिक सुधारों का विरोध नहीं, वृलिक दूरदर्शी और गहरी गजनीतिक हृषि और प्रधार राष्ट्राभिमान ही है। भारतीय राष्ट्रवाट यद्यपि इस प्रकार शुरू-शुरू में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की प्रतिकार भावना के रूप में उत्पन्न होने जैसा प्रतीत हुआ, तथापि आगे चलकर अपने राष्ट्राभिमान की ज्योति जगाने के लिए उसे भी भामाजिक और धार्मिक सुधारों का उपयोग करना दहा और उसीलिए भारतीय राष्ट्रवाट आज धीरे-धारे सर्वांगीण क्रान्तिवाट का रूप धारण कर रहा है। समाज की सर्वांगीण क्रान्ति के लिए समाज के आधिक संगठन की बुनियाट ही पहले बदलनी पड़ती है और उसके पहले देश की शासन-सत्ता न्यामान्य जनता के द्वारा में आने की जरूरत है, क्रान्ति-शम्भ के इस अधारभूत सिद्धात का जान आज भारतीय लोगों को हो गया है। इस कारण आज भारतीय राष्ट्रवाट यद्यपि सर्वांगीण क्रान्तिवाट का स्वरूप धारण कर रहा है तो भी गजनीति पर उसका जोर कम न होकर अधिकाधिक बढ़ ही रहा है। पहले का सर्वांगीण सुधारवाट ब्रिटिश - साम्राज्य का बफादार मित्र था तो आज का सर्वांगीण क्रान्तिवाट ब्रिटिश - साम्राज्य

का कद्वर शत्रु है। पहले का सुधारवाद शुरू में राजकरण-विमुख और बाद में नरम गजनैतिक था तो आज का सर्वांगीण क्रान्तिवाद पहले राजनैतिक क्रान्ति और बाद को सर्वांगीण क्रान्ति-शास्त्र के तत्त्व को पहचान कर चलनेवाला है। इस तरह हिन्दुस्तान में जो सर्वांगीण सुधारवाद पिछले शतक में निर्मित हुआ उससे आज का सर्वांगीण क्रान्तिवाद भिन्न है और पहले के सुधारवाद की राजनीति बहुत नरम थी तो आज के क्रान्तिवाद की राजनीति बहुत गरम है, ऐसा आक्षेप भारतीय राष्ट्रवादी उसपर कर सकते हैं। परन्तु भारतीय राष्ट्रवाद का भावी विकास इस सर्वांगीण क्रान्तिवाद की दिशा में ही होता जायगा इसके विषय में अब अधिक शङ्खा नहीं रह गयी है। पहले के सुधारवाद में जहाँ प्रेरक-शक्ति विटिश इतिहास थीं तहाँ आज के क्रान्तिवाद की प्रेरक-शक्ति रूप की क्रान्ति है। अलबत्ता पहले के सुधारवाद की तरह इस क्रान्तिवाद का भी राष्ट्रीकरण होना आवश्यक है और जब वह भारतीय जनता के अन्त करण में स्थान ग्रहण कर लेगा तभी उसका वास्तविक सामर्थ्य प्रकट होगा।

राजा राममोहन राय से लेकर जस्टिस रानाडे तक जो सर्वांगीण सुधारवादी हुए उनके भापण और लेखों में कुछ भाव यद्यपि हमें राष्ट्रीयता से असङ्गत मालूम होते हैं तो भी कुल मिलाकर विचार करने से मालूम पड़ता है कि आधुनिक भारत का जन्म इन्हीं के प्रयत्न और प्रचारों से हुआ है और आज भारतीय राष्ट्रवाद को जो सर्वांगीण क्रान्तिवाद का स्वरूप प्राप्त हुआ है उसके बीज भी उनके द्वारा हिन्दुस्तान में प्रवर्तित नवीन विचार युग में मिल सकते हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में इस सुधारवादी विचार-युग का विशेष महत्व है और यह सुधारवाद यद्यपि कुछ समय तक विटिश-साम्राज्य को सुस्थिर बनाने में कारणीभूत हुआ हो तो भी यह कहना कि ये सामाजिक और धार्मिक सुधारक देश-द्वेषी थे, कृतज्ञता होगी। उनके अतः करण की प्रेरक शक्ति शुद्ध देशभक्ति और देशोद्धार ही थी और उन्होंने देश में जो नव-ज्योति प्रज्वलित की इसके सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। उस विचार-ज्योति के प्रकाश में भारतीयों भी आँखें कुछ समय तक चौधिया गई हों तो उसका दोष उस प्रकाश को नहीं नलिक भारतीय संस्कृति पर जो कुछ समय तक अधिकार

फैल गया था, उसका था। जिन विदिशा दूरदर्शी राजनीतिज्ञों ने भारतीय लोगों को पाश्चात्य शिक्षा देकर धोरे-धीरे राज-काज में स्थान देने की नीति स्वार्थभाव से निश्चित की, उन्हें इस विचार-ज्योति को प्रथम प्रब्लेम करने का बहुत-कुछ श्रेय है, पिर भी अपने साम्राज्य को बल प्राप्त कराने के लिए इस ज्योति को जगानेवाले विदिशा-राजनीतिज्ञ और अपने देश में कैले अज्ञान-रूपी अधिकार को नष्ट करने के लिए पाश्चात्य विद्या की ज्योति सर्वत्र फैलाने की इच्छा रखनेवाले सर्वांगीण सुधारवादी भारतीय देशभक्त दोनों को हम एक ही श्रेणी में नहीं बिठा सकते। इसी प्रकार जिन विदिशा राजनीतिज्ञों ने दूरदर्शी स्वार्थ के वशभूत होकर ही क्यों न हों, भारतीय लोगों को ज्ञान-दान देकर धीरे-धीरे राज-काज में उनका प्रवेश कराने की नीति निर्धारित की, उनके भी दूरदर्शी अथवा द्वुद्विमत्तायुक्त स्वार्थ के लिए भारतीय देश - भक्तों को कृतज्ञ होना अनुचित नहीं है। इस कृतज्ञता के कुछ इष्टानिष्ट परिणाम भारतीय राष्ट्रीयता के विकास पर हुए टिखाई देते हैं। उसकी चर्चा इस पुस्तक में आगे स्थान-स्थान पर होनेवाली ही है; परन्तु इससे पहले अङ्गेजों के सार्वभौमत्व हस्तगत करते ही अपने साम्राज्य की जड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने कौन-सी दूरदर्शी नीति डालियार की, इसका बरा विस्तार से विचार कर लेने की जरूरत है।

भाउन्ट स्ट्राउट एलिफन्टन ने १८१८ ई० में पेशवाई को सत्तम करके हिंदुस्तान में अङ्गेजों का सार्वभौमत्व स्थापन किया और पेशवाई के बाद यही वर्षई प्राप्त का पहला गवर्नर हुआ। १८१८ से १८२७ तक वह गवर्नर रहा। इसी समय में सर टामस मनरो मद्रास का गवर्नर था। इन दोनों ने विदिशा शासन में उठार-नीति दाखिल की था दिखाई और इसकी घोषणा करके उन्होंने यहाँ के लोगों का हृदय आकर्षित कर लिया। मई १८१६ में एलिफन्टन सर जॉन माल्कम को लिखता है—“आज या कल सारा देश हम अपना बना लें यही बहुधा बाल्यनीय है—यदि हम यहाँ की देशी सेना को काबू में रख सकें और रूसी लोगों को दूर रख सकें तो जवतक देशी लोग हमारी शिक्षा से समझदार न बन जायें और जवतक दोनों के हित की दृष्टि से हमारा सबध तोड़ना इष्ट

न हो तब्तक दूसरा कोई भय मुझे हमारे साम्राज्य के लिए दिखाई नहीं देता।”^१

इसके बाद अगले महीने मे वह मेकेनटॉश को लिखता है—“हमारा भारतीय साम्राज्य अधिक समय नहीं टिकेगा, यह मत महज एक कुशङ्का नहीं बल्कि युक्तियुक्त है। इस साम्राज्य का अन्त किस प्रकार होगा यह समझना बड़ा मुश्किल है, परन्तु यदि रूस अथवा किसी विदेशी आक्रमण से यह बच गया तो उसके बिनाश के बीज देशी सेना में मिलेंगे ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यह देशी सना बड़ा नाजुक और भयकर यत्र है और उसकी व्यवस्था में जरा भी कहीं भूल हुई तो बात - की - बात में वह हमारे खिलाफ हो जायगी। हमारे प्रभुत्व का अत्यन्त इष्ट अन्त यही हो सकता है कि हमारे शासन मे यहाँ के लोगों के अदर इतने सुधार हो जावे कि किसी भी विदेशी सत्ता का राज्य करना असम्भव हो जाय। परन्तु यह समय कितना लंबा होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता फिर भी हमारे सबध - विच्छेद का समय कभी - न - कभी आये विना नहीं रह सकता और यहाँ के लोग जगली बने रहकर अत्याचार करके हम से सबध तोड़ डालें इससे तो हमारे लिए यही अधिक हितकारक है कि भले ही वह जल्दी टूट जाय, परन्तु टूटे वह उनका सुधार होने के बाद। यदि पहली बात हुई तो हमारे यहाँ बसनेवाले सब लोग और हमारा सारा व्यापार तहस - नहस हो जायगा और इस देश में हमने जो सम्पर्क स्थापित की है वे भी नष्ट हो जायेंगी।”[†]

इन दो अवतरणों से उस समय के दूरदर्शी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के विचारों की कल्पना हमे हो सकती है। उन्हें अपने साम्राज्य के लिए तात्कालिक सकट दो ही मालूम होने थे। एक रूस - जैसी विदेशी यूरोपीय सत्ता का भय और दूसरी भारतीय सेना की बगावत का सकट। यहाँ के राजे - रजवाङों का उन्हें विलक्षण डर नहीं था और विदेशी सकट के लिए भी वे एशिया के किसी भी राष्ट्र का उल्लेख नहीं करते हैं। यह बात याद रखने लायक है कि उन्होंने महज रूम का जिक्र किया है। नेपोलियन

¹ Mount Stuart Elphinstone By J S Cotton, Page 185

[†] Ibid P 185-6

की पराजय के बाद फ्रैन्च लोगों का सकट उन लोगों के लिए बाकी नहीं रह गया था, और एशियाई राज्य से उन्हें कोई डर नहीं मालूम होता था। उन्हें डर था तो हिंदुस्तानी सेना का बगावत का। वे जानते थे कि हिंदुस्तानियों की सहायता से जांते हुए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की सहायता से ही अपने तावे में रख सकेंगे। यहाँ के राजे-रजवाहों से उन्हें कोई डरन था। पर आगर देशी सेना बिगड़ गई तो हमारा पता न लगेगा, यह भय उन्हें अवश्य था। उन विटिश राजनीतिजों को उस समय यह आशका विल्कुल नहीं थी कि यहाँ के सब राजे-रजवाडे एक झड़े के नीचे एकत्र होकर हमारे विदेशी साम्राज्य को हटा देंगे और हिंदुस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। वे जानते थे कि हिंदुस्तानी राजे-महाराजे, सरठार-जागीरदार अथवा उनके वद्वान्-अविद्वान् राजनीतिश हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सासार की सकृति में पिछड़े हुए हैं, अद्वा - जङ्गली हैं, आपस में एक - दूसरे से लड़ते हैं, अनुशासन और कवायद के महत्व को नहीं जानते, विदेशी प्रभुत्व पर उनके दिल को चोट नहीं लगती, वे धर्मान्धता में झूँवे हुए हैं, आधुनिक राष्ट्र - निर्माण से दूर हैं, उन्हें लोक - सत्ता का जान नहीं है, सासार के घटना - चक्र से वे अपरिच्छित हैं और उनके पास हमारे जैसे शख्त भी नहीं हैं। वे वह स्वयाल करते थे कि यदि नेपोलियन की शिक्षण न होती तो भारतीय लोगों के सुधार का काम फ्रैन्च लोगों को करना पड़ता, परन्तु अब उसकी जिम्मेदारी हमपर आ गई है। वे जानते थे कि यदि हमने इन्हें सुधारा, राज - काज का सबक सिखाया और अपनी ही सकृति की लोक - सत्तात्मक राष्ट्र - निर्माण की कल्पना यहाँ जङ्ग पकड़ गई तो फिर यही लोग एक होकर हमारा मुकाबला करेंगे और फिर उनके मुकाबले में हम टिक न सकेंगे। परन्तु इस ब्रात में सौ, दो सौ साल लग जायेंगे और तब-तक हम इनपर अपनी सत्ता चला सकेंगे, ऐसा उनका आरम - विश्वास था। तब बहुत दूर के इस तीसरे सकट को छोड़ दे तो फिर ऊपर लिखे मुताबिक तात्कालिक सकट दो ही रह जाते हैं — एक बाहर से रूस के हमले का और एक भीतर से हिंदुस्तानी सेना की बगावत का। इसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या - क्या तजवीज़ की, इसका अब विचार करें।

वे यह जानते थे कि जबतक हिन्दुस्तान के जन-साम्राज्य में राष्ट्र-भावना न पैदा होगी तबतक यदि महज सेना की वगावत के बल पर हिन्दुस्तान आजाए होना और सुख - शांति से रहना चाहे तो यह अशक्य है। महज सैनिक बिद्रोह के द्वारा राष्ट्रनिर्माण नहीं हो सकता—हाँ, देश में अधाधुन्धी और पिंडारगर्दी अलबत्ता हो सकती है। यहाँ के हिंदू - मुसलमान राजा - नवारों का यह खयाल हो सकता है कि यूरोपियन लोग यदि इधर आये ही न होते तो सम्भव था कि इस अधाधुन्धी से कोई सम्पन्नशाही - दंग का तितर - त्रितर साम्राज्य स्थापित कर पाये होते, परन्तु यहाँ के वेवकूफ और नालायक राजे - रजबाड़े यह समझे हुए थे कि अगर जों की कवायद - निपुण तालीमयापता सेना के और भेट - नीति के मुकाबले में और एक बड़े क्षेत्र में शांति का शासन स्थापित करके आम लोगों के हृदय को आकर्षित कर लेने की उनकी कला के सामने हमारा कुछ ब्रह्म न चलेगा। इधर अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने अपने मन में यह तथ किया होगा कि हमारी शक्ति है तो बहुत थोड़ी, परन्तु इन मूर्खों को वह बहुत बड़ी मालूम होती है, क्योंकि राष्ट्र - निर्माण का वा आपस में एका करके विदेशियों से लड़ने का महत्व वे नहीं जानते हैं, आपस के लडाई - भगड़ों के या पेट के लिए दूसरों को घर बुलाकर उनकी नौकरी - चाकरी करने में इन्हें जब शर्म नहीं आती तब इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेड्रिक जॉन शीअर नामक अंग्रेज लेखक सन् १८३५ में अपने 'इण्डियन आर्मी' नामक लेख में इसी बात का प्रतिपादन करता है कि हिन्दुस्तानियों में आत्म - विश्वास नहीं है, न राष्ट्राभिमान है और वे एका भी नहीं कर सकते—यही हमारे साम्राज्य का सामर्थ्य है—

इस कथन का कि 'हमारा भारतीय - साम्राज्य लोकमत के आधार पर खड़ा है, अर्थ में अब समझा है। इसका अर्थ समझा तो यह जाता है कि लोग हमारे न्याय - भाव पर और हमारी बात पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और इसलिए हिन्दुस्तानियों से हमारी हुक्मत को ज्यादा पसन्द करते हैं। परन्तु जिस राजनीतिज्ञ ने यह पहला रूप बनाया उसका अर्थ इतना ही है कि—हिन्दुस्तानी यह जानते हैं कि हमारा सामर्थ्य बहुत है और इसलिए हमारा विरोध करना व्यर्थ है। परन्तु यदि वे एका

कर ले तो बहुत आसानी से हमारा नामोनिशाँ मिटा सकेंगे—ऐसा मुझे भय है। जो हो, हमारे साम्राज्य का आधार तो तलबार ही है, जनता की इच्छा व प्रेम नहीं। यदि हमारी फौज वापिस बुला ली जाय या उसका सख्ता कम कर दी जाय तो इसकी प्रतीति हो जायगी, लेकिन उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा।^{*}

भारतीय सेना की वफादारी के सम्बन्ध में यह लेखक कहता है— ‘मतलब यह कि अपने गाँव के अलावा हिन्दुस्तानी नहीं जानते कि देश-प्रेम क्या चीज़ है? किसी अधिकारी अथवा स्वामी के प्रति उसका प्रेम और वफादारी हो सकती है, परन्तु सारी राज्य-व्यवस्था के बारे में वह वेफिक रहता है। जो वेतन देते हैं उनके लिए वह लङ्घता है और यदि कहीं उसे ऐसा दिखाई दिया कि जिस सरकार की मैं नौकरी करता हूँ वह गिर या टूट रही है तो उसकी नौकरी छोड़कर ज्यादा वेतन अथवा लूट का आशा से शत्रु के बहों भी नौकरी कर लेगा।’ †

ऐसी स्फूर्ति में पले सैनिकों को खुश रखने के लिए उन्होंने दो उपाय ईंजाइ किये थे। एक तो यह कि उन्हें काफी और नियमित समय पर वेतन दे देना और ऐसा कोई काम न करना जिससे उनके जात-पैतृ या अंध-विश्वासों को घक्का लगे। इतनी सावधानी रखने पर उन्हें बहुत से सैनिक मिल जाते थे और उनका यह अनुभव था कि उन्हें क्वायट-परेड सिखाकर नये शालाल्स दे दिये जाते हैं तो किर उनके आगे देशी राजाओं की टाल नहीं गल सकती। परन्तु मनरो, एलफिन्स्टन आदि पहले के उदार समझे जानेवाले अंग्रेज मुस्तस्हियों को इस बात का भी पता था कि भरपूर तनखाह और धार्मिक मामलों में दस्तदाजी न करने की नीति से सिपाहियों को खुश रखने के बाद भी यह सावधानी रखना आवश्यक है कि उनमें राजनैतिक स्वातन्त्र्य के विचारों का प्रवेश न हो। इसीलिए उनका यह मत था कि हिन्दुस्तानियों को मुद्रण स्वतंत्रता न दी जाय। कम-से-कम उनपर बहुतेरे बन्धन तो जरूर ही लगा दिये जायं। मनरो, एल्फिन्स्टन, माल्कम ये गवर्नर लोग और उनकी नीति

* Notes on Indian Affairs, By F.J Shore, Vol II, P.419

† Ibid P 521—2

को चलाने वाले गवर्नर-जनरल लार्ड बिलियम बैटिंग्क—नवने समय समय पर ऐसे विचार प्रदर्शित किये हैं कि भारतवासियों में शिक्षा का प्रचार किया जाय, धर्मो-धर्मों शासन - कार्य में उनका अधिकारिक प्रबोश कर्यादाय और समय पाकर जब वे स्वतन्त्र होने के बोग्य हो जायेंगे तब ऐसी सावधानी रखकर उन्हें स्वतन्त्र होने देना चाहिए, जिससे हमारा व्यापार और हमारी स्थापत स्थापत सुरक्षित रहे। फिर भी वे इस बात पर तो जोर हो दिया करते थे कि उन्हें मुद्रण-स्वातन्त्र्य न दिया जाय, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे राजनैतिक स्वतन्त्रता के ख्याल और भाव लोगों के अन्दर पैदा होंगे और वे हिन्दुस्तानी भेना में तुरन्त फैल जावेंगे। मद्रास का गवर्नर सर टॉमस मनरा इस विषय में १८२२ ईस्वी में लिखता है :

‘इस देश के लोगों को मुद्रण-स्वातन्त्र्य देने के विषय में विचार करते हुए मैं इस बात को नहीं भुला सकता कि इन लोगों को मुद्रण-स्वातन्त्र्य उपयोग करने देने की शर्त पर हम इस देश में नहीं रह सकते। इसीलिए देश में शार्ट-रक्षा तथा हमारे साम्राज्य की रक्षा दोनों हष्ठियों से वर्तमान तमाम वन्यजों को कायम रखना मुझे जरूरी मालूम होता है। यदि वहाँ के सभी लोग हमारे देशव्युत्पत्ति तो आत्यन्तिक मुद्रण-स्वातन्त्र्य को मैं पसंद कर सकता था; परन्तु जब कि वे ऐसे नहीं हैं, उन्हें मुद्रण स्वातन्त्र्य देना सबसे भयकर बात होगी। इसके उपयोगांश का प्रभार होने के बजाय, अथवा शासन-कार्य में सुधार होने के बजाय लोगों में उद्दण्डता, बगावत और अराजकता फैलने की ही सम्भावना है।

‘मुद्रण-स्वातन्त्र्य और विदेशी-शासन ये दोनों चिल्कुल परस्पर असंगत बातें हैं और इनका सयोग अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता क्योंकि स्वतंत्र अवबारों का पहला कर्त्तव्य क्या है? अपने देश को विदेशियों के जबड़े से छुड़ाना और इस महान् ध्येय की सिद्धि के लिए तमाम छुद्र विचारों को छोड़ देना। और हमने यदि यूरोपियन तथा हिन्दुस्तानी दानों को वगतविक मुद्रण-स्वातन्त्र्य दे दिया तो उसका इसके मिवा दूसरा नर्तीजा हो ही नहीं सकता।

‘मुद्रण-स्वातन्त्र्य के समर्यक कहते हैं कि हमारा यह प्रयत्न इसलिए

है कि हमारी शासन - व्यवस्था में सुधार हो और यहाँ के निवासियों की स्थिति तथा मन - बुद्धि पर भी अच्छे संस्कार पड़े । परन्तु उनका यह इच्छित हेतु उन साधनों के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता जिनका अवलम्बन " वे करना चाहते हैं । इस देश में हमारे शासन - कार्य का विचार करते समय दो मार्के की बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिये । पहली बात तो यह कि हमारा प्रभुत्व अधिक - से - अधिक समय तक कायम रहे, और दूसरा यह कि जब हमें अपना प्रभुत्व छोड़ना पड़े तब लोगों में स्वातंत्र्य - मणिडत तथा सुनियन्त्रित सरकार स्थापित करने इतनी ज़मता आ जानी चाहिये । यह बात नियन्त्रित मुद्रण - स्वातंत्र्य से ही पूरी पड़ सकती है । छापेखाने की और अखबारों की पूरी स्वतंत्रता से ये कदापि सिद्ध न होंगे, क्योंकि सुधार में जल्द - बाजी करने से वे सब लाभ नष्ट ही जायेंगे जो छिपे - छिपे तथा सावधानी के साथ करने से हो सकते हैं ।

"जो वधन सुझाये गये हैं उनसे यहाँ के लोगों में ज्ञान प्रसार होने में बाधा नहीं पड़ सकती, उलटे उनसे उसमें स्थायित्व ही आवेगा, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप में होता रहेगा और सैनिक - विद्रोह तथा अगजक्षता के भावों से वह सुरक्षित रहेगा । ज्ञान - प्रसार का स्वाभाविक मार्ग है जनता में धीरे - धीरे शिक्षण का प्रचार करना तथा सब वर्गों में धार्मिक और नैतिक ज्ञान का प्रचार करना, न कि यूरोपियनों के निकट समर्पक में आनेवालों में पत्र - पत्रिकाओं का प्रचार करना । हम आजाद हों और अपना राज - काज सुट्ट चलावें—यह आकाशा फौज में पैदा होने के पहले सामान्य जनता में होनी और फैलनो चाहिये और जो सुधार कई पीढ़ियों में होने चाहिये, यदि हमने जल्दी मचाकर उन्हें थोड़े ही समय में करने के केर में पड़कर इस कार्य में बाधा न डाली तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्वतंत्रता की यह आकाशा हिन्दुस्तान में घर - घर अवश्य फैलेगी । यदि हमने सौम्य और न्याय - युक्त शासन - व्यवस्था रखी, लोगों के धार्मिक भावों पर हमला न करते हुए अच्छी पुस्तकों का उनमें प्रचार किया, उनके द्वारा स्थापित शिक्षण - संस्थाओं को संरक्षण देकर जहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती हो वहाँ आर्थिक सहायता दी या उनका सम्मान किया, जिन संस्थाओं को आर्थिक सहायता की जरूरत है उन्हें वह दी,

और सबसे अधिक स्थानिक विद्वानों को अधिकार और सम्मान के पद देकर उनके दिलों में यह आकाश्च ऐटा की कि हम शिक्षा और ज्ञान सपाठन करे, तो हम उन्हें शासन - कार्य में अधिक भाग लेने का मौका देकर धीरे - धीरे उनकी धर्मान्धता दूर कर देंगे और हमारे देश में जिन उठात्त मतों और तत्त्वों का प्रचार हुआ है, उन्हें इन लोगों में भी फैला सकेंगे।”

“परन्तु यदि हमने इसके विरुद्ध मार्ग ग्रहण किया और मुट्ठी भर यूरोपियन पत्रकारों के हित पर दृष्टि रखकर यदि यूरोपियनों के चारित्र्य और सत्ता के प्रति हिन्दुस्तानियों के आदर - भाव में मुद्रण - स्वातन्त्र्य की सुरंग लगादी तो देशी सेना में हम असन्तोष के बीज बो देंगे और हम बगावत और विद्रोह के सकट से कभी सुक्त न हो सकेंगे, निःशक न रह सकेंगे। इस सकट के लिए यह जरूरी नहीं है कि आज की अपेक्षा उनकी बुद्धि अधिक तीव्र हो, या उन्हे राष्ट्रीय अथवा मानवी स्वत्त्वों का अधिक ज्ञान हो। हमारे अधिकारियों और यूरोपियनों के चारित्र्य के प्रति जो आटर आज उनके मन में है वह खत्म हुआ कि बस। जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वे हमारे लिलाफ बगावत का भरडा खड़ा कर देंगे—मगर इस बगावत की मन्त्रा यह न होगी कि उन्हें आजादी मिले, बल्कि यह होगी कि उनके हाथों में सत्ता आ जावे और वे लूट - पाट कर सके। हम एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ—वह यह कि जिस राष्ट्र की सेना के सहारे अपना प्रभुत्व कायम रखना और उसी समय मुद्रण - स्वातन्त्र्य प्राप्त करके हमें यहाँ से निकाल बाहर करने और अपने देश को आजाद करने का पाठ उन्हें पढ़ाना। यह अन्देशा सिर्फ हिन्दुस्तानी पत्रकारों के बारे में ही है और इन विचारों की खलबली जब हमारी देशी सेना में मचेगी तभी उसके भयानक परिणाम हमें दिखाई देने लगेंगे। एक और जड़ों बहुतेरे लोग हिन्दू अखबारों के प्रयत्नों की तारीफ करने लगेंगे और ऐसी आशा बोधने लगेंगे कि अब हमारे लोगों में खूब ज्ञान - प्रसार होगा, तहाँ उसी समय दूसरी ओर इन्हीं अग्निशमन के प्रचार से जन्मी एक भयंकर क्रान्ति हमारी सत्ता को असमय में उत्थ उठ फेरने की तैयारी करने लगेगी और यदि ऐसा हुआ तो हमारी

सच आशाएँ चूर-चूर हो जायेगी और हमने हिन्दुस्तान को जिस स्थिति में देखा था, सुधार की दृष्टि से वह उससे भी अधिक निराशामय स्थिति में जा गिरेगा ।”*

इसी तरह १८२६ ई० में बारकपुर - बिद्रोह को मिटाने के बाद एलफिन्स्टन सर चार्ल्स मेटकाफ को लिखता है —

“मुझे ऐसा लगता था कि हमारा साम्राज्य कॉच का ही बना हुआ है। परन्तु पहले और अब जो आघात उसने सफलता के साथ सहन किये हैं उन्हें देखते हुए ऐसा भासित हो सकता है कि वह फौलाद का है। परन्तु मेरा यह विश्वास है कि वह फौलाद का है तथापि यदि वह गाफिल लोगों के हाथों में जा फैसा तो उसके ढुकड़े ढुकड़े हो जाने की भी सभावना है ।” †

फिर भी १८३५ में लार्ड विलियम वैटिंग के चले जाने के बाद १८३६ में जब सर चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर - जनरल हुआ तो उसने हिन्दुस्तान को मुद्रण - स्वातन्त्र्य के अधिकार दे दिये। इस ‘अपराध’ के लिए उसे उसके पठ से हटा दिया गया, फिर भी उसने अपना यह मत न बदला कि मुद्रण - स्वातन्त्र्य देने में ही भारतीयों तथा हमारे साम्राज्य का वास्तविक हित है। उसकी टलीलों इस प्रकार है —

“यदि यह कहा जाता हो कि ज्ञान - जागृति के फल - स्वरूप हमारे भारतीय राज्य का स्वातंसा हो जायगा तो इसपर मेरा जबाब यह है कि नहीं जो कुछ भी हो, उन्हें ज्ञान - लाभ कराना हमारा कर्तव्य ही है। यदि हिन्दुस्तानियों को अज्ञान में रखने से ही यह देश हमारे साम्राज्य में रह सकता हो तो हमारा प्रभुत्व इस देश के लिए शाय-रूप ही सिद्ध होगा और उसका अन्त हो जाना ही आवश्यक होगा ।

“परन्तु मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह मानना ही अधिक युक्ति - युक्त और साधार है कि लोगों को अज्ञान बनाये रखने में ही अधिक डर है। मैं तो यह सोचता हूँ कि ज्ञान - जागृति से हमारा साम्राज्य अधिक ही चलिष्ठ होगा। इससे शासक और प्रजाजन दोनों में सहानुभूति

* Memoir of Sir Thomas Munro, Dated 12th April 1822

† Mount Stuart Elphinstone by J S Colton, P 186

पैदा होगी और परस्पर एकता का भाव बढ़ेगा और आज जो खाई उनमें है वह धीरे-धीरे विल्कुल पट जायगी।^{३०}

जान-जागृति से विटिश साम्राज्य की जड़ अधिक मजबूत होगी या ढीली, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर अवलम्बित है कि वह ज्ञान किस प्रकार का होगा। अग्रेजों के प्रथम शासन-काल में यहाँ के शिक्षित लोगों में जिस ज्ञान का प्रचार हुआ उससे विटिश साम्राज्य को कुछ समय तक तो निस्सदेह बल ही मिला। इस प्रकरण के आरम्भ में 'लोक-हितवादी' का जो उद्धरण दिया गया है उसमें यह परिणाम साफ तौर पर टिखाई देता है। उसमें वे स्पष्ट ही कहते हैं — “सुन्न लोगों को चाहिए कि वे अग्रेजों के जाने की इच्छा कदापि न करें।” क्योंकि वे समझते थे कि इससे फिर अराजकता फैलेगी।

'लोकहितवादी' का यह लेख १८५० का अर्थात् मेटकाफ द्वारा मुद्रण-स्वातन्त्र्य मिलने के पन्द्रह साल बाद का है। उससे १८२२ में सर टामस-मनरो को मुद्रण-स्वातन्त्र्य देने से जिन भयकर परिणामों का डर लगता था वह सच नहीं मालूम होता। बल्कि अग्रेजी शिक्षा से जिनकी आँखें खुल गई थीं उन्हें ऐसा नहीं मालूम हुआ, और उलटा वे ऐसा प्रचार करने लगे कि जबतक हमारे देश का भीतरी और बाहरी सारा रंग नहीं बदल जाता, तबतक अग्रेजी राज्य रहना चाहिए और किसी भी बुद्धिमान् मनुष्य को यह इच्छा न करनी चाहिए कि अग्रेजों का राज्य यहाँ से चला जाय। उन्होंने अपने देश के सर्वांगीण सुधार का बीड़ा उठाया और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य का विचार कुछ समय के लिये दूर रख दिया। इससे मेटकाफ का ही यह विचार सच सावित हुआ कि मुद्रण-स्वातन्त्र्य से तो हमारे साम्राज्य की जड़ और मजबूत ही होगी।

१८२३ ईसवी में बगाल के राजा राममोहन राय आदि सुशिक्षित भारतीय नेताओं ने मुद्रण-स्वातन्त्र्य के विषय में एक निवेदन - पत्र विटिश राजा को भेजा था। इसमें वे लिखते हैं — “महाराज इस बात को जानते हैं कि मुद्रण-स्वातन्त्र्य की बढ़ौलत किसी देश में आजतक राज्य-

* The Development of an Indian Policy by Anderson and Subedar, P 143

अँग्रेजी राज्य कैसे बना ?

क्रान्ति नहीं हुई, क्योंकि जहाँ स्थानिक अधिकारियों की शिकायतें बड़े अधिकारियों तक पहुँचने का मार्ग सुनभ हो और वे दूर कर दी जाती हों, वहाँ असन्तोष - जनित क्रान्ति का कारण ही नहीं हो जाता है । इसके लिलाफ़ जहाँ मुद्रण - स्वातन्त्र्य विलुप्त नहीं है और इमलिए न तो शिकायते प्रकट ही की जा सकती हैं, न दूर ही होती हैं, वहाँ दुनिया के सब हिस्सों में अस्वयं राज्यक्रान्तियाँ हो जुकी हैं और सरकार ने शब्द-बल का आश्रय लेकर जहाँ - जहाँ उन्हें रोक दिया है, वहाँ - वहाँ लोग बगावत करने के लिए सर्वदा तैयार रहे हैं ।” *

आधुनिक प्रशासन-शास्त्र का यह तात्पर भिद्धान्त मनरो आदि को मालूम न था, सो बात नहीं । परन्तु उन्हे डर यह था मुद्रण - स्वातन्त्र्य मिलने से कि हमारा साम्राज्य विदेशी होने के कारण, पहले ये लोग इस राज्य का ही नाश करने में जुट पड़े और बाद को अन्तर्गत सुधारों की तरफ ध्यान देंगे । परन्तु अँग्रेजी शिक्षा के प्रचार से जब यहाँ के पढ़े-लिखे लोगों को यह जान हुआ कि हम तो अपने देश की शासन-व्यवस्था करने के विलुप्त अव्योग्य हैं, तब तो मेटकाफ़ का मन ही आधक ठीक सावित हो गया । अँग्रेजों जान और विद्या के प्रचार ने जो पहला काम किया उसका विचार घटि बेल राष्ट्र यता की दृष्टि से किया जाय तो सब लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह कुन्त समय के लिए नो राष्ट्रीयता का मारक ही सिद्ध हो गया था । महाराष्ट्र के इतिहासाचार्य श्री० गजबाडे ने राष्ट्रीयता की एक बढ़िया व्याख्या की है—

“जिस समाज के बहुतम व्यक्तियों में गह भावना पैदा हा गयी कि अपने देश की सारी व्यवस्था, लास काके शासन-व्यवस्था, हम खुद करेंगे और उसके लिए जिस समाज के लोग प्राण अपण करने को तैयार हो गये हों, उस समाज को राष्ट्र कहना चाहिये । बततक यह भावना समाज में पैदा न हुई हो तत्क उसे ‘लोक’ कहना होगा । उस ‘लोक’ में भले ही एक देश, एक भाषा एक आचार विचार, एक वश, एक धर्म और एक कानून हो—इतने मध्य ममान वन्धन विद्यमान् हों तो

* Indian Speeches and Documents on British Rule,
P 21 by J K Majumdar

भी यदि उनमें अपना शासन - भार खुद उठाने की अर्थात् स्वराज्य-सचालन करने की उत्कट इच्छा नहीं है तो उस 'लोक' को 'राष्ट्र' नहीं कह सकते ।”

ओंग्रेजी शिक्षा के सस्कारों से और ओंग्रेजी शासकों के प्रोत्साहन से जो सर्वांगीण सुधारक वर्ग उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में यहाँ पैदा हुआ, उसने चाहे धार्मिक और सामाजिक विषयों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हों परन्तु यह भावना कि हम अपने देश का शासन करने के अयोग्य हैं, दूर न करके उल्टे अधिक ही फैलायी । इससे मनरो का यह सिद्धान्त कि स्वतन्त्र पत्रकार का पहला कर्तव्य है अपनी मातृ-भूमि को राजनैतिक दासता से मुक्त करना, निर्मूल सिद्ध हुआ और इसीलिए इस पाठ और उपदेश से ऊबकर १८वीं सदी के चौथे चरण में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने जोर की आवाज उठायी — “हमारे देश की प्रकृति में अभी कोई कहने लायक खराबी नहीं हुई है, उसकी नाड़ी साफ चल रही है ।” ऐसा कहकर उन्होंने लोगों के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जाग्रत करना शुरू किया । इसी पर से यह चर्चा हुई कि पहले राजनैतिक सुधार हो, या सामाजिक सुधार और यह कहा जाने लगा कि राष्ट्रीय दलवालों को सामाजिक सुधार प्रिय नहीं हैं । इसके लिए उचित कारण भी थे ।

फिर भी निष्कृ दृष्टि से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पक्ष ने सामाजिक सुधारों का विरोध करने में अतिरेक से काम लिया तथापि लोकमान्य तिलक ने अपने जीवन के अन्तिम समय में राष्ट्रीय पक्ष की जो सामाजिक नीति निश्चत की थी वह अब भी माननीय ही मालूम होती है । एक जगह उन्होंने कहा है—“स्वाभिमान, उत्साह, स्वराज्य-निष्ठा—यही राष्ट्र के सच्चे प्राण हैं । और यह सजीवता जहाँ होगी तरह, सुई के पीछे धारों की तरह, सामाजिक सुधार भी अपने - आप आते चले जायेंगे । इतिहास इसका साक्षी है । इसीलिए राष्ट्रीय पक्ष राजनैतिक आन्टोलन को जितना महत्व देता है उतना सामाजिक आन्टोलन को नहीं । उसका यह कहना नहीं है कि राष्ट्र की सामाजिक प्रगति न होनी चाहिए बल्कि यह कि वह राजनैतिक प्रगति और स्वाभिमान के साथ - साथ होनी चाहिए । राष्ट्रीय पक्ष का सिद्धान्त यह है कि यदि

हम ढीला-ढाला विरोध करते हुए राजनैतिक परतत्रता को मजबूर करते रहेंगे तो सजोव सुधार हरणिज न ह। सकेंगे ।”*

खैर, किसने क्या किया होता तो क्या हुआ होता—इस बात को छोड़ दें तो अँग्रेजी पढ़े - लिखे लोग १८वीं सदी के पूर्वार्द्ध में विद्रिश साम्राज्य के प्रामाणिक प्रचारक बन गये और राजनैतिक स्वातन्त्र्य का प्रश्न अति भविष्य काल पर छोड़ सामाजिक और धार्मिक सुधार का बीड़ा उठाकर राष्ट्रनिर्माण के कामों में प्रवृत्त हुए, परन्तु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । भारतीय राष्ट्र-संस्कृति विश्व-संस्कृति के मुकाबले में दो-तीन सदी पिछले गयी थी और उस समय के शिक्षित मध्यमवर्ग को यह ख्याल हुआ कि हमे इस अन्तर को मिटा देने का यह अच्छा अवसर मिल गया है । १८वीं सदी से यूरोप में जो-जो नवीन राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक विचार पैदा हुए वे सब अँग्रेजों के राज्य के साथ ही यहाँ आये । इन सुशिक्षित लोगों ने ईमानदारी से यह महसूस किया कि इन्हें आत्मसात् किये बगैर संसार में हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र की हैसियत से खड़े नहीं रह सकते और इसीलिए वे इनमें जुट पड़े । उस समय उन्हें यह ठीक - ठीक ख्याल न हुआ कि अँग्रेज लोग विदेशी हैं और उनके राज्य से हमें कितनी आर्थिक हानि होगी । उन्हें यह तो स्पष्ट दिखाई देता था कि हमारे देश के सरदार, जागोरदार और विद्वानों में खपनेवाले शास्त्री - परिणित राष्ट्र का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं, परन्तु ऐसा आत्म - विश्वास उनमें नहीं था, जिससे वे खुद राजनैतिक मैदान में कूद पड़ते और जनता को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का मार्ग दिखा देते, और इसके अभाव में राजनैतिक सेन्ट्र के लिए आवश्यक लाग भी उनसे नहीं हो सकता था । उसी प्रकार यह अनुभव भी इन लोगों को हो रहा था कि अँग्रेजी लिख-पढ़ गये, या थोड़ा - बहुत व्यापार करने लगे तो अँग्रेजी सरकार में नौकरी और अँग्रेज व्यापारियों की दलाली मिल जाती है जिससे धन भी कमा सकते हैं । इन लोगों के मन में यह आशा उत्पन्न हो गयी थी कि अब हमारे देश में सामन्तशाही - युग समाप्त होकर जो व्यापारी - मध्यम - वर्ग का युग शुरू हुआ है उससे हमारे देश में ज्ञान और

* लो० तिलकाचे केशर तील लेय, भाग ३, पृष्ठ ४३६

धन दोनों की वृद्धि होगी और इंग्लैण्ड की तरह यहाँ भी सब तरह के सुधार हो जायेंगे एवं इसी के बल पर अङ्गरेज राजनीतिज्ञों को अपने साम्राज्य को बल मिलने की आशा हो रही थी। पेशवार्हे के झूठने के बाद बगल में ऐमा वर्ग तैयार हो रहा था। मनरो-एलफिन्स्टन ने इस वर्ग को धारे-धारे शासन-कार्य में जोतने की नीति स्वीकार की थी और आँख खोलकर की थी। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि आज हमने इन्हें छोटे अधिकार के पद दिये तो कल ये सारे शासनाधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे; परन्तु वे यह भी जानते थे कि हमारे साम्राज्य को स्थिर करने का दूसरा कोई कारगर उपाय नहीं, और इसीलिए वे इस नीति का विरोध करनेवाले अपने देश-बन्धुओं के आक्षेपों को बहुत महत्व नहीं देते थे। १८२४ में एल्फिन्स्टन ने कोई आफ डाइरेक्टर को एक शिक्षण-विधक वक्तव्य भेजा था। उसमें वह कहता है—

“यह आपन्ति उठाई जायगी कि यदि हमने यहाँ के लोगों को शिक्षा देकर अपने ब्रावर का दर्जा दे दिया और शासन-कार्य में भी उन्हें हिस्सा देते चले गये तो वे उन पदों पर ही सन्तुष्ट नहीं। हम सकेंगे जो हम उन्हें देंगे, बल्कि वे सारे शासन पर अपना अधिकार सावित किये बिना खामोश न बैठे रहेंगे। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसा डर रखने के कई कारण हैं। परन्तु दूसरी किसी नीति द्वारा हम अधिक स्थायी बन सकेंगे—ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। यदि हमने देशी लोगों को नीचे ही ढावा रखा तो उनके प्रतिकार से ही हमारा राज्य उथल-पुथल हो जायगा और यह सकट पूर्वोक्त संकट की अपेक्षा अधिक भयक्कर और अधिक अकीर्तिकर होगा। इस खींचा-तानी में हमें सफलता मिल भी गयी तो हमारे साम्राज्य के लोगों से एकरस न होने के करण विदेशी आक्रमण से अर्थवा हमारे ही बशजों की बगावत से उसके उखड़ पड़ने की सम्भावना है। हमारी बीति और हित दोनों दृष्टियों से एवं मानव जाति के कल्याण को दृष्टि से भी विचार किया जाय, तो जिन लोगों के हित के लिए इस सत्ता की धरोहर ईश्वर ने हमें दी है उन्हीं के हाथों में उसे वापस सौंप देयही बेहतर है बनिस्त इसके कि उसे विदेशी हमसे छीन ले या हमारे हीं

कुछ सुन्दी भर उपनिवेशवाली जन्म-सिद्ध अधिकार कहकर आपने हाथ में ले ले ॥”*

मुद्रण - स्वातन्त्र्य और अधिकार के पट की तरह पश्चिमी शिक्षा का प्रवेश करते समय भी इस प्रकार की चर्चा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने की है। ओंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने से आगे जाकर हमारा राज्य नष्ट हो गया तो भी आब तो उसी के द्वारा हमारे साम्राज्य को बल भिलनेवाला है और आगे जब कभी हमारा साम्राज्य नष्ट होगा तब कम-से-कम हमारा व्यापार तो कायम रहेगा और इस देश में बसनेवाले हमारे देश-बन्धु तो सुरक्षित रहेंगे—इस बात को सोच - समझकर और सारे प्राणियों का खयाल करके ही उन्होंने पूर्वोक्त नीति निश्चित की थी। उस समय ओंग्रेज राजनीतिज्ञों का यह अनुभान था कि सामान्तशाही-युग से निकलकर हाल में ही मारतीय राष्ट्र के लोक - सत्ताध्यक्ष राष्ट्र बनने में और हमारे उपदेश से निर्मित सर्वज्ञोण सुधार - वर्ग के राजनैतिक आनंदोलन में पहले में १००-१५० साल लग जायेगे। इतना समय बीतने पर यदि हमारी इस नीति के फल - स्वरूप साम्राज्य पर आन्तरिक सकट आया भी तो उस समय उन्हे व्यवहार्य राजनीति की दृष्टि से उसका विचार करने की बाल्फत नहीं थी। तत्कालीन परिणाम की दृष्टि से देश, लोगों को सुशिक्षित बनाना, उन्हे अधिकार के पट देकर शासन-कार्य में अधिकाधिक सहायता उनसे लेते जाना और मुद्रण - स्वातन्त्र्य देकर उनका उपोयग सामाजिक और धार्मिक सुधारों में करने का प्रोत्साहन देना, यही नीति सबसे अधिक हितकर है। ऐसा एलफिन्स्टन, मनरो, माल्कम के काल में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का मत था और वैटिक तथा मेटकाफ आदि गवर्नर-जनरलों के शासन - काल में इसका खुलकर श्रीगणेश किया गया। तत्कालीन शिर्शकृत भारतवासियों को यह नीति आकर्षक मालूम हुई और इस कारण वे ब्रिटिश साम्राज्य के चाहक और पृष्ठ - पोषक बन गये। जो राजा - नवाब, सरदार और जागीरदार ओंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार करके पारतंत्र्य में सुख अनुभव करते थे उनके साथ भी प्रेम और आदर का व्यवहार रखना यह एलफिन्स्टन व माल्कम को नीति थी। इस कारण

* Mount Stuart Elphinstone by J S Colton P 189

अपने स्वतन्त्रता - हरण से असनुष्ट होते हुए भी इन लोगों के स्वतन्त्रता के लिए बगावत कर बैठने की आशङ्का न थी । मतलब यह कि उनके प्रति व्यवहार की ऐसी नीति अंग्रेजों ने अखिलयार की थी जिससे हिन्दुस्तानी फौज यदि बगावत भी कर बैठे तो सामान्य जनता अथवा राजा - सरदार उसका नेतृत्व न करें, बल्कि उलटा उसे दबाने में उनकी सहायता करें । इसमें उन्होंने तत्कालीन लोगों की धर्म - भावनाओं का भी खूब विचार कर लिया था और इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि लोगों के धार्मिक भावों को आघात न पहुँचाया जाय । इस सारी नीति का लाभ उन्हें १८५७ के सैनिक - विद्रोह के समय मिला ।

१८५७ के गदर के बाद ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह विचार कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से राज - सत्ता ले ली जाय । तब कम्पनी ने ऐसा न करने के लिए एक आवेदन - पत्र ब्रिटिश राजा की सेवा में भेजा था । उसमें कम्पनी की तरफ से कहा गया है—

“हमारा धर्म खतरे में है” ऐसे निराधार भय से जो गदर हुआ, ऐसा कहते हैं, उसमें राजा - सरदारों ने हमारी सहायता करने के बाय यदि उनका नेतृत्व ग्रहण किया होता या सामान्य जनता उसमें शारीक हुई होती तो उसका दूसरा ही परिणाम निकला होता । उसी प्रकार यदि इस मन्देह के लिए भी कि धर्म - परिवर्तन के आओताव में ब्रिटिश सरकार का हाथ है, कुछ गुज्जायश होती तो ये दोनों बातें कितनी सम्भवनीय होतीं, यह बताने की जरूरत नहीं है ।”*

इस गदर के समय कलकत्ते में एक ‘सवाद भास्कर’ नामक प्रसिद्ध अखबार निकलता था । उसने गदर के समय में लोगों से सरकार की सहायता करने की जोरदार अपील की थी--

“जो सैनिक राज्य की रक्षा करते थे उन्होंने उसके खिलाफ हथियार उठाये हैं । इसलिए सरकार अपने मित्रों से धन - जन की सहायता चाहती है । सारे राज - भक्त प्रजाजन को इसका अच्छा उत्तर देना चाहिए । यदि बाहर के धनी - मानी लोगों ने राजधानी की रक्षा की जिम्मेदारी अपने पर ले ली तो गवर्नर - जनरल की चिन्ता कम होगी । यदि यह

* Petition of the East India Company, 1857

आपत्ति इतनी गम्भीर न होनी तो सिंधिया और पटियाला नरेश ने अपनी सेना सरकार की सहायता के लिए न भेजी होती । ब्रिटिश सरकार के शासन में हमें प्रायः पूर्ण स्वातन्त्र्य प्राप्त है । मुसलमानों के शासन - काल में इतनी सुरक्षितता थी क्या । अग्रेजों ने हमें ज्ञान - दान दिया है और हमारे लिए सुख - सुरक्षितता से जीवित रहना सभव बनाया है । यह रामराज्य से कम नहीं है । इसलिए लोगों को इस समय सरकार की हर तरह सहायता करनी चाहिए ।”

पेशवाई के अन्त से १८५७ के गदर तक ४० साल में हिन्दुस्तानियों की कैमी स्थिति थी, इसका बर्णन स्व० राजबाडे इस प्रकार करते हैं —

“इस अवधि में तजोर, सतारा, इंदौर, धार, ग्वालियर, बड़ौदा, पूना, कोल्हापुर, नागपुर, बुन्देलहाट आदि रियासतों में बड़ी - बड़ी क्रान्तियाँ हो गयीं, कितनी रियासतें चिर्हुल तहम - नहस हो गयीं, कितनों का आजादी कम हो गयी और कितनी ही केवल जमीदारी की हालत को पहुँच गयीं । लड़वेये घर बैठ गये, जनता निःशब्द हो गयी, कारकुर्ना और मुन्हियाँ का पेशा हूँच गया, व्यापारियों का व्यापार चौपट होने लगा, कारीगरों का रोजगार बैठने लगा, सोना पश्चिम की तरफ बहने लगा, खेती पर लोगों की गुजर - त्रसर का कठिन अवसर आया, पंडे - पुजारियों की वृत्तियाँ बन्द हुईं, शास्त्री - पाएडत निराश्रय हो गये, मतलब कि अब लोगों में गोलमाल हो गया । परन्तु इस अमर्याद क्रान्ति का परीक्षण करके इसे रोकने की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया । तत्कालीन समाज का चरित्र, समाज के घटना - चक्र का कार्य - कारण - सम्बन्ध, अथवा समाज का शास्त्र, और समाज का तत्त्वज्ञान — इनमें से किसी का भी पता इन चारोंसालों में न था । जो विचारशील और तत्व - जिजासु थे, वे एकदेशीय साहु - सत और विक्रम थे । वे सन्यास और योग - साधना में गर्के थे और जो दुनियादार अथवा सासार - व्यवहारी राजा - नवाब, सरदार - जागीरदार, व्यापारी, कारीगर, मुत्सटी, कुरकुन थे, वे इन घटना - चक्रोंका अर्थ ही न समझ पाये और मोहान्ध होकर किसी तरह सासार और समाज की गाड़ी खींच रहे थे । ‘विवेकभ्रष्टाना भवति विनिपातः शतमुखः’ । हम कर क्या रहे हैं और जो कहों रहे हैं — इसे समझने की जरूरत जिन्हें नहीं मालूम

हुई, उन मोहन्व लोगों को क्या तो राष्ट्र की और क्या लोक - व्यवहार और इतिहास की परवाह !!

इस स्थिति का अन्त १८५७ के ज्वालामुखी सद्दश विस्फोट से हुआ। यह विस्फोट सन्यासी, तत्त्वज्ञानी और अविचारी हिन्दू-मुसलमान नेताओं ने बगाल के सैनिकों की सहायता से किया। काल्पनिक तत्त्वज्ञान का और सुयत्रित शासन का यह झगड़ा था। पहले के पृष्ठपोषक हिन्दू-मुसलमान नेता थे और दूसरे के पाश्चात्य थे। इसमें सुयत्रित शासन की विजय हुई। इधर यह तूफान उठ खड़ा हुआ, उधर उत्तर-हिन्दुस्तान, पंजाब, और कर्नाटक के राजे - रजवाड़े, महाजन और साधारण जनता कुछ समय तक तो शक्ति रहकर तटस्थ रहे, पर अन्त को विजेता पक्ष में शामिल हो गये। हल के दर्जे के, कुलहीन और ऐरे-गेरे छोटे-बड़े शिक्षित और अल्प-शिक्षित परराज्य - सेवकों का जो नवीन वर्ग बना था, अथवा सच पूछो तो बनाया गया था, वह विजयी होनेवाले और विजयी हुए सुयत्रित-पक्ष की ओर पहले से ही था। उसकी शिक्षा में स्वराष्ट्र, समाज जैसे शब्द ही नहीं थे। बगाल, राजपूताना और महाराष्ट्र प्रान्तों के कितने ही बड़े नौकर लाग कहते हैं कि १८५७ के इस तूफान का मर्म समझने की ज्ञानता ही हममें नहीं थी, फिर स्वपक्ष और पर-पक्ष में आने-जाने की तो बात ही दूर रही। प्राचीनता के अभिमान और स्मरण से पैदा होनेवाला महज जोश भी इन कुलहीन, राष्ट्रहीन व समाजहीन लोगों में नहीं था।

१८५७ के गदर में ब्रिटिश - सत्ता पर ऐसा मर्मांधात होते हुए भी उसका लाभ उठाकर स्वतंत्र राष्ट्र-निर्माण करने का सामर्थ्य और ज्ञान हिन्दुस्तान में किसी के पास नहीं था— यह साक्षित हो जाने पर भारतीयों में राष्ट्रीयत्व के अभाव का दूसरा प्रमाण और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की नीति की सफलता की दूसरी गवाही देने की आवश्यकता नहीं है। इस आपत्ति से ब्रिटिश राज्य कैसे बच गया इसकी मीमांसा सर जॉन सीली ने इस प्रकार की है—

“एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को लड़ाकर ही बहुताश में यह गदर मिटाया गया है, जबतक ऐसा किया जा सकता है और जबतक

* ऐतिहासिक प्रस्तावना, खण्ड ६, पृ० ३५३-५४

यहों के लोग सरकार की आलोचना करने और उसके खिलाफ वगावत करने के शादी नहीं हो जाते तबतक इग्लैड में ड्रैठकर हिन्दुस्तान में हुक्मत की जाती है और यह कोई बड़ी बात भी नहीं है। परन्तु यदि— यह हालत बदल गयी और किसी भी तरह लोगों में समरसता पैदा होकर एक राष्ट्र बन गया और यदि हिन्दुस्तान और हमारा सम्बन्ध थोड़ा भी आस्ट्रिया या इटली की तरह बन गया, तो मैं इतना ही नहीं कहता कि हमारा प्रभुत्व खतरे में है वल्कि उसके आगे हमें अपने प्रभुत्व के कायम रहने की आशा भी चिल्कुल छोड़ देनी चाहिए ।”^४

अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने १८५७-५८ में यह मानित ही कर दिया कि जबतक हिन्दुस्तान में एकता कायम नहीं होती तबतक महज गदर से हमारा साम्राज्य नष्ट नहीं हो सकता। अब इस बात का विचार करना चाहिये कि भारतीय नेताओं ने एक राष्ट्रीयता निर्माण करने के क्या-क्या प्रयत्न किये। ऐसे पहले प्रयत्न का जन्म राजा रामसोहन राय की सर्वांगीण सुधारवाट प्रणाली से हुआ और उसी को स्व० रानाडे ने नरम प्रागतिक राजनीति का रूप १८६० सदी में दिया।

: ३ :

सर्वांगीण सुधार की आधुनिक ज्ञान-ज्योति

“जो बात व्यक्ति की, वही देश की। वास्तविक उन्नति के लिए पहले उन्नत धर्म का प्रचार होना चाहिये। राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए चाहे राष्ट्रीय सभा (कांग्रेस) कीजिये, चाहे प्रान्तिक सभा, अथवा सामाजिक सुधार करने के लिए मामाजिक परिपट् कीजिये, परन्तु जबतक धर्म—जागृति नहीं हुई है, तबतक देश को इसमें वास्तविक सफलता नहीं मिल सकती। सबसे पहले आत्मा की उन्नति होनी चाहिए ।”^५

“इस युग के प्रारंभ में पञ्चिश्मी शिक्षण से नास्तिकता और पाखड़-वाट की ऐसी जबरदस्त लहर उठी थी। कि उसने जैसा कि कितने ही

* The Expansion of England by Seely, Page 233

† स्व० टा० भरटारकर - 'याचे धर्म पर लेगु व व्याख्याने, प० ३४२-४३

लोग कहते हैं, शीघ्र ही सारे देश में फैलकर हिन्दू-धर्म को जड़ से उखाड़ फेंक दिया होता। परन्तु ईश्वर की अभिनय नियति के कारण उस समय राजा राममोहन राय के रूप में एक आलौकिक पुरुष पैदा हुआ और उसने 'एकेश्वरी पन्थ' की एक नवीन लाहर पैदा की जिससे यह भावी आपत्ति टल गयी।"

इधर महाराष्ट्र में मराठी साम्राज्य के रसातल में पहुँचने और अँग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के रूप में राज्यक्रान्ति हो रही थी, उधर उन्हीं दिनों बगाल में राजा राममोहन राय के नेतृत्व में पचिशमी ज्ञान से नवीन दृष्टिप्राप्त बगाली हिन्दू अपने धार्मिक आचार-विचार में क्रान्ति करके आधुनिक भारत के निर्माण का यत्न कर रहे थे। वे भारतीय समाज में एक सर्वांगीण क्रान्ति करना चाहते थे और उसके लिये हमारे धार्मिक आचार-विचार में पहले क्रान्ति होनी चाहिए, यह उनका दृढ़ विश्वास था। पहला धार्मिक सुधार, दूसरा सामाजिक सुधार और फिर तीसरा राजनैतिक सुधार—यह क्रम उन्होंने अपने मन में निश्चित कर रखा था। इसका अर्थ यह न लगाना चाहिए कि धर्म-सुधार के अन्तिम शिखर तक पहुँचने के बाद समाज-सुधार का श्रीगणेश किया जाय और उसके शिखर तक पहुँचकर राजनैतिक सुधार की पहली सीढ़ी पर कदम रखा जाय। सर्वांगीण सुधार के विरोधी आलोचक उनके भाषणों और कृतियों का ऐसा अर्थ करते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है। धर्म समाज का हृदय है और यदि समाज के सब व्यवहारों में सुधार, परिवर्तन अथवा क्रान्ति करनी है तो पहले उसके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए — अथवा डाक्टर भगदारकर के शब्दों में "पहले आत्मा की ही उन्नति होनी चाहिये" ऐसा राजा राममोहन प्रभृति सर्वांगीण सुधारकों का मत था। उनकी राजकीय नीति के सबंध में किसी का कितना ही मतभेद हो, अथवा उनके प्रतिपादित धार्मिक या सामाजिक सुधार - विशेष का कोई कितना ही तीव्र विरोध करता हो, तो भी इस विवाद में अधिक मतभेद नहीं हो सकता कि यदि किसी समाज में सर्वांगीण सुधार, परिवर्तन अथवा क्रान्ति करनी हो तो सबसे पहले उसकी आत्मा की उन्नति होनी

चाहिए, उसका हृदय - परिवर्तन होना चाहिए, अथवा उसके धार्मिक विचार, भावना और आचार - व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, खास-कर उस समाज के सर्वांगीण सुधार पर तो यह न्याय और भी अधिक लागू पड़ता है जिसके सब व्यवहारों पर धर्म का नियंत्रण रहता है। प्राचीन समय में और मध्ययुग में यूरोपीय और भारतीय दोनों समाजों के सब व्यवहारों पर धर्म की सत्ता चलती थी। धर्म की इस सर्वव्यापिनी सत्ता को नष्ट करके राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवहार के स्वतन्त्र शास्त्र - निर्माण करना और धर्म के पास सिर्फ अन्तरग सुधार का अथवा आत्मिक उन्नति का काम रखना आधुनिक यूरोपीय सकृति का एक लक्षण है। आधुनिक यूरोपीय सुधार में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक व्यवहारों से धर्म का कुछ बास्ता नहीं रहा है, यही नहीं, बल्कि यह भी प्रतिपादन किया जाता है कि नीतिशास्त्र का भी धर्म या आत्मा से कुछ सबध नहीं है। यही विचारसरणि आज हमारे देश में प्रचलित होना चाहती है। परन्तु राजा राममोहन राय के समय हिन्दू - समाज की ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय का हिन्दू - समाज मध्ययुगीन यूरोपीय-समाज के जैसा था। उसके मन में ये स्पष्ट कल्पनाएँ नहीं थी कि राज्य-शास्त्र, अर्थ - शास्त्र, समाज - शास्त्र, आदि शास्त्र, धर्म - शास्त्र से पृथक् हो सकते हैं। उसके सब व्यवहारों पर धर्म की सत्ता पूरी - पूरी नहीं तो भी तत्त्वतः बरुर चल रही थी। निटान भारतीय समाज की यह मान्यता और श्रद्धा थी कि ऐसा होना ही साहजिक व इष्ट है। इस अवस्था में जो समाज हो उसके सर्वांगीण सुधार में लगनेवाले का पहले धार्मिक सुधार में प्रवृत्त होना चिल्कुल स्वाभाविक है। राजनैतिक परतन्त्रता के जबडे में फँसे राष्ट्र के लिए पहले सर्वांगीण सुधार करना ठीक है या राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थापना करके फिर इस महत्कार्य में पड़नाउ चित है, इसमें मतभेद हो सकता है। परन्तु यदि हम इस बात को मानकर ही चले कि सर्वांगीण सुधार हुए, बगैर हम अथवा हमारा गप्ट स्वतंत्रतापूर्वक रह ही नहीं सकता तब मध्ययुगीन अवस्था के धर्माधिष्ठित समाज भा सर्वांगीण सुधार चाहनेवालों के लिए उसके धार्मिक आचार - विचार - भावनाओं के सुधार को प्रथम स्थान देना चिल्कुल स्वाभाविक है। राजा राममोहन राय द्वारा बंगाल में स्थापित ब्रह्म - समाज,

की महाराष्ट्रीय शाखा 'प्रार्थना - समाज' के एक अध्ययुर्द्ध्वर्णीय डा० भड़ारकर का जो अवतरण इस प्रकरण के शुरू में दिया गया है, उसमें यही हृषि - कोण है ।

इसी के नीचे एक और उद्धरण 'नवयुग - धर्म' के लेखक श्री फडके का दिया गया है । श्री फडके उन लोगों में से हैं जिन्हें ब्रह्म - समाज का धार्मिक और सामाजिक - सुधार अधिकाश में मान्य नहीं है और न राजा राम मोहन राय की विभूतिमत्ता के प्रति ही जिन्हें अकारण आदर हो सकता है । उनके जैसे लोग राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित एकेश्वरी ब्रह्म - समाज को किस हृषि से देखते हैं और उनके कार्य को किसना महत्व देते हैं, यह दिखलाने के लिए ही उनके वचन उद्घृत किये गये हैं । राजा राममोहन राय के कुछ धार्मिक विचार मान्य न हों तो भी उन्होंने धार्मिक - सुधार की जो एक जवरटस्त लहर १९वीं सदी के प्रारम्भ में पैदा की उसके कारण पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान के स्तरों से ईसाई - धर्मी शासकों के प्रति होनेवाले कुठूहल और आदर के कारण ईसाई - धर्म की दीक्षा लेने से मिलनेवाले मौलिक लाभों के लोभ से, जवरटस्तों के सामने सिर झुकाने की हीन मनोवृत्ति के कारण, (ईसाई - धर्म - प्रचारकों के दिखाये हमारे धर्म के मिथ्यादाषों के कारण,) और आधुनिकता का प्रकाश बहुत बर्थों से न मिलने के कारण हिन्दू - धर्म को जो हीन व अवनत स्वरूप प्राप्त हुआ, उससे, हिन्दू - शिक्षित लोगों का जो झुकाव ईसाई - धर्म ग्रहण करने की ओर हो रहा था, वह रुक गया और उन्हें यह निश्चय हो गया कि भारतीय राष्ट्र के सर्वांगीण सुधारके लिए उसे ईसाई - धर्म की दीक्षा देने की आवश्यकत नहीं, बल्कि ऐसा करना सुधार का वास्तविक उपाय नहीं है ।

अँग्रेजों ने जब हिन्दुस्तान में राज्यस्थापना की, तब उन्होंने अपनी यह शासन - नीति रक्खी थी कि हिन्दुओं के धर्म में हस्तक्षेप न किया जाय तथापि उनका उस समय यह दृढ़ विश्वास था कि जवतक कोई राष्ट्र या समाज ईसाई - धर्म का अनुयायी नहीं हो जाता तबतक उसे ऐहिक अभ्युदय और पारमार्थिक सद्गति नहीं मिल सकती । यह मत ईसाई - पादरियों का ही नहीं, यहाँ आनेवाले अँग्रेज अधिकारी और व्यापारियों का भी था । फर्क इतना ही था कि राजकाजी लोग अपने इस विश्वास के

लिए भारतीय जनता में सद्दर्म का प्रचार करके अपने राज्य और व्यापार को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते थे। इस कारण ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारी पाठियों के धर्म-प्रचार-सबधी उत्साह को एक मर्यादा में रखने को कोशिश करते रहते थे। ऑग्रेज राजकाजियों में, जिन्हें भारतीय सकृति के प्रति आदर या उमसा जान न था, वे जिस तरह यह चाहते थे कि हिन्दुस्तानी ईसाई धर्म ग्रहण कर लें, उन्होंने जिन ऑग्रेज राजकाजियों को या विद्वानों को भारतीय सकृति का अच्छा ज्ञान और उसके प्रति आदर था, एवं जो यह चाहते थे कि भारतीय समाज सुधार में आगे बढ़े तथा अन्त को जाकर स्वतन्त्रता भी प्राप्त करले, उन्हें भी यह आशा थी कि हिन्दुस्तानी आज या कल ईसाई धर्म को अवश्य ग्रहण कर लेंगे। अलवते ये लोग, धर्म-प्रचार के लिए पाठी जिन साधनों का उपयोग करते थे, परिणाम की दृष्टि से उनका नियेव करते थे और यह स्पष्ट रूप से कहते थे कि सरकार-द्वारा हेने वाले लोक-शक्तियों के प्रयत्नों में धर्म-प्रचार का प्रत्यक्ष मिश्रण न किया जाय।

फ्रेडरिक जॉन शोश्नेर नायक ऑग्रेज अधिकारी ने सन् १८३७ में एक पुस्तक लिखी थी—'Notes on Indian Affairs'। यह विश्व राज्य के टोलों और तत्कालीन भारतीय सकृति के गुणों को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। विर्द्धश शासन-पद्धति के प्रारंभिक पारिणाम, लोगों पर हेनेवाले अन्याय, जवरटन्त बर और लोगों को विश्वास में न लेकर, वाहिक उन्हें तुच्छ समझकर चलाई हुई शासन-पद्धति के बढ़ौलत तत्कालीन जनता के मन में उत्पन्न असतोप और तिरस्कार का बहुत अच्छा वर्णन उसमें किया गया है। ऐसे सहानुभूति-पूर्ण लेखक को भा द्व विश्वास होता था कि निन्दा जनता धीरे-धीरे ईसाई बन जायगी। यह कैसे होगा, उसके सवंध में उसके विचार इस प्रकार के थे :

“मानवी प्रथाओं में ये ये साधन मुख्यतः फलटायी हो सकते हैं—
 (१) हमें अपने उठाहरण में लोगों को यह दिखाला देना चाहिए कि इम जिस धर्म का प्रचार करते हैं उमपर हमारी सच्ची श्रद्धा है और हमारा आचरण भी उसी के अनुसार है (२) नवीन पांडी में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए (३) एक धर्म देश तैयार करना चाहिए जिसमें

धर्मान्तरित लोगों का समावेश किया जा सके और उनका जाति से बहिष्कार न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि इन उपायों से काम लिया गया तो थोड़े ही समय में बहुत सफलता मिल सकती है। धर्म और जाति - सम्बन्धी बहुत से पुराने अन्धविश्वास अब कमज़ोर हो गये हैं, उनमें जिज्ञासा बढ़ रही है और जो लोग ऋग्वेजी से दूर - दूर भागते थे, यहाँ तक कि किसान लोग भी, पादरियों के पास आने लगे हैं और ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं कि सचमुच हमारा कोई धर्म है भी, और यदि है तो उसमें क्या क्या बातें हैं ? उसमें शिक्षा का तथा नवीन विचारों का खून प्रचार होने के बाद उन्हें अपनी मूर्ति-पूजा की पद्धति का दोष दिखाई देने लगेगा। आज भी उन्हें इतना तो महसूस होने लगा है कि इस धर्म से उनके अन्तःकरण को शाति और समाधान नहीं मिलता। हिंदुओं में यदि कोई राजा अथवा प्रभावशाली पुरुष कान्स्टेनाइट की तरह (धर्म - प्रचार करने के लिए) कमरबस्ता हो जाय तो उसका अनुकरण करके जनता सामुदायिक धर्मान्तर के लिए तैयार हो जायगी। जबतक ऐसा न हो तबतक अकेले धर्माधिकारियों या पादरियों को चाहिए कि वे बसिस्था देकर धर्मान्तर करने की विशेष उत्कृष्टता न दिखावें।” *

इसी लेखक ने ऋग्वेजी सेना के दो ब्राह्मण सिपाहियों का एक संवाद दिया है जो उस समय का है जबकि काशी में हिन्दू - मुसलमानों का दंगा हुआ और मदिरों में गाय का खून तथा मसजिदों में सूअर का मास डाला गया था। एक कहता है—“देखोजी, जो बात अबतक सपने में नहीं हुई, वही सामने दिखाई देती है। शकर के हाथ का त्रिशूल नष्ट-भ्रष्ट हो गया है और थोड़े ही दिनों में हम सब एक जाति के हो जायेंगे। यदि ऐसा हुआ तो हमारा धर्म क्या होगा ?” दूसरा जवाब देता है—मैं समझता हूँ वह ईसाई धर्म होगा।” तबपहला समर्थन करता है—“मैं भी ऐसा ही समझता हूँ क्योंकि अभी जो कारण हुए उन्हें देखकर तो हम मुसलमान हरगिज न बनेंगे।” इस संवाद के आधार पर इस लेखक का कहना है कि इस देश में ऐसे ख्यालात फैल रहे हैं कि सब हिन्दू

* Notes on Indian Affairs Voll. II, p 466-77 by Hon. Fredrick John Shore

ईसाई हो जायगे। तात्पर्य यह कि यह कहना यदि सही हो कि अप्रेज शासकों ने इस देश में सर्वांगीण सुधारों की आकाश्चा जाग्रत की तो उसके साथ यह भी भव्य है कि उसके फल - स्वरूप उन्हें अपने साम्राज्य को कुछ समय के लिए बल मिलने और जब हिन्दुस्तान स्वतंत्र होगा तब अपना व्यापार कायम रहने और सब हिन्दुओं को ईसाई बनाने की आशा भी थी। उन्हें यह आशा नहीं थी कि यहाँ के मुसलमान ईसाई होंगे। पूर्वोक्त लेखक मुसलमानों के ईसाई मजहब - सबधी रुख के बारे में लिखता है—‘हिन्दुओं की बनिस्त भुलमान कम दुराग्रही और सहिष्णु हैं, और उनके विचार अधिक उदार हों तो भी उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित करना औरों की अपेक्षा कठिन होगा। इस विषय में मुसलमानों की भावना बड़ी विचित्र है। इधर बुतपरस्त कहकर वे हिन्दुओं को तुच्छ मानते हैं और उधर ईसाइयों से भी नफरत करते हैं। इसलिए नहीं कि हम ईसामसीह को मानते हैं (क्योंकि उन्हें तो वे भी पैगम्बर मानते हैं) बल्कि इसलिए कि हम उनके पैगम्बर मुहम्मद को नहीं मानते हैं।’*१

यह धर्म - संशोधन का आनंदोलन हिन्दुओं में ही चला — मुसलमानों और पारसियों में नहीं, क्योंकि उन्हें उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज के प्रवर्तकों को यह आशा रही कि हिन्दू - धर्म - संशोधन का असर दूसरे धर्मों पर भी पड़ेगा। वस्तुतः ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज को आगे जाकर संशोधित हिन्दू धर्म का ही रूप प्राप्त हो गया।

अब हम राजा राममोहन राय के समय की परिस्थिति का उनकी दृष्टि से अधिक विचार करें। इस समय बगाल में ईसाई - धर्म - प्रचारकों ने हिन्दू धर्म पर खुला हमला शुरू कर दिया था और छिद्रान्वेषण - बुद्धि से उसपर टीका करने का बीड़ा उठा लिया था। उनका सम्बोधन कर वे कहते हैं—“विटिश सरकार ने अपनी यह नीति जाहिर की थी कि धर्म के सबध में तटस्यता रक्खी जायगी, अतएव अब विजेता के धर्म का खुला प्रचार करने देना और पराजित लोगों के धर्म की खुली निन्दा करने की इजाजत देना उसके विरुद्ध है। दूसरे हिन्दू व मुसलमान धर्मों के दोप - दर्शन के ही

* Ibid p 468

लिए व्याख्यान देना अथवा पत्र - पत्रिका बॉटना अनुचित है। तीसरे, भौतिक उन्नति का प्रलोभन देकर धर्मान्तर करना अश्लाभ्य है। सरकार के बगाली प्रजाजन दुर्बल और दरिद्र हैं — अग्रेजों का नाम सुनते ही वे भयभीत हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर राज - सत्ता की सहायता से सख्ती करना बहुत निंद्य है।” इस तरह हिन्दू धर्म पर होनेवाले पादरियों के आक्रमण का प्रतिकार करना भी राजा राममोहन राय का एक अग्रीकृत कार्य था, परन्तु ब्रह्म समाज की स्थापना करने में ईसाई धर्म का प्रतिकार करना, यह मूल प्रेरक भावना नहीं थी। हिन्दू धर्म में सुधार किया जाय, एकेश्वरी धर्म का सर्वत्र प्रचार करके यह बताया जाय कि सब धर्मों का अतरंग एक ही है, और इस तरह ससार के धर्म - भेदों का अधकार दूर करनेवाले सार्वत्रिक विश्व - धर्म के सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैलाना उनकी एक बड़ी महत्वाकान्दा थी।

“जिस तरह भिन्न - भिन्न शरीरस्थ जीवात्मा उन - उन शरीरों को चैतन्य देकर उसका नियमन करते हैं, उसी तरह अलिल विश्वरूप समष्टि शरीर को चैतन्य देकर उसका नियन्त्रण करनेवाले एक सत्त्व की हम आराधना करते हैं। हमारी इस श्रद्धा को यद्यपि हमारे धर्म के आधुनिकों ने छोड़ दिया है तथापि वह पवित्र वेदान्त - धर्म से सम्मत है। हम सब प्रकार की मूर्ति - पूजा के विरुद्ध हैं। परमेश्वर की प्रार्थना का हमारा एक ही साधन है — भूत-दया अथवा परोपकार - भाव से परस्पर व्यवहार करना।”*

राजा राममोहन राय ने वेदान्त तथा ईसाई और इस्लाम धर्मों के तत्वों का अच्छा अध्ययन किया था। उनकी धर्म - जिज्ञासा बड़ी प्रखर थी और उनकी बुद्धि निष्पक्ष, निरहकार और सर्व - सग्राहक थी। हिन्दू - समाज का उद्धार करने की ‘तड़प’ उन्हें उपनिषदों के वेदान्त से मिली थी। अंग्रेज राज - काजी उनसे ईसाई - धर्म ग्रहण करने की आशा रखते थे और पादरी उन्हें इसका खुला उपदेश भी करते थे। क्योंकि वे मानते थे कि हिन्दू लोगों के ईसाई हो जाने से अपने राजनैतिक और व्यापारिक साम्राज्य को स्थिरता मिलेगी।

वेदान्त - प्रतिपादित परमात्मा के स्वरूप का शुद्ध और उच्च ज्ञान लोगों

* Raja Ram Mohan by Nalin C Ganguli P 69-70

को मिले, इसलिए राजा राममोहन ने काफी प्रचार-कार्य किया। वे ईसाई मनव हब की खुली तारीफ करते थे, ईसा-मसीह को पूज्य मानते थे और कहते थे कि नीतितत्वों का जितना सामूहिक विवेचन ईसाई-धर्म में किया है उतना मैने किसी धर्म में नहीं देखा। इससे ईसाई-धर्म-प्रचारकों को यह ख्याल हो गया था कि वे ईसाई हो जायेंगे। वे यह तो मानते थे कि ईसा के जीवन और उपदेश का सदेश दैवी है। वे उस महान् विभूति के प्रति आदर भी करते थे और समझते थे कि ईसा के चारित्य से मनुष्य की नैतिक उन्नति में जितनी सहायता दुई है उतनी और किसी से नहीं, परन्तु ईसाइयों का यह मत उन्हें मान्य नहीं था कि ईसा ईश्वर का प्रत्यक्ष पुत्र था। इस कारण पादरी लोग उनसे नाराज भी रहते थे।

उनका यह मत था कि हिन्दुओं का उद्धार वेदान्त के आधार पर, मुसलमानों का कुरान के सहारे और ईसाइयों का इज़्लील की सहायता से किया जाय। और ऐसा करते हुए प्रत्येक धर्म के शुद्ध एकेश्वरी विचारों के लोग परमेश्वर की उपासना करने या तत्वज्ञान की देन-लेन करने के लिए एकत्र हों—इसी में सारे जगत् के उद्धार का बीज उन्हें दिखाई देता था। उनका यह विश्वास था कि तलवार, बदूक, लोभ, मोह अथवा नीति की सहायता में धर्मान्तर का आन्दोलन चलाने और दूसरे के धर्म की निंदा करके धर्म-कलह फैलाने में ससार का किसी प्रकार हित नहीं है। वे मानते थे कि नीति-प्रचार में ईसाई-धर्म आगे निकल गया है, मुसलमानों का देवता-काण्ड (Theology) शुद्धतम् है और हिन्दुओं का वेदान्त-सिद्धान्त अत्यत प्रगल्भ है। ब्रह्म समाज किसी भी ग्रन्थ को ईश्वर-निर्मित नहीं मानता। वह एक शुद्ध और बुद्धिगम्य एकेश्वरी पथ है। सब धर्मों का सशोधन करके उन्हें एकेश्वरी रूप देना और सब तरह की मूर्ति-पूजा नष्ट करना उनका ध्येय था। फिर भी उनका यह मत था कि प्रत्येक धर्म का सशोधन उसी परम्परा के लोगों को करना चाहिए। इसलिए वे अपने को 'एकेश्वरी हिन्दू' (Hindu Unitarian) कहा करते थे।

राजा राममोहन राय के धार्मिक सुधार की नीति दो प्रकार की थी एक तो वे हिन्दू समाज के बाह्य विधि-विधानों और कर्मठता की जड़ को

खोद डालना चाहते थे, क्योंकि इन बाहरी आधारों के फेर में पड़ जाने से अन्तःकरण की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति, जो धर्म का मूल उद्देश्य है, वह एक तरफ रह जाता है और धर्म को सकाम कर्म का बाजार स्वरूप प्राप्त हो जाता है। भौतिक फल के लिए भौतिक प्रयत्न करना छोड़कर मनुष्य दैववादी, आलसी और अन्धा नन जाता है, एवं चमत्कार और अद्भुतता के चक्र में पड़कर सुष्टि-नियमों का ज्ञान प्राप्त करने से विमुख हो जाता है। प्रत्येक धर्म - सुधारक को सकाम ब्रतादि, धर्म के बाहरी क्रिया - काड का खडन करके धर्म का अन्तरग लोगों के सामने रखना पड़ता है। भागवत - धर्म के सन्तों ने भी मध्ययुग में यह काम किया था, और वेदान्त के आधार पर शुद्ध परमार्थ - ज्ञान का प्रचार किया था।

राजा राममोहन राय मायावाद को मानते थे और उसका समर्थन भी करते थे, परन्तु माया को वे एक अव्यक्त परमात्मा की शक्ति मानते थे। माया को परमात्मा की शक्ति मानने से निर्गुण ब्रह्मवाद का महत्व कम हो जाता है, इसलिए शाकर-वेदान्त के साम्रदायिक अनुयायी उसे शक्ति नहीं कहते और न यही मानते हैं कि इस शक्ति की सहायता से परमात्मा ने जगत् निर्माण किया है। क्योंकि उनके मतानुसार जग और माया दोनों असत् अर्थात् मिथ्या हैं। इसी में निवृत्तिमार्ग का उद्गम हुआ है। राममोहन राय निवृत्ति मार्ग के अनुयायी नहीं थे और जगन्मिथ्यावाद उन्हे मान्य न था। जगन्मिथ्या अथवा इसके जैसे उपनिषद् के वचनों का अर्थ इन्होंने यह किया है कि परमात्मा के अतिरिक्त जगत् का स्वतत्र अस्तित्व नहीं है। वे वेदान्त को प्रवृत्ति - पर बनाने के पक्ष में थे और आधुनिक समय में उन्होंने निवृत्तिपरक समाज को कर्म-प्रवण बनाने का प्रथम प्रयत्न किया है। उनका यह भी मत था कि वेदान्त-ज्ञान के साथ ही हिन्दुओं में भौतिक विद्या का ज्ञान भी फैलाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सरकार-द्वारा समृद्धि अध्ययन पर होनेवाले खर्च को कम करके पश्चिमी शिक्षा और विद्याओं के लिए खर्च करने पर जोर दिया।

इंग्लैण्ड में जबसे लाडे बेकन ने अनुभवगम्य ज्ञान का युग शुरू किया, तबसे मनुष्य को यह विश्वास होने लगा कि हम अपने ज्ञान - बल के द्वारा

किसी पर प्रभुत्व कर सकते हैं और ज्ञान-प्राप्ति के साधन की दृष्टि से ग्रथ प्रामाण्य की अपेक्षा अनुभव-प्रामाण्य और बुद्धि-प्रामाण्य को श्रद्धिक-प्रभुत्व मिलने लगा। वस्तुतः ग्रन्थों की उत्पत्ति भी मनुष्य के अनुभव और तर्क से होती है, परन्तु ग्रथकार के प्रति रहनेवाले पूज्य भाव से विभूति-पूजा जन्मती और विभूति-पूजा का अन्त ग्रथ-विशेष को परमेश्वर-निर्मित मानने की प्रवृत्ति में होता है। ऐसा होने पर ग्रथ-प्रामाण्य का अतिरेक होता है और मनुष्य की बुद्धि अपने अनुभव से न चलकर अथवा स्वतंत्र तर्क का उपयोग न करके प्राचीन ग्रन्थों की और उनके शब्दों और वचनों को ढासी बन जाती है। इस तरह अगली पौढ़ी जब पिछली पौढ़ी की दासता स्वीकार कर लेती है तब ज्ञान की प्राप्ति रुक जाती है और मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग सिर्फ शब्दार्थ करने में ही करने लगता है। वह यह भूल ही जाता है कि अनुभव और तर्क से हो सुष्ठि का ज्ञान धारे-धीरे होता है। पेशावार्इ के अतिम और ब्रिटिश राज्य की स्थापना के समय हमारे शास्त्री-परिणतों की यही अवस्था हो गई थी।

इस ग्रन्थ-प्रामाण्य के युग के विशद् वगावत का भरणा खड़ा करने का श्रेय हमारे यहाँ आधुनिक काल में राजा राममोहन राय को देना होगा। ब्रह्म समाज अथवा प्रार्थना समाज की स्थिति के सम्बन्ध में डा० भाडारकर कहते हैं—“प्रार्थना समाज वेद को ईश्वर-प्रणीत नहीं मानता। यही सत्य-पन्थ है। धर्म का बीज सबके अन्त-करण में है और यह ईश्वर से मिला हुआ है। किसी के हृत्य में यह प्रफुल्लित, विकसित मिलता है और ऐसी के उपदेश अथवा ग्रन्थों के द्वारा दूसरों को धर्म-सबधी जान होता है। इस तरह ईश्वर ही अपना ज्ञान विकसित करता है और यह क्रम शुरू से अवृत्तक चला आ रहा है। एक ही समय अथवा एक ही व्यक्ति को ईश्वर ने सारा धर्म-ज्ञान दे दिया—यह सम्भवनीय नहीं। क्योंकि धर्म सर्वदा विकासशील है। परमेश्वर धर्म तत्वों का प्रचार मनुष्यों के द्वारा ही करता है और मनुष्य की शक्ति परिमित है। उसकी दुर्बलता के कारण सत्य बहुत बार एक तरफ रह जाता है और असत्य की तरफ वह झुकने लगता है। इस कारण सभी धर्मों में सत्य है और असत्य भी है। इसलिए असत्य को छोड़कर हमारी वृत्ति हमेशा सत्य ग्रहण करने की ओर रहनी चाहिए।

वेद में प्रार्थना समाज के सब तत्वों का बीज मात्र है। उपनिषद् और गीता में वह विकसित हुआ है।” *

इसलिए वह सब धर्मों के प्रति सम्बुद्धि रखकर सार्वत्रिक अथवा विश्व-धर्म का विश्वास करने के पक्ष में है। हिन्दुओं के वेदान्त-सिद्धात से उन्हें लौंग्यापक और सहिष्णु वृत्ति मिली है, लेकिन इसाई धर्म-प्रचारक और इस्लाम धर्मानुयायी को वह नहीं पटती है। यूरोप में यह बौद्धिक दासता वेकन के बाट नष्ट हो गई और लोग भौतिक ज्ञान में आगे बढ़ गये। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे देश में पश्चिमी शिक्षा व ज्ञान के प्रचार के लिए अनेक उद्योग हुए। राजा राममोहन राय के सर्वांगीण सुधार का यह दूसरा अङ्ग था। उन्होंने भिन्न-भिन्न शिक्षा-संस्थाओं के द्वारा दोना दिशाओं में प्रयत्न किया। समाज-सुधार की दिशा में सती-प्रथा को मिटाने के आनंदोलन में प्रमुख भाग लिया। सती-प्रथा, स्त्री-दास्य की एक प्रतांक थी। राममोहन राय ने स्त्री-स्वातंत्र्य के व्यापक प्रश्न को प्रथम गति दी और स्त्रियों को घर की सपत्नि में विरासत का हक मिले, इसका भी प्रयत्न किया। कन्या-विक्रय, वहु-विवाह आदि कुरीतियों बन्द करने के लिए भी उन्होंने लोक-जागृति की।

सती की प्रथा तो लार्ड बेटिंक ने कानून - द्वारा बन्द कर दी, परन्तु उसमें लोगों की दुर्व्वलता और भीस्ता का सहारा लिया गया था। जिस विभाग में सती की प्रथा थी, उसकी प्रतिकार-भावना बिलकुल मृतवत् हो गई है, वे दुर्व्वल और भीर हैं, इसका फायदा उठाकर लोगों के भाव और मत के विरुद्ध किसी विदेशी सरकार का कोई कानून लोगों पर लादा जाना, राष्ट्रीय दृष्टि से प्रशस्त नहीं मालूम होता। राष्ट्रीय राजनीति की लड़ाई में असली पूँजी लोगों की प्रतिकार-भावना ही है। यह पूँजी यटि न रही तो लोग विदेशियों के अत्याचारों के खिलाफ वगावत कैसे करेगे? इसी विचार को लेकर १८ वीं सदी के अन्त में राष्ट्रीय राजनीति की नींव डालनेवाले लो० तिकल ने विदेशी सरकार के कानून के द्वारा सामाजिक सुधार करने के तरीके के खिलाफ आवाज उठाई थी।

परन्तु अभी हिन्दुस्तान में आधुनिक राष्ट्रवाद का निर्माण होना बाकी

* डा राठ गो० भारडारकर याची धर्म पर व्याख्याने ४-३७६

था। राजनैतिक गुलामी सच्चे सामाजिक व धार्मिक सुधार में कैसी विधातक होती है इसका अनुभव सर्वांगीण सुधारकों को होना चाही था। उस समय के शिक्षित लोग यह साफ तौर पर नहीं जानते ये कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही हमारी आर्थिक उन्नति में किस तरह से बाधक हो रही है। राजा राममोहन राय को इस बात की बड़ी चिन्ता थी कि ब्रिटिश सत्त्वा के खिलाफ लोगों की प्रतिकार - भावना जाग्रत न हो और लोग बगावत न कर बैठें। आधुनिक राष्ट्र - निर्माण के लिए आवश्यक सामाजिक और धार्मिक मनोरचना आज लोगों में नहीं है और उसके होने तक अँग्रेजी राज्य का रहस्य आवश्यक है, ऐसा वे मानते ये। १६वीं सदी के चौथे चरण में इस विश्वास को धक्का पहुँचाने वाली विचार-सरणि और मनोरचना शिक्षित वर्ग में निर्माण होने लगी।

'सामाजिक सुधार' शब्द में खी - शूद्र को अर्थात् समाज के दीन, दुर्वल, दर्शित लोगों को समानता प्राप्त करा देना मुख्य है। यह समता-तत्त्व श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और मध्ययुगीन साधु - सन्तों के ग्रन्थों और प्रयत्नों में मिलता है। समाजशास्त्र की दृष्टि से विचार करे तो प्राचीन और मध्ययुगीन धर्म - सुधारकों की तरह अर्वाचीन सुधारकों को समत्व-भाव की अध्यात्म - वृत्ति से अपने सुधारों का आधार मिला था। फिर भी यह समता किस परिस्थिति में कितनी अमल में लाई जाय, इसका विचार समाज के भौतिक ज्ञान और साधनों की दृष्टि से करना चाहिए। आर्थिक समता सामाजिक समता का आधार है, भगव आर्थिक समता समाज की घनोत्पादन कला व पद्धति की प्रगति पर और आध्यात्मिक उन्नति पर अधलमिलत है। इस दृष्टि से विचार किये बौगर वर्ण - मेद और जाति - मेद इष्ट वा अनिष्ट इसका सही निर्णय नहीं हो सकता। १६वीं सदी में जो व्यक्तिवादी सामाजिक तत्वज्ञान अँग्रेजों द्वारा हिन्दुस्तान में आया उसमें यह विचार नहीं था और इसलिए वह भारतीय सुधारकों में नहीं पाया जाता। उनको विचार - श्रेणी में भूत - दया व समता इस आध्यात्मिक वृत्ति तथा व्यक्तिवादी अर्थोन्नति व राष्ट्र - भावना (Individualist Nationalism) की ही प्रधानता थी।

राजा राममोहन गय इस बात को तो जानते ये कि हमारे समाज के

आर्थिक संगठन में एक जब्रदस्त उथल - पुथल हो रही है। पहले समाज में एक जमीदार-जागीरदारों का उच्चवर्ग था और दूसरा गरीब और दुर्वल किसानों का। व्यापारी व कारीगरों के पास बहुत धन - सम्पत्ति न थी। यह स्थिति बदलती जा रही है और उसकी जगह अँग्रेज व्यापारियों और पूँजीपतियों के सहारे एक मध्यम व्यापारी व शिक्षित वर्ग हमारे समाज में बनता जा रहा है और उसकी सम्पत्ति बढ़ती जा रही है। वे इस आर्थिक बनाव - विगाड का महत्व भी जानते थे और उन्हें यह आशा थी कि अन्त में डसी वर्ग में से राजनैतिक लोक-सत्ता का आन्दोलन करने-वाला दल तैयार होगा और इंग्लैड की तरह यहाँ भी लोक - नियन्त्रित राज - सत्ता स्थापित हो जायगी, परन्तु वे यह नहीं जानते थे कि इस वर्ग की वृद्धि और उन्नति में भी ब्रिटिश साम्राज्य बाधा ढाल रहा है। वे यह भी नहीं जानते थे कि इस व्यापारी मध्यम वर्ग में से कारखानेदारी निर्माण होने के लिए हमें सरक्षक चु गी अथवा स्वदेशी जैसे आन्दोलन की जरूरत रहेगी। और उसमें ब्रिटिश शासक, अँग्रेज व्यापारी और अँग्रेज पूँजी-पतियों का हिन्दुस्तानी मध्यम व्यापारी वर्ग में से पैटा होनेवाले पूँजीवालों का विरोध उत्पन्न होगा। आर्थिक दृष्टि से वे खुले व्यापार के प्रेमी थे। उनका मत था कि ब्रिटिश माल, पूँजी और पूँजीवालों के इस देश में अधिक परिमाण में आने से देश का अहित नहीं, हित ही होगा। हाँ, वे यह जरूर कहते थे कि हिन्दुस्तान से बाहर जानेवाले माल पर अँग्रेज लोग जो भारी कर लगाते हैं वह उन्हें उठा देना चाहिए।

१८२० से १८३० तक राममोहन राय प्रभृति बगाली नेता यह समझते और कहते थे कि हिन्दुस्तान सघन होता जा रहा है, क्योंकि शहरों में मजदूरी की दर बढ़ गई थी, और मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को अच्छी नौकरियों मिल रही थी। परन्तु वे यह भूल जाते थे कि इससे अधिक मात्रा में भाव भी बढ़ गये थे और इसलिए १८-२० वर्ष के बाद ही महाराष्ट्र के 'लोकहितवादी' ने विलायती माल के बहिष्कार और स्वदेशी व्रत की पुकार मचाई।

अब राममोहन राय के राजनैतिक विचारों को देखें। पहले के मुसलमान जमीदारों के शासन में हिन्दुओं को लितने बड़े-बड़े पद व अधिकार मिलते

थे, उतने अँग्रेजी राज में नहीं मिलते। इससे उन्हें दुःख होता था, परन्तु मुसलमानों के शासन की अपेक्षा इसमें नागरिक स्वातन्त्र्य और धर्म-स्वातन्त्र्य मिलता है और जान-माल अधिक सुरक्षित व स्थायी रहता है। फिर इनके साहचर्य से हमारे देश में अनेक विद्या, कला आदि का उदय हो रहा है, इसे वे अधिक महत्व देते थे। नागरिक - स्वातन्त्र्य व धर्म - स्वातन्त्र्य के रहने से हमारे देश में सर्वांगीण सुधार का ज्ञान - रवि उदय हो रहा है और उससे हमारा जो हित हो रहा है उसकी तुलना पहले के बड़े अधिकारों और जागीरों से नहीं हो सकती, ऐसा वे समझते थे। परन्तु जब लाई ब्रिटिश के जमाने में नागरिक स्वातन्त्र्य पर पदाधार हुआ और अखंतारों की स्वतंत्रता छीन लेने का सिलसिला शुरू हुआ तब ब्रिटिश राज्य के प्रति उनकी श्रद्धा को धक्का लगा और ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिश राजा तक टाद मारी। भारत सरकार के अन्याय के विरुद्ध वैध प्रतिकार का यह पहला उदाहरण है। मगर उनके प्रतिकार का कुछ फल न निकला। मुद्रण - स्वातन्त्र्य छीन लिया गया। अखंतारों के लिए इजाजत लेने का कानून बन गया और अखंतारों पर सैंसर बैठ गया। इसके विरोध में उन्होंने अपना अखंतार बन्द कर दिया।

१८३१ में वे विलायत गये। वहाँ ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने उनका खूब सम्मान किया। वहाँ कपनी के बोर्ड आफ कट्रोल को जो मत-पत्रिका उन्होंने भारतीय शासन के संघर्ष में पेश की, उसमें उन्होंने ये मुझाव-पेश किये : (१) पढ़े - लिखे हिन्दुस्तानियों को बड़ी - बड़ी नौकरियाँ दी जायें और अपहूँ लोगों को सैनिक शिक्षा देकर फौजी स्वयंसेवक टल तैयार किये जायें। (२) न्याय और शासन - विभाग अलग - अलग रखें जायें और न्याय - विभाग में हिन्दुस्तानियों की भर्ती अधिक की जाय। (३) सटर ठीवानी अदालत को 'हेव्स कार्प्स रिट' देने का अधिकार देकर नागरिक स्वातन्त्र्य सुरक्षित किया जाय। (४) न्याय-विभाग में पचायत - पद्धति व जूरी - पद्धति का प्रवेश किया जाय। (५) जर्मीनी लगान कम करें। (६) सरकार जर्मीनीरों से कम मालगुजारी ले और इसकी पूर्ति के लिए ऐश - आराम के माल पर कर बैठाया जाय। (७)

इंग्लैड से नमूने के तौर पर कुछ जमींदार यहाँ लाये जायें और उनके द्वारा यहाँ लोगों को कृषि-सुधार की शिक्षा दी जाय। (८) किसानों को मौखिकी हक दिया जाय। (९) भारत-सरकार का विलायत में होने वाला खर्च कम किया जाय और (१०) भारत सरकार को कुछ बातों में विलायत-सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखवा जाय। इसमें प्रतिनिधिक स्थाप्ति करने की मौश नहीं की गई है, परन्तु इसके १५ वर्ष बाट महाराष्ट्र के लोकहितवादी ने पार्लामेंट स्थापित करने की सूचना दी है। इस तरह 'स्वदेशी' की तरह 'स्वराज्य' की कल्पना का स्पष्ट उच्चार व प्रचार पहले - पहल महाराष्ट्रीय सुधारक ने किया।

अब यहाँ पर महाराष्ट्र के आदि सुधारकों से परिचय कर लेना ठीक होगा। महाराष्ट्र में सुधार-आनंदलन का जन्म बंबई में १८४० के लगभग हुआ। पहले - पहल श्री बालशास्त्री जॉथेकर ने १८३२ में 'दर्पण' नामक सासाहिक और 'दिग्दर्शन' नामक मासिक शुरू किया। इन्होंने विधवा-विवाह का तथा पतित-परावर्तन अर्थात् दलितोद्धार तथा शुद्धि का श्री-गणेश किया। इनके सहायक थे मराठी के सुप्रसिद्ध व्याकरणकार श्री दादोबा पाहुरंग तर्खंड और बंबई के नगरसेठ श्री जगन्नाथ नाना शकर सेठ। श्री दादोबा पाहुरंग ने १८४० में बंबई में एक 'परमहस मडली' नामक गुप्त संस्था जाति - मेद को तोड़ने के लिए स्थापित की। इसी संस्था की राख में से १८६७ में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। स्व० रानडे व भारडाकर - जैसे विद्वान और सुशील लोगों का हाथ इसमें होने के कारण कुछ समय तक इसका खूब बोल-बाला रहा। फिर भी वगाल की तरह महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज को अधिक महत्व नहीं मिला। महाराष्ट्र में चिपलूणकर, आगरकर और तिलक इन तीन महान् विभूतियों ने राष्ट्रवाद और बुद्धिवाद की स्थापना की। १८८० में तिलक-आगरकर ने आजन्म देश-सेवा की दीक्षा लेनेवाले लोगों का एक दल खड़ा करने की जो अपूर्व प्रथा डाली, उससे प्रार्थना समाज की सुधारक-मडली का तेज फीका पड़ गया और महाराष्ट्रीय युवकों के हृदय में तिलक-आगरकर ने घर कर लिया। फिर भी महाराष्ट्र में सर्वांगीण सुधार का सर्वव्यापक और सर्वस्पर्शी विचार लोगों के सामने रखने और राजनैतिक

तथा आर्थिक अवनति से अपना सिर उँचा उठाने का नवीन मार्ग सरदार गोपालहरि देशमुख उर्फ 'लोकहितवादी' ने दिखाया। पहली पीढ़ी में यदि यह सम्मान 'लोकहितवादी' को मिला तो दूसरी पीढ़ी में इस गैरव की माला स्व० रानडे के गले में डालनी पड़ेगी। १८३४ में लोक-हितवादी ने सुभाषा था—'हम सब गरीब-अमीरों को मिलकर रानी के पास एक अर्जी भेजनी चाहिए कि वर्तमान शासन - पद्धति से हमें लाभ नहीं हैं और हमारे राज्य - सबधी हक मारे जाते हैं। अग्रेज भी वैसे ही मनुष्य हैं जैसे कि हिन्दू। इनका वर्तमान भेट मिटाकर हँहे एक समान बनाने के लिए हिन्दुस्तन में पार्लामेंट स्थापित की जाय और उसकी बैठक बम्बई में हो। उसमें सब जातियों और स्थानों के समान प्रतिनिधि हों। तभी लोगों की दरिद्रता दूर होगी और अगेजों का यह भ्रम भी दूर होगा कि भारतवासी मूर्ख हैं। इससे राज्य में उत्तम सुधार होंगे और लोगों को यह सहज दिखाई पड़ेगा कि राजा के शासन में क्या सुख था और लोकसत्त्वात्मक राज्य में क्या सुख है।'^{१३} इस अवतरण से लोकहितवादी की बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और देश-सुधार के उपाय का अचूक निटान ये गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं।

परन्तु राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए केवल बौद्धिक साहस अथवा प्रतिभा-सम्पन्न कवि-कल्पना काफी नहीं होती। उसके लिए असाधारण स्वार्थ-त्याग, दीर्घकालीन उद्योग और निश्चय, सगठित लोकमत की शक्ति और उस शक्ति को जाग्रत करने के लिए आवश्यक राजनीतिज्ञता और दुर्बल, भीरु, स्वार्थी लोक-समाज में स्वार्थ-त्याग, धैर्य, आत्मविवास और प्रभावकारक सामर्थ्य-निर्माण करने के लिए आवश्यक साहस, और दृष्ट-निश्चय इन गुणों से मणिषत चारित्र्य नेता के पास होना चाहिए। ऐसे नेता महाराष्ट्र को १८८० के लगभग चिपलूणकर, आगरकर और तिलक के रूप में मिले।

लोकहितवादी के समय में ही विष्णुबुवा ब्रह्मचारी ने 'सुखदायक राज-प्रकरणों' नामक निबन्ध में समाजवाद का प्रतिपादन किया है—यह देखकर सबको आश्र्य होगा। वे कट्टर ब्राह्मण थे और हमारी प्राचीन सकृति में से ही हमें अपने भावी अभ्युदय का मार्ग मिलेगा—ऐसा उनका ख्याल था। वे कहते हैं—

“सब लोग मिलकर सारी जमीन जोतें और बोवें और हर गॉव में अनाज के कोठार रखें जायें और उनमें से ग्रामवासी पेटभर शक्ति और पशुओं के लिए आवश्यक धान - दाना ले लिया करें। यह सब पैदावार एक के ही कब्जे में रहे और सब उससे आवश्यक सामग्री ले जायें। राजा को चाहिए कि वह सूत, ऊन, रेशम के कपड़े तैयार करावे और जिसको जिस कपड़े की जरूरत हो वह ले जाय। गहने भी गढ़वा के हर गॉव में रखें जायें और सब स्त्री - पुरुष उनका इस्तेमाल करें। हर प्रकार के शस्त्र, यन्त्र और खेल प्रत्येक गॉव में रहें। रेल और तार भी रहें। राजा, कारखाने के मालिक और किसान सब एक - सा अहिंसक भोजन करें और वह सबको एक ही कोठार से मिले। सबकी शादियाँ राजा विवाह - विभाग के द्वारा घर - घटू की हच्छा और रजामन्डी से कराये और जिसको कोई स्त्री पसद न हो या जिसे कोई पति पसद न हो, उसे दूसरी स्त्री या पति का प्रबन्ध कर दिया जाय अर्थात् स्वयंवर की प्रथा डाली जाय। पाच वर्ष का बालक होते ही उसे राजा के तावे कर दिया जाय। उसकी शिक्षा - दीक्षा और काम - घन्थे का प्रबन्ध राजा करे। बृद्ध स्त्री - पुरुषों को पेंशन मिले और इन भिन्न - भिन्न विभागों के लोग पालामैंट के सभासद हों।”*

कार्ल मार्क्स से अपरिचित विष्णुबुवा को ये कम्युनिज्म के ढग के विचार सूझे कैसे ? इसका जवाब यह है कि एक ही बाह्य परिस्थिति को देखकर सात्त्विक व राजस अथवा परार्थी व स्वार्थी मन पर भिन्न - भिन्न परिणाम होते हैं। इन्द्रियों के द्वारा मन पर श्रूद्धि पर होनेवाले स्तकार एक से होते हैं, परन्तु जिसकी श्रूद्धि स्वार्थ से मलिन हो गई है उसे उनमें से स्वार्थ का मार्ग सूझता है और जिसकी श्रूद्धि परार्थी बनी हुई है उसके उस स्थिति में परार्थ का मार्ग दिखाई दे जात है। ऐसी दशा में सन्यस्त - बृत्ति और लोक - कल्याण में ही आनन्द माननेवाले सात्त्विक शुद्ध मन में पूर्वोक्त सर्व - सुख और समान - सुख की कल्पना क्यों न आनी चाहिए ?

लोकहितवादी की धर्म - सुधार - सम्बन्धी सूचनाएँ इस प्रकार हैं :

* ‘आजकालचा महाराष्ट्र’, पृ० ११२-११३

- (१) सब लोग ईश्वर का भजन सच्चे मन से करें ।
- (२) अपने जैसा ही दूसरे को समझे ।
- (३) उपनयन, विवाह और अत्येष्टि किया—इन तीन सकारों के अलावा सब सकार रद्द किये जायें—जो कर्म कराये जायें वे स्वभाषा में हों ।
- (४) अपने विचार के अनुसार लिखने बोलने और चलने की आजादी रहनी चाहिए ।
- (५) धार्मिक तथा लोक-व्यवहार में श्री-पुरुषों के अधिकार समान हों । इसमें विधवा-विवाह आ गया ।
- (६) लोकाचार की अपेक्षा नीति को प्रधानता दी जाय ।
- (७) बेमतलब की कोई बात न बोलनी चाहिए ।
- (८) किसी मनुष्य को तुच्छ न समझना चाहिए । जाति - अभिमान न रखना चाहिए । सबके साथ दया का व्यवहार किया जाय और सबका कल्याण करना चाहिए ।
- (९) स्वदेश के प्रति प्रीति और उसका कल्याण विशेष रूप से किया जाय ।
- (१०) जिसको जो धन्या पसद हो वह करे ।
- (११) जाति - मेद का आधार गुण व कर्म हो, कुल न हो ।
- (१२) सरकार से प्रजा के अधिकार अधिक हों अर्थात् जनता के लिए जो कानून हितकारी हों वे सरकार से लढ़कर बनवाने चाहिए ।
- (१३) जो नियम राजा ने बनाये हों और जो ईश्वरी बुद्धि - सूचित हो उन्हें मानना चाहिए ।
- (१४) सब विद्या - बुद्धि के लिये परिश्रम करें । दुखी को सुख, दीमार को दवा, मूर्ख को ज्ञान व कगाल को धन यथा - शक्ति देना चाहिए ।
- (१५) सब सत्य पर चलें— सत्य के चिरुद्ध कुछ न करे ।

इन प्रन्द्रह नियमोंमें स्वदेश - भक्ति, लोक - सत्ता, विद्या - बुद्धि इत्यादि सब बाते आ जाती हैं । इनके समकालीन एक दूसरे सुधारक ज्योतिराव फुले थे । उन्होंने महाराष्ट्र में आग्राहण - आनंदोलन को जन्म दिया । उसमें स्थापित सत्यशोधक समाज के द्वारा सामाजिक आनंदोलन को सामाजिक वर्ग - विश्रह का रूप प्राप्त हुआ । आग्राहण जाति के प्राधान्य के खिलाफ यह

हलचल अब्राह्मणों में सामिग्री के पैदा करने की विधि से आवश्यक भी थी। इसने ब्राह्मण-जाति के दुराराध्य व दुराग्रही लोगों को सामाजिक समता के तत्व पर विचार करने के लिए वाध्य करने का काम किया भी। लेकिन इस आन्दोलन के उत्पादकों और प्रचारकों में ब्रिटिश राजनीति को पहचानने की योग्यता न थी— इससे कुछ समय तक यह नौकरशाही के हाथ की कठपुतली बनती रही और माटेगृ - सुधार के बाद इसने अराध्य राजनीति का विधातक रूप धारण किया। महाराष्ट्र में अस्पृश्यता-निवारण के आन्दोलन का प्रथम श्रेय श्री ज्योतिराव फुले को ही प्राप्त है।

१८६७ में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। उसके आचार्य थे स्व० डा० भाएड़ारकर और रानडे। इनमें रानडे ही वास्तविक सर्वभौतिक सुधारक थे। वे प्रार्थना समाज को हिन्दू धर्म का ही एक सुधारक पंथ मानते थे। दोनों हिन्दू धर्म के बड़े अभिमानी थे। 'ईश्वरः सर्वभूताना द्वद्देशोऽर्जुन तिष्ठति' इस तत्व का उन्हें विशेष अभिमान था। प्रार्थना भौतिक फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के ही लिए करनी चाहिए— ऐसा उनका मत था। प्रार्थना समाज ने भौतिक धर्म-हारों में अवैज्ञानिक चमत्कारों को हटाया है। अवतारों को वे सर्वाश में देवता नहीं, बल्कि परम आदरण्य व पूज्य विभूति मानते थे। मूर्ति-पूजा के वे खिलाफ थे। उनके मान्य सामाजिक सुधारों का समावेश 'लोक हितवादी' के १५ नियमों में हो जाता है।

१८७० के बाद महाराष्ट्र के इतिहास को एक नई दिशा मिली और उसका प्रभाव सारे भारवर्ष पर पड़ा। १८७१ में सार्वजनिक सभा स्थापित हुई। १८७४ में चिपत्लूणकर की निवधमाला शुरू हुई। १८८० में न्यू इरिलश स्कूल, केसरी व मराठा का जन्म हुआ। १८८५ में राध्य महासभा - कांग्रेस को स्थापना हुई। १८८८ में 'सुधारक' निकला। १८८५ में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक सभा हस्तगत की, आगरकर का शरीरान्त हुआ और पूना के उद्घारक बनाम सुधारकवाद को गरम-नरम राजनैतिक बाद का रूप मिलने लगा। इस वर्ष महाराष्ट्र में जो दो राजनैतिक दल बने उन्होंने सारे भारत खण्ड में प्रचारण आन्दोलन खड़े किये और १९२० तक के उसके इतिहास पर अपना छाप डाली है।

‘दद्दू में कांग्रेस की स्थापना होने के पहले ही टादाभाई और रानडे ने भारतीय राजनीति और अर्थनीति की नींव डाल दी थी। इन दोनों विभूतियों के विचारों में आगे की नरम - गरम राजनीति के बीज दिखाई देते हैं जिसका अवलोकन हम अगले प्रकरण में करेंगे।

: ४ :

भारतीय राजनीति और अर्थनीति का पाया

“I entreat most earnestly that the first element viz the material condition of India— may be most carefully listed , and the necessary remedies be applied If this question be not boldly and fairly grappled with, it will be, in my humble opinion, the principal rock on which the British rule will wreck It is impossible for any nation to go on being impoverished without its ultimate destruction or the removal of the cause ” —Dada Bhai, in 1871.

“Be united, persevere and achieve self - government so that the millions that are perishing by poverty, famine and plague and the scores of millions that are starving on scanty subsistence may be saved and India may once more occupy her proud position of yore among the greatest and civilized nations of the world.”

“Self - government is the only and chief remedy In self - government lies our hope, strength and greatness ”

—Dada Bhai in 1906.

उन्नीसवीं सदी के मध्य में अर्वाचीन राजनीति की बुनियाट डाली गई। १८३३ में जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नई सनद दी गई तब उस समय के कानून में एक इस आशय की धारा भी डाली गई कि किसी भी भारतीय को धर्म, देश, वश या वर्ण के कारण कपनी की नौकरी,

अधिकार श्रथवा पद के लिए अयोग्य न समझा जायगा । इसका जो कुछ भाष्य तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लार्ड मेकाले ने किया उससे यह नतीजा निकलता है कि उन्हें स्वार्थ, कीर्ति और राजनीति इन सब दृष्टियों से लोगों को धीरे-धीरे सुधार कर उच्च अधिकार देना और उनकी सुविधिति में अपना स्वार्थ देखना अभीष्ट था । राज्य की अपेक्षा व्यापार की ओर उनका ध्यान अधिक था । सच पूछिए त व्यापारी सस्कृति का यह एक उच्चतम स्वरूप है । उसमें दूरदर्शी स्वार्थ का ही अर्थ 'परार्थ' किया जाता है । इस सस्कृति का हीन स्वरूप है परार्थ का दोग करके दूसरे को ठगना । ऑग्रेज शासक की अपेक्षा व्यापारी अधिक हैं और साम्राज्य-लोभ से व्यापार-लोभ उनके रोम-रोम में अधिक समाया हुआ है । उनके देश जीतने का हेतु व्यापारी, उन की लूट व्यापारी, उनकी नीतिमत्ता व्यापारी और धर्म भी व्यापारी । लक्ष्मी उनकी आराध्य देवी और स्वार्थ-पोषक परार्थ उनका परमार्थ और वही उनका मोक्ष ॥ अमरीका के स्वतन्त्र हो जाने पर भी उनके द्वारा उलटा इङ्गलैण्ड का व्यापारिक लाभ बढ़ गया । इस अनुभव से ब्रिटिश लिवरल दल में यह भाव बढ़ रहा था कि साम्राज्यान्तर्गत देश यदि सुसंकृत और सम्पन्न होकर फिर स्वतन्त्र हुए तो उससे हमें आर्थिक हानि नहीं हो सकती । नेपोलियन के परामर्श (१८१५) के बाद ब्रिटिश व्यापारी - वर्ग को यह डर नहीं मालूम होता था कि अपने साम्राज्य के देश दूसरे यूरोपीय साम्राज्य के शासन में चले जायेंगे । उसी प्रकार उन्हें इस समय यह अनुभव हो रहा था कि औद्योगिक क्रान्ति के फल - स्वरूप धनोत्पादन के जो प्रचारण साधन हमें उपलब्ध हुए हैं उनके कारण खुले व्यापार में हमारा कोई सुकाढ़ला नहीं कर सकता । अर्थात् इस समय उनका साम्राज्य-लोभ, जो वास्तव में व्यापार-लोभ से ही पैदा हुआ था, कुछ कम हो गया था । जगत् के सुधार में हमारा लाभ है, क्योंकि जगली लोग हमारे माल की खरीद नहीं कर सकते, यह वेदान्त उस समय लिवरल पक्ष के मुत्सदी दुनिया को सिखा रहे थे ।

इस समय हिन्दुस्तान में जो गोरे अधिकारी, व्यापारी व धर्म-प्रचारक आये थे वे इस वेदान्त का प्रचार लोगों में करते हुए कहते थे कि तुम्हारे शिक्षित, सफल और स्वतन्त्र होने में ही हमारा हित है और यही हमारा

ध्येय है। इस तरह वे यहाँ के शिक्षित लोगों के दिली में ब्रिटिश राज्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करते थे और सासार की सक्षमति में दो-दाई शतक पिछड़ गये हमारे इस वेदान्त को सुनकर उन्हें देवता मानने लगे। पुरुष - परमपरावाले तो यह कहकर रोते थे कि सत्युग में देवता पृथ्वी पर निवास करते थे, अब वे स्वर्ग में रहने चले गये, तो इधर नव - शिर्कृत यह प्रतिपादन कर रहे थे कि स्वतत्र, सुखी व सम्पन्न बनाने के लिए श्रेष्ठों को ईश्वर ने देवदूत के रूप में यहाँ भेजा है। भारतीयों की बुद्धि एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में प्रवेश कर रही थी और उसी को स्वतंत्रता कहती थी। ऐसी आवस्था में भारतीय मानस के लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञता का यह कृष्ण अन्तरग्र अथवा ब्रांटश साम्राज्य का कृष्ण - पक्ष समझ लेना बहुत कठिन था। यह कठिन कार्य जिस एक महात्मा ने किया है, उसे हमने 'आधुनिक भारत के पतामह' की महान् पदवी दी है। इस प्रकरण में हमें इसी बात का विचार करना है कि राष्ट्र-पितामह दादाभाई नौरोजी और स्व० रानडे इन दो अर्थशासन - विशारद् राजनीतिज्ञों ने भारतीय राजनीति और अर्थनीति की नीव कब और किस प्रकार ढाली?

१८३२ में इंग्लैण्ड में पार्लामेंट में सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप व्यापारी कारखानेदारों का प्रभुत्व पार्लामेंट पर अधिक हो गया। इस समय इंग्लैण्ड में इस वर्ग के हित के अनुकूल एक नवीन सामाजिक दर्शन बना। इस दर्शन का टारोपदार व्यक्ति - स्वातन्त्र्य पर था। व्यक्ति-स्वार्थ और राष्ट्र - हित, राष्ट्रस्वार्थ और जगत्कल्पाण इसमें सचमुच द्वैत नहीं है—यह इस तत्वज्ञान का मूलभूत था। इस दर्शन से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि परार्थ में स्वार्थ अपने आप सध जाता है। दूसरा यह कि स्वार्थ साधने में परार्थ अपने आप हो जाता है। जब पहली बात कहते हैं, तब उसमें स्वार्थ का अर्थ बहुत व्यापक और आध्यात्मिक दृष्टि से करना पड़ता है। स्वार्थ - भाव से परार्थ करने के सिद्धान्त पर जो लोग थोड़ा-बहुत भी चलते हैं, उनसे दुनिया का अधिक नुकसान नहीं होता। 'नीति के तौर पर सचाई' से चलनेवालों से लोगों का नुकसान प्रायः नहीं होता। परन्तु जब 'नीति' और 'सचाई' में

अन्तर पड़ता है तब ऐसे लोगों के लिए सचाई को ताक पर रखकर नीति को पकड़ रखने का अन्देशा रहता है, परन्तु दूसरा अर्थ यानी स्वार्थ साधने में ही परार्थ है डस सिद्धान्त को मानकर चलनेवालों से दुनिया का बड़ा नुकसान होता है। १८वीं सदी के मध्य में अंग्रेज सामाजिक तत्ववेत्ता अपने वेदान्त का प्रतिपादन पहले अर्थ में करते थे तो उनके राजनीतिज्ञ उसका आचरण दूसरे अर्थ में करते थे। हमारे शिक्षित लोगों पर ब्रिटिश तत्वज्ञों ने मोहिनी डाल रखनी थी और ब्रिटिश राजकाजी और व्यापारी हमारी जनता को लूट रहे थे। यह 'लूट' लोक-सेवा और लोकहित का जामा पहने हुए थी। व्यापारी अथवा आर्थिक साम्राज्य-शाही का ऐसा ही मायावी मोहक रूप होता है। उस माया के उस पार निगाह पहुँचाकर उसके रक्षणोपक आसुरी रूप को देखकर उसे लोगों और शासक वर्ग के सामने रखना, नित्य के अनेक व्यवहारों में व्यस्त जनता के चित्त को पुनः पुनः उसी सत्य की ओर खीचते रहना, जन्म भर इसी एक सिद्धान्त का और उसके भीपण परिणामों का चिन्तन करना यही एक मार्ग उस समय उस वास्तविक ज्ञान को पाने का अथवा नये यत्र के दर्शन का था। राष्ट्र-पितामह दादाभाई ने अपने सारे जीवन में यही एक कार्य किया और वे अपने जीवन के अन्तिम दिनों में भारतीय जनता को और कांग्रेस को स्वराज्य का मन्त्र देकर ८० वर्ष की अवस्था में राष्ट्रसेवा से निवृत्त हुए। पारसंघ के मोहान्धकार में पड़े हुए और उसी में आनंद माननेवाले अपने अज्ञानी देश-बन्धुओं के अन्तः-करण का जान-प्रदीप उन्होंने प्रज्वलित किया और इस ब्रिटिश मायावी साम्राज्य में अपने करोड़ों देशबन्धु दरिद्रता और फांकेशी में मर रहे हैं और इस मोहान्धकार की कालरात्रि में हम इसा तरह खुराटे भरते रहेंगे तो आखीर भे हम सबका विनाश निश्चित है, इसका ज्ञान भारत-वासियों को सबसे पहले उन्होंने कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि इस भावी आपत्ति को टालने के लिए हमें किन-किन दिशाओं में उद्योग भी करना चाहिए। उन्होंने उन मार्गों पर चलनेवालों का नेतृत्व किया और अन्त में भावी पीढ़ी को अपने कर्तव्य का दिग्दर्शन कराके वे मातृभूमि के ऋण से मुक्त हुए।

१८५२ में दादाभाई ने बम्बई में बाबे एसोसियेशन' की स्थापना की, उधर १८५१ में बगल में श्री प्रसन्नकुमार टागोर, डा० राजेन्द्र लाल मित्र आदि ब्रिटिश इडया एसोल्यैशन नामक राजनैतिक संस्था स्थापित कर रहे थे। ऐसी ही एक संस्था— मद्रास नेटिव एसोसियेशन मद्रास में उदय हुई था। यूना में एक डेक्कन एसोसियेशन बनी। इस तरह १८५१-५२ में ताज बड़े इलाकों की राजधानियों में लोकसत्तात्मक राजनीति का जन्म हुआ। १८५३ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को जो नई सनद देने का कानून बना उसा के द्वारा हिन्दुस्तान में सबसे पहले धारासभा की स्थापना हुई, जिसमें कुल बारह सरकारी अधिकारी सभासद थे। गैर-स कारा या प्रतिनिधि जैस कोई न थे। मगर फिर भी इस सिलसिले में पार्लामेंट में भाषण देते हुए लार्ड डर्बी ने कहा था कि मनुष्यता, उपकारिता, नीतिमत्त और धर्म— सभा दृष्टियों से हमारा यह कर्तव्य है कि भारतीयों को आन्तरिक शासन की देखरेख में अधिकाधिक अधिकार दिया जाय। पार्लामेंट में यह नीति और धर्म की भाषा पहली बार सुनी गई।

परन्तु अनुभव दूसरा ही हो रहा था। १८५३ के कानून में यह आश्वासन दिया था कि दिना जात-पॉत, देश, धर्म के भेदभाव के हिन्दुस्तानेयों को उच्च प्राधिकर दिये जायेंगे, परन्तु १८५३ तक, बीस साल में, इस कानून का फायदा एक भी हिन्दुस्तानी को न मिला। १८५१-५२ से १८०६ तक ५-५.३ मान तक—भारतीय राजनीति में काम करने के बाद दादाभाई ने कहा था— 'शुरू से लेकर अवश्यक मुझे उतनी बार निराश होना पड़ा है कि दूसरा कोई होता तो उसका दिल दूक दूक हो गया होता और मुझे भय है कि वह बागो बन गया होता।' फर भी उन्हें ब्रिटिश न्याय पर विश्वास रहा था और साम्राज्यन्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करना उनका ध्येय था। १८०६ में यही ध्येय उन्होंने कांग्रेस के सामने स्पष्ट शब्दों में रखा था और इसके लिए अव्वरह आन्दोलन करने और करते रहने का मदेश उन्होंने दिया था। हमें जो अपने राजनैतिक उद्देश में सफलता नहीं मिली उसका कारण वे यही बताते थे कि हम आन्दोलन नहीं करते। बंग-भंग आन्दोलन को देखकर उन्हें संतोष

हुआ और वगालियों की वे स्तुति करते थे। मावी पीढ़ी को उन्होंने सन्देश दिया था—“एक होओ। दृढ़ उद्योग से काम ला और स्वराज्य प्राप्त करो।”

आर्थिक साम्राज्यशाही क्या है और विजित राष्ट्र का रक्तशोपण किस प्रकार होता है इसकी ठीक कल्पना दादाभाई के लेख और मापण पढ़ने से होती है। कार्लमार्क्स ने पूँजीवाद की मीमांसा अथवा विश्लेषण किया और बताया कि उसकी रचना में ही किस तरह उसके विनाश के बीज हैं। उसी तरह पूँजीवाद से पैटा होनेवाली आर्थिक साम्राज्यशाही कितनी भयानक है और उसके रक्त-शोपण में ही उसके विनाश के बीज किस तरह छिपे हुए हैं यह दादाभाई ने ससार के सामने रखा। कार्लमार्क्स का जन्म एक स्वतन्त्र पूँजीवादी राष्ट्र में हुआ था और इसलिए उसने एक ही राष्ट्र का एक वर्ग जन-साधारण का रक्त-शोपण किस तरह करता है इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। दादाभाई का जन्म साम्राज्यवादी के जबड़े में फैले परतन राष्ट्र में हुआ था इसलिए उन्होंने इस बात का वैज्ञानिक खोज का कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का रक्त-शोपण कैसे करता है और अपने लोगों को तथा त्रिटिश शासकों को दिखाया कि इसी रक्त-शोपण में साम्राज्यवाद के विनाश के बीज हैं। मार्क्स ने बताया कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोपण को रोकने का उपाय है—समाजवाद। दादाभाई ने बताया कि एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोपण को मिटाने का उपाय है—स्वराज्य। मार्क्स का जन्म जिस देश में हुआ था वह औद्योगिक प्रगति और राजनैतिक स्वातंत्र्य की दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ था और दादाभाई जहाँ जन्मे वह देश दोनों दृष्टियों से पिछड़ा हुआ था। उस कारण दादाभाई ने जिन प्रश्नों को हाथ में लिया उससे आगे की अवस्था में पैटा होनेवाले प्रश्न मार्क्स के विचार में आये—यह उसकी परिस्थिति का परिणाम है। अस्तु।

१८५१ से ७१ तक, वीस वर्ष में, दादाभाई ने इस बात का ठीक अन्दाज कर लिया कि हिन्दुस्तान के धन का शोपण किस-किस तरह हो रहा है और उससे भारतीय जनता किस तरह टरिद्र होती जा रही है एवं उन्होंने अपना यह निश्चित मत बना लिया कि जबतक यह द्रव्य-शोपण

बन्ट न होगा तबतक उसका उद्धार किसी तरह नहीं हो सकता। उन्होंने यह सप्रमाण सिद्ध किया था कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी की वार्षिक आमदनी (२०) रु० है और यह आमदनी उससे भी कम है जो सरकार एक कैदी के लिए खर्च करती है। उनकी राय में इस द्रव्य-हरण के दो रूप हैं— एक राजनैतिक, दूसरा अपारिक अथवा औद्योगिक। यूरोपियन अधिकारी जो रूपया विलायत मेजते हैं, भिन्न-भिन्न जरूरतों के लिए यहाँ तथा विलायत में जो खर्च किया जाता है, इग्लैड में नियुक्त अधिकारियों को जो वेतन और पेशन आदि दी जाती है और भारत सरकार विलायत में जो खर्च करती है यह एक स्वरूप हुआ। और दूसरा स्वरूप है गैर-सरकारी यूरोपियन जो यहाँ से धन कमाकर विलायत मेजते हैं वह। यहाँ से विलायत गया रूपया वे फिर पूँजी के रूप में वापिस लाते हैं और उन्हें मानो यहाँ के व्यापार व उद्योग का ठेका ही मिल जाता है। हिन्दुस्तान में पूँजी जमा नहीं होती है उसका मूल कारण दादामाई की दृष्टि में यह विलायत की ओर बहनेवाली सम्पत्ति की नदी ही है। वे यह नहीं कहते थे कि ब्रिटिश पूँजीपति हिन्दुस्तान में पूँजी न लगावे, उनका इतना ही कहना था कि वे हिन्दुस्तान की लूट बन्ट कर दें, उसे दुखी व असहाय न बनावें और उन्हें लूटकर एकत्र किये धन को अपनी पूँजी न बतावें। १८८० में केपिन कमीशन के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा था—“दूसरे देशों में लगनेवाली और हिन्दुस्तान में लगनेवाली ब्रिटिश पूँजी में मेड है। और देशों में ब्रिटिश पूँजीपति सिर्फ व्याज ही लेते हैं, परन्तु यहाँ तो मुनाफा और डांबडंड भी लेते हैं। इसलिए जबतक यहाँ हिन्दुस्तानी अपनी पूँजी से कास्खाने न खोल सकें तबतक उन्हे सरकार चलावे और उनमें भारतीयों से काम लें, यूरोपियनों से नहीं। इसमें हिन्दुस्तान के शरीर में फिर से स्फूर्ति-सचार होने लगेगा। हिन्दुस्तान को ब्रिटिश पूँजी की जरूरत जरूर है, परन्तु सिफे पूँजी ही चाहिए। अपनी पूँजी को लेकर जो वे इस देश पर हमला करते हैं और पूँजी के द्वारा जो धन पैदा होता है उसे भी खा जाते हैं यह हमें मजूर नहीं है। यह कहना एक गम्भीर है कि हिन्दुस्तान में धन और जीवन चिरस्थायी है।

एक अर्थ में वे सुरक्षित तो हैं अर्थात् अनियत्रित हिन्दुस्तानी राजाओं के अत्याचार में वे सुरक्षित हैं, परन्तु इग्लैड जो हिन्दुस्तान से वित्त-हरण कर रहा है उससे धन और इसलिए जीवन विलक्षुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ यदि कोई सुरक्षित है तो डग्लैड। निश्चित और नि शक है तो इग्लैड। तीन-चार करोड़ पौंड प्रति वर्ष वे हिन्दुस्तान का धन खाते या अपने देश में बहा ले जाते हैं। यहाँ तो जान और समझदारी भी सुरक्षित नहीं है। हिन्दुस्तान के लाखों लोगों का जीवन अधिपेट रोटी, फाकेकशी, अकाल और बीमारी से मौत — यही है।”

“जो द्रव्यहरण इस सदी के प्रारम्भ में हर साल ३० लाख पौड़ हाता था वह आज ३ करोड़ पौड़ हो गया है। मुहम्मद गजनी ने १८ बार हिन्दुस्तान को लूटा। उसकी सारी लूट आपके १ साल की लूट से कम है। फिर उसने जो जख्म किया वह १८ हमले के बाट बन्द तो हो गया, परन्तु आपके किये जख्म से तो खून की धागा बन्द होने की गु जायश ही नहीं। आपका यह वैभवशाली साम्राज्य हिन्दुस्तानियों के धन और खून पर खड़ा है। हिन्दुस्तान अब आपके द्रव्यहरण से विलक्षुल थक चुका है फिर भी रक्त-खाव बन्द नहीं होता। इससे वह मौत की तरफ चला जा रहा हो तो आश्चर्य नहीं।”*

अन्त को दुखी और निराश होकर उन्हें यहाँ तक कह देना पड़ा कि या तो इम रक्त-शोषण से हिन्दुस्तान बरबाट हो जायगा, या फिर वह जाग उठा तो उस चूसनेवाली शक्ति को ही ले जैठेगा।

इस तरह हिन्दुस्तान के सामने सबसे महत्त्व का प्रश्न जनता की दरिद्रता और भुखमरी का था और उसका एक ही उपाय था स्वराज्य। इसका उचार और प्रचार सबसे पहले दाटाभाई ने ही किया। इसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश—यह सब भारतीय जनता के रक्त-शोषण और उसके भयकर दारिद्र्य में है उसका भी वैज्ञानिक प्रतिपादन पहले उन्होंने किया। इस सबका यह स्वाभाविक परिणाम होना था कि सब कार्यकर्त्ताओं की सारी शक्ति राजनीति में ही लगे। उन्हीं के

* Dada Bhai's speeches and writings P 203—4 and 236—38

इन विचारों के कारण हिन्दुस्तान में उग्र राजनीति की बुनियाद पड़ी। १८८० के बाद पूना में चिपलूणकर, आगरकर और तिलक ने जो उग्र विचारों का नया राष्ट्रीय पक्ष बढ़ा किया उसके आधारभूत राजनीति और अर्थनीति के सिद्धान्त दादाभाई के पूर्वोक्त विचारों में मिलते हैं। फर्क इतना ही है कि दादाभाई का विश्वास विटिश न्याय पर कायम रहा और अगली पीढ़ी का उड़ गया तथा वे अपने कर्तव्य पर विश्वास करने लगे।

१८८० से १८८५ तक का समय महाराष्ट्र में बड़े विचार-मत्यन का समय था। इसी बाच वहाँ रानडे टल और तिलक टल बने और आगरकर की सरस्वती इस विवेरणी संगम में कहीं गुप्त हो गई।

दादाभाई और रानडे के विचारों में एक बड़ा मेंद था। दादाभाई हिन्दुस्तान की आर्थिक लूट और उसके राजनैतिक कारण पर ही सारा भार देते थे और श्रीबोगिक सुधार को गौण मानते थे। हिन्दुस्तान के भाषण टारिद्रय से पैटा हानेवाली कान्ति को पूर्व सूचना देकर शासकों का तथा जनता को जागृत करने की उनका सतत प्रवृत्ति भा रानडे की वृत्ति से मिल थी। रानडे की दृष्टि में दादाभाई 'गरम' थे। रानडे का मत था कि विदेशी पूँजी का भारतवर्ष में आना लाभदायी है। उनका कहना या कि यदि हमें श्रीबोगिक उन्नति करना है, और यदि उसके लिए आधशक पूँजी हमारे पास नहीं है और यदि वह हमें अंग्रेज देते हैं तो अच्छी हा बात है। दूसरे देश थट्ट इंग्लैड से पूँजी लेकर मालामाल हाते हैं तो हम क्या न ले ! दूसरे पक्ष का कहना या कि अंग्रेज यहाँ से धन लूट - लूट कर ले जाते हैं—इससे यहाँ पूँजी जमा नहीं होने पाती। फिर यहाँ खाली अंग्रेजी पूँजी ही नहीं आती, अंग्रेज पूँजीपति भी आते हैं और निर्धन पाष्ठर हमें श्रीबोगिक गुलाम बनाते हैं। इसके सिवा बे यह पूँजी भी तो हिन्दुस्तान से ही लूट ले जाते हैं। यह विटिश पूँजी क्या है ? हमारे असहाय देश पर होनेवाला एक श्रीबोगिक चढ़ाई ही है। तिलक-आगरकर की पीढ़ी यह मानती थी कि दूसरे और अंग्रेजों के स्वार्थ एक दूसरे से मिल और विरोधी हैं। इस बात की ओर से श्रौते मूँद लें तो यहाँ राजनैतिक काम नहीं हो सकता। इसी तरह हमारी

अर्थ-नीति भी उनके और हमारे इस विरोध या द्वैत को बिना माने नहीं चल सकती।

लेकिन रानडे के कार्य का महत्त्व एक दूसरी दृष्टि से है और उसमें उनकी चतुरक्ष राजनीतिशता विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। १८७१ से वे पूना आये। तबमें १८८० तक सरकारी पढ़ पर रहकर उन्होंने सार्वजनिक सभा के कार्य को राजनैतिक आन्दोलन का रूप दिया। उससे महाराष्ट्र में एक नवान चेतना आई और वैध राजनीति की बुनियाट पड़ी। इसके विपर्य में लालों तिलक ने कहा था कि उस समय पूना की शिथिलता दूर करके उसमें नवजावन लाने का, दिन-रात विचार करने और अनेक उपायों से उसे पुनः सर्जाव करने का वैकट वाम सबसे पहले रानडे ने ही किया। उनके कारण पूना वर्भव ग्रान्त का 'बौद्धिक और राजनैतिक गजधानी' बन गया था। १८८५ में जब कांग्रेस की स्थापना करना तथ हुआ तब उसका पहला अधिवेशन पूना में करना निश्चित हुआ। उस समय पूना को जो महत्त्व मिला उसका श्रेय रानडे को ही है। फिर १८८५ में पूना में गरम राजनैतिक ढल बना। तबसे पूना को राजनीति में जो अखिल भारतीय महत्त्व प्राप्त हुआ वह लोलों तिलक के अवसान (१८२०) तक कायम रहा, नरम दल या प्रागतिक पक्ष रानडे को 'आधुनिक भारत का जनक' कहता है और राष्ट्रीय पक्ष अपने सप्रदाय का जन्मदाता लोलों तिलक को मानता है।

रानडे के पूना के नेतृत्व के दो भाग हो जाने हैं—एक १८७१ से १८८० तक और दूसरा १८८० से १८८३ तक। पहले भाग में उनके दाहिने हाथ थे—स्व० गणेश वासुदेव लोशी उर्फ़ 'सार्वजनिक काका'। १८७० में इन्होंने सार्वजनिक सभा की स्थापना की और उसके मन्त्री रहे। शीघ्र ही रानडे के प्रयत्न से इस संस्था को राष्ट्रीय राजनैतिक स्वरूप प्राप्त हुआ। 'सार्वजनिक काका' खुद अपने काते सूत की खादी पहनते थे। यह ब्रत उन्होंने आमरण कायम रखा। औद्योगिक उन्नति के कार्यक्रम में वे रानडे के दाहिने हाथ थे। पर्श्चमी दण की औद्योगिक क्रान्ति करने के उद्देश्य से सरक्षक-कर के सिद्धान्त का प्रतिपादन रानडे ने शुरू किया था, परन्तु जर्मन महायुद्ध जैसा

भीपण युद्ध सुगताने के बाद अग्रेजों ने साम्राज्य के माल के लिए विश्वास तके बाहर के माल पर कर लगाने की थोड़ी सुविधा हिन्दुस्तान को दी। इसमें भी भारतीय कारखानों को सरक्षण मिलने की अपेक्षा सरकारी तिजोरी की कमी की पूर्ति करने की नीति प्रधान थी। इसलिए उसका वयष्टि लाभ भारत को न मिला। इस कारण रानडे की अर्थनीति की अपेक्षा 'सार्वजनिक काका' के स्वार्थ-त्यागी उत्साह से जो स्वदेशी आन्दोलन पैदा हुआ उसी के द्वारा स्वदेशी कारखानों को वास्तविक प्रोत्साहन मिला और सज्जा देशप्रेम जाग्रत व सगठित हुआ।

रानडे ने जिस अर्थशास्त्र की बुनियाद ढाली वह फोड़िक लिस्ट, कैरे प्रभृति जर्मन व अमरीकन अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर ढाली थी। एडम सिपथ, रेकार्डों प्रभृति इग्लिश अर्थशास्त्रियों ने ज्यकिंवाटी खुले मैदान का अर्थशास्त्र यूगेप में रूढ़ किया था। उसमें स्थूल रूप से वही प्रतिपादन किया जाता था कि जो व्यक्ति का हित है वही राष्ट्र का हित है और राष्ट्र का हित ही जगत् का हित है। ये अर्थशास्त्रज उपदेश करते—“वैयक्तिक स्पर्धा, वैयक्तिक स्वार्थ और अन्तर्राष्ट्रीय खुले व्यापार का बदौलत जो व्यक्ति, जो राष्ट्र और जो वर्ग आगे आवेंगे वही अपना और संसार का भौतिक हित साध सकेंगे और इस प्राकृतिक चुनाव का विरोध करके व्यक्ति-विशेष, वर्ग - विशेष और राष्ट्र - विशेष को कानून के कृत्रिम बन्धनों से बोधकर और बाड़ लगाकर सरक्षण देना मानो नालायकों को सहायता देना है जिससे कि समार का धनोत्पादन नालायक लोगों के हाथ में जाकर समष्टि रूप से जगत् का अहित ही होगा। इस तरह खुले मैदान के और अनियत्रित व्यक्ति - सदर्दा के तत्व का सर्वत्र प्रचार हो जाय तो उससे यह स्पष्ट ही है कि दुनिया के पिछड़े हुए राष्ट्र, दुर्बल व्यक्ति और निर्धन वर्ग का नाश होगा और उन्हें आगे बढ़े हुए राष्ट्र, प्रबल व्यक्ति, सधन वर्ग की आर्थिक और राजनैतिक गुलामी में पड़े रहना पड़ेगा।” परन्तु यह स्पष्ट सत्य नैपोलियन को पराजित करनेवाले और इप कारण ‘निर्वारमुर्वीतलम्’ करने का अभिमान रखनेवाले ब्रिटिश पूँजावाद को उन्नीसवीं सदी के अन्त तक पटा नहीं। स्वार्थ-अविरोधी वल्क स्वार्थ-पोषक निर्दान्त कायम करके उसका अभिमान - पूर्वक प्रचार करने में इस

युग में विटिश पूँजीवाद ने अपर्व सफलता प्राप्त की है। परन्तु १६ वीं मटो के मध्य से जर्मनी और अमरीका इन औद्योगिक प्रगति में पिछड़े हुए राष्ट्रों में राष्ट्रीय अरथवा राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र का उदय हुआ। उसने सरक्कर जकात के सिद्धान्त का प्रतिपादन जोरों से किया। इस अर्थशास्त्र का रहस्य स्वर्गीय रानडे ने बहुत खूबी से बतलाया है—“बुद्धि और साधन जहाँ समान हों वहाँ ऐसी स्वतंत्रता देने में हर्ज़ नहीं, परन्तु जहाँ ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ ऐसी भाषा बोलना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। मुट्ठी भर प्रबल और बहुसख्यक गर्जमन्दों में उत्पन्न का विभाजन करते समय भी इसी सिद्धान्त का अर्थात् न्याय और सम-बुद्धि का अवलम्बन करना चाहिए और जीवन के तमाम व्यवहारों में पुराने अरथशास्त्र के सिद्धान्तों को निर्दोष न मानकर उनपर पुनर्विचार करना आवश्यक है।” पूँजीपतियों के मुकाबले में सरकार को निर्धन मजदूरों का पक्ष लेकर उन्हें क्यों सहायता करनी चाहिए, यह इससे अच्छी तरह समझ में आ सकता है।

परन्तु अब तो इससे भी आगे जाने का समय आ गया है क्योंकि आज अर्थशास्त्रीय जगत् में निया। जब आर्थिक स्थगन, समाजवाद और स्वयप्ण प्रदेश — इस प्रकार व नवां विचार सचार कर रहे हैं और उन सबका मन्थन करके नवीन राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पाया ढालने की जरूरत है। अब जब कि गांधीवाद और समाजवाद का उदय हो गया है और औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न समान व न्यायोचित विभाजन के प्रश्न देश के सामने आ रहे हैं रानडे का अरथशास्त्र इनका हल हूँटने में असमर्थ साबित होता है।

‘हिन्दुस्तान पर श्रग्नेजों का महज राजनैतिक प्रभुत्व ही नहीं है, वर्तिक औद्योगिक प्रभुत्व भी स्थापित हो गया है और यह प्रचल्न औद्योगिक प्रभुत्व देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके कारण राष्ट्रीय जीवन को सब शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और वह देश अपग हो जाता है।’ यह ‘सिद्धान्त रानडे ने सबसे पहले लोगों के सामने रखा और यह आज भी सही है। फिर भी राष्ट्र-पितामह दादाभाई-द्वारा प्रतिपादित यह सत्य हमारे सामने सदैव बना रहना चाहिए कि एक देश

का दूसरे देश पर जो औद्योगिक प्रभुत्व हो जाता है उसका मूल कारण राजनैतिक प्रभुत्व है। इसका अर्थ यह कि आज के व्यापारियों और औद्योगिक युग में राजनैतिक साम्राज्यशाही का परिणाम औद्योगिक प्रभुत्व में होता है और इसलिए यह साम्राज्यशाही पहले की सामन्तशाही से परिणाम में अधिक भवावह है। इस कारण जो देश पहले के अनेक सामन्तशाही साम्राज्य से बच रहा वही इस औद्योगिक साम्राज्य के ५०-७५ साल में ही मौत की तरफ जाने लगा। जो देश खेती और उद्योग-धन्वों दोनों में प्रसिद्ध था, वही महज वृष्टि-प्रधान रह गया और जिस देश का पक्ष माल थूरोप में खपता था उसपर अपने कच्चे माल को परदेश से पक्षा बनवाकर लाने की नौबत आ गई। ब्रिटिश राजनीति का और राजनैतिक लूट का यह अपरिहार्य परिणाम था और इसलिए ऐसे देश में स्वभावत ही राजनीति की प्रधानता मिलने लगी। १८८० में ही दादाभाई ने लिखा था—“लोग अब राजनीति में अधिकाधिक छूबने लगे हैं।”

हिन्दुस्तान में वैध राजनीति की बुनियाट डालने का शेय रानडे को है। देश में कानून की प्रस्थापना करना शासकों का धर्म है और उसका उपचाप पालन करना प्रजाजनों का धर्म है, यह उनकी राजनीति का प्रमुख सूत्र है। ब्रिटिश शासक भारतीयों के साथ समानता का व्यहार करे और भारतीय ब्रिटिश-साम्राज्य के प्रति वफादार रहें यह उनका मत था, क्योंकि वे मानते थे कि कानून और शान्ति का राज्य स्थापित करने के लिए ही ईश्वर ने अंग्रेजों का यहाँ मेजा है। मनुष्य-नीति के सब व्यवहारों में न्याय की स्थापना करना और वश-मेद् या श्रद्धामेद् (धर्म-मेट) न रखते हुए सबको समान ढर्जा देना—इसे वे प्रार्गतिक तत्व (Spirit of Liberalism) कहते थे। अंग्रेज अधिकारियों ने १८३३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी को सनद देते हुए जो कानून बनाया उसमें इस तत्व को माना है। और बाट में १८५८ में रानी की घोषणा में भी इसका समर्थन किया गया है इसलिए रानडे इत्यादि इसे भारतीय प्रजा का ‘मेगनाचार्ट’ मानते थे। इस सनद के अनुसार अंग्रेजों की तरह यहाँ भी प्रातिनिधिक शासन-प्रणाली जारी हो और ब्रिटिश छत्रच्छाया में हिंदुस्तान

को मार्डलिक (श्रौपनिवेशिक) स्वराज्य मिले यह रानडे का अन्तिम राजनैतिक ध्येय था । मगर १८८० से ही पूना में चिपलूणकर, आगरकर, तिलक आदि का तरण राष्ट्रीय पक्ष बन रहा था और उन्हें मार्डलिक स्वराज्य का ध्येय उत्साह-वर्धक नहीं मालूम होता था । १८८२ में चिपलूणकर पर लिखे मृत्युलेख में आगरकर लिखते हैं— ‘कभी-कभी उनका कल्पना-विहग जब आकाश में ऊँची उड़ानें भरने लगता तब उन्हें हिन्दुस्तान स्वतंत्र और प्रजासत्ताक शासन-प्रणाली में सुख से भूमता हुआ दिखाई देता ।’

रानडे प्रागतिक तो थे ही पर वैध-मार्गी भी थे । उनके वैध मार्ग का अर्थ था—बहुत दूर के ध्येय की तरफ ध्यान न देते हुए एक दम आगे देखकर चलना और इसमें समझाने-बुझाने तथा देन-लेन की समझदारी से काम लेना । वे क्रान्तिकारक विचारों को नापमन्द करते थे और उन्हें चिल्कुल अवसर न दिया जाय ऐसी उनकी प्रवृत्ति थी । नामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक किसी भी क्षेत्र में क्राति का विचार उन्हें सहन न होता था । उनके पट्टशिष्य गोखले और गोखले के शिष्य माननीय शास्त्री ने भी अपने भाषणों में कानून के राज्य को धक्का न लगाने पर ऐसा ध्वनि प्रकाशित की है । और यही कारण है जो न्याय-स्थापना अथवा सत्यनिष्ठा के लिए कानून भग करने का सिद्धान्त रखनेवाले महात्मा गांधी भारत-सेवक-समाज के सदस्य न बन सके ।

मगर दाटाभाई अथवा हूम, इनका खयाल रानडे से भिन्न था । ये भी राज्य-क्रान्ति नहीं चाहते थे मगर उन्हें यह भय था कि ब्रिटिश राजनीति के कारण हिन्दुस्तान में जो भयकर टरिद्रिता फैल रही है उससे यहाँ राज्य-क्रान्ति अवश्य हो जायगी । इसे मद्देनजर रखकर ये लोग जो कुछ कहते थे और प्रचार करते थे वह शासकों को गरम और राजद्रोही मालूम होता था । उनके इसा रुख में से पहले महाराष्ट्र में और फिर सारे हिन्दुस्तान में गरम राजनीति का जन्म हुआ । इसके चिह्न दिखाई देते ही रानडे ने ‘सार्वजनिक सभा’ में भिन्न ‘डेकन सभा’ कायम की । कुछ समय तक काय्रेस के सब सूत्र इन्हीं के पक्ष के हाथ में रहे । बाद में वह लोकमान्य के गरम दल के हाथ में चली गई तब रानडे पक्ष ने ‘प्रागतिक पक्ष’ नामक स्थान लगाई की ।

एक ओर रानडे अपने वैध - मार्गी से लोगों के ग्राउंड अखिल भारतीय संयुक्त राज्य, उत्तरादायित्व के अधिकार त्रिपुरा राष्ट्र के बराबर का ठर्डा और भारतीय पालमिट, इत्यादि भावनाओं के बीच थोड़े रहे और दूसरी ओर १८७६ में, वासुदेव बलवत फड़के ने नगर नासिक, खानदेश के रामोशी और भीलों की सहायता से लोक - सत्ता की स्थापना करने का एक कानूनिकारी प्रयत्न किया ।

: ५ :

कांग्रेस का जन्म और प्रचार

“बग कि लार्ट लिटन ने राही दरवार में बैठ कुएँ यह घोषणा की थी कि इन्हें कोई रानी अम भारत की सभावी के पक्ष पर प्रतिष्ठित हुए हैं, उसके बीच वर्के अन्दर ही उनी थाम और उन्हीं दिनों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म हुआ ।”

—लाला लाजपतराय

एक ओर महाराष्ट्र में १८७५ से १८८२ तक चिपलूणकर, आगरकर और तिलक ने नवीन युग प्रवर्तित किया तो दूसरी ओर बगाल में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने और गमकृष्ण मिशन ने, पञ्चाव में आर्य समाज ने और मद्रास में वियोसोफी ने राष्ट्रोयता का एक नया युग स्थापित किया । इस समय यश्चिप नरम दल का प्राशान्य या तथापि गरम दल धोरे-धारे उट्टय हो गया था और फड़के-जैसे सशस्त्र - कानून चाहनेवाले लोग भी थे । जनता की दरिद्रता और फाकेकणी को देखकर उनके हृदय को बड़ी पीड़ा होती थी और उनसे उसका एवं राष्ट्र का उद्धार करने के लिए बगावत के सिवा उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं मुझाई देता था । अग्रेज राजनीतिज्ञों को यह भी डर होने लगा कि हिन्दुस्तान में जबर्दस्त राज्य-कानून हो जायगी, यदि समय पर उसकी रोक न की गई । इसे बचाने के लिए हिन्दुस्तानी देश - भक्त और कुछ अग्रेज राजनीतिज्ञों ने बम्बई में २७ टिसम्बर १८८५ ईसवी को कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें एक ओर हुम, वेडरवर्न और दूसरी ओर दादाभाई, रानडे, बनर्जी, थोस, और

तैलग मुख्य थे। सहयोग और साम्राज्य-निष्ठा की नींव पर वैध आदोलन के आधार पर काग्रेस कायम हुई।

काग्रेस की स्थापना के पहले एक-दो अ० भ० आनंदोलन हो चुके थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के 'इडियन एसोसियेशन' ने सिंचिल सविस-परीक्षा के बारे में आनंदोलन उठाया था। वे उम्मीदवारों की उम्र २१ के बजाक १६ वर्ष चाहते थे। इसक बाट ही सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को १८८३ में अदालत की तौहीन के अपराध में दो महीने को साढ़ी कैद की सजा हुई। इधर महाराष्ट्र में इन्हीं दिनों तिलक-आगरकर को वर्वे प्रकरण में तीन-तीन महीने की साढ़ी सजा मिली। इससे बगाल और महाराष्ट्र में इन लोगों का प्रभाव काफी बढ़ गया। बनर्जी ने एक और आदोलन भी उठाया जिसका सबध था फौजदारी मामलों में वर्ण-मेड नष्ट करने के लिए पेश हुए डलवर्ट चिल से। सुरेन्द्रनाथ ने इस चिल का समर्थन किया। इन आनंदोलनों के सबध में अग्रेजों ने जो रुव्व अखितयार किया उसने दिखा दिया कि अग्रेज लोगों और हिन्दुमतानियों के दिलों में मेल बैठना मुश्किल है।

बम्बई काग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सारे देश के ७२ प्रतिनिधि आये थे। उमेशचन्द्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। वे ईसाई थे। उन्हाने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया था कि हिन्दुस्तान में लोकसत्ता राज्य-पद्धति कायम करने के मानी ब्रिटिश साम्राज्य का द्वोह हर्गिज नहीं है। इस अधिवेशन का काम तीन दिन चला और नौ प्रस्ताव पास हुए।

पहला प्रस्ताव इस आशय का था कि शासन-व्यावस्था की जाच के लिए एक रॉयल कमीशन मुकर्रर किया जाय। एक प्रस्ताव का धारा-सभाओं में बड़ी तादाद में लोकनियुक्त प्रतिनिधि लिए जायें, बजट धारा-सभाओं में पेश किये जायें, आदि था। एक प्रस्ताव के छारा इडिया बौसिल रद्द करने की मौग की गई थी। एक प्रकार से ये प्रस्ताव अनियन्त्रित पद्धति को मिटाकर लोक-प्रतिनिधियों का प्रवेश शासन-कार्य में हो, इस दृष्टि से किये गये थे। इन मौगों का पूरा होना तो दूर, धारा सभा में लोक-नियुक्त प्रतिनिधियों के प्रवेश १९०६ के लिए तक राह देखनी पड़ी। लेकिन तबतक भारतीय नेताओं का वध-मार्ग से विश्वास हट

चुका था और देश में निःशस्त्र-क्रान्तिवादी और सशस्त्र क्रान्तिवादी ये दो नये टल हो गये थे। इसके बाद यहाँ की नौकरशाही में हिन्दुस्तानियों का अधिक प्रवेश हो, सिविल सर्विस पराज्ञा हिन्दुस्तान में हो, सैनिक खर्च न बढ़ाया जाय, भारत सरकार के कज की जिम्मेदारी साम्राज्य-सरकार ले, इत्यादि प्रस्ताव पास हुए हैं। अब भी कांग्रेस के आठ साल मुख्यतः पूर्वोक्त सुधार कराने के प्रयत्न में गये। १८६३ में लार्ड कॉस का इंडियन बैंसिल बिल कानून बनकर सामने आया जिससे भारतीय नेताओं को विश्वास हो गया कि अब दस-वारह साल तक किसी सुधार की आशा नहीं। इस कानून में लोक-नियुक्त प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया गया था। इन सुधारों के थोड़े ही टिनों के बाद गरम-नगम दो दल बन गये, हिंदू-मुसलमानों के टगे शुरू हुए और कांग्रेसने शासन-सुधार का आन्टोलन बन्द कर दिया। वह लोकमत प्रटर्शित करनेवाला वार्षिक सम्मेलन मात्र रह गई। गरम टल के लोग नौकरशाही के रोग के शिकार बनकर राजदोह के अपराध में जेल की हवा खाने चले गये। यह गरम-नरम गवर्नर्टक मतभेद, हिंदू-मुसलमानों के टगे और गरमटल बालों के कारावास की घटनाएं चम्पाई-पूने में हुईं इसलिए इनकी तरफ सारे राष्ट्र का ध्यान अपने-आप चला गया।

कांग्रेस का दूसरा आधिकारिक कलेक्टर में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तीसरा मद्रास में बटरुदान तैयारबंदी वी अध्यक्षता में, हुआ। पहले अध्यक्ष ईसाई, दूसरे पारसा आर तीसरे मुसलमान — यह देखकर नौकरशाही के मन में कांग्रेस का देप और डर पैदा होने लगा। मद्रास-अधिकारियों के बाद कांग्रेस का बढ़ता हुई लोक-प्रथाको देखकर हाम साहब ने तय किया कि उसे इंग्लैण्ड का एटो बार्न ला-लाग की तरह जागा में आन्टोलन करनेवाला सस्था का रूप दिया जाय उन्होंने अपने भाषणों में 'भारत माता' की पर्वत भूमि में रहनेवाले प्रथेक भारतीय से सहकारी, भाई, और आवश्यकता पड़ने पर सैनिक, बनने को आशा प्रकट की। कांग्रेस के हारा आन्टोलन और लोक-जागृति करने की इस नीति से सरकार में और उसमें विरोध पैदा होने लगा। १८८६ में तो कलकत्ते में दूसरे अधिकारियों के बाद खुद लार्ड फर्फरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों

को एक 'बनभोजन' दिया था और मद्रास अधिवेशन में तो वहाँ के गवर्नर गये भी थे, परंतु चौथे अधिवेशन के समय इलाहाबाद में मठप के लिए जगह भी न मिल सके, ऐसी कार्रवाई सरकारी अधिकारियों ने शुरू कर दी। अधिवेशन में आनेवाले प्रतिनिधिया पर रुकावटे लगाने और कार्यकर्त्ताओं से जमानतें लेने की कार्रवाई शुरू की गई। पजाव में ५-६ हजार लोगों से जमानत-मुच्चलके मागे गये। उस विराध से कांग्रेस का लोकप्रियता बढ़ने लगी। इस अधिवेशन में १२४८ प्रतिनिधि आये थे और कलकत्ते के यूरोपियन व्यापारी मिठू यूल अव्यक्त के स्थान पर थे। अपने भाषण में उन्होंने प्रातिनिधिक गज्यपद्धात का समर्थन किया और लाडे पामस्टन की प्रातिनिधिक योजना अमल में न आये तबतक इंग्लैड को चाहिए कि वह अपने को हिन्दुस्तान का द्रस्टा समझकर राजपाट चलावे, ऐसा विचार उन्होंने प्रकटे किया।

इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस के प्रधान मन्त्री ह्यू म और युक्तप्रान्त के गवर्नर सर ऑकलैंड कोलविन में पत्रव्यवहार भी हुआ। सर ऑकलैंड ने बताया कि सरकार और अधिकारी वर्ग के विशद्व जो आप कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और विरोधी प्रचार करते हैं उससे द्वेष फैलने और विरोधी पक्ष खड़े हो जाने की सभावना है। इससे बेहतर है कि आप राजनीतिक सुधार की अपेक्षा समाजिक सुधार को तरफ ही कांग्रेस को ले जाये। इसके जवाब में ह्यू म साहब ने लिखा कि हम तो अग्रेज सरकार के प्रति द्वेष नहीं प्रेम ही फैलाते हैं। हाँ, अत्याचारों का निपेद अवश्य ही करते हैं। विरोधी प्रचार तो यहाँ के मुटु भर अधिगोरे कर रहे हैं। देहात के लोगों में शासन-व्यवस्था के प्रति बहुत असन्तोष है। दुःख और अन्यथा उनके लिए अब असह्य हो गया है और उसे मिटाये बिना भावी सकट अब टल नहीं सकता।

शासकों के इस रोप की परवाह न करते हुए ह्यू म साहब ने अपना काम जोरो से जारी रखा। इधर टाटाभाई ने इंग्लैड में पाल्मेंट के सदस्यों का सहानुभूति प्राप्त की और वहाँ धारा-सभा के सुधार के लिए एक बिल पाल्मेंट में लाने का उद्योग किया। जॉन ब्राइट, फॉर्सेट और चाल्स ब्रैडलॉ पाल्मेंट के ये सदस्य कांग्रेस के साथ बड़ी सहानुभूति रखने

लगे। बोडलॉ इंस्टिट्यूट के बम्बईवाले अधिवेशन में आये भी थे और उन्होंने एक भाषण भी दिया था। इस चर्च मिठ वेडरबर्न आयत्त हुए। इसके बाद का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ जिसका अध्यक्ष पद फ़ोरेंजशाह भेजता ने स्वीकार किया था। इस समय वह हुक्म निकाला गया कि कांग्रेस में सरकारी अधिकारी दर्शक के तौर पर भी न बायें। एक डेपुटेशन इंग्लैंड में ही किया जाय ऐसा प्रस्ताव हुआ। इसपर से मिठ ह्यूम को वह सुभा कि फिलहाल कुछ साल तक हिन्दुस्तान में कांग्रेस का अधिवेशन ही रोक दिया जाय, और इंग्लैंड में शुरू कर दिया जाय। इस आशय का एक परिपत्र भी उन्होंने निकाला। इसपर कांग्रेस के नेताओं में छड़ी चर्चा हुई। नरमदल चालों को वह राजदोह की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। नागपुर में आखिर इसका निर्णय करने के लिए भारत के बहुत से प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं का एक मंडल नियुक्त किया गया जिसने अन्त में वह फैसला दिया कि कांग्रेस के अधिवेशन जारी रहे; परन्तु उसे मिठ ह्यूम ने आनंदोलनकारी रूप देना चाहते थे, वह न हुआ और केवल वार्षिक मम्मेलन होते रहे।

इससे पूरा के युवक टल के नेता तिलक और आगरकर को बहुत खुरा लगा और उन्होंने उस परिपत्र का 'आशय अखबारों में छापकर अपने पर राजदोह का मुकदमा चलाने की चुनौती संरक्षकर दी। अन्त में निराश होकर ह्यूम साहब विलायत चले गये। उनका किसी ने साथ न दिया। पूरा के सिर्फ दो युवक देशभक्ति ने उनका समर्थन किया—तिलक और आगरकर ने। इनमें से आगरकर तो जल्दी ही स्वर्गवासी हो गये और लोकमान्य तिलक पर कांग्रेस को आनंदोलनकारी संस्था बनाने का भार आ पड़ा। ह्यूम और टाटाभाई के समय आरम्भ के १०-१२ वर्षों में जो उत्साह कांग्रेस में रहा, वह बाट के भेहता और वाचा युग के २०-२२ वर्षों में नहीं रहा और युवक वर्ग पर यह अमर पड़ता रहा कि कांग्रेस सरकारी रोप के सामने दब गई।

आरम्भ के दस अधिवेशनों में कांग्रेस पर दो सकट आये। एक

सरकार के रोष का और दूसरा हिंदू-मुसलमाना के टगों का, और उसके पल्ले पड़ा सिर्फ १८८३ का खोखला सुधार-कानून। फिर उस समय की हालत को देखते हुए, यदी कहना होगा कि काशेस की यह प्रगति सन्तोषजनक थी। यहाँ से अब अर्थात् १८८५ के बाद महाराष्ट्र लोक-मान्य तिलक का स्वतंत्र राष्ट्रीय दल कायम हुआ। बाद में वह मन जगह फैला। इसके आगे का राजनैतिक घटना क्रम देने के पहले १८७५ से १८८५ तक २० साल में सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति के सबध में कौन-कौन से नये विचार-प्रवाह भारतीय वातावरण में सचार कर रहे थे, इसका विचार कर लें।

६

भारतीय संस्कृति का तत्त्वमंथन

“हमारा मनुष्यत मुक्त है ना चाहिए, हमारी अग्रणी ऊँची उद्धलनी चाहिएँ, कर्णव्य-पालन में कभी गलती न करनेवाली श्रद्धा जागृत होनी चाहिए, मवसे समर्पित से व्यवहार करनेवाली न्यायवुद्धि प्रज्ञलित होनी चाहिए, बुद्धि पर आये हुए मव बादल विखर जाने चाहिएँ और सब प्रकार के वाथों से मुक्त होकर हमारे प्रेम की गगा वहने लगनी चाहिए—तभी हिन्दुस्तान को नवजीवन प्राप्त होगा और समार के अन्य राष्ट्रों में अपना योग्य स्थान प्राप्त करके यह देश अपनी परिस्थिति पर और भविष्य पर अपना प्रमुख जमा सकेगा। उस समय अकाल और रोग, जुल्म और दुर्योग वाले मिर्क दत्त-कथा रह जायगी और जिन पुराणों को हम आज केवल दत्त-कथा कहते हैं उसी पुराण-काल के अनुमान पुन भगवान इस भूमि पर अवतार लेंगे और वे मानव समाज में सचार करने लगेंगे।”

— न्या० रानडे

“ज्यों-ज्यों बुद्धि का विकास होता जाता है और कार्य-कारण का सम्बन्ध अच्छी तरह समझ में आने लगता है, त्यों-त्यों प्राथमिक और पौराणिक कल्पना मिथ्या प्रतीत होने लगती है और भूत, पिशाच, देव-दानव आदि महज कल्पना से उत्पन्न की हुई शक्तियों की अस्त्यता की प्रतीति होती है, पूजा व प्रार्थना का जोर कम होता है और कुछ समय सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करके उसका परिपालन व नाश करनेवाले एक परमात्मा की कल्पना उद्य होती है, नेकिन, आगे चलकर

वेदांत-विचार के कुंड में प्रज्ञलित हुई अग्नि में द्वैत भी भस्म हो जाता है और 'अह अह्माऽस्मि' यही अनिर्वचनीय विचार पीछे रह जाता है। व्यक्ति के और राष्ट्र के धर्म-विचारों की यह पराकाशा है।"

—गो. ग. आगरकर

"इम वजह से कर्म, बुद्धि (ज्ञान) और प्रेम (भक्ति) इन तीनों का विरोध नष्ट होकर भारे जीवन को यज्ञमय करने का प्रतिपादन करनेवाला गीता-धर्म सरे वैदिक धर्मों का सार है। यह नित्यधर्म पहचानकर सिर्फ कर्तृत्य समझकर प्राणी भाव के हित के लिए महान् उद्योग करनेवाले और पुरुषार्थी पुरुष जब इम भारत-भूमि को अलंकृत करते थे तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र था। और ज्ञान के ही नहीं ऐश्वर्य के भी गिरकर पर पहुचा हुआ था, और जब यह दोनों जगह ऐसकर पूर्वतर धर्म छूट गया तबमे उसकी हालत गिरने लगी।

—लो. तिलक

१८७५ ई० से १८८५ ई० तक के समय में हिंदुओं को अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का पता चला। पहले जो पश्चिमी सभ्यता के प्रकाशन से सुशिक्षित लोगों की दृष्टि चौंधिया गई थी अब वह स्थिति बदल गई थी और उनमें अपनी कार्य-शक्ति का आत्मविश्वास और अपने राष्ट्र के भविष्य के सम्बन्ध में उज्ज्वल आशा प्रतीत होने लगी। १८७५ के पहले के हम लोगों के और उसके बाट के देशभक्त कार्यकर्ताओं के उद्गारों में यही मुख्य अन्तर दिखाई देता है। इस समय जो-जो नई दृष्टिले उत्पन्न हुई थे सब डसी नये आर्तमविश्वास पर अविहित थीं। पुरानी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को भी यह नया दृश्य देखकर अपने राष्ट्र के भविष्य के बारे में आशा होने लगा। पराधीनता के आश्रात से मूर्च्छित इस खड़तुल्य प्रचण्ड राष्ट्र में नव चैतन्य का संचार होने लगा। अपनी स्वतन्त्रता की झलक उसे टिक्काई पड़ने लगी। इस नवजीवन और नूतन आशावाद के समय में लोक-जगति करनेवाले भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय पैदा हुए और उनके द्वारा आधुनिक भारत के मन पर भिन्न-भिन्न संस्कार पड़ने लगे।

महाराष्ट्र में विष्णुशास्त्री चिपलूणकर ने १८७४ में निवन्धमाला शुरू करके एक नवीन स्वामिमानी राष्ट्रीय विचार-सम्प्रदाय उत्पन्न किया। उसीको आगे बढ़ाकर लोकमान्य तिलक और इतिहासाचार्य राजघाडे

ने महाराष्ट्रीय इतिहास की पाश्वर्मूमि पर आधुनिक भारत का चित्रपटी खीचने को शुरुआत का । इस सम्प्रदाय की सामाजिक सुधार-सम्बन्ध तात्त्विक भूमिका लोकमान्य के शब्दों में इस प्रकार है—“जबतक न्यतत्रता का अथवा राष्ट्रीयता का अभिमान या तेज व्यायम और जागृत है तब-तक समाज-रचना में कुछ दोष भी हो तो राष्ट्र की उन्नति अथवा उत्कर्ष में बाधक नहीं होता । इसलिए (विशिष्ट) समाज-रचना की अपेक्षा लोगों में अपनी स्थायी और अपने देश के प्रति अभिमान जागृत रखने की चेष्टा प्रत्येक देशभक्त को करनी चाहिए । इसीको हमने स्वाभिमानी राष्ट्रवाद नाम दिया है । इसका आधार सामान्यत वर्णाध्रम-धर्म है और महाराष्ट्र के इतिहास में इसीको महाराष्ट्र-धर्म कहा गया है । भगवद्गीता और दासबोव इस राष्ट्रवाद या राष्ट्रवर्म के आधार हैं । शिवाजी महाराज इस धर्म के आराध्य देव और भगवान श्रीकृष्ण का प्रवृत्ति-परक कर्मयोग और शकराचार्य का अद्वैत सिद्धान्त और सनातन धर्मनिष्ठा यह परस्पराप्राप्त सङ्कृति-धन है । इसे सामाजिक सुधार तो अभीष्ट है, परन्तु इसका यह मत है कि हमारी सङ्कृति का पाया पश्चिमी सङ्कृति की अपेक्षा अविक श्रेष्ठ तत्त्वों पर ढाला गया है और इसने महाराष्ट्र में यह श्रद्धा पैदा की है कि सारे जगत् का मार्ग-दर्शन करने का सामर्थ्य मारतीय सङ्कृति में है । महाराष्ट्र में गरम राजनीति को डसी सप्रदाय ने व्यापक किया है और इनी पक्ष के धुरन्धर नेता लो० तिलक ने प्रगति टल से हटाकर कांग्रेस को गरम राष्ट्रीय टल के हाथों में सौंप दिया ।

महाराष्ट्र के राष्ट्रवाद के इतिहास में आगरकर का भी खास स्थान है । १८८० से १८८५ तक उन्होंने शुद्ध विवेकवाद के आधार पर उग्र राष्ट्रीयता के निर्माण करने का प्रयत्न किया है । उन्हे अगर सब वातों में पश्चिमी लोगों की नकल करना अर्थात् एक प्रकार की देशाभिमान-शृन्यता पसन्द न थी, तो सब प्रतीय वातों के समर्थन करने का देशाभिमान भी पसन्द नहीं था । वे कहते थे कि सच्चा मार्ग दोनों के बीच का है । उनका मत था कि हमारी मूल प्रकृति अर्थात् मारतीय आर्यत्व को न छोड़ते हुए नवीन पश्चिमी शिक्षा और उसके साथ आनेवाले नवीन

विचारों को उचित तोर पर आगीकार करने में ही हमारा भला है।

इसी समय बगाल पजाव और मद्रास के प्रातों में भी एक प्रकार की विचार-कान्ति हो रही थी और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता, वेदान्त-विचारों की महत्ता, वर्णाश्रम-धर्म के समाज-धारणा के लिए उपयोगी तत्त्व, इनको मध्य जगह प्रधानता मिल रही थी। बगाल का रामकृष्ण मिशन, पजाव का आर्य समाज और मद्रास की थियॉसापी—ये सब विचार-सुप्रदाय भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर आवारित थे, परन्तु महाराष्ट्र और दूसरे प्रातों को विचार-जागृति में एक बढ़ा अतर था। महाराष्ट्र में जैसे लोकमान्य समाज-सुधार को अप्रधानता देकर राजनीतिक आनंदोलन को प्रधानता देने ग्रोग आगरकर - जैसे शुद्ध बुद्धिवाद के आश्रय पर सर्वांगीण तुधार का समर्यन करनेवाले नेता थे वैसे दूसरे प्रातों में नहीं थे।

यहाँ पर यह साफ़ कर देना जरूरी है कि इस सुवार के मामले में गनडे ग्रोग आगरकर पन्न के मत तत्त्वतः पिल्कुल भिन्न थे। गनडे श्रद्धैत-बाट ग्रोग बोढ़मत को नास्तिक मत समझने थे और इसलिए अपने प्रार्थना समाज को उन्होंने ब्रह्म समाज नाम न देने दिया। इसका कारण उन्होंने मध्य व्रताया कि ब्रह्म गट्ट से वेदान्तियों के निरुण पवब्रह्म का बोध होता है इमलिये हमारे द्वैत अथवा विशिष्टाद्वैत विचारों के लिए प्रार्थना समाज नाम अधिक मौजू द्देगा। उनका मत था कि अपनी परम्परा को न छोड़कर प्रचार करना चाहिए। हिंदू संस्कृति में जिस तरह गौतम बुद्ध और शकगचार्य दो महान् विभूतियों प्राचीन समय में ही गईं, उसी तरह महाराष्ट्र में आत्मनिक समय में आगरकर और तिलक ये दो महान् विभूतिया हुईं हैं। बुद्ध और शकगचार्य दोनों प्रत्यक्ष बुद्धिवादी थे; पर एक ने वैदिक परम्परा और वर्ण-व्यवस्था पर प्रकट ग्राक्षमण किया और बुद्धिवाद के आधार में निरीश्वरवाद की मजिल तक पहुँचे और दूसरे ने अद्वैत वेदान्त का आश्रय लेकर मायिक ईश्वर का अस्तित्व मान्य करके वैदिक परम्परा और वर्ण-व्यवस्था को धक्का न पहुँचाते हुए हिन्दू संस्कृति का उद्भार किया। आगरकर का पथ गौतम बुद्ध के प्रयत्न की तरह था और तिलक का प्रयत्न शकगचार्य की तरह था। आगरकर का बुद्धिवाद

जैसा तिलक को रुचिकर न हुआ उसी प्रकार वह रानडे को भी पहले से मान्य न था। रानडे की राजनीति भी अद्वा-युग की थी और उन्हें परम्परा भग होने की अपेक्षा भी राजशासन भंग होने की भीति आविष्क मालूम होती थी। आगरकर की स्वतंत्र बुद्धि कहती थी कि जरूरत पड़ जाय तो परम्परा और राज्य-शासन दोनों का उत्त्लघन करके हमें अपनी सत्यनिष्ठा कायम रखनी चाहिए। अपनी इसी स्वतंत्र बुद्धि के कारण आगरकर ने उग्र राजनीति और उग्र समाजनीति का बीजारेपण महाराष्ट्र में किया और तिलक ने सामाजिक और धार्मिक विषय में परम्परा-रक्षण का सिद्धात स्वीकार करके राजनीतिक विषय में परतत्रता की परपरा तोड़ने का उपदेश दिया और अपने प्रखर बुद्धवाद पर वेदान का आवरण चढ़ाकर वर्णाश्रम-धर्म की दुनियाट को जरा भी न हिलाते हुए राष्ट्र-निर्माण करने का प्रयत्न किया तथा सारे राष्ट्र की शक्ति और बुद्धि उग्र राजनीति पर केन्द्रित की।

बगल में इन्ही दिनों कलकत्ता के पास टक्कियोश्वर के मन्दिर में एक महान् विभूति आकर रही थी जिसने वहाँ के लोगों का व्यान ब्रह्म समाज की ओर से अपने वेदान्त की तरफ खीच लिया। वे ये रामकृष्ण परमहस। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज में मर्यादा देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन ये दो प्रसिद्ध नेता हुए। १८४२ में देवेन्द्रनाथ और १८५७ के बाद केशवचन्द्र सेन आगे आने लगे। केशवचन्द्र ने ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म की तरफ झुकाया और भारतवर्पर्य ब्रह्म समाज नामक स्वतंत्र शास्त्रा १८६६ में स्थापित की। तब पुराने ब्रह्मसमाज का नाम 'आदि ब्रह्म समाज' पड़ गया। आदि ब्रह्म समाज का झुकाव भारतीय सस्कृति की श्रेष्ठता की तरफ है और उसका यह विश्वास है कि पूर्वी और पश्चिमी सस्कृति के मेल से ही चास्तविक मानव-सुधार होगा। काव-सम्प्राद् रवीन्द्रनाथ इस ब्रह्म समाज की आधुनिक भारत को बहुमूल्य देन है और महात्मा गांधी के बाद ससार में भारत की जीर्णि फैलाने में उनकी विभूतिमत्ता कारण हुई। वे जैसे सर्वश्रेष्ठ कवि ये वैसे ही तत्त्वज्ञ भी थे और उनके तात्त्विक धर्म-प्रवचन भक्तिरस से लचालत्र और औपर्यन्पदिक ज्ञान से भरे हुए होते थे। पश्चिमी लोगों की सकुचित

रुध्रभावना से उत्पन्न साम्राज्यवाद, भौतिक सुखों के लिए उनकी अमर्यादि तृष्णा, पूर्जीवाड का सगठित लोभ और सैनिकवाद की सगठित हिसां इस यूरोपीय सङ्कृति का अंधानुकरण न करो। दूसरी तरफ अपनी सङ्कृति को प्राचीन आधात्मिक भूमिका को छोड़कर जापान की तरह पश्चिमी जड़वादी और हिंसक न बनो। यह सन्देश वे भारतवर्ष को दे रहे थे।

१८७५ के बाद केशवचन्द्र सेन खुट भी परमहस से प्रभावित हुए और बाट में नरेन्द्रनाथ टत्त जो कि नास्तिक थे और स्पेन्सर के अनुयायी थे रामकृष्ण परमहस के सपर्क में आये। उन्होंने परमहंस से पूछा, “क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा देंगे?” उन्होंने उत्तर दिया “हाँ”। तब नरेन्द्रनाथ उनके शिष्य हो गये, जो बाद में स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए। परमहस के प्रसाद से उन्हें यह निश्चय होता गया कि भारतवर्ष में परमेश्वर-प्राप्ति का भी एक अनुभवगम्य शास्त्र है और इस अत्यात्मशास्त्र के सिद्धान्त भी भौतिक शास्त्र की तरह प्रमाण-सिद्ध और अनुभवगम्य हैं। वह धर्म-बाह्य विधि-विधानों की या कर्मठता की कठायद नहीं है, बल्कि आत्म-साक्षात्कार का विषय है और आत्म-साक्षात्कार ही सब धर्मों का साध्य है। उनके बहिरंग कैसे ही विविध बल्कि विरोधी क्यों न दिखाई दें, परन्तु वास्तविक धर्म एक ही है और भिन्न-भिन्न धर्म उसी एक विश्वधर्म के विशिष्ट सम्प्रदाय अथवा पथ हैं। ये दो सिद्धान्त उन्हें अपने गुरु से मिले। १८६३ में शिकागो की सर्व-धर्म-परिषद में वे ‘अह ब्रह्माऽस्मि’ इस सिद्धान्त पर आधारित श्रद्धैत तत्त्वज्ञान की सर्वश्रेष्ठता और उसके आधार पर विश्वधर्म की प्राप्ति का सदेश देने गये। अपने गुरु के स्मारक के रूप में उनका सदेश सारी दुनिया में फैलाने के लिए १८८६ में उन्होंने रामकृष्ण मिशन नामक संस्था स्थापित की। सनातन हिन्दूधर्म के आधार पर व्यापक विश्वधर्म का सदेश दुनिया को देना, लोगों को यह विश्वास करा देना कि श्रद्धात् वेदान्त भौतिक शास्त्र की प्रगति के कारण मिथ्या नहीं उहर सकता, भौतिक प्रगति को और प्रवृत्ति-परता को प्रधानता देकर वेदान्त को कर्म-

प्रवण बनाना, ईसाई पादरियों की तरह धर्मचरण में लोक-सेवा को प्रधानता देना और धर्म के आधार पर राष्ट्र-भक्ति और स्वाभिमान की ज्योति जलाकर लोगों में परतन्त्रता के विश्वद-क्राति भव फैलाना—इस प्रकार बहुविध कार्य रामकृष्ण-मिशन ने किया है।

पजाव में भी कुछ पहले से विचार-क्राति हो रही थी। उसका श्रेय आर्य समाज को है। उसके स्थापक स्वामी दयानन्द का जन्म १८२४ में काठियावाड़ के एक ब्राह्मण - कुल में हुआ। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य-ब्रत धारण किया। फिर सन्यास लेकर १८७५ में बम्बई में आर्य-समाज की स्थापना की जिसकी एक शाखा १८७७ में पजाव में काथम हुई। लाला हसराज, लाला मुन्शी राम उर्फ स्वामी श्रद्धानन्द और लाला लाजपतराय इन तीन विभूतियों के कारण पजाव की इस शाखा को बहुत महत्व मिला।

आर्य समाज के सिद्धान्त संक्षेप में इस प्रकार है—परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का जान वेदों में है, इसलिए वेदों का अध्ययन करना हिन्दू मात्र का कर्तव्य है। वेदाध्ययन का अधिकार मनुष्य-मात्र को है। वेद आर्यों के पवित्र ग्रन्थ हैं और उन्हें सब हिंदुओं को प्रमाण मानना चाहिए। वैदिक काल में मानव-स्त्रीति पूर्णांवस्था को पहुँची हुई थी और समाज-रचना के सब श्रेष्ठ तत्त्व वर्णांश्रम धर्म में हैं। चातुर्वर्ण्य जन्मसिद्ध नहीं, गुण-कर्म पर अवलम्बित होना चाहिए और जिसमें जिस वर्ण के गुण हों उसे उसी वर्ण के अधिकार मिलने चाहिए। आर्यों के वैदिक धर्म का द्वार सब धर्मवालों के लिए खुला रहना चाहिए और शुद्धि करके किसी भी धर्म के माननेवाले को वैदिक धर्म में आने की छुट्टी रहनी चाहिए। आर्य धर्म का दीक्षा सारे जगत् को देना यही जगदुदार का मार्ग है और आर्यवर्त आर्यों का ही देश है।

आर्य समाज ने हिन्दू समाज को आक्रमक स्वरूप देने का प्रयत्न किया अर्थात् ईसाई और मुसलमान धर्म-प्रचारकों की कटूता और आक्रमक शक्ति हिन्दू समाज में पैदा करने की कोशिश की। उसी तरह मूर्तिपूजा, बालविवाह, स्त्रियों को गुलामी, जन्मसिद्ध अस्पृश्यता

इत्यादि दोगों पर भी उन्होंने जबरदस्त हमला किया। इसकी बढ़ौलत सुधार-दल में खाग और सन्यासवृत्ति, लोक-सेवा का ब्रत और धर्मनिष्ठा का तेज निर्माण हुआ। आर्य समाज ने राष्ट्रीयता और उपराजनीति और हिन्दू समाज की राजनैतिक कान्ति-भावना को मति दी थी। इसमें कोई सन्देह नहीं।

स्वामी दयानन्द के निपत्रण पर वियोसॉफी के दो संस्थापक मैडम ब्लैवे-टर्स्की और कर्नल अल्काट हिन्दुस्तान में आये और उन्होंने वर्वई में अपने भाषण में हिन्दुस्तानियों को बताया कि भारतवर्ष का नेतृत्व भारतवासियों को ही करना चाहिए। भारत को अपनी आत्मातिमक सस्कृति का अभिमान कभी न छोड़ना चाहिए। इसीसे हिन्दुस्तान का सच्चा उदार झोगा। वियोसॉफी सर्वधर्म-संग्राहक विचार-सप्रदाय है। १८६३ में एनीवेसेट हिन्दुस्तान में आई। कर्नल अल्काट का झुकाव बुद्धर्म की तरफ था और मिसेज बेसेट श्रीकृष्ण की भक्त थीं। उन्होंने काशी में सेढ़ल हिंदू कालेज कायम करके हिन्दुओं में वर्म-जागृति और राष्ट्रभक्ति पैदा करने का प्रयत्न किया। आखिर मेरे राजनैतिक क्षेत्र में भी आई, परन्तु उपराजनीयता को उनकी तरफ से बहुत सहायता नहीं मिली। फिर भी हिन्दुस्तानियों में अपनी सस्कृति के प्रति अभिमान पदा करने का काम उन्होंने ठींक-ठींक किया है।

यद्यपि इस तरह भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न मरान् व्यक्तियों के द्वारा विचार-क्रान्ति हो रही थी तो भी राजनैतिक क्षेत्र में जो जागृति लो। तिलक के द्वारा हुई उसकी तुलना किसीसे नहीं की जा सकती। उनके युरुपार्य से ब्रिटिश सत्ता भी हिल गई। उनके स्वतंत्र राजनैतिक कार्य का पारम्पर १८६५ से हुआ। परन्तु ४-५ साल में ही उनकी कीति सारे हिन्दुस्तान में फैल गई और अग्रेज अधिकारियों ने यह शोर मचाना शुरू किया कि महाराष्ट्र में तिलक दल क्रान्तिवाद का जनक है। इस चिज्जाइट से अथवा सच्चाधारियों ने जो भास उन्हें दिया, उससे उनका बल उल्टे बढ़ता चला गया और १९०५ के लगभग उनके नेतृत्व में हिन्दुस्तान के तमाम युवक देशभक्तों ने एकत्र होकर कायेस को

गरम नीति पर लाने का निश्चय किया ।

लोकमान्य ने सास्कृतिक पुनरुज्जोवन के आधार पर जो राष्ट्रीयता निर्माण की उसके करण उनके जीवन - काल में महाराष्ट्र में अत्राहण जनता में विशेष राजनीतिक जाग्रत्त नहीं हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद इसी सास्कृतिक राष्ट्रीयता का आधार लेकर उनके अनुयायी कहलानेवाले कुछ लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं और यह कहकर विदेशी सत्ता से सहयोग भी करते हैं कि यदि हमारी अपनी सकृति की रक्षा न होती हो तो हमें स्वराज्य की भी बदरत नहीं । इससे यह नतीजा निकलता है कि स्वसकृति का अभिमान हमेशा प्रबल राष्ट्रीय राजनीति का पोषक होगा, यह नहीं कह सकते । यही नहीं बल्कि आज तो ऐसे लोग भी टिक्काड़ देते हैं जो पश्चिमी पूजीवाड़ को ही अपनी सकृति समझकर प्रेम से उसके गले लिपटते हैं और हिंदू सकृति के नाम पर फासिडम का समर्थन करते हैं । इसके विपरीत हमारी राजनीति में एक ऐसा समाजवादी दल आज हिन्दुस्तान में उदय हो रहा है जो कहता है कि हमारी राजनीति को प्राचीन इतिहास से स्फूर्ति पानेवाले महात्मा गांधी और उसमें आधुनिक जगत् के इतिहास से स्फूर्ति पानेवाले प० जवाहर लाल नेहरू ये आधुनिक महाराष्ट्र के इतिहास के तिलक और आगरकर के नये अवतार प्रतीत होते हैं । तिलक और आगरकर के समय मेल और स्पेन्सर के सिद्धान्त आ रहे थे, आज मार्क्स और एजल्स के सिद्धान्त आ रहे हैं । मिल-स्पेन्सर के सिद्धान्त में से लोकसत्ता और सामाजिक समता के भावों को अपनाकर हिन्दुस्तान ने आज आत्म-सात् कर लिया है । और ऐसा करते हुए भी वह अपनी प्राचीन सकृति के अभिमान को धारण किये हुए है । अब इस नवीन समाजवादी तत्त्वज्ञान की क्या दशा होगी, यह प्रश्न है । हमारा खण्डल तो है कि इस नवीन तत्त्वज्ञान को भी हजम करके भारतीय सकृति की विशेषता और श्रेष्ठता कायम रहेगी, परन्तु यह बात इस पुस्तक के अंत में ही पाठकों का समझ में आ सकेगी ।

: ७ :

क्रान्तिकारी राजनीति

“इस तरह हिन्दुस्तान का पहला बन-आन्दोलन दक्षिण में शुरू हुआ। पूना उसका केन्द्र था और तिलक थे उसके जीवनदाता। हालांकि तिलक ने कभी क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग नहीं लिया, परन्तु उन्हा के लेखा आदि से प्रेरित होनेवाले कुछ लोग बाद में क्रान्तिकारी बन गये और देश में क्रान्तिकारी या आतकवादी हलचल चलाने का त्रेय या दोष महाराष्ट्र के ही जिस्मे है ।”

बगाल और महाराष्ट्र में अंग्रेजों का सबध अलग-अलग तरह से हुआ, इसलिए अंग्रेजी राज्य के प्रति दोनों प्रान्तों का रुख शुरू में कुछ अलग-अलग रहा। बगाल में राजा राममोहन राय को यह प्रतीत होता था कि अंग्रेजी राज्य हिन्दुस्तान के लिए एक ईश्वरीय प्रसाद है इसलिए बगाल में उन्होंने मुमलमान सूत्रा के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी को मटट दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ का सारा व्यापार गोरों के हाथ में चला गया। फर भी दो-तीन पीढ़ी तक बगाली यद्दी समझते रहे कि गोरों के सहयात्र से हिन्दुस्तान की सर्वांगीण उन्नति हो रही है। महाराष्ट्र में भी शुरू में यहा भावना रही। लोकहितवादी और रानडे राममोहन राय के ही पटचिह्नों पर चले, परन्तु शीघ्र ही वहा तिलक-आगरकर की उप्र विचार-सरणी लोगों के सामने आई। दादाभाई और ह्यूम के लेखों और भाषणों के आधार पर ऐसे विचार लोगों के सामने आने लगे कि हिन्दुस्तान में दण्डिता दिनों-दिन बढ़ रही है। इसलिए फ्रास की राज्य-क्रान्ति की तरह यहाँ भी एक प्रचण्ड राज्य-क्रान्ति होगी। तिलक और आगरकर ने राजा और प्रजा, विजित और विजेता के हितविरोध पर जोर देकर उप्र राजनीतिक विचार लोगों में फैलाए। रानडे का वैध सर्वांगीण सुधारवाद, आगरकर का उप्र सर्वांगीण सुधारवाद और चिपत्तूणकर —तिलक का उप्र राजनीतिवाद,— इस तरह ये तीन स्वतंत्र विचार-प्रवाह

महाराष्ट्र में टिखाई पड़ते हैं। १८६५ के पहले १०-१५ साल तक जो विचार-मथन महाराष्ट्र में हुआ, उसमें इन तीन विचार-प्रवाह का त्रिवेणी सगम टिखाई पड़ता है। उसके बाद आगरकर के विचारों की सरस्वती गुप्त हो गई और रानडे का वैध प्रागतिक ढल तथा तिलक का उग्र राष्ट्रीय ढल, ये दो ही ढल महाराष्ट्र में रह गए।

परतत्र और स्वतत्र राष्ट्रों में 'राजनैतिक सुधार'—इन शब्दों के अर्थ में बढ़ा भेद रहता है। स्वतत्र राष्ट्र के लोगों के सामने एक विशिष्ट वर्ग के हाथ की सत्ता सामान्य वर्ग के हाथ में तो जाने का सवाल रहता है। इसलिए वे सामान्य जनता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के सुधारों के अनुकूल रहते हैं। परन्तु परतत्र राष्ट्र के सामने तो विदेशियों के आक्रमण और गुलामी से छुटने का सवाल मुख्यतः सामने रहता है। उसे हल करने के बाद वे सामाजिक पुनर्गठन का विचार कर सकते हैं। इसीसे स्वतत्र देश में सामाजिक क्रान्ति के बाद राजनैतिक क्रान्ति के विचार पैदा होते हैं। जैसे इंग्लैण्ड में १६वीं सदी में एक सामाजिक क्रान्ति हुई, जिससे सामन्त वर्ग पीछे हटा और मध्यम व्यापारी वर्ग आगे बढ़ा। बाद में इस वर्ग ने लोकसत्तात्मक क्रान्ति की। इसी तरह १८वीं सदी के मध्य से १९वीं सदी के प्रथम चरण तक एक और औद्योगिक क्रान्ति हुई और उसके बाद अब फिर सामाजिक क्रान्ति के विचार फैल रहे हैं। परन्तु परतत्र देश में सामाजिक क्रान्ति के कारण राजनैतिक क्रान्ति के विचार शुरू में पैदा नहीं होते, बल्कि विदेशियों का आक्रमण और आधिपत्य देखकर मन में जो विरोध और प्रतिकार का भय पैदा होता है उससे क्रान्तिकारी राजनीति का जन्म होता है। लोकमान्य ने विरोध की इसी प्रतिकार-भावना को प्रबल बनाकर उग्र राजनीति को जन्म दिया, जिससे स्वदेशी, स्वराज्य, चहिकार, क्राति, स्वतत्रता के भाव सब जगह फैलने लगे, क्योंकि विदेशी सत्ता के आक्रमण से देश में जो दरिद्रता और वेकारी दिन-दिन बढ़ रही थी उसे देश का बच्चा-बच्चा महसूस करने लगा था।

इन भावनाओं से प्रेरित होकर भिन्न-भिन्न लोगों ने स्वतत्रता-प्राप्ति के भिन्न-भिन्न उपाय शुरू कर दिये। किसीने शास्त्रास्त्र जमाकर स्वराज्य-स्थापन करने का प्रयत्न किया तो किसीने जालिम अधिकारियों को कल्प

कर डाला, किसी ने शिवाजी क़ुब्र स्थापित करके बलोपसना शुरू की, किसीने राजे - रजवाडों की सहायता से क्रान्ति करने का विचार वॉधा, किसीने भारतीय राजे - रजवाडों को निकम्मा समझकर अफगानिस्तान और नेपाल - जैसे दूर के स्वतन्त्र राज्यों का आश्रय लिया, किसीने रामदासी मठों को पुनर्जीवित करने का उद्योग किया और किसीने मत्र - सामर्थ्य और योग - सामर्थ्य से काम लेना चाहा। मगर लोकमान्य की राजनीति इन सबसे भिन्न थी। वह उम्र बड़ी थी, मगर साथ ही वह अवैध नहीं थी। उनका यह निश्चित मत था कि जबतक आम जनता में जबरदस्त जागृति न हो जायगी और काग्रेस - जैसी संगठित सम्झा का नेतृत्व उसे प्राप्त न होगा तबतक हिन्दुस्तान को स्वराज्य नहीं मिल सकता। इसलिए उनकी राजनीति का संचालन महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा के द्वारा और भारत में काग्रेस के द्वारा चल सकता था। इसलिए लोकमान्य ने पहले सार्वजनिक सभा और बाट में काग्रेस पर कब्जा किया। तिलक की राष्ट्रीय राजनीति अत में तो क्रान्तिकारी है, परन्तु तात्कालिक दृष्टि से वह विधिविहित ही थी, क्योंकि वे मानते थे कि जबतक काग्रेस जनता की प्रतिनिधिक सम्झा नहीं बन जायगी, तबतक क्राति नहीं हो सकती। इसलिए तबतक विधि - विहित राजनीति से ही काम लेना चाहते थे। उनकी सारी कोशिशें इसी दिशा में हो रही थीं कि काग्रेस जनता की सबी प्रतिनिधि बने और उसकी राजनीति अग्रगामी हो। उनका मत था कि जो गष्ट का राजनैतिक नेतृत्व करना चाहता हो उसे आगे बढ़ते रहने की और, लोग मेरे पांछे चलते हैं कि नहीं, यह देखते रहने की आवश्यकता रहती है। अब किस समय राष्ट्र की कितनी तैयारी हो गई है इस बारे में नेताओं में मतभेद हो सकता है। ऐसे समय लोकमान्य बटुमत का निर्णय मानने के पक्ष में थे। अपने ४० साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने इस सिद्धात के विपरीत कभी आचरण नहीं किया। उसका उल्लंघन करनेवालों पर वे अराष्ट्रीयता का आरोप करते थे।

तिलक की राजनीति वृद्धिशील राष्ट्रीयता की और क्रान्तिकार की राजनीति थी। अपनी राजनीति में शक्ति लाने के लिए तिलक ने १८६४ में गणपति - उत्सव को सार्वजनिक स्वरूप दिया और १८६५ में शिवाजी-

उत्तम शुरु किया। इसने उन्हाने लोगों की धर्म-भावना और ऐनिहासिक चिनूनियों के प्रति पृज्य भावना वा उल्ल अपनी गवर्नरी को देने का प्रयत्न किया। जिस समय नवीन गढ़ीय भावना लोगों के अन्दर जोन्टार नहीं थी उस समय उत्तमों के द्वारा लोअ-हृष्टय में उसका बीजागोपण करने का यह प्रयत्न था। आग्रेस जो काम कर रही थी उसे जन-साधान्ण में व्यापक करने का यह उद्दोग था। इन उत्तमों के अन्दर लोगों की धर्मभावना जाग्रत् करके उन्हे नैतिक सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा आमार्दी में दी जा सकती थी। प्राचीन समय में लो वात्रा और मेले लगते थे, वे यष्टि का वानिक और वाणिगिक और सामाजिक दलचलों के भागी-मार्ग प्रदर्शन होते थे। इसके बाद लोकमान्य ने जनता के हुम्क-दर्द और शिकायतों वा प्रश्न तथा में लेने वा उद्योग किया। १८६८ में अबाल पढ़ा और लोकमान्य ने निश्चय किया कि नार्वजनिक सभा द्वारा किनानों का लगान माफ अथवा न्यगित बनाया जाय और इसके लिए उनमें जागृति की जाय। इसके द्वारा उन्होंने किनानों में अपने हाँचों वा ज्ञान उत्पन्न करना और चिकित्सा-विहित रूप से उन्हें सुरक्षारने किस प्रकार लड़ना चाहिए यह सिखाना शुरू किया। नार्वजनिक सभा के द्वारा हर गाँव में लाकर यह प्रचार किया गया कि पैदाचार नहीं हुई है तो लगान मत जना बनाया। इधर केसरी के द्वारा भी इस संघर्ष में खुब दलचल शुरू की जिसने लोगों में हिम्मत आने लायी और किसान हजारों की तादाद में सभाओं में आने लगे। इनमें सरबार्ह अधिकारी तिलक महागज को 'दिनुकान वा पानेल' कहकर उनको निंदा करने लगे।

इधर १८६८ में सरबर के विलायत ने आनेवाले सूत की जात उठा ली और विलायत ने यहाँ आनेवाले और यहाँ बनेवाले सब कपड़ों पर पाच रुपये लहरा दिया तो उहोंने इसे गर्वत लोगों के लिए आवश्यक कपड़ों पर चाढ़े तोन फौसटी जात बैठाना एवं नवीन अन्याय था। अबतक विलायत ने यहाँ आनेवाले करड़ और सूत पर साडे पाँच फौसटी जात थी। लेकिन देशी सूत और कपड़ों पर जो जात थी वह सिर्फ २० नम्बर के ऊपर के ही कपड़ों पर थी। नगर ग्राम नीचे

के नवर के मोटे सूत पर भी ३॥ सैकड़ा जकात बैठ गई और ऊपर के नवर के देशी और विलायती सूत और कपड़ों की जकात साढे तीन से साढे पाच तक आ गई । नतीजा यह हुआ कि विलायती मिलवालों को मोटे कपडे में भी स्वदेशी मिलवालों से प्रतिस्पर्धा करना आमान हो गया एवं महीन कपडे पहननेवाले सम्पन्न लोगों पर कर कम हो गया और मोटे पहननेवाले गरीबों पर लग गया । इसका लोकमान्य ने जोरों से विरोध किया । उन्होंने लोगों से कहा—“इस अन्याय का जितना प्रतिकार कर सको, करो । इसका प्रतिकार करना तुम्हारे हाथ में है भी, और वह यहाँ कि तुम स्वदेशी कपडा पहनना शुरू कर टो ।” इस तरह लोकमान्य ने पहली बार यह सीधा प्रतिकार का उपाय चलाया । हमारे मांगों के पीछे लोक-सगठन का बल होना चाहिए और लोक-सगठन के लिए लोगों में और नेताओं में न्यार्थ-त्वाग और धैर्य-बल होना चाहिए—यह भाव काग्रेस की राजनीति में दाखिल करने का श्रेय लोकमान्य तिलक को है । इस नवीन शक्ति का जन्म १८८६ में शहरों के मध्यमवर्ग में स्वदेशी हलचल के रूप में और देहात के किसानों में अकाल-आदोलन के रूप में हो रहा था । इस तरह शक्ति को समर्पित करके उसके आधार पर सरकारी सत्ता को शह देने का अत्यत महत्वपूर्ण कार्य महाराष्ट्र में लोकमान्य कर रहे थे ।

लोगों में जो यह प्रतिकार - भावना पैदा हो रही थी, वह उस समय विलकुल चाल्यावस्था में थी । इसलिए कभी - कभी वह उच्छृङ्खल भी न जाती थी । यह उच्छृङ्खलता लोकमान्य को निगाह में आ जाती थी । फिर भी उससे उन्होंने अपनी प्रतिकार - शक्ति को बढ़ाने के कार्य में खलल न पड़ने दिया । यह मानकर कि ऐसा तो होता ही रहेगा, वे अपने कार्य दृढ़ निश्चय से आगे चलाते गए । उन्हें यह देखकर ही आनंद होता था कि लोगों में प्रनिकार - शक्ति आ रही है । वे प्रभावकारी सगठन के रूप में उसका नियन्त्रण और रोक करने का प्रयत्न तो करते रहे, फिर भी उन्होंने लोगों का उत्साह भग करने अथवा जोश में आकर लोग कुछ ऊँटपटाग कर गुजरेंगे, इस डग से उनमें उत्साह ही न पैदा करने की नीति मजूर नहीं की । उनकी बुद्धि ने यह निर्णय कर लिया था कि मौजूदा

परिस्थिति में हमारा आनंदोलन कानून की मर्यादा में रहते हुए चलाया जाना चाहिए और उसके द्वारा जितनी प्रतिकार-शक्ति पैदा हो सकती है, उतनी बे कर रहे थे। इसी नीति के व्यवहार से भावी भारतीय स्वराज्य-निर्माण करनेवाली शक्ति जन्म ले रही है और इसी शक्ति के द्वारा हिन्दुस्तान में स्वराज्य उपस्थित होनेवाला है और उसका स्वरूप जन-तत्त्वात्मक होगा, इस विषय में इनके मन में कोई सन्देह न था। उन्हें यह आत्मविश्वास था कि जो शक्ति हम निर्माण कर रहे हैं वह बहुमत के द्वारा काग्रेस में जरूर डाली जा सकती है। उन्हें यह भी विश्वास था कि जबतक काग्रेस हम शक्ति का अवलंबन और सत्कार न करेगी, तब तक उसकी राजनीति सफल नहीं हो सकती। वे यह मानते थे कि काग्रेस को इसपर आमादा करा देना हमारा पहला कर्तव्य है। काग्रेस को छोड़कर सप्तवर रीति से अपनी राजनीति चलाने का विचार उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हिन्दुस्तान को स्वराज्य काग्रेस - जैसी सत्था के द्वारा ही मिल सकता है और उसीके द्वारा भारतीय राजनीति को प्रत्यक्ष प्रतिकार का अथवा कानिंवादी स्वरूप दिया जा सकता है। वे कानिंवादी थे, परन्तु उनका कानिंवादी वर्विष्ट था और उसकी भित्ति श्राम जनता के प्रतिकार - सामर्थ्य पर खड़ी हुई थी। उनके सामर्थ्य के अनुसार बढ़ने या घटनेवाला और घटकर भी फिर बढ़नेवाला उनका कानिंवाद था। लोग कानिं त के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए उन्होंने कानिंवाद को नहीं छोड़ा और हम कानिंवादी हैं, लेकिन लोग कानिं के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए उन्होंने लोगों को भी छोड़ नहीं दिया। वे कानिंवादी थे इसलिए 'लोकनायक' हुए और लोगों को साथ लेकर चले इसलिए 'लोकमान्य' हुए। उनकी लोकमान्यता उनके लोकनायकत्व पर अवलंबित थी और 'मुखरस्त्र इन्यते' न्याय के अनुसार लोकनायक पर होनेवाले आघात उन्होंने आनन्द से शिरोधार्य किये और जब लोगों की और सरकार की लड़ाई छिड़ गई तब उन्होंने कभी रणागण से पीठ नहीं दिखाई। इसीलिए उनकी लोकमान्यता कभी अस्तगत नहीं हुई। उनके प्रतिपक्षी अथवा उनके अन्ध अनुयायी जैसा मानते हैं, वह लोकनुरजन के स्तरे दाम में मिली कुछ लोकमान्यता न

थी, चलिक दृढ़ निश्चय, अलौकिक साहस और सुख तथा स्वार्थ-त्याग के दाम पर खरीदी हुई बहुमूल्य वस्तु थी। १८८७ में पूना में जो 'लेग-प्रकरण' हुआ उसमें उनके इन सद्गुणों को परीक्षा का समय आ गया। मिठे रेड पूना में 'लेग-कमिशनर' नियुक्त हुए। उनके बाद फर्बरी से मई तक पूना में 'लेग' हटाने के लिए एक प्रकार का कठोर फौजी शासन जारी किया गया। गोरी और काली सेना बुलाई गई और गोरे सैनिकों के द्वारा लोगों के घरों की तलाशियाँ ली गई। घर साफ कराये गए। घरों में धुग्रों देकर सफेदी कराई गई। इस सिल्सिले में लोगों पर भारी जुल्म किया गया। इसके बाद ही श्री रेड और श्री आयर्स्ट का खून वहाँ हो गया। ऐसा होते ही सारे त्रिटिंग साम्राज्य में तहलका मच गया और विलायत से पूना तक सब जगह हिन्दुस्तान में बढ़ते हुए असतोष और गजद्रोह की चर्चा हुई। इसपर तिलक की उग्र राजनीति से लोगों की इस प्रतिकार - भावना का बाटरायण - सम्बन्ध जोड़कर पूना के अलवारी पर जब सरकारी अधिकारी और अग्रेजी अखबार दूट पड़े, तब लोकमान्य तिलक ने निढ़र होकर सरकार से सवाल किया — क्या सरकार का टिपाग मुकाम पर है ? उन्होंने कहा — शासन करने का अर्थ बदला लेना नहीं है। इस तरह सरकारी सखियों के विरोध में उन्होंने अपनी आवाज उठाई।

१८८५ से चाफेकर बन्धुओं — दामोदर व चालकृष्ण चाफेकर — ने पूना में एक संस्था कायम की थी। उसके युवकों का ध्येय था, धर्म-रक्षण जो एक श्रथ में स्वगत्य-प्राप्ति है। स्वधर्म-रक्षण और स्वराज्य-प्राप्ति में उस समय भेड़ नहीं किया जाता था और शिवाजी तथा गणपति-उत्सवों में इसी नीति को लेकर ज्ञाख्यान आदि होते थे। बर्बाद में महारानी विक्यारिया की मूर्ति पर ढामर लगा देनेवाला व्यक्ति चाफेकर बन्धु की इसी संस्था का आदमी था। इस तरह चाफेकर बन्धु के स्वधर्म-रक्षण के हेतु और स्वस्त्रिति के अभिमान से प्रेरित युवक गण उस समय गुप्त घड़्यों के द्वारा और अखाड़े स्थापन करके शिवाजी महाराज का उदाहरण सामने रखकर स्वातंत्र्य-प्राप्ति का यक्त कर रहे थे और यह सत्य है कि उनके अन्तःकरण में देशाभिमान की ज्योति प्रज्वलित करने में लोक-

मान्य तिनक और उनका 'केमरो' कारणीभूत थे। परन्तु ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि कान्तिकारियों का मार्ग लोकमान्य को पमन्द रहा हो। यद्यपि सरकारी अधिकारी इस खून का दोष देशभक्त समाचारपत्रों के मत्ये मढ़ रहे थे; परन्तु ऐसे अत्याचारों की वास्तविक जिम्मेदारी उन जुट्मों और अत्याचारों पर है जो अविकारियों द्वारा राजकाज के मित्सिले में किये जाते हैं। ऐसे अवसर पर सरकारी अन्याय और अत्याचार की आलोचना करके विधिवत् मार्ग से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना और लोगों पर वेकायड़ होनेवाले जुट्मों के प्रतिकार का न्यायोन्नित मार्ग उन्हें दिखाना देश-भक्त लोकनायकों का अवश्यक कर्तव्य है। लोगों के डिलों में पराधीनता के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करना और उनकी प्रतिकार-शक्ति को जाग्रन करना राजद्रोह नहीं है, बल्कि सशस्त्र बगावत को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देना वास्तविक राजद्रोह है। ऐसा करनेवालों को सजा देना और अत्याचारी लोगों को तलाश करके उनके लिए मुनासिव कार्रवाई करना अधिकारियों का कर्तव्य है, परन्तु इस कर्तव्य का पालन बरते हुए अपराधी और निरपराध दोनों पर एक साथ टूट पड़ना समझदारों नहीं है। अत्याचार की प्रवृत्ति नष्ट करने का मार्ग यह नहीं है, बल्कि लोगों पर अत्याचार न करना है। सरकार यदि खुद कानूनों का पालन करे और अपना दिमाग ठण्डा रखते तो लोगों के भी दिमाग का पारा नहीं चढ़ता। सशस्त्र कान्ति को रोकने की जिम्मेदारी जिस प्रकार लोकनायकों पर है उसी प्रकार सरकारी अधिकारियों पर भी है। अगर वे उसको यथावत् न निभावे तो फिर लोकनायकों को लोगों के अत्याचारों के लिए जिम्मेदार ठहराना और वे महज देशभक्ति, धर्मभक्ति व प्रतिकार-भावना जाग्रत करते हैं। इन बिना पर उन्हें राजद्रोही सिद्ध करना अन्याय है। राज-द्रोह की मीमांसा करते हुए लोकमान्य लिखते हैं-

"जिस लेख (या भाषण) के द्वारा राज्य में उथल-पुथल अथवा विज्ञव होने की समावना हो उसका समावेश राजद्रोह में होता है, परन्तु सरकार के द्वारा जो भूल और अन्याय होता है। उसे साफ तौर पर सरकार को बताना या लोगों को समझाना या उसपर कठोर टीका करना किसी प्रकार आपत्तिजनक नहीं समझा जा सकता।"

कान्तिकारी राजनीति

परन्तु बाद में राजद्रोह की मूलधारा में सरकार ने सशोधन किया और सरकार के प्रति ग्रंथीति उत्पन्न करना अपराध ठहराया और प्रीति के अभाव को अप्रीति मानकर 'केसरी' के लोखों के कारण लोकमान्य को ढेढ़ साल की सजा दी गई। इसी समय पूना के सरदार घराने के दोनों नानू-बन्धुओं को १८२७ के २५ वें रेगुलेशन में पकड़कर बिना मुकदमा चलाये जेल में डाल दिया गया और इसी समय महाराष्ट्र और पूना के बाहर के कई अखंतारों पर भी मुकदमे चले और सजाए हुईं। परन्तु लोकमान्य पर बो मुकदमा चलाया गया, उसने सारे हिन्दुस्तान का ध्यान आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि १८६६ के कांग्रेस-अधिवेशन के अव्यक्त श्री शङ्करण नायर को यह भहना पड़ा कि लोकमान्य पर ग्रन्थाय हुआ है। उन्होंने यह भी राय दी कि हिन्दुस्तान में राजद्रोह के मामलों में ज्यूरी हिन्दुस्तानी नागरिकों के समान अधिकारों और टंजों के सिद्धान्त का जरों से प्रति-पाठन किया और कहा कि 'स्वराज्य तथा भाषण में भारतीय और ब्रिटिश भिलने चाहिए। उन्हाने अपने भाषण और टंजों से छुटकारा नहीं हो सकता।' अपने भाषण के अन्त में उन्होंने कहा कि 'ब्राह्मणों से लेकर अस्थृत्य तक सबके समान अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं। इसी समता की भावना से हम अपने शासकों के उन कृत्यों की टीका करते हैं जिसमें विप्रमता का परिचय मिलता है। यूरोपियनों और हिन्दु-स्तानियों में कानूनी विप्रमता जिस अश्व तक दूर होगी और जिस हठ तक हमें स्वराज्य दिया जायगा, उसी हठ तक हम मानेगे कि स्वतंत्रता की दिशा में हमारी प्रगति हो रही है।'

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इन गिरफतारियों और कारावास का निषेद करनेवाले प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा—'पूना में जो ज्यादा पुलिस का बिराड़ी वास करनेवाले प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा—'पूना में जो ज्यादा पुलिस का बिराड़ी गई है, यह बेजा हुआ। श्री तिलक और पूना के दूसरे सपादकों को कारावास दिया गया, यह और भी बही भूल हुई। श्री तिलक के प्रति सहानुभूति से मेरा हृदय भर गया है और सारे देश की ओर्डों से आज आँख बह रहे हैं।' इस प्रकार अपने स्वार्थव्याग और अलौकिक धैर्य से लोकमान्य ने सारे राष्ट्र के अन्त करण में अपना घर कर लिया। उनकी जेल-

यातना सारे राष्ट्र ने अपनी यातना समझी और सारे ससार को यह दिखा दिया कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र है, उसकी सबेदना-शक्ति जागृत है और अपने जालिमों की अपेक्षा अपने लिए जुल्म सहनेवालों के प्रति अधिक निष्ठा रखने की पावन वृत्ति हिन्दुस्तान में भी जीवित है। इस समय यह भी सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पर राज्य करने का नैसर्गिक अधिकार उन लोगों को नहीं है, जो उसके द्रव्य का अपहरण करके उसपर मुल्की सत्ता चलाते हैं, बल्कि उन लोगों का है जो कि इस जुल्म और द्रव्य-हरण का प्रतिकार करने के लिए विधि-विहित और न्यायोचित मार्ग से झगड़ते हैं और उस मार्ग में आनेवाली अनिवार्य आपत्तियों को फेलने के लिए खुशी-खुशी तैयार होते हैं। परन्तु अभी वह समय नहीं आया था, जब कि इस सिद्धात का ज्ञान लोगों को हो और कांग्रेस की नीति उसके अनुसार निर्धारित की जाय। अब भी कानून और जावते से सजा पानेवाले देशभक्तों का खुल्लमखुल्ला अभिनन्दन करने का साहस कांग्रेस में नहीं आया था।

इसी ससय महाराष्ट्र में एक और युवक नेता अखिल भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उदय पाने लगा था। यह ये माननीय गोखले। माननीय गोखले अपनी राजटरवारी राजनीति के कारण इतने प्रसिद्ध हो गये कि जैसे तिलक को लोगों ने 'लोकमान्य' पदवी दी उसी प्रकार मानो लोगों ने गोखले को भी 'माननीय' पदवी दे दी हो। लोगों की ओर से राजटरवारी राजशासकों का विरोध करके भी सरकार-मान्यता कायम रखने का सम्मान सबसे पहले उन्होंको मिला। परन्तु लोग जो यह कहते हैं कि राजमान्यता और लोकमान्यता ये दोनों वैभव उन्होंने भोगे, यह ठीक नहीं। तिलक को जैसे राजमान्यता अपने जीवन में कभी नहीं मिली, करीब-करीब वैसे ही गोखले को अपने जीवनकाल में अधिक लोक-मान्यता भी कभी नहीं मिली। राजमान्यता और लोकमान्यता दोनों का भरपूर उपयोग तो आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी को ही प्राप्त हुआ। फिर भी अपने जीवन-काल में दरबारी राजनीति में माननीय गोखले ने अग्रस्थान प्राप्त किया और १८६७ से अगले २० साल का आधुनिक भारत का इतिहास गोखले और तिलक इन दो

महाराष्ट्राय नेताओं के नेतृत्व में काम करनेवाले दो अखिल भारतीय राजनैतिक पक्षों का इतिहास है, ऐसा कहने में कोई श्रत्युक्ति नहीं है। गोखले तिलक से १० साल छोटे थे, फिर भी राजनैतिक विचारों में वे तिलक के पहले की पीढ़ी के शिष्य थे, इससे उस पीढ़ी की राजनीति के नेतृत्व करने का गौरव उन्हें मिला और दरवारी राजनीति और कांग्रेस के कार्य में उनकी प्रगति उनकी उम्र के लिहाज से बहुत तेजी से होती गई। पहले जब वे 'डेकन एजुकेशन सोसायटी' में आये, तब ऐसा कहते हैं कि आगरकर की अपेक्षा तिलक के विचारों की तरफ ही उनका भुकाव अधिक था लेकिन थोड़े ही दिनों में सुधारक के नाते उन्होंने आगरकर का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और 'सुधारक' पत्र निकलने के बाद चार वर्ष तक उसके अँग्रेजी सम्पादक वा काम किया। पर थोड़े ही दिनों में वे न्यायमूर्ति रानडे की कक्षा में आ गये और शीघ्र ही उनके शिष्य बन गए। तिलक और आगरकर ने जिस प्रकार अपने स्वतन्त्र बुद्धि से अपना स्वतन्त्र मार्ग निश्चित किया था, ऐसी स्थिति गोखले की नहीं थी। वे न्यायमूर्ति रानडे के अद्वापूर्वक शिष्य बने और अपने समस्त बुद्धि-सर्वस्व से उस अद्वा के प्रकाश में दिखनेवाले मार्ग का अनुसरण करने लगे। रानडे उनके दृष्टा गुरु थे और गोखले कभी इस बात को नहीं भूले कि वे उनके एकनिष्ठ शिष्य हैं। उनकी प्रजा चाहे अलौकिक न हो, पर उनको अद्वा अलौकिक थी इसमें सदैह नहीं। इस अद्वा के बल पर उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व प्राप्त किया और प्रागतिक राजनीति को स्वार्थ-त्याग की आन्यात्मिक भूमिका पर अधिष्ठित किया। प्रागतिक राजनीति में यद्यपि कान्तिकारियों की बीरवृत्ति के लिए बहुत गुजायश नहीं थी, तो भी निरन्तर लोकसेवा और आजन्म स्वार्थत्याग के जीवन में इसकी आवश्यकता तो है ही, यह जानकर उन्होंने 'भारत सेवक समिति' (Servants of India Society) नाम की अपूर्व स्थापना स्थापित की। प्रागतिक राजनीति कोई स्वार्थरक्षा का धन्धा नहीं है और प्रागतिक पक्ष कोई राव साहव और राव बहादुरों का पिजरापोल नहीं है और न धनिक वर्गों का 'हितरक्तक सघ' ही है, बल्कि कान्ति-मार्ग से होनेवाली प्रगति की व्यर्थता को देखकर कम विकास का मार्ग निश्चयपूर्वक और

नित्य सेवात्मक स्वार्थत्यागपूर्वक ग्रहण करनेवाले देशभक्तों का एक सम्प्रदाय है यह सिद्ध करने का श्रेय माननीय गोखले को ही है। अनेक मामूली बुद्धिमानों से माननीय गोखले की बुद्धिमत्ता असामान्य थीं, परन्तु उन्होंने यह देख लिया कि राष्ट्रीय उन्नति के शिखर तक जाने का स्वतन्त्र मार्ग खोज निष्ठालाने के लिए आवश्यक दृष्टत्व या स्वतन्त्र प्रजा अपने में नहीं है। एकदृष्टा गुरु के उपदेशानुसार दृढ़ श्रद्धा व द्रुत गति से प्रगति-पथ पर चलते हुए ध्येय-शिखर तक पहुँचनेवाले वे एक असामान्य भारतपुत्र थे, इसमें शङ्का नहीं।

“अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशग्रामा विनश्यति” इस गीता की उक्ति के अनुसार न पूरा शिष्यत्व और न पूरा दृष्टत्ववाली अवस्था में अपना स्वतन्त्र मार्ग निश्चित करने और नेतृत्व की महत्वाकांक्षा रखकर अपना और अपने अनुयायियों का विनाश करनेवाले वे न थे। हिन्दुस्तान के सदृश स्वरूप गुण भी बहुत दुर्लभ हैं। आजन्म शिष्यत्व का पेशा स्वीकार करते हुए स्वतन्त्र प्रजा का अहकार नहीं छूटता और इसलिए अन्त को ‘न इस घाट, न उस घाट’ वाली स्थिति में झूँकते-उत्तराते हुए अहकार से ससार के उपाहास के पात्र बननेवाले और बिल्कुल मामूली प्रजा पर राष्ट्र के स्वतन्त्र नेतृत्व का मान-सम्मान खरीद करने की इच्छा रखनेवाले लोग बहुत मिलते हैं। परन्तु ससार के इतिहास का यह अनुभव है कि यह सम्मान का सौदा इतना सस्ता नहीं है।

हिन्दुस्तान के आय-व्यय की जॉन्च करने के लिए १८८६ में वेल्वी कमीशन नामक रॉयल कमीशन चिलायत में नियुक्त हुआ था। इस कमीशन को चिठाने में दादाभाई आदि हिन्दुस्तानी नेताओं और भारतीय जनता के अंग्रेजी हितेच्छुओं का यह उद्देश था कि ब्रिटिश पार्लामेंट को यह टिक्का दिया जाय कि ब्रिटिश शासन-पद्धति के कारण हिन्दुस्तान दिन-ब-दिन कैसा भिखारी होता चला जा रहा है और शासन-काये में भारतीय

लोगों का प्रवेश कराया जाय, सैनिक खर्च में कमी की जाय, साम्राज्य-विस्तार के लिए हिन्दुस्तान पर लाठा जानेवाला खर्च इंग्लैड उठावे, विलायत में भारतमन्त्री और भारतमण्डल (India Office) में होनेवाला खर्च इंग्लैड चलावे। मतलब यह कि हिन्दुस्तान और इंग्लैड का सारा आर्थिक अववाहर मालिक और गुलामवाले सिद्धात पर न चलाते हुए एक साम्राज्य के दो समान ढंगे के हिस्सेदार होने के तत्व पर चलाया जाय और भारतीय आय-व्यय पर भारतीय जनता का थोड़ा-बहुत नियन्त्रण हो। खुद दादा भाई इस कमीशन में नियुक्त हुए थे, जिससे लोगों के टिल में बहुत आशा उत्पन्न हुई थी। इसके सामने गवाही देने के लिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, वाचा, सुब्रह्मण्यम् अथव जैसे बड़े-बड़े नेता थे। इस समय पूना की डैक्टन सभा की तरफ से प्र० गोखले भेजे गये थे। इंग्लैड में इस काम के लिए पूना से किसी लोक-प्रतिनिधि के जाने का यह पहला ही सुयोग था। माननीय गोखले ने वेल्वी कमीशन के सामने जो गवाही दी, वह बहुत ही युक्तियुक्त और बढ़िया रही, और तभी से लोगों को विश्वास हो गया कि रानडे का यह युवक शिष्य आगे चलकर इंग्लैड में बमीठी करने के लायक सिद्ध होगा। खुद लो० तिलक ने भी यह कबूल किया कि गोखले ने अपनी विलायत-यात्रा से अपने बिद्वान गुरु का गौरव बढ़ाया। भारतीय राजनीति का स्वरूप शुरू से आखिर तक द्विविध सरकाराभिमुख और लोकाभिमुख रहा है, इन दानों अभिमुखों के पांछे एक अन्तःकरण और एक शक्ति जबतक न होगी, तबतक उसे सफलता नहीं मिल सकती। सर्वजनिक सभा अथवा काश्रेस जैसी लोक-प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा और उनके अनुशासन में यह राजनीति लोकसत्ता के तन्त्रानुसार बहुमत से चलती है। इसी में इसका वास्तविक स्वास्थ्य और बल है, परन्तु दुर्देव से महाराष्ट्र में रानडे-पक्ष और तिलक-पक्ष ऐसे दो पक्ष जो इस समय निर्माण हो गये, वे इस प्रकार की एक स्थिति में रह नहीं सके। इसलिए सरकाराभिमुख और लोकाभिमुख राजनीति का अन्तःकरण एक नहीं रह सका। इससे राष्ट्र की वेशुमार हानि हुई है, किर इसमें टोप किसी का ही रहा हो।

रेड और आयर्स्ट के खून की तथा पूने की दो महिलाओं पर गोरे

सैनिकों द्वारा अत्याचार होने और एक के प्राण देने की स्वर गोखले को इंग्लैंड में लगी, जिसे उन्होंने 'मैनचेस्टर गार्जियन्' में छपवाया, परन्तु सबूत न मिलने के कारण अन्त में माफी मँगी। इस घटना से गोखले लोकनिन्दा के भाजन बने। निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो कहना होगा कि इस प्रकरण में गोखले ने कोई भूल की हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। परन्तु तिलक-जैसे राजनीतिज्ञों को यह महसूस होना स्वाभाविक था कि माफी के शब्द न पे-तुले न थे। तिलक की ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को देखने की भूमिका शत्रुता की थी और गोखले की भूमिका ब्रिटिश साम्राज्य की ओर परमेश्वरीय प्रसाद की दृष्टि से देखने की भावनात्मक थी और यही दोनों में मूल अतर था। तिलक की राजनीति में माफी के लिए जगह तो थी, परन्तु वह सिर्फ जान्ते-कानून को भुगताने के लिए। गोखले की राजनीति में माफी का स्वरूप एक प्रकार से धार्मिक प्रायश्चित्त के तौर पर था। १८८७ में अमरगती में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें इन दोनों राजनीतियों का स्वरूप चिल्कुल स्पष्ट हो गया और वह दिखाई दिया कि तिलक की राजनीति लोगों को मान्य हो रही है।

बेल्वी कमीशन के थोड़े ही दिन बाद हिन्दुस्तान में लाई कर्जन का जमाना शुरू हुआ। १८८८ में वे हिन्दुस्तान के वायसराय हुए। उनके जमाने को हिन्दुस्तान की गरीबी और दुर्दृढ़ता का जमाना कहना चाहिए। १८८७ में सारे हिन्दुस्तान में अकाल और लेग का जर्वेस्त टौर-टौर रहा। १८८८ और १९०० में तो अकाल के कारण लाखों लोग अब-अब करके मर गये। वह अकाल ४ साल तक रहा। इन अकालों और लेग से भारत भूमि मानो इमशान भूमि बन गई। इन सकटों के कारण यद्यपि प्राकृतिक थे तथापि इन्हें दूर करने के साधन उपलब्ध होने पर भी हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। इसका कारण हमारी राजनैतिक गुलामी है, ऐसा हिन्दुस्तान की निवृत्ति-मार्गी और अत्प-सतुष्ट बनता भी समझने लगी। हम मर्यालोक में रहते हैं और हमें एक दिन मरना ही है, अत. मनुष्य को मरण का भय न रखना चाहिए—यह ठीक है। परन्तु जब हर घर से युवक, प्रौढ़ और बालक-बालिकाओं की चित्त जलाने की नौबत आती है और घर-घर में बाल-विधवाओं की सख्ता

बहुने लगती है तो इसे मर्यालोक का शाश्वत चिह्न नहीं कह सकते। इसे समझने के लिए बहुत पांडित्य की भी जरूरत नहीं थी। इसी तरह हमारे देश से करोड़ों मन अनाज विदेशों को जा रहा है, जिसके फल-स्वरूप देश के लाखों किसान भूखों मर रहे हैं। इसमें भी परमेश्वर का कोई दोष नहीं, बल्कि अपना अथवा अपनी राजनैतिक परिस्थिति का ही कुछ दोष होगा, यह एक अपढ़ आदमी भी समझ सकता था। एक और बात भी थी। एक और तो जनता दरिद्रता, अकाल और रोगों से पीड़ित होकर मौत के मुँह में जा रही थी, दूसरी ओर हमारी आँखों के सामने ही अधिकारी लोग चेन की बसी बजा रहे थे। एक और किसानों का दिवाला निकल रहा था तो दूसरी ओर सरकार के खजाने में रुपयों की वर्षा हो रही थी। यह वैषम्य सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने १६०२ में अहमदाबाद काग्रेस के अध्यक्ष पद से भावण देते हुए बड़ी मार्मिकता से प्रदर्शित किया था—“एक और सरकारी खजाने में रुपये की बाढ़ आ रही है और दूसरी ओर जनता भूखों मर रही है यह वैषम्य किसी को भी खटके बिना नहीं रह सकता। १८७७-७८-८४-८२-८७ और १६०० के तमाम अकालों में मिलकर १॥-२ करोड़ लोग काल के ग्रास हो गए। इधर सरकार तरह - तरह से अपनी आमदनी बढ़ाने में मशागूल थी। १८८४-८५ से लेकर १६०२ तक के सालों में करीब २८ करोड़ रुपये की बचत सरकार को हुई और इसका मुख्य कारण यह है कि १८८५ से इस तरह कर लगाये गये कि जिससे ६ करोड़ रुपये ज्यादा आमदनी होती था। माननीय गोखले ने लाड़ कर्जन-कालीन बजट पर बहुत ही युक्तियुक्त सुनोध और सरस भाषण दिये और यह दिखलाया कि सरकार को प्रतिवर्ष बचत कर्यों हो रही है और राष्ट्र - सवद्धन में उसका उपयोग कैसे किया जाय। लोगों के सिर से कर का बोझ कम करना सरकार का कर्तव्य है और यह बचत देश का उत्कर्ष सावित नहीं कर रही, बल्कि उचित से अधिक कर लगाने की अर्थात् एक तरह से जुल्म करने की प्रवृत्ति जाहिर कर रही है, यह उन्होंने बहुत ही अच्छे ढग से सिद्ध कर दिया। गरीब देश का बजट कैसा होना चाहिए, किस बर्ग पर कितना कर लगाना चाहिए, कौन - सा कर कैसे कम किया जाय,

आम जनता की हालत सुधारने में कैसे मदद करनी चाहिए और सुशिक्षित नेताओं का नियत्रण यदि देश के आय-व्यय पर हो तो वे उसकी कैसी व्यवस्था करेंगे, इसका शास्त्र-शुद्ध, सुव्वोध और साधार किन्तु सरस विवेचन गोखले के इन भाषणों में मिलेगा। इस कारण जिन गोरे अखबारों ने लोकमान्य तिलक को 'पारनेल' की उपमा दी उन्होंने माननीय गोखले को 'ग्लैडस्टन' की उपमा दी। ये दोनों उपमाएँ यथार्थ हैं। फर्क इतना ही है कि ग्लैडस्टन भर पेट बेतन लेकर देश-कार्य करते थे और गोखले का देश परावीन था, इसलिए उन्हें दरिद्रता का ब्रती होकर सरकारी नाति पर निष्पल टोका करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता और देश-भक्ति का प्रदर्शन करके ही रह जाना पड़ता था। लोकमान्य तिलक और पारनेल में भी ऐसा ही फर्क था। चारित्र्य की शुद्धता और तेजस्विता इन दो गुणों में तो लोकमान्य पारनेल से श्रेष्ठ थे ही, परन्तु उनका देश आयलैंड से १५-२० गुना बड़ा है और उसी मात्रा में उसकी स्थिति भी अधिक अवनत थी। ऐसे खण्डतुल्य प्रचरण राष्ट्र को जाग्रत कर प्रतिकार-ज्ञान बनाने का कार्य उस आइरिश नेता के काम की अपेक्षा अनेक गुना अधिक विकट और कम फलदाई था। इस देश में ऐसा काम एक निष्काम कर्मयोगी ही कर सकता था। इस दृष्टि से विचार करते हुए माननीय गोखले और लोकमान्य तिलक की वास्तविक योग्यता ग्लैडस्टन अथवा पारनेल से एक व्यक्ति के नाते बहुत बड़ी थी। परन्तु उनका जन्म 'पिछड़ी हुई' स्वत्तुति में होने के कारण उनकी तुलना यूरोपियन स्वत्तुति में जन्मे श्रेष्ठ मुत्सहियों से हो सकती है, यह देखकर उस समय के लोग एक प्रकार का अभिमान अनुभव करते थे और उन्हें यह आत्मविश्वास होता था कि हम फिर अपनी प्राचीन श्रेष्ठता को पा लेंगे अथवा कम-से-कम दूसरे राष्ट्रों की बराबरी में तो आ ही सकेंगे।

हिन्दुस्तान की गोरा-समाज नौकरशाही और ब्रिटिश पूँजीपतियों की प्रतिनिधित्वरूप भारत सरकार यह परम्परारक्तक (Conservative) पक्ष और भारतीय जनता का प्रतिनिधिभूत सुशिक्षित नेता बर्ग यह प्रागतिक अथवा लिबरल पक्ष—ऐसी गोखले की राजनीति की भूमिका थी जहाँ लोकमान्य के राज-कारण में ब्रिटिश सरकार विदेशी नेता और

कान्तिकारी राजनीति

ब्रिटिश पूँजी की गुलामी से कुड़ाकर भारतीय नेता आजदी में ले जाने-वाले जनता के विश्वस्त लोकनायक के रूप में आते थे। पहले पक्ष को भारतीय राजनीति अनियंत्रित राजसत्ता को लोकसत्ता में परिवर्तित करने-वाली प्रतीत होती है तो दूसरे पक्ष को एक राष्ट्र के जबडे से दूसरे राष्ट्र को मुक्त करनेवाली मालूम होता है। पहले के लिए यह स्थिति भूल जाना कि हम 'गुलाम राष्ट्र हैं', शक्ति नहीं थी। उसी प्रकार दूसरे के लिए 'हमारा भावी स्वराज्य लोकसत्ताक उदार तत्त्वों पर सभवनीय न था। परन्तु पहले का जोर लोकसत्ताक उदार तत्त्वों पर विशेष या तो दूसरे का स्वातन्त्र्य-प्राप्ति की जावत्य राष्ट्रीय भावना पर अधिक था। पहले की राष्ट्रीय भावना चन्द्रमा की तरह शीतल और सौम्य थी तो दूसरे की स्वातन्त्र्य-भावना मध्याह के सूर्य की तरह शीतल और ग्रीष्म थी। पहले पक्ष के कुछ लोग कभी-कभी इस बात को भूल जाते थे कि गुलाम देश के हैं और अधिकराण पक्ष से ऐसा ही व्यवहार करते थे, मानो एक ही देश के भिन्न वर्ग और पक्ष हैं तो दूसरे पक्ष के कुछ लोग इस बात को भूलकर कि भारतीय स्वराज्य आम जनता के बल से ही मिलनेवाला है और लोकसत्ताक ही होगा, देश की स्वतन्त्रता के अवशेष-स्वरूप मध्युगीन राजे-राजबांडों को और स्वातन्त्र्य-प्राप्ति को आशा से देखते थे। इन दोनों पक्षों के मूलभूत दृष्टिकोण में यह तात्त्विक मेंट अधिकाधिक स्पष्ट एवं विशद होता गया और उसी के हिसाब से दोनों पक्षों का अन्तर भी बढ़ता गया।

लॉर्ड कर्जन का ध्येय अथवा नीति ही यह थी कि हिन्दुस्तान के प्रागतिक पक्ष अर्थात् नरम दल की राजनीति का पाया ही दीला कर दिया जाय। प्रागतिक राजनीति का आधार था— महारानी चिकंटरिया की इंप्रेंट की घोषणा और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के समय-समय पर टिये गए अभिवचन। लॉर्ड कर्जन ने कई बार यह स्पष्ट कह दिया कि यह घोषणा राजा और प्रजा में हुआ कानूनी ठहराव नहीं है और उनका यह भी मत था कि आनुवंशिक तथा परपरागत संस्कारों के कारण अब्रेज नौकर-शाही में जो कार्यक्रमता है वह हिन्दुस्तान के पढ़े-लिखे लोगों में कभी-

नहीं आ सकती इसलिए यहाँ की बड़ी और ऊँची नौकरियों अग्रेस को ही मिलनी चाहिए। अपने उच्चार और आचार के द्वारा वे यह भी दिखलाने थे कि भारतीयों को धीरे-धारे योग्य बनाकर शासन-भार उनके हाथ में सौंप देना हमारा ध्येय है, ऐसा जो राजनीतिज्ञ लोग कहा करते हैं उसपर विश्वास करनेवाले लोग बहे मूर्ख हैं। वे यह भी प्रदर्शित करते थे कि हिन्दुस्तान की आम जनता तो राजभक्त ही है, काग्रेस के द्वारा मुट्ठी भर लोग उछल-कूद करते हैं। दलीलबाजी से उनका यह भ्रम दूर करना शिक्षित लोगों के लिए शक्य न था। तब विरोध और बाधा डालने का ही मार्ग नेताओं के सामने बाकी था। परन्तु गोखले के पक्ष के द्वारा इसके होने की आशका न थी। लोकमान्य तिलक ने सब बातों से यह निचोड़ निकाला कि इसके लिए काग्रेस को विरोध की नीति अखितयार करनी चानिए। अतः उन्होंने लार्ड कर्जन के शासन-काल के अंत काग्रेस को अपने कब्जे में करने का उद्योग किया।

इधर लार्ड कर्जन ने हिन्दुस्तान का शासन सब तरह से अनियन्त्रित या एकत्रीय करना शुरू किया। इसमें उनका मुख्य हेतु यह था कि हिन्दुस्तान के बाहर ब्रिटिश राज्य का विस्तार किया जाय। सरहद प्रान्त को स्वतंत्र करना, अफगानिस्तान को जोर देना, तिव्रत पर चढ़ाई करके चीन पर हावी होना और रूस को जकड़-बन्द कर देना उनकी माझाज्य-विषयक और सैनिक नीति थी। अनियन्त्रित सत्ता के इस केन्द्रीकरण और आक्रमक परराष्ट्र नीति के आगे भारतीय नेताओं की बढ़ती हुई लोकसत्ता की आकृत्याओं की कोई गुजर नहीं थी। परन्तु अपनी जिस स्वेच्छाचारिता और अहमन्यता के कारण लार्ड कर्जन का नाम आधुनिक भारत के इतिहास में अमर हो गया है, वह था—वग-भग। बगाल में जो निःशस्त्र और सशस्त्र क्रातिवाद का जन्म हुआ और जिस बगाल की राष्ट्रीय शक्ति को काग्रेस की राजनीति के पक्ष में खड़ी करने के लिए लोकमान्य तिलक ने भगीरथ प्रयत्न किया उसका प्रथम आविर्भाव वग-भग के प्रतिकार के रूप में हिन्दुस्तान में हुआ।

: ८ :

क्रान्तिकारी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद

“अन उमस अनिवार्य वा प्रार वह उमलिए नी ग्रापशक वा कि सारी जनना राष्ट्रीयना की ओर चुक्ते, किन्तु इनन से राष्ट्रीयना का जन्म नहीं हुआ। कस ने यादबो पर जो ग्रन्थाप ग्रान अत्याचार किये उनमे कुछा का जन्म नहीं हुआ, परन्तु उनकी आध्यात्मिक अभिलिप्त थी कि मधुरा के निशाता प्रसन्न मुक्तिगाना को कामना करें प्रार जने ही उमसां जन्म हो उनकी मत्ता न्यौकार रह लें। राष्ट्रीयना एक प्रवतार है प्रार उन्होंना नाश नहीं किना जा सकता। राष्ट्रीयना ईश्वर दाता नियुक्त गति है प्रार मर्वभाम गति में, जहा मे उनका उद्गम हुआ है, अपना अभिन्न विनीत करने के पूर्व उसे अपना ईश्वर-प्रदत्त काय पूरा करना चाहिए।”

बन्दे मातरम् ८

१६०८ से १६०७ तक कायेस के अविवेशन दिन-दिन अविक उत्साह से और अधिक महत्वपूर्ण होने लगे। एक नवीन स्वामिभानी राष्ट्रीय पक्ष समर्पित होने लगा था; इवर दग्लेड में अनुदार दल की जगह उदार दल के हाथ में शासन-मत्ता आने से दादाभाई इत्यादि को हिन्दुस्तान के लिए कुछ आशा होने लगी। दादाभाई इत्यादि यह कोशिश कर रहे थे कि कायेस के स्वामिभाना उग्रदल और विनीत प्रागतिक दल दोनों के सम्पोग से कायेस को मजबूत किया जाय और गोखले के उत्साह और वक्तुत्व का लाभ कायेस को मिले और तिलक के साथ से और तेजस्विता ने भी कायेस को बन मिले। लोकमान्य तिलक का असली भगवा लूम व दादाभाई नौरोजी से नहीं था, बल्कि गोखले से था। तिलक अपने टग से कायेस को उसी नीति पर ला रहे थे जो आगे चलकर दादाभाई के १६०६ में कायेस को दिये सदेश के द्वारा प्रकट हुई। अर्थात् यह कि “ग्रान्तोलन करो, अविगम ग्रान्तोलन करो व दृढ़ निश्चय था एकता के द्वारा स्वर्गव्य प्राप्त करो।” दादाभाई इत्यादि समझ गये थे कि उस कार्य के लिए गोखले के उत्साह व वक्तुत्व ने काम नहीं चलेगा, बल्कि तिलक पक्ष के साहस और जवरदस्त तेजस्विता की आवश्यकता होगी, और इसलिए कायेस के मूल सत्थापक

ब्रजुंगों की यह इच्छा थी कि उसमें फूट न पड़े और तिलक पक्ष के गुणों का स्पूर्ण उपयोग उसमें हो। तिलक का भी यही मत था। उसमें विचार कितने ही उम्र और क्रांतिकारी क्यों न हो, वे इस बात में दादा-भाई से सहमत थे कि आगे के राजनीति-क्षेत्र में युद्ध करने के लिए कांग्रेस हमारे पास एक बड़ा हथियार है। उनका यह मत अत तक वायम रहा कि नवीन पक्ष को चाहिए कि अपना बहुमत करके कांग्रेस में अपनी नवीन नीति का प्रवेश करे। उनका यह विश्वास था कि स्वराज्य की लडाई लड़ने के लिए हिन्दुस्तान में कांग्रेस का जन्म हुआ है और वही उसे चला सकती है। १८०५ में उन्होंने 'कैमरी' में लिखा था : "अंग्रेजी हुक्मत की अथवा लार्ड कर्जन की फिजूल स्तुति करना निर्धक है और न छोटी बाते लेकर व्यक्तियों का आलोचन-विवेचन करने में कुछ लाभ है। असली प्रश्न तो है शासन-पद्धति का, मनुष्यों की व्यक्तिगत शिकायतों का नहीं। असल बात यह है कि केनेडा या आस्ट्रेलिया की तरह हिन्दुस्तान राष्ट्रीय स्वराज्य चाहता है और जब हम सरकार को यह दिखा देंगे कि हम इस ध्येय को पाने के लिए तुल पड़े हैं तो हमें कुछ-न-कुछ सफलता अवश्य मिलेगी।" इसी वर्ष बाबू विपिन चन्द्र पाल ने प्रागतिक पक्ष की राजनीति व राजनिष्ठा का अर्थ कानून-विहित राजनिष्ठा किया अर्थात् राजनिष्ठा या साम्राज्यनिष्ठा का अर्थ राजा के प्रति निष्ठा नहीं, चान्ति कायदे-कानून के प्रति निष्ठा है, ऐसा प्रतिपादन किया। उन्होंने अधाधुन्धी व उपद्रव के खिलाफ अपनी राय दी और बताया कि परतव्र भारतीयों में हार्दिक साम्राज्यनिष्ठा नहीं हो सकती। हमारी राजनीति का सच्चा आधार तो राष्ट्र-भक्ति ही हो सकती है और उसीपर राष्ट्रीय राजनीति की दीवार खड़ी हो सकती है। इसी वर्ष बनारस कांग्रेस में इस गजनीति की नई स्थापना हुई और इस नवीन पक्ष का नेतृत्व लोकमान्य तिलक के हाथ में आया।

बगाल में जिस प्रकार बाबू विपिन चंद्र पाल नवीन क्रांतिकारी भावना पैदा कर रहे थे उसी तरह महाराष्ट्र में स्वर्गीय शिवराम महादेव पराजये अपने 'काल' पत्र के द्वारा पूर्ण स्वातन्त्र्य का ध्येय प्रतिपादन करके नवयुक्तों में क्रान्तिकारी ढग की राजनीति फैला रहे थे। उनके

लेखों से युवक महागढ़ीय आजादी पाने के लिए वेचैन हो रहे थे और उसके लिए अधिक-से-अधिक कुर्चानी करने के लिए छृष्टपदा रहे थे। लोकमान्य भी ऐसा मानते थे कि विजित लोगों के अत-करण में एक प्रकार की कान्तिकारी भावना संैव ज्ञाती-जागती रहना बहुत आवश्यक है। वह जबतक कानून की मर्यादा नहीं लोधीं अथवा शान्ति-भग नहीं होने देती तबतक उसका निपेव करने की जरूरत नहीं होती। हिन्दुन्तान की राजनीति इन्हें डे के लेस स्वतंत्र व 'लोकमत्ता' देश की वैवानिक राजनीति की जैसी नहीं हो सकती उसे किसी न-किसी प्रकार का कान्तिकार स्वरूप प्राप्त हुए बगें नहीं रह सकता, ऐसा उन्हें दिखाऊ देता था। भारतीय हृदय की इस कान्तिकारी शक्ति-भावना को बढ़ावा दार-योग की नि-शस्त्र ज्ञानि का रूप देकर उस शक्ति को काग्रेस की जगनीति के पछ्ये न्वर्दी करना और उसके बल पर त्रिंटिश राजनीतियों को काग्रेस की मार्ग मज़्जर करने पर मज़बूर कराना उस समय लोकमान्य की नीति थी। १९०४ की काग्रेस में जो चार्डम प्रन्ताव हुए, उनसे उनकी राजनीति का स्वरूप अच्छी तरह जाना जाता है; अबतक चार प्रकार की मार्ग मज़्जर ने की जाती थी—एक आर्थिक और उद्योगों-संवर्ती नुविवाच्यों की, दूसरी शासन-व्यवन्था में सुशारहोन्नर लोक-प्रतिनिधियों का नियन्त्रण होने मज़बी। तीसरी न्याय-विभाग और शामन-विभाग को अलग करने के मन्त्रध में, व चौथी आकामक विदेशी नीति और बढ़ते हुए मैनिक खर्च के विरोध के सबव में।

इन चार प्रकार की नित्य मार्गों के अज्ञावा बग भग की योजना के तथा टमनकारी कानूनों के विरोध मज़बी नैमित्तिक प्रन्तव भी समय-समय पर होते रहते थे। मज़ब राजनीतिक सुवारों के तार्त्तिक विवेचन और सुशिन्नित देशभक्तों के शासन-कार्य संवधी मत-प्रदर्शन की दृष्टि से अवतंक का कार्य ठीक था। लेकिन इन राजनीतिक तत्वज्ञान के व्यावहारिक राज-करण का परिणामकारक स्वरूप प्राप्त करा देने के लिए उन मार्गों के पछ्ये सगठित लोकशक्ति का बल होना चाहिए और उसके द्वारा प्रत्यक्ष कृति से लोगों को यह सिद्ध कर दिखाना चाहिए कि प्रचलित शामन प्रणाली हमे

असह्य हो गई है। इसके सिवा, ये मार्गें प्रतिपक्षी कबूल नहीं करेंगे यह विचार लो। तिलक, बाबू विपिन चन्द्र पाल और लाला लाजपत राय इन तीनों ने १९०५ में एकही साथ कांग्रेस के सामने रखा। इस नीति पर कांग्रेस के राजकारण को ले जाने का प्रयत्न १९०५ से १९०७ तक उन्होंने किया। परन्तु सर फिरोजशाह मेहता के नेतृत्व में नरम ढलवालों ने यह जिट पकड़ी कि यह प्रयत्न सफल न हो, जिसके फलस्वरूप १९०७ में कांग्रेस की नैया सुरत में दूट-फूट गई और लाल, बाल, पाल के ये प्रयत्न व्यर्थ गए। इस प्रकार अंग्रेज राजनीतिज्ञों की भेद-नीति को सफलता मिली और कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई। मॉर्ले-मिश्नों के खोखले सुधार देश के पल्ले पढ़े, राष्ट्रीय पक्ष का दमन हुआ, उत्साही नवयुवक देशभक्तों ने सशस्त्र कान्ति का अध्यवहार्य मार्ग स्वीकार किया और कुछ समय तक विटिश समाजिक की सगठित, वैज्ञानिक और भेदनीति-प्रधान दमन-नीति का ताएँडव नृत्य सारे देश में जारी हुआ।

बगमग की योजना में अंग्रेजों की भेदनीति काम कर रही थी। बगाल के दो टुकडे इस दृग से किये गए थे कि पूर्व बगाल मुस्लिम-प्रधान प्रान्त बन जाता था और पश्चिम बगाल में विहार और उडीसावासियों को बहुसंख्या हो जाती थी। अर्थात् दोनों टुकडों में बगाली अल्पसंख्यक हो जाते थे। मुसलमानों को फोड़ लेने की यह नीति थी। १९ जुलाई, १९०५ को बगमग की योजना प्रकाशित की गई और १६ अक्टूबर, १९०५ को बगाल के दो टुकडे कर दिये गए। इस योजना का श्रेय लार्ड बर्जन को था। ७ अगस्त १९०५ को इसके विरोध का झड़ा कलकत्ते में और बगाल के दूसरे बड़े शहरों में आम सभा में खड़ा किया गया जिसमें अंग्रेजी माल का विहिष्कार करने की कसमें खाई गई। लोकमान्य ने इस आन्दोलन का जोरों से समर्थन किया। उन्होंने 'केसरी' के अपने एक लेख में यह बताया कि 'स्वतत्र राष्ट्र की विधिविहृत राजनीति से परतत्र राष्ट्र की राजनीति किस प्रकार भिन्न होती है?' उन्होंने लिखा कि "नाक टवाये बिना मुँह नहीं खुलता। यदि हम ऐसा कार्यक्रम न बनायेंगे जो सरकार को चुम्बनेवाला हो तो सरकार का दर्प कभी नहीं जायगा। हजारों-लाखों लोगों का समुदाय निश्चय की रस्सी से बैंध जाना चाहिए। लोक-

मत का बल निश्चय में है, केवल समुच्चय में नहीं। शब्दों का जरूरत नहीं कृति चाहिए, और वह भी निश्चययुक्त। हिन्दुस्तान के लोकमत-विकास के इतिहास में आज ऐसा दिन आ पहुँचा है जबकि हमारे नेताओं को निश्चय के साथ आगे बढ़कर कार्य सिद्ध करना चाहिए या मुँह की भाष से दूषित बातावरण में व्यर्थ टम घुटकर मर जाना चाहिए। ऐसे आनंदान के समय में अपने नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपने ठोक कदम नहीं उठाया था दीले पड़ गये तो श्रापकी विद्या, श्रापके वचन और श्रापके देशाभिमान से लोगों का विश्वास उठ जायगा।

“इंग्लैंड और हिन्दुस्तान दोनों की स्थिति एक - दूसरे से भिन्न है। इंग्लैंड एक स्वतंत्र देश है और वहाँ की शासन-पद्धति के अनुसार भिन्न - भिन्न ढल के लोगों के अधिकार रुद्ध होने की सम्भावना रहती है। जिसका बहुमत हो उसके द्वारा मेरे वहाँ गजसत्ता आ जाती है दसलिए वहाँ के नेता बहुमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते रहते हैं। परन्तु हिन्दुस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है। यहाँ इंग्लैंड के जर्सी बहुमत की कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ लाखों की सभाओं में प्रदर्शित राय का सरकार जरा भा परवाह नहीं करता, यह बग-भग के इस आनंदोलन से स्पष्ट हो रहा है। और यदि हमने इसके प्रतिकार का कोई उपाय न किया तो ऐसे आनंदोलनों पर से लोगों का विश्वास बहुत जल्दी उठ जायगा अब ऐसा समय आ पहुँचा है कि जब हम इस जानी जमा - खर्च से आगे बढ़ें, नहीं तो हमें निरन्तर गुलामी में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए।”

महाराष्ट्र में इस आनंदोलन को देखकर लो० तिलक के मन में जैसी उत्साह की लहर उठी उसी तरह विलायत में पितामह टाटाभाई की आँखों में भी यह दृश्य देखकर आनन्द के आँसू आ गए। टेक्सटन हॉल की सभा में उन्होंने कहा, “हमारे शासक कहते हैं कि तुम्हारे देश को स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। हम ऐसा मौका ही नहीं देंगे जिससे तुम लोग स्वराज्य के लायक बन सको। इसके विरुद्ध हिन्दुस्तानी अब जाग्रत होकर कहने लगे हैं कि इस हालत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शासकों के और उनके बीच यही सवाल है। वे एक - दूसरे से भिन्न पड़े हैं। शासक कहते हैं कि हम विदेशी और विजेता बनकर

ही यहाँ राज्य करेंगे और तुम्हारे देश की धन - सम्पत्ति को अपने देश में वहा ले जाकर तुमको अकाल, 'लोग, दरिद्रता और फाकेकृशी के मुँह में डाल देंगे। इसके चर्खिलाफ हिन्दुस्तानी कहते हैं कि हम ऐसा हरगिल नहीं होने देंगे। कलकत्ते में इस सवध में जिस दिन पहली सभा हुई वह दिन हिन्दुस्तान के इतिहास में कु कुम से लिखने जैसा है। परमेश्वर का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जो मैं भारतीयों की स्वतंत्रता के जन्मदिन को देखने के लिए जिन्दा हूँ। अब सवाल यह है कि प्रजाजन और शासकों के इस सवध का नतीजा क्या होगा? बम्बई के गवर्नर और पोलिटिकल एजंट सर जॉन मालकम ने ब्रिटिश शासन - पद्धति के अनिवार्य परिणाम के सवध में लिखा है, इसका नतीजा महज हमारे अधिष्पात के रूप में ही न होगा, बल्कि हमारे साम्राज्य के विनाश के त्रीज भी इसमें निहित हैं। अंग्रेजों के ही मतों के निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान से ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जायगा। लोगों पर भी अब अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी आ पड़ी है और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि अब हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। अब उन्हें ऐसा निश्चय कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अंग्रेजों को यह विश्वास हो जायगा कि हिन्दुस्तानियों ने स्वराज्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो फिर मुझे कोई शका नहीं है कि वे स्वराज्य देकर ही रहेंगे। सभव है वह सुदिन देखने के लिए मैं जिन्दा न रहूँ, परन्तु मुझे निश्चय है कि यह बात अवश्य होकर रहेगी।^{**}

इस समय स्वर्गीय गोखले और लाला लाजपतराय ये दो तरण नेता कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड गए। इस समय इंग्लैंड में माननीय गोखले ने बसीठी का जैसा काम किया जिसकी तारीफ खुट लोक० तिलक को भी करनी पड़ी। इसका कारण यह कि दादा भाई की सलाह के अनुसार वैध मार्ग को नाकाफी समझकर बहिष्कार जैसे प्रत्यक्ष प्रतिकार के सावन की ओर वे झुके और ब्रिटिश जनता के सामने उन्होंने खुल्लमखुल्ला बहिष्कार का समर्थन किया। कांग्रेस के पुराने और नये दोनों पक्ष के नेता अब बुद्धि - बल का मार्ग छोड़कर प्रत्यक्ष कृति अथवा प्रत्यक्ष प्रतिकार के रास्ते

की तरफ आ रहे हैं ऐसा दश्य १६०५ में दिल्लाई देने लगा था और उसी से लो० तिलक को इतनी खुशी हुई थी ! इस समय पूर्व वगाल में सर चमफील्ड फुलर लेफिटनेंट गवर्नर थे और वे मेट तथा दमन-नीति का यथेच्छु उपयोग करके इस प्रत्यक्ष प्रतिकार की कान्तिकारी भावना को दबाने का अत्याचार-पूर्वक प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु लोकमान्य को यह विश्वास था कि यदि लोग निग्रह के साथ एक निश्चय से प्रत्यक्ष प्रतिकार के मार्ग पर ढढ रहे तो 'फुलरशाह' को ऊपरे बिना चारा नहीं है। स्व० गोखले द्वारा बहिष्कार का समर्थन होते देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई थी कि जब गोखले हिन्दुस्तान में आये तो पूना में लोकमान्य ने उनका सार्वजनिक रूप से अभिनन्दन किया ।

इस समय भारतीय राजनीति में जो बहिष्कार - आन्दोलन चल रहा था वह बढ़ते - बढ़ते अन्त को निःशब्द अथवा सशब्द कान्ति का रूप धारण कर लेगा—यह अन्दाज उनका था। ज्यों-ज्यों भारतीय राजनीति कान्तिवादी बनने लगी, त्यों-त्यों उनका सम्बन्ध इंग्लैंड के समाजवादी दल से अधिकाधिक होने लगा। अबतक भारतीय नेताओं का सम्बन्ध इंग्लैंड के उठार दल से था और दादाभाई आदि राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास उस पक्ष के नेताओं पर था। भगर सितम्बर १६०४ को एम्स्टर्डम में समाजवादी नेताओं की एक अतर्राष्ट्रीय परिषद् हुई। उसमें दादाभाई ने भारत की कस्तुरास्पद दुरित्रित का हृदयस्पर्शी चित्र खींचा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य - द्वारा जकड़नद हिन्दुस्तान की ओर ससार के समाज-वादी कान्तिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। उस समय उन तमाम समाजवादियों ने खड़े होकर दादाभाई के भाषण का गौरव बढ़ाया और दादाभाई का जय-धोप किया। इस समय दादाभाई का स्नेह-सम्बन्ध इंग्लैंड के समाजवादी नेता हिंडमन से हो गया था। जुलाई १६०५ में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विलायत में 'इंडिया हाउस' नामक संस्था खड़ी की और उसका उद्घाटन हिंडमन साहब से वराया। उस बल्से में दादाभाई भी मौजूद थे। हिंडमन साहब ने अपने भाषण में बहिष्कार की व्याप्ति का जो उल्लेख किया उसपर लोकमान्य तिलक के नीचे लिखे उट्टगारों से अच्छा प्रकाश पड़ता है :

“शासक जब लोगों की बात नहीं सुनते तब लोग ज्ञावध होकर खुद राज्य-शासन करने के लिए उठ खड़े होते हैं। खुद इग्लैंड के इतिहास में ही इसका उदाहरण मिलता है। अनेक आचार-विचारों से छिन्न-विछिन्न और शासकों द्वारा निःशरू किये गए बेचारे हिन्दुस्तान के लिए यह उपाय शक्य नहीं है, परन्तु, यदि उत्तम रामबाण औषध न मिले तो क्या मामूली दवा-दारू भी न की जाय। अबतक यह समझा जाता था कि विलायत में रोने-धोने से हमारी कोई सुनवाई न होगी, परन्तु अब हिंदमन साहब ने अपने इस भाषण में ऐसा साफ-साफ कह दिया है कि यह खुयाल गलत है। अधिकार और स्वार्थ के कारण जो पर्दा आखा पर पढ़ा है वह मुँह की भाप से कभी उड़ नहीं जाता न लॉर्ड कर्जन सुनते हैं, न बॉड्रिक साहब, न पार्लमेंट ही, तब क्या किया जाय! ऐसा कुछ इलाज करना तो जरूरी है कि जिससे इनकी आखे खुले। शत्राङ्गों के द्वारा इस मनमानी का प्रतिकार करना तो असम्भव है तब सघ-शक्ति का प्रयोग विधिवत् शासकों का नशा उतारने में किया जा सके तो साहस और दृढ़ता से ऐसा उद्योग करना हिन्दुस्तान का हित चाहनेवाले प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हिंदमन साहब ने इसी सिद्धान का प्रतिपादन अपने भाषण में किया है ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय तो ‘राष्ट्रीय चहिष्कार’ ही इसका एक उपाय मालूम होता है। सर डब्ल्यू० वेडरबर्न ने ‘ग्रीनविच एथिकल सोसाइटी’ में काग्रस पर भाषण देते हुए कहा कि इटली जब आस्ट्रिया के कब्जे में था तब इटालियन लोगों ने विदेशी आस्ट्रियन अधिकारियों का बहिष्कार करके शासन-व्यवस्था असम्भव कर दी थी। वेडरबर्न साहब ने कहा—यदि हिन्दुस्तान के लोग इसी पद्धति को स्वीकार कर ले तो हिन्दुस्तान का शासन करना शासकों के लिए कठिन हो जाय। जिस वहिष्कार का भय उन्हें था वही अवसर आज उपस्थित हो गया है।” *

अर्थात् इस बहिष्कार में महज विलायती कपड़े का बहिष्कार ही नहीं बल्कि विलायती माल का बहिष्कार भी शामिल था और वह भी इस बहिष्कार-योग की पहली सीढ़ी थी। अन्त को जाकर कानून-भग और

* लोकमान्य तिलक के ‘किसरी’ में लिखे हुए लेखों का सम्बन्ध, भाग ३, पृ० ८-९

करवन्दी रूपी निःशस्त्र क्रान्ति के अन्तिम शिखर तक पहुँच जाना, इस बहिष्कार - योग की परिसीमा थी। दादाभाई नौरोजी ने तो १८८० में ही यह कह दिया था कि स्वदेशी आन्दोलन और विलायती माल के बहिष्कार की हलचल का अन्त ब्रिटिश राज्य के बहिष्कार में हो जायगा और हिन्दुस्तान में क्रान्तिकारी राजनीति फैल जायगी। अब खुल्लम-खुल्ला इस मार्ग का उपदेश करनेवाला एक टल हिन्दुस्तान में पैदा हो गया था और लोकमान्य तिलक उसके नेता बनने जा रहे थे। इन्हीं दिनों आयलैंड में भी एक नि:शस्त्र क्रान्तिकारी टल आर्थर ग्रिफिथ के नेतृत्व में बना और लोकमान्य तिलक को जो कि, पहले से ही आयलैंड के नेताओं से प्रेरणा लेते रहते थे, ग्रिफिथ साहब का निःशस्त्र क्रान्तिमार्ग अद्वितीय हुई हो तो आश्चर्य नहीं। पारनेल की मृत्यु के बाद आयरिश राजनीति पार्लमेंट में बाधा पहुँचाकर शासन-यन्त्र को बेकार बना देने और प्रतिस्पर्धी शासन-व्यवस्था कायम करने के निःशस्त्र क्रान्ति-मार्ग तक आ पहुँची थी। ऐसी दशा में भारतीय राजनीति का क्रम-विकास बहिष्कार - योग के बल पर निःशस्त्र क्रान्तिमार्ग की ओर होना स्वाभाविक था। आर्थर ग्रिफिथ का सिनफीन टल पहले निःशस्त्र क्रान्तिकारी था। उसका सारा जोर स्वदेशी, स्वावलंबन, बहिष्कार और निःशस्त्र प्रतिकार— इन साधनों पर था। एक ओर पार्लमेंट में रुकावट ढालना और दूसरी ओर सशस्त्र क्रान्ति इन दोनों के बीच का यह निःशस्त्र क्रान्तिमार्ग था। इसी समय समाजवादी क्रान्तिकारियों में भी आम हड़ताल के रूप में एक प्रकार का निःशस्त्र क्रान्तिकार पैदा हो रहा था। परन्तु इन सब निःशस्त्र क्रान्तिकारी विचारों को कार्य-रूप में परिणत करने का काम सिर्फ हिन्दुस्तान में ही हुआ है और उसका बहुत कुछ श्रेय महात्मा गांधी तथा उनके सत्याग्रही तत्त्वज्ञान को है।

यद्यपि स्वर्गीय गोखले के बहिष्कार - समर्थन से और लो० तिलक द्वारा उनके सार्वजनिक अभिनन्दन से कुछ समय ऐसा भासित हुआ मानो पूना का पक्का-मेठ मिट गया, परन्तु जानकार और सूक्ष्मदर्शी लोग जानते थे कि दोनों की राजनीति की मूल भूमिका अलग-अलग है। लो० तिलक भारतीय राजनीति को वैधमार्ग सुधारवाद से हटाकर

निःशब्द क्रान्तिवाद की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय माननीय गोखले अपने गुरु की वैध राजनीति को चिरतन करने के लिए 'भारत - सेवक - समाज' की स्थापना कर रहे थे। १२ जून १९०५ को यह संस्था खुली। उसकी उद्देश्य-परिका में 'ब्रिटिश साम्राज्य-अतिर्गत स्वराज्य' अपना राष्ट्रीय स्वेच्छा बताया गया है और अद्वा व्यक्त की गई है कि अप्रेजेंटों का हिन्दुस्तान से सम्बन्ध जोड़ने में हिन्दुस्तान का हित करने की ही ईश्वरीय इच्छा है। इसका यह अर्थ हुआ कि अब ब्रिटिश सरकार तोड़कर पूरा स्वतंत्रता स्थापित करने का प्रयत्न करना मानो ईश्वरीय इच्छा या आज्ञा का भग करना है।

यह मानना कि एक राष्ट्र का हमेशा दूसरे राष्ट्र के अधीन बना रहना उचित है मानो यह कहना है कि मनुष्यों की दो पृथक् जातियाँ हैं। एक का विशेष साम्य पशु से है मगर उसे सयोग से मनुष्य नाम दे दिया गया है। अफलातून, अरस्तू आदि पुराने ग्रीक दार्शनिकों का कुछ ऐसा ही ख्याल था और आजकल भी उन बलाढ़ी राष्ट्रों के कुछ लोग जो दुर्बल विदेशियों पर शासन कर रहे हैं ऐसी बातें कहा करते हैं। परन्तु अब इन विचारों को कोई भी विचारशाल मनुष्य नहीं मानता। हैलेनिक (ग्रीक) लोग ही अकेले शामन करने योग्य हैं ऐसी दलील अब कोई नहीं सुन सकता। अब तो शासन-सम्बन्धी विचारों का मुकाबल यह मानने की तरफ है कि प्रयत्न या पुरुषार्थ से इच्छात स्थिति प्राप्त की जा सकती है। फिर भी यदि कोई यह सार्वित कर दे कि फलों जाति या देश अब किसी तरह आगे नहीं बढ़ सकता तो यह कहना कि उनका समूज नाश हो जायगा गलत न होगा।—इस तरह १९०५ तक के समय में राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो जागृति लोकमान्य आदि नेताओं ने की उसकी बदौलत भारत - पुत्रों को यह विश्वास होने लगा था कि अब हमारा नाश किसी तरह नहीं हो सकता, बल्कि हम स्वतंत्र होकर रहेंगे और ससार का नेतृत्व करेंगे।

यह दैवयोग की ही बात है कि 'हिन्दुस्तान का परतंत्र होना एक

* आगरकर का 'निवध-संग्रह' भाग १ पृ० १८३

ईश्वरीय प्रसाद है, यह खण्डल जिस तरह एक बगाली हिंदू नेता ने ही शरू किया उसी तरह इसके विपरीत एक बगाली हिन्दू ने ही इस भावना को फैलाया कि ईश्वर का आदेश हो चुका है कि हिन्दुस्तान आजाद हो और आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता परमात्मा की एक अवतार-शक्ति ही है । यह जोरटार प्रेरणा लोगों को (योगी) अरविंद से मिली । जिन-जिन के दिलों में राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की भावना ने सचार कर लिया था वे सुख-दुःख के द्वन्द्व से मुक्त हो गये थे, बल्कि इस भावना की अभिन्यक्ति के लिए हर तरह के कष्ट उठाने में ही अपने लीबन की सार्थकता मानकर एक प्रकार का पारमार्थिक आनन्द अनुभव करने लगे थे । इन अद्वैतानुभवी मुक्त आत्माओं को, जो सुख-दुःखादि द्वन्द्वों से परे हो गये थे, कोई भी काम करना कठिन नहीं मालूम होता था न कोई आपत्ति ही दुस्तर मालूम होती थी । वे यह अनुभव करते थे कि जो आपत्ति को प्रचण्ड लहरे दमारे सामने मैंह बाये आ सड़ी होती हैं वे हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अन्तःकरण की उससे भी प्रचण्ड शक्ति को अपना प्रचण्डतर सामर्थ्य व्यक्त करने के लिये प्रेम-पूर्वक आवाहन कर रही है । उन्हें यह भास होने लगा था कि ऊपर से प्रचण्ड दिखाई देनेवाली भौतिक शक्ति पर भी अपना प्रसुल चलानेवाली एक प्रचण्डतर शक्ति हमारे अन्तःकरण में है और जो ध्येय या आदर्श मानवी बुद्धि में सुरित होते हैं वे इस आत्मशक्ति से ही पैदा होते हैं, बल्कि बाह्यतः विरोधी दिखाई देनेवाली भौतिक शक्ति भी सचमुच हमारे अन्तःकरण की आत्मशक्ति की विरोधक नहीं, किंतु ऊपर से जड़ दिखाई देनेवाला उसका एक स्वरूप है । बगाली युवक यह अनुभव करने लगे थे कि आपत्ति की हिलोरों को पार कर जाना हमारे हृदय के असीम प्रेरणा-बल की एक दैवी लीला है और इसलिए उन्हे आध्यात्मिक मोक्ष तथा राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य में कोई भेट नहीं दिखाई देता था । राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के विषय विग्रह से उत्पन्न आपत्ति की लहरों का मुकाबला वे देहजान भूलकर करते थे और राजनैतिक संग्राम में आध्यात्मिक मोक्ष पट का अनुभव करने लगे । इल तरह जो बगाली सारे हिन्दुस्तान में बोदे और ढब्ब माने जाते थे वे राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-संग्राम में सबसे आगे निकल गये और जो

वेदान्त इस बात के लिए दुनिया भर में वदनाम था कि वह व्यक्ति या राष्ट्र को सासारिक जीवन - कलह के अयोग्य बना देता है उसी का आधार लेकर वे प्रवृत्ति - क्षेत्र में कूट पड़े और सारे सारे समाज को राष्ट्र - सगठन और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के मार्ग - दर्शन का गौरव इस प्राचीनतम भरतभूमि के पुत्रों को ही मिलेगा, ऐसी आत्म - विश्वास की भाषा भी बोलने लगे।

इस बगाली आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का यथार्थ वर्णन योगी अरविंद के एक भाषण में मिलता है। उपनिषद् के दो पक्षियों की एक कथा का आधार लेकर अरविंद बाबू कहते हैं— “इस कथा में कहा गया है कि मीठे और कडवे फलों से लदे एक विशाल वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक तो पेड़ के अग्रभाग पर बैठा है और दूसरा उसके नीचे की शाख पर। दूसरा पक्षी जब ऊपर देखता है तब उसे अपने सारे पख फैलाकर एक बैधव का आनन्द लेनेवाले पहले पक्षी का दर्शन होता है और वह प्रेम से उसपर मोहित हो जाता है। उस समय उसके मन में यह भावना पैदा होती है कि यह बैधवशाली पक्षी कोई गैर नहीं, चट्ठि मेरा ही श्रेष्ठतम अन्तरात्मा है। परन्तु जब वह उस वृक्ष के मीठे फलों का स्वाद लेता है तब उसकी मिठास से इतना मुग्ध हो जाता है कि वह अपने इस प्रियतम प्राण - सखा को भूल जाता है। थोड़ी हा देर के बाद उस पेड़ के कडवे फल खाने की तारी आती है जिसके कडवे रस से उसकी मोहनी उत्तर जाती है और वह फिर अपने तेजपुञ्ज सहचर की ओर देखने लगता है। जाहिर है कि यह कथा जीवात्मा और मोक्ष से सम्बन्ध रखती है। यह राष्ट्रीय मोक्ष पर भी उसी तरह घटित होती है। हम हिन्दुस्तानी विदेशियों की माया के फेर में पड़ गये थे और उसका जाल हमारी आत्मा पर भी फैल गया था। यह माया थी उन विदेशियों के शासन - प्रबन्ध की, विदेशी संस्कृति की, विदेशियों के शर्क्ति और सामर्थ्य की। हमारे शारीरिक, बौद्धिक व नैतिक जावन पर डाली गई मानों ने बेड़ियों ही थीं। हमारी भी यही धारणा बन गई कि हम स्वराज्य और राजनीति के योग्य नहीं हैं। इंग्लैण्ड की ओर हम एक आदर्श राष्ट्र की दृष्टि से देखने लगे और यह मानने लगे कि वही हमारी मुक्ति करेगा पर वह सब माया थी और थीं बेड़ियों। हिन्दुस्तान में जो कुछ चैतन्य

या उसे नष्ट करने में हमीने उन्हे सहायता दी—लिंगुं छिं, हमीं अपने चन्दन के साथन बन गए। हम बगाली उनकी नौकरी में धुसे और उनका राज्य स्थापित किया। हमें अपनी रक्षा, अपनी यिक्षा और अपने भरण-पोशण के लिए दूसरों की आवश्यकता मालूम पड़ने लगी। हमारी स्वावलम्बन-शक्ति इतनी नष्ट हो गई थी कि हम मानवी जीवन के किसी मीं कार्य को करने में असमर्थ बन गये थे।

“इस माया का विच्छन बिना दमन और बलेश के नहीं हो सकता। ब्रग-भग का जो कटु फल लाई कर्जन ने हमें चख या उससे हमारा मोह नष्ट हो गया। हम ऊपर निगाह उठाकर देखने लगे और सप्तार-बृक्ष की चोटी पर बैठा तेज़: पुक्क पक्की दूसरा नहीं, हमारा ही अन्तरात्मा है, हमारा वास्तविक प्रत्यक्षात्मा ही है—यह ज्ञान हमें हो गया। इस तरह हम समझ गये कि हमारा स्वराज्य हमारे ही अन्दर है और उसे पाने तथा उसका साज्जात्कार करने की शक्ति भी हमारे अन्दर है।

“लोग कहते हैं कि अपने पैरों पर लट्ठे रहने की ताकत हमें नहीं। उसके लिए विदेशियों की सहायता लेने की जरूरत है। इसलिए उसका विरोध करते हुए भी उनसे सहयोग करना चाहिए। पर हम एक ही समय में परमेश्वर और माया दोनों पर अवलम्बितरह सकते हैं। तुम शख्स के सकटों से न डरो। तुम्हारे मार्ग में रुकावट ढालनेवाली शक्ति कितनी ही बड़ी क्यों न हो, तुम चिन्ता न करो। ‘तुम स्वतंत्र हो’ यह परमेश्वर का आदेश है और तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त करनी ही चाहिए। धार्दि तुमने आत्मस्वरूप को पहचान लिया तो तुम्हें डरने कैसी कोई बात नहीं है। सप्तार में सत्य, प्रेम और अद्वा के लिए असाध्य कुछ नहीं है। यही तुम्हारा धर्म-मन्त्र है और इसके द्वारा बड़े चमत्कार दिखाई देंगे। अपनी सुरक्षितता या सुख के लिए हुमानी भाषा मत बोलो, दुर्बलता को पास मत आने दो। तनकर सीधे खड़े रहो। स्वदेशी का जो दमन किया जा रहा है इसीसे उसका तेज बह रहा है। लोग कहते हैं, हममें एका नहीं है, यह एका हो कैसे? सब पुत्र मिलकर मातृभूमि की पुकार पर टौड़ पड़ेंगे तो इसीसे एकता हो जायगी। दूसरे भूटे उपायों से हरगिज न होगी। यह कार्य हमारा नहीं है—हमसे भी बढ़कर

एक प्रचण्ड शक्ति हमें आगे बढ़ा रही है और वह हमें तबतक प्रेरणा देती रहेगी जबतक हमारे सब बन्वन दूट न जायें और हिन्दुस्तान सारी दुनिया में एक स्वतन्त्र देश न बन जाय।” * एक जगह और वे कहते हैं—“इस परमेश्वरी शक्ति से व्यास यह सारा राष्ट्र जब जाग्रत होकर खड़ा हो जायगा और सर्वशक्तिमान् परमेश्वर उसे प्रेरणा करेगा तब कोई भी ऐहिक शक्ति उसका प्रतिकार न कर सकेगी और उसकी प्रगति को संसार की कोई भी आपत्ति या वाधा नहीं रोक सकेगी, क्योंकि इसमें परमेश्वर का अधिष्ठान है। यह उसी का कार्य है। वह हमसे कुछ काम करा लेना चाहता है।”

बगाल में बगभग के प्रतिकार को लेकर जो एक प्रचण्ड शक्ति निर्माण हो रही थी उसे निःश्वस क्रान्ति का रूप देकर कांग्रेस की राजनीति को उसका बल मिले, यह नीति लोकमान्य की १६०५ से लेकर १६०८ तक थी। इसके विपरीत सर फीरोजशाह आदि पुराने नेताओं की नीति थी कि कांग्रेस को नवीन मार्ग पर न जाने देकर पहले के ही परावलभन के पथ पर जोर से खींचकर पकड़ रखे, क्योंकि उन्हें यह आशका थी कि नवीन शक्ति के प्रकाश में दिखाई पड़े इस पथ पर कांग्रेस चली गई तो न जाने किस खोह में जा गिरेगी। मा० गोखले व बाबू सुरेन्द्रनाथ थे तो यद्यपि पुराने पथ के ही पथिक, फिर भी उन्हें सर फीरोजशाह की नीति में हठ और दुराग्रह मालूम होता था। परन्तु इस नवीन शक्ति के खुल्मखुल्मा स्वागत करने का साहस उनमें न था और उनका विश्वास तो पुरानी नीति पर था ही, इसलिए अन्त में उन्हें सर फीरोजशाह के झड़े के नीचे ही रहना पड़ा। इस रस्सा-खिंचाई का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस में फूट पड़ गई जिससे अग्रेज शासकों ने खूब फायदा उठाया। फलतः भारतीय राष्ट्रशक्ति कुछ साल तक निश्चेष्ट पड़ी रही।

लोकमान्य ने १६०५ में ही कांग्रेस के दायरे में नवीन दल को बहिष्कार-योग की दीक्षा देकर लाला लाजपतराय और बाबू विपिन चन्द्र पाल की सहायता से नवीन निःश्वस क्रान्तिकारी दल की स्थापन की। †

* Speech of 'Aurobindo Ghose p 61—66

† Young India by Lajpatrai P. 175

उस वर्षे गोखले, जिन्होंने 'भारत सेवक समाज' की स्थापना करके पुरानी राजनीति को चिरतन करने का प्रयत्न किया था, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने भाषण में औपनिवेशिक स्वराज्य को ही हमारा अतिम माध्य बताया था, फिर भी उन्होंने बगाल की विलायती माल के व्यापकार को हलचल का समर्थन और अभिनन्दन किया था और स्वदेशी-आनंदोलन की पुष्टि की थी। मगर, चूंकि उनके मूल विचारों की भूमिका वही रही, राजनिष्ठा और राष्ट्रनिष्ठा का समन्वय करके उन्होंने अपने भाषण में युवराज के आगमन का स्वागत किया था। इधर बंगाली युवक इसके विरोध में थे। यहाँ तक कि गोखले को कह देना पड़ा कि यदि युवराज के स्वागत का प्रस्ताव गिर गया तो मुझे अध्यक्ष का स्थान छोड़ देना पड़ेगा। तब लोकमान्य और नालाजी के बीच-विचार से यह तथ्य हुआ कि बंगाली युवक प्रस्ताव के विराघ-स्वरूप सभा से उठकर चले जायें और प्रस्ताव बहुमत से मजूर किया जाय। इस तरह बनारस का कांग्रेस-अधिवेशन निर्विज्ञ पूरा हुआ।

सन् १९०६ का साल ढोन्होन बातों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो इस बहिकारयोग का परिणाम बगाल में शाति-युक्त कानून-भग के रूप में हुआ जिससे बंगाली नेताओं को तात्कालिक सफलता मिली। इसके कुछ ही दिन बाट (लोकमान्य की प्रेरणा से) श्री दादा साह खापड़े ने इस आशय की एक विज्ञि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजी कि आगामी कांग्रेस में कांग्रेस की नीति को नई टिशा मिलनी चाहिए। इसका समर्थन करते हुए लोकमान्य ने लिखा कि जबतक निःशब्द कानून-भग तथा बहिकार का अवलबन करके शासन-यंत्र को बेकार नहीं बना दिया जायगा तबतक मोर्ले साहब भी हमें कुछ न दे सकेंगे। उधर विलायत में गोखले और मोर्ले की बातचीत चलती रहती थी जिससे मोर्ले के उदार विचारों से गोखले प्रभावित हो गए और उनकी साम्राज्य-निष्ठा और भी मजबूत हो गई— यहाँ तक कि वे तिलक के नवीन प्रयत्न का विरोध करने के लिए भी आमादा हो गये। इधर बंगाली नेताओं ने कानून-भग का जो छोटा-सा उद्योग किया, उनके साथ ही उन्हें जेल में डाल दिया गया और जब हजारों लोगों ने उनका अनुकरण किया तो:

उनके सिर फोड़े गए। यह दृश्य देखकर लोकमान्य के आगे की पीढ़ी के कुछ युवकों का विश्वास निःशस्त्र कान्ति पर से उठ गया और वे सशस्त्र कान्ति की ओर चल पड़े।

तीसरी महान् घटना यह हुई कि दादाभाई ने कांग्रेस को स्वराज्य का मन्त्र पढ़ाया और पुराने तथा नये दोनों टल के लोगों का सहयोग लेकर स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, वर्हाष्कार और स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पास करा लिए और नवीन पीढ़ी को 'दृढ़ सकल्प रक्खो, एक होओ और स्वराज्य प्राप्त करो' यह दिव्य सदेश दिया। इस कारण १९०६ की कांग्रेस, जो कलकत्ते में हुई, आधुनिक भारत के इतिहास में चिर-स्मरणीय और युग-प्रबर्तक मार्नी जाती है। दादाभाई द्वारा निर्धारित यह नीति यदि पुरानी पीढ़ी के लोगों ने मजबूर कर ली होती तो आज कांग्रेस का तथा भारत का इतिहास कुछ और ही बना होता परन्तु ऐसा उज्ज्वल इतिहास बनाने जैसी राष्ट्रीय बुद्धि हमारे देश में उस समय पैदा नहीं हुई थी। कांग्रेस पर नवीन पीढ़ी का प्रकृति-दत्त अधिकार है, यह पुरानी पीढ़ी के लोग अभी महसूस नहीं करते थे। कर्मठ सनातनियों की तरह अपनी राजनीति को उन्होंने अचल व चैतन्यशून्य बना दिया था और अपनी साम्राज्यनिष्ठा को परमेश्वर-निष्ठा जैसी त्रिकालावाधित सत्यनिष्ठा बनाने का मोहान्ध प्रथम कर रहे थे। आत्म-प्रत्यय का अभाव और विदेशी सत्ता के दमन से कुचले जाने की भीति— ये दो इस मोहान्धता के वास्तविक कारण हैं। पुराने टल के लोगों का अहकार इतना बढ़ गया था कि उनके इस मोहान्धकार में यदि कांग्रेस की नैया हठ से खेने में टकराकर चूर-चूर भी हो जाती तो उनके कर्णधारों को दुःख नहीं होता। इधर नवीन टल में अहकार की कमी न थी, परन्तु उनके पोछे आत्म-श्रद्धा और आत्माहुति की चैतन्यशक्ति थी। इसलिए, यद्यपि कांग्रेस की नैया के टूटने का कारण दोनों तरफ का अहकार था, तथापि उसके दोष की जिम्मेदारी पुराने टल के लोगों पर ही आती है। आगे की घटनाओं से यह साफ समझ में आ जायगा।

१९०५ के आरम्भ में इलैंड में उदार मतवादियों का मन्त्र-मण्डल बना जिसमें मोर्ले साहब ने यह जाहिर किया कि वग-भग के रद्द करने की

आशा किसी को न रखनी चाहिए और न ही यह अपेक्षा रखनी चाहिए कि शासन-व्यवस्था में भी उदार टल कोई जल्दी सुधार करेगा। इसपर लोकमान्य ने स्वावलम्बन का, निश्चय का, निग्रह-सामर्थ्य दिखाने का और विदेशी कपड़े की होती जलाने का उपदेश लोगों को दिया। उन्होंने कहा, “मोर्ले उदार विचार के तत्वचेत्ता हैं, परन्तु भारत-मन्त्री के नाते उनसे हमारे लाभ को कोई भी बढ़ी चात कभी नहीं हो सकती जबतक कि हम अपने तेज और बल का परिचय न दें। उन्हे जबतक यह न मालूम हो जायगा कि त्रिटिश शासन-पद्धति के कष्ट हमारे लिए असह्य हो गये हैं, और अब हम उनको दूर करने के लिए तुल पड़े हैं, एव जबतक के दूर न हो जायेंगे तबतक त्रिटिश शासन निर्विघ्न नहीं चल सकता, तबतक मीठे लेकिन सूखे शब्दों के सिवा मोर्ले से हमें कुछ नहीं हासिल हो सकता। ‘आत्मैत्र ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः’ ही हमारा आधार होना चाहिए।”

इस आत्मनिग्रह और दृढ़निश्चय का परिचय लोग किस तरह दें, डसका नमूना अप्रैल में मिल गया। नवम्बर १६०५ में पूर्व बगाल के लें० गवर्नर फुलर साहब के सेक्रेटरी ने हुक्म निकाला कि ‘बन्देमातरम्’ का नारा न लगाया जाय तथा स्वदेशी वहिकार-आन्दोलन को दबाने के लिए गोरखों को बुलाकर उन्होंने फौजी-शासन का दौर-दौरा शुरू किया। डसका विरोध करने के लिए बारीसाल में, १६०६ में, प्रान्तीय परिपद् करना तय हुआ। इसपर यह हुक्म निकाला कि इस परिपद् में विद्यार्थी भाग न लें और जिन विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें जायेंगे उनको सरकारी सहायता न मिलेगी। लोगों का कहना था कि ‘बन्देमातरम्’ का घोष करने से शान्ति भग होती है ऐसा मानकर हुक्म निकालना ही बेकायदा है। अतः उन्होंने उस हुक्म के खिलाफ सत्याग्रह करने का निश्चय किया। परिपद् के सभापति के जुलूस में हजारों लोगों ने ‘बन्देमातरम्’ का जयघोष किया और उसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। ‘बन्देमातरम्’ का जय-घोष होते ही बाबू सुरेन्द्रनाथ गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस की लाठियों ने जुलूमवालों के सिर ग्रच्छी तरह फोड़े। इसपर लोकमान्य ने ‘केसरों’ में लिखा, “जिस प्रकार बाकायदा जुलम लोगों पर किया जाता है

उसी प्रकार शान्ति से, स्थिर भाव से और सकट के सामने हिम्मत न हार-
कर दृढ़ निश्चय से जुल्म के हुक्मों का प्रतिकार भी प्रजा कर सकती है।
जुल्म आखिर जुल्म ही है, फिर वह बाकायदा हो या बेकायदा। जुल्म यदि
बाकायदा है तो शान्ति और कष्ट-सहन के द्वारा दृढ़ निश्चय से उसका
प्रतिकार करना चाहिए। बगाल के लोगों ने इस हुक्म को न मान-
कर कष्ट-सहन करने की अपनी इच्छा व स्वार्थ-त्याग के द्वारा यह दिखा
दिया है कि यह आशा अन्यायपूर्ण है। सरकार ने अप्रत्यक्ष रीति से
उस हुक्म को रद्द कर दिया, इसका श्रेय लॉर्ड मिटो व मार्ट मोर्ले को
देना चाहिए। 'वन्देमातरम्' का खुल्लमखुल्ला जयश्रोष करने का हक प्राप्त
करने के लिए बगाल के नेताओं ने जो अनुकरणीय तेजस्विता दिखाई
वह अभिनन्दनीय है।"

यहाँ यह समझ लेना बरुरी है कि आज्ञा-भग बाकायदा कैसे हुआ।
इसका अर्थ यह हुआ कि अन्यायपूर्ण कानून का भग करने के बाद उसकी
सजा शान्ति के साथ भुगतने के लिए जबतक लोग तैयार हैं तबतक
वह प्रतिकार बाकायदा ही है—ऐसा लोकमान्य तिलक का मत था।
कानून कहता है कि ऐसा करो नहीं तो सजा भुगतो। इसमें से किसी भी
एक बात को मान लेना एक तरह से बाकायदा ही हुआ, क्योंकि दोनों
मार्ग पर चलनेवाले लोग कानून बनानेवालों की सत्ता मानते ही हैं।
अतएव कानून भग करके सजा भुगतने को तैयार होना—यह सत्याग्रही
विधि एक तरह से बाकायदा प्रतिकार की—शान्ति, आत्मक्लेश और
दृढ़निश्चय-युक्त प्रतिकार की—ही विधि है। इसके अनुसार लोकमान्य
ने इसी सत्याग्रह का मार्ग ग्रहण करने का उपदेश काग्रेस को देना शुरू
किया। इसके दूसरे ही सप्ताह में टाटा मार्ट खापड़े की गश्ती चिट्ठी घूमी
और लोकमान्य ने 'केसरी' में लिखा—

"विधि-विहित आन्दोलन से सफलता मिलेगी, ऐसा कहनेवालों के
मुँह पर मोर्ले ने यह जो (वग-भग-सबधी) चपत लगाई है, उसे सहन
करनेवालों को तथा अब भी भिक्षा-वृत्ति के गीत गानेवालों को पागल या
निर्लंब समझना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि अपने दुःख-दर्द

अधिकारियों पर प्रकट न करें या उनके सामने अपनी मौगें पेश न करें। परन्तु राजनैतिक बातों में ब्राह्मणी मौग से काम नहीं चल सकता। मद्रास की प्रान्तिक सभा के अध्यक्ष श्रीकृष्ण स्वामी अय्यर ने भी अपने भाषण में कहा है—हमारे राजनैतिक आन्दोलन की दिशा में अब कोई विशेष परिवर्तन करना चाहिए। ‘हिन्दू’ के विलायती सवाददाता का भी ऐसा ही कहना है। वह कहता है कि ‘पैसिव रेजिस्टेंस’ यदि किया जाय तो विलायत के उदार मतवादी लोग उनका समर्थन करेंगे। यह तत्त्व अब सर्वमान्य हो चुका।

लो० तिलक के इधर महाराष्ट्र में सत्याग्रह-मार्ग का उपदेश देकर कांग्रेस में नई नीति दाखिल करने की घोषणा करते ही चगाल के नेता चावू विधिन चन्द्र पाल ने ‘बन्देमातरम्’ में यह जाहिर किया कि पूर्ण स्वतन्त्रता ही हमारा ध्येय है और सत्याग्रह अथवा निःशस्त्र प्रतिकार हमारा साधन। उसमें उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के ध्येय का अर्थ यह है कि विदेशी नियन्त्रण विलकुल न रहे। यह विलकुल विधिविहित ध्येय है। निपक्ष ग्रन्थी विरोध हमारा साधन है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सरकार को स्वेच्छापूर्वक किसी प्रकार की सदायता न दें। कौन कह सकता है कि ये साधन पूरी तरह विधि-विहित नहीं हैं ?

इन दिनों लॉर्ड मॉर्ले भारत-मन्त्री थे। वे तत्त्ववेत्ता माने जाते थे। स्वर्गीय गोखले ने लोकमान्य से कहलाया कि मॉर्ले साहब जो सुधार देना चाहते हैं उनका विरोध मत करो। लोकमान्य ने एक तरह से इसके जवाब में ही ‘केसरी’ में एक लेख लिखकर दिखलाया कि, ‘जबतक सरकार की गाढ़ी रुक नहीं जायगी, तबतक हमें कोई वास्तविक सुधार नहीं मिलेंगे। जब मॉर्ले साहब ही नहीं कर्जन साहब को ऐसा विश्वास हो जायगा कि हिन्दुस्तान के लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार दिये जिन गति नहीं है, तभी हिन्दुस्तान को कुछ लाभ हो सकता है। यदि हम केवल उदात्त तत्वों के मनोराज्य में झोड़कर, तत्वज्ञान का विश्वास पकड़कर बैठ रहे तो कहना होगा कि हमारे जैसा हतभागी कोई नहीं। हमें यह भूलना न चाहिए कि यह राजनीति है, तत्वज्ञान नहीं।’

लोकमान्य का मतलब यह था कि हमारी माँग ब्राह्मण की नहीं, ज्ञात्रिय की होनी चाहिए। उसके पीछे बल होना चाहिए। तत्त्ववेत्ता मॉलें और राजनेता मॉलें की भूमिका में फर्क है। उनका तत्त्वज्ञान कार्य रूप में कैसे परिणत हो, इसका मार्ग लोकमान्य ने बताया।

बारीसाल - परिषद् में निःशस्त्र जनता का जो सिर-फुड़ौव्वल हुआ वह दृश्य बाबू अरविन्द घोष ने देखा था। निःशस्त्र प्रतिकार का वह उत्साह-बद्ध के दृश्य देखकर उन्होंने बड़ौदा का अपना शिक्षाधिकारी का पट छोड़-कर बगाल की निःशस्त्र क्रान्ति के कार्य में पढ़ जाने का निश्चय किया। 'वन्देमातरम्' के बे सम्पाटक हुए। राष्ट्राय शिक्षण का काम जोर-शोर से शुरू किया। अरविन्द बाबू का प्रवृत्ति पहले से ही आध्यात्म-प्रवण थी। इससे इस निःशस्त्र क्रान्ति-मार्ग में उन्हे ससार का एक अभिनव क्रान्तिशास्त्र दिखाई दिया और उस दृष्टि से बे भारतीय राजनीति का आध्यात्मिक स्वरूप लोगों को देखाने लगे। परन्तु उनके छाटे भाई बारीन्द्रकुमार घोष का इस निःशस्त्र मार्ग पर विश्वास नहीं बेटा। उन्होंने उन्हीं दिना स्वामी विवेकानन्द के भाई भूपेन्द्रनाथ दत्त की सहायता से आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही, मगर सशस्त्र क्रान्ति का प्रसार बगली युवकों में करने का उपक्रम किया। इन्हीं दिनों नासिक में श्री विनायकराव सावरकर 'अभिनव भारत समाज' संस्था के द्वारा सशस्त्र क्रान्तिवाद की दीक्षा दे रहे थे। लोकमान्य तिलक इन स्थितियों से परिचित थे। नासिक में उन्होंने इस विषय पर कहा था कि ये अविचारी युवक किसी दिन अपने गले में फॉसी लगवा लेंगे और निश्चय ही नासिक के नेताओं को सिर नीचा करने का मौका आ जावेगा। बेलगांव में भी लोकमान्य ने कहा था कि नासिक में कुछ युवक मुझे मिले थे। उनमें बड़ा उत्साह और बड़ी महत्वाकांक्षा है, परन्तु अविचार भी है। ऐसे अविचार और मूर्खता से कार्य-हानि होती है। उनकी बुद्धि ने यह मान लिया था कि आज का राजनैतिक कार्य निःशस्त्र क्रान्ति-मार्ग से ही चलना चाहिए। अविचारी नवयुवकों को सदुपदेश देकर वे उचित मर्यादा में रखने का प्रयत्न करते थे। लोकमान्य महसूस करते थे कि एक और भिज्ञा देनेवाली वैध राजनीति और दूसरी ओर

सशस्त्र कान्तिशाली त्वरित और व्यवहार-शून्य राजनीति दोनों को एक ओर रखकर निशस्त्र कान्ति-मार्ग से काग्रेस की नैया चलाई जाय और यह नवीन दल उसका कर्णधार बने। इसी खयाल से लाला लाजपतराय को कलकत्ता अधिवेशन के सभापति बनाने की तजबीज श्री० खापड़े के पत्रक में की गई थी। बगाल से पालबाबू ने लोकमान्य तिलक का नाम पेश किया। यह देखकर अंग्रेजी अखबारों के रोष का ठिकाना न रहा। अन्त को बाबू सुरेन्द्रनाथ और भूपेन्द्रनाथ—इन नरम ढली नेताओं ने दादाभाई नौरोजी को सभापति बनाना तय किया। दादाभाई का नाम पेश होते ही नवीन दल ने अध्यक्षपद का विवाद खत्तम कर दिया; क्योंकि उन्हें विश्वास था कि दादाभाई नवीन दल के साथ सहानुभूति रखकर ही काम करेंगे। इस अधिवेशन में स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण, चहिष्कार और स्वराज्य—ये चार मुख्य प्रस्ताव पास हुए। चारों पर नरम-गरम दलों में खूब वाटविवाद हुआ। स्वदेशी के प्रस्ताव पर 'Even at a sacrifice' अर्थात् 'त्याग और कष्ट-सहन करके भी' इन शब्दों का नरम दल की ओर से विरोध किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा-सघधी प्रस्ताव पर 'राष्ट्रीय नियत्रण में' इन शब्दों का विरोध किया गया। दोनों में नरम दल की करारी हार हुई। तीसरा महत्व का प्रस्ताव था चहिष्कार का। इस प्रस्ताव पर नहुत गरमा-गरमी हुई। तब फिर एक गोलमोल मजमून "Boycott movement inaugurated in Bengal" बनाकर पास किया। नरम दल को व्यापक और सार्वत्रिक चहिष्कार मजूर नहीं था। पूर्वोक्त गोलमोल मापा से दोनों दल अपना-अपना अर्थ निकाल सकते थे। एक और विवाटग्रस्त मुद्दा था अन्तिम ध्येय और स्वराज्य की माग-संवधी। नवीन दल का मत था कि हमारा अतिम ध्येय पूर्ण स्वतत्त्वा होना चाहिए। फिर भी वे तात्कालिक माग के रूप में शौपनिवेशिक स्वराज्य का त्पष्ट उल्लेख करके उसकी पहली किस्त के रूप में कुछ सुधार तुरन्त दिये जाने का प्रस्ताव मान लेने के पक्ष में थे। तदनुसार इसी आशय का प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही कुछ सुधारों की माग पेश की गई थी। सरकारी नौकरी के लिए हिन्दुस्तान और इंग्लैंड

में एक साथ परीक्षा लेने, भारत-मंत्री, वाइसराय और गवर्नर के शासन-मण्डल में हिन्दुस्तानियों को काफी प्रतिनिधित्व देने, केन्द्रीय और प्रान्तिक धारा-सभाओं में लोक-प्रतिनिधियों की सख्त बढ़ाने और उन्हें आय व्यय और शासन-प्रबन्ध में अधिक नियन्त्रण के अधिकार देने तथा स्थानिक स्वराज्य की वृद्धि करने-सबधी वे मर्गें थीं। इसमें नवीन दल की नीति यह थी कि इन तात्कालिक सुधारों के मिलते ही उनके आधार पर औपनिवेशिक स्वराज्य की माग की जाय। अन्तिम व्येय तो पूर्ण स्वतंत्रता उनका कायम था ही। पालबाबू का मत था कि दादाभाई ने अपने भाषण में इसी व्येय को मजूर कर लिया है। दादाभाई के भाषण में व्येय के सम्बन्ध में ये शब्द थे—“Self government of Swaraj alike that of the United Kingdom or the Colonies” इग्लैंड-जैसे स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता ही है। फिर दादाभाई ने अपने भाषण में सिर्फ स्वराज्य का ही उल्लेख किया है। (Be united, persevere and achieve Self-government—एका करो, दृढ़ उद्योग करो और स्वराज्य प्राप्त करो)। इसमें इग्लैंड या उपनिवेश का कोई जिक्र नहीं था। दादाभाई के सन्देश पर लोकमान्य तिलक ने लिखा था कि “वृद्ध पितामह दादाभाई ने स्वराज्य की और कांग्रेस को जो गँठ या शृखला बाध दी है वह अब किसी तरह नहीं तोड़ी जा सकती है।... स्वराज्य प्राप्त किये वगैर हमारे उद्धार का रास्ता नहीं है, ऐसा जोर के साथ स्पष्टता से और सरल भाषा में, गद्गद करठ से, दादाभाई ने उपदेश दिया है। इस समय ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई वृद्ध देवदूत अपनी युवापीढ़ी को अन्तिम उपदेश देने के लिए आसमान से उतरा हो।”

नवीन दल की नीति पर प्रकाश डालते हुए लोकमान्य तिलक ने बताया कि “गरम और नरम शब्दों का अर्थ काल-क्रमानुसार बदलता जायगा। गरम शब्द प्रगति-सूचक है। आज हम गरम कहलाते हैं तो कल हमारे लड़के हमें नरम कहेंगे। प्रत्येक नवीन दल जब पैदा होता है, तब गरम कहलाता है और नरम होकर अत पाता है। व्यावहारिक राजनीति का ज्ञेत्र अमर्याद है। नरम दल वालों का विश्वास ब्रिटिश

राज्य से मदद माँगने पर है और हमारा नहीं; इसलिए हमें दूसरे साधन की ज़रूरत है और वह हमारे पास है भी। हम न निराश हैं और न निरशावादी हैं। हमें स्वयं अपने ही प्रयत्न से व्येय-प्राप्ति की आशा है और इसी के लिए नवीन दल का निर्माण हुआ है। श्रीकृष्ण वसीठी के लिए गये थे; परन्तु कौरव और पाण्डव दोनों अपनी-अपनी सेना की तैयारी कर रहे थे इस ख्याल से कि कहीं वसीठी सफल न हो तो फिर लड़ाई की परिस्थिति का मुकाबला किया जा सके। इसे कहते हैं राजनीति। हमारी माँग यदि उक्तरा दी गई तो हमारे पास लड़ने की तैयारी है क्या हमारे पास एक प्रबल राजनैतिक शस्त्र है, वह है बहिष्कार। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि नियत्रण की सब सत्ता, हमारे भ्रम की सब कुंजी हमारे तावे रहनी चाहिए। स्वार्थ-त्याग और आत्म-संयम के द्वारा विदेशी-सरकार को हमपर शासन करने में सहायता न देना हमारे बहिष्कार का अर्थ है। लगानवसूली, शान्ति-रक्षा, विदेशों को पैसा ले जाना, न्याय-दान आदि में हम सरकार की सहायता न खरेंगे। यदि मुझे पूरी रोटी न मिली और आधी भी मिली तो मैं आधी ही लेकर फिर पूरी हासिल करने का प्रयत्न करूँगा।” इस तरह लोकमान्य के इस भाषण से यह सिद्ध होता है कि उनके मत में एक और वैध राजनीति और दूसरी और सशस्त्र क्रान्तिकारी राजनीति टोना के बीच नि-शस्त्र क्रान्ति की एक स्वतंत्र राजनीति है। सन् १९०५ से उसका खुल्मखुला प्रचार हुआ। इस बहिष्कार पर तात्त्विक या नैतिक हाई से खुद ‘गाखले’ को भी आपत्ति न थी। आपत्ति थी तो इतनी ही थी कि उस परिस्थिति के लिए वह अव्यवहार्य ही है। जब असहयोग के रूप में यही कार्यक्रम महात्मा गांधी ने देश के सामने रखा और उसकी व्यावहारिकता की प्रतीति ब्रिटिश राजनेताओं को करा दी, तब स्वर्गीय गोखले के अनुयायी आज तीस वर्ष हो जाने पर भी उसपर वही अव्यवहारिकता का आन्तर्प करते आ रहे हैं। आश्वर्य तो यह है कि खुद लोकमान्य तिलक के अनुयायी कहलाने वाले महाराष्ट्र के कुछ लोग भी वही टीका इसपर करते हैं।

आगे चलकर स्वर्गीय गोखले को भी लोकमान्य तिलक आदि की

स्वतंत्र राजनीति को देखकर अपनी राजनीति में परिवर्तन करना पड़ा। ४ फरवरी १९०७ को प्रयाग में प० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में “हमारे सामने का कार्य” इस विषय पर मा० गोखले का एक सुप्रसिद्ध व्याख्यान हुआ। उसमें उन्होंने कहा था, “मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार के बर्ण-भेद अथवा धर्म-भेद का लिहाज न करके हमारे देश के लौ-पुरुषों को अपने देश के सब गुणों का पूर्ण विकास करने का अवमर मिले और उसपर किसी प्रकार के कृतिम अथवा विकास-विरोधी वघन न डाने जायें। मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक साहित्यिक, शास्त्रीय और कलात्मक सब क्षेत्रों में हिन्दुस्तान को सासार के बड़े राष्ट्रों में उचित स्थान मिले, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि यह सब चीजें हमें वस्तुतः और सारतः इसी साम्राज्य में मिल सकेंगी। वैध राजनीति में पहली बात यह है कि शस्त्र-बल का त्याग हो, विद्रोह या बगावत, दूसरे बाहरी राज्य का निर्यन्त्रण या सहायता और अत्याचार या हिंसा का अवलभन, ये तीन बातें बर्ज्य हैं। अर्थात् जो कुछ वैध हो, वह समझदारी और व्यावहारिकता से युक्त होगा ही, यह नहीं कह सकते। अनुनय-विनय में लेकर करन्बन्दी तक अर्थात् निःशस्त्र प्रतिकार तक यह सब वैध-मार्ग में आ जाता है। अतः हमारे देश में आज जो-कुछ हो रहा है वह सब अवैध है, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा लक्षण यह भी बताया जा सकता है कि हमें जो-कुछ न्याय प्राप्त करना है वह अपने देश की प्रस्थापित राज्यसत्ता से ही प्राप्त कर लेना है और इसके लिए हमें सत्ताधारियों पर दबाव डालते रहना चाहिए। इस दबाव का आधार होगा हमारे पीछे रहनेवाले लोकमत का बल और निश्चय। यह बल निर्माण करने का हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए। केवल इतनी सदिच्छा से काम न चलेगा कि हमारे देश से उद्योग-धन्धों की तरक्की होनी चाहिए। स्वदेशी में इस कल्पना का भी समावेश होता है कि स्वदेशी उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए हम शक्ति भर स्वेच्छा से कुछ त्याग करें। परन्तु इसके लिए बहिष्कार शब्द का प्रयोग करना उचित न होगा, क्योंकि बहिष्कार में दूसरों को नुकसान पहुँचाने की प्रतिहिसा का भाव आता है, जिससे अकारण विरोधी भावना जाग्रत

होकर स्वदेशी के कार्य में विज्ञ उपस्थित होते हैं ।.. (राजकीय) बहिकार को इस परिस्थिति में शक्य मानना तो विचित्र ही होगा । सरकार को जितने नौकर मिल जाते हैं उतने यदि न मिल सकें तब तो इस बहिकार का असर सरकार पर होगा, परन्तु यह विचार तो व्यवहार्य-कोटि में ही नहीं आता । स्थानिक स्वराज्य, म्युनिसिपैलिटी, धारा-सभा आदि सम्प्राणों का बहिकार करेंगे तो उन स्वाली जगहों पर दूसरे लोग आ धमकेंगे और उनके द्वारा हमें जो लोक-सेवा करने का अवसर मिला था वह व्यर्थ चला गया, ऐसी प्रतीति खुद हट जानेवालों को ही हो जायगी । अतएव इस मार्ग का अवलम्बन करने से राष्ट्र का हित नहीं, अहित होगा । जो यह कहते हैं, स्वराज्य प्राप्त करने का एक मात्र या एक उपाय है सार्वजनिक बहिकार ही, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि करवन्टी निःशास्त्र प्रतिकार का अत्यन्त प्रभावशाली और सरल उपाय है । जिनकी यह राय है कि वर्तमान परिस्थिति में निःशस्त्र प्रतिकार करना चाहिए वे यदि करवन्टी का अवलम्बन करेंगे तो उन्हें तुरन्त पता लग जायगा कि इम कहरे हैं ।”*

दुर्भाग्य की बात है कि आज यही आपत्तियों लोकमान्य के कुछ अनुयायी कांग्रेस के असह्योग पर करते हैं । विदेशी माल के बहिकार का जिक्र किया नहीं कि वे कहते हैं कि देश के लिए आवश्यक सारा विलायती माल एकटम तैयार करके दे दीजिए । सरकारी स्कूलों के बहिकार की बात चलाते हैं तो वे भट्ट से कह देते हैं कि उनकी जगह राष्ट्रीय संकल खोलकर बताइए । निःशस्त्र प्रतिकार अथवा सत्याग्रह का नाम लिया नहीं कि उन्होंने चुनौती दी नहीं : अच्छा, हिंदुस्तान में सब जगह करवन्टी की घोषणा करके देखिए । जो लोगों को आगे ले जाना नहीं चाहते या इसका सामर्थ्य नहीं रखते उनका यह सनातन आन्दोलन-शास्त्र ही समझिए । यह राष्ट्र को आगे बढ़ाने का तरीका नहीं है । बहिकारयोग के सम्बन्ध में लोकमान्य सदा ‘स्वत्प्रमाण्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्’ या ‘न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति’ भगवद्गीता के इस वचन का आधार लिया करते थे । राष्ट्रीय पक्ष को

उस समय सिर्फ विलायती माल के बहिष्कार का तथा लियन स्क्रूलर-जैसे अन्यथपूर्ण हुक्मों को न मानने के रूप में सत्याग्रह का कार्यक्रम देश के सामने रखना था और यह दिखा देना था कि इनके अवलभवन से अन्त में बहिष्कारयोग के अन्तिम शिखर तक पहुँचकर स्वराज्य प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु प्रागतिक पक्ष की उस समय इतनी तैयारी नहीं थी। वह तो स्वातन्त्र्यवादी युवक दल को काग्रेस में रहने ही नहीं देना चाहता था। परन्तु दादाभाई नौरोजी के समाप्तित्व में हुई काग्रेस में उनकी बात नहीं चली और बहिष्कार-योग पास हो गया। तब प्रागतिक दल ने यह निश्चय किया कि अगले साल इस प्रभाव को केवल विदेशी माल व बगाल तक मर्यादित कर दिया जाय, काग्रेस का अन्तिम ध्येय औपनिवेशिक स्वराज्य बना दिया जाय, जिससे बगाल का युवक दल अपने आप उससे बाहर निकल जायगा और फिर हम जैसा चाहेंगे, प्रस्ताव पास कर लेंगे। यह उस समय इनकी नीति थी। इसके विपरीत लोकमान्य का यह दृढ़ निश्चय था कि बगाल के युवक दल को किसी भी दशा में काग्रेस से बाहर न जाने दिया जाय और बहिष्कार के प्रस्ताव में कलकत्ते से पीछे बिल्कुल न हटा जाय।

इस समय बगाल की राजनीति को एक तरफ बाबू विपिन चन्द्र पाल व अरविन्द घोष आगे खींच रहे थे, तो दूसरी तरफ सर फीरोजशाह मेहता पीछे हटा रहे थे। मा० गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, लो० तिलक, और लाला लाजपत राय ये दोनों के बीच में खड़े टिखाई देते हैं। इन चारों नेताओं को इस बात की बड़ी चिंता थी कि काग्रेस में फूट न फैले, उसकी शक्ति छिन्न-भिन्न न हो और विरोधियों को उसका फायदा न मिल सके। विपिनबाबू व अरविन्द घोष को सम्भालने की जिम्मेदारी लो० तिलक ने ली। इधर गोखले व सुरेन्द्र बाबू ने मेहता बाच्छा को कुछ आगे खींचने की कोशिश की। फलतः कलकत्ता में दादाभाई के समाप्तित्व में व उनके प्रभाव से, यह तजबीज पार पड़ गई। अब यदि दोनों दलों को एक ही संस्था में काम करना था तो कलकत्ते का यह प्रस्ताव नहीं बदला जाना चाहिए था। परन्तु सर फीरोज-शाह हठ ठान बैठे और अन्त को गोखले तथा बनर्जी भी उसके

शिक्कर हो गये जिससे सन् १९०७ के सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस के दो टुकडे हो गए।

इस साल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होनेवाला था, परन्तु वहाँ का बातावरण अपने अनुकूल न पाकर इसके अधिकारियों अर्थात् प्रागतिक दल के नेताओं ने ऐन वक्त पर सूरत में अधिवेशन करना तय किया। तस्य बगाल की नवीन राजनीति को कांग्रेस से हटाने का ही यह उपक्रम था। किन्तु मा० गोखले को यह डर था कि नवीन दल नागपुर में कांग्रेस करने का प्रयत्न करेगा और इस तरह कांग्रेस के दो टुकडे हो जायेंगे। उन्होंने सर वेडरवर्न को लिखा कि ऐसा होने से नौकरशाही किसी भी दल को दाद न देगी और राष्ट्रकार्य बिगड़ेगा। यह पत्र मोर्ले साहब के हाथ लगा और उन्होंने लाडे मिटो को लिखा कि यदि गोखले 'सुधार व शात' इन सिद्धांतों को लेकर सरकार से समझौता कर लेंगे तो कांग्रेस के टुकडे हो जाने पर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और वे शासन में जो-जो सुधार चाहेंगे उनमें ६०-७० फी सदी उनके पल्ले पड़ जायेंगे। मोर्ले साहब की यह इच्छा सफल हुई और राष्ट्र पर सकट आने-सम्बन्धी गोखले की आशका अन्तरशः सत्य सिद्ध हुई। यदि पुराने दल के लोग यह आश्वासन दे देते कि कलकत्ते में पास हुए चारों प्रस्ताव ज्यों-के-त्यों कायम रहेंगे तो सारा विरोध और भगड़ा जहाँ-कान्तहाँ खत्म हो सकता था। इसलिए इसकी जिम्मेवारी नये की अपेक्षा पुराने दल पर ही अधिक आती है।

सूरत में कांग्रेस का अग-भग हो जाने के थोड़े ही दिनों बाद सरकार ने राष्ट्रीय दल को नेतृत्वात्मक रूप से करने के लिए घोर टमन-नीति शुरू की। इसका श्रीगणेश तो हुआ १९०७ में लाला लाजपत राय के निर्वासन से। वे सूरत की कांग्रेस के कुछ दिन पहले ही छोड़ दिये गए; किन्तु सूरत-काड़ के बाद यह टमन का दौरा-दौरा फिर शुरू हुआ। १९०८ के मध्य में लोकमान्य को छुँ: वर्ज कड़ी कैद की सजा ठोकी गई। मद्रास में चिट्ठवरम् पिल्ले, बगाल में अरविन्द घोष, विपिनचाबू आदि कई छोटे-बड़े नेताओं पर हाथ साफ किया गया। चारों ओर टमन और भय का राज्य सरकार ने फैला दिया। राष्ट्रीय

दल ने १६०८ के दिसंबर में काग्रेस-अधिवेशन करने का निश्चय किया, जो गैर-कानूनी ठहरा दिया गया। अब राष्ट्रीय दल के लिए खुलमखुला काम करना असंभव हो गया।

इसी समय देश के युवकों में सशस्त्र कान्ति व गुप्त घड्यन्त्रों वाली राजनीति का खूब जोर जमा। दिसंबर १६०७ में 'ईंडियन सोश्यालाजिस्ट' के द्वारा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने यह कहना शुरू किया कि हिन्दुस्तान में अब गुप्त रूप से तथा रूसी क्रान्तिकारियों के हँग से आन्दोलन चलना चाहिए। इधर श्री विनायकराव सावरकर श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा से जा मिले और उधर बगाल में 'युगान्तर' 'सन्ध्या' पत्रों के द्वारा गुप्त घड्यन्त्रों और सशस्त्र क्रान्ति का आन्दोलन फैलाया जा रहा था। वारीन्द्र कुमार धोष बगाली युवकों का गुप्त रूप से सगठन कर रहे थे। अप्रैल १६०८ में बगाल का पहला घड़ाका हुआ, जिसपर लेख लिखने के कारण लोकमान्य को सजा दी गई। १६०८ से दो-तीन साल तक इस तरह एक ओर से गुप्त घड्यन्त्रकारियों तथा दूसरी तरफ से सरकारी आतक-वाद के दो-दो हाथ हो रहे थे। इसी बीच गोखले-जैसे नेता शान्ति-रक्षा में सरकार की सहायता कर रहे थे और काग्रेस असहाय बनकर यह दृश्य देख रही थी। सरकार राष्ट्रीय नेताओं से शान्तिरक्षा में सहयोग की मोर्ग कर रही थी, उधर अरविन्दबाबू कह रहे थे कि जबतक नागरिकता के मूलभूत अधिकार नहीं दिये जाते और स्वराज्य की नींव नहीं डाली जाती तबतक सहयोग नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा—“हम स्वायत्लभ्वन और निःशस्त्र प्रतिकार के द्वारा अपना ध्येय प्राप्त कर सकेंग। हमारे पास लोगों की न्याय आकाश्माओं की पूर्ति के लिए एक ही मार्ग है निःशस्त्र प्रतिकार का। इसके द्वारा हम शांति व सुव्यवस्था की रक्षा में सहयोग दे सकते हैं।” इसका अर्थ यह हुआ कि अरविन्द बाबू की सम्मति में लोगों की स्वातन्त्र्य-भावना का दमन करने में सरकार को सहयोग देना घातक व तत्त्वभ्रष्टता है। और उनका यह कथन अकाट्य है। सरकारी दमनशाही के विषय में 'वन्देमातरम्' ने लिखा—“हमेशा याद रखना चाहिए कि दमन-नीति के द्वारा लोगों को भयभीत करने का यत्न करना मानो आग से खेलना है। प्रेम से प्रेम

बढ़ता है, विश्वास से विश्वास पैदा होता है, समझदारी से समझदारी को गति मिलती है और सहानुभूति से सहानुभूति जाग्रत होती है। इसके विपरीत द्वेष से द्वेष फैलता है, सदेश से सदेश जाग्रत होता है, आत्कवाद आत्कवाद को जन्म देता है। दमननीति से लोगों के विचार, भावना या आकाङ्क्षा कमज़ोर नहीं पड़ेगी, उल्टी और जोर पकड़ेगी। इस दमन-नीति से लोगों को यह निश्चय हो जायगा कि हमारे नेता ध्येय के लिए आनंदोलन कर रहे हैं। वह ब्रिटिश सरकार के कायम करने तक सम्भव नहीं है। इससे गरम ढल का जोर बढ़ेगा और प्रागतिक प्रचार नेस्तनावूद हो जायगा !”

यहि प्रागतिक ढल के लोग सरकार को उचित सलाह देते तो यह स्थिति रुक सकती थी, परन्तु उन्होंने यह समझ रखा था कि गरम राजनीति लार्ड कर्जन के अत्याचारों और मनमानी का एक कृशिक फल है। ब्रिटिश सरकार यहि दमन बन्द करके शासन में कुछ सुधार कर देतो यह अपने आप बैठ जायगी। लेकिन यह उनका निरा भ्रम था। इसके उत्तर में अरविन्द चाहू कहते हैं—“राष्ट्रवाद के सन्देश का जन्म निराशा से नहीं हुआ है, न वह अत्याचार में से उटय हुआ। इसका जन्म श्रीकृष्ण की तरह बन्दोगृह में हुआ है। जिन्हें अनियन्त्रित किन्तु उदार सुराज्य बाला हिन्दुस्तान जेल की कालकोठरी की तरह असल मालूम होता था उनके हृदय में इसका जन्म हुआ है। श्रीकृष्ण का लालन-पालन जैसे टरिद्र और अजानी जनता के अजात घर में हुआ उसी तरह यह राष्ट्रवाद सन्यासियों की गुहा में, फकीरों के वेप में, युवकों और लड़कों के हृदयों में, जो लोग अयोजी का एक अक्षर भी नहीं जानते थे मगर जो मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाना चाहते थे, उनके अन्त-करण में और जिन पढ़े-लिखे लोगों ने इस धन्त्र का नाम सुनते ही अपनी धन-दीर्घत और पठ-प्रतिष्ठा को लात मारकर लोकसेवा और लोकजागृति का ब्रत धारण किया उनके जीवनों में धीरे-धीरे बढ़ा और पनपा है। हाँ, अत्याचार के कारण सारे देश ने उसको अगोकार जल्द किया मगर उसका जन्म अत्याचार में से नहीं हुआ। यह राष्ट्रधर्म एक अवतार ही है। इसका अन्त कदापि नहीं हो सकता। यह परमात्म-

नियुक्त शक्ति है और वह ईश्वर-नियोजित^१ कार्य को पूरा किये वगैर विश्व की चित् शक्ति में, जहाँ से कि उसका उद्गम हुआ है, फिर नहीं मिलने की ।”

एक ओर इस दुर्दमनीय राष्ट्र-शक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रागतिक दल के ध्यान में नहीं आता था और दूसरी तरफ ब्रिटिश सत्ताधारी और राजनेता उसे खत्म करने पर कमरबस्ता थे, फिर भी उसका उत्साह सतत बढ़ता जा रहा था । ऐसी दशा में जालिम साम्राज्यवाद और क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद में, कुछ समय के लिए क्यों न हो, एक प्रकार का सशस्त्र मुकाबला होने जा रहा था और उसे टालना अरविंद बाबू को असम्भव - सा सालूम होता था । साथ ही उन्हें यह आशा भी न थी कि इस सशस्त्र मुकाबले में राष्ट्रवाद की विजय होगी । उनकी बुद्धि तो यह मान गई थी कि निःशस्त्र प्रतिकार के रणागण में राष्ट्रवाद दुर्दृष्ट होकर रहेगा, परन्तु उनके सामने यह एक समस्या थी कि निःशस्त्र रणागण में उसे कैसे ले जायें ? न सरकार, न प्रागतिक दल के नेता इसमें उनकी सहायता करने को तैयार थे । इधर यह खबर भी उनके कान तक पहुँची थी कि श्रौर नेताओं की तरह उन्हें भी देश - निकाला जाएगा होनेवाला है । उन्होंने यह भी देखा कि राष्ट्र के द्वारा निःशस्त्र क्रान्ति का प्रयोग सफल करने योग्य नेतृत्व उनके पास नहीं है और कम-से-कम इस समय यह काम उनके हाथों होता नहीं दिखाई पड़ता । इसीलिए उन्होंने तथ किया कि कुछ समय देश छोड़कर चले जायें और योग - साधन के द्वारा वह शक्ति प्राप्त की जाय । वे पांडीचेरी चले गये और योग - साधन में लग गये । जाते समय जुलाई १९०६ में अपने देशबंधुओं के नाम उन्होंने एक अनित्म पत्र लिखा था जिसका महत्व का भाग यहाँ दिया जाता है-

“कुछ लोगों का यह ख्याल हो गया है कि राष्ट्रीय पक्ष मर गया । यह गलत है । वह वैसा ही सजीव है । उसकी शक्ति व व्याप्ति बिल्कुल कम नहीं हुई है । हाँ, एक नेता और नीति की आवश्यकता जरूर है । नीति तो मिल जायगी, परतु नेता परमेश्वरी शक्ति के आविष्कार के साधन नहीं बनते तबतक बड़े आन्दोलन रुके रहते हैं, पर ज्यों ही वह आता है के-

विजय-प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। आजतक जिन लोगों ने इस आनंदोलन का नेतृत्व किया वे जवाँमर्ड थे, उनमें बड़े-बड़े गुण थे, महान् प्रतिभा थी। किसी भी बड़े आनंदोलन का नेतृत्व करने जैसी महत्त्वा उनमें थी, परन्तु इस सासार-न्यापी क्राति के प्रसुख प्रवाह का अत तक नेतृत्व करने की उनकी शक्ति पूर्ण नहीं सांत्रित हुई। अतएव राष्ट्रीय दल को, जो कि भावी काल का इस्टी है, ऐसे किसी नेता के आने तक अब राह देखना चाहिए। विपत्ति में धैर्य न छोड़े, पराजय में आशा न छोड़े। यह विश्वास रखे कि अन्त में विजय अवश्य मिलेगी और हिन्दु-स्तान की भावी पीढ़ी और सासार में दूसरे राष्ट्रों के प्रति जो निम्मेदारी हमपर है उसे न भूलें।

“जबतक वह समय न आवे तबतक हमें धीमे-धीमे कदम बढ़ाना चाहिए। इस परिस्थिति में हमारा बल नैतिक है, भौतिक नहीं। इस नैतिक बल पर ही अन्त में हमारे विजय पाने की आशा अवलभित है। जल्टबाजी में या दुस्साहस से जिस क्षेत्र में हम प्रबल हैं उसे छोड़कर जिस क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं उसमें जाने की गलती न करें। स्वराज्य श्रथवा पर-नियत्रण-मुक्त पूर्ण-स्वातंत्र्य हमारा ध्येय, स्वावलबन और प्रतिकार हमारा साधन है। इस ध्येय में किसी राष्ट्र के या हमारे देश पर राज करने-वाली सरकार के प्रति द्वेष का समावेश नहीं। जो यह कहते हैं कि हमारी इस आकाङ्क्षा में द्वेष और अत्याचार का सचार अवश्य हो जायेगा वे गलत कहते हैं। हमारी देश-भक्ति के ध्येय का अधिष्ठान प्रेम और बन्धु-भाव है और उसमें मानवजाति के अतिम ऐक्य का भी समावेश होता है। जो हमारे इन अधिकारों को देने से इन्कार करते हैं उनके प्रति द्वेष रखने की जरूरत नहीं। उसमें तो सिर्फ प्रयत्न करना, कष्ट भोगना, किसी भी व्यक्तिगत विचार को स्थान न देते हुए सच बोलना और जो सत्ता प्रगति-धर्म का विरोध करती है उसको उलट कर अपनी सत्ता प्रस्थापित करने के लिए प्रत्येक विधिवत् साधन और नैतिक बल का उपयोग करना—इतनी ही बातों का समावेश होता है।”

राष्ट्रीय और प्रगतिक टल में समझौता कराने की दृष्टि से वे कहते हैं : “स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव में ‘श्रीपनिवेशिक स्वराज्य’ की जगह ‘पूर्ण-

‘स्वराज्य’ शब्द डालने से भगवा मिट सकेगा। निःशस्त्र प्रतिकार-सम्बन्धी बाद का लगाव बहिष्कार के प्रस्ताव से है। इस सबध में राष्ट्रीय दल अपने सिद्धात का त्याग न कर सकेगा। बहुतेरे प्रागतिक लोग भी उसका समर्थन करते हैं, परन्तु इसका फैसला भी स्वतंत्र रूप से निर्वाचित कांग्रेस के बहुमत द्वारा कर लेने को वह तैयार है। प्रागतिक और राष्ट्रीय दल का मतभेद इसी बात में है कि राष्ट्रीय दल जैसे-तैसे व नाम मात्र के शासन-सुधार स्वीकार करके अपना ध्येय छोड़ने के लिए और लोगों को यह दिखाने के लिए कि हमें वास्तविक अधिकार मिल गये हैं, तैयार नहीं है।”

थोड़े ही दिनों में अरविंद बाबू पाडीचेरी चले गये। उसके बाद बगाल में प्रागतिक राजनीति का सदा के लिए खात्मा हो गया। युवक बगाल बहुत कुछ सशस्त्र क्रान्तिवादी बन गया और यह सशस्त्र क्रान्तिवाद कल तक बहों जीवित था। इस क्रान्तिवाद को महज अधिकारियों का खून करनेवाला आतकवाद न कहना चाहिए। बारीन्द्र कुमार ने अदालत में अपने व्यान में कहा था कि हम यह नहीं मानते कि राजनैतिक हत्याओं से स्वाधीनता मिल जायगी। हम तो यह इस-लिए करते हैं कि लोगों को उसकी जरूरत है।* ये क्रातिकारी सम्प्रदाय रुस और इटली के गुप्त पड्यत्रों की लाइन पर काम कर रही थी।

जब महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति की बागडोर अपने हाथों में ली तब अरविंद बाबू, विपिनबाबू, लोकमान्य तिलक द्वारा प्रवर्तित बहिष्कार-योग का पुनर्जीवन, असहयोग के रूप में हुआ। फलतः बगाल का सशस्त्र क्रातिवाद सब जगह नहीं फैलने पाया। आज तो बगाल के सशस्त्र क्रातिवादी भी महात्मा गांधी के निःशस्त्र क्रातिवाद का अवलम्बन करने की नीति घोषित कर रहे हैं और निःशस्त्र क्राति की दीक्षा ले चुकनेवाली कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जो लोग सशस्त्र क्राति की अतिम आवश्यकता को स्वीकार करते हैं वे भी साम्यवाद के क्रातिशास्त्र का अवलम्बन करके वर्ग-संगठन का प्रकट कार्य कानून-कायदे और शाति की व्यावहारिक मर्यादा में रहकर करने लगे हैं। इस तरह आज

* Speeches of Aurobindo Ghose, Appendix.

के हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी का अहिंसात्मक निःशस्त्र क्रातिशास्त्र और साम्यवाद का वैज्ञानिक क्रातिशास्त्र यहीं दो क्रातिकारी राजनीतियों वाकी चर्च रही हैं। इनमें से कांग्रेस ने तो आज महात्मा गांधी के निःशस्त्र क्रातिशास्त्र को स्वीकार किया है। इन दोनों क्रातिशास्त्रों में क्या भेद है—इसकी चर्चा हम इस पुस्तक के अतिम दो प्रकरणों में करेंगे।

: ६ :

राष्ट्रीय आपत्थर्म

१६०६ ईस्वी में मॉर्ले-मिटो-सुधार अमल में आये। १६१० में लार्ड मिटो गये और लार्ड हार्डिंग बाइसराय बनकर आये। तबसे भारतीय राजनीति में एक नवीन युग शुरू हुआ और वह लगभग १० वर्ष तक रहा, जिसे राष्ट्रीय दृष्टि से एक आपत्-काल ही कहना चाहिए। इसे मॉर्ले-मिटो-सुधारकाल कहते हैं। राष्ट्रीय दल को वह मज़ूर न था। प्रागतिक वगाली नेता भी कहते थे कि जबतक वग-भग रह नहीं हो जाता तबतक हम इन सुधारों को स्वीकार नहीं करेंगे और न नई धारा-सभाओं में जायेंगे। राष्ट्रीय दल दमन की चक्री में पीस दिया गया था और लोकमान्य तिलक माडले में जेल काट रहे थे। देश के उत्साही युवक सशस्त्र क्रातिकारी बनकर इधर-उधर हिंसा-काढ़ करते थे। और अमरीका, यूरोप में जाकर पद्यव्रत रचते थे। इस समय वगाल और महाराष्ट्र की तरह पजात में लाला हरटयाल के नेतृत्व में एक सशस्त्र क्राति-दल स्थापित हुआ जो अमरीका में गदर पार्टी कहलाया। बाट में इस क्राति-कारी दल का सूत्र पूरोपीय महाभारत के समय में जर्मनी से जुड़ गया और रूस को राज्यक्राति के श्री मानवेन्द्र राय आदि भारतीय साम्यवादियों का सबध रूस के बोलशेविकों से हो गया, परन्तु हिन्दुस्तान में साम्यवादियों का क्रातिवाद १६२२ तक एक दल के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। इसी प्रकार निःशस्त्र क्रातिवादी राष्ट्रीय दल भी एक प्रकार के प्रच्छुन्न रूप में ही काम कर रहा था।

इन दस वर्षों के दो हिस्से हो जाते हैं—१६१० से १६१५ तक और

१६१५ से १६२० तक। १६१० से १६१५ तक दोनों प्रकार के क्राति-चाद अथवा राष्ट्रवाद किसी तरह जीवित रहने का प्रयत्न कर रहे थे। १६१४ के अन्त में यूरोपीय महाभारत शुरू हुआ। जिससे दोनों राष्ट्र-चादों को अपना जोर जमाने का मौका मिला। जून १६१४ में लोकमान्य तिलक माडले से छूटकर लौटे और उन्होंने राष्ट्रीय दल के सगठन का काम शुरू किया। १६१५ से १६२० तक राष्ट्रीय दल के सगठन और संवर्द्धन का काम लोकमान्य ने किया और काग्रे से जो प्रागतिक दल के हाथ में थी उसे अपने प्रभाव में लेकर महात्मा गांधी के निःशब्द क्राति-चादी राजनीति के लिए एक प्रभावशाली राष्ट्रीय संस्था बना दी।

अलबत्ता १६०५ के बहिष्कार-योग की क्रातिचादी राजनीति का पुनरुज्जीवन वे उस समय न कर सके। यह कार्य महात्मा गांधी ने १६२० में किया और १६०७ में सूरत में जो राजनीति की शृंखला टूट गई थी उसे फिर से जोड़ा। लोकमान्य के जेल-काल में गरम राजनीति की स्मृति को जागृत रखने का कार्य श्री न० चिं० केलकर ने किया।

१६११ के अंत में दिल्ली-दरबार हुआ जिसमें सम्राट् पन्चम जार्ज का राज्याभिषेक घोषित किया गया। इस समय वग - भग रहा किया गया और राजधानी कलकत्ते से दिल्ली लाई गई। इन्हीं दिनों अर्थात् अगस्त १६११ में लार्ड हार्डिंग ने इस आशय का एक खरीदा विलायत भेजा कि मॉले - मिटो - सुधारों का विकास प्रातिक स्वराज्य में होना आवश्यक है। इससे बाबू सुरेन्द्रनाथ ही नहीं, विपिनबाबू भी बहुत सतुष्ट हुए। लार्ड हार्डिंग के दिल्ली-प्रवेश के समय किसी ने उनपर बम फेका, परन्तु उससे प्रभावित होकर उन्होंने दमन - नीति का आश्रय नहीं लिया और लोकपक्ष से समझौता करने की नीति ही अपनाये रखी। यह समय गोखले की नरमनीति के दौरदौरे का था। दक्षिण अफ्रीका के भारत-वासियों के सत्याग्रह का पृष्ठपोषण करने में माननीय गोखले और लार्ड हार्डिंग दोनों साथ दे रहे थे। ऐसे समय में श्री केलकर ने बहिष्कार-योग की नीति को छोड़ देना ठीक समझा। जब बड़े काम के लायक बड़ा नेता न हो तब सामान्य लोगों को यह कहना ही पड़ता है कि

अपनी शक्ति और सीमा को पहचानकर काम करो, परन्तु जब बड़ा नेता सामने आ जाता है तब वह दलील काम नहीं दे सकती, वलिक उससे राष्ट्र-कार्य को नुकसान भी हो सकता है। शुद्ध बुद्धिवाद की हृषि से भी सामान्य मनुष्य और असामान्य विभूति का यह भेद सच मानना पड़ता है, क्योंकि वह अनुभवगम्य है। फिर भी वह सामान्य मनुष्य द्वारा असामान्य मनुष्य की, असामान्य विभूति की पूजा करने या उसका शिष्य बनकर उसकी नीति पर चलने में रुकावट नहीं डाल सकता। जब असामान्य विभूति या नेता अपने अनुयायियों के लिए कोई कार्यक्रम बना देते हैं तब स्वभावतः ही सामान्य नेता उनपर अमल करते हैं, परन्तु इससे अधानुकरण का आक्षेप नहीं आ सकता। असामान्य नेता अपनी अतःप्रेरणा के बल पर नवीन सत्य का प्रकाश देते हैं और ससार में उसकी प्रस्थापना भी कर सकते हैं। इस काम में उन्हें अलौकिक स्वार्थत्याग भी करना पड़ता है। परन्तु ससार में जब किसी विभूति के आत्मबल से नवीन सत्य की स्थापना होती है तब उस अलौकिक स्वार्थत्यागी विभूति को सत्य-प्रस्थापना के कार्य में अनेक साधारण लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है और वह उनसे भी कुछ समय तक स्वार्थत्याग की अपेक्षा करता है। ऐसे समय सामान्य लोग इस असामान्य विभूति का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं और शक्ति भर स्वार्थत्याग करके उसके अगीकृत महत् कार्य में सहयोग देते हैं। राष्ट्र-निर्माण में महान् नेताओं की इस विभूति-पूजा की जो आवश्यकता है वह इसीलिए।

पंजाब के नेता लाला लाजपतराय ने सूरत काश्रेस में औपनिवेशिक स्वराज्य का घ्येय मजूर कर लिया और काश्रेस में रह गये। अतः वे सरकार के पंजे से बच गये। फिर एक-दो साल के बाद काश्रेस - कार्य के लिए विलायत गये। वहाँ से अमरीका चले गये। तब फिर मारत-सरकार की कुदृष्टि उनपर पड़ी और सरकार ने उन्हें महायुद्ध खत्म होने तक हिन्दुस्तान में नहीं आने दिया। सरकार को यह सन्देह हुआ कि अमरीका को गदर पार्टी से उनका सम्बन्ध होगा, लेकिन बाट को वह गलत साबित हुआ। १९१४ से १९१९ तक के समय में हिन्दुस्तान में

लोकमान्य ने होमरूल आन्दोलन किया। उन दिनों लालाजी अमरीका में होमरूल-कार्य का प्रचार कर रहे थे। बाबू विपिन चन्द्र पाल सुरत-काश्रेस के समय ही जेल में डाल दिये गये थे। मगर वे जल्दी ही छूट गये। और कुछ समय इंग्लैंड जाकर रहे। लौटने पर उन्होंने अपनी नीति बदल दी और यह कहना शुरू किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहने में ही हमारा और ब्रिटिश साम्राज्य का हित है। दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई उसपर उन्होंने सतोष प्रकट किया। यह भी लिखना शुरू किया कि लार्ड हार्डिंग ने प्रातिक स्वराज्य की स्थापना का ध्येय मजूर कर लिया है और हिन्दुस्तान शीघ्र ही स्वराज्य - मणिडत सयुक्तराज्य बन जायगा। अंग्रेज राजनेताओं को उसके सहयोग की आवश्यकता मालूम होने लगी। इसलिए अब असहयोग की नीति राष्ट्रीय टल को छोड़ देनी चाहिए। क्रातिकारी राष्ट्रवाद हमारे मार्ग का एक सकट ही है। मुसलमान राष्ट्र तथा चीन की ओर से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संकट पैदा हो गया है। हमारे लिए भी वह एक सकट है। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारतीय राष्ट्रवाद से आज या कल अवश्य ही समझौता करना पड़ेगा। पैन-इस्लामिज्म के सकट को देखते हुए हिन्दू-स्तान को क्रातिकारी राष्ट्रवाद छोड़ देना चाहिए और ब्रिटिश साम्राज्य से मित्रता करनी चाहिए। इस विचारधारा का उद्गम बगाल के तत्कालीन अंति गरम नेता विपिनचन्द्र पाल के लेखों में है। आज हिन्दू-सभा के कुछ नेता इसी पैन-इस्लामिज्म का हौवा खड़ा करके एक और हिन्दूराज्य की ओषणा करते हैं और दूसरी ओर ब्रिटिश-राज्य से सहयोग करने की पुकार मचाते हैं। मुसलमानी साम्राज्य के द्वेष या भय से बगाल के नेताओं में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रेम बल्कि अध भक्ति पैदा हुई थी। इसलिए विपिन बाबू की नीति उस परपरा के अनुरूप कही जा सकती है। परंतु महाराष्ट्र में जो लोग क्रातिकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं वे मुसलमानी साम्राज्य के भय का हौवा खड़ा करके अंग्रेजों से सहयोग की इतनी आवश्यकता क्यों चताते हैं, यह महाराष्ट्रीय परम्परा की दृष्टि से समझना कठिन है। १८५७ में दिल्ली के तख्त पर बूढ़े मुगल बादशाह को बैठाकर स्वराज्य - स्थापना का प्रयत्न करते हुए नाना साहब पेशवा, भाँसी की

रानी अथवा तात्या दोपे इन क्रातिकारियों को भय नहीं मालूम हुआ ; क्योंकि उन्हें यह आत्मविश्वास था कि हिन्दुस्तान में मुसलमान हिन्दुओं पर सदा के लिए अनियंत्रित सत्ता नहीं चला सकते । फिर महाराष्ट्रीय राजनेता इस बात को जानते थे कि हिन्दू - मुसलमानों की एकता के द्वारा पहले जब हम अपनी गुलामी के ब्रधन तोड़ने लगेंगे तभी दोनों का भला होगा । जो हो, इस समय तो विपिनबाबू ब्रिटिश साम्राज्य से सहयोग करने की नीति का प्रतिपादन करते थे और आगे चलकर जब महात्मा गांधी ने काश्रेस को ग्रसहयोग की टीक्का दी तब भी उन्होंने गांधीजी का विरोध किया था ।

१९१४ में जब लोकमान्य तिलक जेल से छूटकर आये तब उनके सामने यह प्रश्न था कि देश का बल कैसे बढ़ाया जाय और उसमें फिर साम्राज्यवाद से लड़ने की शक्ति कैसे पैदा की जाय । देश की हालत कैसी ही हो, उसे कार्य-प्रबण कैसे बनाना चाहिए और प्रतिपक्षी पर उसकी छाप कैसे बढ़ानी चाहिए, लोकमान्य इस कला में निपुण थे । मनुष्य की बुद्धि परिस्थिति से वैधी हुई रहती है, वह सच हो तो भी वह उसी बुद्धि की सहायता से परिस्थिति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है । डसीलिए बुद्धि के केवल परिस्थिति-निष्ठ होने से काम नहीं चलता । उसे आत्म-निष्ठ भी होना पड़ता है । यह आत्म-निष्ठ बुद्धि जात परिस्थिति के उस पार जाकर यह पहचान सकती है कि भावी काल की अजात परिस्थिति अपने अनुकूल कैसे बनाई जाय । जात के उस पार उड़कर जाने की शक्ति मानवी बुद्धि को अतःप्रेरणा से प्राप्त होती है । सत्य - सशोधन, कार्य - सुषिट्र और राष्ट्र - निर्माण जैसे महत् कार्य के लिए आवश्यक नेतृत्व-कला इन सबके लिए इस आत्म-निष्ठ बुद्धि की या अतःप्रेरणा-युक्त बुद्धि की आवश्यकता होती है । लोकमान्य के जैसा अलौकिक लोक-नायकत्व उभीमें प्राप्त होता है । हाँ, अलवत्ते अंतःप्रेरणा के फेर में पड़कर बुद्धि की परिस्थिति पर की पकड़ ढीली न होने देनी चाहिए । वह टीली हुई कि मनुष्य सासारिक कायों में और भगाडों में टिकने के अध्योग्य बन जाता है । बुद्धि के पीछे यदि अतःप्रेरणा का बल न हो तो बुद्धि परिस्थिति की दासी हो जाती है । इसके विपरीत यदि अतःप्रेरणा को बुद्धि की सहायता न हो

तो परिस्थिति के ज्ञान के अभाव में वह मनुष्य व्यवहार - शून्य आदर्श-वादी बन जाता है। राष्ट्रनिर्माण के लिए ऐसा आदर्शवाद बहुत उपयोगी नहीं होता। वास्तववाद और आदर्शवाद का समन्वय जो बुद्धि कर सकती है वही राष्ट्रनिर्माण कर सकती है। लोकमान्य की बुद्धि इसी तरह की थी। 'सुख-दुःख समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ' बुद्धि का यह समल्ब उनके पास था और 'योग. कर्मसु कौशलम्' में वर्णित कर्मयोग भी उन्हें सहज प्राप्त था।

लोकमान्य की गजनीति का अंतरग क्रान्तिवादी था, परन्तु उनके मन में पहले से ही यह दृढ़ निश्चय था कि हिन्दुस्तान में क्राति जनता के द्वारा करानी होगी और उसका स्वरूप लोक - सत्ताक होगा। लोक-चल का सगठन कैसे किया जाय और उनका सामर्थ्य कैसे बढ़ाया जाय यह वे जानते थे। सूरत में काग्रेस के ठों ढुकड़े हो गये। प्रागतिक दल वालों ने अपना 'कन्वेन्शन' ज्याँ-त्यों चालू रखा। राष्ट्रीय दल जिस काग्रेस को चाहता था वह नष्ट हो गई। इस सारी परिस्थिति पर विचार करके उन्होंने यह तजवीज़ की कि काग्रेस पर कब्ज़ा किया जाय। उसका वर्तमान ध्येय स्वीकार करके ही वे उसके अटर दाखिल हो सकते थे। वे जानते थे कि राजनैतिक सम्था में राष्ट्र - शक्ति के प्रचिष्ट हो जाने पर उनके साधन और साध्य उसके विकास के साथ ही-साथ बदलने चाहिए। जिस मात्रा में राष्ट्र-शक्ति का विकास होता जाता है उसी मात्रा में राष्ट्र की बुद्धि को अधिक उच्च ध्येय सम्भने और पठने लगते हैं। अतएव यदि काग्रेस में छुसने का अवसर न मिला तो राष्ट्र-शक्ति के सगठन के लिए दूसरी सम्था खड़ी करके उसके द्वारा राष्ट्र का काम करने की उनकी तैयारी थी।

अब हम यह देखें कि इस समय काग्रेस का रूख क्या था। इस वक्त की काग्रेस प्रागतिकों की काग्रेस थी, जिसपर सूरत में औपनिवेशिक स्वराज्य का व्येय व वैध नीति लट गई थी। कुछ प्रागतिकों की यह डच्छा थी कि सूरत की फूट फिर से जुड़ जाय, लेकिन वे अपना नया ध्येय बदलने को तैयार न थे। इनमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, प० मालवीयजो व गोखले तो इस मत के थे कि यदि गरम दल के लोग नई परिस्थिति के अनुकूल होकर काग्रेस में आना भजूर करे तो उन्हें लेकर फूट मिया ली

जाय , किन्तु सर फीरोजशाह मेहता गरम दल वालों को किसी तरह काप्रेस में आने देना नहीं चाहते थे । सूरत के बाद, सन् १९०८ में मद्रास में डा० रासविहारी घोष के ब सन् १९०९ में लाहौर में प० मालबीय-जी के सभापतित्व में काप्रेस के अधिवेशन हुए । लाहौर-अधिवेशन के अन्यत्र सर फीरोजशाह मेहता जुने गये थे , लेकिन गरम दल को काप्रेस में शामिल न करने के अपने मत के कारण उन्होंने डस्टोफा दे दिया ब मालबीयजी अध्यक्ष बनाये गये । परन्तु जबतक लो० तिलक छूटकर नहीं आ जाते तबतक इस मेल के प्रथम में सफलता मिलनी कठिन थी । फिर जन्न १९१४ में लोकमान्य छूटकर आ गये तब श्रीमती वेसेंट ने भी इस मत को जोर की गति दी कि गरम दल से मेल कर लेना चाहिए । इस समय तक मा० गोखले ने भी खुट अपने अनुभव से यह देख लिया था कि मॉर्ले-मिटो सुधार कितने निराशाजनक हैं और उनके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के जैसा प्रश्न भी हल नहीं हो सकता था । इधर व्रिटिश राजनेता भी यह महसूस करने लगे थे कि लार्ड हार्डिंग के प्रातिक स्वराज्य-मवधी सुधारों का विकास करने की आवश्यकता है । फिर यूरोपीय महायुद्ध शुरू हो गया था, इससे सभी यह मानने लगे थे कि युद्ध में हिन्दुस्तान का सहायता लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार दिये जायेंगे ब टिये जाने चाहिए । ऐसे समय नरम-गरम दोनों टलों के एक हो जाने से देश का बड़ा हित होगा ऐसी राय गोखले, बनर्जी, और मालबीयजी की थी । अत ओ डा० वेसेंट ब तत्काल न काप्रेस के मत्री श्री सुव्वाराव पतलू की मन्वस्थता से यह तथ दुआ कि गरम अर्थात् राष्ट्रीय दल तो प्रागतिकों अर्थात् नरम दल वालों का ध्येय स्वीकार कर ले ब राष्ट्रीय टल की जो स्थाई इस ध्येय को मान ले, उन्हें प्रतिनिधि मेजरने का अधिकार दिया जाय । यह शर्त प्रागतिक लोग मजूर कर लें ब दोनों टल के लोग बहुमत के निर्णय पर चलकर एकता से रहें । प्रागतिकों ने यह भी मजूर किया था कि आगामी मद्रास-काप्रेस में यह समझौता पास करा लिया जायगा ।

लेकिन इस बीच में तिलक ब गोखले के दरम्यान हुई एक बातचीत से गोखले को यह निश्चय हो गया कि तिलक-पक्ष का मत-परिवर्तन नहीं

हुआ है, बल्कि अपने पुराने मत पर उन लोगों की वैसी ही दृढ़ श्रद्धा है। वे एक आपद्धर्म के तौर पर प्रागतिकों का ध्येय मजूर कर रहे हैं। तब उन्होंने (गोखले ने) मद्रास - काग्रेस के मनोनीत सभापति बा० भूपेन्द्रनाथ बसु को एक पत्र लिखा व बताया कि तिलक के भाव - विचार क्या हैं व क्यों उनसे समझौता न करना चाहिए। पत्र में उन्होंने कहा कि तिलक तो काग्रेस के द्वारा सरकार से स्वराज्य की एक ही मौंग करना चाहते हैं व जवतक वह मजूर न हो तबतक अडगे की नीति के द्वारा सरकार - तंत्र को बेकार बनाकर अग्रेज राजनेताओं को काग्रेस की शरण आने पर वाध्य करना चाहते हैं। यदि काग्रेस के द्वारा यह नीति न चलाई जा सके तो 'राष्ट्रीय सघ' के नाम से ब्रिलग संगठन बनाकर उसके द्वारा अपना कार्यक्रम पूरा करेगे। अर्थात् तिलक वही पुराने तिलक बने हुए हैं, यह उन्होंने भूपेन बाबू को बताया। इसके फल - स्वरूप समझौते का प्रश्न फिर एक साल के लिए आगे चला गया। अपने इस रूख - परिवर्तन का स्पष्टीकरण गोखले ने इस प्रकार किया— “हम समझ गये थे कि नवीन परिस्थिति के कारण तिलकपक्ष का मत व नीति बदल गई है, किन्तु बाद में हमें अपना यह भ्रम मालूम हुआ। अतएव हमने समझौते का विरोध किया। सच पूछा जाय तो १९०७ में भी गरम-नरम दल का विरोध अनितम ध्येय - सबधी उतना नहीं था जितना इस प्रश्न पर था कि अडगे की नीति अगोकार की जाय या सहयोग की, और अपनी शक्ति स्वराज्य की एक ही मूलग्राही मौंग पर केन्द्रित की जाय या फुटकर सुधारों पर बिखेरी जाय।”

लो० तिलक को अपनी अडगा या विरोध - नीति चलाने के लिए काग्रेस पर कब्जा करना व उसे प्रबल व सगठित बनाना आवश्यक था। उन्हें यह आत्मविश्वास था कि एक बार काग्रेस में घुस जाने पर वह हमारे अनुकूल ही सांचित होगी, क्योंकि वे मानते थे कि सरकारी दमन-नीति के कारण लोकमत दबा हुआ है। यों वह उनकी नीति के अनुकूल ही है।

इधर १९१५ में मा० गोखले व सर मेहता दोनों धुरधर प्रागतिक नेता परलोकवासी हो गए। उस साल काग्रेस बड़ई में हुई थी। उसमें

समझौते का प्रस्ताव पास हो गया व १६१६ की लखनऊ-काशी में राष्ट्रीय दल लोकमान्य के नेतृत्व में उपस्थित हुआ। इस साल ऐसा अनुभव होने लगा मानो तिलक ने काशी पर कब्जा कर लिया। इसी साल स्वराज्य की एक सर्वसम्मत मौंग पेश की गई व मुस्लिम लोग का भी समर्थन लोकमान्य ने जिना, महमूदावाट के राजा व डा० अनसारी आदि मुसलमानों के नेताओं से समझौता करके प्राप्त कर लिया था। उस समय अपने भाषण में उन्होंने कहा था, “जिस वहिकार-सर्वधी प्रस्ताव पर इतना झगड़ा हुआ था उससे भी यह प्रस्ताव अधिक महत्व का है। हिंदू, मुसलमान, नरम-गरम सब दलवालों ने सयुक्तप्राप्त में सयुक्त होकर स्वराज्य की हलचल करने का निश्चय किया है और हमें यह सौभाग्य (Luck) अब (now) लखनऊ (Lucknow) में मिला है।”* कुछ लोग यह शिकायत करते हैं कि हिन्दुओं को मुसलमानों के सामने झुकना पड़ा है। पर मैं कहता हूँ कि अगर अकेले मुसलमानों को भी स्वराज्य के अधिकार दिये गये तो हम उसे खुश न मानेगे। यह कहते समय मैं हिन्दुस्तान के तमाम हिन्दुओं की भावना व्यक्त कर रहा हूँ। यदि अकेले राजपूत या पिछड़ी जातियों को ज्यादा लायक समझकर उन्हें सब अधिकार दे दिये जायें तब भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। हिन्दुस्तान के किसी भी वर्ग को दिये जायें तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तब भगवा उस वर्ग व शेष समाज के बीच ही रहेगा, आज का तिरंगी सामना तो मिट जायगा।”

लोकमान्य का निश्चित मत था कि स्वराज्य के लिए केवल प्रस्ताव पास करने से काम न बनेगा, सारे देश में जोर का आन्दोलन करना पड़ेगा, लेकिन काशी के बरिये एकएक ऐसा होना शक्य नहीं था। अत-एव उन्होंने ‘होमरुल लोग’ या ‘स्वराज्य-सघ’ नामक एक स्वतंत्र संस्था खड़ी की। काशी की मौंग के लिए साल भर लगातार आन्दोलन करते रहना इसका काम था। मद्रास में डा० वेसेंट ने भी ऐसा ही एक स्वराज्य-सघ शुरू किया था, लेकिन दोनों को एक कर देने की उनकी तैयारी न थी। मगर लोकमान्य का ख्याल था कि काशी का काम करनेवाले ये दोनों सघ एक हो सकते हैं। उन्होंने अपने लेखों में यह स्पष्ट

* We have that luck now in Lucknow

किया था कि 'स्वराज्य-संघ' का काग्रेस से विरोध नहीं, उलटा वे यह काम करेंगे जो काग्रेस अबतक न कर पाई थी। भिन्न-भिन्न-प्रातो में 'स्वराज्य-संघ' स्थापित हों तो उनमें परस्पर विरोध होने की कोई गु जायश नहीं है।

लोकमान्य ने यद्यपि 'स्वराज्य' शब्द का भाषान्तर 'होम रूल' कर दिया व समाट के प्रति वफादारी की घोषणा भी कर दी तथापि नौकर-शाही यह अच्छी तरह जानती थी कि उनके आन्दोलन से जो लोकशक्ति निर्माण होनेवाली है वह उसके लिए मारक ही सावित होगी। इसलिए उसने १९१६ में लोकमान्य पर राजद्रोह का तीसरा मुकदमा चलाया और इधर बवई - सरकार ने उन्हीं टिनों डा० वेसेट को बवई - प्रात में आने से रोक दिया, परन्तु बम्बई हाईकोर्ट ने लोकमान्य को बरी कर दिया जिसमें वे लखनऊ जाकर काग्रेस में स्वराज्य के प्रस्ताव पर एकवाक्यता करा सके। किन्तु लखनऊ के बाद फिर तिलक महाराज व डा० वेसेट के आन्दोलन को दबाने की शुरूआत नौकरशाही ने कर दी, जिसका पहला कदम था भारत-रक्षा-कानून के मातहत डा० वेसेट व श्रीएरु डेल को मद्रास-प्रात में नजरबढ़ कर देना। इस टमन - नीति के साथ ही मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लार्ड पेटलैंड ने मेद-नीति से भी काम लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 'सरकार काग्रेस के खिलाफ नहीं है, स्वराज्य-संघ के विचारों के खिलाफ है। इसपर लोकमान्य ने जवाब दिया कि '१९०८ में सरकार की नीति थी—नरम दल अपनाओ व गरम को दफ्नाओ। अब काग्रेस-विरोध न बताना व स्वराज्य-संघ को दबाना वही पुरानी मेद - नीति है। वस्तुतः काग्रेस व स्वराज्य-संघ के लद्य में कोई अन्तर नहीं है। अतः इस समय हमें 'वय पचोत्तर शतम्' वाली कहावत चरितार्थ करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करेगा वह भावों इतिहास में देशद्रोही गिना जायगा।'

इस प्रकार लोकमान्य के आवाज उठाने पर डा० वेसेट की नजरबढ़ी के खिलाफ देश में बड़े जोर की लहर उठ खड़ी हुई व फिर से स्वदेशी, वहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं कौसिलों से इस्तीफे व सत्याग्रह तक की चर्चा राजनैतिक क्षेत्रों में होने लगी। अबतक जो बड़े-बड़े लोग स्वराज्य-संघ से दूर रहते थे वे उसमें शामिल होने लगे। नरम-गरम का मेट कर्त्तव्य मिट गया। कलकत्ते में तथ छुआ कि सारे बंगाल - प्रान्त में स्वराज्य का

आन्दोलन चलाया जाय। लखनऊ में भी मुसलमानों ने पेटलैंड साहब का विरोध करके डा० वेसेट के प्रति अपनी हमदर्दी जाहिं की। कौसिलों के सभासंघ बर्नीन, बैगिन्य, सब हर नूवे में होमरुल लींग के सदस्य बनने लगे। हजारों लोग अपना यह दृढ़ समूल्य प्रकट करने लगे कि सरकार नाराज हो तो पर्वाह नहीं, न्यगल्य-प्राप्ति के लिए हम बराबर उत्तोग करते रहेंगे। भारत गज्जक नेना ने लिए जो भरती बरना चाहते थे उन्होंने वह बन्द कर दिया। न्यदेशी, वृष्टिकार की शपथ ली जाने लगी। पेटलैंड साहब को बापस बुलाने के लिए चिलापत्त तार जाने लगे। मिठ० बोमनजी अरेले ने न्यगल्य-आन्दोलन चलाने के लिए एक लाख रु० देने का अभियचन दिया। यह चर्चा भी चली कि भारती वेसेट को हुद्दाने के लिए सत्याग्रह छेड़ा जाय। अग्निल भारताय कांग्रेस कमेटी, मुस्लिम लींग, होमरुल लींग आदि मन्थाएँ हमें टिलचर्नी लेने लगी। उन्हीं दिनों प्रयाग में प० मालवीयजी की अधिकता ने लो० तिलक का स्वगत्य पर भाषण हुआ जिसमें उन्होंने सत्याग्रह अवया नि.श्व-प्रतिकार के बारे में कहा—‘जो कानून-व्याय व नीति के विरुद्ध हो उनका हम पालन नहीं कर सकते। नि.श्व प्रतिकार माध्यन है, साध्य नहीं। किसी द्यास हुक्म को मानने या न मानने ने क्या दानि-लाभ होगा, इसका विचार करके याम करना नि.श्व प्रतिकार है। यदि हमारी समतोल बुढ़ि ने यह फैसला दिया कि याम शालतों में इन हुक्म को तोड़ना ही लाभदायक है तो इन नियम पर चलना नीतिक दृष्टि से समर्वनीय होगा। लेकिन हम प्रश्न का निर्णय दृष्टनी वही मध्य में नहीं किया जा सकता। यह आपको अपने नेताओं पर हीछोड़ना चाहिए। हमारी लक्ष्य-मिश्नि के मार्ग में कृतिम व अन्यार्थी कानून या परिस्थिति बाधक हो उसका मुसाबला करना नि.श्व-प्रतिकार है। नि.श्व प्रतिकार चिलकुल बैब है। दतिहास ने यह साधित कर दिया है कि कानून-संगत व विधि-विहित दो अलग-अलग गद्द हैं। जबतक कोई भी कायदा न्याय व नीति-संगत न हो व १६वीं-२० वीं मर्टी की नीति के अनुकूल लोकमतानुसार न हो तबतक वह कानून-संगत भले ही हो, विधिविहित नहीं हो सकता। यह भेद आप अच्छी तरह समझ लें। मैं कहता हूँ कि आप चिलकुल बैध मार्ग पर

चलिए। परन्तु साथ ही मैं यह कहता हूँ कि प्रत्येक कायदा शास्त्रीय अर्थ में 'वैध' नहीं हो सकता।"

इन्हीं दिनों महात्मा गांधी हिन्दुस्तान में अपना दो साल का प्रारम्भिक निरीक्षण-कार्य पूरा करके चम्पारन में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर रहे थे। इसी समय अप्रैल में उन्होंने उस जिले के मैजिस्ट्रेट का हुक्म खुल्लम-खुल्ला तोड़ा था व अन्त को सरकार के हुक्म से वह निषेधाज्ञा वापस ले लेनी पड़ी थी। इस तरह अब भारतीय राजनीति धरि-धीरे सत्याग्रह के पथ पर अग्रसर हो रही थी। लो० तिलक इस सिद्धान्त का प्रकट रूप से समर्थन करने लगे थे। इतने ही में डा० वेसेट छोड़ दी गई व ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि 'हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलेगा, लेकिन वह किस्तों में दिया जायगा। पहली किस्त महायुद्ध के बाद मिलेगी, बाकी किस्तें कब दी जायेंगी इसका फैसला पार्लामेंट समय-समय पर करेगी व पहली किस्त की योजना बनाने के लिए व भारत का लोकमत जानने के लिए भारत - मन्त्री माटेगू साहब हिन्दुस्तान आयेगे।' इससे वह जुब बातावरण कुछ देर के लिए शान्त हो गया व जबतक माटेगू-सुधारों का रूप सामने नहीं आ जाता तबतक स्वराज्य के लिए सत्याग्रह का या प्रत्यक्ष प्रतिकार का प्रश्न खड़ा होने का कारण नहीं रहा।

१६१७ के दिसंबर में काग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में होनेवाला था। राष्ट्रीय दल ने अध्यक्ष के लिए डा० वेसेट का नाम सुझाया। वह मजूर भी हो गया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि प्रागतिकों को यह पसद नहीं हुआ, लेकिन इस समय काग्रेस में तिलक महाराज का बोलबाला था। इसका फल यह हुआ कि प्रागतिकों ने अपनी अलाहदा 'प्रागतिक परिषद्' बनाई। कलकत्ता-काग्रेस में सुख्य प्रश्न स्वराज्य का ही था। काग्रेस व मुस्लिम लीग ने अपनी मार्गों की एक तजबीज तैयार कर रखी थी। उसका समर्थन तो करना ही था, पर साथ ही माटेगू साहब की स्वराज्य-घोषणा पर भी उसे अपनी राय देनी थी। लोकमान्य आदि राष्ट्रीय-नेताओं ने इस योजना के तीन हिस्से किये थे: (१) हिन्दुस्तान को स्वराज्य देना, (२) वह किस्तों में देना और (३) इन किस्तों के स्वरूप व समय का निश्चय पार्लामेंट द्वारा होना। इनमें पहले दो हिस्से नेताओं को मजूर

हुए, किन्तु तीसरा हिस्सा बिलकुल नामजूर किया गया, क्योंकि वह स्थर्यं निर्णय के सिद्धान्त के बिलकुल खिलाफ था और इस ब्रात का निश्चय नहीं हो पाता था कि ब्रिटिश पार्लामेंट कब स्वराज्य देगी। इसलिए कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा कि पूर्ण स्वराज्य देने का एक ही कानून पार्लामेंट जल्दी बना दे और उसी में यह बता दिया जाय कि स्वराज्य की कित्ते कब-कब दी जायेंगी। इससे लाभ यह था कि निश्चित मीणाद खत्म होने पर अपने आप स्वराज्य मिल जायगा। ब्रिटिश पार्लामेंट की तरफ देखने की या उसके लिए उससे लड़ने की आवश्यकता न रह जायगी। इस प्रस्ताव के तीन भाग थे : पहले भाग में स्वराज्य की घोषणा के प्रति कृतज्ञतापूर्वक सतोष प्रकट किया गया था, दूसरे भाग में यह कहा गया था कि पार्लामेंट पूर्ण स्वराज्य अमुक समय में देने का कानून तुरत बना दे और तीसरे भाग में यह चाहा गया था कि कांग्रेस व मुस्लिम-लीग द्वारा तैयार की गई सुधार-योजना स्वराज्य की पहली कित्ते के तौर पर मजूर की जाय। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए लो० तिळक ने कहा—“स्वराज्य की घोषणा के प्रति हम कृतज्ञतापूर्वक सतोष व्यक्त करते हैं। किसी से स्वराज्य मिलने की शर्त भी हमें मजूर है। मगर किसी का समय व रूप ब्रिटिश सरकार तय करेगी यह हमें मजूर नहीं। यह ब्रात तो हमारे ठहराने की है। सरकार की लहर पर आबलम्बित रहना मुनासिब नहीं। किसी अभी तय कर दीजिए। इसके बारे में हम समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस-लीग योजना आभी मजूर होनी चाहिए। यह हमारी कम-से-कम मांग है। यह स्वराज्य-स्पापना की दागबेल होगी। हमारा सारा घर हमें अपने कब्जे में लेने का आविकार है। उसका कुछ भाग आपके हवाले रहने देना हमारी तरफ से एक रिआयत है। वह इस आशा से दी जाती है कि आप जल्दी-से-जल्दी हमारा घर खाली कर देंगे। हम आपको कुछ दिन और रहने देंगे, लेकिन—घर के मालिक हम हो गये—यह ब्रात आज ही आपको मजूर कर लेनी होगी। कांग्रेस की योजना का पहला गुण यह है कि उसमें केन्द्रीय सरकार पर लोक-नियुक्त सभा का नियन्त्रण रखा गया है। केन्द्रीय सरकार में जबतक समान भागीदारी नहीं मिल जाती तबतक म्युनिसिपैलिटी, लोकल

बोर्ड — जैसी छोटी संस्थाओं में भी स्वराज्य की भावना से काम नहीं हो सकेगा ।”

लोकमान्य का यह भाषण भावी राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्व-पूर्ण है । इसमें चार सिद्धान्त थे— (१) एक ही कानून के द्वारा स्वराज्य मिलना चाहिए, (२) हिन्दुस्तान के लोग मालिक हो गये, इस आधार पर कोई समझौता होना चाहिए, (३) स्वराज्य को पहली किस्त में केन्द्रीय सरकार में समान भागीदारी मिलनी चाहिए व (४) सम्पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति की मीयाद इसी कानून द्वारा निश्चित हो जानी चाहिए । पूर्ण स्वराज्य देने का सवाल तो दरकिनार, इनमें से एक भी सिद्धान्त माटेगू-सुधारों में मजूर नहीं किया गया था । उस योजना को इन्हीं सिद्धान्तों पर कसकर अमान्य ठहराया गया था । यह माना गया कि न तो यह स्वराज्य है, न स्वराज्य को नींव ही है ।

इधर माटेगू-सुधार-योजना के प्रकाशित होते ही, प्रागतिक दल को काग्रेस से फूटकर निकल जाने का एक नया कारण मिल गया । बब्डे में लोकमान्य व विगाल में देशबन्धु टास दोनों इन सुधारों के प्रति सहयोग की नहीं, विरोध-नीति रखते थे— यह बात सुरेन्द्र बाबू को अच्छी तरह मालूम थी । इनको भी सुधार असन्तोष-जनक मालूम होते थे, फिर भी वे सहयोग के लिए तैयार थे । किंतु इनके एक और नेता, पं० मालवीयजी का कहना था कि तिलक के राष्ट्रीय दल का बहुमत काग्रेस में विधिवत् हुआ है और बहुमत को खतरे से सावधान रखते हुए अन्त को मान लेना ही हमारा कर्तव्य है । देश की राजनीति परिस्थिति के अनुसार बढ़ती व बदलती रहेगी । उसको पुरानी लीकों में ही चलाते रहने का प्रयत्न करना तमोगुणी आश्रह है । इससे राष्ट्र-कार्य की हानि होती है । यह परिदृतजी ने सूरत-कागड़ के बाद अच्छी तरह देख लिया था और इसलिए उन्होंने तभाम प्रागतिक दल से आश्रह किया था कि वह काग्रेस को न छोड़े, परन्तु उनकी न चली । लाकमान्य ने भी बहुमत को मानने की दुर्व्याप्ति देकर समझाया, एवं फूट से देश की हानि होगी यह बताया, पर प्रागतिक दल अलग होकर ही रहा ।

इसके थोड़े ही दिनों बाद बम्बई में काग्रेस की एक विशेष बैठक

हुई जिसमें डा० वेसेंट लो० तिलक व कुछ प्रागतिक नेताओं के एक-मत से स्वराज्य की माग का प्रस्ताव पास हुआ व कांग्रेस का शिष्ट मरणडल विलायत गया। लो० तिलक भी उसमें थे। इस शिष्टमरणडल के विलायत में रहते हुए दिसंबर १९१८ में दिल्ली में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसमें स्वराज्य-सवधी प्रस्ताव बगाली नेताओं ने बदलकर पूर्ण प्रान्तिक स्वराज्य व केन्द्रीय मरकार में समान भागीटारी की माग, स्वराज्य की पहली किस्त के तौर पर, करने का प्रस्ताव मजबूर कर लिया। इस समय विलायत के शिष्टमरणडल में डा० वेसेंट व लो० तिलक में इस बात पर दोर मतभेद हो गया कि ब्रिटिश राजनेताओं के सामने स्वराज्य की कौनसी माग पेश की जाय। डा० वेसेंट ब्रेई वाली माग पर छढ़ रही व लो० तिलक कांग्रेस की आज्ञा, दिल्ली वाले प्रस्ताव, पर काथर मरहे। बहुमत को यानने की उनकी नीति के अनुसार लोकमान्य यही कर सकते थे। इसको लेकर आगे तिलक व डा० वेसेंट में बड़ा झगड़ा खड़ा हुआ। लोकमान्य कांग्रेस के माथ-साथ आगे बढ़ते गये व डा० वेसेंट पीछे फिसलती गई। विलायत से लौटने पर लोकमान्य ने लोगों को—

“यथा काष्ठ च काष्ठ च समेयाता महोदधौ ।

समेत्य च व्यपेयाता तद्वत् भूतसमागमः ॥”

इस सिद्धान्त की शिक्षा दी अर्थात् बहुमत के सामने सिर झुकाना ही चाहिए। जनतक किसी के पीछे राष्ट्र का बहुमत है तभी तक वह राजनीति में काम कर सकेगा। नेता कितना ही बड़ा क्यों न हो, किसी खास परिस्थिति में उसने कितना ही बड़ा काम क्यों न किया हो, यदि राष्ट्र के आगे चल-कर उसका नेतृत्व करने की उसकी तैयारी न हो तो राष्ट्र को उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए।

शिष्टमरणडल के विलायत से लौट आने पर, दिसम्बर १९१८ में अमृतसर में होनेवाली कांग्रेस का विषय ही लोकमान्य के सामने सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। उनके विलायत में रहते हुए ही महात्मा गांधी ने रोलट-फानू के लिलाफ एक प्रचरण राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह-आन्दोलन, ६ से १३ अप्रैल १९१९ तक हिन्दुस्तान में चला दिया था। इसी समय जालियोंवाला बाग में अमानुप रक्तकारण करके ब्रिटिश साम्राज्य-

बाद ने अपना शैतानी स्वरूप महात्मा जी को दिखा दिया था। फिर भी महात्मा गांधी का रख था कि हएटर कमेटी को, जो कि पजाब के फौजी कानून की जाँच के लिए नियुक्त की गई थी, एक मौका और इस बात को जाहिर करने के लिए ठिया जाय कि जनरल डायर का यह अमानुष रक्षपात साम्राज्यशाही को पसन्द नहीं है, यह उसका नित्य रूप नहीं है, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अतरंग को नहीं प्रकट करता है बल्कि एक खास फौजी अफसर की अमानुषिकता का प्रमाण है। तब्तक उनका यह कहना था कि कांग्रेस को सहयोग की नीति छोड़कर असहयोग की लड़ाई न छोड़नी चाहिए। उनके मन मे यह बात जरूर थी कि अगर हएटर कमेटी की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार का निर्णय असन्तोषजनक हुआ तो मैं खुल्लमखुल्ला असहयोग की लड़ाई ठान दूँगा। देशबन्धु दास आद धगाली नेता कहते थे कि अभी से अडगा नीति चालू करके इस कानून को खत्म कर दिया जाय। इतने ही मैं समाट की नवीन कानून को प्रचलित करने की घोषणा प्रकार्ता हुई जिसमे लोगों से सहयोग के लिए कहा गया था। इसके साथ ही राजवन्दियों को छोड़ने की नीति भी जाहिर की गई। लो० तिलक व स्वराज्य-सघ के वैष्टिस्या आदि नेता जब अमृतसर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने यह घोषणा देखी। उन्होंने तुरत ही समाट को यह तार-सन्देश भेजा कि हम सुधार-कानून के प्रति प्रतियोगी सहकारता की नीति रखेंगे। लोकमान्य की मृत्यु के बाद उनके शिष्य कहलाने वाले कुछ नेताओं ने 'प्रतियोगी सहकारिता' का अर्थ कर दिया 'विला शर्त सहयोग', जिससे वह शब्द आज हास्यास्पद बन गया है। किन्तु खुद लोकमान्य ने उसका अर्थ इस प्रकार किया है—'नौकरशाही यदि सहयोग करने को तैयार हो च करे तो उसको वैसा ही उत्तर देने के लिए लोग भी सहयोग करने को तैयार हैं। यदि वह तैयार न हो तो विरोध करना लाजिम होगा।' अर्थात् प्रतिपक्षी सहयोग करे तो सहयोग व असहयोग करे तो असहयोग करना—यही प्रतियोगी सहकारिता का सच्चा अर्थ है तथा लोग कब सहयोग करें व कब असहयोग करें—इसके निर्णय का अधिकार लोक-मान्य के मतानुसार, कांग्रेस को ही है।

इस तरह अमृतसर में महात्मा गांधी सहयोग-नीति, देशबन्धु दास

अडगा नीति व लोकमान्य तिलक प्रतियोगी सहकारिता की नीति के पच्छ में थे। ये सब लोग इस बात पर सहमत थे कि नवीन कानून के अनुसार जो चुनाव हो उनमें भाग अवश्य लिया जाय। अतएव तीनों के लिए सन्तोषजनक शब्द - रचना उस प्रस्ताव में की गई थी। वह इस प्रकार थी-

(क) यह कांग्रेस अपनी पिछले वर्ष की घोषणा को दुहराती है कि भारतवर्ष पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो बाते समझी या कही जाती हैं उनको यह कांग्रेस अस्वीकार करती है।

(ख) वैध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर ही कांग्रेस दृढ़ है और इसकी राय है कि सुधार - कानून अपूर्ण, असन्तोषजनक और निराशापूर्ण है।

(ग) आगे यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के अनुमार भारतवर्ष में पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम करने के लिए पालमिंट को शीघ्र कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

(घ) यह कांग्रेस विश्वास करती है कि जबतक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती तबतक, जहाँ तक सम्भव हो, लोग सुधारों को इस प्रकार कार्य में लावेंगे जिससे भारतवर्ष में शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम हो सके। सुधारों के सम्बन्ध में माननीय माएटेंग साहब ने जो मेहनत की है उसके लिए यह कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है।

देशबन्धु दास, ज्ञानो तिलक व महात्मा गांधी तीनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर भी प्रागतिक दल इससे सहमत न हुआ, क्योंकि यद्यपि इसमें सुधारों को कार्यान्वयन करने (Work the Reform) की बात कही गई है तथापि प्रागतिकों की राय थी कि चूँकि इसमें यह कहा गया है कि ऐसी नीति से काम करना चाहिए जिससे जल्दी-से-जल्दी पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो। इसलिए इन सुधारों को भरसक जल्दी भग करने की तरफ ही इस प्रस्ताव का झुकाव है। प्रागतिकों की स्वतंत्र परिषद् बन चुकी थी। मानो शास्त्री आदि कुछ प्रागतिक कांग्रेस में गये थे व डा० वेसेंट ने इस प्रस्ताव के विरोध में इस आशय का प्रस्ताव पेश भी किया था कि सुधारों से जितना लोक हित हो सकता है वह किया

जाय व सुधारों की गाड़ी मजे में चलती रहे, किन्तु वह बहुमत से नामजूर हो गया।

इधर नवीन चुनावों में कांग्रेस का विरोध करने के लिए प्रागतिक व अब्राहामण - दल एक हो गये। प्रागतिकों का नेतृत्व डा० पराजये व अब्राहामणों का श्री बालचंद कोठारी ने किया। अमृतसर के बाट ही मोलापुर में (अप्रैल १९२० में) प्रागतिक टल की बवई - ग्रान्तीय परिषद् हुई जिसमें अब्राहामण - दल भी शारीक हुआ। इसमें उन्होंने अ० भारतीय नेता के रूप में डा० वेसेट को भी चुलाया था। इसपर लोकमान्य ने अमृतसर प्रस्ताव का आशय इस तरह समझाया था—

‘कांग्रेस कहती है कि बो-कुछ पल्ले पड़ा है उसमे फायदा उठाओ। परन्तु जो मिला है वह सन्तोषजनक नहीं, निराशाजनक है। अतः जबतक पार्लामेंट पूर्ण स्वराज्य न दे तबतक आन्टोलन करते रहना चाहिए। ऐसा करते हुए सारे देश के हित की दृष्टि से नौकरशाही के साय कभी सहयोग तो कभी अमहयोग करना पड़ेगा। आवश्यकतानुसार जो इन दोनों साधनों से काम लेंगे वही सच्चे कांग्रेस - भक्त हैं और उन्हींको बोट देना चाहिए, दूसरों को नहीं।’

कौंसिलों में चले जाने पर कांग्रेस - डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति बताते हुए लोकमान्य ने कहा था— ‘इस कानून में से यदि पूर्ण स्वराज्य का विधान जप्तक करना हो तो इसकी उम्मी जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा। जिसे पतग रनना है वह केवल कांडे की हालत में कन्तक रहेगा।’ इससे कांग्रेस लोकशाही टल (डेमोक्रेटिक पार्टी) की नीति अच्छी तरह साफ हो जाती है। पार्टी के घोपणा - पत्र में उन्होंने कहा—‘कांग्रेस के प्रति अच्छल निष्ठा व लोकशाही (जनतत्र) पर दृढ़ विश्वास’ यह इस दल के मुख्य आधार है। शिक्षा - प्रचार, मतदाताओं की सख्ता - वृद्धि, जाति - भेद तथा रूढ़ि - सत्रधी अयोग्यताएँ दूर करना, धार्मिक सहिष्णुता, विद्या साम्राज्य में भारत को समान भागीदारी प्राप्त करना, इसके लिए ‘जैसे के साथ तैसा’ इस नीति के अनुसार काम करना आदि बातों का खुलासा करते हुए इस टल की यह माँग बताई गई है—

यहाँ की शासन-प्रणाली कैसी ही व कानून-विधान कैसा बने—यह निर्णय करने का (आत्म-निर्णय का) आधिकार अकेले भारतावसियों का ही होना चाहिए।^१ फिर शासन-नुसार को आपूर्ण, असन्तोषकारक व निराशा-जनक बताते हुए उसके सशोथन के रूप में यह माँग की गई है—‘हिन्दु-स्तनियों को पूर्ण स्वराज्य दिया जाय, यानी भारतीय सेना पर उनका पूरा अधिकार हो, उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता रहे, नागरिकता के सम्पूर्ण आधिकारों का जनता को विधिवत् आशासन दिया जाय।’ सचेप में ‘शिक्षण, आन्दोलन व ध्गठन’ यह इस टल का मन्त्र-नाम्य बताया गया था; साथ ही ‘जहाँ समझ होगा वहाँ सहयोग व जहाँ आवश्यक होगा वहाँ वैध रीति से विरोध’ करने की टल की नीति जाहिर की गई थी।

इस तरह लोकमान्य ने नरम नीति का अन्त करके पूर्ण स्वराज्य मिलने तक लड़नेवाली एक सेना लड़ी कर दी। राष्ट्रीय आपद्धर्म का समय अब खत्म हो रहा था। योडे ही दिनों में हैटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसे देखकर गांधी जी को लगा कि अब वैध राजनीति का युग समाप्त हुआ व उन्होंने निश्चय किया कि भारत को नि-शस्त्र क्रान्ति की दीक्षा दी जाय। तिलक ने म० गांधी से कहा—“यदि लोग आपके शस्त्रों को उठा लें तो मैं आपका ही हूँ।” हैटर कमेटी की रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता था कि साम्राज्यवादी सत्योग के लिए तैयार नहीं हैं। अब प्रतियोगी सहकारिता को असह-कारिता का रूप मिलना लाजिमी था, क्योंकि अब नि-शस्त्र या सशस्त्र क्रान्ति के सिवा दूसरा रस्ता ही व्यग्रेस के पास नहीं रह गया था और लोकमान्य तो अबतक यही कहते था रहे थे कि नि-शस्त्र क्रान्ति-मार्ग ही हमारी परिस्थिति के अनुकूल है। फिर अब तो म० गांधी-जैसा लोकेतर नेता मिल गया। ऐसी टशा में यदि लोकमान्य उन्हें प्रवोक्त आशासन दे तो उन आश्र्य की बात है। परन्तु दुर्भाग्य से इस असहयोग-संग्राम का महोत्सव देखने के लिए लोकमान्य जीवित न रहे। १ अगस्त १९२० को बम्बई में उनका शरीरान्त हो गया और क्रान्ति की वह ज्योति, जो उन्होंने स्वार्थ का हवन करके जमा रखी थी उनके शरीर-बन्धन से

मुक्त होकर सारे भारत खण्ड में फैल गई । लोकमान्य के देहावसान का दिन भारतीय राष्ट्र के स्वातन्त्र्य-यज्ञ की असहयोग-टीक्ष्णा का दिन सावित हुआ । लोकमान्य की देह पञ्चत्व में विलीन हुई व उनकी क्रान्तिकारी आत्मा सारे भारतवर्ष में व्याप्त हो गई ।

: १० :

भारतीय सत्याग्रह-संग्राम

“नि शस्त्र प्रतिकार भारत की कई वीमारियों—बुराइयों का एक रामबाण उपाय है । हमारी सकृति के अनुकूल यही एक शस्त्र हमारे पास है । हमारे देश व जाति को आधुनिक सम्यता से बहुत कम सीखना है, क्योंकि उसका आधार घोर-से-घोर हिसा पर है जो कि मानव में दैवी गुणों के अभाव को सूचित करती है और जो खुद ही अपने विनाश की ओर दौड़ी जा रही है ।”

महात्मा गांधी (१९०६ में कांग्रेस को सदेश)

“जब कानून की मर्यादा धर्म-मूलक या न्याय-मूलक नहीं होती व रहती व केवल सत्ता के बल पर उसका पालन करता जाता हो तब विचारशील मनुष्य के सामने वह प्रश्न आता है कि वह न्याय के प्रति अपनी सत्य-निष्ठा पर ढूँढ़ रहकर उस कानून की सजा को भुगते वा उस दण्ड के भय से ईश्वरनिर्मित न्याय-तत्त्वों की उपेक्षा करे । ऐसे समय न्यायनिष्ठ व सत्यनिष्ठ मनुष्य कहते हैं कि कानून के कृतिम वधनों को मानना ही उचित है । परन्तु इसके लिए सत्य व न्याय के प्रति बहुत तीव्र निष्ठा आवश्यक होती है । इतनी कि अपने सुख, स्वार्थ, वाल-बच्चों तक का खयाल तक मन में न आना चाहिए । इसी को मानसिक धैर्य, सच्ची सत्यनिष्ठा अथवा सात्त्विक शील और दियानत कहते हैं । यह युग विद्वत्ता से नहीं आता, न बुद्धिमत्ता से ही । इसके लिए उपनिषद् का यह वचन याद रखना चाहिए—

‘नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन’ ।

“जो देशभक्त वैध रीति से सुधार कराना चाहते हैं उनके रास्तों में कई कठिनाइया आती हैं । मन सत्तस रहता है, सुधार की उल्कट इच्छा होती है, कानून भग करना अटपटा लगता है, लेकिन कोई उपाय नहीं दीख पड़ता । ऐसी ही कठिनाइयों में गांधी को नि शस्त्र प्रतिकार का, या उनकी भाषा में सत्याग्रह का मार्ग सूझा है और इसपर चलते हुये उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं इसीलिए अब यह शास्त्र-पूत हो गया है ।”

—तिलक (महात्मा गांधी के जीवन चरित की प्रस्तावना में)

पिछले प्रकरण के अन्त में यह कहा ही जा चुका है कि १ अगस्त १९२० ई० को हिन्दुस्तान ने म० गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य-बाद के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया । यह लड़ाई आज भी चल रही है और जबतक हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल जाता तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि उसका मकसद पूरा हो गया । इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटिश शासन से छुटकारा पा जाने के बाद हिन्दुस्तान को सत्याग्रह की जरूरत नहीं रहेगी । इससे हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि सन् १९२० में असहयोग के रूप में जो लड़ाई शुरू हुई थी पूर्ण स्वराज्य मिलने पर यह माना जायगा कि उसका उद्देश पूर्ण हो गया है । हिन्दुस्तान को राज्यसत्ता मिल जाने के बाद भी सत्ता का उपयोग किस भाँति करना, किस कार्य के लिए उसका उपयोग करना और किस तरह की समाज-धारणा को यह राज्यसत्ता अपनावे आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हिन्दुस्तान को इस सत्याग्रह का उपयोग करना पड़ेगा । आधुनिक भारत के डितिहास का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक-मान्य के स्वर्गवास के बाद तुरन्त ही भारतीय राजनीति और कांग्रेस के सूत्र महात्मा गांधी के हाथ में कैसे आये ? भारतीय जनता का विश्वास और सहयोग तत्कालीन दूसरे नेताओं की अपेक्षा महात्मा गांधी को ही इतना अधिक कैसे मिला ? इस प्रश्न का समाधानकारक उत्तर जबतक नहीं मिलता तबतक आधुनिक भारत का स्वरूप समझ सकना किसी के लिए भी समव नहीं है । इसके लिए इन प्रश्नों का थोड़ा विचार कर लेना जरूरी हो जाता है कि सन् १९२० के पहले म० गांधी भारत में क्या करते थे, हिन्दुस्तान की जनता और नेता एवं ब्रिटिश शासक उन्हें किस दृष्टि से देखते थे ।

जनवरी सन् १९१५ में महात्मा गांधी भारत आये । उस समय भारतीय राजनीति में मा० गोखले और लो० तिलक के अपने-अपने दल थे । इन दो पक्षों के सिवा एक सशस्त्र क्रान्तिकारी दल भी था । गोखले की विधि-विहित राजनीति, लोकमान्य का विरोधक वहिकार-योग और

सशस्त्र क्रान्तिवादियों का गुप्तमार्ग ये सभी एक तरह से उस समय अस-फल हो चुके थे। ऐसे समय महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह-शस्त्र के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करके एक यशस्वी नेता के रूप में आये थे। इस अध्याय के शुरू में दिये गये लो० तिलक के उद्घरण के अनुसार उस समय महात्मा गांधी का सत्याग्रह एक तरह से शासकों की दृष्टि में भी शास्त्रपूत हो गया था और अब महात्मा गांधी भारत आने पर कौन-सा मार्ग ग्रहण करेगे, यह गरम दल, नरम दल और सरकार सभी पक्ष के लिए समान रूप से कुटूहल का विषय था। उस समय सन् १४ का महा युद्ध शुरू हुआ ही था और भारत आने के पहले ही इंग्लैण्ड में महात्मा गांधी ने अपना मत प्रकट किया था कि इस युद्ध में वे सरकार को मदद देंगे, इसलिए सरकार उनकी ओर युद्ध में सहायता पाने की दृष्टि से देख रही थी। उनके भारत आते ही बम्बई के उस समय के गवर्नर—लॉर्ड विलिंगडन—ने बम्बई में उनसे पहली बार मुलाकात की। उस समय उन्होंने कहा कि मैं मा० गोखले का शिष्य हूँ। इससे सरकार का विश्वास उनपर और भी दढ़ हो गया। मा० गोखले ने सर फीरोजशाह मेहता और महात्मा गांधी की मुलाकात करवाई। उस समय सर फीरोजशाह ने मजाक में लेकिन बहुत सजीदगी के साथ सलाह दी या इशारा किया कि हिन्दुस्तान दक्षिण अफ्रीका नहीं है। यह समझकर आगे का अपना कार्यक्रम बनाना।

महात्मा गांधी ने १६०६ में एक सन्देश कॉर्पोरेशन को भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि हिन्दुस्तान की सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने का रामबाण उपाय सत्याग्रह ही है और यह साधन आधुनिक भौतिक सभ्यता के उद्धार के लिए भी, जो कि खुद विनाश की ओर टौडती हुई चली जा रही है उपयोगी सिद्ध होग। उस समय के कॉर्पोरेशन के प्रागतिक नेताओं को, जो यह समझ रहे थे कि निःशस्त्र प्रतिकार के हामी गरम दल को कॉर्पोरेशन से अलग कर देने से अब हमेशा के लिए सब झगड़ा मिट गया, यह सन्देश कैसा लगा होगा, यह कह सकना मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ यही बताने के लिए नाममात्र को उनका सन्देश कॉर्पोरेशन में पढ़ा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में सरकार से आत्म-बल के द्वारा लड़ने के कारण

जिस कर्मचार की सर्वत्र कोर्ति फैल रही है उसका भी समर्थन हमारी बैध-मार्गी व नरम-दलीय कांग्रेस को प्राप्त है। फिर भी मा० गोखले को यह आशका हो सकती थी कि म० गांधी हिन्दुस्तान आने पर भारतीय राजनीति में किसी-न-किसी तरही की सत्याग्रही मनोवृत्ति पैदा करेंगे। आधुनिक यूरोपीय सकृति के प्रति उनका तुच्छ भाव और प्राचीन भारतीय सकृति के प्रति विलक्षण आदर और आत्म-शङ्का को देखकर मा० गोखले को यह डर भी था कि इस आत्मशङ्का के बल पर, हिन्दुस्तान की वस्तुस्थिति पर स्थान दिये विना ही कहीं वे जल्दजाजी में कोई हलचल न कर बैठें और इसीलिए उन्होंने उन्हें सुझाया कि कम-से-कम एक वर्ष तक हिन्दुस्तान की परिस्थिति का निरीक्षण किये विना आप अपनी कार्य-नीति निश्चित न करें। गांधीजी ने उन्हें तुरन्त ही ऐसा आश्वासन दे दिया। साल भर तक गांधीजी ने सारे हिन्दुस्तान का दौग किया और राजनीतिक नेताओं से चर्चा और विचार-विनिमय किया। इन्हीं दिनों कुछ टिन म० गांधी और लो० तिलक एकसाथ सिंहगढ़ पर रहे थे, और उन्होंने अपने-अपने तत्वज्ञान और राजनीति की चर्चा करके एक-दूसरे का अन्तःकरण समझ लिया था। उस समय से गांधीजी और लोकमान्य का परस्पर आकर्षण और प्रेम बढ़ता गया।

लोकमान्य ने गांधीजी के सत्याग्रह के बारे में अपनी गये इस अन्याय के शुरू में दिये गये द्वितीय उद्धरण में प्रकट की है। चिरोल केस में प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने जो उत्तर दिये थे, उन्हें पढ़ने से यह पता चलता है कि लो० तिलक पहले जिस निःशास्त्र प्रतिकार का उपदेश देते थे उसका समर्थन भी अन्ततोगत्वा धार्मिक भावना के आधार से ही करना पड़ता है। वे प्रश्नोत्तर ये थे—

प्रश्न—समाजों व आवेदन-निवेदनों को आपने बच्चों का खेल चताया है न ?

उत्तर—“हाँ, जब उनका कोई उपयोग नहीं, तब वे बच्चों के खेल ही हैं।”

प्र०—“इसके सिवा और क्या करना चाहिए था ?”

उ०—“निःशस्त्र प्रतिकार ।”

प्र०—“यानी क्या ?”

प्र०—“खुद कष्ट सहन करके प्रतिकार करना ।”

उ०—“खुद कष्ट सहन करने से प्रतिकार कैसे होता है ?”

उ०—“धर्म-ग्रंथों में लिखा है कि धार्मिक भावना से यदि कष्ट सहन किया जाय तो दूसरों पर उसका असर पड़ता है ।”

लो० तिलक ने ये उत्तर अदालत में दिये थे फिर भी उनमें निःशस्त्र प्रतिकार का तत्वज्ञान समाया हुआ है। महात्मा गांधी के जीवन चरित को प्रस्तावना में वे लिखते हैं कि प्राचीन उपनिषदों के आत्मबल के आधार पर इस विश्वविज्ञान की इमारत खड़ी की गई है और महात्मा गांधी ने उसे अपने आचरण से शास्त्रपूत्र भी सावित कर दिया है। उसी नगह उस मार्ग के सबध में वे कहते हैं : “यह मार्ग हर एक प्रसग पर, हर समय, अपनाने योग्य होने पर भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि हर अवसर पर उसका उपयोग किया जाय या नहीं, अथवा वह हर बार उतना ही फलटाई होगा या नहीं । फिर भी यह तो सभी को मानना होगा कि इसमें बहुत सामर्थ्य है ।”* लो० तिलक के ये उद्गार मार्च १९१८ के हैं। इससे यह व्यक्त होता है कि वे सत्याग्रह-मार्ग को कितना श्रेष्ठ समझते हैं। इस तरह गांधीजी और उनके सत्याग्रह को बड़े-बड़े नेता आदर की दृष्टि से देखते थे और गांधीजी ने १९१५ से १९२० तक जो भाषण दिये और जो हलचले कीं, उनके कारण सामान्य जनता के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसी बीच में उन्होंने क्या-क्या हलचले कीं, इसका हम संक्षेप में सिंहावलोकन करेंगे।

म० गांधी के जिस एक भाषण ने भारतीय जनता का ध्यान अद्भुत रीति से अपनी ओर आकर्षित कर लिया, वह था फरवरी १९१६ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन-समारंभ के समय का उनका भाषण। इस समारंभ में ८० मालवीयजी ने हिन्दुस्तान के सभी नेताओं और राजेन्महाराजाओं को निमत्रण दिया था और इस समारंभ की शोभा के योग्य ही वहाँ उपस्थित बड़े-बड़े लोगों के भाषणों का एक ज्ञान-पत्र

* लोकमान्य तिलक याचे चरित्र, खण्ड ३, भाग ४, पृष्ठ ५२

शुरू किया। लार्ड हार्डिंग आदि बडें-बडे अधिकारी वहाँ आये थे और हिन्दुस्तान के सैकड़ों उत्साही विद्यार्थी इस ज्ञानयज्ञ में श्रवण-भक्ति के रूप में अपने-अपने कर्तव्य का पाठ पढ़ रहे थे। ४ फरवरी को इस समारंभ में सैकड़ों विद्यार्थियों, अनेक राजा-महाराजों और डॉ० वेसेट आदि राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष म० गाधो का सुप्रसिद्ध भाषण हुआ। डॉ० वेसेट ने यह समझकर कि इस व्याख्यान का कुछ हिस्सा अत्यन्त ओजस्वी है और ऐसे स्पष्ट विचार कहना राजनीतिक दृष्टि से आपत्तिजनक भी है भाषण के बीच में बाधा डाली, लेकिन फिर भी भाषण वैसा ही जारी रहा। डॉ० वेसेट सभा-मण्डप से उठकर चली गई। उन्हीं के साथ उपस्थित राजा-महाराजा भी उठ खड़े हुए और उस दिन का यह ज्ञान-सत्र अधूरा ही रहा। उस भाषण का महत्वपूर्ण भाग यह है :

“कांग्रेस ने स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस-कमेटी और मुस्लिम लीग जनता के सामने शीघ्र ही कोई कार्यक्रम रखेंगी। किन्तु अपने बारे में तो मैं साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि मेरा ध्यान इन नेताओं के कार्यों की ओर उतना नहीं जितना इस ओर है कि विद्यार्थी और भारत की सामान्य जनता क्या करेगी। कल जो महाराज अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत की गरीबी के बारे में कहा था। अन्य वक्ताओं ने भी इसी बात पर काफी जोर दिया था, लेकिन जिस भव्य मण्डप में बॉइसराय ने उद्घाटन किया था उसमें आपको कौनसा दृश्य दिखाई दिया? उसमें कितनी शान, कितनी तड़क-भड़क थी! पैरिस के किसी जौहरी की ओरालों को लुभानेवाला जड़ जवाहरात का वह प्रदर्शन था। कीमती रत्नाभूषणों से सजे इन सरदारों और देश के करोड़ों गरीबों की स्थिति की मैंने तुलना की। मुझे यह अनुभव होने लगा है कि इन सरदारों से कहना पड़ेगा कि जब-तक आप इन जवाहरात को त्याग करके अपनी धन-दौलत को राष्ट्र की धाती समझकर न रखेंगे तब तक हिन्दुस्तान को मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे देश में ७० फीसदी किसान हैं और जैसा कि मिठू हिंगिन् बोथम ने कल कहा था कि खेत में अब की एक बाल की जगह दो बोरी बाले पैदा करने की शक्ति इन्हीं किमानों में है; लेकिन उनके

परिश्रम का सारा फल यहि हम उनसे छीन ले या दूसरे को छीन लेने दें तो फिर यह नहीं कहा जा सकेगा कि हममें काफी स्वराज्य-भावना जागृत है। हमारी मुक्ति इन किसानों के ही द्वारा होगी, डॉक्टरों व वकीलों या अमीर-उमराओं के द्वारा नहीं।

“इन दो-तीन दिनों में जिस कारण हृदय में उथल-पुथल मच गई है उसका अन्त में उल्लेख करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। अन्त में उल्लेख किया, इससे यह न समझिएगा कि इसका महत्व कम है। जब वॉइसराय बनारस की सड़कों पर गुजर रहे थे तब हम सबके दिलों में चिन्ता की लहरे दौड़ती रहती थीं। जगह-जगह खुफिया पुलिस तैनात थी। यह देखकर मुझे चोट पहुँची। मन में कहा, यह अविश्वास क्यों? इस तरह जीवित मृत्यु के सन्निकट जिन्दा रहने की अपेक्षा लार्ड हार्डिंग वाद मर गये तो क्षा अधिक सुखा न रहेंगे। लेकिन शक्तिशाली सम्राट के प्रतिनिधि को शायद महसूस न हो। उन्हें जीवित मृत्यु के सन्निकट जीना भी शायद आवश्यक मालूम हो। लेकिन यह खुफिया पुलिस हमपर लादने की जरूरत क्यों पड़ी? इनके कारण हमे गुस्सा आयेगा, मन में झुँभलाइट होगी। इनके प्रति तिरस्कार भी मन में उत्पन्न होगा, लेकिन हमें यह न भूल जाना चाहिए कि आज हिन्दुस्तान अधीर व आतुर हो गया है। अतः भारत में आराजकों की एक सेना तैयार हो गई है। मैं भी एक आराजक हूँ, लेकिन दूसरी तरह का। अगर मैं इन आराजकों से मिल सका तो उनसे जरूर कहूँगा कि तुम्हारे आराजकतावाद के लिए भारत में गु जायश नहीं है। हिन्दुस्तान को अपने विजेता पर अगर विजय पानी है तो उनका तरीका भय का एक चिह्न है। हमारा यदि परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है तो हम किसी से नहीं डरेंगे। राजा-महाराजाओं से नहीं, वाइसराय से नहीं, खुफिया पुलिस से नहीं और खुद पचम जार्ज से भी नहीं। आराजकतावादियों के देश प्रेम के कारण मैं उनका सम्मान करता हूँ। अपने देश के लिए प्राण देने को तैयार होने के शौर्य के कारण उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि हत्या करने में कौन-सी बदादुरी है? हत्यारे की खजर क्या सम्मान-योग्य मृत्यु का सुयोग्य चिह्न है? मैं इससे इनकार करता हूँ। ऐसे मार्ग के लिए किसी भी धर्म का आधार नहीं है।

हिन्दुतान की मुक्ति के लिए थटि मुझे यह जरूरी लगा कि अंग्रेजों का वहाँ से चला जाना चाहिए तो मैं ऐसा साफ-साफ कहूँगा और मुझे आशा है कि अपने इस विश्वास के लिए मैं अपने प्राण भी देने को तैयार हो जाऊँगा। मेरी राय से ऐसी मृत्यु सम्मान-योग्य मृत्यु है। बम फैकनेवाले गुप्त घड़्यन्त्र रचते हैं, प्रकट होने में ढरते हैं, और पकड़े जाने पर अपने गलत रास्ते जानेवाले उत्साह की सजा भुगतते हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हमने ऐसा न किया होता, कुछ लोगों पर बम न फैके होते तो बगभंग की हलचल के कारण हमें जो मिला वह न मिला होता। (डॉ० वेसेट—कृपा करके यह विषय समाप्त कीजिए।) बगाल में मिं लिओन की अध्यक्षता में जो सभा हुई थी उसमें भी मैंने यही कहा था। मैं जो कह रहा हूँ वह मुझे जरूरी मालूम होता है। फिर भी मुझे रुकने को कहा जायगा तो मैं रुक जाऊँगा। (अध्यक्ष की ओर धूमकर) मैं आपनी आङ्ग की राह देख रहा हूँ। थटि आपको यह प्रतीत होता हो कि अपने भाषण के द्वारा मैं राष्ट्र और साम्राज्य की सेवा नहीं कर रहा हूँ तो मैं जरूर चुप हो जाऊँगा। ('कहे-जाइये', 'कहे जाइये', ऐसी आवाजें) (अध्यक्ष—अपना मतलब साफ करके कहिए।) मैं अपना आशय ही स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ (फिर रुकावट) मित्रो, कृपया इस रुकावट के प्रति निन्दा न व्यक्त कीजिए। डॉ० वेसेट को ऐसा लग रहा है कि मुझे रुक जाना चाहिए। वे भारत से बहुत प्रेम रखती हैं और मैं जो विचार प्रकट कर रहा हूँ वे तुम जैसे युवकों के सामने स्पष्टतया कहकर मैं गलती कर रहा हूँ यही उनका स्वाल है और इसीलिए वे रोकना चाहती हैं। लेकिन ऐसा हो तब भी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भारत में दोनों पक्षों में जो परस्पर सन्देह का बातावरण है उसे हिन्दुस्तान से निकाल डालने की मेरी इच्छा है। परस्पर प्रेम के आधार पर स्थित साम्राज्य हमें चाहिए... राज्याधिकारियों से हमें जो भी कहना हो साफ-साफ और निफ्फर होकर कहें और यटि हमारा कहना उन्हें बुरा लगे उसका फल भोगने को भी हम तैयार रहें। लेकिन हम अपशब्दों का व्यवहार न करें हाँ, कई अधिकारी बड़ी मगाली से पेश आते हैं, मनमानी करते हैं। वे जुल्म

करते हैं और कई बार अविवेकी भी बन जाते हैं। ऐसे कई विशेषणों का उपयोग उनके लिए किया जा सकता है। और मैं यह भी मानता हूँ कि कई साल भारत में रहने पर उनका कुछ अध्यपतन भी होता है। लेकिन इससे क्या पता चलता है? वे भारत आने के पहले सभ्य ये, उनका यह गुण यहाँ आने पर नष्ट हो गया तो जिम्मेदारी हमारी है। कल तक जो मनुष्य अच्छा था वही यदि मेरे सहवास से आज बिगड़ जाय तो उसके लिए वह जिम्मेदार है या मैं। भारत में आने पर उन्हें जो खुशामद का, और कृत्रिम वातावरण मिलता है उससे उनका नैतिक अध्यपात् होता है। ऐसी स्थिति में तो हममें से भी कइयों का पतन हो जायगा। अपने को दोषी मानने का भी कई बार सदुपयोग होता है। हमें यदि कभी स्वराज्य मिलेगा तो तभी कि जब हम उसे लेंगे। हमें दान के रूप में स्वराज्य कभी भी नहीं मिलेगा। ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश राष्ट्र का इतिहास देखिए। वे खुद भले ही स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हों, लेकिन जो खुद स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते उन्हें वे कभी स्वतंत्रता न देंगे। बोअर-युद्ध से आप चाहें पाठ सीख सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व जो इस राष्ट्र के दुश्मन थे वे ही आज उनके मित्र हैं। (इस समय डॉ० वेसेट और मंच पर बैठे हुए राजा-महाराजा उठकर चले गये और सभा समाप्त हो गई।)*

इस किसी से अखबारों में वाद-विवाद शुरू हो गया। जिसके कारण पाठकों का ध्यान म० गांधी की तरफ आकर्षित हुआ। उस समय सामान्य शिक्षित लोगों में यह चर्चा शुरू हुई कि हिन्दुस्तान में यह कोई नया राजनैतिक तत्वज्ञान आरहा है। डॉ० वेसेट ने कहा कि एक सत के नाते म० गांधी भले ही बहुत बड़े हों, लेकिन राजनीति की दृष्टि से वे एक दुधमुँहे बच्चे हैं। गरम दल के लोग कोसने लगे कि इनका निःशब्द प्रतिकार पहले वाला बहिष्कार-योग ही है। नरम दल के कहने लगे कि इनकी अहिंसा व राज्यनिष्ठा सशयातीत है इसलिए ये हमीं मैं से हैं। सुधारक कहने लगे कि गांधीजी भी यही कहते हैं कि हमारी गुलामी के

* Speeches and Writings of M K Gandhi by Natesan and Co. Page 252

कारण हमीं हैं और जबतक हमारा सुधार न होगा हमें स्वराज्य न मिलेगा, इसलिए गांधीजी सुधारक हैं। धर्मसुधारक कहने लगे कि महात्मा गांधी भागवत-धर्मी सन्त हैं और हमारे धर्म-सुधार का तत्व उन्हें मान्य है। सनातनी कहने लगे कि वे चारुर्वर्ण्य पालनेवाले सनातनी हिन्दू हैं और कभी हुई तो इन्हों के द्वारा भारत में धर्मराज्य की या रामराज्य की स्थापना हो सकेगी। नास्तिक कहने लगे : महात्मा गांधी मानते हैं कि सत्य के सिवा कोई धर्म नहीं है और सत्य ही परब्रह्म है। इसलिए एक तरह से वे नास्तिक ही हैं, क्योंकि सत्य के सिवा और किसी ईश्वर को वे नहीं मानते। राजनैतिक सुधार पहले चाहनेवाले लोग गांधीजी के जीवन की ओर सकेत करके कहने लगे कि इन्होंने 'राजनैतिक सुधार पहले' यही पाठ पढ़ाया है। क्रातिकारी कहने लगे कि वे हैं तो एक क्रातिकारी ही; लेकिन उस्तादी से, पालिसी से शान्ति और अहिंसा का उपदेश कर रहे हैं। इसके विपरीत कुछ उग्र कहे जानेवाले व नेता समझे जानेवाले लोग यों भी कहते कि गांधी सरकार का ही एक खुफिया है। सरकार महायुद्ध के इस आपत्काल में साम्राज्य की रक्षा के लिए उग्र गजनीति व क्रातिकारी टल को नष्ट करने में इनको इस्तेमाल कर रही है। यह हमारी मडली का नहीं हो सकता। इस तरह जितने मुँह उतनी बातें लोग १६१६—१७ में गांधीजी के बारे में करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी इस समय पढ़े-लिखे लोगों में चर्चा का एक विषय थे और पूर्वोक्त घटना से इस चर्चा को विशेष गति जल्द मिल गई थी।

१६१६ के अन्त में महात्मा गांधी का ध्यान फिजी के गिरमिटियों को हालत की तरफ गया। गिरमिटिया प्रथा को अंग्रेजों के लिए हिन्दुस्तानियों को बाकायदा गुलाम बनाकर मेजने की प्रथा ही कहना चाहिए। १६१५ में लार्ड हार्डिंग ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था कि यह प्रथा उठादी जाय। परन्तु यह अफवाह सब लगह फैल गई कि श्रौर ५ साल तक डस प्रथा को जारी रखने का आश्वासन लार्ड हार्डिंग ने फिजी के गोरों को दे दिया है। इसका रहस्य प्रकट होते ही महात्माजी ने इस प्रथा को अपने हाथ में लिया और यह घोषणा कर दी कि यदि ३१ मई, १६१७ के पहले यह प्रथा बन्द न हुई तो मैं सत्याग्रह शुरू करूँगा। तब तत्कालीन

वाइसराय लार्ड चेम्पफोर्ड ने एलान किया कि १२ अप्रैल से यह प्रथा भारत-रक्षा-कानून की रु से युद्ध चलने तक बन्द की गई है। बाद को महायुद्ध खत्म होते ही यह प्रथा बन्द कर दी गई। इस छोटी-सी विजय से महात्माजी की ओर लोगों का ध्यान और भी लिंच गया।

इसी समय महात्माजी ने चम्पारन के निलहे गोरों के जुल्म से वहाँ के किसानों को छुड़ाने का आन्दोलन किया। लखनऊ-काश्रे स के समय इस प्रश्न की ओर महात्माजी का ध्यान ढिलाया गया। उसके बाद अप्रैल १९१७ में महात्माजी मोतीहारी (चपारन) में जॉच के लिए जा पहुँचे। वहाँ के मैजिस्ट्रिट ने १४४ दफा के अनुसार उन्हें चम्पारन जिला छोड़कर चले जाने का हुक्म दिया। महात्माजी ने उसे नहीं माना व अपना 'कैसर-ए-हिंद' नामक सोने का तमगा सरकार को लौटा दिया; अदालत में उन्होंने अपना अपराध भजूर किया और कहा कि मैं इसकी सजा भोगने को खुशी से तैयार हूँ। परन्तु अन्त में सरकार के आदेश से उनेमर से मुकदमा हटा लिया गया व महात्माजी तथा उनके अनुयायियों को उस जिले में किसानों की स्थिति की जॉच व उनकी सेवा करने की छुट्टी मिली। बाद में सरकार ने भी एक जॉच-कर्मशन विठाया जिसमें महात्माजी भी एक सदस्य बनाये गये। अन्त को सरकार ने एक कानून बनाया जिसके द्वारा किसानों की वे सब शिकायतें, जो १०० साल से किसी भी तरह मिट नहीं रही थीं, महात्माजी की सत्याग्रह-नीति के कारण दूर हो गई। तबसे बिहार-निवासी व किसान महात्माजी के बड़े भक्त हो गये।

फिर जनवरी १९१८ में उन्होंने खेडा जिले के अकाल के प्रश्न में हाथा डाला। अकाल रहते हुए भी वहाँ छूट न देकर किसानों से लगान वसूल किया जा रहा था, यह देखकर उन्होंने करबन्टी का आन्दोलन शुरू किया व उसमें सफलता मिली। इससे हिन्दुस्तान के किसानों को यह विश्वास जमने लगा कि ब्रिटिश सरकार को भी, जो कि हमपर हुक्मत चलाती है, भुका देने की शक्ति गाधीजी के पास है। चपारन व खेडा में सत्याग्रह के सफल प्रयोगों को देखकर पढ़े-लिखे लोगों की भी यह धारणा होने लगी कि यह हमारे उद्घार का एक ऐसा साधन जरूर

है जो भारत-भूमि में उग व फल-फूल सकता है। महात्माजी का भी आत्मविश्वास इससे बढ़ गया।

इसके बाद ही महायुद्ध के सिलसिले में धन-जन को सहायता के लिए दिल्ली में सरकार ने एक दरबार किया। इसमें डॉ. वेसेंट व लो. तिलक को निमंत्रण न मिलने से म० गांधी ने जाने से इनकार कर दिया था। मगर बाद में बाइसराय के आग्रह से वे गये थे। उन्होंने अपना मत बहौं सफ तौर पर जाहिर किया जिसपर लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' में सन्तोष प्रकट किया था। इस दरबार से लौटकर महात्माजी ने बाइसराय को एक खत लिखा था, "साम्राज्य की हिस्मेदारी में अभी हमारा चचुपात भी नहीं हुआ है। भावी आशा के भरोसे हम अपना काम चला रहे हैं। इस आशा को सफल करने का सौदा मैं करना नहीं चाहता। परन्तु यह ज्ञान देना उचित होगा कि इस आशा का दूटना मानो हमारा भ्रम दूर होना ही है। हमने यदि साम्राज्य-रक्षा के लिए अपनी सेवाएँ ढीं तो उसके फलस्वरूप हमें यह दिखाई पड़ना चाहिए कि स्वराज्य मिल गया। आपने कहा कि घरेलू भगडे निपटा लो, पर इसका अर्थ अगर यह हो कि हम हुक्मत के जोरो-जुल्म चुपचाप सहन करते रहें तो यह मानने में मैं असमर्थ हूँ। यही नहीं, बल्कि इस सगठित जुल्म का प्रतिकार मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर करता रहूँगा। आप अधिकारियों को यह बता दें कि वे किसी शख्स पर जुल्म न करें और लोकमत का अधिक-से-अधिक आटर करते हुए शासन-कार्य चलावें। चपारन में बरसा के जुल्मों का प्रतिकार करके मैंने ब्रिटिश न्याय की श्रेष्ठता प्रकट की है। खेडा जिले में जो जनता सरकार को शाप दे रही थी उसे अब यह जँचने लगा है कि यदि हम अपने हक-सत्य-के लिए कष्ट उठाने का तैयार हैं तो वास्तविक सत्ताधारी सरकार नहीं बल्कि खुट हमीं हैं। इससे उनकी कहुता आज दूर हो रही है और वे कहते हैं, यह सरकार लोक-हितकारी ही होगी, क्योंकि जहाँ कहीं अन्याय का प्रतिकार सविनय अवश्य के द्वारा किया जाता है वह वह उसे मानती है। इस तरह चपारन व खेडा में मैंने अपने दग से साम्राज्य की निश्चित व खास सेवा की है। इस तरह के मेरे काम को बन्द करने के लिए

मुझसे कहना मानो मुझे अपना जीवन ही स्थगित करने के लिए कहना है।”

इससे यह जाना जाता है कि वे महायुद्ध की विकट परिस्थिति में भी जनता को अपने हक्कों के लिए सत्याग्रह का अवलम्बन करने की शिक्षा दे रहे थे। इससे यह चाह भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि वे उन दिनों स्वराज्य के अन्दोलन में ज्यादा हिस्सा क्यों नहीं ले रहे थे। वे मानते थे कि स्वराज्य का जन्म, जिस तरह का आन्दोलन उस समय हो रहा था उससे नहीं, बल्कि सत्याग्रह के बल से होगा। इसलिए वे उसमें या विलायत शिष्ट-मडल ले जाने के फेर में नहीं पड़े। जब कांग्रेस का शिष्ट-मडल विलायत गया तो वे उसके साथ न जाकर हिन्दुस्तान में सत्याग्रह का पाठ लोगों को पढ़ाते रहे। १९१६ में महात्माजी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया। उस साल जनवरी में रोलट कानून, जोकि काले कानून के नाम से पुकारा गया, भारत सरकार ने बनाया। इसका विरोध धारा-न्सभाओं में लोक-प्रतिनिधियों ने खड़े जोरों से और असदिग्द भाषा में किया। बल्कि भाषणों में ऐसी धमकी भी दी कि लोक-मत को ढुकराकर यदि ऐसा कानून जनता के सिर पर थोपा गया तो उसका फल सरकार को भोगना पड़ेगा। परन्तु सरकार ने समझा कि यह ‘गीदड़ भवकी’ है और कानून पास कर लिया। तब २ फरवरी को महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान भर में सत्याग्रह का पहला शख फूँका।

इसका श्रीगणेश ३० मार्च को हङ्काल और उपवास से होनेवाला था, परन्तु बाद को यह दिन बदलकर छुः अप्रैल कर दिया गया। लेकिन कुछ भूल से देहली में यह दिन ३० मार्च को ही मनाया गया। इसी दिन वहा जुलूस में पहली बार गोली चली और स्वामी अद्वानन्द गुरुखों की सगीन के सामने छाती खोलकर खड़े हो गये। स्वामीजी का यह सत्याग्रह सफल हुआ और गुरुखों के हृदय में सत्यरूपी परमेश्वर जागा। घट-घट में सत्यरूपी जरमेश्वर मौजूद है और अनासक्ति की भावना से आत्माहुति की जाय तो वह उससे प्रकट हो जाता है। सत्याग्रह का यह अनुष्ठान आधुनिक भारत के इतिहास में पहले पहल ही लोगों को जँचा। सरकारी फौज के गुरुख सैनिक भी ‘ईश्वरः सर्वभूताना हृदेशोऽर्जुन तिष्ठति’ धर्म

शास्त्र या अध्यात्मशास्त्र में इस सिद्धान्त के अपवाद नहीं हैं, यह देखकर विचारशील लोगों का विश्वास इस सिद्धान्त पर अधिक हढ़ हुआ। दिल्ली में गोली चलने की खबर सुनकर महात्माजी उम तरफ को चल पड़े। उन्हें कोसी स्टेशन पर रोक लिका गया और पजाव व दिल्ली प्रान्त में जाने की मनाही करदी गई। जब गांधीजी ने उसे नहीं माना तो उन्हें गिरफ्तार करके ११ अप्रैल को बम्बई लाकर छोड़ दिया गया। ६ अप्रैल को सारे हिन्दुस्तान के कस्बे-कस्बे में, हड्डियाल, उपवास, प्रार्थना, जुलूस, सभा आदि हुईं। जगह-जगह सत्याग्रह मडल कायम हुए, गैरकानूनी साहित्य प्रकाशित किया गया और चिना डिक्टोरेशन दिये अखबार निकालने का निश्चय महात्माजी ने किया। 'सत्याग्रही' नामक अखबार निकाला गया और गांधीजी के बे पुराने लेख जो राजद्रोहात्मक करार दिये गये थे फिर से छापकर बॉटे गये। इधर लोगों में ऐसा जोश बढ़ रहा था और उधर एकाएक उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर लोग आपे से बाहर हो गये और जगह-जगह टगे, अग्रेजों के खून, लूटमार, आग, रेल की पटरी और तार उखाड़ना आदि अनेक प्रकार के उपद्रवों की भीषण लहर फैल गई। महात्माजी जब बवई लाये गये तो वहों टगा चालू था। उन्होंने उसे शान्त किया। अन्त को उपद्रव रोकने के लिए उन्होंने ३ दिन का उपवास किया। फिर १८ अप्रैल को आवश्यक शान्तिभव बातावरण के अभाव में यह आन्दोलन अनिश्चित बाल के लिए स्थगित करना पड़ा। इन्ही दिनों पजाव में भी जहग-जगह टगे हुए। फौजी कानून जारी कर दिया गया। २५ अप्रैल को अमृतसर के जलियावाला बाग में २० हजार लोगों की भीड़ पर मशीन गन से गोलियाँ चलाई गईं और लोगों पर अजहट जुल्म और वेइजती की गई। सरकारी गिनती के अनुसार ४०० लोग मरे और १००२ घायल हुए। इनमें हिन्दू, मुसलमान, खी, पुरुष-बालक वृद्ध सभी थे। जरियों को वैसे ही मुदों के साथ बिना किसी उपचार के रात भर रहना पड़ा। यह आसुरी कारण जब प्रकट हुआ और हॉटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ असहयोग-युद्ध ठान दिया। लो० तिलक इन दिनों विलायत थे। वे हिन्दुस्तान लौटे और बम्बई की सभा में

उन्होंने कहा, 'मुझे अफसोस हतना ही है कि रोलट बिल के खिलाफ जब गांधीजी ने सत्याग्रह शुरू किया तब उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं हिन्दुस्तान में मौजूद नहीं था। शिष्ट-मडल का परिणाम आशाजनक नहीं हैं इसक्षिए स्वराज्य का आनंदोलन जोरों से करते रहना चाहिए।' उनके इस भाषण का हमारे ख्याल में यही अर्थ निकलता है कि उनकी राय में स्वराज्य शिष्टमडलों के द्वारा नहीं बल्कि सत्याग्रह के ही द्वारा मिल सकता था।

इसके बाद अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें महात्मा-जी के आग्रह से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें लोगों की तरफ से हुए उपद्रव की निन्दा की गई थी। इसे पेश करते हुए महात्माजी ने कहा— 'हमारी भावी सफलता की कुंजी इसी में है कि हम इस प्रस्ताव के मूलभूत सत्य को हृदय से स्वीकार करें व उसपर अमल करें। यदि हम उस शाश्वत सत्य को न समझें तो हम असफल हुए निना न रहेंगे। सरकार यदि पागल हो गई तो लोग भी उसके साथ पागल हो गये। पागलपन का जबाब पागलपन से नहीं बल्कि समझदारी से दीजिए, जिससे सारी स्थिति आपके काबू में आ जाय।' महात्माजी के इस प्रस्ताव को मजूर करना मानो उनके सत्याग्रह के धरातल और सिद्धान्त को मान लेना था। यह स्वीकार कर लेना था कि हमारी राजनीति का शब्द आगे सत्याग्रह के सिवा दूसरा अधिष्ठान मानना सम्भवीय नहीं है और इस अधिष्ठान को कायम करना है तो 'जैसे के साथ तैमा' की नीति नहीं बल्कि 'पागलपन का जबाब समझदारी से देने' की नीति और सिद्धान्त के अनुसार चलना होगा।

अमृतसर-कांग्रेस के पहले, नवम्बर १९१६ में, देहली में अ० भा० खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें खिलाफत के मामले में न्याय न हुआ तो महात्माजी की सलाह से असहयोग करने का प्रस्ताव पास हो चुका था। अर्थात् महात्माजी पहले से ही असहयोग-समाज की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जबतक पजाच व खिलाफत के विषय में सरकार अपनी नीति की घोषणा साफ तौर पर न कर दे तबतक लड़ाई का निशुल बजाना उन्हें ठीक न ज़चता था। अन्त को ज़ब सरकार की

ओर से पूरी निराशा मिली तब उन्होंने सष्टु रूप से आसद्वयोग की घोषणा कर दी ।

जब पिछले महायुद्ध में तुर्किस्तान के खिलाफ हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लड़ने का सवाल पैदा हुआ तब उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मुसलमानों के धर्म-क्षेत्रों पर से खलीफा की सत्ता नष्ट नहीं की जायगी, लेकिन वे बायदे तोड़ दिये गये । अतः खिलाफत के मसले में म० गांधी, ल०० तिलक व लाला लाजपतराय तीनों एकमत के थे । तीनों को यही लगता था कि बब्र ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को दिये सब बच्चन तोड़ दिये, उनके साथ विश्वासघात किया तो प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य है कि इस समय मुसलमानों का साथ दे । प्रथम यह था कि मुसलमानों का साथ देकर ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ा जाय और इस तरह हिन्दुस्तान की आजादी फिर हासिल की जाय, या इस भय से कि हमें आजादी मिलने पर सम्भवतः मुसलमान सिरजोर हो जायेंगे और अपनी हुक्मत कायम कर लेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम ही बने रहें । ऐसे समय लोकमान्य व गांधीजी ने यही उत्तर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ना ही प्रत्येक राजनीतिज्ञ व देशभक्त हिन्दू का पवित्र कर्तव्य है । कांग्रेस डेमोक्रेटिक पक्ष के घोषणा-पत्र में तिलक ने कहा— मुसलमानों की इस माग का कि हमारी धार्मिक भावना व कुरान की शरीयत के मुताबिक खिलाफत का मसला हल होना चाहिए, यह दल समर्थन करता है । लालाजी ने कलकत्ते में कांग्रेस के अध्यक्ष-पद से दिये अपने भाषण में बहुत खूबी से यह बताया है कि महज राजनैतिक व राष्ट्रीय दृष्टि से भी इस समय मुसलमानों का साथ देना हमारा कर्तव्य है । पर्श्चमी एशिया के साथ मुस्लिम राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने की कैसी चाल अग्रेज व फ्रांसीसी राजनेता चल रहे हैं, और यदि यह सफल हुई तो ईरान, अरब, मेसोपोटेमिया, बल्कि अफगानिस्तान में से भी मुसलमान फौज लाकर अग्रेज किस तरह हमारी गुलामी को अमिट बना सकेंगे, यह उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिखाया । यदि ये तीनों इस नाति को अग्रीकार न करते तो राष्ट्रद्वेषी व व्यवहार-शून्य राजनैतिक नेता साचित हुए होते । महात्मा गांधी ने साफ-साफ

कह दिया कि मैं मुसलमानों की तरह अग्रेजों का भी दोस्त हूँ, लेकिन अगर यह सवाल आया कि मुझे अग्रेज व मुसलमान दो में से किसी एक की दोस्ती छोड़नी पड़े तो मैं अग्रेजों की दोस्ती छोड़ दूगा और अपने राष्ट्र-बन्धुओं के नाते मुसलमानों का साथ दूगा तथा उनकी तरफ से अग्रेजों से लड़ूगा। इस लड़ाई में धर्म के तौर पर नहीं किन्तु नीति के तौर पर अहिंसा को मानना मुसलमानों ने मजबूर किया था। १० मार्च १९२० को असहयोग की जो पहली घोषणा प्रकाशित हुई उसमें गांधीजी कहते हैं:

“अगर हमारी मागे मजबूर न की गई तो हमें क्या करना चाहिए। इसके बारे में दो शब्द लिखता हूँ। गुप्त या प्रकट रूप से सशस्त्र युद्ध करना एक जंगली तरीका है। आज वह अव्यावहारिक है, इसलिए उसे छोड़ देना उचित है। यदि मैं सबको यह समझा सकूँ कि यह तरीका हमेशा के लिए अनिष्ट है तो हमारी सब मागे बहुत जल्दी पूरी हो जायें। जो व्यक्ति या राष्ट्र हिंसा को छोड़ देता है उसमें इतना बल आ जाता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। परन्तु अब तो मैं अव्यवहार्यता व निष्फलता के आधार पर हिंसा का विरोध कर रहा हूँ। हमारे सामने एक रास्ता है, असहयोग। वह सीधा व साफ मार्ग है। हिंसात्मक न होने से वह कारगर भी उतना ही होगा। सहयोग से जब अधःपात व अपमान होने लगता हैं या हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचती है, तब असहयोग कर्तव्य हो जाता है। जिन हक्कों को मुसलमान अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा समझते हैं उनके अपहरण को हम चुपचाप सह लेंगे, ऐसा ख्याल रखलेंड न बना सकेगा और इसलिए, हम पूरा असहयोग अमल में ला सकेंगे। जिन्हें पद-पदबियों, तगमे मिले हों वे उन्हें छोड़ दें। छोटी-छोटी सरकारी नौकरियों भी छोड़ दी जायें। हाँ, खानगी नौकरियों का समावेश असहयोग में नहीं होता। जो असहयोग न करें उनका सामाजिक बहिष्कार करना ठीक नहीं। स्वर्यप्रेरित असहयोग ही जनता की भावना व असत्तोष की कसौटी है। सैनिकों को फौजी नौकरी छोड़ने के लिए कहना असामिक है। वह पहली नहीं आखिरी सीढ़ी है। जब वाइसराय, भारत मंत्री, प्रधान मंत्री कोई भी हमें दाद न देंगे

तभी हमें उस सीढ़ी पर पैदौ रखने का अधिकार होगा। असहयोग का एक-एक कदम हमें बहुत सोच-विचार कर उठाना होगा। अत्यन्त प्रखर वातावरण में भी हमें आत्मसंयम रखना होगा इसलिए हमें आहिस्ते कदम ही चलना होगा।”

इस घोषणापत्र में असहयोग-सग्राम का सारा कार्यक्रम बीज-रूप में आ जाता है। कोई भी सरकार मुल्की व फौजी व्यवस्था में प्रबा के सहयोग के बिना एक कदम नहीं चल सकती और प्रबा द्वारा घोषित असहयोग में यदि मुल्की व फौजी अफसर एवं नौकर शार्मिल हो गये तो फिर जनता जिस राज्य को नहीं चाहती वह नहीं टिक सकता और उसकी जगह नवीन राज्य की स्थापना हो जाती है। नि-शस्त्र राज्यकाति की यह तात्त्विक उपपत्ति है। वह इस उद्धरण में दी गई है। जबतक देश की जनता में यह आत्मविश्वास नहीं पैदा होता कि हम अपने सगटन के बल पर अपना राज्य चला लेंगे और देश में अवाधुन्वी न होने देते हुए शान्ति स्थापित कर सकेंगे तबतक प्रस्थापित राजसत्ता की पुलिस व फौजी महकमे के लोगों के असहयोग के लिए न पुकारना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में याटवी-गृहकलह व आरजकता फैलने की व जनतत्र की शान्ति के बजाय सैनिकवाद व तानशाही की मनमानी चल निकलती है, जिससे विदेशी सत्ता को लाभ मिलेगा व शान्तिमय क्षान्ति सफल न होगी। इसोलिए गाधीजी ने इस घोषणापत्र में कहा है कि सैनिक असहयोग बिलकुल आखिरी सीढ़ी है।

इसके बाद, खिलाफत, पञ्चाव व स्वराज्य के बारे में सरकार की तरफ से पूर्ण निराश हो जाने पर महात्माजी ने १ अगस्त १९२० को असहयोग-युद्ध की दुदुभी बजा दी और कलकत्ता काग्रेस के विशेष अधिवेशन में उसपर अपनी मुहर-छाप लगा दी। असहयोग का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया :

- (१) उपाधियों व तमगे - बिल्ले लौटा देना,
- (२) सरकारी दरवार, उत्सव आदि समारंभों से असहयोग,
- (३) सरकारी व अद्वैतसरकारी पाठशालाओं का बहिष्कार व उनकी जगह राष्ट्रीय शालाओं की स्थापना,

- (४) अदालतों का बहिष्कार व पचायतों की स्थापना,
- (५) मेसोपोटेमिया के लिए सैन्य भरती व मुस्लिमों का बहिष्कार,
- (६) धारा-सभाओं का व मतदान का बहिष्कार,
- (७) विदेशी माल का बहिष्कार।

इसमें देशवन्धुदास आदि कुछ नेताओं ने धारासभा के बहिष्कार का तत्वतः विरोध किया था, लेकिन अन्त में महात्मा गांधी का प्रस्ताव वहुत बड़े वहुमत से पास हुआ। तभी से कांग्रेस ने महात्माजी के सत्याग्रह की दीक्षा ली व अन्त तक वह उनके नेतृत्व में स्वराज्य की लड़ाई लड़ती रही।

सन् १९२० के अन्त में नवीन धारासभाओं का पहला चुनाव हुआ जिसके बहिष्कार में सब नेताओं ने पूरा सहयोग दिया। यह असहयोग-सम्मान की पहली चढ़ाई थी। देशवन्धु व नेहरूजी ने बकालत छोड़ दी व अदालतों का बहिष्कार किया। नागपुर-कांग्रेस ने भी इस कार्यक्रम को मजूर किया। तबसे १९२२ में महात्माजी को राजद्रोह में छुँसाल की सजा देने के समय तक, महाराष्ट्र के केलकर-पत्त को छोड़कर, किसी भी राष्ट्रीय नेता ने इस कार्य में बेसुरा राग नहीं अलापा और न कोई विज्ञ पैदा किया।

१९२० में कांग्रेस ने अपने पुराने स्थेय—ओपनिवेशिक स्वराज्य वैध मार्गों से—को बदलकर 'उचित व शान्तिमय साधन से स्वराज्य-प्राप्ति' कर दिया। बहिष्कार-योग की पहलेवाली दूटी हुई शूखला फिर असहयोग-योग के रूप में ऊँठ गई। इसी तरह लोकमान्य प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं का यह आग्रह कि स्वतन्त्रतावादी दल को कांग्रेस में सम्मानपूर्वक आने की सुविधा रहे, महात्माजी ने पूरा किया व कांग्रेस में स्वातन्त्र्यवादी शान्तिमय वीरों की शक्ति का सचय किया। सूरत में लोकमान्य ने जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए नरम दल वालों से झगड़ा किया था वह १९२० में महात्माजी ने पूरा कर दिया।

नवंबर १९२० में सरकार ने इस आन्दोलन के विषय में अपनी नीति घोषित की। कहा कि आन्दोलन के मूल प्रणेताओं ने जो उसकी सीमाएँ बोध दी हैं उन्हें लाघकर जो हिंसा को उत्तेजना देंगे या पुलिस

भारतीय सत्याग्रह-संग्राम

अथवा फौज की राजभक्ति कम करने की कोशिश करेंगे उन्हीं पर कानूनी कारबाईं की जाय, ऐसी हिदायतें प्रातीय सरकारों को दी गई हैं। उस समय सरकार ने शायद यह सोचा होगा कि लोगों की सहायुक्ति के अभाव में असहयोग की यह हलचल अपनी मौत आप ही मर जायगी। लेकिन इसका बल जैसे-जैसे बढ़ने लगा वैसे-वैसे यह दीख पड़ने लगा कि सरकार अपनी इस नीति पर कायम न रह सकेगी व दमन पर उतारू हो जायगी। इस समय लार्ड चेम्पफार्ड चले गये थे और लार्ड रीडिंग का दौर शुरू ही हुआ था।

३१ मार्च व १ अप्रैल को बेजबाढ़ा में काशेस की कार्यसमिति व महासमिति की बैठकें हुईं जिनमें यह तय हुआ कि तिलक स्वराज्य फँड के लिए १ करोड़ रुपया जमा किया जाय, २० लाख चरखे चलाये जायें, शराबखोरों मिटाई जाय व पचायतें स्थापित की जायें। इन्हीं दिनों सरकार ने बाबा फौजदारी की १४४ व १०८ घाराओं के अनुसार भापणवन्दी, सभावन्दी, जल्सून-वन्दी, जमानतें तलब करना आदि नागरिक स्वतंत्रताओं पर कुठाराधार तरनेवाली दमन-नीति शुरू कर दी थी। लेकिन कार्यसमिति ने इन हुक्मों को तबतक तोड़ने की मनाही कर दी थी जबतक कानून-भग की नीति न आ जाय।

मई १९२१ में मालवीयजी की मध्यस्थता से लार्ड रीडिंग व गांधीजी की मुलाकात हुईं। उसमें, ऐसा मालूम होता है कि लार्ड रीडिंग ने महात्माजी को यह आश्वासन दिया था कि जबतक आन्दोलन अहिंसा की मर्यादा के अन्दर रहेगा तबतक नागरिकता के मूलभूत अधिकारों पर प्रहार करके दमननीति अग्रीकार नहीं की जायगी। इधर महात्माजी ने भी उन्हें यह जताया होगा कि मैं अहिंसात्मक नीति के बारे में बहुत सावधान हूँ और यह सावित करने के लिए उन्होंने कहा होगा कि अली भाइयों के भापणों में ऐसे उद्गार होने जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलता होगा। तो उसके लिए उनसे खेद प्रदर्शित करवेंगे, ज्योंकि उस मुलाकात के बाद ही अली-वन्दुओं की तरफ से एक विश्वसि प्रकाशित हुई थी जिसमें उन्होंने अपने भापणों के कुछ अशों पर सेट प्रदर्शित किया था और अहिंसा-नीति पर फिर अपना विश्वास प्रकट किया था। कहना

न होगा कि यह सब महात्माजी की सलाह से ही हुआ होगा। इसके बाद सितम्बर तक सरकार ने दमन-नीति का खास तौर पर अबलम्बन नहीं किया, मगर बाद में अली-भाईयों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यह दमन-नीति का श्रीगणेश था। इस समय तक तिलक स्वराज्य-फ़ाइट पूरा हो चुका था। २० लाख चरखे चलाने का संकल्प पूरा होकर खाटो का काम जोरों से शुरू हो गया था। जुलाई सन् १९२१ के अन्त में महासमिति की जो बैठक बंबई में हुई उसमें यह प्रस्ताव हुआ कि जिस सरकार ने बहु-सर्व्यक भारतीय प्रजा का पृष्ठपोषण व विश्वास खो दिया है उसकी मुल्की व फौजी नौकरी छोड़ देने का अर्थात् असहयोग की सलाह देने का प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। 'अकारा' की तुर्की सरकार से ब्रिटिश सरकार की लडाई छिड़ जाने की आशका थी, इसलिए एक यह भी प्रस्ताव किया गया कि इसमें हिन्दुस्तानी सैनिक ब्रिटिश सरकार से सहयोग न करे। इसके फैरन बाट ही चारों ओर दमन-नीति का दौर-दौरा हो गया जिसके पहले शिकार अली-भाई हुए।

कराची की खिलाफत-प्रिपिद् में द जुलाई को मौ० मुहम्मद अली ने पूर्वोक्त प्रस्ताव की नीति के अनुसार भाषण दिया व उसमें बताया कि हिन्दुस्तान में कानून-भग का आनंदोलन शुरू करके अहमदाबाद-काग्रेस के समय हम स्वतंत्रता का झरडा खड़ा करेंगे। शौकित अली ने भी इसी आशय का भाषण दिया था। इन्हीं के निए मुकदमा चलाया गया था। इस तरह सितम्बर से सरकार व काग्रेस की खुल्लमखुल्ला लडाई शुरू हो गई। १७ नवम्बर को इंग्लैड के युवराज बवई उतरे। वे जहाँ-जहाँ गये वहाँ हड्डताल, विरोध-प्रदर्शक समाएँ व जल्स तथा विलायती-कपड़ों की होलियों—ये प्रदर्शन होने लगे। जिस दिन वे बवई उतरे, उस दिन सारे हिन्दुस्तान में हड्डताल रखी गई थी। किन्तु बवई में उस समय टगे व खून-खराची हो गई थी। तब महात्माजी ने ५ दिन का उपचास करके १-२ दिन में ही शान्ति स्थापित की थी।

युवराज-स्वागत के इस विहिष्कार में काग्रेस व खिलाफत कमेटी मिलकर काम कर रही थी। इन्होंने जगह-बगह स्वयंसेवक दल बनाये थे। २५ दिसम्बर को युवराज कलकत्ता पहुँचने वाले थे। वाहसराय भी

वहीं रहते थे । इससे उस दिन की हङ्काल को लड़ा महत्व मिला था । लार्ड रीडिंग की यह प्रबल उत्कण्ठा थी कि हर तरह ऐसा प्रयत्न किया जाय जिससे हङ्काल न होने पावे व स्वागत-सत्कार ठाट-बाठ से हो जाय । इसके लिए उन्होंने ब्टोर दमन-नीति का सहारा लिया व स्वयं-सेवक ढलों को गैर-कानूनी करार दे दिया । इसके जवाब में कांग्रेस ने इन हुक्मों को न मानकर स्वयं-सेवक ढलों में भर्ती होने की हलचल तेजी से शुरू की । इस सत्याग्रह में देशबन्धुदास, प० मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय आदि बहुतेरे राष्ट्रीय नेता जैलों में चले गये व सत्याग्रही कैदियों की सख्त्या २०-२५ हजार तक पहुँच गई । तब भी इस लहर को रोक सकने का कोई लक्षण लार्ड रोडिंग को नहीं दिखाई दिया । तब उन्होंने कहा था—“मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान में कैसे व क्यों हजारों लोग एक-एक करके जेल चले जा रहे हैं । इस आन्दोलन को कैसे रोका जाय ? मैं बड़ी उलझन व असमजस में पड़ गया हूँ !” यह दृश्य देखकर ब्रिटेन के तत्कालीन गवर्नर जार्ज लायड ने खानगी तौर पर कहा था कि यदि गांधीजी ने खुद-ब-खुद इस आन्दोलन को १६२१ में बन्द न कर दिया होता तो वह सफलता के बिलकुल नजदीक ही पहुँच गया था । इससे इस बात का अनटाज हो सकता है कि उस समय आन्दोलन कितना प्रखर व दुर्धर्ष हो गया था । जब लार्ड रीडिंग ने यह देखा कि हमारे दमन-चक्र से आन्दोलन बन्द नहीं हुआ तो उन्होंने २५ दिसंबर के युवराज के आगमन-दिवस के पहले महात्मा गांधी से हो सके तो समझौता करने की कोशिश शुरू की ।

१६२१ के अन्त में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । उन्हीं दिनों यहाँ समझौते की बातचीत होने लगी । उसकी शर्तें इस प्रकार थीं । सत्याग्रह बन्द किया जाय, सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये जायें और सर्वपक्षीय नेताओं की एक परिषद् बुलाकर स्वराज्य के प्रश्न पर विचार किया जाय । परन्तु लार्ड रीडिंग इस बात पर अड़ गये कि कराची परिषद् के बाद खिलाफत-आन्दोलन में जिन नेताओं को जेल भेजा गया है, उन्हें न छोड़ा जाय । अन्त को इसके विषय में भी उन्होंने कुछ समझौता कर लिया था, लेकिन कहते हैं कि इस बारे में महात्माजी का

तार द्वारा उत्तर उन्हें देर से मिला जिससे यह प्रकरण वहीं समाप्त हो गया। मगर ऐसा मालूम होता है कि इस समझौते की गरज सिफँ इतनी ही थी कि किसी तरह युवराज के स्वागत के बहिष्कार को टलवा दिया जाय। इसीलिए वह मौका निकल जाने पर लार्ड रोडिंग ने उन्हीं शर्तों पर समझौता करने से साफ़ इनकार कर दिया। तब महात्माजी ने १ फरवरी १९२२ को वाइसराय को आखिरी चेतावनी का एक पत्र मेज़ कर लिखा कि दमन-नीति को बन्द करके अब भी नागरिक स्वतन्त्रता का सटैब के लिए आश्वासन दे दीजिए, नहीं तो मैं बारडोली ताल्लुके से करबन्दी का आन्दोलन शुरू करूँगा। वाइसराय का तुरन्त इनकार आ गया। इसके पहले ही अहमदाबाद-काग्रेस ने महात्माजी को डिक्टेटर-सर्वाधिकारी-बना दिया था और मारे हिन्दुस्तान की आँखें बारडोली के अपूर्व शान्ति-सप्राम की ओर लग रही थीं। इतने ही में महात्माजी को तार द्वारा खबर मिली कि ५ फरवरी को चौरी-चौरा (युक्तप्रान्त) में काग्रेसी बलूम के लोगों ने पुलिस के २१ सिपाहियों व १ थानेदार का पीछा करके उन्हें थाना चौकी में शरण लेने पर मबबूर किया व आखिर में उस चौकी में आग लगा दी जिससे वे जलकर खाक हो गये। इसके पहले भी बम्बई, मालेगांव आदि में छोटे-बड़े दगे हो चुके थे व मलावार में तो मोपलो का खासा उत्पात ही हो गया था। इसपर महात्मा गांधी इन दगों को निन्दा करके ही रह गये थे और उपवास के द्वारा उनका प्रायश्चित्त करके आन्दोलन को चलने दिया था। परन्तु चौरीचौरा के हत्याकारण की खबर सुनकर उनकी धारणा हुई कि अभी अहिंसा का मर्म काग्रेसवाले समझे नहीं हैं। ऐसी दशा में यदि करबन्दी का आन्दोलन जारी रखा जायगा तो जगह-जगह हिंसा-कारण व सैनिक शासन शुरू हो जायगा और यह प्रयोग असफल ही रहेगा। यह सोचकर उन्होंने बारडोली की लड़ाई अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी। १२ फरवरी को कार्यसमिति की बैठक बारडोली में हुई जिसमें कानून-भग व आज्ञा-भग स्थगित किया गया व काग्रेस के सदस्य बढ़ाना, चरखों का प्रचार करना, राष्ट्रीय शिक्षण-स्थान व पचायते स्थापित करना, शराबखोरी मिटाना, अस्पृश्यता-निवारण व हिन्दु-मुसलमान एकता के लिए प्रयत्न करने का

विधायक कार्यक्रम मजूर हुआ। इसके बाद २४-२६ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की बैठक हुई व महात्माजी की इस नीति को उसका समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें स्थान-विशेष व प्रश्न-विशेष के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की इजाजत प्राप्तिक समितियों को दे दी गई थी। इस तरह निःशास्त्र क्रान्ति का पहला सत्याग्रही धावा १ वर्ष पूर्व महीने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ। परन्तु इससे काग्रेस की असहयोग-नीति पर असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके द्वारा शान्ति-मय असहयोग व सत्याग्रह अर्थात् निःशास्त्र क्रान्ति ही हमारी नीति का बाह्यिक बल है, यह विश्वास अधिक टूट हुआ।

असहयोग का आकामक कार्यक्रम बन्द करके सिर्फ विधायक व सगठनात्मक जन-सेवा का कार्यक्रम काग्रेस के सामने रखने से देश में अनेक मतभेद होने लगे व महात्माजी पर काग्रेस के अनेक नेता तदर-तरह से हमले करने लगे। ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो सरकार के प्रति वगावत करने की भावना कुछ समय के लिए ठरड़ी पड़ गई व आपस के रगड़ों-भगड़ों के रूप में प्रकट होने लगी। इतने ही में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ने लगीं। तब ह मार्च के 'यग इण्डिया' में महात्माजी ने एक लेख लिखा—'अगर मैं पकड़ा गया'। उसमें उन्होंने काग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को यही उपदेश दिया कि वे खादी, राष्ट्रीय शिक्षा, हिन्दू-मुसलमान-एकता, अस्वृश्यता-निचारण आदि विधायक कार्य करते रहें और अहिंसा-ब्रत का पूरा-पूरा पालन करें। १३ मार्च को महात्माजी राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार हुए और अहमदाबाद के टौरा नज मिं० वृ.मफील्ड के इजलास में उनका मुकदमा चला। १८ मार्च को महात्माजी ने अदालत में अपना लिखित चयान पेश किया। इसमें उन्होंने चिस्तार के साथ यह बताया है कि दक्षिण अफ्रीका में उनका सार्वजनिक जीवन कैसे शुरू हुआ, सत्याग्रह करते हुए भी वहाँ कैसे साम्राज्य-निष्ठ रहे, फिर रोलट कानून, जलियावाला बाग, खिजाफ़त आदि काझड़ों से उनकी साम्राज्य-भक्ति को कैसे ठेस लगी, हिन्दुस्तान में कानून-स्थापित सरकार किस तरह जनता को चूसने की नीति पर चल रही है, यहाँ देशभक्ति ही किस प्रकार अपराध बना दिया गया है, लोग

कैसे भयभीत व पौरुषहीन हो गये हैं और १२४ (अ) किस तरह दमन-कारी धाराओं की तुर्दा बन गई है। फिर कहते हैं, 'मुझे खुशी है कि नागरिक स्वातन्त्र्य का गला धोटनेवाले कानूनों के सिरताज १२४ (अ) धारा के अनुसार मुझपर अभियोग लगाया गया। प्रेम कानून के द्वारा न तो पैदा किया जा सकता है, न कानून से उसका नियमन ही हो सकता है। किसी भी व्यक्ति या संस्था के प्रति असन्तोष प्रकट करने की छुट्टी तबतक होनी चाहिए जबतक हिंसा को प्रोत्साहन न दिया जाय या ऐसा इरादा न हो। परन्तु भाईं शकरलाल पर व मुझपर जो टपा लगाई गई है उसके अनुसार तो असन्तोष का प्रचार करना भी अपराध है। इस टपा की रू से जो मुकदमे चलाये गये हैं उनमें से कहियों पर मैंने गौर किया है और मैं जानता हूँ कि इनके अनुसार भारत के कई अत्यन्त लोकप्रिय देश-भक्तों को सजाएँ हुई हैं। इसलिए इस धारा के मुताविक मुकदमा चलाया जाना मैं अपने लिए गौरव की ही बात समझता हूँ। मैंने बहुत थोड़े मैं बता दिया है कि मेरे असन्तोष का कारण क्या है। किसी भी अधिकारी या खुद राजा के प्रति मेरे मन में किसी तरह की व्यक्तिगत घृणा या द्वेष नहीं है, लेकिन जिस शासन-पद्धति द्वारा अबतक लोगों का अभूतपूर्व अहित हुआ है उसके प्रति असन्तोष रखना मैं एक सद्गुण मानता हूँ। इसलिए इस प्रणाली के प्रति प्रीति रखना मैं पाप समझता हूँ। मेरी नाकिस राय है कि 'सत्' से सहयोग करना जितना कर्तव्य है उतना ही 'असत्' से असहयोग करना भी है। मगर अबतक न्याय-कर्त्ताओं का जो प्रतिकार किया जाता था वह हिंसायुक्त होता था। लेकिन मैं अपने देशबन्धुओं को यह बता रहा हूँ कि हिंसात्मक प्रतिकार से अनिष्ट ही अधिक होता है और पूर्ण अहिंसा के द्वारा ही 'असत्' से सफल असहयोग किया जा सकता है। इसलिए भले ही कानून की हाई से मेरा यह कार्य जान-बूझकर किया हुआ अपराध दिखाई देता हो, लेकिन मुझे वह नागरिक का श्रेष्ठ कर्तव्य भासित होता है और इसके लिए मैं बड़ी खुशी से भारी-से-भारी सजा भोगने को तैयार हूँ। आपको यदि ऐसा प्रतीत होता हो कि जिस कानून के अनुसार कर्तव्य बनाइ करने की जिम्मेदारी आपपर है वह अन्याय-युक्त है तो आपके सामने अपने पद

से इस्तीका दे देने व 'असत्' से असहयोग करने का, अथवा आपका यह खयाल हो कि जिस शासन-पद्धति को चलाने में आप सहायता कर रहे हैं वह या यह कानून न्यायोचित व जनहितकारी हैं और इसलिए मेरा यह कार्य जनहित के प्रतिकूल है तो मुझे अधिक-से-अधिक सजा देने का—दो में से कोई एक मार्ग—न्यायाधीश व असेसर साहबान, खुला है।' कहना नहीं होगा कि न्यायाधीश ने दूसरे ही मार्ग का अवलम्बन करके महात्माजी को छु. साल की सजा ठोकी व लोकमान्य की परपरा चालू रखने का प्रमाण-पत्र उन्हें दिया। अपने फैसले में उन्होंने गाधीजी की प्रशंसा की और कहा कि आपको सजा सुनाते हुए मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। उन्होंने लोकमान्य के मुकदमे का भी उल्लेख किया। भारत-वासियों के हृदय ने इस बात को फौरन ही प्रहरण कर लिया व लोकमान्य के दिव्यत हो जाने से खाली हुए अपने हृदय-सिंहासन पर जिस विभूति की उन्होंने स्थापना की थी, उसकी महत्त्वा के प्रति उनकी श्रद्धा अधिक ढढ़ हुई।

सितम्बर १९२० में जब महात्माजी ने कांग्रेस के सामने असहयोग-संग्राम की योजना रखी तब उन्होंने कहा था कि यदि कार्यक्रम पूरा हो जाय तो एक साल में हमें स्वराज्य मिल जायगा। उसके बाद कोई डेंट साल तक उस कार्यक्रम को पूरा करने में अपना व जितना और उत्पन्न हो सका वह सारा चौदिक व आत्मिक बल खर्च करके उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखती। परन्तु वह बल स्वराज्य-प्राप्ति के लिए काफी नहीं सावित हुआ। यह सच हो, तो भी, कांग्रेस का इस मार्ग में ढढ़ विश्वास होना, व पहले जो वह महज प्रस्ताव पास करनेवाली दुर्बल संस्था थी उसकी जगह तब्दील होकर उसको साल भर तक अखण्ड कार्य करनेवाली व प्रस्थापित राजसत्ता से सगटित लड़ाई लड़नेवाली कान्तिकारी संस्था बनाना यह चमत्कार कोई मामूली बात नहीं है। देशबन्धुहास, ५० मोती लालजी नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे प्रख्यात वकील-वैरिस्टरों का अपनी सारी बुद्धि व शक्ति देश-सेवा में भोक्कर फकीर बन जाना व सैकड़ों मामूली वकीलों व उत्साही युवक विद्यार्थियों का आजन्म देश-सेवा का त्रैत ले लेना कोई ऐसी-वैसी बात नहीं थी। हजारों लोगों द्वारा खुले

आम कानून-भग करने से देश में जो प्रतिकार की एक जबरदस्त लहर उठी, दमन-चक्र के द्वारा उसे रोक सकने में राजप्रतिनिधि को असमर्थता का एहसास होना, कांग्रेस के साथ सुलह करने की आवश्यकता प्रतीत होना, अन्त में उस महान् व प्रबल आनंदोलन का कांग्रेस व उसके सर्वाधिकारी के हुक्म से रुक जाना और उसी हुक्म से देश के हजारों नवयुवकों व सैकड़ों नेताओं का जन-सगठन व जनसेवा के रचनात्मक कार्यों में लग जाना उस दीक्षा को अभिट बनाने के लिए काफी थीं जो महात्माजी ने राष्ट्र को अवतरक दी थी। १६०६ में ब्रीसाल में 'बन्देमात्रम्' का उच्चार न करने-सबधी हुक्म के निःशरू प्रतिकार करने का जो आनंदोलन भारतीय राजनीति में पहले पहल आया व जो बहिष्कार-योग श्रापनी बुद्धि से तैयार करके चलाने का प्रयोग किया गया, उसे बहुत बड़े पैमाने पर व अधिक वैज्ञानिक आधार पर महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष कर दिखाया था। इस प्रयोग में एक नवीनता थी और वही इसकी सफलता का वास्तविक कारण थी। महात्माजी ने उस बहिष्कार-योग को अहिंसा-निष्ठा का आध्यात्मिक अधिष्ठान दे दिया था। लोकमान्य तिलक ने पहले ही लिखा था कि निःशरू क्रान्ति या सत्याग्रह की बुनियाद उपनिषद् के आत्मबल पर ढाली गई है। निःशरू क्रान्ति का शास्त्र यदि तैयार करना है तो उसका अधिष्ठान अहिंसा ही हो सकती थी। अहिंसा-शास्त्र की भूमिका न स्वीकार करने के कारण ही आयलैंड के निःशरू क्रान्तिवाद को आगे चलकर सशरू क्रान्ति का रूप प्राप्त हो गया। हिन्दुस्तान में पहले पहल तिलक या अरविन्द बाबू ने जो प्रयोग किया उसे सरकार ने दबा दिया व फिर उसका पुनरुज्जीवन उनसे न हो सका। लेकिन जिन दिनों भारत में बगर्भंग का आनंदोलन चल रहा था उन्हीं दिनों दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा के अधिष्ठान पर निःशरू क्रान्ति का एक प्रयोग महात्माजी ने सफल कर लिया था। हिन्दुस्तान आने पर एक-दो छोटे मामलों में उन्होंने वही प्रयोग सफल करके दिखा भी दिया था। फिर १६२० के सितंबर से १६२२ की फरवरी तक बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रयोग किया जिसमें पूरी नहीं तो इतनी सफलता जरूर मिली जिससे लोगों में यह विश्वस उत्पन्न हुआ कि उसकी फिर आजमायश करके

देखा जाय। इसे क्या अन्धशद्वा कहेंगे? आँख बाले तो ऐसा नहीं कह सकते।

जो हो, लेकिन महज इसीलिए कि इस प्रयोग को स्थगित करना पड़ा, यदि कई लोगों का विश्वास उसपर से उठ जाय तो ताज्जुब नहीं। ऐसे समय में जिन नवयुवकों के हृदय में कान्ति की ज्वाला तो धघक रही थी; परन्तु अहिंसावाद मान्य नहीं था, वे रूस के कम्यूनिस्ट क्रान्ति-शास्त्र की ओर मुकने लगने, क्योंकि ऐसे समय युवकहृदय को निशाच या सशास्त्र कोई भी एक क्रान्तिवाद ही पसन्द आ सकता था। नरम दलवालों का वैध मार्ग व देशवन्धुदास प्रभृति की धारासमा में अडगा-नीति में उनका विश्वास बिलकुल नहीं रह गया था। ऐसे ही कुछ युवकों ने भाई छागे के नेतृत्व में, अक्टूबर १९२२ में, 'सोशलिस्ट' नामक एक अंग्रेजी सासाहिक पत्र शुरू किया। इन्हीं दिनों भाई मानवेन्द्रराय आदि यूरोपस्थित भारतीय कम्यूनिस्टों ने बर्लिन में 'बैनगार्ड' नामक पत्र निकाला। १९१६ में रूस में कम्यूनिस्टों की विश्वक्रान्तिकारक सत्यार्थी इन्टरनेशनल स्थापित हुई। उसने १९२० में यूरोप की साम्राज्यशाही से मुक्ति पाने के उत्सुक एशिया के देशों हिन्दुस्तान, चीन, ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि को उनके क्रान्तिकार्य में सहायता पहुँचने की नीति स्वीकार की, जिसके धागे-डोरे हिन्दुस्तान तक पहुँचने लगे। १९२०-२२ में उत्तरी भारत के कम्यूनिस्ट विचार रखने वाले कुछ लोगों ने किसान-आन्दोलन में भाग लेना शुरू किया। १९२३ में पेशावर में कम्यूनिस्टों पर मुकदमा चला। १९२४ में कानपुर में एक षड्यत्र का मुकदमा चला जिसमें भाई राय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उसमानी, गुसा, शर्मा, शुगारवेलु, गुलाम हुसेन आदि आठ अभियुक्त बनाये गए। इनमें से राय जर्मनी में थे, शर्मा फरार हो गये, शुगारवेलु जीमार हो गये और हुसेन ने माफी माग ली। शेष ४ मुलजिमों को मई १९२४ में ४-४ साल की सजा हुई। इसके बाद पहले के गुप्त षड्यत्र वाले सशास्त्र क्रान्तिकारियों का ध्यान मार्क्स के वैशानिक क्रान्तिवाद की तरफ अधिकाधिक जाने लगा। १९२५ में कानपुर में खुल्लमखुल्ला कम्यूनिस्ट कान्फरेन्स हुई और भारत में कम्यूनिज्म के वैशानिक क्रान्तिवाद के विधिपूर्वक

स्थापित होने की घोषणा की गई। इसी समय कम्यूनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं से वैसा ही एक ठहराव करने का प्रयत्न किया जैसा कि चीन के राष्ट्रीय नेता डॉ० सनयातसेन से किया था। लेकिन भाई डॉगे का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने उसे मजबूर नहीं किया। १९२२ से कॉंग्रेस में दो दल हो गये—धारासभा-प्रवेशवादी और धारासभा-चहिष्कारवादी। चहिष्कार-वादी पक्ष वह था जो असहयोग के कार्यक्रम पर डटा हुआ था और जिसे प्रवेशवादी अपरिवर्तनवादी कहने लगे। अपने लिए उन्होंने परिवर्तन-वादी नाम प्रसन्द किया। असल में तो इस बाद का बीज १९२० की कॉंग्रेस के विशेष अधिवेशन में बोया गया था। बीच में डेढ़ साल तक सत्याग्रह-रूपी उग्र कार्यक्रम के कारण उसमें अकुर नहीं फूटा था। देशबन्धुदास ने महात्माजी के धारासभा-चहिष्कार का जोरो से विरोध किया था तथापि उनका यह मत नहीं था कि मारेटेगू-सुधारों को कार्यान्वित करने में सहयोग दिया जाय। वे धारासभा में अडगा-नीति के पक्षपाती थे और अन्त तक उसपर डटे रहे। १९२३ में जो स्वराज्य-पार्टी कायम की गई उसकी नीति-घोषणा में कहा गया था कि जबतक मारेटेगू-सुधार रद्द करके पूर्ण स्वराज्य देने का वचन सरकार नहीं देगी और प्रान्तिक स्वराज्य की स्थापना नहीं करेगी तबतक अधिकार स्वाकार करके सरकार से सहयोग न किया जाय और सतत विरोध किया जाय। प० मोतीलाल नेहरू और देशबन्धुदास दोनों मानते थे कि यह नीति अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धान्त के विपरीत नहीं थी और इस-लिए वे अपने को असहयोगवादी ही कहते थे। १९२३ के दिल्ली बाले कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी को धारासभा में जाने की इजाजत मिल गई और १९२३ के अन्त में जो चुनाव हुए उसमें सब जगह इसकी जीत हुई और धारा-सभाओं में बहुमत रहा।

जनवरी १९२४ में महात्मा गांधी यरवदा जेल में अर्पांडिसाईट्स से एकाएक बीमार हुए। कर्नल मेडॉक उन्हें तुरन्त पूना के ससून अस्पताल में ले गये और ऑपरेशन किया। इसके बाद सरकार ने उन्हें बिना शर्तें छोड़ दिया। कुछ दिन वे जुहू (बवई) में रहे। वहाँ प० मोतीलाल नेहरू व देशबन्धुदास से धारासभा-प्रवेश के सबध में उनकी बहुतेरी चर्चा

हुई। मतभेद तो नहीं मिया; लेकिन महात्माजी ने यह आश्वासन दिया कि जब कांग्रेस ने धारा-सभा में जाने की मजबूती दे दी है तो अब किसी को उसमें आपस्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि भरसक सहायता करनी चाहिए। इधर दास-नेहरू ने यह मजबूत किया कि हम सब महात्माजी के विधायक कार्यक्रम में सहायता होंगे। उन्होंने तो यहाँ तक लिखित अभिवचन दिया कि जब हमें यह प्रतीत होगा कि धारा-सभाओं से कुछ काम नहीं बनता तो हम उन्हें छोड़कर चले आवेंगे और महात्माजी के नेतृत्व में कांग्रेस के नियमानुसार सविनय-भग अथवा सत्याग्रह-आनंदोलन में अग्रसर हो जावेंगे। १९२४ में वेलगाँव के अधिवेशन में कांग्रेस ने इस समझौते को मंजूर कर लिया। इससे महात्माजी की गैरहाजिरी में कांग्रेस में जो टो दल बन गये थे उनका फिर गठबंधन हो गया। वेलगाँव में महात्माजी ही कांग्रेस के सभापति थे। उसके बाद योड़े ही दिनों में उन्होंने बगाल में जाकर देशबन्धु की सहायता से सत्याग्रह के दूसरे मोर्चे की तैयारी की थी। मगर दुर्भाग्य से १९२५ में देशबन्धु का देहावसान हो गया और लोगों को लगा कि बगाल में दूसरे सत्याग्रह की जो तैयारी की जा रही थी वह विफल हुई।

देशबन्धु की मृत्यु के बाद प० मोतालाल नेहरू स्वराज्य-पार्टी के नेता हुए। स्वराज्य-पार्टी की नीति मारेटेगू-सुधारों के सम्बन्ध में यह थी कि जबतक सरकार कांग्रेस से इसके विप्रय में समझौता नहीं कर लेगी तबतक मन्त्रि-मण्डल न बनाया जाय। १९२६ की गौहाटी कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास अयगर ने अपने भाषण में कहा था कि मन्त्रियद अखोकार करने की नीति सार्वकालिक या विला-शर्त नहीं है। देशबन्धुदास ने फरीदपुर में जो शर्तें रखी थीं वे जबतक मंजूर नहीं हो जायें तबतक इस नीति में परिवर्तन करना न शक्य है और न इष्ट ही। धारा-सभा में अडगा-नीति, बाहर रचनात्मक संगठन और अत में सत्याग्रह ऐसा तिहरा चल इस मार्ग के पीछे था। ग्रत्येक मार्ग के पीछे कुछ शक्ति होनी चाहिए। उसकी परिणति प्रत्यक्ष प्रतिकार तक होनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस का अनुशासन मानना और सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी का नेतृत्व मंजूर करना आवश्यक था। इन मुद्दों को स्वराज्य-पार्टी ने कभी

नहीं छोड़ा। यही कारण है कि महात्मा गांधी और स्वराज्य पार्टी का वह सहयोग दिन-दिन घट होता गया और अत को, १९२६ में, जब यह सांवित हो गया कि ब्रिटिश सरकार धारासभा के विरोध के फल-स्वरूप स्वराज्य की मांग पूरी करने को तैयार नहीं होती तब लाहौर-काग्रेस में प० मोतीलाल नेहरू ने देशबन्धु महित महात्माजी के आश्वासन को पूरा किया और धारा-सभा के बहिकार का तथा महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव काग्रेस ने पेश किया।

महात्मा गांधी और स्वराज्य-पार्टी में जो यह सदूभाव बढ़ रहा था वह महाराष्ट्र के केलकर-पक्ष को १९२५ से ही अप्रिय होने लगा। १९२६-२७ की धारा-सभाओं के चुनाव के पहले ही उन्होंने स्वराज्य-पार्टी से अलग होकर माटेगू-सुधारों का विरोध करने की नीति छोड़ दी थी और उन्हें कार्यान्वित करके लोक-हित साधन की नई नीति अखिलायर-कर ली थी। यह नीति काग्रेस और स्वराज्य-पार्टी की नीति के खिलाफ चली, मगर १९२० में लोकमान्य तिलक द्वारा निर्धारित काग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति से भी यह गई-नीती थी। तिलक ने 'वैधानिक विरोध' पर जोर दिया था जो कि केलकरपक्ष ने अपनी नीति से हटा दिया। इसी तरह 'लोकमतानुसार विरोध या सहयोग की नीति ठहराने' की बात भी निकाल डाली। प्रतिसहयोग की व्याख्या ही ऐसी कर डाली कि सुधार कैसे ही हों, उन्हें कार्यान्वित किया जाय और इसी तरह लोगों का बल बढ़ाया जाय।

लोकमान्य के समय में ही उनके दल में दो भाग हो गये थे। एक था क्रान्तिकारियों की तरफ और दूसरा था वैधमार्गियों की तरफ झुकता हुआ। पहले उपपक्ष में थे—खाड़िलकर, पराजपे व देशपांडे (गगाधर राव) दूसरे में केलकर, बरदीकर का समावेश होता था। लोकमान्य की राय में केलकर राजनीति में 'सावधानता' की व खाड़िलकर 'उत्साह' की प्रतिमूर्ति थे। उनके स्वर्गवास के बाद उनकी राजनीति का 'उत्साह' महात्मा गांधी के साथ मिल गया व 'सावधानता' सिर्फ केलकर-पक्ष के पास रह गई। लोकमान्य के समय में जिनके हृदय क्रान्तिवाद की ओर आकर्षित हो गये थे वे गांधीजी के निःशस्त्र क्रान्तिवाद में शामिल हो गये और जो

‘सावधानता’ का मन्त्र जपते रहे वे उनसे अलग रहकर कहने लगे—गांधी का श्रद्धिसंवाद हमें नहीं चेंचता। इनमें से कुछ लोग जनता को ऐसा भी भासित करने की चेष्टा करते हैं मानो वे हिंसात्मक क्रान्तिकारी हैं। हम उपर बता ही चुके हैं कि पहले का सशस्त्र क्रान्तिकारी दल धीरे-धीरे मार्जन के क्रान्तिकार में शारीक होने लगा। इस वैज्ञानिक क्रान्तिकार से केलकरन्पन्ह का कितना विरोध है, वह बताने की आवश्यकता नहीं।

१६२२ से लेकर १६२८ तक स्वराज्य-पार्टी व असहयोग-दल अपने-अपने हम से स्वराज्य की लड़ाई लड़ते रहे, मगर प्रत्यक्ष श्राकरमण की नौबत अद्रतक न लाई जा सकी। १६२७ में लार्ड चर्कन्हेड ने सायमन कमीशन की नियुक्ति करके यह चर्चा शुरू की कि माटेगू-सुधारों में कुछ परिवर्तन किया जाय या नहीं। इसमें एक भी भारतीय नहीं लिया गया था। भारतीयों के आत्मनिर्णय के विविकार पर यह जवरदस्त मुठाराघात था। यह देखकर नरम दल-सहित सब दलों ने उसके विविकार की आवाज उठाई व मद्रास-काग्रेस में ५० जवाहरलाल नेहरू का स्वतंत्रता को ध्येय मानने का प्रस्ताव पास हो गया। इसके साथ दो और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए (१) सायमन कमीशन के विविकार का आन्दोलन करना व (२) ऐसी स्वराज्य-जोना बनाना जो सब दल के लोगों को पसंद हो। एक और भी प्रस्ताव पास हुआ—ग्रामामी महायुद्ध में विदिशा साम्राज्य के साथ सहयोग न किया जाय। इससे पहले जवाहरलालनी यूरोप-न्यात्रा कर चुके थे और उनके विचार समाजवादी दो गये थे। इसी समय से उन्होंने समाजवादी नीति के श्रनुमार काग्रस की राजनीति को सार्वांगिक क्रान्तिकारी बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। १६२८-२९ में जगह-जगह धूमकर उन्होंने ‘युवक-संघ’ व ‘स्वाधीनता-संघ’ स्थापित किये व नवयुवकों में समाजवादी सर्वांगीण क्रान्ति की भावना पैदा की। फिर १६३० में महात्माजी के नेतृत्व में बो पूर्ण स्वराज्य का सत्याग्रह शुरू हुआ और उसमें लो युवक उपस्थिति हुए उन्होंने में से आगे चलकर काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। इसके अलावा, १६२४ में कानपुर धड़यन्त्र-केस में सजा पाये हुए लोग जब छूट आये तो कम्यूनिस्ट पार्टी को फिर जोर मिलने लगा। १६२७ से २६ तक मजदूरों

की हड्डतालों व कम्बूनिस्ट पार्टी के संगठन का बड़ा जोर रहा। परन्तु, १९३० के प्रचण्ड सग्रह से यह पार्टी प्रायः अलग रही। इसके पहले ही, इस पक्ष के नेताओं को १९२८ में मेरठ घड़्यन्त्र केस में सरकार ने जेल में ठोक दिया था।

प० जवाहरलालजी जहाँ एक और भारतीय नवयुवकों में समाजवादी कान्ति के विचार फैला रहे थे वहाँ दूसरी और प० मोतीलाल नेहरू एक सर्वपक्षीय परिषद् बुलाकर उसमें श्रौपनिवेशिक स्वराज्य के विधान का मसविदा तैयार कर रहे थे। तीसरी और सरदार बहाउद्दीन खान ने उन्हें सत्याग्रह के लिए तैयार कर रहे थे—मानो वे दिखाना चाहते थे कि महात्माजी के रचनात्मक कार्य-क्रम के द्वारा सत्याग्रह की प्रचण्ड शक्ति किसानों में कैसे आ सकती है। प० मोतीलालजी ने महात्माजी को तार दिया कि स्वराज्य-योजना बनाने के लिए आप इलाहाबाद आ जाइए। महात्माजी ने उन्हें जवाब दिया—आप योजना तैयार कीजिए, उसे अमल म लाने के लिए जेस शान्त की जरूरत पड़ेगी उसे पढ़ा करने का काम मैं कर रहा हूँ। इससे यह जाना जाता है कि महात्माजी राजनीति की ओर किस दृष्टि से देखते हैं। १९२८ में सरदार बहाउद्दीन ने बारडोली में कर-बन्दी सत्याग्रह का जो आन्दोलन उठाया था वह सोलहाँ आने सफल हुआ। इससे देश के लोगों का ध्यान फिर से सत्याग्रह व प्रत्यक्ष प्रतिकार का आंश गया। १९१८ के अन्त में कलकत्ता में प० मोतीलालजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें ‘नेहरू-रिपोर्ट’, जो सर्वपक्षीय परिषद् के द्वारा बनाई गई थी, मजूर हुई और महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव पेश किया कि यदि नेहरू-रिपोर्ट वाली श्रौपनिवेशिक स्वराज्य की योजना सरकार ने एक साल में मजूर नहीं की तो फिर कर-बन्दी व कानून-भगा-सहित असहयोग-युद्ध शुरू कर दिया जायगा। साथ ही कांग्रेस ने यह भी घोषित किया कि असहयोग श्रौपनिवेशिक स्वराज्य के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज्य या स्वतंत्रता के लिए किया जायगा।

प० मोतीलालजी ने केन्द्रीय धारासभा में इसी आशय का प्रस्ताव पेश किया व सरकार को चेताया कि अगले साल हम सत्याग्रह की जबर-

दस्त लङ्घाई छेड़ेंगे । लार्ड अर्विन विलायत गये व इसके उत्तर के बारे में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से सलाह-मशविरा कर आए । इधर देश में क्रान्ति-कारी आन्दोलन की लहर बढ़ रही थी व कहीं-कहीं हिंसा-कारण भी होने लगे थे । सायमन कमीशन के बहिष्कार के जल्दी से लाला लाजपतराय पर भी लाठी-प्रहार हुए थे और उससे उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई कि उनका देहात हो गया । सन् १९२८ में उनकी यह बीरोचित मृत्यु उनकी आजन्म देश-सेवा के अनुरूप ही हुई । बाद को लाहौर में सारेढ़स की जो हत्या हुई उसका कारण लालाजी की मृत्यु का बदला लेना ही था । इस तरह इन दिनों हिन्दुस्तान में चारों ओर ही खलबली मच रही थी । क्रान्तिकारी भावना जिन राष्ट्रों की राजनीति का नित्य अधिष्ठान होता है और जिसकी लहरें उठती-गिरती रहती हैं, इससे जिनमें क्रान्तिकारी भावना नहीं रहती है उन्हें बहिष्कार, असहयोग, सत्याग्रह, निःशरण या सशस्त्र क्रान्ति ये लक्षण लहरें मालूम होती हैं व उन्हें यह अपनी राजनीति का नैमित्तिक स्वरूप प्रतीत होता है, परन्तु जिन लोगों का अन्तःकरण पराधीनता में जकड़ी हुई जनता की आकाञ्चाओं से समरस हो गया है उन्हें ये रह-न-रहकर उठनेवाली लहरें मानो पराधीन जनता के हृदय में उठनेवाली स्वतंत्रता की पवित्र आत्मप्रेरणा ही जान पड़ती हैं । मानव मन में परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर जाने की जो नित्य आत्मप्रेरणा होती है उसी में से क्रान्तिकारी भावनाओं की लहरें उठती हैं । अतएव वे सच्चे लोकनायक अथवा राजनीतिज्ञ, जो चाहते हैं कि लोगों पर उनकी सत्ता चले, उनकी तरफ से आँखें नहीं मूँद सकते, परन्तु जिनके हृदय में स्वतंत्रता की प्रेरणा कम होती है उनके लिए यह एक रहस्य ही बना रहता है कि लोगों की इस आत्मप्रेरणा को जाग्रत करनेवाले नेता आम लोगों में क्रान्तिकारी आन्दोलन की जवरदस्त लहर कैसे पैदा कर देते हैं । उनकी बुद्धि इसमें असमर्थ सिद्ध होती है, इसलिए वे यह मान बैठते हैं कि यह एक जोश की, पागलपन की लहर उठी है, थोड़े दिनों में ठण्डी हो जायगी । तब लोग हमारी समझदारी की व बुद्धि की बातों को सुनने लगेंगे ।

हिन्दुस्तान लौट आने पर १ नवंबर १९२९ को लार्ड अर्विन ने

एक विज्ञासि प्रकाशित की । उसमें कहा गया कि १९१६ बाले सुधार-कानून का अन्तिम पर्यवसान औपनिवेशिक स्वराज्य ही है, साथमन कमीशन की रिपोर्ट आने पर व दूसरी सुवार-योजनाओं पर विचार करने के लिए, ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का इरादा है कि ब्रिटिश राजनीतिशों, ब्रिटिश भारत के भारतीय नेताओं व देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की मिलकर एक 'गोलमेज परिषद्' की जाय । नरम दल वालों को इससे सन्तोष हो गया और वे फिर सहयोगवादी हो गये । किन्तु महात्मा गांधी व कांग्रेस उस समय सहयोग के लिए तैयार न हुए । गांधीजी, सर सप्रू, प० मोतीलाल नेहरू, जिना साहब इत्यादि नेताओं की इस समय लाई अर्विन से मुलाकातें हुईं । महात्मा गांधी वहाँ जाकर यह आजमा लेना चाहते थे कि ब्रिटिश राजनेता औपनिवेशिक स्वराज्य एक ही किस्त में दे देने को तैयार हैं या उसे अन्तिम ध्येय कहकर माटेगू-सुधार जैसी कोई और बेकार योजना हमारे गले बँध देना चाहते हैं । लेकिन जब यह मालूम हुआ कि ब्रिटिश राजनेता ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है तब गोलमेज-परिषद् से असहयोग करने की व कलकत्ता-कांग्रेस के निश्चयानुसार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करके सत्याग्रह-युद्ध ठानने की नीति मन में धारण करके महात्माजी लाहौर-कांग्रेस में उपस्थित हुए थे ।

दिसंबर १९२६ का लाहौर-कांग्रेस का अधिवेशन भारतीय राजनीति के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है । उसके सभापति प० जवाहर-लाल नेहरू थे । उन्होंने अपने भाषण में यह बताया था कि 'समाजसत्त्वक जनतन्त्र' (Socialist Republic) मेरा अन्तिम ध्येय है । कांग्रेस के प्रथम समाजवादी अध्यक्ष की उष्टि से उनका यह भाषण आर्द्धनक भारत के इतिहास में कायम रहेगा । उन्होंने साफ तौर पर इसमें कहा है कि "यदि हिन्दुस्तान को अपने देश से दरिद्रता व विषमता मिटानी है तो समाजवाद क ही रस्ते उसे जाना पड़ेगा । अलबत्ता उसका दाचा हमारे देश की मूल प्रकृति के अनुरूप बनाना पड़ेगा व उसके साधन भी अपनी परिस्थिति व परम्परा के अनुसार स्वतंत्र रूप से खोजने होंगे ।" साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस को वर्तमान मनोवृत्ति, भारतीय-स्वतंत्रता-संग्राम की आज की अवस्था व इस युद्ध के वर्तमान नेता-

इन सबका विचार करते हुए कांग्रेस का समाजवादी बनना और समाजवाद के पूरे कार्यक्रम को अपनाना सभव नहीं है। उन्होंने यह विचार भी वेधड़क पेश किया कि मेरे आदर्श भारत में मध्य-युगीन राजे-रजवाड़ों के लिए, पूँजी-युग के आधुनिक औद्योगिक राजाओं के लिए कोई स्थान नहीं है।”

हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र के ध्येय का प्रचार करके राष्ट्रीय मनोवृत्ति को बढ़ाने का काम लोकमान्य तिलक व महात्मा गांधी ने भारत की मूल प्रकृति का, खास राजनैतिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर तदनुकूल मार्ग से किया है। इन प्रयत्नों का फल ही यहों का बतेमान राष्ट्रवाद है।

इस राष्ट्रवाद को यूरोपीय राष्ट्रवाद की तरह पूँजीवादी व सेनावादी राष्ट्रवाद से उत्पन्न साम्राज्यवाद की अवस्था में से न गुजरना होगा, बल्कि उसका स्वाभाविक विकास समाजवाद में ही होना चाहिए। सो भी कांग्रेस के द्वारा ही। इस बात को समझने व उसके अनुसार अपनी नीति निश्चित करनेवाले पहले समाजवादी नेता जवाहरलाल ही हैं। यों तो हिन्दुस्तान में १९२२ से ही कम्यूनिज्म के रूप में समाजवाद आ गया था, परन्तु वह राष्ट्रीय संग्राम के बास्तविक महस्व व खासियत को ठीक-ठीक नहीं समझ पाया था और उसमें रूसी कान्ति के अनुकरण की प्रवृत्ति थी। किन्तु प० जवाहरलाल का समाजवाद पहले से प्रचलित राष्ट्रीय संग्राम-रूपी परिणात बृद्ध का परिपक्व फल है। अतएव हमारा यह ख्याल है कि इसी नीति का अवलम्बन करने से हिन्दुस्तान में समाजवाद को प्रस्थापित करने का मार्ग जनता के हाथ लग सकेगा। समाजवादी युवक कार्यकर्ता भी इस बात को धीरे धीरे समझने लग गये हैं। जो लोग उन्हें कुछ समय तक कान्तिवादी समझते थे वे भी यह मानने लगे हैं कि वे कान्तिवादी हैं। उनका कान्तिवाद लोकमान्य तिलक के पहले के कान्तिवाद की तरह ही वर्धिष्णु है, राष्ट्रशक्ति के साथ-साथ बढ़ता जानेवाला है।

लाहौर-अधिवेशन में कांग्रेस का ध्येय स्वतंत्रता—पूर्ण स्वराज्य—घोषित किया गया व धारा-सभाओं का बहिकार करके फिर से सत्याग्रह व असहयोग-संग्राम छेड़ने में सारा देश सम्मिलित हो, इस आशय का प्रस्ताव

पास हुआ। इस प्रस्ताव के इक्के-दुक्के विरोधियों में श्री केलकर व प० मालवीयजी प्रमुख थे। किन्तु लाहौर-काग्रेस के बाद जो प्रचण्ड सत्याग्रह शुरू हुआ व बीच में थोड़ा-सा विश्राम लेकर फिर जो १६३४ तक चला, उसमें बृद्ध मालवीयजी तो अन्त तक टिके रहे, मगर केलकर साहब ने शुरू में तो उसकी जबरदस्त लहर को देखकर सहयोग करने का थोड़ा-सा दिखावा किया, लेकिन बाद में शीघ्र ही उससे अपने को बचा लिया व लोगों से कहने लगे कि अब यह आनंदोलन बन्द होना चाहिए। वे काग्रेस पर तथा उसके नेताओं पर टोका-टिप्पणी करने का अपना नित्य धर्म पालने लगे। परन्तु उनके इस नित्य या नैमित्तिक धर्म-कर्म का खुद महाराष्ट्र पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस महान् युद्ध में पुराना ब्राह्मण-अब्राह्मणवाद खत्म हो गया व सारा महाराष्ट्र एक मुख से काग्रेस के झरणे के नीचे आकर ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला करने लगा। लोकमान्य के निधन के बाद महाराष्ट्र में जो अंधकार-युग शुरू हुआ था वह नष्ट हो गया और महाराष्ट्र की बुद्ध पर जो राख चढ़ गई थी वह उड़ गई व उससे उसके अन्तःकरण में जो ज्योति देदीप्यमान हुई, उसके प्रकाश में उसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य साफ तौर पर दिखाई देने लगा। सारे देश में, तमाम प्रान्तों में, कम-वेश यही हालत हुई। महात्माजी ने 'डाढ़ी-कूच' से आरम्भ करके नमक-कानून-भग का जो सत्या ग्रह-युद्ध पुकारा, लाड़ अर्विन साम्राज्य की सारी शक्ति व दमन-नीति को आजमा कर भी, उससे काग्रेस को पीछे न हटा सके। ब्रिटिश के दिन नजदीक आजाने से नमक-सत्याग्रह के बन्द होने की नौवत आनेवाली थी कि बङ्गल-सत्याग्रह शुरू होने लगा। सत्याग्रह की इस आग को बुझाने के लिए गांधीजी आदि नेताओं को दमन-कानून के मातहत राजवन्दी बनाया गया, किन्तु इससे आग उलटी और भड़क उठी। दमन का प्रत्येक नया दुक्कम सत्याग्रह के लिए एक नवीन अवसर देता था और इसी उमग में देश के हजारों युवक शान्ति के साथ जेलों में जाने लगे। किसान करबन्दी की हलचल मचाने लगे, व्यापारी ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सगठन करने लगे, स्वयंसेविकाएँ विदेशी माल की दुकानों पर धरना देकर लाठी-प्रहर सहन करने लगीं, राष्ट्रीय झड़े के जलूस व

सलामी के लिए हजारों लाल देहात से एकत्र होने लगे मानो अपने आचरण से यह दिखाने लगे हों कि हम ब्रिटिश सत्ता का नहीं, बल्कि कांग्रेस का हुक्म मानेंगे । हिन्दुस्तान का सारा नक्शा चार-पाच मास में बदल गया और इस युद्ध से निर्मित आत्म-तेज का प्रकाश सारी दुनिया में फैल गया । ससार के सब विचारशील लोग हिन्दुस्तान की इस अपूर्व राष्ट्रीय क्रान्ति की ओर आश्चर्य से देखने लगे । सरकारी सिपाहियों के लाठी प्रहार या गोलीवार को भी लोग नगरण मानने लगे और जैसा कि महात्माजी ने गोलमेज-परिषद् में कहा था, लड़के साम्राज्यशाही की गोलियों के सामने सीना तानकर खड़े रहने लगे । ऐसा हश्य दिखाई देने लगा मानो कांग्रेस ब्रिटिश-राज्य की प्रतिस्पर्द्धी राज्यसंस्था हो और भारतीय जनता पर ब्रिटिश हुक्मत नहीं, बल्कि कांग्रेस की अत्राध सत्ता चालू हो । पेशावर में गढ़वाली पलटन को हुक्म हुआ कि निहत्यी भीड़ पर गोली चलाओ, लेकिन उसने साफ़ इनकार कर दिया । ऐसा प्रतीत होने लगा कि नि-शक्ति क्रान्ति की यह जवरदस्त लहर ब्रिटिश हुक्मत को हड्डप किये डालती है । इन्हीं दिनों अर्थात् प्रथम स्वाधीनता दिवस (२६ जनवरी, १९३१) के एक साल बाद महात्मा गांधी प्रभृति कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल—कार्य समिति के सदस्यों—को जेल से रिहा करके लाई अर्विन ने उनसे समझौते की बातचीत शुरू की और कांग्रेस से 'गांधी-अर्विन समझौता' के अन्तर्गत अस्थाई संघ की ।

१९३० के जांडो में इंग्लैंड में पहली गोलमेज-परिषद् हुई थी, उससे महात्मा गांधी व कांग्रेस ने असहयोग किया था । फलतः इंग्लैंड के जहाज में बैठने के बजाय कांग्रेसी नेता जेलों में जाकर बैठे थे । इस बार सर सप्रू व वेरिस्टर जयकर ने लाई अर्विन व महात्मा गांधी में इस उद्देश्य से समझौता कराने का प्रयत्न किया कि वे सत्याग्रह बन्द करके गोलमेज-परिषद् में जा सकें । इसके लिए प० बवाहरलाल व मोतीलाल नेहरू को महात्मा गांधी से मिलने इलाहाबाद से यरवदा मेजा गया था । फिर भी कांग्रेस के नेता जैसा आश्वासन चाहते थे उसके लिए सरकार तैयार नहीं थी । इससे समझौता न हो सका और सर सप्रू तथा जयकर साहब दूसरे नरम दली तथा साम्राज्यिक नेताओं सहित विलायत गये । इस समय महाराष्ट्र

के प्रतिसहयोगी सहयोग के चार नेता चार दिशाओं में अपना अपना रास्ता खोजने लगे। जयकर साहब ‘हिन्दू लिबरल’ के रूप में और डा० मु जे ‘हिन्दू’ की हैसियत से विलायत गये, किन्तु केलकर साहब परिषद् का निमत्रण अस्वीकार करके हिन्दुस्तान में ही रहे। उन्होंने ‘केसरी’ में काग्रेस पर यह टीका की कि महात्माजी ने जवाहरलाल के चक्र में आकर समझौता नहीं किया। लोकनायक अरण महात्माजी के भरणे के नीचे सत्याग्रह में शारीक होकर जेल चले गये। इस तरह प्रतिसहयोगी सहयोग-दल नाम-मात्र का रह गता। बाद को ‘लोकशाही स्वराज्य-पक्ष’ के नाम से श्री केलकर व वै० जगनानास मेहता के नेतृत्व में फिर उसे जन्म मिला, किन्तु आज इस दल में जयकर साहब व लोकनायक अरण नहीं हैं।

गोलमेज-परिषद् की चर्चा के फलस्वरूप तत्कालीन प्रधान मत्री रेम्से मैकडॉनल्ड ने भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का अभिवचन दिया। मन्त्रिमण्डल की ओर से जो घोषणा उन्होंने की, उसमें ब्रिटिश सरकार को राय जाहिर की गई कि भारत के शासन की जिम्मेदारी केन्द्रीय व प्रान्तीय धारासभा को सौंपी जाय व वीचे के सक्रमण-काल में आवश्यकता पड़ने पर अल्पसंख्यकों के हकों की रक्षा के लिए कुछ सरक्षण रखें जाय। जो सरक्षण रखें जायें, वे भी ऐसे होंगे और इस तरह उनपर अमल किया जायगा जिससे पूर्ण उत्तरदायी शासन-व्यवस्था प्राप्त होने में किसी प्रकार बाधा न पड़े। केन्द्रीय सरकार सयुक्त हो, उसमें ब्रिटिश हिन्दुस्तान व देशी राज्य दोनों का समावेश किया जाय, इसे कथा-कथा अधिकार दिये जायें इसपर आगे और विचार कर लिया जाय, क्योंकि देशी राजाओं पर इस सरकार का उतना ही अकृश रहेगा जितना वे स्वेच्छा से मजूर कर लेंगे। इस प्रकार केन्द्रीय धारासभा-मण्डल बन जाने के बाद केन्द्रीय सरकार के मन्त्रिमण्डल को अधिक उत्तरदायी बनाने का सिद्धात ब्रिटिश सरकार स्वीकार करेगी। हाँ, वर्तमान परिस्थिति में सरक्षण व पराष्ट्रीय राजनीति के विषय गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। इसके अलावा शान्ति-रक्षा के लिए भी विशेषाधिकार रखें जायेंगे। हिन्दू-स्तान की साख और आर्थिक स्थिरता-संबंधी कुछ सरक्षण रखकर केन्द्रीय सरकार का अर्थ-विभाग मन्त्रिमण्डल के अधिकार में दे दिया जायगा।

इस योजना में तीन तत्व मुख्य हैं : १—संयुक्त घटना, २—केन्द्रीय सरकार में उत्तरदाई शासनपद्धति और ३—संक्रमनकाल के लिए कुछ संरक्षक वधन। बाद में महात्मा गांधी व लार्ड अविन में जो स्थायी संधि हुई, उसमें महात्माजी ने मंजूर कर लिया था कि ये संरक्षण हिन्दुत्तान के हित की हाइ से ही तय किये जायेंगे। गांधी-अविन-समझौते पर एक यह एतराज किया जाता था कि लाहौर में स्वतंत्रता का प्रत्ताव पास करने के बाद महात्मा गांधी गोलमेज-परियद् में जायेंगे कैसे ? इसका जबाब महात्माजी यह देते थे कि अर्थ-व्यवस्था, संरक्षण और परराष्ट्रीय राजनीति यह स्वतंत्रता का सार-भाग है। यदि इनकी सत्ता इसे मिल जाय और जब चाहें तब त्रिटिशों की सामेज़नी से हट जाने का हमें हक हासिल हो जाय तो फिर राष्ट्र के साथ वगवरी के टड़े की सामेज़ारी करने में स्वतंत्रता के प्रन्ताव या स्येय के विपरीत कुछ नहीं है। उन्होंने खुट लॉर्ड अविन को जाताकर कहा और लोगों पर भी प्रकट कर दिया कि मैं अपनी स्वतंत्रता को माँग गालमेज-परियद् में त्रिटिश राजनेताओं क सामने रखतूंगा और उसकी दुनियाठ पर ही अग्रेजों से समझौता करूँगा। मार्च १९२१ को गांधी-अविन-संधि के होने के बाद विंशती पत्र-प्रतिनिधियों से गांधी-जी की महत्वपूर्ण चातचीत हुई। उसका कुछ अश इस प्रकार है :

प्रश्न— समझौते की दूसरी धारा^१ को देखते हुए मद्रास, कलकत्ता और लाहौर-काशी में स्वीकृत स्वतंत्रता का प्रत्ताव फिर से काग्रेस में पास होना सुनगत होगा ।

^१"As regards constitutional question, the scope of future discussion is stated, with the assent of His Majesty's Government, to be with the object of considering further the scheme for the constitutional Government of India discussed at the Round Table Conference. Of the scheme there outlined, Federation is an essential part. So also are Indian Responsibility and reservation or safeguards in the interest of India, for such matters as, for instance, Defence, External affairs, the position of Minorities, the financial credit of India, and the discharge of obligation".

उत्तर—जरूर होगा। क्योंकि यह धारा कराची-काग्रेस में ऐसा प्रस्ताव करने में बाधक नहीं हो सकती। यह नहीं, बल्कि मैंने इस बात को तय कर लिया है कि आगामी गोलमेज-परिषद् में त्वतत्रता की माँग पेश करने में कोई बाधा न होगी। समझौता मजबूर करने से पहले इस विषय में मैंने इस स्थिति को अच्छी तरह खोल दिया था और अपनी स्थिति भी साफ कर दी थी।

प्र०—क्या आप प्रस्तुत सरक्षणों व प्रतिबंधों को मान लेंगे?

उ०—इस सम्बन्ध में काग्रेस की स्थिति सारे संसार पर प्रकट है और समझता हूँ कि जो लोग आज काग्रेस को परिषद् में निमंत्रण दे रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि काग्रेस क्या चाहती है। काग्रेस की स्थिति को स्पष्ट करने का मैंने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया है और अब भी ब्रिटिश सरकार के लिए मार्ग खुला हुआ है कि वह काग्रेस को निमन्त्रण न दे। इस समझौते में यह शर्त नहीं है कि काग्रेस को गोलमेज-परिषद् में जाना ही चाहिए।

प्र०—नये विधान में कुछ बंधन लगाना आप मंजूर करेंगे?

उ०—हा, जो बंधन बाजिब व बाल्जनीय होंगे, उन्हें मैं जरूर मंजूर करूँगा। अल्पसंख्यकों का ही सवाल लीजिए : यदि हम इस बात को नहीं मानेंगे कि अल्पसंख्यकों का हित हमारे हाथ में एक पवित्र धरोहर है तो हम इस महान् राष्ट्र के स्वेच्छ को सार्थक न कर सकेंगे। मैं इसे एक न्यायपूर्ण सरक्षण मानूँगा।

प्र०—फौज और आर्थिक प्रतिबंधों के संबंध में आपकी क्या राय है?

उ०—आर्थिक व्यवस्था के बारे में कहना हो तो कर्ज को लीजिए। सरकार पर आगर कर्ज हो तो उसकी कुछ जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। इस श्रश तक देश की साख पर व उसकी वृद्धि पर कुछ बंधन स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। फौज के संबंध में मुझे यहीं बंधन सूझता है कि हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए जो ब्रिटिश सैनिक हमें दरकार होंगे उनके बेतन की जिम्मेदारी लेना और ऐसी ही किसी तरह की दूसरी बात का जिम्मा लेना मेरी समझ में आ सकता है।

प्र—पूर्ण स्वराज्य की आपकी क्या तस्वीर है?

उ० — मैं तो आकाश में उड़ने वाला आदमी हूँ । इसलिए मैं तो ऐसे कई 'मनोराज्य' किया करता हूँ । 'पूर्ण-स्वराज्य' पूर्ण समानता का विरोधी नहीं बल्कि आधार है । सर्व-साधारण का दिमाग इस समानता को सहसा नहीं समझ सकता । समानता से मेरा तात्पर्य है कि सरकारी कार्य का केन्द्र डाउनिंग-स्ट्रीट होने के बजाय दिल्ली हो । मित्रों का कहना है कि सभव है, इंग्लैंड इस विधिति के लिए राजी न हो ।

ब्रिटिश लोग व्यावहारिक आदमी हैं । जिस प्रकार वे अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं उसी प्रकार दूसरों को स्वतंत्रता देना उसी स्वातंत्र्य-प्रेम का अगला कदम है । मैं जानता हूँ कि भारत के लिए मैं जो समानता चाहता हूँ उसके दे देने का जब समय आवेगा तो वे यही कहेंगे कि यह तो हम हमेशा से चाहते थे । ब्रिटिश लोगों में अपने आपको भ्रम में रखने की जैसी खूबी है वैसी और किसी राष्ट्र में नहीं । मेरे विचार से निश्चय ही समानता का तात्पर्य है सबध-विच्छेद के अधिकार काफी होना ।

इस तरह अर्थ-व्यवस्था, सरक्षण और परराष्ट्रीय राजनीति या वैदेशिक मापदण्ड और जब चाहें तब साफेटारी छोड़ देने का अधिकार यह स्वतंत्रता का या पूर्ण स्वराज्य का सार है, ऐसा महात्मा गांधी का और कांग्रेस का मत था । स्वतंत्रता का यह सार प्राप्त करने के लिए ही कांग्रेस की लड़ाई जारी रही और इसका अन्त भी इनके प्राप्त हो जाने पर ही हो गया । इस मुलाकात के थोड़े ही दिन बाद कर्णची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन में उपर्युक्त अर्थवाला प्रस्ताव हुआ और यह तथ्य हुआ कि महात्मा गांधी राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेन परिषद में जॉय, जिसके अनुसार वे १९३१ के अंत में इंग्लैंड गये । जाने के पहले गांधी-अर्विन-समझौते के मुताबिक लड़ाई स्थगित हो गई थी और सारे राजनैतिक कैटी छोड़ दिये गए थे । सत्याग्रह की लड़ाई का मुकाबला करने के लिए निकाले गए आर्डिनेन्स रद किये गये, मुकदमे उठा लिये गये और जो जुर्माना भरा नहीं गया था वह माफ हो गया, जब त हुआ माल-असचाव, जो सरकार के पास था, बापस कर दिया गया और जब जमीनें बापस कर दी गईं । जिस जगह नमक बनता हो वहाँ के आसपास के लोगों को घर खर्च के लिए बिना कर दिये नमक

ले सकने का अधिकार दिया गया। यह तथ किया गया कि स्वदेशी को उत्तेजना देने के लिए धरना देना तो जारी रखा जाय, सिफ़ इंग्लैण्ड में बनी चीजों का बहिष्कार करना बन्द कर दिया जाय। इसके ब शराब-बन्टी के लिए धरना दिया जाय; लेकिन वह पूर्ण शान्तिमय हो। गॉधी अर्विन-समझौते की इन सारी शर्तों पर अमल किये जाने के बाद ही गॉधीजी द्वितीय गोलमेज-परिषद् के लिए विलायत गये।

गॉधी-अर्विन-समझौते का कांग्रेस और उसके द्वारा की गई निःशस्त्र क्रान्ति के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक भारत के इतिहास में यह एक अपूर्व बात थी कि कांग्रेस का आन्दोलन बन्द करने के लिए साम्राज्यशाही को कांग्रेस के नेताओं से वरावरी का व्यवहार करना पड़ा। इसी एक बात पर ब्रिटिश राजनेताओं ने इस ठहराव के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यह भी मान लिया कि कांग्रेस ही हिन्दुस्तान की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और अन्त में स्वराज्य के प्रश्न का भी उसी से समझौता करना पड़ेगा। दूसरी गोलमेज-परिषद् में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गये थे और महात्माजी ने परिषद् के अपने पहले भाषण में ही यह कह दिया था कि मैं उस महान् संस्था का एकमात्र प्रतिनिधि हूँ जिसने अपने पराक्रम से यह साचित कर दिया है कि उसे सारे भारत की जनता को तरफ से विदेशी शासकों के साथ सुलह-समझौते का अधिकार प्राप्त है। अतः यदि भारतवर्ष से सन्धि करना हो तो वह मेरे मार्फत ही करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी शक्ति सरक्षण व वैदेशिक विषयों पर ही केन्द्रित की। इस-लिए उन्होंने बताया कि बवतक आप स्वतत्रता का सार देना मजूर न करेंगे तबतक मैं किसी तरह समझौता मजूर नहीं कर सकता।

पहले माटेगू-सुधारों के अवसर पर समझौते की ओ नीति लोकमान्य ने अग्रीकार की थी उसका परिणाम रूप महात्माजी की यह वर्तमान नीति है, ऐसा कहना अनुचित न होगा। सचेष में महात्माजी का यह कहना था कि पहले तुम यह मान लो कि आज से इस अपने घर के मालिक हो चुके, फिर यह सुभाओं कि अब इस घर में तुमको कितने दिनों तक किस तरह रहना है तो इसके बारे में समझौता किया जाय। इसकी तजीजें व

सुभाव रखो । तब हमें यह देख लेंगे कि हमारे हित की दृष्टि से वे हमें मजूर हो सकते हैं या नहीं । लेकिन तब दूसरे देशों के वरावर स्वतन्त्र राष्ट्र के तौर पर हिन्दुस्तान को मानने व ब्रिटेन के साथ सामेलारी के उसके दरजे की स्वीकार करने की भूमिका पर समझौता करने के लिए ब्रिटिश राजनेता तैयार नहीं थे और इधर महात्माजी इस धरातल को छोड़कर अपने देश की स्वतन्त्रता का सत्ता सौदा करने के लिए तैयार न थे । इसीसे दूसरी गोलमेज-परिषद् चिफल हुई और उन्हे वहीं पता लग गया था कि हिन्दुस्तान काने पर फिर कोई सत्याग्रह किये बिना गति नहीं है । हाँ, उनके यहाँ लौटते हो आगर उन्हे यह न दिखाई दिया होता कि नौकरशाही ने बाद में गांधी-अर्चिन-समझौता तोड़ दिया है और 'उस को फिर से साधने की चातचांत भी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं' ऐसा रुखा जवाब यदि लार्ड विलिंगडन ने महात्माजी को न दिया होता तो महात्माजी विलायत से आते ही सत्याग्रह शुरू न करते, बल्कि संगटनात्मक व विधायक कामों में कुछ समय लगते । लेकिन जनवरी १९३२ में दूसरी गो० में परिषद् से लौटकर महात्माजी यहाँ आकर क्या देखते हैं कि बंगाल, युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में टमन-चक चल गया है और सुमाध बांध, बचाहरलालजी व खान अब्दुल गफकार खान आदि काग्रेस नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है । ऐसा स्थिति में भी महात्माजी ने लार्ड विलिंगडन से समझौते के लिए तार ढारा मिलने की इच्छा प्रकट की, परन्तु वह ठुकरा दी गई । इसका कारण यह था कि यहाँ की नौकरशाही चाहती थी कि गांधी-अर्चिन-समझौते के कारण काग्रेस की ओ एक तरह की प्रतिस्पर्धा गञ्च-संस्था की सी स्थिति बन गई थी उसे बदलकर काग्रेस व उसके नेताओं पर हाथ साफ किया जाय । इसके लिए इग्लैड का नवीन ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल व भारत मत्री सर सेम्युशल होर उनकी पीठ ठोकने के लिए तैयार थे । यहाँ के अधिकारी उन्हें सब्ज बांध दिखा रहे थे कि काग्रेस को एक-दो महीने में ही खत्म कर देंगे व महात्माजी के आत्म-बल की कलई थोड़े ही दिनों में खोलकर दिखा देंगे । तटनुसार जनवरी १९३४ में ही लार्ड विलिंगडन की सरकार ने काग्रेस पर धावा ढोल दिया । लेकिन आशा के अनुसार दो महीने

में काग्रेस खत्म नहीं हुई। आईनेस की छुः महीने की मीयाद भी खत्म हो गई तब भी काग्रेस नहीं हारी। उसकी सब स्थाएँ गैर कानूनी करार दी गई तो भी उसका काम बन्द नहीं हुआ और खुद दिल्ली में उसका वेकायदा अधिवेशन सफलता के साथ हुआ। तब जो काम ब्रिटिश सरकार की अतुल दमन-शक्ति से न हो सका, उसे भेदनीति से सफल करने की शुरूआत धीरे-धीरे हुई।

गांधी-अर्विन-समझौते के बाद से करीब-करीब ऐसी स्थिति बन गई थी कि भारतीय जनता की तरफ से किसी भी शासन-विधान को मजूर करना हो तो वह काग्रेस ही करे। मगर जिस तरह ब्रिटिश राजनेता इस स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं थे उसी तरह हमारे देश के काग्रेस-बाह्य दूसरे दल भी तैयार नहीं थे। वे कहने लगे— काग्रेस की तरह हमारा भी एक दल है। तब हम क्यों न सरकार से सुलह-समझौता करें यदि काग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। गांधीजी की तरह हम भी विलायत जा सकते हैं, हम भी विधान-शास्त्र के परिषद्स हैं और शायद उनसे तो अधिक ही हैं। उनकी तरह हम भी व्याख्यान दे सकते हैं। तब हम अपनी इच्छानुसार विधान इंग्लैण्ड से लाकर हिन्दुस्तान के माथे क्यों नहीं मार दें। लेकिन इस विचार-सरणि में दो दोष थे—एक तो यह कि जो शासन-विधान हिन्दुस्तान में लागू होता उसके लिए इतने ही से काम नहीं चलता कि यह थोड़े लोगों के मनोनुकूल है। वह तो समूचे राष्ट्र के मनोनुकूल होना चाहिए था और राष्ट्र को समझाने की जितनी शक्ति महात्मा गांधी के पास थी उतनी तीसरी गो० मे० परिषद् में गये किसी भी नेता के पास नहीं थी, बल्कि सारे नेता-मडल के पास भी नहीं थी। एक वक्ता ने तो उस समय आम सभा में कह दिया था कि काग्रेस व महात्मा गांधी को जेल में ढूँसकर जो नेता विलायत गये हैं उनकी कीमत राष्ट्रीय प्रतिनिधि के तौर पर शून्य से अधिक नहीं है। अगर महात्मा गांधी-रूपी अक पर ये बिन्दियों लगाई होतीं तो इनकी कीमत हुई होती। परन्तु उस अक के अभाव में इन सब की मिलकर कीमत एक सिफर के बराबर ही थी। फिर महात्मा गांधी की कीमत भी उन अकेले के व्यक्ति-माहात्म्य पर नहीं, बल्कि उनके पीछे

सारे राष्ट्र का जो संगठित आत्मबल अथोत् सत्याग्रही राष्ट्रसभा काग्रेस थी, उसपर अवलम्बित था। जबतक हम राष्ट्रीय राजनीति का यह पाठ न पढ़ लेते तबतक ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वराज्य के अधिकार मौंग या छुन न सकते। फिर भी काग्रेस को वैसे ही जेल में पड़ी रहने देकर हिन्दुस्तान के बे कुछ राजनीतिज्ञ, जो अपने को व्यवहार-दब्द कहलाते थे, १९३२ के अन्त में तीसरी गोलमेज-परिषद् में गये थे। उनमें से हरएक ने यह जाहिर किया था कि हम किसी के प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं, बल्कि निजी तौर पर जा रहे हैं, मानो बाल्डविन या मैकडॉनल्ड के घर से उन्हें किसी शादी में आने का निमत्रण मिला हो। और जिस तरह निमत्रित भिन्नुकों को यजमान भोजन कराके विदा कर देता है उसी तरह सर सेम्युअल बैरार ब्रिटिश राजनेताओं ने स्वराज्य की दक्षिणा मिलने की आशा से निजी तौर पर गये हुए इन भिन्नुकों को हाथ हिलाते हुए सूखे ही घर लौटा दिया। हाँ, इससे सर सेम्युअल प्रभृति ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह भ्रम अवश्य पैदा हो गया कि जब काग्रेस को छोड़कर हमारे बुलाने से इतने राजनीतिज्ञ इंग्लैंड आ सकते हैं तो किसी भी शासन-विधान को चलाने के लिए चाहे जितने दल व नेता हमें मिल जायेंगे या बनाये जा सकेंगे। इससे यह भी साफ मालूम हो गया कि जबतक उनका यह भ्रम दूर न होगा तबतक काग्रेस व हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य भी न मिल सकेगा। ब्रिटिश लोग विदेशी हैं और उनसे सधिन-विग्रह करने का अधिकार जबतक एक ही संस्था को न मिलेगा तबतक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता, यह पाठ हमारे नरम दल के नेता और लोकमान्य के नाम पर चलने वाला लोकशाही पक्ष नहीं सीख पाया।

तीसरी गोलमेज-परिषद् के बाद पार्लामेंट की सिलेक्ट कमेटी बनी और उसका बनाया विधान १९३५ में 'गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट' के नाम से कानून बन गया। इस बीच महात्माजी ने पहले तो सामुदायिक सत्याग्रह बन्द किया और कुछ महीने बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बन्द कर दिया। सत्याग्रह बन्द कर देने के बाद १९३४ में धारा-सभा पर से बहिष्कार उठा लिया गया और काग्रेस ने अपने नियत्रण में

धारासभा के काम के लिए एक विभाग खोला। १९२४ में जबसे मात्माजी और देशवन्धु दास में समझौता होकर कांग्रेस को यह अनुभव हुआ कि धारा-सभा के अन्दर का कार्य व बाहर का विधायक कार्य करने वाले दोनों दल भावी लड़ाई की पेशवन्दी में बहुत सहायक होते हैं तभी से महात्मा गांधी ने दोनों दल वालों को ऐसे हरें पर चला दिया था कि आपस में विरोध न करते हुए परस्पर सहयोग से रहें और भावी लड़ाई की तैयारी करें। फिर भी १९३० का सत्याग्रह शुरू होने तक दोनों दलों का दिल मिला नहीं था। मगर १९३० व ३२ के सत्याग्रह-संश्लिष्ट में दोनों का दिल एक हो गया और वे महसूस करने लगे कि हम दोनों कांग्रेस के दो हाथ हैं। अतएव दोनों मिलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनुशासन के साथ कार्य करें। इधर प० जवाहरलालजी ने १९३० में 'जिस समाजवादी मनोवृत्ति का बीज कांग्रेस में बोया था वह अकुरित हुआ और 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' के नाम से एक तीसरा दल भी बन गया, परन्तु उसे भी सब दलों के साथ मेल से व कांग्रेस के अनुशासन में रहकर काम करने की नीति मजबूर थी। फिर वह यह समझता था कि कांग्रेस के सामने निकटवर्ती प्रश्न समाजवाद की स्थापना का नहीं, 'पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का था। इससे कांग्रेस के अन्दर रहकर वह अपनी चृद्धि करता रहा और हम समझते हैं कि इस दल की चढ़ती से कांग्रेस के भावी विकास में सहायता मिली।

१९३४-३५ में केन्द्रीय एसेम्बली के नये चुनाव होनेवाले थे। उस समय कांग्रेस के सामने मुख्य कार्यक्रम यही था कि उन चुनाओं में भाग लेकर यह दिखा दिया जाय कि होर साहब के कल्पित सुधार राष्ट्र को मजबूर नहीं है। वे प्रागतिकों को भी पसन्द नहीं थे, परन्तु उन्हें नामजूर करने की नीति को खुल्लमखुल्ला स्वीकार करने के लिए वे तैयार न थे। लोकशाही दल भी इसके अनुकूल नहीं था। इन दल वालों का यह ख्याल था कि १९३२ के सत्याग्रह में कांग्रेस की शिक्षित हो गई, इससे अब देश एसेम्बली के चुनाव में उसका साथ नहीं देगा। इधर कांग्रेस ने यह घोषणा की कि सुधारों को ढुकरा कर जबतक पूर्ण स्वराज्य न मिले तबतक लड़ाई जारी रखती जायगी व बन्धू के अधिवेशन में यह राष्ट्रीय

माग तथ की गई कि पूर्ण स्वराज्य की योजना ऐसी विधान-परिषद् के द्वारा बनाई जाय, जो वालिंग मताधिकार द्वारा चुनी गई हो। अर्थात् एसेम्बली का चुनाव कांग्रेस ने इन मुद्दों पर लड़ा : (१) नया विधान ठुकरा दिया जाय और (२) आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार विधान-सभा के द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त किया जाय। खुट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में ही यह साफ-साफ कहा गया है कि होर-सुधार प्रागतिकों की माग से भी बहुत कम हैं। फिर भी उसके लोखकों ने यह आशा प्रकट की कि हिन्दुस्तान के लोग इन सुधारों को मान लेंगे और इसकी नीव पर स्थायी शासन-व्यवस्था कायम की जा सकेगी। उनकी दलील यह थी कि हिन्दुस्तान में एक ऐसा मध्यस्थ लोकमत निर्माण हो गया है कि उसके बल पर यह विधान स्थापित किया जा सकेगा, भले ही कुछ दुराराध्य लोग न मानें। कहना नहीं होगा कि ये मध्यस्थ लोग और कोई नहीं, राजा-महाराजा, बड़े पूँजीपति व बर्मीदार तथा हिन्दू-मुसलमानों के साम्प्रदायिक या जातिनिष्ठ नेता ये। गोलमेज-परिषद् में एकत्र इन लोगों के आश्वासनों के भरोसे ब्रिटिश राजनेताओं ने १९३५ में शासन-विधान का कानून हिन्दुस्तान पर लाठने का निश्चय कर लिया। अब कांग्रेस के सामने मुख्य प्रश्न ही यह था कि इस विधान को ठुकराकर स्वयं निर्णात स्वराज्य-विधान प्राप्त किया जाय। इस कानून के पास होने के पहले एसेम्बली के नये कांग्रेसी सदस्यों ने व जिना साहच के मुसलमान-दल ने मिलकर इन सुधारों को ठुकरा देने का प्रस्ताव पास कर दिया। तब सर सेम्युअल होर ने पार्लामेंट में कहा कि एसेम्बली में ऐसा प्रस्ताव पास हो गया तो क्या हुआ, प्रान्तों के नेता उसे चलाने के लिए तैयार हैं और इन सुधारों का असली दारोमदार तो प्रान्तीय कौन्सिलों पर ही है। इस समय प्रान्तीय कौन्सिलों में कांग्रेस-विरोधी अन्राष्ट्रीय लोग भरे हुए थे और सर होर जैसों को यह उम्मीद थी कि नवीन कौन्सिलों में कांग्रेस-दल के लोगों का बहुमत न होगा, या नौकरशाही अपनी तरकीब लड़ाकर कांग्रेस का बहुमत न होने देगी। पर बात यह है कि ये कांग्रेस-विरोधी दल दो तरह से ब्रिटिश राजनेताओं को भुलावे में डालते रहे। पहले तो वे उन्हें बताते रहे कि कांग्रेस की लड़ाकू नीति लोगों

को जँचती नहीं व लोग उसका साथ नहीं देते । कई बार उनका यह अंदाज गलत साम्रित हुआ , फिर भी वे बार बार-यह कहते नहीं चूके । फिर दूसरा भुलावा यह देते हैं कि काग्रेस जो लड़ाई की भाषा बोलती रहती है उसमें कुछ दम नहीं है, कोरी धमकियाँ हैं । काग्रेस के नेता लोगों को भासा देने के लिए झूठमूठ ऐसी भाषा बोलते रहते हैं । मगर इन काग्रेस-विरोधियों को यह बात याद रखनी चाहिए थी कि स्वराजपार्टी के आङ्खान को भी वे 'कोरी धमकियाँ' कहा करते थे ; पर आखिर को काग्रेस ने इतने जोर का आन्दोलन चलाया कि १९३० के अन्त में सरकार को उससे समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा ।

नवीन विधान के प्रान्तीय स्वराज्य का भाग स्थापित हो चुका था व ११ में से ७ प्रान्तों में काग्रेस-मन्त्रिमण्डल जनता के बहुमत के बल पर प्रत्यक्ष शासन कर रहे थे । काग्रेस विधान को नामजूर करने व आत्मनिर्णय के सिद्धान्तानुसार विधान-सभा के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का नवीन विधान बनाने की भाषा उतने ही बल व निश्चय के साथ बोल रही थी । यदि इसमें वह सफल न होती तो उसने अबतक जो निःशस्त्र कान्ति-वादी तत्र, शास्त्र व तत्त्वज्ञान देश के सामने रखा था, वह सफल हुआ नहीं माना जाता और फिर, सम्भव है, राष्ट्र को अपनी आजादी के लिए किसी दूसरे ही तत्र, शास्त्र व तत्त्वज्ञान का अवलम्बन करना पड़ता । उस समय देश के सामने एक दूसरा तत्र, शास्त्र व तत्त्वज्ञान (कन्यूनिज्म) वैज्ञानिक क्रान्ति के शास्त्र के रूप में आने लगा था और जिन लोगों का विश्वास अहिंसात्मक क्रान्ति-शास्त्र पर नहीं था, वे धीरे-धारे बहुत-कुछ उसीका अवलम्बन करने लगे थे । देश जिस लड़ाई में लगा हुआ था उसका स्वरूप राष्ट्रीय था । १९३६ के सुधार-कानून के बाद यह लड़ाई शुरू हुई और एक खास तत्त्वज्ञान व क्रान्तिशास्त्र के अनुसार एक अलौकिक, असामान्य विभूति के नेतृत्व में चलती था आई । अबतक जिन नेताओं ने इस लड़ाई का सञ्चालन किया, जिस काग्रेस के द्वारा और जिस जनता के बल पर वह लड़ी गई उसका निःशस्त्र क्रान्ति-वादी तत्त्वज्ञान पर विश्वास कायम था । यही नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा था और उसे यह आत्मविश्वास हो रहा था कि इसी के द्वारा हम पूर्ण स्वराज्य

के शिखर तक पहुँच जायेंगे व १८ साल के इस स्वराज्य-सप्राप्ति में विजयों होकर सप्ताह की स्फुरति और भारत की कीर्ति में अपूर्व वृद्धि करेंगे।

: ११ :

प्रान्तीय स्वायत्तता और द्विराष्ट्रवाद

अबतक पिछली कीरीब एक सदी का इतिहास हमने देखा। इस अर्से में यह राष्ट्र किस बड़े आदोलन में सलग्न था और उसके सामने कौनसी बड़ी समस्याएँ थीं, इसका विवेचन अबतक किया गया। जो राष्ट्रीय आदोलन देश में चला, उसका आरम्भ १९११ के सुधारों के बाद तुरन्त हो जाता है। यह आदोलन एक खास तत्वप्रणाला और क्रातिशास्त्र को लेकर तथा एक असामान्य विभूति के नेतृत्व में चल रहा था। १९२० से जिस निःशास्त्र क्रातिवादी तत्व को कांग्रेस के नेताओं के मार्गदर्शन में जनता ने स्वीकार किया, उसपर चलकर देश को पूरी आजादी मिल जायगी, अठारह सालों से चलता हुआ शारीरपूर्ण आदोलन कामयाब होगा और सप्ताह की स्फुरति तथा देश की कीर्ति में इससे काफी वृद्धि होगी, इसका लोगों को पूरा विश्वास हो गया था।

निःशास्त्र क्राति के मार्ग से यश पाने का इतना विश्वास भारतीय जनता में किस तरह निर्माण हुआ, इसकी जब हम छानवीन करने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि इसके बीज आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होने के पहले ही जनता के हृदय में बोये जा चुके थे। मराठों की हार के बाद हिंदुस्तान पूरी तरह अग्रेजों के पंजे में फैसा। इसी बहु सर्वांगीण समाजक्राति के अग्रदूत राजा राममोहन राय ने जो आदोलन शुरू किया, उससे आधुनिक भारत के इतिहास का श्रीगणेश होता है। अन्य देशों की अपेक्षा अपने विछुड़ जाने का भान अग्रर भारत को हो जायगा तो उसे अग्रेज गुलाम नहीं रख सकेंगे, यह बात राजा राममोहन राय जानते थे। सप्ताह के अन्य देशों की तरह नये विचारों को अपनाकर कीरीब एक सदी में भारत उनके स्तर पर आ सकेगा और तब उसकी मौगंगों

को ढुकराना अग्रेजों के लिए असभव होगा, यह उनको मालूम था। जिन अंग्रेज अधिकारियों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था वे भी इस तथ्य से वाकिफ थे। वे कहते थे : “हमने भारत को नहीं जीता है, मोहवश वह हमारे अधीन हो गया है। जब अपनी असली ताकत का पता उसे चल जायगा, तब एक पलभर के लिए भी उसे अपने काबू में रखना हमारे लिए असभव है। लाख-डेढ़ लाख लोग बीस-बाईस करोड़ की सख्तावाले किसी राष्ट्र को सदा के लिए अपने अधीन नहीं रख सकते।”

अठारहवीं सदी में मराठा, निजाम तथा हैदर-यीपू का मैसूर—ये ही तीन प्रमुख राज्य भारत में थे। इन तीनों का मुकाबला करने की क्षमता अग्रेजों में नहीं थी, इतना ही नहीं बल्कि दूसरे की सहायता के सिवा किसी एक का भी मुकाबला वे नहीं कर सकते थे। इस बात को न पहचानकर इन तीनों में ब्रिटिशों के कृपाभाजन बनने के लिए होइ-सी लगी थी। देश में एकता की भावना ही नहीं रही थी। अदरूनी झगड़ों से ये राज्य विलक्षुल कमजोर बन गये थे। अगर उस बक्त लोगों में लोकशाही तथा राष्ट्रीयता की भावना होती तो हिंदुस्तान अपनी आजादी बनाये रख सकता था।

एक शताब्दी तक भारत को गुलामी में रहना पड़ा। गुलामी के कारण देशभर में हृद दर्जे की गरीबी फैली। स्व० दादाभाई नौरोजी, लो० तिलक तथा म० गाधी देश को राष्ट्रीयता की तालीम देकर समर्पित करने की कोशिश कर रहे थे। इनके नेतृत्व में निःशर्ख होने पर भी परायी हुक्मत से छुटकारा पाने की बात जनता ने ठान ली। उधर अतरं-राष्ट्रीय राजनीति में भी अग्रेजों का प्रभाव घट ही रहा था। अग्रेजों की सस्कृति से जागतिक सस्कृति के विकास में मदद मिलेगी, ऐसी जो भावना लोगों में फैली थी वह मिट रही थी। भारत को लोकतन्त्र तथा राष्ट्रीयता के पाठ पढ़ाने के लिए अग्रेजों का अवतार हुआ है, ऐसी शेरखी अग्रेज बघारते थे और यहाँ के लोगों का उसपर विश्वास हो गया था, लेकिन दुनिया की हालत बदली और आज परिस्थिति ऐसी है कि पूँजीवादी प्रणाली से निर्मित वर्गयुद्ध को टालकर अपनी राष्ट्रीयता तथा अपना लोक-

तत्र कायम रखने के लिए अंग्रेजों को भारत से सचक लेना जरूरी महसूस होने लगा है।

बढ़ते हुए राष्ट्रीय भावों में उरार पैदा करके प्रातीय स्वायत्तता के नाम पर भारत को अनेक दुकड़ों में बॉट देने की अंग्रेज शासकों की ख्वाहिश थी। सयुक्त राज्य की स्थापना के नाम पर यहाँ के लोकतत्र को पैंजीवादियों तथा सरमायादारों की महायता से परास्त करने की साजिशें गोलमेज-परिषद के नाम पर अंग्रेजों ने की। लेकिन करीब सभी प्रातों में अंग्रेजों को इस चाल को प्रातीय स्वायत्तता के आधार पर काग्रेस ने वेकार बना दिया और सच्चे लोकतत्र के लिए आवश्यक अहिंसक वायुमंडल देश में पैदा किया, जिससे प्रातीय स्वायत्तता के काल में भी निःशर्क काति की ताकत बढ़ती ही गई। इस तरह लोकशाही, राष्ट्रीयता और दोनों की पुष्टि तथा परिणाम के लिए आवश्यक अनन्याचारी अहिंसात्मक कातिवाट पूरे देश में फैलने लगा। कातिवाट की ये लहरें ब्रिटिश हुक्मत की सीमाओं को लॉघकर देशी रियासतों में भी फैल रही थीं। लोकतत्रात्मक भारतीय गणराज्य का निर्माण, गोलमेज-परिषद के वक्त अंग्रेजों ने जो कुटिल कार्र-बाइयों की, उनसे नहीं, बल्कि उनको परास्त करने के लिए जो सत्याग्रही काति-शक्ति उद्दित हुई, उसके कारण हुआ है।

१९३७ से १९४७ तक की घटनाएँ बड़ी महत्व की हैं। ब्रिटिश पालमिट ने १९३५ में हिंदुस्तान में सयुक्त राज्य स्थापन करने का एक कानून बनाया था। उस कानून के अनुसार १९३७ में प्रातीय स्वायत्तता की प्रस्थापना हुई। इसके बाद ठो-ठाई सालों में सयुक्त राज्य-पद्धति की केंद्रीय सरकार बनाने का भी ब्रिटेन का विचार था। १९३५ का सयुक्त राज्य का कानून राष्ट्रीय नेताओं को मजबूर नहीं था। उस कानून को ठुकराकर ब्रिटिश साम्राज्य के पज्जो से पूरी तरह मुक्त होकर, लोकतत्र तथा स्वयन्विरास के तत्त्वों के अनुसार अपना विधान खुट बनाने का कार्य निःशर्क काति के मार्ग से सपन्न करने का काग्रेस ने निश्चय कर लिया था। काग्रेस की इस नीति के पीछे पूरा देश खड़ा होने का सबूत, प्रातीय चुनावों में काग्रेस की जो शानदार जीत हुई, उससे ब्रिटिशों को तथा सारे सासार को

मिल चुका था। प्रातीय चुनावों के बाद भारत के ग्यारह में से आठ प्रातों के शासन की बागडोर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई। पंजाब, बंगाल तथा सिंध ये ही ऐसे तीन प्रात थे, जहाँ कांग्रेस के मन्त्रिमंडल नहीं बन सके, लेकिन कांग्रेस को विश्वास था कि निकट भविष्य में ये तीन प्रात भी उसके प्रतिनिधियों के शासनाधिकार के नीचे आ जायेंगे।

भारत के सभी प्रातों के शासनाधिकार प्राप्त करके पूर्ण स्वाधीनता, स्वयनिर्णय तथा अपना शासन-विधान बनानेवाली परिपद प्राप्त करने के लिए एकाध सत्याग्रही आदोलन के बाद कांग्रेस सफल होगी, ऐसी आशा लोगों के दिलों में जगाने में कांग्रेस के नेता सफल हो गये थे। कांग्रेसी नेताओं की सलाह से देशी रियासतों में भी स्थानीय प्रजापरिषदों के मातहत ऐसे आदोलन शुरू हो गये थे कि जिनसे रियासती प्रजा में भी लोकतंत्र की आशाएँ पनपने लगी थीं। स्वातंत्र्य की इस लगन से तथा निःशब्द प्रतिकार की भावना से कांग्रेस को आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, इसके बारे में दूरदर्शी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को भी निश्चय हो गया था।

स्वातंत्र्य और स्वर्णनिर्णय के लिए अगर भारत में खुला बिद्रोह हुआ तो उसको कुचलने के लिए देशी रियासतें तथा फिरकापरस्त अल्पसंख्यक जमातों की सहायता प्राप्त करने की पूरी कोशिश इंग्लैण्ड के प्रतिगामी राजनेता कर रहे थे। ऐसे आदोलन के दौर में भारत का कुछ हिस्सा साम्राज्य के प्रति वफादार बना रहेगा और उसकी सहायता से ऐसे आदोलन को दबाया जा सकेगा, ऐसा ये राजनेता मानते थे। भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करनेवाली कांग्रेस के हाथ में पूरा हिंदुस्तान न आ जाय, इसलिए अलग-अलग तरीकों को १९३० से ये लोग आजमा रहे थे। देशी रियासते स्वतंत्र राज्य हैं, उनपर वहाँ के नरेशों का पूरा अधिकार है, चाहे तो वे अपनी शर्तों पर भारतीय संघराज्य में शामिल होंगी और अगर ये शर्तें नरेशों को पसद न हों तो वे अपनी रियासतों को स्वतंत्र रख सकेंगे या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने की उन्हें स्वतंत्रता होगी, ऐसे आधासन देकर उनको भड़काने का रवैया १९३० के पहले से प्रतिगामी ब्रिटिश राजनेता अग्नियार कर रहे थे।

इस तरह का फूट का दूसरा एक विचार पाकिस्तान के नाम से भारतीय राजनीति में १६३० से आगे बढ़ रहा था। जिन प्रातों में मुसलमान बहुसंख्यक हों, उनका शाही हुक्मत से हमेशा वफादार बनने की इच्छा रखनेवाला, एक स्वतंत्र राज्य बनाने की बात सोची जा रही थी। हिंदुस्तान एक राष्ट्र न होकर उसमें हिंदु और मुसलमान ऐसे दो राष्ट्र हैं, यह भावना जो कि द्विराष्ट्रवाद के नाम से पहचानी जाती है, कुछ लोगों में जगाने के प्रयास किये जा रहे थे। देशी नरेशों को स्वतंत्र रहने के अधिकार बख्शा-कर और मुसलमाना में पृथक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करके, उनको अपने प्रति वफादार बनाकर, अतिम लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीयता को परास्त करने के खबान ये प्रतिगामी ब्रिटिश राजनेता देखा करते थे। प्रातीय चुनावों को जीतकर आठ प्रातों के शासन-सूत्र जब कांग्रेस ने हथिया लिये तो ब्रिटिश कूटनीतिजों की चालों की रफ्तार तेज होती गई। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अतिम लड़ाई छेड़ने के लिए कांग्रेस के झड़े के नीचे सगठित पुरोगार्मा शक्ति उतारली हो रही थी तो दूसरा तरफ देशी नरेशों के अधिकार और मुसलमानों की पृथक राष्ट्रीयता की भावना की दुहार्ड देकर अपने साम्राज्य की नींव मजबूत बनाने की जी तोड़ कोशिश ये राजनीतिज कर रहे थे।

अब मे १५ अगस्त १६४७ के दिन ब्रिटिशों के पब्लो से पूरा हिंदुस्तान मुक्त हो गया। भारत के सभी प्रातों और देशी रियासतों से अप्रेजो ने अपना शामन उठा लिया, लेकिन विटाई के बक्त अपने हाथों में संचित सत्ता को अप्रेजों ने दो हिस्से में बाँटकर एक हिस्सा कांग्रेस के हवाले कर दिया और दूसरा हिस्सा अपने वफादार दोस्त मुस्लिम लीग को बख्श दिया। अपना शासन यहाँ से उठाते हुए अप्रेजों ने एलान कर दिया कि पबाच तथा बगाल के मुस्लिम-प्रधान हिस्से, सरहट प्रात, सिंध तथा आस म का कुछ हिस्सा मिलाकर पाकिस्तान के नाम से एक स्वतंत्र राज्य बनेगा और वचे हुए हिंदुस्तान में भारत नाम का दूसरा राज्य प्रस्थापित होगा। ये दोनों राज्य संपूर्ण प्रभुत्वसप्त्र होंगे और अपनी इच्छा के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य से सबव रख सकेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार

देशी रियासतें इन दोनों में से किसी एक राज्य में शामिल हो सकेगी। ब्रिटेन का न उनपर कोई अधिकार रहेगा और न ब्रिटेन कोई उत्तरदायित्व ही सम्भालेगा।

इसका अर्थ यह हर्गिज नहीं है कि यहाँ के नरेशों को आजादी बखश-कर और हिंदुस्तान व पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बनाकर अग्रेज खुशी-खुशी यहाँ से विदा होने की बात पहले से सोच रहे थे। वे यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अग्रेज यहाँ से अपना शासन उठा लेंगे तो देश में अनेक छोटे-छोटे राज्य पैदा होंगे, जो हमेशा आपस में लड़ते-भगाड़ते रहेंगे। अगर यह भावना लोगों में जड़े जमा सकी तो अपना शासन और मजबूत बनाता जायगा, ऐसा उनको लगता था। अपने शासन के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने की उनकी यह चाल थी। इन कूटनीतियों को लगता था कि अगर कांग्रेस की पैदा को हुई एकराष्ट्रीयता की भावना में दरारे पैदा करने में सफलता मिल सकी तो यहाँ से अपना शासन उठाने की नौवत ही न आयगा। कम-से-कम भारत को अपने अधीन रखने की अवधि बढ़ाने के लिए इससे एक कारगर बहाना मिल जायगा, ऐसी कल्पना थी जो बहुत समय तक न ठिक सकी।

पहले प्रातीय चुनावों के बाद केवल दस वर्षों में भारत के कोने-कोने से अग्रेजों को अपना शासन हटाना पड़ा। आज यद्यपि देश में भारत और पाकिस्तान के नाम से दो राज्य निर्माण हुए हैं, फिर भी सभी रियासतें किसी-न-किसी राज्य में शामिल हो चुकी हैं और बहुतेरी भारत में शामिल हो गई हैं। पाकिस्तान का पहला मसविदा बनाने-वालों ने सोचा था कि कश्मीर पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा बनेगा। लेकिन फिलहाल वह एक मर्यादा में भारत के साथ जुड़ गया है और पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कोई उम्मीद नहीं है। अपने भविष्य का निर्णय आग्निर में कश्मीर को खुद ही करना है, इस सिद्धान्त को भारत तथा पाकिस्तान ने कबूल किया है। निजाम की रियासत को अग्रेजी साम्राज्य का आखरी सहारा माना जाता था, वह भी आज भारत में शामिल हो चुकी है। देशी रियासतों व फिरकापरस्त जमातों को स्वय-

निर्णय और स्वतंत्र्य के नाम पर खास स्थियते देकर अपने साथ रखने की अग्रेजों की चाल आज बड़े पैमाने पर बेकार सांचित हो चुकी है। जागतिक राजनीति की दृष्टि से भी भारत की आजादी एक महान कातिकारी घटना है। भारत आज सुसार के अन्य अग्रणी राष्ट्रों की बराबरी का स्थान पा चुका है। इस कातिकारी घटना का श्रेय भारतीय कांग्रेस व उसके नेताओं के साथ-ही-साथ पुरोगामी विचार के अग्रेज राजनीतिजों को भी दिया जाना चाहिए।

यह जाहिर है कि पूरे हिन्दुस्तान का एक लोकतत्त्वात्मक राज्य बनाने का मकसद पूरा नहीं हो पाया है। हिन्दुस्तान के हिंदू-मुसलमानों की पिछङ्गी मम्यता, धर्म, राष्ट्र तथा राज्य के बारे में उनके मध्ययुगीन परपरागत विचार, लोकतत्र तथा राष्ट्रीयता से बेमेल आचार-विचार और फिरका-परस्ती आदि दुरुरुखों को परास्त करने में हमारे नेताओं को पूरी सफलता नहीं मिली, यह कबूल करना चाहिए। उन्हें दो मोर्चों पर एक ही साथ लड़ना था। एक तरफ निःशब्द जनता को साथ में लेकर प्रवल अग्रेजी शासन से मुकाबला करना था, तो दूसरी तरफ परपरागत प्रतिगामी विचारों का सामना करना था। ये दोनों शक्तियों एक-दूसरे की सहायता करने-वाली थीं। शासन की बागड़ोर हाथ में लेकर देश में एकता पैदा करना एक तरह से आसान है, लेकिन हाथ से किसी प्रकार की सत्ता न होने पर और शासक जब एकता की भावना को मिटाने की ताक में हर पल तैयार थे तब, अजानी व दरिद्री जनता में एकराष्ट्रीयत्व की भावना जगाकर, जातीयता तथा धर्म-भेद के भाव मिटाकर अपने अधिकारों के खातिर विदेशी सल्तनत से लड़ने के लिए लोगों को तैयार करना बड़ा मुश्किल था। भारतीय नेताओं की दीर्घी तपस्या का फल है कि कम-से-कम हम सब अग्रेजों के पजों से तो छूट सके हैं।

१९३७ में जब प्रातीय स्वायत्ता मिली तब पाकिस्तान का सवाल इतने विकराल रूप में सापने नहीं था। लेकिन उसके बाट दो ही चार सालों में इस कल्पना ने इतना जोर पकड़ा कि आखिर हारकर हमारे नेताओं को अपनी स्वतंत्रता के साथ-ही-साथ पाकिस्तान को भी कबूल

करना पड़ा। इसके कारणों की छानबीन करना लाभदायक होगा। पाकिस्तान की कल्पना पहले-पहल १६३० में लोगों के सामने आई। उस साल डॉ० मुहम्मद इकबाल की सदारत में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा इलाहाबाद में हो रहा था। अपनी तकरीर में, पजाब, सूचा सरहद, सिंध तथा विलोचिस्तान को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बनाने की माँग उन्होंने की। हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम में मुसलमानों का एक राज्य, हिंदी संघ-राज्य से मिलाजुला, बनाने की वह माँग है, ऐसा तब माना गया। आज के पूर्व पाकिस्तान के प्रदेश का इस भाषण में विलकुल ज़िक्र नहीं है। १६३३ में तीसरी गोलमेज-परिषट के अवधार पर केंट्रिज विद्यापीठ के कुछ विद्यार्थियों ने पाकिस्तान की कल्पना लोगों के सामने फिर रखी। पजाब, सरहदी सूचा, कश्मीर, सिंध तथा विलोचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान नाम का स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की कल्पना उसमें था। लेकिन उस वक्त दिमागी ऐयाशी मानकर उसको किसीने च्याढ़ा महस्त्व नहीं दिया। १६३३ के अगस्त में मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधि-मण्डल, पार्लामेंट की ओवाइट सिलेक्ट कमेटी के सामने चयान देने के लिए इंग्लैण्ड गया हुआ था। इस मण्डल को उकसाने के लिए शायद, उसके नेता से पूछा गया। “कुछ प्रातों को मिलाकर पाकिस्तान के नाम से उनका एक स्वतंत्र राज्य बनाने की क्या कोई योजना बनाई गई है?” इसपर लीगा नुमाइन्दों ने कहा: “जहाँ तक हम जानते हैं वह केवल कुछ ही विद्यार्थियों की सूझ है। वह ख्याली पुलाव पकाना है, ऐसा हम मानते हैं।” इससे पता चलता है कि तीन बड़े मुसलमानों के प्रतिनिधि भी उस वक्त पाकिस्तान के बारे में कैसे विचार रखते थे। लेकिन इसके पाँच ही साल बाद देखा गया कि मुस्लिम लीग की सियासत बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान की कल्पना से प्रभावित हो गई। जिन्हासाहब जैसे लोग, जो पहले कांग्रेस के नेता माने जाते थे, पाकिस्तान के नारे छुलन्ट करने लगे।

जातिधर्म-भेदातीत राष्ट्रीय भावना तथा लोकतंत्र—ये दो ध्येय भारतीय जनता के सामने अग्रेजों की सत्तनत यहाँ कायम होने के पहले थे ही नहीं। ये विचार यहाँ की जनता में फैलाने का काम, उन्नीसवीं शताब्दी

के आरम्भ में, राजा राममोहन राय-जैसे धर्म व समाज के सुधारकों ने शुरू किया। अग्रेजी लिखे-पढ़े लोगों में इस आदोलन ने जड़े पकड़ लों और इसीके फलस्वरूप १८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई। इस स्थान में हिंदुस्तान के विभिन्न धर्म तथा जातियों के लोग शामिल हो जायें और आधुनिक राष्ट्रीयता के ध्येय के अनुरूप जाति-धर्म भेदातीत लोकतत्त्वात्मक राजनीति को अपने देश में चलायें, यही कांग्रेस के सत्यापकों का व्येय था। देश में उस वक्त जो उदारमतवादी अग्रेज थे और इने-गिने अग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इस नये आदोलन को बढ़ावा दिया। अग्रेजी पढ़ाई से पहले मुसलमान कुछ हिचकिचाते थे, जिससे अग्रेजी शिक्षा में वे पिछड़ गये और नये विचारों के सपर्क से अच्छूते रह गये। फिर भी धीरे-धीरे शिक्षित मुसलमान कांग्रेस के आदोलन की ओर आकर्षित हो रहे थे और उनकी सख्ता भी बढ़ रही थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन एक मुसलमान नेता न्या० बद्रुद्दीन तयबजी की अध्यक्षता में सप्तम हुआ था। आगे चलकर कांग्रेस आम जनता की सत्या बनने लगी। इसके फलस्वरूप १८९२ में पाल्मिट ने एक कानून बनाकर धारासमाओं में अप्रत्यक्ष चुनावों से कुछ लोक-प्रतिनिधि चुने जाने का प्रबंध किया।

हिंदुस्तान में बहुती राष्ट्रीय भावना तथा लोकतत्त्वात्मक राजनीति अग्रेज-शासकों को बहुत ही अखरती थी। उसको रोकने के लिए सर सव्यट अहमद-जैसे मुसलमान नेताओं को फुसलाना उन्होंने शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आदोलन केवल हिंदुओं का है और अगर वह सफल हुआ तो देश में हिंदुओं का राज होगा और मुसलमानों की तहबीब मटियासेठ हो जायगी, ऐसी ढलीले मुसलमानों के सामने रखी जाने लगी। उनका असर मुसल-मान नेताओं पर होने लगा। डसके थोड़े समय बाद बवई, पूना-जैसे स्थानों में हिंदु-मुसलमानों में ढगे हुए। आगे तो यह एक सिलसिला ही बन गया कि जब कभी देश में अग्रेजों के खिलाफ जोरों का आदोलन फूट निकलता तब फौरन ही ऐसे दगे जगह-जगह छिड़ जाते। १९०५ में जब बग-भग के खिलाफ स्वदेशी तथा बहिकार का आदोलन शुरू हुआ तब बगाल में ऐसी वारदाते हुई। मुसलमानों को राष्ट्रीय आदोलन से अलग करने के

लिए यहाँ के प्रतिगामी अग्रेज अफसर इस तरह की तरकीबें खोज निकालते थे।

लेकिन इतने से मुसलमानों की पृथक् राष्ट्रीयत्व की भावना ठोस न बन सकी। १६०६ में मोर्लै-मिटो सुधारों का एलान किया गया। उसके अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन-अधिकार दिये गये। इससे पृथक् राष्ट्रीयता की भावना को कानून का सहारा मिल गया और वह जोर पकड़ने लगी। १६१६ में लखनऊ में काग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ और पहले महायुद्ध के बाद स्वराज्य के जिन अधिकारों की माग काग्रेस कर रही थी, उनको मुसलमानों की अनुमति भी प्राप्त हुई। ऐसा समझौता कराने में लो० तिलक तथा जिन्ना साहब ये दो काग्रेसी नेता प्रमुख थे। इस समझौते में मुसलमानों का पृथक् निर्वाचन का अधिकार मजूर कर लिया गया। पहले युद्ध के बाद माटेयू-चेम्सफोर्ड सुधारों का एलान किया गया, जिसमें साफ तौर से बताया गया था कि पृथक् निर्वाचन का तत्व एकराष्ट्रीयत्व तथा लोकतन्त्र के विकास में बाधा पहुँचानेवाला है। फिर भी मुस्लिम लीग तथा काग्रेस के समझौते का हवाला देकर उसको नये सुधारों में जोड़ दिया गया, लेकिन समझौते में जिस राजनीतिक सत्ता की मँग दोनों ने मिलकर की थी, उसको मजूर नहीं किया गया। मुसलमानों को दिये गए पृथक् निर्वाचन-अधिकार से होनेवाले परिणामों का अदाजा १६३७ में प्रातीय स्वायत्ता की स्थापना होने तक कोई न लगा सका। पृथक् निर्वाचन का अधिकार अगर मुसलमानों को न दिया जाता तो फिरकापरस्त राजनीति की आग इतनी भभक न रठती।

१६३७ में जिन आठ प्रातों में काग्रेस ने शासनाधिकार हाथ में लिये, उनमें से सात प्रातों के मन्त्रिमंडलों में मुसलमान मंत्री लिये गये थे, लेकिन वे सब काग्रेसी थे। मन्त्रिमंडल के सदस्य सामुदायिक रूप में धारासभा से उत्तरदायी होते हैं, अतः उनकी सफलता की दृष्टि से एकपक्षीय मन्त्रिमंडल सुविधाजनक सांचित होता है। जब धारासभा में किसी भी एक टल को निर्विवाद बहुमत प्राप्त नहीं होता, तभी दो या अधिक टलों को मिलकर मन्त्रिमंडल बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसे सयुक्त मन्त्रिमंडल अपना कारो-

बार एक ही घ्येय से चलाने में सफल नहीं हो पाते। कांग्रेस ने शासन की बागडोर सम्हाली तब उसको बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त था, अतः दूसरे पक्षों से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने ही बल-पर मन्त्रिमंडल बनाये थे। उस बक्त राज्य में गवर्नर तथा उसके मातहत काम करनेवाले अधिकारों कांग्रेस-मन्त्रिमंडलों के कारोबार में रोडे अटकाने की फिक में सदा रहते थे। उससे एक तुरफ मन्त्रिमंडलों को लड़ना था तो दूसरी तरफ केन्द्रीय शासनाधिकार पाने के लिए आटोलन की तैयारी करनी थी। ऐसी अवस्था में, जिन दलों की आनेवाले आटोलनों में साथ देने की संभावन नहीं थी, ऐसे दलों के लोगों को अपने मन्त्रिमण्डलों में लेकर उनकी दलगत राजनीति को अवसर देने के लिए कांग्रेस के कातिकारी नेता कभी तैयार नहीं हो सकते थे। लेकिन अल्पसंख्यक मुसलमान जमात पर वे अन्याय भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मन्त्रिमंडलों में एक-एक मुसलमान मंत्री भी ले लिया गया था। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से ही मुसलमान मंत्री ले लिया जाय, ऐसा मुस्लिम लीग का आग्रह था, जिससे कांग्रेस सहमत न था। मुसलमानों के लिए सुरक्षित बहुसंख्य सीटों पर मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों ने अनेक प्रातों में कठजा कर लिया था, फिर भी उनकी मन्त्रिमंडलों में स्थान न मिला, जिससे लीगी नेता कांग्रेस से चिढ़ गये और उसके खिलाफ बेकुनियाट इलजाम लगाने लगे। कांग्रेस मुसलमानों को व इन्हाम धर्म तथा सस्कृति को दबाकर हिंदु-गच्छ की प्रस्थापना करना चाहती है ऐसा प्रचार उन्होंने शुरू किया। अग्रेन गवर्नर चाहते थे कि मत्ता हृषियाकर जिस कातिकारी आटोलन की कांग्रेस तैयारी करना चाहती है उसमें मुसलमान न मिलें और उस बक्त अग्रेजों का साथ दें। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मंत्रियों को लेकर अपने हाथ कम-जोर बनाती तो वे खुश हो जाते। कांग्रेस का मुस्लिम लीगियों को मंत्रिमंडल में न लेना उनको अखरा तो जरूर, लेकिन वैधानिक दृष्टि से बेचारे लाचार थे, कुछ नहीं कर सकते थे। अल्पसंख्यकों के हितरक्ता की जिम्मेदारी गवर्नरों पर थी और उसके लिए अपने स्वास अधिकारों का वे उपयोग भी कर सकते थे; लेकिन लीगी प्रतिनिधियों को मन्त्रिमण्डल में लेने के लिए

वे कांग्रेस को मजबूर नहीं कर सकते थे ।

मुस्लिम लीगियों को मन्त्रिमंडल में न लेना अल्पसंख्यकों पर जुल्म दाना है, ऐसी बकवास कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेसी मुसलमान मन्त्रिमंडलों में थे ही । कांग्रेसी मन्त्रिमंडलों ने अल्पसंख्यक जमातों पर कोई जुल्म किया होता तो गवर्नर अपने खास अधिकरों का जरूर प्रयोग करते, चुप न बैठे रहते । कांग्रेसी नेताओं ने यह मजबूर किया था कि अल्पसंख्यकों पर किसी तरह का जुल्म होने पर अगर मन्त्रिमंडलों के काम में गवर्नर दखल देगा तो कांग्रेस उसका प्रतिवाद नहीं करेगी । इसलिए जबतक वास्तव में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय न होता तबतक, लीगियों के नारों के बाबजूद भी गवर्नर मन्त्रिमंडलों के काम में दखल नहीं दे सकते थे । कांग्रेस ने धर्मभेदातीत राष्ट्रीय वृत्ति से व लोकतात्मक ढग से शासन-यंत्र चलाया । इसका यह सबूत था कि लीगियों के नारों के बाबजूद हिन्दुस्तान में कहीं भी गवर्नर ने कांग्रेसी मन्त्रिमंडलों के कारोबार में जरा भी दखल न दिया । महायुद्ध शुरू होने पर अपने तत्त्व की रक्षा के लिए जब कांग्रेस के मन्त्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिये, तब मुस्लिम लोग ने मुक्ति-दिन मनाया और कांग्रेस के खिलाफ आदोलन शुरू किया । उस वक्त कांग्रेस ने चुनौती दी कि अगर कांग्रेस के शासन के खिलाफ किसी को शिकायत हो तो ब्रिटिश गवर्नरों को चाहिये कि वे सबूत देकर उसकी ताईद करें । कांग्रेस की इस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया । हिंदू-राज्य की स्थापना करके इस्लामी तहजीब को दबाने की कोशिश करने के जो इलाजम कांग्रेस पर लगाये गये थे वे कभी भी सिद्ध नहीं हुए ।

पृथक् निर्वाचन-अधिकार मुसलमानों को मिल जाने के कारण उनको चुनाव जीतने के लिए अन्य जाति के मतदाताओं के मतों की सहानुभूति की कोई आवश्यकता ही न रही । इससे हिन्दू-मुसलमान आदि भेदों को न माननेवाले राष्ट्रीय मुसलमानों के लिए मुस्लिम निर्वाचन-द्वेष से चुनाव जीतना दुश्वार हो गया । साथ-ही-साथ ब्रिटिश हाकिम और सरकारी वर्ताव हमेशा राष्ट्रीय मुसलमानों के खिलाफ ही रहा । आधुनिक

शिक्षा के संपर्क से मुसलमान अच्छूते रहे और धर्मनिष्ठा तथा राजनीति को एकरूप समझने की मध्ययुगीन प्रवृत्ति उनमें वैसी ही कायम रही। हिंदू समाज में अलग-अलग जमातें होने से उसकी धर्मनिष्ठा गट्टीयता के बिचास में काम देने की क्षमता नहीं रखती थी। साथ-हाँ-साथ हिन्दू राष्ट्रीय नेताओं ने जातिवर्म-भेदातीत आधुनिक राष्ट्रीय वृत्ति अपने समाज में फैलाने की जानवृक्षरूप काफी कोशिशें कीं। वैसी कोशिश मुसलमान नेताओं ने नहीं की। हिन्दू समाज में जिस तरह के सुवार-आदोलन हुए वैसे मुसलमानों में नहीं हुए। मुसलमानों में जागृति लाने का काम आम-तौर पर ऐसे नेताओं ने किया, जो अपने को अल्पसख्यक जमात मानते थे और डरते थे कि हिन्दुओं के ग्रान्तपण से शायद इस्लाम बोहान पहुँचे। कुछ लोग ऐसे थे जो पुरानी मुसलमानी वादशाहत की ढांग हॉकते थे। इसके फलस्वरूप मुसलमानों में वर्मभेदातीत राष्ट्रीय वृत्ति न फैल सकी। पृथक्-निर्वाचन-श्रधिकार मिलने से यह फ़ूट का पौधा दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ने लगा। जिन प्रार्थों में मुसलमान अल्पसख्यक थे वहाँ की धारासभाओं में यद्यपि मुस्लिमों के लिए सुरक्षित करीब सभा जगहों पर लीग के प्रतिनिधि चुन आते थे, फिर भी मुस्लिम लीगिशंड की सख्त्या धारामध्याओं में घमेशा अल्प ही रहा। मिर्फ़ तिंध और सरहट प्रात ये ही ऐसे दो सूखे थे कि जहाँ मुसलमानों की सख्त्या अन्य जमाता से ज्यादा थी और जहाँ की धारामध्याओं में मुसलमान प्रतिनिधि बहुमत में थे। लेकिन सरहट प्रात के चुनावों में काग्रेसी मुसलमान बहुसख्या में चुनाव नीत भक्ति के थे और वहाँ कोग्रेस का मन्त्रिमंडल बन गया था। सिंध प्रात में अल्लावक्त के नेतृत्व में अपने अनुकूल मन्त्रिमंडल बनाने में काग्रेस सफल हो गई थी। पजाव तथा बगाल में हिंदू-मुसलमान प्रतिनिधियों की सख्त्या करीब-करीब समान थी और वहाँ मुसलमान पक्षों के हाथों में सत्ता हीने पर भी मुस्लिम लीग को सत्ता नहीं मिल सकी थी। इस तरह सारे देश के एक प्रात में भी मुस्लिम लीग-मन्त्रिमंडल नहीं बन सका था। पृथक्-निर्वाचन-श्रधिकार और मुसलमानों की पृथक् राष्ट्र-भावना पर ही मुस्लिम लीग का आधार था और ऐसे फिरकापरस्त राजनीतिक टल को लोकतंत्रात्मक तरीकों

से किसी सूवे में अपने दल का मन्त्रिमंडल बनाना असम्भव था ।

प्रातीय स्वायत्तता के आधार पर बने मन्त्रिमंडल कायम होते ही, मुसलमान नेताओं को चाहिये था कि वे अपने फिरकापरस्त दल को तोड़-कर तत्वनिष्ठ राजनैतिक दल को कायम करते । इसके बगैर किसी भी प्रात में अपनी खुद की ताकत पर मन्त्रिमंडल कायम करना उनके लिए असंभव था । लेकिन यह सबक सीखने के बजाय अपनी फिरकापरस्त राजनीति को जारी रखने के लिए अग्रेजों की सहायता से हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बटकर एक टुकड़ा मुसलमानों के लिए अलग में प्राप्त करने का मकसद उन्होंने अपने सामने रखा ।

भारत में हिंदु तथा मुसलमान धर्मों को माननेवालों की तादाद यद्यपि ज्यादा है, फिर भी अल्पधर्मावलबी काफों लोग यहाँ बसे हुए हैं । हिंदुस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहा केवल हिंदुओं या केवल मुसलमानों की बस्ती हो । इसलिए इस देश के दो विभाग किसी भी तरह से क्यों न किये जायें, दोनों विभाग में कमोवेश मात्रा में दोनों धर्म के लोग रहेंगे ही । ऐसी हालत में दोनों राज्यों के सामने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा वह (राज्य) उनको अपना मालूम हो, ऐसी परिस्थिति पैदा करने का सबाल खड़ा होने ही वाला था । इस दृष्टि से देखने पर यह बात साफ हो जाती है कि हिंदु और मुसलमानों के अलग-अलग राष्ट्र मानने से देश की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती थी ।

विवेकानन्दक स्वीकृत की हुई अपनी धर्मभेदातीत राष्ट्रीयता की भावना को आखिर तक कायेस ने प्रज्ञवलित रखा और अग्रेजी प्रभुत्व के स्थान पर भारतीय जनता के प्रभुत्व को स्थापित किया । अपने इस अखिल भारतीय धर्म-भेदातीत सगठन के आधार पर भारत की विधान-परिषद को सफल बनाकर इस दल ने देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की । मुस्लिम लीग से समझौता करने के मोह से कायेस ने अपने को बचाया और भविष्य की हन गौरवशाली घटनाओं को जन्म देने की ज़मता उसने पाली । मुस्लिम लीग के अधिकारी प्रचार से अभिभूत होकर हिंदू-राष्ट्रवाद को स्वीकारे करने के मोह से भी वह अपने को बचा सकी;

क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का श्रलग-श्रलग राष्ट्र माननेवाला सिद्धान्त उसको भूठा लगता था। हिंदू-मुसलमानादि सब धर्मों का एक राष्ट्र स्थापित करने से ही भारत का भविष्य उज्ज्वल होगा और आधुनिक सुभस्कृत राष्ट्र के नाते वह प्रतिष्ठित हो सकेगा, यह निष्ठा आधुनिक भारत के भावी की ढोस नींव है। आज भले ही भारत और पाकिस्तान ये दो राष्ट्र इस देश में बन गये हों, लेकिन अपनी राष्ट्रीयता का यह अधिष्ठान भारत ने कायम रखा है। अपनो धर्मविशिष्ट राष्ट्रीयता को श्राव या कल पाकिस्तान को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आधुनिक नसार में सुसंस्कृत तथा पुरोगामी राष्ट्रों में उसकी गणना नहीं हो सकेगी, न वहाँ का मुसलमान बनता का भला होगा।

हिंदुस्तान में श्रलग-श्रलग धर्मानुयाई व श्रलग श्रलग भाषाभाषी लोग सदियों ने एकमाथ बमे हुए हैं, जिसमें धर्ममेदातीत राजनीति भी पुगने भाल से यहाँ चली आई है। ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसी अनेकानेक भाषाएँ चोलनेवाले तथा विभिन्न धर्म के लोगों का सेकड़ों-हजारों सालों का इतिहास घनघोर लड़ाइयों का इतिहास नहीं है, न श्रलग-श्रलग राजाओं ने एक-दूसरे के खिलाफ जो घड़्यत्र किये, उनका इतिहास है। इतिहास का इस तरह समूचित अर्थ नहीं लेना चाहिए। भटिया से हिंदू-मुसलमान परिवार यहाँ के देहाती में पहुँचियों की तरफ रहे हैं। यहाँ का इतिहास देहाती में फैले देहाती द्वारा-लाखों परिवारों के टैनंटिन आपसी व्यवहारों से बना है। जब हम इस व्यापक दृष्टि ने इतिहास का आकलन करेंगे तब पता चलेगा कि इस प्रचड गढ़ में जो धर्म भावना फैली है, उसको सर्वसंग्राहक तथा सर्वसंहिप्तु प्रेमभावना का रूप मिल चुका है। इस देश में जो सत-महात्मा पैटा हुए, उन सबने धर्म का विविधता में एकत्व देखने का, मदेश अपने चारित्र्य के उज्ज्वल उदाहरण से जनता के हृदय पर अधिकत कर रखा है। यहाँ जो धार्मिक तथा ग्राध्यात्मिक दर्शन-निर्माण हुआ, वह मन तरह के विचार-स्वातंत्र्य को अवकाश देता है। माथ-ही-माथ शुद्ध तत्त्वनिष्ठा से सत्यसंशोधन करने-वालों ने जो भी तत्त्वज्ञान खोज निकाले, उनके हर एक के बारे में सम-

चित आदर रखकर, उसमें जो सत्याश हो, उसको अपनाने का उपदेश वह देता है। जीवन का सत्य किसी एक वैचारिक सिद्धात या सप्रटाय में समाया हुआ नहीं होता, यह वृत्ति यहाँ के निवासियों में दीर्घ-कालीन इतिहास से जड़े जमा चुकी है। यही बजह है कि आधुनिक भारत में जो राष्ट्रीयत्व पैदा हुआ, वह किसी सकुचित धर्माभिमान, भाषाभिमान या इतिहास की कल्पना पर अपना आधार नहीं रखता। विशिष्ट धर्म या विशिष्ट भाषा सबसे श्रेष्ठ और परमेश्वर को अधिक प्रिय है, या उसका स्वीकार किये बगैर मानव अपने जीवन को कभी सफल बना नहीं सकेगा या मुक्त या आत्मिक शाति के लिए किसी विशिष्ट धर्म या भाषा का स्वीकार करना अनिवार्य है, ऐसे सकुचित धर्म-विचारों का विरोध करने-वाले अनेक संत-महात्मा इस देश म हो चुके हैं। उनके हृदय में जो विश्वात्मक प्रेम-भावना का धर्म था, उसीके आधार पर हमारे नेताओं ने आधुनिक भारत का निर्माण किया है।

सहिष्णु तथा सर्वव्यापक मानव-धर्म के या सर्वधर्म सम्भाव के आधार पर राज चाहनेवाले राज्यकर्ता यहाँ हो चुके हैं। अशोक, अकबर और शिवाजी-जैसों की राजनीति भारत की आनेवाली पीढ़ियों के लिए सदा पथप्रदर्शन का काम करेगी। आँरंगजेब-जैसे तगदिल धर्म-निष्ठ की राजनीति को भारत के इतिहास की अनुकरणीय बात नहीं माना जायगा। इतिहास में भली-बुरी बातें भरी रहती हैं, तोकिन उनमें से भली बातें चुनकर उनका अभिमान रखना और बुरी बातों को भूल जाना चाहिए। अपनी स्वतंत्र बुद्धि से अपने कर्तव्य के बारे में निर्णय करके अपनी परिस्थिति के अनुकूल और आनेवाली पीढ़ियों को प्रेरणा देनेवाला इतिहास बनाना, यही इतिहास के अध्ययन का सही उपयोग है। प्रत्येक पीढ़ी को नये इतिहास का निर्णय करना पड़ता है और जीते जमाने के श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्रों में से स्फूर्ति लेनी पड़ती है। जो गलितयों उनसे हुई, उनको यालकर उनके अच्छे कामों का अनुकरण करना होता है। उनके जो ध्येय अधूरे रहे हों और उस वक्त जो ध्येय उनके दृष्टि-पथ में न आये हों, ऐसे ध्येयों को अपनाकर उन्हें साकार करने की बोशिश करनी पड़ती है।

इसी दृष्टि से पुराने इतिहास की घटनाओं में सबक सीखकर आधुनिक भारत के निर्माताओं ने अपनी राष्ट्रीयता का विकास किया है।

कुछ लोग ऐसे हैं, जो एकराष्ट्रीयत्व की दृष्टि रखनेवालों के विचारों से सहमत नहीं हैं। हिंदु व मुसलमान ये दो अलग-अलग राष्ट्र हैं, ऐसा वे मानते हैं। इनमें मेरे कोई एक जवाबक पूरी तरह से हार नहीं जाता तब-तक यह भगड़ा मिटना उनको असम्भव-मा लगता है। उन्हें अगर एक ही देश में रहना है तो एक की प्रभुता को दूसरा या तो स्वयं मान ले या उसके लिए वह मजबूर किया जाय, उसके सिवा इन दो धर्मों के लोग यहाँ एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकेंगे ऐसी द्विराष्ट्रवादियों की दृष्टि है। मेरे दृष्टि से साचते रहने के कारण हिंदु तथा मुसलमान धर्म की ओर समान दृष्टि से देखने का वृत्ति उनकी समझ में नहीं आती।

मुस्लिम लोग ने जब इस भेद-दृष्टि का पक्षा पकड़ा और द्विराष्ट्रवाद को स्वीकार करके काग्रेस की नीति पर टोका करने लगा तब उसको काग्रेस के हर एक कार्यक्रम के पीछे हिंदुओं का वर्चस्व प्रस्थापित करने का हेतु नबर आने लगा। ऐसी ही भेद-दृष्टि से जब हिंदु-राष्ट्रवादी काग्रेस के राजनैतिक, मामाजिक और सास्कृतिक कार्यों की ओर देखते तब काग्रेस के हर एक कार्यक्रम में उन्हें मुसलमानों का पक्षपात दिखाई देता। राजनैतिक सत्ता के बटवारे के लिए द्विराष्ट्रवादियों ने जो झगड़ा उठाया वह धर्म, भाषा, इतिहास, संस्कृति-आठि जीवन के सभी अंगों तक फैल गया। ब्रिटिश शासन को मुस्लिम-राष्ट्रवाद के लिए जितना पक्षपात था उतना हिंदु-राष्ट्रवादियों के लिए नहीं था, जिससे हिंदु-राष्ट्रवाद ज्यादा पनपने नहीं पाया। मुस्लिम-राष्ट्रवाद अजानी मुसलमान जनता में बेरोकटोक फैलता रहा। पूरे देश में अगर एक ही राज्य प्रस्थापित होता है तो उसका विधान कैसा क्यों न बने और प्रातीप्र राज्यों को तथा अल्पसंख्यक मुसलमानों को कितनी ही सहूलियते और भरक्षित अधिकार क्यों न दिये जाय, फिर भी केंद्रीय सरकार का वहुसंख्यक हिंदु समाज के प्रति उत्तरदायी होना अनिवार्य था, और वैमा होना मुसलमानों के लिए हानिकर है, ऐसी भावना उनमें पैदा करना और बढ़ाना आसान था। साथ-ही उस समाज

के धार्मिक और ऐतिहासिक अहंकार को जगाकर बढ़ावा देना और पाकिस्तान की प्रस्थापना के बगैर आराम न करने का जोश उनमें भड़काना कठिन नहीं था। इस भद्रेमूलक वृत्ति को रोकने के प्रयत्न शासकों ने कठापि नहीं किये उलटे उसको प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन ही दिया।

१६३६ के सितंबर मास में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ। लार्ड लिं-लिथगो उस समय वाइसराय का पद सम्हाल रहे थे। उन्होंने किसी भारतीय नेता से या ग्यारह प्रातों में शासनसूत्र सम्हालनेवाले किसी मन्त्रिमण्डल से पूछे बगैर ही एलान कर दिया कि अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तान महायुद्ध में शारीक हो गया है। यह बात हिंदुस्तान के स्वातन्त्र्य तथा स्वयनिर्णय के अधिकारों को क्षति पहुँचानेवाली थी। कांग्रेस ने माँग की कि अंग्रेज अपने युद्ध-उद्देश्य जाहिर कर दें और अगर लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की रक्षा करना ही उनका ध्येय हो तो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को फौरन कबूल कर लें। अगर जग के जारी होने के कारण नया विधान अमल में लाना असंभव मालूम होता हो तो कम-से-कम बैद्र में फौरन भारतीय नेताओं का मन्त्रिमण्डल स्थापित करके उसकी सलाह मानकर यहाँ का कांग्रेस चलाया जाय। लेकिन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ उस समय इन माँगों को कबूल करके हिंदुस्तान को स्वातन्त्र्य और स्वयनिर्णय का हक देने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए आठ प्रातों के शासनसूत्र सम्हालने वाले कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिये। जिस युद्ध के हेतु साफ न हो ऐसे युद्ध में कांग्रेस योग नहीं देरी और जनता को चाहिये कि वह भी योग न दे, ऐसा प्रचार कांग्रेस ने शुरू किया।

कांग्रेस के बल को तोड़ने के लिए मुस्लिम लीग पर अंग्रेज अपना साथ डालने लगे। मुसलमान-समाज की अनुमति के बिना कोई भी विधान हिंदुस्तान में नहीं बनने दिया जायेगा, ऐसा उन्होंने एलान कर दिया और देशी नरेशों को अपने साथ रखने के लिए पुच्छारने की नीति जाहिरा तौर पर अखिलतयार की। इससे मुस्लिम नेताओं को विश्वास हो गया कि अगर हम आपस में मिलकर लीग की तरफ से अंग्रेजों से कोई माँग करेंगे तो वह जरूर मिल जायगी। इसी बजह से पजाब के सर

सिकंदर हयात खाँ, बगाल के फजलुल इक तथा आसाम के मुहम्मद सादुल्ला के नेतृत्व में जो दल शासन की बागडोर सम्हाले थे, मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। १९३० के फरवरी मास में जिन्ना साहब ने खुल्मखुल्ला पाकिस्तान का ध्येय मजूर कर लिया और अगले महीने में करची में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ, उसने भी उसपर मुहर लगा दी। पहले पञ्चाव तथा बंगाल में मुस्लिम लीग पक्ष की कोई हस्ती नहीं थी; लेकिन अब वहाँ के मुसलमान नेता पाकिस्तान के प्रचारक बन गए। फिर भी इन दो प्रातों में हिंदू तथा मुसलमानों की तादाद करीब-करीब बराबर होने के कारण वहाँ की धारासभाओं के सिर पाकिस्तान का ध्येय मढ़ना असम्भव हो गया।

पाकिस्तान में देश के कौन-से हिस्सों का समावेश होगा, उसकी सीमाएँ कैसे तय की जायेंगी, उन सीमाओं के बाहर जो हिंदूस्तान बचेगा, वहाँ कितने मुसलमान रहेंगे और उनका भवितव्य क्या होगा, इसके बारे में साफ-साफ बात करने के लिए मुस्लिम लीग के नेता तैयार नहीं थे। अगर इसके बारे में वे तभी खुलासा करते तो उनको यह कबूल करना पड़ता कि पाकिस्तान में बहुत थोड़ा भूभाग चला जायगा और उसमें जितने मुसलमान बर्सेंगे, करीब उतने ही मुसलमानों को बाकी हिस्से में रहना होगा। मुस्लिम जनता को यह भी मालूम होता कि पूरा पञ्चाव तथा पूरा बगाल पाकिस्तान में हर्गिज शामिल न हो सकेगा। साथ ही पाकिस्तान एक अखड़ मुल्क न बनकर उत्तर पश्चिम कोने में और हजारों मील की दूरी पर पूरब में बैटा रहेगा। अगर इस तरह का एक पूरा चित्र लोगों के सामने रखा जाता और उसके बारे में मुसलमानों की सही राय ली जाती तो मुसलमान जनता और उसके अगुआ इसे बर्तर ढुकरा देते। जिन्ना साहब इस बात को जानते थे और इसीलिए पाकिस्तान का पूर्ण ढॉचा उन्होंने लोगों के सामने कभी नहीं रखा। जून १९४७ में आज के पाकिस्तान की कल्पना को जिन्ना साहब ने मजूर कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही दिन पहले तक वे पूरा पञ्चाव, पूरा बगाल तथा आसाम पाकिस्तान में मिलाने एवं पूर्वी पाकिस्तान को जोड़नेवाले मुल्क की भी माँग

करते थे। देशी नरेशों को स्वातंत्र्य तथा स्वयनिर्णय के जो अधिकार अग्रेजों ने दिये थे, उससे मुसलमान नेताओं को अत तक लग रहा था कि टक्किखण का निजाम-राज्य हमेशा मुसलमानों का राज ही बना रहेगा। इस तरह अगर हिंदुस्तान के तीन विभागों में तीन बड़े इस्लामी राज कायम हो सके और उनमें एकता कायम की जा सकी तो हिंदुस्तान को इस्लामी सभ्यता का एक बड़ा राष्ट्र बनाया जा सकेगा, ऐसे खाब मुसलमान देखा करते थे और पाकिस्तान की हिमायत करने में उन्हें गौरव मालूम होता था। ये सब निरी अवास्तव कल्पनाएँ हैं, इन्हें व्यवहार में उतारना बिलकुल असभव है, ऐसा अंग्रेज चाहते तो अधिकृत रीति से मुसलमानों को बता सकते थे। लेकिन न अग्रेज और न मुस्लिम लोग के नेता ही ऐसा करना चाहते थे। पाकिस्तान की प्रत्यक्ष प्रस्थापना होने तक उसका पूरा ढौँचा मुसलमान जनता या ससार के सामने कभी अधिकृत रूप में न रखा गया। पूरा पूरा स्वरूप मालूम न होने के कारण पाकिस्तान के नारों के बाल में मुसलमान जनता धीरें-धीरे फैसलों गई। १९४० में लार्ड लिनलिथगो ने एलान कर दिया कि जिससे अल्पसंख्यक सहमत न हो और जिसमें देशी नरेशों के साथ अग्रेजों के लिए समझौतों को और उनसे प्राप्त अधिकारों को कबूल न किया गया हो, ऐसे किसी विधान को ब्रिटेन अपनी अनुमति कभी नहीं देगा। १९४५ के प्रारंभ में क्रिस्प साहब स्वातंत्र्य तथा स्वयनिर्णय के तत्त्व हिंदुस्तान में युद्ध के बाद लागू करने का बादा करनेवाली योजना लेकर भारत में आये, तबतक किसीको पता नहीं था कि पाकिस्तान के व्येय को अंग्रेज किस बूते पर और कितनी हद तक मजबूर करेंगे।

१९४० से १९४१ के अत तक युद्ध-विरोधी प्रचार करने के लिए काग्रेस ने व्यक्तिगत सत्यग्रह का आदोलन चलाया, जिसमें सारे भारत से करीब २५ हजार सत्याग्रही जेल में गए। इससे ब्रिटेन के दोस्तों—खास-कर चीन तथा अमरीका को—पता चला कि ब्रिटिश हुक्मरात को युद्ध-काल में सहयोग देने के लिए भारतीय जनता तैयार नहीं है। इधर जर्मनी की तरफ से जापान भी युद्ध में कूद पड़ा और देखते-देखते ब्रह्म देश की

ओर लपका। ऐसे अवसर पर हिंदुस्तान की बाजिब मौगों को पूरा करके जनता से सहयोग प्राप्त कर लेने की सलाह चीन तथा अमरीका ने अग्रेजों को दी। इसी दबाव के कारण अग्रेजों ने किस साहब को भेजा। हिंदुस्तान में स्वातंत्र्य और स्वयनिर्णय के तत्त्व किस दृग से अग्रेज लागू करना चाहते हैं, इसका किस साहब के साथ भेजा योजना में स्पष्टीकरण किया गया था।

इस योजना के अनुसार भारत के हर एक प्रात और रियासत में स्वातंत्र्य और आत्मनिर्णय के तत्त्व लागू करने की चेष्टा की गई थी। इससे हिंदुस्तान में अनेक सयुक्त राज्य स्थापित हो सकते थे। ब्रिटिश साम्राज्य से मिल-जुलकर रहने की आजादी भी प्राप्तों को दी गई थी। स्वयनिर्णय के अधिकार जिस दृग से दिये थे, इससे सभव था कि भारत अनेक टुकड़ों में बैट जाता। रियासतों का प्रजा को नहीं, बल्कि नरेशा को आत्मनिर्णय के हक दिये गये थे। सच कहा जाय तो यह लाकशाही एवं स्वयनिर्णय की बिडबना मात्र थी। ये अधिकार भी युद्ध के स्वतंत्र होने पर मिलनेवाले थे। भविष्य के दस आश्वासन पर भरोसा रखकर भारतीय जनता तथा भारत के सभी पक्ष और देशी नरेश महायुद्ध में अग्रेजों के हाथ बयाने के लिए वाइसगवर्नर के कार्यकारी मडल में शामिल हों, ऐसी आशा रखी गई थी। वाइसराय के कार्यकारी मडल के सदस्य बननेवाले नेताओं को मन्त्रिमंडल के अधिकार और टर्नर डेने के लिए भी ब्रिटिश गजनेता तैयार न थे। काग्रेस की मौग थी कि भविष्य के आज्ञामनों के साथ वाइसगवर्नर के कार्यकारी मडल को मन्त्रिमंडल का टर्नर फोरन दे दिया जाय। इस मौग को कबूल कर लिया होता तो शासनसूच अपने हाथ में लेकर युद्ध का सचालन करने को जिम्मेदारी उठाने को काग्रेस तैयार हो जाती। अगर काग्रेस के हाथों में सचा देने के लिए किसी को उज्ज होता तो चाहे जिसके हाथ में सरकार सचा सौंप देती उसके लिए काग्रेस तैयार थी। उसका बहना इतना ही था कि जो मन्त्रिमंडल बनेगा उसको जनता की प्रतिनिधि-सभा के सामने उत्तरदायी रहना होगा। यह माग मंजूर न हुई, अतः काग्रेस ने इस योजना को

दुकराया । अन्य पक्षों ने भी अपनी-अपनी दलीलें देकर इस योजना को अस्वीकृत किया और क्रिप्स साहब का मिशन असफल रहा ।

क्रिप्स-मिशन से यह साफ हो गया कि पूर्ण स्वातन्त्र्य, स्वयन्त्रिंश्च तथा विधान-परिषद की मर्ग अव्यवहार्य या अवास्तविक न थी और ब्रिटिश सरकार उसको मजूर कर सकती थी । तब अन्य पक्षों ने भी अपनी राजनीति में हन तीनों तत्वों को सम्मिलित किया । ब्रिटेन जब अपना शासन यहाँ से हटायेगा तब यहाँ एक ही राज्य बनाने का उसका आग्रह होगा और देश का विभाजन करनेवाली किसी भी योजना को मजूर नहीं किया जायगा, ऐसा जिनका विश्वास था उनको क्रिप्स साहब के दौत्य से बड़ी ठेस पहुँची, क्योंकि देश के दो ही नहीं, अनेकानेक ढुकड़े करने के बीज इस योजना में छिपे पड़े थे । ब्रिटिश लोग लोकतन्त्र के हाथी हैं अतः उन्होंने स्वयन्त्रिंश्च का तत्त्व स्वीकार किया, लेकिन देशी रियासतों में स्वयन्त्रिंश्च का तत्त्व लागू करते समय यह अधिकार रियासतों की प्रजा को न देकर नरेशों को दिया गया, इससे सबको बड़ा आश्रय हुआ । प्रातों को स्वयन्त्रिंश्च के अधिकार देने का बहाना करके मुसलमानों को खुश करने की उनकी नीति थी, लेकिन कम-से-कम उसमें लोकतन्त्र का आधार मिल सकता था । देशी नरेशों के बारे में उन्होंने जो रुख रखा उसको किसी भी तरह का नैतिक बल मिलना कठिन था । क्रिप्स-मिशन से यह भी साफ हो गया कि युद्धकाल में किसी तरह का परिवर्तन करने के लिए ब्रिटेन तैयार नहीं है । वाइसराय के कार्यकारी मण्डल में सब हिंदी सदस्य रखने के लिए वे तैयार थे, लेकिन भारतीय जनता के प्रति उत्तरदार्ह मन्त्रिमण्डल बनाने की उनकी तैयारी नहीं थी । इसके लिए उनकी दलील यह थी कि उनकी इच्छा के बाबजूद वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम लीग इस बात को मजूर नहीं करती । ब्रिटिश सरकार के रुख को देखकर अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए काग्रेस को भी यह जाहिर करना पड़ा कि यद्यपि हिंदुस्तान को अखंड रखना उसका ध्येय है, फिर भी अगर देश के किसी हिस्से के लोगों ने उसमें न रहने का बहुमत से अधिकृत रूप में फैसला कर लिया तो उनको देश के साथ जुड़े

रहने पर मजबूर नहीं किया जायगा। लेकिन इसका भी कोई असर न हुआ।

किस साहब के साथ की समझौते की बातचीत विफल होते देख काग्रेस ने सड़ाई छेड़ने की धान ली। ८ अगस्त १९४२ के दिन गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण स्वातन्त्र्य की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह-संग्राम करने का प्रस्ताव काग्रेस ने पास किया। उसी रात को सरकार ने म० गांधी प्रभृति काग्रे सनेताओं तथा उनके हजारों अनुयायियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया और आज्ञादी के आदोलन को कुचलने के लिए सब तरह के साधनों से काम लेना शुरू किया। ब्रिटिशों के इस बर्वरतापूर्वी वर्ताव सं सारे देश में आदोलन की प्रचड़ आग भेषक उठी। चारों ओर 'अग्रेजों, सल्तनत छोड़कर चले जाओ' के नारे गूँजने लगे। १९४४ में बीमारी के कारण गांधीजी को रिहा किया गया। तबतक आदोलन किसी-न-किसी रूप में चलता रहा।

गांधीजी ने कुछ तन्दुरस्त होने के बाद स्वातन्त्र्य की गुरुत्वी सुलभाने के लिए ब्रिटेश सरकार तथा मुख्तिम लोग से बातचीत शुरू की। 'सितम्बर' १९४४ में वे जिन्ना साहब से बढ़ाई में मिले। पन्द्रह रोज तक उनमें बातचीत चली। जिन्ना साहब द्विराष्ट्रवाद के उसूल को गांधीजी से कवूल करवाना चाहते थे। पाकिस्तान मनूर। क्यों बगैर बातचीत चलाना जिन्ना साहब ऐकार समझते थे। गांधीजी कहते थे कि इस सिद्धात को कवूल करना असम्भव है। उनका कहना या कि हिंदुस्तान में भले ही दो राज्य बन जायें, लेकिन उनमें से हर एक राज्य में हिंदू तथा मुसलमान दोनों जमातों के लोग रहेंगे और इसीलिए धर्मविशिष्ट राष्ट्रयता का अग्रह रखना गलत है। वे यह भी कहते थे कि हिंदुस्तान में दो राज्य कायम होने पर भी विदेशनीति, प्रतिरक्षा तथा यातायात के बारे में दोनों को संयुक्त नीति अखिलयार करनी होगी और दोनों राज्यों को अपने-अपने अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए उचित प्रबंध करना होगा। जिन्ना साहब कुछ प्रातों को उनके उसी रूप में पाकिस्तान में शामिल

करना चाहते थे, लेकिन गांधीजी का कहना था कि पञ्चाव, बगाल तथा आसाम के सभी हिस्से पाकिस्तान में हर्गिज नहीं जायेंगे। जिन विभागों को अलग करना हो, उनके सब धर्मावलब्धि निवासियों की राय लेना वे जल्दी समझते थे। मगर जिन्हा साहब का कहना था कि एक तो इन प्रातों में मतगणना का कोई कारण ही नहीं है, और अगर मतगणना करनी ही हो तो सिर्फ मुसलमानों की ही राय ली जाय। जिन्हा साहब की ये मार्गें इतनी बेज़ा यीं कि कोई भी उन्हें मजूर नहीं कर सकता था। गांधीजी तथा जिन्हा की भूमिका में इतना अतर रहते हुए किसी प्रकार के समझौते की आशा करना बेकार था। इम बातचीत से इतना फायदा जल्द हुआ कि दोनों को अपने विचार लेखवद्ध करने पड़े और पाकिस्तान की कल्पना की रूपरेखा जिन्हा साहब के मुख से पहले-पहल लोगों को जानने को मिली।

मुस्लिम लीग पञ्चाव, बगाल तथा आसाम प्रात को पूर्ण रूप में पाकिस्तान में शामिल करना चाहती थी, उसकी इस बाहियात माग का इस बातचीत से सबको पता चल गया। आगे चलकर जब यहाँ से अपना शासन हटाने का अग्रेजों ने फैसला किया तब मुस्लिम लीग की इस अयुक्त माग को उन्होंने नामंजूर किया और लीग को अपनी मौंग छोड़नी पड़ी। अतः आधा बगाल, आधा पञ्चाव तथा एक जिले को छोड़ पूरे आसाम को भारत में रखने से उसे सहमत होना पड़ा। लेकिन ये हिस्से चले जाने से पाकिस्तान त्रिलकुल दुबला-पतला बन गया, ऐसा उनको मानना पड़ा और पाकिस्तान के नारों से पागल बने मुसलमानों की ओरें, देरी से क्यों न सही, खुल गईं। पाकिस्तान की कल्पना के जन्म के समय अगर अग्रेज राजनेता सीमाओं की यह नीति जाहिर कर देते तो शायद मुसलमान लोग इस ध्येय को स्वीकार न करते। न पाकिस्तान का जन्म ही हो पाता और न लाखों हिंदू-मुसलमान अपनी घन-दौलत तथा इज्जत-आवरू की लूट अपनी ओरों देखते।

१९४५ में लार्ड वेल बाइसराय नियुक्त हुए। उन्होंने आते ही काग्रेस-कार्यकारिणी के सदस्यों को रिहा कर दिया और काग्रेस तथा लीग के

सहयोग से अस्थाई सरकार बनाने की कोशिश की । अस्थाई सरकार को यद्यपि वाइसराय की कार्यकारिणी का पुराना नाम ही टिया जानेवाला था फिर भी उसकी सलाह को नामजूर करने के लिए बीटो (विशेषाधिकार) का उपयोग न करने का आश्वासन दिया गया था । तात्कालिक योजना के रूप में कांग्रेस ने इस योजना को नामजूर कर दिया । अस्थाई सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के सटस्य समान सख्ती में लिये जानेवाले थे । कांग्रेस देश की सभी जमातों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती था, इसलिए वह हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों के मन्त्रियों को अपनी तरफ से नियुक्त करने का अधिकार चाहती थी । मुस्लिम लीग का दावा था कि वह सब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, अतः कांग्रेस की सूचा में एक भी मुसलमान न हो । जिन्हा माहव के इस सुभाव को दुरुग्रह कहने की हिमत सरकार ने न दिखाई दी । कांग्रेस अपनी सूची में मुसलमान प्रतिनिधि का नाम रखने का अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी । इस रसायनी में बेवल माहव की यह योजना असफल रही ।

इसी समय केन्द्रीय धारासभा के चुनाव १९४६ के पुराने कानून के अनुसार हुए । मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों में से ३० सीटें लागी उम्मीदवारों ने जीती तो वाकी ५७ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कब्जा कर लिया । १९४६ के आरम्भ में प्रातीय धारासभाओं के चुनाव हुए । मरहदी सूखे में मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों में से बहुसख्य सीटें कांग्रेस ने जीती । और प्रातीय में मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ही आम तौर पर चुने गये, लेकिन पबाव में मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आवश्यक बहुमत लीग को न मिला । बगाल तथा सिव में यूरोपीय सटस्यों की मेहरबानी से मुस्लिम लीग अपने मन्त्रिमण्डल बना सकी, वहाँ भी लीगिया को निर्विवाद बहुमत नहीं था ।

चुनावों में जनता के रूख का अदाज लग गया । सिंध, पञ्जाब तथा बगाल को छोड़कर अन्य प्रातीय में कांग्रेस का बहुमत था । तब अग्रेजोंने फिर से समझौते की बात चलाना चाही । १९४६ के मार्च में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल

के तीन सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लार्ड पेथिक लॉरेन्स तथा अलेक्जांडर भारत आये। युद्ध के बाद इंग्लैण्ड में आम चुनाव हुए थे, उनमें चर्चिल साहब के दल की करारी हार हुई और एटली साहब के मलदूर दल को बहुमत प्राप्त हो गया। वहाँ के समाजवादी दल को २/३ सीटें। मलने से अपनी इच्छा के अनुसार भारत की समस्या को सुलझाने की कोशिश करना आसान हो गया। तीनों मंत्रियों ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से ब्रातचीत की और दोनों में मेल कराने की कोशिश की लेकिन जब ऐसा मेल कराना उनको असम्भव लगा तब उन्होंने अपनी ओर से एक योजना दोनों के सामने रखी। इस योजना के मुख्य तीन मार्ग थे। पहले में उन्होंने पाकिस्तान की मौंग को अन्वयहार्य बतलाया और कहा कि भारत का विधान ऐसा होगा कि उसमें भारत के सूबों का एक संघ होगा, जिसमें देशी रियास्तें भी शरीक हो सकेंगी। इस केन्द्रीय संघ के अधिकार में तीन विधय होंगे—फौज और बचाव। विदेशों के साथ सुवंध, रेल-तार-डाक इत्यादि। दूसरे मार्ग में विधान-परिषट की योजना थी। तीसरे में तत्काल बैन्ड य सरकार बनाने की बात थी। विधान-निर्माण के लिए सूबों को तीन विभागों में विभक्त किया गया था। पहले विभाग में मद्रास बवई युक्तप्राप्त, बिहार मध्य-प्राप्त और उड़ीसा का समावेश था। दूसरे में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा-प्राप्त, सिंध तथा बिलोचिस्तान थे तथा तीसरे विभाग में बंगाल और आसाम थे। केन्द्रीय विधान-परिषट में कार्य-ग्राहकों को नियमित करने के बाद तीनों विभागों के सदस्य अलग-अलग बैठकर अपने विभागों में सम्मिलित सूबों के लिए विधान तैयार करनेवाले थे। कुछ अर्से तक कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग इस योजना में सहमत हुईं—सी दिखाई दी; लेकिन इस योजना के अनुसार जो विधान-परिषट बनी। उससे मुस्लिम-लीग ने असहयोग किया।

इसी बीच बेबल साहब ने अस्थाई सरकार के लिए नाम सुझाने को पं० नेहरू तथा निशा साहब से कहा और जताया कि जो नाम एक की ओर से सुझाये जायेंगे उसकी मुखालिफत दूसरा न करे। एक तरह

प्रातीय स्वायत्तता और द्विराष्ट्रवाद

से जिन्हा साहब को यह करारी चोट थी, क्योंकि इसका साफ अर्थ यह था कि कांग्रेस अपनी ओर से हिंदु तथा मुसलमानों में से चाहे जो नाम अपनी तरफ से पेश कर सकती थी और उसका विरोध करने का लोग को अधिकार न था। जिन्हा साहब अपनी बात पर अडे रहे और अस्थाई राष्ट्रीय सरकार में शामिल होना उन्हें नामजूर किया। लेकिन अब शाही दुकूमत का रुख बढ़ाया था। लाड वेवल ने लीग की परवाह न की और ५० नेहरू द्वारा सुझाये नामों को स्वीकृति देकर अस्थाई सरकार की स्थापना की। सरकार के इस रुख से मुस्लिम लीग में कोष और मत्तर के भाव बागे। फिरकापरस्तों को पुचकारने की पद्धति नीति का वाइसराय ने त्याग किया था। अपनी नाराजगी तथा ताकत बनाने के लिए जिस दिन कांग्रेस ने केंद्र में मन्त्रिमण्डल करना शुरू किया। ब्रगाल में लीग का मन्त्रिमण्डल था। उसकी निगरानी में मुसलमान गुरुडे हिंदुओं को कतल करने लगे। चारों ओर होहक्षा मच गया। गांधीजी खुट बगाल में चले गये और वहाँ शारीर स्थापित करने की कोशिश करने लगे। बगाल के दंगे की खर्बें और श्मानों पर पहुँची तो वहाँ भी यह आग भरक उठी। बढ़ले की भावना से लोग पागल-से होते दिखाई देने लगे। ५० नेहरू के नेतृत्व में केंद्र में जो अस्थाई सरकार काम कर रही थी, वह सेना की सहायता से ये दंगे मियाने की बात सोच रही थी, लेकिन मन्त्रिमण्डल के काम में अडगा लगाने के लिए इसी समय अपना आग्रह छोड़कर लीग ने अपनी ओर से मन्त्रिमण्डल के लिए पौंछ नाम दे दिये। सेना वेवल साहब के मातहत थी, जिससे अस्थाई सरकार अपनी इच्छा के अनुसार सेना का उपयोग नहीं कर पाती थी। मुस्लिम लीग द्वारा शामिल हो गये थे। वल्वे का बहुत ही भयकर परिणाम कुछ नरेश भी इस तरह बढ़ाया लेने की प्रवृत्ति स सारा देश द्वेषाभिन्न में जलकर भर्म होगा, ऐसी आशंका लोगों को हो रही थी। इसको टालने के उपयोगी की छानबीन होने लगी। विभाजन को मंजूर करने से पूरी सत्ता हाथ में

आने की सभावना थी और तभी टगे रोके जा सकते थे। जहाँ मुसलमान बहुसंख्या में हों वे हिस्से भले ही अलग हो जायें लेकिन जहाँ उनका बहुमत न हो उन हिस्सों को बचाने की बात सोची गई। विभाजन होने पर भी पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम पाकिस्तान में न चले जायें, इसके लिए सतर्क रहने का फैसला नेताओं ने किया। साथ ही विभाजन से सहमत होने के पहले ब्रिटिश सरकार पूरे देश से अपना शासन उठाने की तिथि बता दे, ऐसी मॉग कांग्रेस ने की।

ब्रिटिश सरकार ने जून १९४२ के पहले देश से अपना शासन उठाने का निर्णय कर दिया। अपने साम्राज्य को समेटने के लिए वेवल के बदले माउंटवेटेन को हिंदुस्तान भेजा गया। देश के विभाजन के साथ अब पंजाब तथा बंगाल के विभाजन पर भी जोर दिया जाने लगा। इसपर जिन्हा साहब ने एक बक्तव्य दिया जिसमें कहा गया था कि किसी भी हालत में मुस्लिम लींग पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को मजूर नहीं करेंगी, क्योंकि सभ्यता की दृष्टि से पंजाब तथा बंगाल को एक ही रखना चाहिए। लेकिन उनको अपना आग्रह छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको यह मॉग विलकुल गैरवाजिव थी और अग्रेज अब उनकी गैरवाजिव मॉगों का पृष्ठपोषण करने के लिए पहले की तरह तैयार न थे।

माउंटवेटेन ने नेताओं को सूचित कर दिया कि देश की हालत को देखते हुए १९४६ तक यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। ऐसा ब्रिटिश सरकार को लगता है और अगस्त १९४७ में ही नेताओं के हवाले शासन करने के लिए ब्रिटिश सकार राजी है। तब ३ जून १९४७ के दिन देश में भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो राज्य प्रस्थापित करना नेताओं ने कबूल कर लिया। आधा पंजाब, आधा बंगाल तथा आसाम को भारत में रखने से मुस्लिम लींग को सहमत होना पड़ा। इसके बाद १५ अगस्त १९४७ के दिन हिंदुस्तान में भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राज्य प्रस्थापित हो गये।

: १२ :

अंतिम स्वातंत्र्य-युद्ध

१६३७ के जुलाई मास में कांग्रेस ने प्रातों में मन्त्रिमण्डल बनाकर वैधमार्गी राजनीति का फिर से आरम्भ किया। १६३५ के सुधारों को ठुकराकर हिंदुस्तान के लिए पूर्ण स्वाधीनता तथा स्वयनिर्णय के अधिकार प्राप्त करने की उनकी प्रतिज्ञा थी। प्रातों में मन्त्रिमण्डल बनाकर भविष्य में होनेवाले आटोलन के लिए तैयार करने का फैसला कांग्रेस ने किया तबसे देशके विविध टलों में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अद्वार भी यह बहस होने लगी थी कि क्या आगे और एकाधा आटोलन करना लाजिमी होगा, और अगर ऐसा आटोलन करना ही पड़े तो उसका स्वरूप क्या होगा। १६२० में लो० तिलक की मृत्यु के बाद गांधीजी कांग्रेस के नेता बने। उस वक्त शातिमय असहयोग का जो आटोलन देश में शुरु हुआ था, वह १६२४ में स्थगित किया गया। तबसे १६३० का स्वातंत्र्य-संग्राम शुरु होने तक कांग्रेस की राजनीति की बागडोर गांधीजी ने स्वराज्य-पन्थ के ५० मोतीलाल नेहरू प्रभुति नेताओं के हवाले कर दी थी। १६३० के आटोलन के समय फिर से उन्होंने नेतृत्व सम्हाला। १६३० का आटोलन, उसके बाद १६३१ में गोलमेज-परिपट के समय कांग्रेस की तरफ से ब्रिटेन से हुई बातचीत और उसके असफल होने पर १६३२-३३ में फिर से छिङ्गा सत्याग्रह, ये सब बातें गांधीजी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में हुई थीं। १६३२ में सत्याग्रह की जो दूसरी मुहिम निकली, वह सामुदायिक रूप में चली और बाट में व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में १६३४ तक ज्यों-त्यों करके चलती रही। उसके बाद गांधीजी ने यह सत्याग्रह भी मुल्तवी रखा और कांग्रेस के सूत्र सरदार पटेल, मौ० आजाट, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, च० राजगोपालाचार्य जैसे पुराने तथा प० जवाहरलाल नेहरू, बाबू सुभाषचन्द्र बोस और जयप्रकाश नारायण-जैसे नये नेताओं के हवाले कर दिये और वे खुद कांग्रेस से अलग हो गये। लेकिन बच आगे स्वाधीनता-संग्राम करने की बारी आपगी तब वह उनके नेतृत्व में किया जाय ऐसी गांधीजी की हितायत थी।

और उसको काग्रेस-नेताओं ने मजबूर कर लिया था। प्रातों में काग्रेस के मन्त्रिमण्डल बनाना जब तथा हुआ उनपर निगरानी रखकर उनमें मेल रखने के लिए एक पार्लमेंटरी बोर्ड नियुक्त किया गया, जिसके सरदार पटेल, चाबू राजेन्द्र प्रसाद तथा मौ० आजाद मदस्य थे। काग्रेस मन्त्रिमण्डलों का कारोबार इन तीनों की निगरानी में तथा गांधीजी की सलाह से जुलाई १९३७ से नवम्बर १९३८ तक चलता रहा। गांधीजी आजादी के लिए किर से लड्डाई छेड़ेंगे या नहीं, अगर छेड़ेंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में काग्रेस के नेताओं में भी काफी मतभेद थे।

१९३८ में चाबू सुभाषचन्द्र बोस काग्रेस के अध्यक्ष बने। उस समय काग्रेस में एक पुराना और एक नया ऐसे दो टल थे। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव तथा अच्युत पटवर्धन-आदि युवक नेता काग्रेस के अतर्गत समाजवादी दल की स्थापना कर चुके थे। प० जवाहरलाल नेहरू तथा चाबू सुभाषचन्द्र बोस दोनों इस दल के सदस्य नहीं थे। उसी समय मानवेन्द्रनाथ राय रिहा हो गये थे और काग्रेस में दाखिल हो गये थे। ये सब नेता नई पीढ़ी के, समाजवादी नीति को माननेवाले तथा क्रातिकारी माने जाते थे। राजेन्द्र प्रसाद, मौ० आजाद, सरदार पटेल तथा राजाजी पुरानी पीढ़ी के नेता माने जाते थे। ये पुराने नेता गांधीजी के नेतृत्व में पूरा भरोसा रखते थे। नई पीढ़ी में से एक जवाहरलाल ही ऐसे थे जो गांधीजी के नेतृत्व में विश्वास बरूर रखते थे। फिर भी उनके विचार गांधीजी के कष्ट अनुर्धायियों को पसंद न थे और पुरानी पीढ़ी के गांधीवादी कहे जानेवाले नेता उनको समाजवादी नेता के तौर पर ही पहचानते थे। समाजवादी पक्ष की नीति उस बक्त रित्थर नहीं हो पाई थी, फिर भी अगर गांधीजी आगे देश में स्वातन्त्र्य के लिए लड्डाई छेड़ दें तो उसमें वे शामिल होना चाहते थे और गांधीजी ऐसी लड्डाई जल्दी ही छेड़ दें इसलिए काग्रेस पर दबाव डालने की उनकी नीति रही। गांधीजी के नेतृत्व से उन्हें कोई विरोध नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि गांधीजी के सहयोग के बिना दूसरा कोई निकट भविष्य में ऐसा आदोलन नहीं छेड़

सकेगा ऐसी सामान्यता उनकी निष्ठा थी। इसलिए गांधीजी के अतिम नेतृत्व के खिलाफ वे नहीं थे, हालांकि उनके विचारों से वे सहमत नहीं थे। अहिंसा का क्रातिकारी स्वरूप उस बक्त उनकी समझ में नहीं आता था। फिर भी उस हालत में कांग्रेस के लिए गांधीजी का नेतृत्व वे बरुरी और उपयुक्त मानते थे। उनका रूख ऐसा होने पर भी कांग्रेस में जो पुराने गांधीवादी नेता थे उनकी नीति के वे खिलाफ थे और उनको आशा नहीं थी कि ये पुराने मांधीवादी नेता स्वातन्त्र्य के लिए कोई लड़ाई छेड़ेंगे। धीरे-धीरे कांग्रेस का राजनीति क्राति-पराण्डमुख होती जा रही है और उसमें सत्तावादी नीति का पवेश होने से वह शुद्ध वैधमार्गी काम करनेवाली एक संस्था बन गई है ऐसा उनका कहना था।

अलग-अलग प्रातों में जो मन्त्रिमंडल थे उनके कारोबार की नुकाचीनी करना और जनता के अनुभव समठिन करना ये समाजवादी नेता वाजिब समझते थे। कांग्रेस के पुराने नेता, नई पीढ़ी के समाजवादी विचारों को तथा प्रातिकारवादी नीति को गलत समझते थे, जिसमें नये पुराने का एक अटर्सनी भगवा इस बक्त कांग्रेस में चल रहा था। दोनों गांधीजी के अतिम नेतृत्व के बारे में एकमत थे और गांधीजी भी दोनों को अपनी राजनीति के लिए उपयुक्त समझते थे। नई पीढ़ी के ट्रिब्यून के कारण अपनी इच्छा के खिलाफ बल्टी में अधिकारों को त्यागकर प्रत्यक्ष प्रतिकार का ग्राहोलन उठाने का उनकी इच्छा नहीं थी। पुराने नेताओं को नई पीढ़ी के नेता अपने मार्ग के रोडे मालूम होते थे, लेकिन गांधीजी को वैसा नहीं लगता था। समाजवादी युवक नेताओं को, अपने उद्देश्यों के प्रचार करने के लिए उन्होंने कभी रोका नहीं। न अनुशासन के नाम पर उन्हें कांग्रेस से अलग करने की प्रतिगामी नीति अखिनयार की। कांग्रेस का कार्य और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए इन नये नेताओं की आवश्यकता है, ऐसा वे हमेशा महसूस करते थे। यही उनकी क्रातिकारी प्रवृत्ति की विशेषता और श्रेष्ठता थी। देश की परिस्थिति को देखकर कभी वे वैधमार्गी नरम वृत्ति को स्वीकार करते तो कभी क्रातिकारी परिस्थिति के पैदा होने पर उग्र क्रातिवादी नीति को स्वीकार करते। दोनों नीतियों

का तथा दोनों पीढ़ी के नेताओं को वे समान रूप से देश के लिए उपयोगी मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि आज प्रातों में शासन-सूत्र सभालेनवाली काग्रेस को कल सपूर्ण स्वाधीनता की सत्याग्रही क्राति के लिए समर्थ बनना पड़ेगा। अपनी इस दूरदर्शी, सावधानी-पूर्ण, लेकिन क्रातिकारी वृत्ति के कारण अपने जीते-जी उन्होंने नई तथा पुरानी दोनों पीढ़ियों के किसी नेता को काग्रेस से अलग होने नहीं दिया और दोनों के सहयोग से स्वातंत्र्य प्राप्त कर लिया।

काग्रेस के अतर्गत अलग से कोई दल सगठित करने के विरुद्ध आरम्भ में भाई मानवेन्द्रनाथ राय के अनुयायी थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनको गांधीजी की नीति में और उनकी अपनी नीति में सैद्धांतिक मतभेद नजर आने लगा। काग्रेस के नेतृत्व को बदलकर गांधोबाटियों के हाथों से वह छीन लेना चाहिए, ऐसा राय साहब के अनुयायी मानते थे। दूसरा महायुद्ध शुरू होने पर उन्होंने देखा कि काग्रेस की नीति से उनकी नीति मेल नहीं खाती और तब काग्रेस से अलग होने का फैसला उन्होंने किया। युद्ध के जमाने में अब्रोजों द्वारा पूरा सहयोग देने के बे पक्षपाती थे।

बाबू सुभाषचन्द्र बोस की नोतिं इससे अलग थी। जब युद्ध छिड़ने की सभावना उन्होंने देखी तब उन्हें लगा कि काग्रेस की तरफ से अब्रोजों से मौंग की जाय किछुः महीने या एक साल में वे भारत को स्वाधीन करें। अगर इस असे के खत्म होने के पहले अब्रोजों ने मौंग पूरी न को तो असहयोग तथा प्रत्यक्ष प्रतिकार का आटोलन काग्रेस छेड़ दे और देश में प्रतिस्पर्धी राज्य-तत्त्व कायम करके हम आजाद बन जायें। इस तरह की-लडाई की, यद्यपि गांधीजी आवश्यकता मानते थे फिर भी उनका ख्याल था कि उसके लिए अनुकूल समय अभी नहीं आया है और अगर बेवक्फ़ आटोलन शुरू हो गया तो उसको शांति से चलाना मुश्किल होगा। काग्रेस के बहुतेरे नेता गांधीजी के नेतृत्व को मानते थे और प्रत्यक्ष प्रतिकार का आटोलन उन्हींके नेतृत्व में चले, ऐसा चाहते थे। सुभाष बाबू की नीति से वे सहमत न थे। अपनी अध्यक्ष-पद की मुद्दत पूरी होने के बाद १९३६ में सुभाष बाबू अन्य नेताओं की सलाह को

दुकराकर फिर से अध्यक्षीय चुनाव के लिए खड़े हो गये। उनके बिलाफ पुराने नेताओं की तरफ से डॉ० पट्टाभी खड़े रहे। डॉ० पट्टाभी की उम्मीदवारी का गांधीजी ने ममर्थन किया और सुभाष चाहू का विरोध। फिर भी सुभाष चाहू ही चुने गये। कांग्रेस में एक तरह की उलझन पैदा हो गई। सुभाष चाहू यथापि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे, फिर भी श्र० भा० कांग्रेस-सामिति में उनका बहुमत नहीं था, जिससे पुराने पक्ष के सहयोग के सिवा वे कारोबार नहीं चला सकते थे। पुराने नेता चाहते थे कि कार्यकारिणी में उनका बहुमत हो तभी वे उसमें शामिल होंगे। सुभाष चाहू को आजादी थी कि वे बिलकुल नई कार्यकारिणी बनाते। लेकिन उनके लिए इस असहयोग के कारण कार्यकारिणी बनाना असमव हुआ और उन्होंने अव्यक्त-पद से इस्तीफा दे दिया। श्र० राजेन्द्र-प्रसाद तब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चाहू ने कांग्रेस के अटर फारवर्ड व्लाक की स्थापना की, लेकिन उस समय समाजवादी दल ने उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। इस तरह कांग्रेस के अटर दो गिरोह कायम हुए। महायुद्ध के बाद थोड़े ही दिनों में सुभाष चाहू देश से बाहर निकल गये और जब जापान ने युद्ध में प्रवेश किया तब पूर्वी एशिया में उन्होंने आजाद हिंद की एक अस्थाई सरकार बनाई। उसके मातृहत लाखों की आजाद हिंद फौज खड़ी की और अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया।

भाई मानवेदनाथ की बिलाशत सहयोग की नीति से या सुभाष चाहू की सशक्त युद्ध-नीति से देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, इसमें जनता तथा राष्ट्रीय नेताओं को शका थी। पहले युद्ध में बिलाशत सहयोग देने पर भी अंग्रेजों से कुछ लाभ नहीं हुआ था जिससे ऐसा सहयोग देना लोगों को पसंद न था। फिर भी अगर ऐसे ऐन मौके पर संपूर्ण स्वाधीनता की शर्त पर कांग्रेस सहयोग देना चाहे तो समव था कि ब्रिटिश सरकार से समझौता हो जाता। कुछ कांग्रेस-नेताओं ने लगता था कि महायुद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश हुक्मत से असहयोग करके आठ प्रातों के शालन-सूत्र छोड़कर जेल का रास्ता पकड़ना एक तरह का साहस ही है और उसकी सफलता के बारे में सत्तावादी गिरोह को बड़ी शका

थी। युद्धकाल में अपने हाथ से सत्ता छोड़कर असहयोग का आनंद-लन उठाने में घोखा जरूर था लेकिन साथ ही अगर उस वक्त काग्रेस अग्रेजों को विलाशर्त सहयोग देती और स्वातंत्र्य का किसी तरह का आश्वासन मिले बगैर उनकी ओर से लड़ने के लिए लोगों को आवाहन करती तो उसमें नाकामयाची होने की संभावना थी। देश के बाहर तथा अद्वारजो क्रातिकारी शक्तियों देश की आबादी के लिए प्रयत्नशील थी, ऐसे मौके का लाभ उठाकर वे जरूर सशस्त्र विद्रोह करतीं। काग्रेस के विलाशर्त सहयोग करने का अर्थ होता अपनी आजादी का टावा छोड़ देना। लेकिन ऐसे सहयोग से क्रातिकारियों को कुचलने में उसको अग्रेजों का हाथ बटाना पड़ता। ऐसी परिस्थिति में काग्रेस के लिए अपनी नीति निश्चित करना बड़ा कठिन था।

२ सितम्बर १९३६ के दिन बगैर किसीसे सलाह-मशविरा किए वाइस-राय ने अपने अस्थियार से, हिंदुस्तान अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया है, ऐसा एलान कर दिया। जनता बड़ी उत्कृष्टा से देख रही थी कि काग्रेस के नेता अब क्या मार्ग-दर्शन करते हैं। काग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर गांधीजी के साथ विचार-विमर्श किया और महायुद्ध तथा स्वातंत्र्य के बारे में अपना रूख एक घोषणापत्र के द्वारा १४ सितम्बर १९३६ के दिन जाहिर कर दिया।

महायुद्ध एक क्रातिकारी घटना थी। उसकी ओर केवल अपने देश के स्वार्थ की दृष्टि से देखना उचित न होता। ब्रिटिशों ने इस युद्ध के बारे में अपने विचार सासार के सामने रखे थे। उनका कहना था कि जर्मनी के खिलाफ वे इसलिए लड़ रहे थे कि लोकशाही जीवित रह सके और सब देश बच जाय। इस काम में संसार के अन्य देशों से वे सहायता भी चाहते थे। उस समय काग्रेस चाहती तो कह सकती थी कि हमें पहले स्वातंत्र्य दे दो तब हम जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे। लेकिन इस तरह अपनी स्वाधीनता का सौदा करना म० गांधी तथा प० जवाहरलाल को उचित नहीं मालूम हुआ। देश की स्वाधीनता का खगाल करके अगर हम किसी भी देश की मदद करने को तैयार होते तो

शायट हमारे राष्ट्र का स्वार्थ सिद्ध हो जाता । लेकिन मानव-संस्कृति की दृष्टि से वह अनुचित होता और हमारी संस्कृति से भी उसका मेल न चैठता । ब्रिटेन या जर्मनी हमें स्वाधीनता देता है, इसलिए उसकी ओर से युद्ध में शामिल होना हमारे देश के लिए शोभा न देता । महायुद्ध में ब्रिटिशों को सहायता देने-न-देने के बारे में फैसला करने के पहले कांग्रेस ने यह उचित माना कि युद्ध में ब्रिटेन किस हेतु भाग ले रहा है यह स्पष्ट कर दिया जाय । इस दृष्टि से घोपणापत्र के आरम्भ में यह मौँग की गई थी कि अंग्रेज अधिकृत और नि-सदिग्ध रूप में अपने युद्ध-हेतु जाहिर कर दें । लोकशाही तथा स्वाधीनता की रक्षा करना ही इस युद्ध का प्रधान हेतु हो तो नात्सीवाट व फैसिज्म इन तत्वों के लिए जितना खतरनाक है उतना ही साम्राज्यवाद भी खतरनाक है और उसको मिटाना भी युद्ध का हेतु बनना चाहिए, क्योंकि आखिर फैसिज्म का जन्म भी साम्राज्यवाद के पेट से ही होता है । अगर साम्राज्यशाही का नाश करना मजबूर न हो तो इसका अर्थ होता है, युद्ध फैसिज्म से लोकतन्त्र या स्वाधीनता की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य की रक्षा के लिए खेला जा रहा है, और ऐसे युद्ध से किसी भी गुलाम देश को बोई वास्ता नहीं हो सकता । इस घोपणापत्र में आगे यह भी चताया गया था कि अगर फैसिज्म और साम्राज्यवाद दोनों का अत करना इस युद्ध का उद्देश्य हो तो ब्रिटेन को चाहिए कि वह हिंदुस्तान का स्वातन्त्र्य तथा स्वयनिर्णय का हक मंजूर कर ले और वैसा एलान कर दे । साथ ही लोकशाही तथा साम्राज्यशाही के बारे में ब्रिटेन अपनी नीति जाहिर कर दे और लोकशाही के तत्व हिंदुस्तान में किस तरह लागू करने का उसका इरादा है साफ बतादे ।

घोपणापत्र में तीसरी बात यह कही गई थी कि भविष्य में लोकशाही की स्थापना तथा साम्राज्यशाही का अत करने की हामी भरने से काम प्रा नहीं होगा । इन तत्वों को असली रूप देने के लिए युद्धकाल में ही यहाँ की हुक्मत में सरकार कौन-से परिवर्तन करनेवाली है वह भी जाहिर करनेकी कांग्रेस की मांग थी । इसका साफ अर्थ यही था कि हिंदुस्तान को स्वाधीन देशों का दर्जा फौरन ही दे दिया जाय । जिस-

से जनता को मालूम होगा कि युद्ध में जो वह सहायता दे रही है दूसरे को नहीं बल्कि अपने देश की सरकार को ही दे रही है।

कांग्रेस का यह घोषणापत्र भारत के नहीं, सारे सशार के इतिहास में एक खास स्थान रखता है। पहले युद्ध के बक्त रूस में जो बाल्शेविक क्राति हुई उससे सशार की राजनीति को एक नई दिशा मिल गई थी, उसी तरह दूसरे महायुद्ध के बक्त कांग्रेस ने इस घोषणापत्र के द्वारा साम्राज्यशाही के विरोध का जो नया रूख जाहिर किया, इससे सशार की राजनीति को फिर से एक नया रूभान मिल गया। यद्यपि इस घोषणापत्र से गांधीजी पूरी तरह सहमत नहीं थे फिर भी उसमें जितनी अहिंसक भूमिका स्वीकृत हुई है, उससे आगे बढ़ने की ताकत देश में नहीं है, ऐसा मानकर गांधीजी ने उससे अपनी सहमति प्रकट की। उनकी निजी भूमिका इससे अधिक ऊचे स्तर की व उनकी अहिंसा-निष्ठा से अधिक मेल खानेवाली थी। गांधीजी मानते थे कि किसी भी युद्ध से सशार का कोई हित नहीं हो सकता। अतः अपने देश की हिफाजत के लिए भी शास्त्र-बल का उपयोग न करके केवल सत्याग्रह के बल पर अपने देश को बचानेवालों का एक सगठन बनाया जाय। वे चाहते थे कि हो सके तो कांग्रेस भी युद्ध-सन्धास की यही नीति अखिलत्यार करे; इस नीति को मानने पर भी संसार में जो दो गिरोह एक-दूसरे से लड़े उनमें से जिस गिरोह की तरफ न्याय हो, उसकी हिमायत में अपना नैतिक बल लागाये।

कांग्रेस के घोषणापत्र की एक भी बात को विटेन ने कबूल नहीं किया। तब कांग्रेस ने आठ प्रातों के अपने मन्त्रिमण्डलों के इस्तीफे पेश कर दिये। आठों प्रातों की धारासभाएँ कांग्रेस के घोषणापत्र से सहमत थीं। जबतक इस घोषणापत्र की बातों को सरकार नहीं मान लेती तबतक शासन चलाने में कांग्रेस सहयोग नहीं देगी ऐसा उसने तय कर लिया, क्योंकि कांग्रेस के घोषणापत्र को न मानने का साफ अर्थ यही था कि युद्ध साम्राज्य की रक्षा के लिए किया जा रहा है न कि लोकशाही की रक्षा के लिए। कांग्रेस के शासनसूत्र छोड़ने के बाद यहाँ के अन्य राजनीतिज्ञ मन्त्री बनने के लिए लालायित थे, लेकिन जनता की हिमायत

न होने के कारण कारोबार चलाना इनके लिए मुश्किल होगा, यह देख-
कर आठों प्रातों का कारोबार गवर्नरों ने खुद सम्हाल लिया। कांग्रेस-
मत्रिमण्डलों के त्यागपत्र से महायुद्ध का असली रूप प्रकट हो गया।
कांग्रेसी नेताओं ने देश को यह सदेश दिया कि अपनी स्वाधीनता के लिए
अनन्त्याचारी मार्ग से भगड़ते रहना गुलाम देशी का पहला कर्तव्य है।
इस कर्तव्य की पूर्ति करने से ही लोकशाही तथा स्वयनिर्णय के तत्त्वों को
पृष्ठपोषण मिल सकेगा और मानव-सम्झौति को परिपुष्ट बनाने का कर्तव्य
भी पूरा हो सकेगा।

इसके बाद कांग्रेस के झड़े के नीचे इकट्ठे होकर स्वातन्त्र्य-सैनिक
अपने नेताओं से पूछने लगे कि सविनय कानूनभग-आटोलन कब शुरू
होगा? गांधीजी ने देश को सथम तथा अनुशासन से बर्ताव करने एवं
जल्दबाजी न करने का आदेश दिया। अपने हाथ की सत्ता छोड़कर
युद्ध में असहयोग करके ब्रिटिश-सत्ता को चुनौती देनेवाली और खुल्लम-
खुल्ला बगावत करनेवाली यह स्थिति अगर जल्दबाजी में अत्याचार का
सहाग लेती या उसे गांधीजी-जैसे जगत्प्रसिद्ध विभूति का नेतृत्व न मिलता
तो अंग्रेजों को उसे कुचलने में देरी न लगती।

हिंट की जनता युद्ध में अंग्रेजों से सहयोग करना नहीं चाहती, यह बात
आठ प्रातों के मत्रिमण्डलों के त्यागपत्र से सारे सासार पर प्रकट हो चुकी
थी। लेकिन कानून-भग का आटोलन शुरू करने के पहले चनात्मक
लोकसेवा के जरिये देश में शांति कायम करने की गांधीजी की इच्छा
थी। वे चाहते थे कि कांग्रेस के सेवक गॉव-गॉव जाकर लोगों को अहिंसक
लड़ाई का तरीका सिखा दें और लड़ाई के छिड़ने के पहले-पहले उसे शांति
से चलाने की ताकत लोगों में पैदा हो और आवश्यक सगठन भी बन
जाय। वे अच्छी तरह से जानते थे कि युद्ध में अंग्रेजों से असहयोग करने
की नीति से आज या कल सत्यग्रह-आटोलन को छेड़ने की नौबत आने
ही चाली है।

उस हालत में बनना की तरफ से होनेवाला सत्यग्रह-संग्राम
गांधीजी द्वारा चलाया जाना इष्ट तथा अपरिहार्य था और जयप्रकाश

प्रभृति नेताओं ने अपने दल को यह बात समझा दी थी । १६४० में गाधीजी के नेतृत्व के बारे में अपना रूख जाहिर करनेवाला एक वयन अपने पक्ष की ओर से उन्होंने प्रकाशित किया था । इसमें वे लिखते हैं—“आज के अपने नेताओं के खिलाफ भगड़ा उठाना गलत ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है । अगर सारे देश में आदोलन करना है तो उसको शुरू करने की क्षमता गाधीजी के अलावा और किसी में नहीं है । ऐसी स्थिति में उनके नेतृत्व का विरोध करने का अर्थ होगा अपने पैदों पर आप कुल्हाड़ी मारना । आदोलन की पूर्व तैयारी में हमें गाधीजी को पूरा सहयोग तो देना ही चाहिए, लेकिन साथ-ही उनमें पूरी निष्ठा रखना भी जरूरी है । अगर गाधीजी आदोलन न छेड़ें तो हम उनसे अलग हटेंगे और हमें अपने में वैमी सामर्थ्य प्रतीत हो तो खुद आदोलन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे ।”

रामगढ़ में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होनेवाला था लेकिन उसके पहले ही युद्ध-विरोधी भाषण करने के अभियोग में जयप्रकाशजी को गिरफ्तार कर लिया गया । अधिवेशन में रखने के लिए उन्होंने जेल से एक प्रस्ताव गाधीजी के पास मेजा । वह प्रस्ताव यद्यपि स्वीकृत नहीं हुआ तो भी गाधीजी ने अपनी टिप्पणी के साथ उसको ‘हरिजन’ में प्रकाशित कर दिया और उसके साथ अपनी सहमति प्रकट कर दी । कांग्रेस के अतर्गत, जो समाजवादी दल काम करता था, उसको तथा उसके उचित कार्यक्रम को इस तरह हमेशा ही गाधीजी का पृष्ठपोषण मिलता था ।

कांग्रेस की ओर से जो स्वातंत्र्य-संग्राम छिड़नेवाला था, उसके लिए समाजवादी दल की शक्ति का गाधीजी पूरा उपयोग करना चाहते थे । आजाद होने पर समाजवाद की प्रस्थापना का सवाल हिंदुस्तान के सामने अपरिहार्य रूप में आनेवाला था । इसके लिए आगे जो आदोलन चलेंगे, वे भी अनत्याचारी रहें, इस कारण दूरदर्शिता से गाधीजी देश के समाजवादी दल की निष्ठा अपनी अहिंसा की तरफ खोंचने की कोशिश

कर रहे थे। लेकिन गांधीजी की यह सूफ़ कि अहिंसा के जरिये समाजबाद की प्रस्थापना हो सकेगी, और हम उसे करके दिखायेंगे, ऐसा विश्वास कांग्रेस में गांधीवादी कहलानेवाले लोगों में नहीं था। रामगढ़-कांग्रेस में स्वातन्त्र्य-संग्राम शुरू करने का जो प्रस्ताव पास हुआ उसके साथ जयप्रकाशनी के प्रस्ताव का मिलान करने से पता चलता है कि कांग्रेस में जो राष्ट्रवादी टल था, उसके और समाजवादी दल के नेताओं के विचारों में क्या और कितना भेद था। राष्ट्रवादी विचार के पुराने नेता स्वाधीनता के बाद समाजबाद की स्थापना को न तो आवश्यक मानते थे न वैसा आश्वासन जनता को देने के लिए तैयार ही थे। इसके विपरीत समाजवादी युवक नेता चाहते थे कि लोगों को यह साफ बता दिया जाय कि कांग्रेस का स्वाधीनता की कल्पना पूँजीवादी लोकतन्त्र की न होकर समाजवादी लोकतन्त्र की है। समाजवादी टल के नेताओं की राय थी कि ऐसे आश्वासन से स्वाधीनता-संग्राम के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। म० गांधी इन दोनों गिरोहों को एकसाथ रखनेवाली कही थी। उनकी राय थी कि पहले राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य का आटोलन सफल हो, फिर उसको समाजवादी लोकशाही में परिवर्तित करने की कोशिश की जाय। रामगढ़-कांग्रेस में जयप्रकाशनी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यद्यपि उन्होंने पुराने नेताओं को दोष नहीं दिया तो भी इस प्रस्ताव से अपनी सहमति जाहिंग करते हुए उन्होंने लिखा: “स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के बाद निकटवर्ती घट्ये के रूप में समाजवादी लोकशाही को ही स्वीकार करना चाहिए। मैं खुद समाजवादी हूँ, लेकिन मेरा समाजबाद मेरी अहिंसा से पैदा हुआ है।”¹ गांधीजी की इस वृत्ति से समाजवादी टल ने भी उचित बोध लेकर स्वातन्त्र्य के आटोलन को वर्ग-विग्रह का रूप न देने का फैसला कर लिया और उनके आश्वासन पर भरोसा रखकर राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के संग्राम में जनता का भरसक पथप्रदर्शन किया।

युद्धकार्य से असहयोग करके कानून-भग के आटोलन की नीति को यद्यपि रामगढ़-कांग्रेस में मंजूर किया गया, फिर भी गांधीजी उतावली से कोई कटम उठाना नहीं चाहते थे। इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस में जो

सत्तावादी तथा वैधमार्गी राजनीति का समर्थक दल था, उसके नेताओं ने फिर से ब्रिटिशों के साथ समझौता करने की कोशिश करना चाही। पूना में अ० भा० वाग्रेस का अधिवेशन हुआ। जिसमें सरकार को बताया गया कि अगर वह स्वातंत्र्य तथा स्वयंनिर्णय के अधिकारों को तत्काल कबूल करते और अस्थाई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दे तो युद्ध-कार्य में काग्रेस सहयोग देगी। इस अधिवेशन में म० गांधी उपस्थित न रहे, क्योंकि इस नीति से वे सहमत नहीं थे। थोड़े-ही दिनों में सरकार ने एलान कर दिय कि वाग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करने में वह असमर्थ है। मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए उसीके साथ सरकार ने जाहिर कर दिया कि वह ऐसा कोई विधान मजूर नहीं करेगी, जिससे अत्यसख्यक असहमत हो। इसके बाद अधिकारवादी नेताओं के सामने दूसरा कोई रास्ता ही न रहा। तब अ० भा० काग्रेस अधिवेशन करके गांधीजी को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया जो नवंबर १९४० में शुरू हुआ।

इस सत्याग्रह-आदोलन का स्वरूप प्रातिनिधिक रखने का गांधीजी का विचार था। अर्थात् आम जनता को सत्याग्रह के लिए प्रवृत्त न करके ऐसे प्रतिनिधिभूत लोकनायकों को ही जनता की तरफ से सत्याग्रह करने की इजाजत दा जाय जो उससे सहमत हो। लोकमत को प्रकट करके उसकी सिद्धि के लिए जो आपदाएँ मेलनी पड़ें, उन्हें मेलने के लिए लोकनेता तैयार हैं, सरकार को तथा जनता को यह बताने की दृष्टि से प्रातिनिधिक सत्याग्रह का रास्ता गांधीजी ने निकाला। वे इस सत्याग्रह के लिए व्यक्ति तथा स्थान स्वयं चुनते थे। उन्होंने जाहिर कर दिया था कि इस आदोलन में वे खुद जेल में नहीं जाना चाहते। पहले दो सत्याग्रहियों के रूप में आचार्य विनोद भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। विनोदजी को इस नाते चुना गया था कि वे गांधीजी की निरपेक्ष अहिंसा को जीवन-निष्ठा के रूप में स्वीकार करते था। जिसको किसी भी हालत में युद्ध करना अमान्य है वे ऐसे सत्याग्रही-वर्ग के प्रतिनिधि थे। प० जवाहरलाल इस तरह के निरपेक्ष अहिंसावादी सत्याग्रही नहीं थे। किसी भी हालत में युद्ध न करने के पक्ष में वह नहीं थे। उनका

कहना इतना ही था कि यह युद्ध साम्राज्यशाही के लिए किया जा रहा है अतः उससे सहयोग नहीं किया जा सकता और देश को चाहिए कि वह ऐसे युद्ध में सहयोग न दे । उनका सत्याग्रह आपने देश की स्वाधीनता और स्वयनिर्णय के अधिकार के लिए था । कांग्रेस में बहुतेरे लोग इसी मत के थे और उनके प्रतिनिधि के रूप में ८० बचाहरलाल को चुना गया था । यह व्यक्तिगत सत्याग्रह-आडोलन करीब एक साल चला । २५ हजार सत्याग्रही जेल में चले गये और उन्होंने सारे सासार पर प्रकट कर दिया कि हिंदुस्तान इस युद्ध में सहयोग नहीं दे रहा है ।

७ दिसंबर १९४७ के दिन जापान ने पर्लहार्बर पर धावा बोल दिया और इंग्लैण्ड और अमरीका के स्लिलाफ युद्ध शोषित करके एशिया में ब्रिटेन, फ्रांस तथा डचों के अधिकृत मुल्कों पर चढ़ाई की । हिन्दूचीन तथा सवाम को जीतकर वह तिंगापुर की तरफ बढ़ा । यह सब देखकर चीन के उस समय के राष्ट्राध्यक्ष च्याग काई जेक को लगा कि हिंदुस्तान का मसला हल करने में बीचबिचाब करना चाहिए । १९४२ की फरवरी में अचानक वे हिंदुस्तान में आये । हिंदुस्तान की स्वाधीनता का प्रश्न अग्रेजों का घरेलू सवाल नहीं, बल्कि अतर्राष्ट्रीय टट्टि से महत्व का और भाकामक राष्ट्रों को परास्त करने के लिए अत्यन्त आवश्यक प्रश्न बन गया था, यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है । चर्चिल साहब कहा कहा करते थे कि हिंदुस्तान हमारी बपौती है और हम अपनी खुशी से चाहे जैसा उसका उपयोग करेंगे । लेकिन च्याग काई जेक के देश में आने से यह बात साफ हो गई कि सासार भारत की स्वाधीनता के सवाल को ब्रिटेन का घरेलू मामला नहीं मानता । तभी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने हिंदुस्तान से समझौता करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स को एक योजना सहित भारत भेजा । क्रिस साहब की असफलता के बाट कांग्रेसी नेताओं के सामने सवाल था कि अब क्या किया जाय ? इस बहु ब्रिटिश-साम्राज्य पर पूरब तथा पश्चिम से हमले होने की समावना थी । ऐसी हालत में बिदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने की ज़मत ब्रिटिश हुकूमत में नहीं दिखाई दे रही थी । चीन की इच्छा थी कि ब्रह्मदेश जीतने पर अगर जापान चीन की तरफ मुड़ जाय

तो भारत उसे रोक दे और इसीलिए न्याग काई शेक ने अग्रेजों को भारत के स्वतंत्र करने की सलाह दी थी । लेकिन क्रिस्ट साहब की असफलता से यह प्रकट हो गया कि हिंदुस्तान की समस्या ठीक ढग से हल करने के लिए इगलैंड तैयार नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि क्रिस्ट साहब के लौटने पर ब्रिटिश हुक्मत ने कांग्रेस के खिलाफ एक प्रचार-आदोलग करने की कोर्शश की । उन्होंने यह कहना शुरू किया कि कांग्रेस देश में अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहती है, अत्यपसख्यकों को सन्तुष्ट करने के लिए राजी नहीं है और इसीसे हिंदुस्तान की समस्या हल नहीं हो पाती ।

ऐसी हालत में गांधीजी ने देश में प्रचड़ सत्याग्रह-आदोलन शुरू करने की बात सोची । कांग्रेस के अन्य नेताओं से सलाह-मशविरा करके १९४२ के जुलाई मास में वर्षा में कांग्रेस-कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें गांधीजी ने सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जो मंजूर हो गया । ८ अगस्त १९४२ के दिन अ० मा० कांग्रेस-महासभिति के बर्वई-अधिवेशन में अग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करने का यह कातिकारी प्रस्ताव रखा गया जो प्रचड़ वहुमत से मंजूर हो गया । इस प्रस्ताव के पास हो जाने पर, ब्रिटिश सरकार आदोलन उठाये बगैर स्वाधीनता की मॉग पूरी करने के लिए राजी है या नहीं, यह आजमाने के लिए गांधीजी खुद वाइस-राय के पास जानेवाले थे । प्रस्ताव में आदोलन शुरू करने के लिए लोगों से नहीं कहा गया था, बल्कि यह अधिकार गांधीजीको दिया गया था । गांधीजी ने साफ कहा था कि अगर आदोलन के बगैर स्वाधीनता की मॉग कबूल करने के लिए ब्रिटेन राजी न हो तो आदोलन के लिए लोगों को आदेश दिया जायगा । पत्रकारों के समक्ष इस आशय का एक वक्तव्य भी उन्होंने दिया था ।

लेकिन प्रस्ताव होते ही उसी रात को सरकार ने म० गांधी तथा अन्य प्रमुख नेता और स्थान-स्थान के करीब २० हजार कांग्रेस-कार्य कर्ता-ओं को एकसाथ गिरफ्तार करके विना मुकद्दमे के जेलों में ठूस दिया । सरकार मानती थी कि इससे जनता उलझन में पड़ जायगी और पथ-

प्रदर्शन के लिए किसीके बाहर न रहने से चार-छ. दिनों में जनता छुव्व होगी और दमनचक्र से आदोलन के दबाव में कामयाबी मिल जायगी । लेकिन यह अदाज गलत निकला । गांधीजी के नेतृत्व में लोगों को अन्याय के प्रतिकार की तालीम मिल चुकी थी । देश के कोने-कोने में कांग्रेस के सगठन का जाल फैला हुआ था । लोगों में यह भावना घर कर गई थी कि स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए सदियों में एकाध बार मिलनेवाला स्वर्ण अवसर आज मिल रहा है । ऐसी अवस्था में सरकार ठीक तरह से न आक सकी कि जनता में कितना झोभ पैदा होगा ।

युद्ध के विरोध में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह-आदोलन छिड़ा था, उसमें केवल चार ही पॉच महीनों में बीस-पच्चीस हजार चुने हुए सत्याग्रहियों को सरकार ने गिरफ्तार कर दिया था । उस समय जनता पूरी तरह शात रही । न तब बलवे हुए न आतक फैला । शायट इसीसे अपनी दमन-शक्ति पर श.सकों को बल्लरत से ज्यादा भरोसा रहा हो, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय गांधीजी के नेतृत्व के कारण शाति रही । तब वे स्वयं बाहर थे, परन्तु अब दमन का पहला हमला ही गांधीजी पर हुआ और कांग्रेस के सब प्रमुख नेता भी धर लिये गए । ऐसी स्थिति में जनता के प्रक्षोभ को दमनचक्र के बल पर रोकने की कल्पना करना शासकों में सत्ता का उन्माद नहीं तो क्या था ? लोगों के सामने आदोलन का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था, न ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया ही गया था । अपने रियाज के अनुसार गांधीजी एक बार वाइसराय से मिलनेवाले थे, किंतु सरकार ने अचानक दमनचक्र चला दिया और लोगों को भड़काया । अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने स्थान-स्थान पर जो शाति से जुलूम निकाले, उनपर लाठी और गोलियाँ चलाई गई । जनता का यह आदोलन करीब तीन साल तक विभिन्न रूपों में चलता रहा । अन्त में, जब कांग्रेस के नेता रिहा किये गये, देश की स्वाधीनता की दृष्टि से जब उनके साथ ब्रिटिश हुक्मत ने बातचीत शुरू की, और नेताओं ने आदोलन स्थगित करने की आज्ञा दी, तब यह आदोलन बन्द हुआ ।

६ अगस्त १९४२ के दिन नेताओं की गिफ्तारी के बाद अ० भा० कांग्रेस के जो सदस्य पकड़े नहीं गये थे उनमें से कुछ सदस्यों ने एक गुप्त बैठक की और शातिमय क्राति का एक कार्यक्रम जनता के सामने रखा और उसे देश में सर्वत्र पहुँचाने का प्रबंध किया। जब यह कार्यक्रम लोगों के पास पहुँचा तब स्थान स्थान पर बड़े-बड़े जुलूस निकले, पुलिस-थानों, कच्चहरियों और सरकारी कोष पर हमले होने लगे। कुछ स्थानों पर सरकारी टफ्टरों में आग लगा टी गई, रेल की पटरियों उखाङ्गी गईं और यातायात के साधनों को नष्ट करने की कोशिशें होने लगीं। २३ अगस्त के 'हारिजन' में श्री किशोरलाल मश्वाला का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें यातायात के साधनों की तोड़फोड़ करना अनत्याचारी क्राति का अग हो सकने की वात थी। इस तरह यह क्राति का आदोलन प्रेरे जोश के साथ सारे देश में बरीब तीन मास तक चलता रहा। इसके बाद वह धीरे-धीरे मट पड़ने लगा। फिर भी पहली छुहमाही में वह काफी तीव्र रहा। किशोरलाल भाई ने आगे चला कर अपना अभिप्राय भ्रमपूर्ण बताया और सरकार को भी वैसे ही सूचित किया।

कांग्रेसी नेताओं को जेल में ढूँसकर सरकार ने उनके खिलाफ सब जगह मिथ्या प्रचार करना आरम्भ कर दिया और उसके बारे में अपनी सफाई देने का मौका भी उन्हें नहीं दिया। इसपर अपना केस ससार के सामने रखने के लिए गांधीजी ने अनशन शुरू किया। गांधीजी की दलील थी कि सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को आदोलन शुरू करने के पहले ही एकाएक गिरफ्तार कर लिया, जिससे पथ-प्रदर्शन करनेवाला कोई बाहर न रहा और जनता छुवध हो उठी। इससे जो-जो दुर्घटनाएँ हुईं, उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर ही आ जाती है। इसपर उन्होंने सरकार से माँग की कि या तो वह इस दलील का जवाब दे या कांग्रेस पर लगाये झूठे इल्जाम बापस ले। उन्होंने यह भी लिख दिया कि अगर सरकार इस बात के लिए तैयार न हो तो अपनी शिकायत भगवान् के सामने रखने के लिए २१ दिन का अनशन करना आवश्यक होगा। १० फरवरी

१९४३ से ३ मार्च १९४३ तक यह अनशन चला। गांधीजी पर लगाये गये कुछ बघन हीले पड़ गये। नजदीक के रिश्तेदारों और मित्रों को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। सारे देश में गांधीजी की रिहाई की माँग की गई। बाइसराय की कार्यकारी-मण्डल के तीन सदस्यों ने अपने पदों से स्थागपत्र दे दिये। तेज चहादुर समू की अव्यक्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधीजी को रिहा करके उनके साथ समाननीय समझौता करने की माँग की गई।

गांधीजी की गिरफ्तारी से उनके अनशन तक की कुछ महीने की अवधि को आदोलन का प्रथम खड़ कहना चाहिए। इसके बाद आदोलन में नये विचार के अलग-अलग प्रवाह प्रवेश करने लगे। अनशन की अवधि में कुछ लोग गांधीजी से मिलकर आये थे। आदोलन के कार्य-क्रम के कुछ हिस्से गांधीजी को पसद नहीं हैं, ऐसा कहकर वे लोग या तो आदोलन से अलग होने लगे या पहले-जैसा सहयोग देना उन्होंने बढ़ किया। कुछ लोगों की यह कोशिश रही कि आदोलन शुद्ध सत्याग्रह के रूप में चलाया जाय। अन्य लोगों का मत या कि पूरा आदोलन एकदम रोक लिया जाय और कॉग्रेस द अगस्त का प्रस्ताव वापस लेले। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोशिश शुरू की। समझौता चाहनेवाले गिरोह के नेता राजाजी तथा भूलाभाई देसाई थे। इसके विपरीत बहुतेरे लोगों की राय थी कि ऐसे समझौते के प्रयत्न देश के लिए खतरनाक सांचित होंगे। जो भी हो, ६ अगस्त को जो क्रांतिकार्य शुरू हो गया है उसे उसी रूप में गांधीजी तथा कॉग्रेस के अन्य नेताओं के छूटने तक जारी रखना चाहिए। लेकिन उभार का पहला टौर खत्म हो गया था और चिद्रोह मद पड़ गया था।

१९४२ के अक्तूबर मास में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गये। १९४३ के आरम्भ में देश की हालत का निरीक्षण करके आदोलन के बारे में उन्होंने एक गुप्त पत्रक प्रसारित किया। आरम्भ में जनता ने जो प्रचंड आदोलन किया, उसके लिए जनता को बधाई देते हुए जयप्रकाश नारायण ने लिखा, “हमारे कुचले हुए और

लबे असें तक दमन सहने वाले इस देश में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी कोई बात देश में होगी, इसकी भी किसी को कल्पना न थी। गाधीजी ने खुले विद्रोह की कल्पना की थी, वह कुछ इसी तरह की थी। इसमें सदेह नहीं कि आज विद्रोह की आग बुझती-सी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये चिनगारियाँ फिर से धधक उठने वाली हैं; आदोलन कुछ थोड़े असें तक ही रुका रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ और मुझे आशा है कि मेरी इस राय से आप सहमत होंगे। अगर पहला ही धावा सफल होता और उसके कारण साम्राज्य-सत्ता मिट जाती तो वह सचमुच एक आश्चर्यजनक बात होती। हमारे दुश्मन ने भी इस बात को कबूल कर लिया है कि इस विद्रोह से उनका शासन करीब-करीब तबाह हो गया था। इससे पता चलेगा कि हमारी राष्ट्रीय क्राति की पहली लहर कितनी कारगर निकली। क्या यह लहर दुश्मनों के दमनचक्र, सेनशक्ति, लूटपाट, सखिया, गु डापन और खूनखराबी से हमेशा के लिए टब गई। नहीं। दुनिया के और देशों की क्रातियों का इतिहास देखिये तो पता चलेगा कि क्राति का एक ही दौर नहीं होता है। वह एक सामाजिक आदोलन होता है और उसे अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जब क्राति आगे बढ़ती है तब उसमें ज्वारभाटा आना स्वाभाविक ही है। हमारी क्राति में अब जो भाटा आया है, वह साम्राज्यशाही आकामकों की बजह से नहीं आया। उसके अन्य कारण हैं: एक यह कि इसके पीछे कोई प्रभावशाली सगठन नहीं था। इस विद्रोह का पहला दौर खत्म होने पर क्या करना है, इसके बारे में कोई कार्यक्रम लोगों के सामने नहीं रखा गया था। अपने-अपने प्रदेश से बिटिश शासन को मिटाकर लोगों ने मान लिया कि काम पूरा हो गया और वे घर जा बैठे। इसमें दोष उनका नहीं, हमारा है। पहले दौर के खत्म होते ही हमें चाहिये था कि हम आगे का कार्यक्रम सामने रख देते। हमने वैसे नहीं किया, जिससे विद्रोह स्थगित-सा हो गया और आदोलन में भाटा आने लगा। पहले दौर के बाद लोगों को क्या कार्य-क्रम देना चाहिये था, इसका जवाब क्राति के स्वरूप से मिल सकता

दै। क्राति केवल ध्वसात्मक कार्य नहीं है वह एक बहुत बड़ी रचनात्मक घटना है। क्रातिकार्य को अगर कायम रहना है तो उसमें जो गज्ययन्त तबाह हो गया उसकी स्थान-पूर्ति करनेवाली दूसरी राज्य-सत्त्वा हमें प्रस्थापित करनी चाहिये थी। प्रचलित राज्य के टूटने पर क्राति के लिए भी अगला कठम उठाने की आवश्यकता तो थी ही। विदेशी सत्ता के मिटने के बाद हमें चाहिये था कि हम अपनी मेना और पुलिस तैयार करते। अगर ऐसा हुआ होता तो क्राति की लपटे और बोग से उछलती और रही-सही साम्राज्य-सत्ता तबाह हो जाती। देशभर में लोगों का प्रभुत्व प्रस्थापित हो जाता। इसमें यह दिखाई देगा कि सगठन की कमी और गढ़ीय क्राति के नये राज्य की प्रस्थापना के कार्यक्रम का अभाव, ये दों कारण आदोलन के मट पढ़ जाने के मूल में हैं।

ममकोते की कोणिश करना क्यों गलत है? इसका भी विवरण उन्होंने दिया था। जो लोग आनेवाले पाच-छु मालों में क्राति उमड़ आना असभव मानते थे, उनको और सुग्रातिव होकर जयप्रकाशजी ने लिखा था : “आज साग समार एक दूसान में फौंस गया है। उसमें जिस कम ने घटनाएँ हो रही हैं, उनको देन्हते हुए क्राति होने की समावना न मानना मुझे सरामर गलत लगता है। लोगों में बड़ा भारी असतोष है, जोभ है और चढ़ावा लेने की वृत्ति है। उसको सगटित करके श्रनुगामन-पूर्ण दुग में क्राति के लिए काम में लाने की ज़रूरत है। परिम्यर्ति भी हमारे लिए श्रनुकूल हो जाने की पूरी समावना है। गांधीजी के अनशन करने की समावना है इसलिए हमें मटा सचेत रहना चाहिए। अपने प्रश्न पर उठे रहना चाहिए। नुमताना नहीं चाहिए, और अपने प्रयत्नों में हमें ढालापन नहीं आने देना चाहिए।”

इसी मिलमिले में अहिंसा के बारे में गांधीजी और कांग्रेस के लूप में जो अतर था उसको स्पष्ट करते हुए जयप्रकाशजी ने लिखा, “गांधीजी तथा अ० भा० कांग्रेस-ममिति और कांग्रेस कार्यसमिति के अहिंसा के बारे में जो विचार हैं, उनमें बहुत अतर है। गांधीजी किसी भी हालत में अहिंसा को छाड़नेवाले नहीं हैं। यह उनकी जीवननिष्ठा का और

सिद्धात का सवाल है। लेकिन काग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है। अगर यहाँ राष्ट्रीय सरकार स्थापित होती तो काग्रेस हथियार उठाकर लड़ने के लिए तैयार थी, वैसा उसने कई मर्त्यों जाहिर किया है। अगर जर्मनी और जापान से मुकाबला करते बहुत हम हथियारों से लड़ सकते हैं तो क्या बचह है कि अग्रेजों से हम वैसे न लड़े? मैं मानता हूँ कि जिसे गांधीजी शूरवीरों की अहिंसा कहते हैं वह बड़े पैमाने पर अमल में लाई जा सकती तो हिंसा की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। लेकिन जहाँ ऐसी अहिंसा न हो वहाँ हिंसा-अहिंसा के बारे में बाल की खाल निकालते हुए अपना डरपोकपन छिपाकर क्राति को रोकने की या असफल बनाने की किसी साजिश में मैं भागी नहीं बनूँगा। हमें क्राति की अन्तिम स्थिति का पूरा चिन्ह अपने सामने रखकर सगठन करना है, अपने लिए सेना जुटानी है, उसको तालीम देकर तैयार करना है। हम गुप्त घड़्यत्र से आतकवाद फैलाना नहीं चाहते, यह पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए। आज जनता का सार्वत्रिक बल्वा हम चाहते हैं। इसलिए सगठन का तात्त्विक काम करते हुए भी हमें देहातों के किसानों में, कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों में, खानों — रेल तथा अन्य स्थानों में काम करने-वाले श्रमिकों में जागृति फैलानी है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी और सेना दोनों में हमें प्रचार करना चाहिए। लोगों की ताकत पर पूरा भरोसा और अपने अफसर पर पूरी निष्ठा रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।”

१९४२ के अन्त में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने पूर्वी एशिया में आजाद हिंद की जो अस्थाई सरकार बनाई, उसकी खबरे हिंदुस्तान के लोगों के पास पहुँचने लगी। इस अस्थाई सरकार की तरफ से वे रेडियो पर से हिंद की जनता को आजादी की लड़ाई के लिए उभारते रहे। जब नेताजी की अस्थाई सरकार और आजाद हिंद सेना की खबरें देश में पहुँचीं तब देश में क्राति के विचार फिर से जोर पकड़ने लगे। उधर नेताजी द्वारा प्रस्थापित आजाद हिंद सरकार देश के बाहर सशस्त्र क्राति के नारों से अक्तूबर १९४३ को गांधीजी की पचहत्तरवर्षी

वर्षी मना रही थी तो इधर देश में भी निःशब्द क्रातिकारी लोगों ने सत्याग्रह के रूप में इस दिन को मनाया। उस समय नेताजी ने गांधीजी के सबै में एक भाषण में कहा : “महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की जो सेवा की है और स्वतंत्रता के आदोलनों में जो महान् कार्य किया है, वह इतना महत्वपूर्ण तथा अतुलनीय है कि उनका नाम हमें राष्ट्रीय इतिहास में सुनहले शब्दों में लिखना होगा। पहले महायुद्ध में हिंद की जनता ने त्याग और बलिदान किये, उसके बदले में हमें रोलट कानून और बलियावाला बाग का कल्पनाग्राम मिला। १९१६ की इन घटनाओं से देशवासी अवाक्से रह गये, उनकी हलचल ही रुक गई, स्वातंत्र्य के लिए की गई सब कोशिशें त्रिटिशों ने अपनी सेना की सहायता से कुचल डालीं। वैष्णवार्णी राजनीति, त्रिटिश वस्तुओं का बहिष्मर, सशब्द क्राति आदि सब तरह के प्रयत्न उम समय बेरार सिद्ध हुए थे आशा की एक भी चिनगारी नजर नहीं आ रही थी। जनता किसी नये तरीके को खोज रही थी। ऐसी हालत में गांधीजी आये और उन्होंने अमर्योग सत्याग्रह या सर्विनय कानूनभग का नया रासना लोगों के सामने रखा, मानो भगवान् ने उन्हें आजादी का नया रास्ता दियाने के लिए भेजा था। देखते-देखते पूरा देश उनके झड़े के नीचे जमा हो गया। हरेक भारतीय के चेहरे पर ग्रात्मविश्वास तथा आशा की झलक टिक्कने लगी। वीस साल या उससे भी अधिक समय तक गांधीजी ने लगातार आजादी के लिए आदोलन चलाया है। अगर सन् १९२० में अपना नया हिंदियार लेकर गांधीजी मैटान में न आते तो शायद आज भी हिंदुस्तान गुमसुम पड़ा हुआ मिलता। हिंदी स्वातंत्र्य के लिए उन्होंने जो काम किया, वह विशेषतापूर्ण और अतुलनीय ही माना जायगा। इससे अधिक काम करना किसी भी एक व्यक्ति के लिए समव नहीं था।

“आजादी के लिए दो अत्यन्त ज़रूरी बातें हिंद की जनता ने गांधीजी से पाई हैं। पहली यह कि जनता में अब स्वार्भिमान तथा आत्मविश्वास की भावना जग गई है और उसके हृदय में क्राति की ज्ञोति प्रज्वलित हो गई है। दूसरी बात यह कि देश के कोने कोने में फैला हुआ राष्ट्रव्यापी सगठन उन्होंने खड़ा किया है। गांधीजी ने हमें आजादी

के सीधे रस्ते पर ला खड़ा किया है। आज उन्हें जेल की सीखचों के अन्दर ठूस दिया गया है। गांधीजी ने जिस काम का सूत्रपात किया, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उन भारतीयों के कधों पर है जो भारत में हैं या बाहर हैं। मैं एक बात की याद दिलाना चाहता हूँ। जब १६२० में नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का कार्यक्रम उन्होंने देश के सामने रखा, तब कहा था : ‘अगर आज हिंदुस्तान के पास लतवार होती तो वह जरूर खींची जाती।’ और आगे चलकर उन्होंने कहा था : ‘आज सशास्त्र क्राति का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज सत्याग्रह या असहयोग ही उसका दूसरा पर्याय हो सकता है।’ लेकिन आज यह हालत बटली है। आज हिंद की जनता के लिए हाथ में तलवार लेना सभव है। हिंदुस्तान की स्वातंत्र्य-सेना आज बन गई है और उसकी तादाद दिन-बन्दिन बढ़ रही है, यह कहते हुए हमें खुशी और श्रमिमान होता है।”

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा प्रस्थापित अस्थाई सरकार और सेना के बारे में हिंदुस्तान के क्रातिकारियों के जो विचार थे, उनको हम, १६४३ के अन्त में श्री जयप्रकाशजी ने हिंटी क्रातिकारियों के नाम जो वयान प्रकाशित किया, उससे जान सकते हैं : “आप जानते ही होंगे कि श्री सुभाषचन्द्र बोस ने शोनान में एक अस्थाई सरकार कायम की है। जापान की सरकार ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने एक राष्ट्रीय सेना भी खड़ी की है और उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हमारी निगाह में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। सुभाष बाबू की सरकार ने भूख से पड़पते लोगों के लिए चावल भेजने की पेशकश की थी, लेकिन उसे नामजूर करके ब्रिटिश हुक्मत हिंटी जनता को भूखी-प्यासी मरने दे रही है। सुभाष बाबू को ‘गद्दार’ कहकर पुकारना आसान है, और यह भी वे लोग कह रहे हैं जो अग्रेजों से मिलकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोग खूब जानते हैं कि सुभाष बाबू एक लगनशील देशभक्त हैं और आजादी की लड़ाई में वे हरदम सबसे आगे रहते आये हैं। वे अपने देश को किसीके हाथ बेचेगे, इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। यह सही है कि उनको धन-माल की सहायता

फासिस्ट देशों की ओर से मिल रही है ; लेकिन उनकी सेना और सरकार के सभी लोग हिंदौ हैं। वे सब ब्रिटिशों की सत्ता से दुश्मनी रखते हैं और अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए ही उनके दिल तड़प रहे हैं। शोनान में प्रस्थापित अस्थाई सरकार और सेना के महत्व को मानते हुए भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी स्वाधीनता हमारी अपनी ताकत पर और साधनों पर ही बड़े अश में निर्भर रहेगी। युद्ध वेग्रास और निष्क्रिय बनकर बाहर से आनेवाली सहायता के भरोसे रहना आत्मघात करने के बराबर है। बाहरी सहायता से हम आजाए नहीं बन सकेंगे। सुभाष चांद्र की सेना कितनी ही बड़ी क्यों न हो, लेकिन हिंदुस्तान में आकर वह हिंदुस्तान में जमा हुई मित्र-राष्ट्रों की सेना को परात्त करेगी, ऐसा मानना चमत्कारा में विश्वास करने के बराबर होगा। मित्र-सेना को जापानी मेना ही शिक्षत दे सकती है। अगर जापान ने इस सेना को हटाया तो सुभाष चांद्र के साथ किये समझौते के बाबजूद भी जापानी चुपचाप हमारे हाथों में सत्ता सौंप देंगे, इसकी समावना मैं नहीं देखता। अगर मित्राष्ट्र और फासिस्ट दुश्मनों के बीच हिंदुस्तान की भूमि पर लड़ाई छिड़ गई तो हमें सत्ता हार्दियाने की कोशिश करनी होगी। अगर इसके लिए हम तैयार हो तो सुभाष चांद्र की सेना हमारी कुछ सहायता जरूर कर सकेगी और हिंदुस्तान को अपने साम्राज्य में मिलाने की दोबा की कोशिशें बेकार बनाने में हमें सफलता मिल सकेगी। सुभाष चांद्र हिंदुस्तान के स्वाधीनता-समाज के इन दृष्टिकोणों को कहाँ तक जानते हैं, पता नहीं। इसीलिए हमें हिंदुस्तान की भूमि में युद्ध छिड़ने पर क्या करना है, इसके बारे में सोच लेना चाहिए। ब्रिटिशों के रूख से हिंदी भनुष्य उनसे इतनी दुश्मनी करता है कि यद्यपि वह जापान का स्वागत नहीं करेगा, फिर भी अंग्रेज-जापान के बीच के युद्ध के बारे में वह उदास रहना चाहता है। यह उदासी नहीं खतरनाक है, उसको मिटाने की कोशिश हमें करनी चाहिए और उसके लिए रचनात्मक आदेशों की नीति अस्थिरार करनी चाहिए। जहाँ युद्ध छिड़ेगा या जहाँ जापानी बज्जा घरेंगे वहाँ का विदेशी नागरिक शासन टूट जायगा। ऐसे स्थानों

में हमें अपनी आज्ञाद सरकार को कायम करना होगा। हिंदी सेना की जो टुकड़ियाँ भाग खड़ी होंगी, उन्हें राष्ट्रीय सरकार के नाम पर उलाहना देना होगा और लोक-सेना संगठित करनी होगी। पहले हमें पूर्वी हिस्सों में ऐसी सरकार बनानी होगी और बाद में वह सारे देश में फैल जायगी।¹³

इस वक्त बगाल में बड़ा भीषण अकाल पड़ा था। बगाल से अन्य प्रांतों में अनाज ले जाया गया था और उनकी कीमतें बेहद बढ़ गई थीं। कलकत्ता और उसके आसपास के प्रदेशों में लोग भूख से तड़पकर मर रहे थे। अनाज की इस तगी की जड़ में सरकारी नीति और व्यापारियों की निरीह नफे-खोरी थी। जैसे-जैसे भूख से मरनेवाला की तादाट बढ़ने लगी वैसे-वैसे देश का वायुमंडल फिर से कार्तिकारक प्रवृत्ति और विचारों से उत्तेजित होने लगा। सरकारी कमीशन के अनुमान से कम-से-कम पद्रह लाख लोग अकाल में काल-कब्लित हुए होंगे। इसी असे में लॉर्ड लिनलिथगो वापस बुलाये गये और उनके स्थान पर लार्ड वेवल की नियुक्ति की गई। उन्होंने सेना की मदद से राहत पहुँचाना शुरू किया, जिससे धीरे-धारे अकाल की भीषणता घट गई।

लॉर्ड वेवल ने ६ मई १९४४ के दिन बीमारी के कारण गाधीजी को रिहा कर दिया। उसके बाद धारे-धारे देश का वायुमंडल शात होता गया और फिर से समझौते की पालिसी ने जोर पकड़ा। १९४५ के मध्य में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रिहा हो गये और वेवल साहब के साथ अस्थाई राष्ट्रीय सरकार और स्वाधीनता के बारे में चातचीत शुरू हो गई। जिसके फलस्वरूप २ सितंबर १९४६ को अस्थाई सरकार कायम हो गई। इसमें जवाहरलाल प्रभृति कांग्रेसी नेता मन्त्रियों की हैसियत से शामिल हो गये। इस तरह अनंग-अलग हालतों से गुजरते हुए ब्रिटिशों से हमारा स्वाधीनता-संग्राम समझौता होकर समाप्त हुआ।

कांग्रेस ने ब्रिटिश हुक्मत से समझौता करने की जो नीति १९४५ से चलाई, वह एक तरह से अटल-सी हो गई थी। १९४२ से १९४३ तक देश की जनता और उसके नेताओं ने तरह-तरह के आदोलन उठाये और ब्रिटिश हुक्मत को खत्म करने की कोशिशें कीं, लेकिन एक भी

प्रथल पूरी तरह सफल न हो पाया। ऐसी हालत में समझौते की नीति को स्वीकार करके राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करने के सिवा और काँड़ दूसरा व्यवहार्य मार्ग उनको नहीं दिखता था। समझौते की राह पकड़ने पर लेन-देन में कुछ कमी-वेशी होना स्वाभाविक था। इसी कारण पार्किस्तान की मौग को कबूल करने की चारी आई। इस तरह अत में अग्रेजों से स्वातन्त्र्य और स्वयनिर्णय के अधिकार प्राप्त करने में गाधजी क नेतृत्व में काग्रेस के नेताओं को सफलता मिली। लोगों ने, मिन्न-मिन्न दिशाओं में, तगड़-तरह के साधनों से भारत की आजादी के लिए कोशी की, काफी लोगों ने इसमें अपनी जान की चाजी लगाई, सब कुछ निछार कर दिया। इन सबकी कोशिशों के फलस्वरूप ही हमें आजादी मिली है।

यों तो किसी एक ही को स्वाधीनता-प्राप्ति का पूरा श्रेय नहीं दिया जा सकता फिर भी प्रत्यक्षतः म० गाधी तथा उनके नेतृत्व में काग्रेस के झड़े के नीचे लड़नेवाले उनके अनुयायी तथा अप्रत्यक्ष रूप से नेताजी सुभाष द्वारा प्रश्नापित आजाद हिंद सरकार की सेनाएँ इसके भागीदार बन मर्ती हैं।

इस क्राति-नार्य में जब भारतीय जनता अग्रेजों के खिलाफ बगावत का झड़ा लेकर घट्ठी हुई, तब, जिन्होंने अपने क्रातिशास्त्र के सच्चे जाता होने का दावा जन्म से ही किया था, वे कम्युनिस्ट, ब्राटश सरकार के युद्धकार्य में रहे न अटकाने का उपदेश देते हुए आराम से बेठे रहे। यह आश-नर्य जनक भले ही मालूम हो; पर यह होकर रहा। दूसरे महायुद्ध के आगम में वाल्गेविक सरकार अपने देश को बचाने के लिए पहले हिटलर से गठबंधन कर बैठी। उस समय हिंटी कम्युनिस्टों ने काग्रेस तथा गांधाजी को क्राति-विरोधी कहकर अपने को सच्चा क्रातिकारक कहा और तत्पाल देश में आटोलन शुरू करने की मौग की। बाट में जब हिटलर ने रूम पर दमला किया और रूम को ब्रिटेन से मिश्रता करनी पड़ी तब ये शाजन्म क्रातिकारी एकाएक ब्रिटेन के मिश्र बन गये। उनके इस वर्ताव में भारतीय जनता को यह साफ मालूम हो गया कि उनकी क्राति-

कारिता वस्तुनिष्ठ या शास्त्रीय न होकर संसार में रूस की बौद्धिक गुलामी फैलानेवाली है।

रूस ने जब अग्रेजों से मित्रता कर ली तभी भारतीय कम्युनिस्टों को यह नई रोशनी मिली। लेकिन 'रायवाटियों' ने युद्ध के आरम्भ में ही एलान कर दिया था कि यह युद्ध साम्राज्यशाही-युद्ध नहीं है। अग्रेजों के युद्ध-प्रयत्नों से सहयोग करने की उनकी आरम्भ से ही नीति रही। इस तरह मार्क्सवाद के आधार पर देश में क्राति करने की इच्छा रखनेवाले ये दो दल क्राति के इस जमाने में जनता से दूर हट गये और स्वातंत्र्य-प्राप्ति के लिए यहाँ की जनता ने जो अतिम संग्राम किया, उससे अलग रहे।

हिंदुस्तान में मार्क्सवाद पर आधारित एक तीसरा ढल काग्रेस-समाजवादियों का था। यह पक्ष म० गांधी तथा काग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और उसकी महत्ता को पहचानकर हिंदुस्तान के नौजवान क्रातिकारियों को राष्ट्रीय आदोलन में खींच लाया। काग्रेस की सच्ची क्रातिकारी शक्ति उसी वक्त से इस ढल में सगठित होने लगी। इस पक्ष के नेताओं की मान्यता थी कि गांधीजी के सत्याग्रही क्रातियंत्र की महत्ता को जानकर ही भारतीय समाजवाद में सुधार करना आवश्यक है। उसी दृष्टि को लेकर आज वह ढल हिंदुस्तान में प्रजातन्त्रीय समाजवाद लाने की कोशिश कर रहा है। मार्क्सवाद के आधार पर भारत में जो तीन ढल पैदा हुए, उनके काम का सचेष मेर यही इतिहास है। हमारी राय में समाजवादी ढल ने जिस भूमिका को स्वीकार किया है, वह हिंदुस्तान में समाजिक-आर्थिक क्राति करने में उपयुक्त सिद्ध होगा।

श्री पोलक, ब्रैह्मफोर्ड तथा लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स ने मिलकर गांधीजी की एक जीवनी लिखी है। गांधीजी की राजनीति तथा भारतीय स्वातंत्र्य के आदोलन मे उनके योग-दान का जिक्र करते हुए लॉर्ड पेथिक लॉरे स ने बड़े मार्कें के विचार प्रकट किये हैं। वे लिखते हैं : “दो महायुद्धों के बाच के काल में हिंद के स्वातंत्र्य-आदोलन का नेतृत्व गांधीजी के हाथ में था। उसकी महत्ता समझने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना

चाहिए। उस समय उनके सामने दो ही नहीं, तीन मार्ग थे (ऐसी हालतों में इमेरा ऐसे तीन मार्ग उपलब्ध हो सकते हैं) । पहला श्री-विट्ठि जी अधिकार दे उनको कृतज्ञता से कवूल करके उनसे स्वराज्य की शिक्षा मिलने के बी भी अवसर मिलेंगे उनका पूरा-पूरा लाभ उठाना । स्वराज्य के लिए आपनी बोधवाला को सिद्ध करने का यह मार्ग था । आम तौर पर अग्रेज वही चाहते थे कि हिंड के लोग इसी रस्ते से चलें । भारत के अनेक लोग भी इस गत्ते को पसट करते थे । गांधीजी ने तीन कारणों से इस रस्ते को दुरुपाय : १. विट्ठिजों के उद्देश्य सचेहोने के बारे में उनके द्वितीय में दिन-न-दिन सदैह बढ़ रहा था । अग्रेज यहाँ से अपना शासन कभी खुट उठायेगे, इसके बारे में उन्हें शक था । २. इस रस्ते पर चलने में जिन तरह का स्वराज्य स्थापित होने की समाचारा थी, वह ठीक नहीं लगता था । इन तदृश मिलनेवाला स्वराज्य परिचयी ढग का रहेगा और उसमें भारतीय बनता के विकास के लिए पूरा अवमर नहीं मिला पायेगा । उसमें नरेण्ठों तथा पूजीपतियों की प्रभुता रहेगी, जो कि यूगेषीय धनिकों के द्वैल बने रहेंगे । ३. गांधीजी अपने देशवासियों के चरित्र को कठर उठाना चाहते थे । विट्ठि लोग उदारता से दान देंगे ऐसा मानकर लाचारी से राह देखते लोग आराम में बैठे रहे, यह अपने देश के लिए शोभा देनेवाली बात नहीं है ।

“इसके विपरीत दूसरा मार्ग आतकवादी क्रृति का था और इस मार्ग से चलनेवाले भी हिन्दुस्तान में थे । तीस फोड़ और सून-खराबी का विकृत रूप इस मार्ग को मिल गया था । गांधीजी ने आरम्भ में ही इस मार्ग को दुरुरा दिया । नैतिक दृष्टि में वह उनको दुरा मालूम होता था । अगर इस रस्ते से देश को सफलता मिली भी तो (यह भी शकासद ही था) सून-खराबी के इस रस्ते पर चलने में समव था कि हिन्दुस्तान दुश्मनों में जारी और विश दृग्ग रहता । इनलिए इस रस्ते को छोड़कर उन्होंने अधिसक आसद्योग का तीसरा ही रस्ता पकड़ लिया । उसका स्वरूप सरकार से आसद्योग करके शासन चलाना असभव बना देना था । यह मार्ग आयसॉन के सिनेफेन टल के मार्ग से या प्रिटेन में मताविकारों

के लिए आदोलन उठानेवाली स्त्रियों के मार्ग से मिलता-जुलता था। फिर भी उससे वह कुछ अंशों में भिज था। नमक-कानून को तोड़ना, सूत्र-कातना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में सत्याग्रह करना, सविनय कानून-भग आदि बातों का इसमें समावेश होता है। भारतीय जनता ने इसके बारे में अपना फैसला कर लिया है। स्वाधीनता दिलानेवाली आद्यशक्ति गांधीजी की नीति ही है। निजी रूप में मैं जनता के इस फैसले से सहमत हूँ। इस रास्ते पर चलने से भारत की आत्मा जागी है। इसीसे हिंदु-स्तान पर अपनी हुक्मत चलाने की हँगलैड को आसक्ति मद पड़ गई है और इसी राह से जाने से रक्तरनित क्राति टल सकी है।¹³

१३ :

सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र

सत्याग्रह एक राष्ट्रीय क्रातिशास्त्र है। उसी तरह वह एक सर्वांगीण क्रातिशास्त्र व समाजसंगठन-शास्त्र अथवा समाज धारणा-शास्त्र भी है। भारतीय स्वकृति का वह एक परिपक्व फल है। हिंदुस्तान आजतक एक राष्ट्रीय काति-कार्य में मग्न था। इस क्राति का तत्कालीन ध्येय राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोकशाही-प्रजातंत्र की स्थापना था। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई गांधीजी के नेतृत्व से पहले ही शुरू हो चुकी थी। गांधीजी के नेतृत्व से पहले हिंद के राष्ट्रीय नेता यह जान गये थे कि हिंदु-स्तान एक गुलाम देश है—और जबतक वह आजाठ नहीं हो जाता तबतक उसके जीवन व संस्कृति का प्रश्न हल नहीं हो सकता, और यह आजाठी उसे प्रगतिकों के कानूनी साधनों से नहीं मिल सकती। उसके लिए क्राति के साधनों का अवलबन करना जरूरी है। १६२० के पहले ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी थी कि जबतक स्वयनिर्णय के सिद्धातनुसार पूर्ण स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जाती तबतक यह भगदा किसी-न-किसी रूप में निरन्तर चलता ही रहेगा। पहले महायुद्ध में हिंदुस्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य को सहयोग दिया। वह सहयोग काग्रेस की तबतक की नीति का ही फल था। उस सहयोग का फल महायुद्ध के बाद पूर्ण स्वराज्य के रूप में हिंदुस्तान को मिलना चाहिए, ऐसी लोकमान्य तिलक प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं की राय

थी। १६१७ में भारत-मन्त्री माटेगू साहब ने हिंदुस्तान को किस्तों में स्वराज्य देने की जो घोषणा की उसके साथ ही कांग्रेस ने अपनी यह मौग पेश की कि भले ही हिंदुस्तान को स्वराज्य किस्तों में मिले, तो किन पार्लामेंट ऐसा एक ही कानून बना दे जिसके द्वारा सेना और अर्थ-सहित सभी सत्ता लोगों के हवाले कर दी जाय और उस कानून के द्वारा एक निश्चित अवधि में हिंदुस्तान को स्वयनिर्णात पूर्ण स्वराज्य मिल जाय। मह युद्ध के बाद जब माटेगू साहब ने इस मौग को ढुकरा दिया तबसे कांग्रेस ने महयोग की नीति छोड़ दी।

इस तरह १६२० में कांग्रेस के इतिहास का सहयोग खड़ समाप्त हुआ और अमन्योग-खड़ का प्रारम्भ हुआ। १६१७ तक उसकी बागडोर प्रागतिक नेताओं के हाथ में थी। तबतक उसकी नीति शुद्ध अथवा विलाशर्त सहयोग की थी। उसी साल उनकी बागडोर लो० तिलक के हाथ में आई। तबसे उसकी नीति प्रतियोगी सहकारिता या सशर्त सहकारिता का हो गई। जब १६२० में यह साचित हो गया कि ब्रिटिश मास्ट्राज्य भारतीय राष्ट्र यता के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है व १६१८ के जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड पर लीपायेती करके 'भूल जाओ और ज्ञामा करो' की मायावा भाषा ब्रिटिश राजनेताओं ने शुरू की तो प्रतियोगी महकारिता की सहज परिणामि असहकारिता में होना लाजिमी हो गई। इसी समय लिलाफत के मामले में ब्रिटिश-राजनीतिजो द्वारा टिये गये घोषे में हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वेईमानी साफ टिक्कने लगा। इस बक्त हिंदु मुसलमानों में क्रातिकारी राष्ट्रीय भावना जाग्रत हुई और हिंदु-मुसलमान मिलकर विदेशी ब्रिटिश साम्राज्यशाही से पूर्ण म्वराज्य की प्राप्ति के लिए सत्याग्रही क्रातिशास्त्र का अवलवन लेसर लड़ने लगे। १६२० से १६२२ तक यही स्थिति रही।

इसके बाद इस क्राति की जो प्रतिक्रिया हुई, उससे हिंदु-मुसलमानों की एकला पिट गई। किं भी कांग्रेस ने सत्याग्रह की जो लडाइयाँ लड़ी उनमें मुमलमान बनता बहुत बड़ी सख्ति में शामिल रही। खासकर उच्चर पर्शिम का मुलेभ्य प्राप्त और उसके खान बधु अततक कांग्रेस के

साथ पूरी लग्न से काम करते रहे ।

हिंदुस्तान में लगभग तीस साल (१९१७ से १९४७) तक के सत्याग्रह-संग्राम के फलस्वरूप एक अभिनव मानव-संस्कृति का उदय हो रहा है । इतना ही नहीं बल्कि उस संस्कृति की प्रगति का एक अभिनव क्रातिशास्त्र भी बन रहा है । आजतक एक खास किस्म की लड़ाई द्वारा इस सत्याग्रही क्रातिशास्त्र की वृद्धि हुई और उसका एक विषेश पहलू ही लोगों के सामने आ सका है । लेकिन उसीको अतिम या स्थाई स्वरूप मानना ठीक न होगा । उसी तरह यह मान लेना भी ठीक न होगा कि उस खास आदोलन में सफल होकर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य तथा लोकतंत्र की स्थापना करने से उसका काम पूरा हो गया । विचारशील मनुष्य तो कहेगा कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वातंत्र्य तथा लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद ही उसके मुख्य कार्य की—अर्थात् मानव-संस्कृति में एक अभिनव क्राति लाकर उसको मगल रूप देने के कार्य की—अब शुरूआत होगी । सत्याग्रह की दोक्षा देने से राष्ट्रीय मानव तथा प्रजातंत्र का जो रूप बनेगा वह वर्तमान यूरोप से बिलकुल भिन्न होगा । इसीसे हमारे लिए सासार के इतिहास में खास स्थान है और विश्वास है कि हमारे इतिहास से सासार कुछ पाठ जरूर पढ़ सकेगा । भारतीय स्वातंत्र्य का सत्याग्रह-संग्राम आधुनिक भारत के गत सौ वर्षों के इतिहास का एक परिपक्व फल है या इस अर्से में भारतीय संस्कृति का जो तत्त्वमंथन हुआ उससे प्राप्त अमृत है । इस अमृत तत्त्व-ज्ञान का प्राशन करने से मानव-संस्कृति सच्च-मुच अमर बनेगी और इस अमर भूमि का नाम सार्थक होगा । इतना जरूर है कि इस तत्त्वज्ञान को स्वीकार करने का अधिकार अपने आचरण से सिद्ध करके दिखाने की जिम्मेदारी आज के तरण भारत पर है । राष्ट्रीय क्रातिकार्य सफल हो जाने से अब भरतखण्ड को इस आधार पर एक सर्वांगीण क्राति करना लाजिमी हो गया है । इससे मानव-संस्कृति का एक नया आदर्श सासार के सामने आने लगेगा ।

सत्याग्रह-दर्शन को स्वीकार करने से पहले हिंदुस्तान में दो प्रमुख राष्ट्र-निर्माणकारी सप्रदाय मौजूद थे । उनको प्रागतिक और राष्ट्रीय ये

नाम मिल गये थे। इनके अलवा एक सशस्त्र क्रातिकारक सप्रदाय भी था। यद्यपि म० गाधी का सत्याग्रही सम्प्रदाय इन तीनों सप्रदायों से सैद्धांतिक दृष्टि से भिन्न था, किर भी इनके शेष तत्व उसमें आ गये हैं। हमारी रथ में लो० तिलक प्रभुति राष्ट्रीय नेताओं के बहिष्कार-योग का अर्थवा निःशस्त्र क्राति का वह वैज्ञानिक और परिणत स्वरूप है। गाधीजी के पूर्व राष्ट्रीय नेता सशस्त्र क्राति को समय के अनुकूल न पाकर निःशस्त्र क्राति का उपदेश देते थे; लेकिन गाधीजी कहते थे कि भले ही वह मार्ग हमारे लिए सभव हो जाय लेकिन अभीष्ट फल मिलने की दृष्टि से वह मार्ग ठीक नहीं है। इसी तरह पहले के बहिष्कार योग का असहयोग में रूपान्तर करते हुए उन्होंने उसे अहिंसा-तत्व का आध्यात्मिक अधिष्ठान देकर एक अभिनव क्रातिशास्त्र का परिणामकारी रूप दे दिया है।

प्रागतिक सप्रदाय का उद्गम बगाल में राजा राममोहन राय के सर्वांगीण सुधारवाद से हुआ है। वे खुज्जमखुज्जा मानते थे कि भारतीय सस्कृति आधुनिक ब्रिटिश सस्कृति के लिहाज से बहुत ही पिछड़ी हुई है और नवतक वह आधुनिक यूरोपीय सस्कृति के बराबर प्रगति नहीं कर लेगी तबतक हमारा राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की वरावरी में आजादी भोगने के लायक नहीं बन सकेगा। इसी हेतु ब्रिटिश राज की छत्रच्छाया में अपनी सस्कृति के विकास का काम उन्होंने शुरू किया। वे सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर ज्यादा जोर देते थे, राजनैतिक और औद्योगिक उन्नति पर कम। वे मानते थे कि अंग्रेजों की हक्कमत कायम होने के बाद हमारी सस्कृति का आधुनिक युग शुरू हुआ है। उन्होंने आधुनिक यूरोप के व्यक्ति-वादी धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक तत्त्वों का समर्थन करके भारतीय सम्झूलि को पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू की। उन्हें महसूस होने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारी औद्योगिक उन्नति में बाधक हो रहा है। इतना ही नहीं ब्रिटिश हमारे राष्ट्र के आर्थिक शोषण के लिए ही उसका निर्माण हुआ है, जिससे उमकी छत्रच्छाया में अपनी सस्कृति का विकास करना असभव है। यद्यपि हमारी सस्कृति आज के जमाने में अन्य देशों की सस्कृति से पिछड़ी हुई है फिर भी जबतक हम अपने देश के शासन की

चागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे तबतक उसका विकास तो दूर रहा, उसकी रक्षा भी नहीं की जा सकेगी। जब इस सत्य का ज्ञान आधुनिक भारत को हुआ तब सर्वागीण सुधार के तत्वज्ञान में से ही प्रागतिक राजनीति का जन्म लगभग १८७५ में दादामाई नौरोजी तथा जस्टिस रानडे-जैसे नेताओं के प्रयत्नों से हुआ। न्याय० रानडे का मत था कि भारतीय अर्थशास्त्र के लिए अंग्रेजों के व्यक्तिवादी अर्थशास्त्र का आधार नहीं बल्कि जर्मन तथा अमरीका-जैसे औद्योगिक प्रगति में पिछुडे देशों के अर्थशास्त्र का आधार लाभदायक होगा। इस तरह आधुनिक भारत के नेताओं की दृष्टि व्यक्तिवाद से हटकर राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगी।

न्या० रानडे ने यद्यपि राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र का पृष्ठपोषण किया, फिर भी राजनैतिक दृष्टि से वे इंग्लैड के व्यक्तिवादी, नरम. प्रागतिक विचारधारा के ही अनुयायी थे। ब्रिटिश शासन में बढ़ती हुई बेकारी तथा दरिद्रता का भीषण स्वरूप जैसे-जैसे लोगों को अधिकाधिक दिलने लगा वैसे-वैसे न्या० रानडे के नरम प्रागतिक राजनैतिक विचार लोगों को अपर्याप्त और असमाधानकारक मालूम होने लगे। साथ ही उन्हें लगा कि जर्मनी, अमरीका या जापान-जैसे औद्योगिक प्रगति में पिछुडे हुए परन्तु राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं उनकी राजनीति हमारे काम की नहीं। इससे हमारे राष्ट्र-निर्माताओं की दृष्टि स्वतन्त्र देशों की राजनीति और अर्थनीति से हटकर आयलैंड या इटली-जैसे गुलामी से आजाद होनेवाले देशों की विचारधाराओं की तरफ खिचने लगी। इसी दृष्टिकोण के कारण अत में उम्र राष्ट्रीय राजनीति तथा सशस्त्र क्रातिकारी राजनीति का आधुनिक भारत में जन्म हुआ।

उम्र राष्ट्रीय राजनीति से १८०५ के करीब बहिष्कारन्योगी निःशस्त्र क्रातिवाद पैदा हुआ और उसके बाद एक-दो बर्षों के भीतर उसको इटालियन देशभक्त मैभिनी के प्रयत्नों के अनुकरण का और गुप्त बड़यत्रों का रूप मिल गया। लो० तिलक प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं की निःशस्त्र क्राति या बहिष्कारयोगी राजनीति आयलैंड के सिनफेन दल की प्रारम्भिक राजनीति से मिलती-जुलती थी। क्रातिकारी राष्ट्रीय राजनीति के सशस्त्र

और निःशस्त्र ये दो रूप पहले-पहल १८७५ में और बाद में १८०५ में महाराष्ट्र में नजर आये। लो० तिलक-जैसे नेताओं को गुप्त वड्यत्रों की राजनीति का अनुकरण अपनी परिस्थिति से बेमेल मालूम होता था, जिससे कांग्रेस को निःशस्त्र क्राति के मार्ग पर ले जाने की वे कोशिश करते थे। उनका यह प्रयत्न आयरिश नेताओं का बेबल अनुकरण नहीं था, उन्होंने उसे आजमाया था और वह उन्हें अपनी परिस्थिति के अनुरूप तथा फलप्रद मालूम हुआ था। निःशस्त्र क्राति के तरीके को अपने देश में आजमाने की कल्पना महज आयरिश नेताओं से नहीं मिली थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के एल्फिन्स्टन, मन्नो, मेटकाफ-जैसे संस्थापकों ने ब्रिटिश साम्राज्य की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के बारे में जो विचार प्रकट किये थे उनके गहरे अध्ययन से भी वे इस नवीजे पर पहुँचे थे। सर जॉन सीली-जैसे राजनैतिक और ऐतिहासिक दार्शनिकों के द्वारा की गई भारत की ब्रिटिश साम्राज्य-सच्चा की मीमांसा से भी उन्हें सहारा मिल गया था। ये पुराने तत्वज्ञ तथा जे० डी० एच० कॉल जैसे आधुनिक तत्वज्ञ इस बात में एकमत थे कि ज्योही हिन्दुस्तान में एकराष्ट्रीयता की भावना फैलेगी और ब्रिटिशों की भारतीय सेना में उसका प्रबोध होगा त्योही हिन्दुस्तान का ब्रिटिश-साम्राज्य टूट जायगा। लो० तिलक, बाबू विपिन-चन्द्र पाल या योगी अरविंद-जैसे भारत के राष्ट्रनिर्माताओं को निःशस्त्र क्राति की या बहिष्कारन्योग की राजनीति ऐसे विचारों से ही समझी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मन्नो, एल्फिन्स्टन जैसे तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के उद्गारों से पता चलता है कि सौ साल पहले ही उन्होंने अदाज लगाया था कि भारत में ऐसी राजनीति निर्माण होगी और उससे ब्रिटिश-साम्राज्य का अन्त हो जायगा।

आधुनिक विद्या का जो प्रचार हिन्दुस्तान में वे कर रहे थे और आधुनिक सुशिक्षितों में राजनैतिक आकान्दाओं के जो बीज बो रहे थे, उन्ही में से राष्ट्रीय एकता तथा स्वराज्य की लगन आज या कल पैदा होगी और उसके देश में फैलने पर हिन्द की सेना के बल पर ही हिन्दुस्तान को काबू में रखने के ब्रिटिशों को प्रयोग का सफल अंत होगा; ऐसा अदाज

हन लोगों ने लगाया था। इसके बाद १८५७ में हिन्दु-मुसलमान सैनिकों ने मिलकर जो गदर किया, उसको दबाने में अग्रेजों को जो सफलता मिली इसका विवेचन करते हुए सीली साहब ने लिखा है : हिंदुस्तान के इस गदर को दबाने में हम सफल हो सके, क्योंकि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने में हम कामयाब हो गये। जबतक यह सभव होगा और अपने पर शासन करने-वाली किसी भी हुक्मत की नुकताचीनी करने की या उसके स्थिति बल्कि करने की आदत हिंदी जनता को नहीं लगी है तभी तक इंग्लैण्ड में वैठकर हिंदुस्तान पर हुक्मत करना सभव है। अगर यह स्थिति बदली और किसी-न-किसी तरह भारतीय जनता में एकराष्ट्रीयता के भाव जागे तो हमें अपनी हुक्मत को आशा छोड़ देनी चाहिए।” १८५७-५८ के गदर को सिक्ख तथा गोरखा पलटनों की सहायता से खत्म किया गया।

१८४५ से १८५५ तक के काल में क्रातिकारी राजनीति देश में चली। उस बक्त के क्रातिकारियों को लगता था कि देशी नरेशों में से एकाध की सहायता से या अफगानिस्तान या नेपाल-जैसे छोटे राज्य की सहायता से, जिस तरह इटली आस्ट्रिया के साम्राज्य से मुक्त हुई, उसी तरह ब्रिटिशों के साम्राज्य से भारत को मुक्त किया जा सकेगा। लेकिन यह ख्याल बेबुनियाद सावित हुआ। लो० तिलक-जैसे लोगों को विश्वास हो गया था कि हिन्दुस्तान में जो क्राति होगी उसका स्वरूप प्रजातंत्रीय होगा और मध्य श्रेणी के बुद्धिमान व स्वार्थत्यागी नेता तथा गरीब किसानों की मयुक्त ताकत से ही वह क्राति होगी। इसीलिए वे इस ब्रात पर जोर देते रहे कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही के पैरों तले कुचले जानेवाले किसान को ग्रेस में बड़ी तादाद में शामिल हों और उसका कारोबार लोकतात्मक ढग से चलाया जाय। केंची श्रेणी के जमींदार तथा नरेश अपनी मिल्कियत के मोह से साम्राज्य से बफादार बने बैठे थे, जिससे उनसे कोई आशा करना बेकार था। इसीलिए सुशिक्षित मध्यमवर्ग तथा दरिद्री किसान ही क्रातिकारी राजनीति का सच्चा आधार बन सकते हैं ऐसा जानकर इन दो वर्गों को सशस्त्र क्राति से अछूता रखने के लिए छूम, वेडरबर्न या कॉल जैसे ब्रिटिश राजनीतिशा को ग्रेस की हलचल कर रहे थे। इन्हीं वर्गों को कोंग्रेस

में संगठित करके ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से आजादी पाने के लिए लो० तिलक-जैसे राष्ट्रीय नेता प्रथलशील थे । ह्यूम तथा वेडरवर्न अपने देश-वासियों को कॉर्प्रेस की मौर्गें कबूल करने के लिए जिटरी भर उपदेश देते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि बहिष्कार-योग की निःशस्त्र क्राति का प्रयोग सफल होनेवाला है और भारतीय जनता की सहायता से चलनेवाले अध्येजों का शासन एक-न-एक दिन टूटने वाला है । लेकिन ह्यूम या वेडरवर्न की बातें सत्ताधारी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने अनुसुनी करदी, जिससे कॉर्प्रेस में निःशस्त्र क्राति की भावना दिन-ब-दिन बढ़ती ही गई । प्रथम महायुद्ध के बाद अध्येजों ने जिस तरह भारत को छुकाया उसको देखते हुए गाधीजी ने नि.शस्त्र क्राति को प्रभावशाली दृग से संगठित करना शुरू किया । इस तरह महायुद्ध के बाद प्रागतिक राजनीति राष्ट्रसभा से अलग पड़ गई और कॉर्प्रेस खुल्लमखुल्ला एक निःशस्त्र क्रातिवादी संस्था बन गई ।

आयलैंड में सिनफेन दल के रूप में आर्थर ग्रिफिथ ने निःशस्त्र क्रातिवादी राजनीति का आरम्भ किया था । लेकिन महायुद्ध के बाद वह राजनीति संशस्त्र क्राति में बदल गई । आयलैंड की तरह ही द्विस्तान अगर एक छोटा देश होता तो शायद वही बात यहाँ भी होती, लेकिन हिन्दुस्तान आयलैंड या इटली से कई गुना बड़ा देश है । इसमें हिंदु, मुसलमान, सिख जैसे अनेक धर्ममेष्ट तथा जाति-भेद है । एकराष्ट्रीयत्व तथा लोकतत्र की दृष्टि से वह पिछड़ा हुआ देश था । ब्रिटिश संस्कृति तथा ब्रिटिशों के काल्पनिक सामर्थ्य के डर से वह सहम गया था । इन बातों का स्थाल करके नि.शस्त्र क्रातिवाद ही डस देश के लिए व्यवहार्य तथा प्रभावशाली मार्ग है, ऐसा म० गाधी के हिन्दुस्तान में आने से पहले ही यहाँ के विचारशील, बुद्धिमान तथा स्वार्थत्यागी नेताओं का मत हो गया था ।

बब १६२० में गाधीजी ने असहयोग के रूप में देश के सामने नि.शस्त्र क्राति का अपना कार्यक्रम रखा तब देश के बुद्धिमान् नेताओं तथा क्रातिकारी युवक हृदयों ने उसको बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया । जिन लोगों ने गाधीजी के नेतृत्व को कबूल किया वे सब अहिंसाधर्मी बन गये ऐसा मानना ठीक नहीं होगा । वे किस दृष्टि से और किस भाव

से इस पक्ष के हो गये, इसकी मीमांसा आचार्य कृपलानी के नीचे दिये उद्धरण से भली-भौति हो सकती है। वे लिखते हैं : “विज्ञान और हवाई जहजों के इस युग में सहारक साधनों से सुसजित सरकार के खिलाफ़ सशस्त्र युद्ध करना शस्त्रधारी लोगों को भी असभव-सा लगता है। तब हिन्दुस्तान-जैसे निःशस्त्र देश का पूछना ही क्या ! साथ-ही खुले तौर पर सैनिक दण का क्रातिकारी संगठन करना भी सभव नहीं होता। हमें अपना सगठन अहिंसात्मक साधनों से ही करना चाहिए। स्वार्थत्याग, वीरता, ऐक्य, अनुशासन तथा सगठन जैसे नैतिक गुण सशस्त्र क्राति के लिए भी आवश्यक हैं, उनकी सत्याग्रह से अच्छी तरह बुद्धि हो सकती है। आखिरी बार करने का काम हिंसात्मक हो चाहे अहिंसात्मक, दोनों के लिए गाधीजी के नेतृत्व में सद्गुण-सपत्नि बढ़ाने का जो काम हो रहा है वह अत्यत आवश्यक है। इन सद्गुणों की बुद्धि शातिमय साधनों से ही बड़े पैमाने पर हो सकती है। इन गुणों से युक्त, कोई छोटी जमात खड़ी करना जरूर आसान हो सकता है, लेकिन समस्त देश में या उसके बहुत बड़े हिस्से में गुप रूप से वह करना असभव है। इसलिए आखिरी सशस्त्र लड़ाई की वृष्टि से भी हिन्दुस्तान में सत्याग्रह से जो गुणसपत्नि बढ़ रही है, वह बड़े काम की है। क्योंकि आदोलन कैसा क्यों न हो, गुण-सपत्नि ही उसकी नीव होती है। ऐसी हालत में चाहे स्थाई तौर पर न भी हो, लेकिन आनेवाले बहुत बड़ों तक सत्याग्रह या हड्डताल का एक ही साधन हमारे लिए उपलब्ध है।” इस तरह हम देखते हैं कि धर्म के तौर पर भले ही न हो, लेकिन व्यवहार-नीति के तौर पर गाधीजी के नेतृत्व में चलनेवाले सत्याग्रह-संग्राम में वे सब उमग भरे दिल शमिल हो गये जो गाधीजी के नेतृत्व से पहले क्रातिकारी साधनों के उपयोग में लगे थे या लो० तिलक के दल में भर्ती होकर मानते थे कि उन्हीं की नीति से अत में भारतीय क्राति होगी। पहले व्यवहार-नीति के रूप में जिन लोगों ने सत्याग्रह को स्वीकार किया उन्हीं में से कुछ लोग सत्याग्रह का सही और प्रभावशाली रूप बुद्धि के द्वारा जानकर धर्म-वृष्टि से भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। गाधीजी ने कॅग्रेस या खिलाफ़ कमेटी से सत्याग्रह-

संग्राम के लिए मान्यता प्राप्त करते हुए यह आशा कभी नहीं रखी थी कि वे धर्म-नुद्दि से अहिंसा को कबूल करें ।

आम तौर पर धर्म-दृष्टि से अहिंसा का सिद्धात मानव का नित्यधर्म है, ऐसा मानने में कम-से-कम हिंदुस्तान में कोई विचारशील व्यक्ति हिचकिचाता नहीं है। फिर भी सत्य और अहिंसा के नित्यधर्म को व्यवहार में उतारते वक्त, मानव-ममाज की अपूर्ण अवस्था में कुछ अपवाह करना बहुरी होता है, ऐसा लाग प्रतिपादन करते हैं। लेकिन जब यह सब मानने लगते हैं तो व्यवहार-नीति के तौर पर भी अहिंसा के सिद्धात पर चलना राष्ट्र-निर्माण के कार्य में आवश्यक है तब, क्राति पर विश्वास रखने-वालों का मानना है कि धर्म-शास्त्र के सूक्ष्म मतभेदों का सहारा लेवाल की याल निकालकर लोगों में बढ़ि-भेड़ पैदा करने और देश में चलते हुए निःशास्त्र क्राति के काम में रोड़े खड़े करने में बुद्धिमाना नहीं है। अतिम सिद्धात के मतभेदों को भूलकर, ग्रास कार्यक्रम पर एकमत होनेवाले गज-नेतिक टल एक-दूसरे के क्षेत्र-से-कथा मिलाकर एक ही विरोधी से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह की व्यवहार-नुद्दि गांधीजी के पास थीं। इसी दृष्टि से किलाहल शम्भु उटाकर सशस्त्र क्राति के लिए उठ खड़े होना जो आशास्त्रीय मानते थे, वे सब क्रातिकारी गांधीजी के नेतृत्व में काम के लिए तंयार हो गये। व्यवहार-नुद्दि से गांधीजी के नेतृत्व को मजूर करने-वाले ऐसे लोगों को ढोगी वा बुद्धिहीन कहना सरामर गलत है।

पुराने नेताओं के वाहिकार-याग को यद्यपि गांधीजी ने असहयोगी युद्ध के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया, फिर भी अहिंसा के सिद्धात का अधिष्ठान उसके साथ जोटने से उनमें धर्मनिष्ठा का अलौकिक तेज चमकने लगा। इससे उनका प्रभाव बढ़ने लगा और त्रिटिश शासकों ने जो सहृलियत लो० तिलक या चाचू अर्गिंठ को कभी नहीं दी, वह गांधीजी को देने के लिए उन्हें चाल्य होना पड़ा। १९३५ में अपनी एक तरुरी में चाचू अर्गिंठ ग्रोप ने कहा था कि यदि सरकार नागरिक अधिकारों को न छोनने का अभिवचन देगी तो राष्ट्रीय नेता यह आश्वासन दे सकेंगे कि भारतीय राज्यक्राति निःशास्त्र मार्ग को कभी नहीं छोड़ेगी।

बाबू अरविंद धोष तथा लो० तिलक व्यवहार-नीति के अनुसार निःशस्त्र क्रातिवादी थे, परन्तु ब्रिटिश शासकों को लगता था कि वे अतिम दृष्टि से अहिंसा को नहीं मानते। इसीलिए चेम्सफोर्ड, रीडिंग, अर्विन या लिनलिथगो के जमाने में आदोलन के प्रारम्भिक टौरे में गांधीजी को जो रियायतें मिलीं, वे लो० तिलक या अरविंद धोष को नहीं मिल सके। फिर भी, अग्रेज शासक यह नहीं मानते थे कि गांधीजी के आदोलन से सशस्त्र क्राति का उद्भव होगा ही नहीं। हॉ, व्यक्तिगत रूप से गांधीजी की अहिंसानिष्ठा के बारे में शायद ही किसीको शका थी, इससे उनपर अभियोग लगाने की हिम्मत अग्रेज शासकों को नहीं होती थी। इतना जरूर वे कहते थे कि गांधीजी अपने निःशस्त्र क्रातिवादी आदोलन को काढ़ू करने में असफल हगे, जिससे वह सशस्त्र क्राति में बदल जायगा। वे इसी बहाने अपने दमनचक्र का संसार के सामने समर्थन करते थे। लोकन दनको अनुभव हो चुका था कि दमनचक्र से गांधीजी द्वारा चलाया सत्याग्रह-आदोलन दब नहीं सकता। साथ ही आदोलन को अत्याचारी धारा में बहाकर अपनी अमर्याद सेना-शक्ति से उसे कुचलने के उनके विचार भी गलत सवित हुए।

ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ इस बात से वाकिफ थे कि उनकी सैनिक शक्ति हिंदी राष्ट्र के सहयोग पर निर्भर है, अत असहयोग के आदोलन में उसके भरोसे पर रहना दूरदर्शिता नहीं होगी। १९३४ में बी०डी०एच० कॉल ने अपने ग्रथ “‘आधुनिक राजनित की चर्चा’” (Guide to Modern Politics) में गांधीजी तथा कांग्रेस की राष्ट्रीय क्राति के बारे में लिखा कि “हिंदु तथा मुसलमान धर्म की प्रचंड मूक जनता की राय की परवाह न करते हुए, ग्रटे ब्रिटेन ने भारत को अपने आधीन रखा है। देशी नरेश, जर्मीनियार तथा अन्य धनपति इस डर से कि कहीं राष्ट्रीय आदोलन समाज-वादी रूप धारणा करे तो मिल्कियत जब्त हो जाय, अग्रेजी हुक्मत के बफादार रहे। किसानों में से बहुत ही थोड़े लोग किसी प्रकार के राजनैतिक आदोलन में हिस्सा लेने हैं। फिर भी सदैह नहीं है कि कांग्रेस को सक्रिय सहायता देनेवाले लाखों की तादाद में हैं। राजनैतिक दृष्टि से जाग्रत

हिंटी जनता में से बहुसंख्यक लोग मानो कांग्रेस के पीछे या राष्ट्रीय मुसल-मानों की स्थात्रा के पीछे खड़े हैं। प्रागतिक या उनसे नरम राजनीति-बाले जो पक्ष हैं, उनमें कुछ गणपतान्य व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन आम जनता का उन्हें समर्थन नहीं है। कांग्रेस में सामाजिक तथा आर्थिक नीति के बारे में अनेक रूल रखनेवाले लोग हैं। एक सिरे पर किसी भी किस्म के समाजवादी मुखालिफत करनेवाले हिंटी मिल-मालिक और पूँजापति हैं तो दूसरे सिरे पर मजदूर नेता और शिक्षित नौजवान हैं जो आधे ममाजवाटों या आधे कमुनिस्ट हैं। ५० जवाहरलाल नेहरू इस मनोवृत्ति के एक उदाहरण है। गांधीजी इन दो सिरों के बीच में हैं। राजनीति, धर्म तथा सन्यस्त वृत्ति का ऐसा मिश्रण उनके मता में है कि आधुनिक पाश्चात्य मानस के लिए उसका समझना मुश्किल है। फिर भी हिंदुस्तान में उनके हां सबमें अधिक अनुयाया हैं। राजनीति में वे किसे कहाँ तक नेतृत्व करेंगे, यह कोई नहीं जानता। शायद वे भी नहीं बता सकेंगे। क्योंकि वे हमेशा अतःप्रेरणा के अनुसार चलते हैं।

“ग्राज तक गांधीजी की गजनीति का अतरण अहिंसा ही रही है। न सिर्फ राज्य क्राति में बल्कि हरेक क्रिस्म की हिंमा का उन्हाने विरोध किया है। अहिंमात्मक असहयोग और सविनय कानून भग उनके अतिम शस्त्र हैं और यही उनकी नीति की बुनियाद हैं। लेकिन कवतक वे इस मर्यादा में गठवाद को रख सकेंगे? उन्होंने फँई बार कानून-भग के आदेलनों का इसलए गेफ दिया है कि कहीं पर हिंसा फूट निकला थी। लेकिन क्या वे इस तरह आदोलन को हमेशा ही रोक सकेंगे?

“यह न भूलना चाहिए कि सरहदा सूदों की टोलियो के अलावा कर्णीज-करात्र पूरा हिंदुस्तान शास्त्र-गहित है। हाँ, ब्रिटिशों की अधीनता में काम करनेवाली सेना का अपवाद है। हिंट के लोग शास्त्र चाहते हैं; लेकिन सरकार को इससे राष्ट्रीय आदोलन सशस्त्र बन जाने का खतरा महसूस होता है। हिंटी सेना की स्वामिभक्ति पर येट ब्रिटेन का भवितव्य बहुत कुछ निर्भर है। पता नहीं कि मेना में कहाँ तक राष्ट्रीय विचार फैले हैं? ... अगर साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य के अधिकार हिंदुस्तान को मिल

जायें तो हिंदी राष्ट्रीय नेता समझौते के लिए तैयार हो जायगे। उनकी यह माँग मजूर न हुई तो भी कुछ असें तक हिंदुस्तान पर दमनचक से काबू रखा जा सकेगा, लेकिन जब यूरोप की किसी जटिल समस्या में इगलैंड फैसा हुआ होगा तब उनका हिंद साम्राज्य, स भव है, नष्ट हो जायगा।”

ऊपर के उद्धारण से पता चलता है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों के अपने साम्राज्य तथा कांग्रेस के निःशस्त्र आदोलन के बारे में कथा विचार थे। दूसरे महायुद्ध के समय १९४२-४३ में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिंद सरकार तथा सेना की प्रस्थापना करके ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ी, इससे दीख पड़ेगा कि कॉल साहब का डर सही निकला और राष्ट्रीयता का प्रचार सेना व नौसेना के सेनिकों तक बहुत बड़ी मात्रा में पहुँच गया। आगे चलकर नौसेना के सैनिकों का एक विद्रोह भी हुआ। इससे ब्रिटिश स्थिति घो समझ गये और उन्होंने भारत की आजादी को मजूर करना तय किया।

म० गांधी जिस तरह एक व्यवहार-दृष्टि राजनीतिज्ञ और राजनेता थे, उसी तरह वे एक अलौकिक धर्म-सुधारक व तत्त्वनिष्ठ समाज-सुधारक भी थे। धार्मिक व साम जिक सुधारक की आन्यात्मिक वृत्ति और प्रखर सत्यनिष्ठा को राजनीति में दाखिल करना और समाज के सर्वागीण व्यवहार को आध्यात्मिक रूप देना, वे अपना जीवन-कार्य मानते थे। गौतम बुद्ध की अहिंसा तथा श्रीकृष्ण का अन्याय-प्रतिकार का निष्काम कर्मयोग या अनामक्षि-योग इस सबका एक अनुपम मिश्रण उनके सत्याग्रह-दर्शन में हुआ है। अन्याय रूपी अधर्म का उच्छेद करके न्यायरूपी धर्म की प्रस्थापना करना ही उनकी मूल प्रेरणा थी। धार्मिक सामाजिक सुधारकों की तरह उनको वृत्ति अत्मरुख थी और अपनी गुलामी का कारण दूसरे की बनिस्त्रत वे खुद को मानते थे। आत्मोन्नति और आत्मशुद्धि को ही वे स्वातन्त्र्य-प्राप्ति का मार्ग बताते थे। उनका कहना था कि आधुनिक पूरोपीय सम्यता को स्वीकार करने से हमारी उन्नति नहीं, अवनति होगी। वे मानते थे कि समाज के राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवहारों पर से धर्म का नियन्त्रण हट जाने से यूरोपीय सम्यता का नाश हो रहा है। धर्म व मोक्ष के

युरुपाथों को छोड़कर अर्थ और काम-पुरुषार्थ की प्राप्ति की तरफ सारा समाज टौड़ता है, ऐसा मानकर उसीके आधार पर समाज की रचना करने की कोशिश आधुनिक यूरोप ने की, जिसके फलस्वरूप वहाँ पूँजी-शाही, साम्राज्यशाही, तानाशाही की आसुरी सपत्ति पैदा हो गई और भौतिक विद्या ने मानवसहार-शास्त्र का रूप ग्रहण कर लिया। उनका आत्मविश्वास था कि आधुनिक यूरोप की आसुरी सकृति अतर्राष्ट्रीय महायुद्ध तथा राष्ट्रान्तर्गत बर्गयुद्ध की यादवी में निकट भविष्य में नष्ट हो जायगी और सासार को शाति, न्याय तथा सत्य का मार्ग बतानेवाली एक नई मानवी सभ्यता सत्याग्रह-दर्शन से पैदा होगी। मतलब यह कि गांधीजी का सत्याग्रह दर्शन जिस तरह एक राष्ट्रीय तथा राजकीय क्राति का दर्शन है, उसी तरह वह एक सर्वांगीण क्राति का दर्शन भी है। म० गांधी जिस तरह राजनेता व राजनीतिज्ञ थे, उसी तरह वे धार्मिक व सामाजिक सुधारक भी थे।

वे एक भागवत् धर्मी सत थे और मध्ययुगीन कान्तिमार्गी साधु-सतों की तरह वैदिक धर्म की परपरा तथा वर्णाश्रम-धर्म की चौखट का उन्होंने स्वरूपतः त्याग नहीं किया था। फिर भी उनकी वृत्ति थी कि ब्राह्मणों से लेकर अतिशूदों तक सबको सामाजिक समता का लाभ मिलना चाहिए, चातुर्वर्ण की सामाजिक विप्रमता पूरी तरह मिट जानी चाहिए, सामाजिक श्रेष्ठता के अहकार से जनित कृत्रिम वधन हटने चाहिए और शूद्र व अतिशूद वरणों को भी मानव-सकृति में बराबरी का स्थान मिलने के लिए हमें गुलाम रहते हुए भी जो-जान से कोशिश करनी चाहिए। इस दिशा में अस्तुश्यता-निवारण, हरिजनोद्धार और जातियों के बीच की असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया एवं हिंदू समाज की ओर से उसके लिए स्वीकृति प्राप्त की। उनका यह काम पिछली सदी के किसी भी धार्मिक या सामाजिक सुधार के काम से ज्यग भी कम नहीं है। राष्ट्रीय राष्ट्रक्राति से इस काम का विरोध उन्हें नहीं मालूम होता था, उलटे वे इस कार्य को उसके लिए पूरक मानते थे। गांधीजी का भक्ति-मार्ग पुराने सतों की तरह प्रतिकारशून्य नहीं था। वह अहिंसक प्रतिकार का तेजस्वी मार्ग था। भक्ति-मार्ग तथा प्रवृत्तिमय कर्म-

योग हन दोनों का समन्वय करके रामराज्य की स्थापना करने का अभिनव सत्याग्रही मार्ग सारे ससार को उन्होंने बताया है।

और अनेक दृष्टियों से म० गांधी का कार्य मध्ययुग के साधुसतों के कार्य से आगे बढ़ा है। उनकी रामराज्य की कल्पना अधिक परिणत तथा आधुनिक कान से मेल रखनेवाली थी। राजसत्ताक शासन के लिए वे रामराज्य शब्द काम में नहीं लाते थे। राज्य चाहे राजसत्ताक हो, लोक-सत्ताक हो या समाजसत्ताक, एक तरह से ये केवल धार्य रूप ही हैं, लेकिन राज्यों का अतःस्वरूप हमेशा न्यायपरक होना चाहिए। रामराज्य के माने हैं धर्म का, न्याय का राज्य। राम नाम का वह विशिष्ट व्यक्ति अब इस भूमि पर नहीं आ सकेगा, लेकिन हरेक मनुष्य के हृदय में राम तथा रावण वृत्तियों होती हैं। पहली से धर्म या न्याय की बुद्धि उदित होती है तो दूसरी स्वार्थ-बुद्धि का रूप ले लेती है। मनुष्य के हृदय से स्वार्थ-बुद्धि इटाकर वहाँ न्याय-बुद्धि का राज्य स्थापन करना ही अतःकरण का रामराज्य है। स्वार्थ-बुद्धि के कारण समाज में जो कई प्रकार के कलह उठते हैं वे नष्ट हों और न्याह की प्रस्थापना हो तो रामराज्य स्थापित होता है। जिस राज्य को समाज की न्यायबुद्धि ना आधार है, जहाँ के कानून समाज की न्यायबुद्धि के अनुसार बने हैं, न्यायबुद्धि से व्यवहार करनेवाले मनुष्य को जिस समाज में किसी भी कानून से प्रतिवध नहीं होता, जिस समाज के सब व्यवहार मनुष्य के अतःकरण की न्यायबुद्धि को आसानी से मान्य हो जाते हैं, अन्याय से धन कमाना या सत्ता का दुरुपयोग करना जिस समाज में असमव है और जहाँ की राजसत्ता प्रजा के संगठित आत्मवल के सामने झुक सकती है, वह राज्य रामराज्य है।

आज के समाज-शास्त्र या राज्य-शास्त्र की दृष्टि से तथा समाज-सघटन के लिहाज से आधुनिक भारतवर्षीय रामराज्य राजसत्ताक न होकर प्रजासत्ताक ही बनेगा और वैसा ही बनाने की गांधीजी की कल्पना थी। आजका गृष्ण-निर्माण जनतत्रीय सिद्धातों पर ही होगा और आज के स्वराज्य में समता तथा नागरिक अधिकार सबके लिए सुलभ हों, गांधीजी ने यह अपनी उक्ति तथा वृत्ति से लोगों को ठीक तरह समझा दिया है। यह मत उनका

अवश्य था कि यह प्रजातन्त्र यूरोप के प्रजातन्त्र की तरह पैंजीवादियों का गुलाम न बने और लोकतन्त्र के नाम पर यहाँ धनिक-सच्चा प्रस्थापित न हो। आधुनिक यूरोप में जो सम्भवा पैदा हुई है उसने धर्म के अधिष्ठान का त्याग कर दिया है जिससे वह भ्रष्ट हो गई और उससे पैंजीवाद तथा साम्राज्यवाद की पैदाइश हुई। आज वह विनाश के गड्ढे में जा पहुँची है। इसलिए गांधीजी वहे आग्रह के साथ मारतीय जनता से अनुरोध करते थे कि आधुनिक यूरोप के अँधानुयायी न बनो और धर्म का अधिष्ठान न छोड़ो। ध्यान में रखना चाहिए कि गांधीजी जिस अर्थ में धर्म तथा रामराज्य का प्रयोग करते थे, वह आजकल के पढ़े-लिखे लोगों की कल्पना से बिलकुल अलग है।

अपनी राष्ट्रीयता के लिए जिस धर्म की स्थापना वे चाहते थे वह केवल हिंदू धर्म न होकर व्यापक सर्वश्रेष्ठ मानव-धर्म था। मनुष्य के हृदय में असत्य से सत्य की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ तथा अपूर्णता से पूर्णता की तरफ जाने की एक समातन वृत्ति है, जिसके मातहत सब धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारक या क्रातिकारक लोकनायक, राष्ट्रनिर्माता, साधुसन, धर्मसंस्थापक सब व्यवहार करते हैं। इस भावना से मनुष्य को स्वार्थी अहकार-भावना का लोप होता ही है और वह परार्थी लोकमेवक बनता है। गांधीजी इसी वृत्ति को धर्म-वृत्ति या धर्म कहते हैं। गांधीजी की सीख है कि सार के सब धर्मों का उद्देश्य एक है और मानव को चाहिए कि उन्नति तथा शुद्धि करनेवाली यह वृत्ति जागृत करके वह अपना पारमाधिक श्रेष्ठ व सत्य स्वरूप प्रकट करे। यही सब धर्मों का सार है। सर्वधर्म-सहिध्युता तथा सर्वधर्म समभाव उनके सत्याग्रह का एक आवश्यक ब्रत है। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, सत्य ही परब्रह्म है, यह उक्ति उनके अध्यात्म ज्ञान का रहस्य ठीक तरह प्रकट करती है। अध्यात्म के और सर्वव्यापक मानव-धर्म के इसी आवार पर वे आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे और इसीलिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई जैसे कुद्र मेदामेद उनके हृदय को कू तक नहीं सकते थे। हिंदुस्तान के इतिहास की राजनैतिक परपरा को देखकर उन्होंने

समझा था कि आधुनिक भारत के निर्माण में हिंदू-सुस्तिम-मेट एक प्रमुख रकावट है। हिंदू समाज की सामाजिक विषमता को नष्ट करने के प्रतीक के रूप में उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण तथा हरिजनोद्धार को अपने रचनात्मक कार्यक्रम में मुख्य स्थान दिया था और जब हिंदुओं से हरिजनों को फोड़ने की कोशिश अग्रेजों ने की, तब अपनी जान की बाजी लगाकर ब्रिटिशों को इस भैठनीति को उन्होंने शिकस्त दे दी। आधुनिक भारत के इतिहास में, राजनीति, समाजनीति एवं धर्मनीति आदि की दृष्टिकोण से म० गांधी ने जो काम किया वह बड़े महत्व का है और उसके मध्ये फलों को आनेवाली पीढ़िया चख सकेगी। रचनात्मक काम की दूसरी महत्व की बात है हिंदू-मुस्लिम-एकता। उसपर गांधीजी ने जितना ध्यान दिया किसी अन्य गण्डीय नेता ने शायद ही दिया हो। अनेक भारतीय नेताओं ने जान लिया था कि, राष्ट्र-निर्माण के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता का होना आवश्यक है। इनमें दादा भाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रानडे, माननीय गोखले, लो० तिलक आदि नेताओं ने राजनैतिक हाँस से हिंदू-मुस्लिम-एकता का पृष्ठपोषण किया था, लेकिन इस सबाल की ओर गांधीजी को दृष्टि राजनीति के अतिरिक्त धर्म की भावना पर आधारित था। हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई इन तीन धर्मों का समन्वय करने की दृष्टि से राजा राममोहन राय ने ब्रह्मसमाज की स्थापना की तथा स्वामी रामकृष्ण परमहेंस ने अपने शिष्य स्वामी बिवेकानन्दजी के मुख से सारे ससार को कहलवाया कि आधुनिक संसार को सर्वधर्म-समन्वय या सर्वधर्म-समभाव ही देदात का प्रचीन सदेश है। गांधीजी की दृष्टि इसी तरह के सर्वधर्म-समभाव पर है। उनकी इस वृत्ति के लिए मध्ययुगीन साधुसतों के भागवत्-धर्म का भी ढोस आधार है और इसी आधार पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रमंदिर की रचना की है।

आधुनिक यूरोपीय स्वत्त्वति के आधार पर पहले के सर्वांगीण सुधारकों ने जिस एक तत्त्व का प्रतिपादन किया था, वह कुछ अलग किन्तु शुद्ध स्वरूप में गांधीजी के सत्याग्रह दर्शन में अंतर्भूत हो गया है। यह तत्त्व व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का है। एक अर्थ में गांधीजी आत्यतिक व्यक्तिवादी थे।

लेकिन अपने व्यक्तिवाद को उन्होंने भौतिक सुखाभिलाषा का हीन रूप न देकर लोकसेवा में होनेवाली आध्यात्मिक सुखाभिलाषा का शेष रूप दिया था। उनके सत्याग्रह-विज्ञान का आधारभूत सिद्धात था कि ग्रन्थ तथा गुरु की अनुभूतियों से आत्मानुभूति बढ़कर है और हरेक व्यक्ति को चाहिये कि वह अंतरात्मा की आजानुसार चले। वे मानते थे कि 'निष्ट्रैगुण्ये पथि विचरता को विधिः को निषेधः' का सिद्धान्त अपने सामने रखकर धर्मबधन, राजबधन या समाजबधन से परे केवल परमेश्वर का बधन मानकर अपने को तथा समाज को युक्त करने का अधिकार हरेक शख्स प्राप्त कर सकता है। सत्याग्रह सर्वांगीण क्राति का एक शास्त्र है और उसको उठाने का अधिकार किसी खास कुल में उत्पन्न लोगों या साधु सत्तों तक ही सीमित नहीं। वह तो सबके लिए है। साधुत्व की प्राप्ति हरेक का अधिकार ही नहीं बल्कि धर्म है। वे मानते थे कि इस साधुत्व को पाकर समाज के सब विधि-निषेधों से परे जाकर नये विधि-निषेध निर्माण करना और नये काल, नयी परिस्थिति से तथा समाज में उठनेवाली नयी शुभ आकाङ्क्षाओं के अनुरूप नये धर्म की स्थापना करना समाज के सर्वश्रेष्ठ साधु-सन्तों का कर्तव्य है। हिन्दुस्तान को हर प्रकार से वैदाद करनेवाली ब्रिटिश साम्राज्यशाही के खिलाफ उन्होंने जो राष्ट्रीय क्राति का झड़ा सड़ा कर दिया उसीके फलस्वरूप हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र निर्माण हुआ है। इस लोकराज्य में हरेक के जीवन तथा धन-सपत्नि की हिफाजत होगी। हरेक को सुख से जीविका उपार्जन करने की सुविधा उपलब्ध होगी और प्रत्येक की आत्मोन्नति में समाज सहायक बनेगा।

लेकिन लोकराज्य ही गाधीजी के स्वराज्य का अतिम रूप नहीं है। उनका स्वराज्य तो आत्मराज्य है, जिसमें किसी को भी बाह्य कृत्रिम बधन पालने नहीं होगे, और जहाँ टड़धारी राज्य-स्थान की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। यह आत्मराज्य लोकसत्ता और समाजसत्ता से भी परे है और उसकी प्राप्ति सत्याग्रही व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के जरिये ही हो सकेगी। हाँ, वे आधुनिक यूरोप के सकूति-विनाशक व्यक्तिस्वातन्त्र्य के हीन रूप को नहीं चाहते

थे। अमर्याद धन-संचय का व्यक्तिस्वातंत्र्य, सत्ता या सपत्नि के रूप में उन्मत्त हो जाने का व्यक्तिस्वातंत्र्य वे हार्गिज नहीं चाहते थे। मार्टिन ल्यूथर ने जब प्रोटेस्टेंट धर्मपथ की स्थापना की अथवा उसके बाद के कॉलेजन ने प्युरीटन पथ को चलाया तब उनके सामने न तो अमर्याद धनोपभोग का या सत्ताभिलाषा का हीन व्यक्तिस्वातंत्र्य था और न धनिक वर्ग के बचनों में फैसने की उनकी अभिलाषा थी। लेकिन व्यापारी वर्ग ने उनके व्यक्तिवादी तत्वों का अनलज्जन लिया और शीघ्र ही उसे सुखा-भिलाषी व्यक्तिवाद का जड़रूप दे दिया।

समाज की प्राथमिक अवस्था में किसी व्यक्ति को अपने जीवन के लिए आवश्यक धन जुटाने में कोई टिक्कत नहीं थी। उस जमाने में जल्दरत से ज्यादा धन का संग्रह करना किसी भी व्यक्ति के लिए असम्भव था। ऐसे समय में समाज के हरेक व्यक्ति के कष्टार्जित धन और जीवन की रक्षा करना एक-सा था। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के धनसपदा की रक्षा का भार राज्य-संस्था की ओर से कर्तव्य के रूप में उठाया जाना अधिक दोषास्पद नहीं माना जा सकता, लेकिन जिस समाज में कुछ इनेगिने व्यक्ति अमर्याद धन-संग्रह करके अन्य लोगों के जीविका के साधनों पर कब्जा कर लेते हैं और निर्बलों की वेजसी का फायदा उठाकर अम की कमाई का कानून से वेजा फायदा उठा सकते हैं, ऐसे समाज में व्यक्ति के धनसंचय की रक्षा करना राज्यसंस्था का कर्तव्य मानना सही व्यक्तिवाद नहीं है। इस तरह की आर्थिक विषमता पर आधारित समाज का व्यक्ति-स्वातंत्र्य ठीक नहीं। ऐसा समाज तो स्तेयवृत्ति पर बनता है। उसमें धर्म या न्याय का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। गाधीजी ऐसे व्यक्तिवादी समाज को नहीं चाहते थे। जिस सम्यता में ऐसी आर्थिक विषमता पैदा होती हो वह सम्यता भी वे नहीं चाहते थे। भौतिक सुखाभिलाषा सत्याग्राह-ध्येय हार्गिज नहीं बन सकता। अमर्याद धनसंग्रह करनेवाला सत्याग्रही नहीं बन सकता। सत्याग्रह की हाई में धनसंचय चोरों के बराबर है। इसा मसीह के कहने के मुताबिक धन और भगवान की उपासना एकसाथ नहीं की जा सकती। सुई की नोक में से ऊट चला जाय, लेकिन भगवान-

के साम्राज्य याने आत्मरात्य में मालदार आदमी नहीं जा सकता। गाधो-जी ने भी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के अपने एक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा था कि धनसचय का त्याग किये बगैर कोई व्यक्ति सत्याग्रही नहीं बन सके गा और यही बजट है कि सत्याग्रही क्राति में निर्धन, दरिद्री लोग जितने काम में आये हैं, उतने धनिक नहीं आ सकते अर्थात् मुख्य-भिलापी धनिकों का गुलाम बना लोकतंत्र और अपनी स्वैर वासनाओं से पैदा होनेवाला व्यक्तिस्वातंत्र्य सत्याग्रह का घेय नहीं बन सकता। धनिकों के स्वैराचार से निर्मित आर्थिक अराबकता उनके समाज की पूर्णावस्था का स्वरूप नहीं था, वृलिंग वासनाओं के सथम से प्राप्त होनेवाला आत्मरात्य ही उनके कर्त्तव्यत समाज की पूर्णावस्था थी। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए यूरोप की जनता की तरह धनिकवर्ग का नेतृत्व कबूल न करके अपनियही सत्याग्रही वर्ग के नेतृत्व कबूल करने की उनकी मान्यता थी।

ग्रामोद्योगों का सगठन गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आग है। पहले-पहल गांधीजी ने खाड़ी का आदोलन ही हाथ में लिया था, लेकिन आज उसका विकास ग्रामोद्योगों के सगठन में हुआ है। पुगने जमाने में हरेक देहात उद्योगों में आत्मनिर्भर होता था और उद्योगों की इसी नीव पर बहाँ की परपणगत सम्भता टिकी हुई थी। ब्रिटेनों की हुक्मत में ग्रामोद्योग तहस-नहस हो गये। कच्चा माल बिटेण में जाने लगा और बिटेशों की बनी बनाई चीजें देहातों में छुसने लगीं। इससे व्यापारी लोग देहातों में माल खरीदते तथा बेचते समय किसान को लूटने लगे। धरे-धारे देहाती उद्योग नष्ट होने लगे और खेती के अलावा बहाँ कोड़े दूसरा व्यवसाय न रहा। कृषि पर निभा लोगों की ताटाट बढ़ने लगी, जिससे खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े हुए आग साल भर पर्माना बहाकर भी किसान को पेट भरना दूभर हो गया। नक्टी में लगान बसूल करने का कारगर रास्ता अग्रेजों ने निकाला जिसम फिरान सस्ते में अनाज बेचने के लिए मजबूर होने लने, और दूसरनड़ारों को उन्हे लूटने का और ज्यादा अवसर मिलने लगा। इस तरह कानून से किसानों की लूट हो रही थी। केवल पचास वर्षों में हमारे

देहातों का तेज चला गया। देहाती दूकानदार विदेशी पूँजीपति का दलाल चन गया और काश्त पर जीनेवाले किसान का दुगना शोषण होने लगा। वह कर्ज के बोझ से दबने लगा। दूकानदारी और साहुकारी ये दो नये धर्षे पनपने लगे और इनके सकीर्ण व्यवहार में कानून के नो पेचीदे सवाल पैदा होते थे उनको सुलभानेवाला बकीलों का नया वर्ग हरेक इलाके में बढ़ने लगा; दूकानदारी, साहुकारी एवं बकीली के फॅटो में फॅस्कर किसान अपनी जमीनें गिरवी रखने लगा। रहननामे कानूनी मार्ग से सस्ती दर के चिकी-नामे बनने लगे। देहातों की इस प्रकार की बर्बादी को देख-कर म० गांधी को लगा कि अब्रेजो संस्कृति शैतानों की संस्कृति है और उनके द्वारा प्रस्थापित रेल, तार, डाक आदि भी गरीब प्रजा को लूटने के शैतानी साधन हैं।

स्वादेशी आदोलन के फलत्वरूप जिस कारखानेदारी का जन्म हुआ, उससे भी देहात की दरिद्रता एवं वेकारी दूर न हुई, उलटे बढ़ती गई। कारखानेदारी से मुट्ठीभर लोगों को ही रोजगार मिल सकता था। उससे वे आर्थिक दास्ता में फॅस जाते थे और नैतिक स्तर से गिर जाते थे। यह सब देखकर ही गांधीजी ने अपने स्वदेशी आदोलन को ग्राम्योंगों के सगठन का रूप दे दिया। ब्रिटिश-राज्य के कारण देहात में जिनके काश्त से जुड़े हुए धर्षे नष्ट हो गये थे या पजीवाद के कारण जो अपने स्वतन्त्र धर्षे खो चैठे थे, उन किसानों तथा स्वतन्त्र व्यावसायिकों की उन्नति करना ग्राम्योग का ध्येय है। समाजवादी पक्ष के जन्म के पहले ही गांधीजी ने यह सत्य जनता के हृदय पर अकिल कर दिया था कि देश के मिलमालिकों व पूँजीपतियों की रक्षा करने से भारतीय जनता का उद्धार नहीं हो सकता। उनके सत्याग्रह-दर्शन में इस तरह की पूँजीवादी समाज-रचना को कोई स्थान नहीं है। उन्हें सार को यह जताना था कि भारत की आजाद हिंदुस्तान की आम जनता की आर्थिक उन्नति का तरीका है और जनता का इस तरह की आर्थिक उन्नति करना ही भारतीय संस्कृति की नींव है। होके समाज की संस्कृति की नींव उसकी आर्थिक तथा औद्योगिक रचना पर निर्भर होती है, इस तत्व को गांधीजी खूब अच्छी तरह जानते थे

और इसीलिए भारतीय संस्कृति की नींव के तौर पर ग्रामोद्योगों का उल्लेख करते थे। गांधीजी ने स्वदेशी आदोलन को जो स्वरूप दिया उससे यह सिद्ध होता है कि भारत की राजनीति तथा अर्थनीति को वे पूँजीवादियों के चंगुल से बचाना चाहते थे।

यूरोप में और खास करके इंग्लैड तथा फ्रास में पूँजीवाद पहले बहुत कुछ बढ़ा और उसीके कारण वहाँ लोकतंत्र की प्रस्थापना हुई। यह काम वहाँ के मध्यमवर्ग से निकले व्यापारियों व साहूकारों ने किया। आगे चलकर यही व्यापारी-साहूकार-वर्ग मिलमालिकों के पूँजीपति-वर्ग में बदल गया। यह सही है कि अपने देश में लोकतंत्र स्थापित होने के बाट किसानों व आम जनता के साथ इन लोगों ने गद्दारी की और लोकतंत्र को पूँजी-वादी रूप दे दिया। लेकिन साथ ही साथर के पिछ्ले देशों को जीतकर उनको लूटना शुरू कर दिया। इस लूट का कुछ हिस्सा जनता को बख्श कर अन्य देशों की हालत के मुकाबले में अपनी जनता की हालत कुछ अच्छी रखी। जिससे इंग्लैड तथा फ्रास की जनता वहाँ के धनिक वर्ग की टक्रैल बनी। विजित राष्ट्रों से आनेवाली इस लूट को जारी रखने में उन्हें अपना भला मालूम होने लगा जिससे धनिकशाही के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वह तैयार नहीं थे। वे सोचते थे कि कुछ भी हो, अन्य देशों से अपना जीवन-स्तर कँचा है और उसे बैसा रखने में देश की पूँजीशाही मटट कर रही है। लेकिन भारत की पूँजीशाही ने न ऐसा कोई विक्रय किया है, न ऐसा कुछ करने की उसमें क्षमता या समावना ही है। हिंदुस्तान-जैसे तीस-पैंतीस करोड़ के देश को लूटकर इंग्लैड के चार-पाँच करोड़ लोगों के जीवन-स्तर को कुछ कँचा उठाने में उसे सफलता मिली है। लेकिन इसी मार्ग का अनुसरण करके यहाँ की आम जनता के जीवनस्तर को उठाना पूँजीवाद के लिए असभव है। हिंदुस्तान की आम जनता की दरिद्रता तथा भूख के सवाल को ताक पर रखकर कोई भी वर्ग हिंदी राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकेगा। इस बात में गांधीवाद व समाजवाद दोनों एकमत हैं। भारतीय कांग्रेस ने गांधीजी की सलाह मानकर अपने राष्ट्रीय झड़े पर चरखे को अकित किया और इस

ब्रात को कबूल कर लिया कि यूरोपीय पूँजीवाद या साम्राज्यवाद का वह अनुकरण नहीं करेगी। क्योंकि उससे देश के करोड़ों लोगों की भूख का सवाल हल नहीं हो पाता।

आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म परतत्र अवस्था में हुआ। अपने राष्ट्र का वैभव बढ़ाने के निमित्त साम्राज्य-विस्तार उसका ध्येय नहीं था बल्कि विदेशी हूँकूमत से आजाद होना उसका शुरू से आजतक का ध्येय रहा है। इस अर्से में भारत में वेदान्त का पुनरुज्जीवन हुआ वह भी प्रस्थापित राज्यसत्ता का समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि प्रस्थापित राज्यसत्ता को उत्थाङ फेंकने व स्वराज्य स्थापना करने के प्रयत्नों में बढ़ावा देने के लिए हुआ। राजाज्ञा ही अपने अतरात्मा की आज्ञा है और राज्यसत्ता से दी गई सजा के माने हैं अपनी आतरिक प्रेरणा या न्याय-बुद्धि का उल्लंघन करने से प्राप्त दुःख'—हेगल की यह राजनैतिक उपपत्ति आधुनिक भारत के वेदान्त में पैदा नहीं हुई। इसके विपरीत आधुनिक भारत के वेदान्त में से यह एक क्रातिकारी आध्यात्मिक राजनैतिक उपपत्ति जन्मी कि अपनी अतरात्मा के आदेश का पालन करने के लिए प्रस्थापित राज्यसत्ता के अन्यायी व्यवहारों को तोड़ना हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। इसी में से सत्याग्रह का निःशस्त्र क्रातिशास्त्र खड़ा हुआ। इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत में जो सशब्द क्रातिशास्त्र था, वह भी वेदान्त के आधार पर परिपूष्ट हो सका था, ऐसा सबूत इतिहास दे रहा है। आधुनिक भारत के इस इतिहास को नजर-अटाज करके, जर्मनी के हेगल के अध्यात्मवाद से क्राति को रोकनेवाला क्राति-विरोधी तत्वज्ञान जन्मा, इसलिए हिंदू-स्तान में भी वैसा ही होगा ऐसा कहना ऐतिहासिक हृषि से सुसगत या तकर्समत नहीं मातृम होता। भारतीय वेदान्त का आजका स्वरूप क्राति-वादी है और हेगल के क्राति-विरोधी अध्यात्मवाद से वह पूर्णतः भिन्न है। इटली में मैफिनी ने जिस राष्ट्रवाद की नीव डाली वह भी अध्यात्मिक और लोकतात्मक ढंग का था, लेकिन थोड़े अर्से में इटली के राष्ट्रवाद ने सरजामशाही राष्ट्रवाद का रूप ले लिया और हालोंकि इसके बाद इटली स्वतंत्र हुआ फिर भी मैफिनी निस तरह का अध्यात्मवाद लाना

चाहते थे वह वहाँ नहीं आ सका। मैमिनी को जो लोकतन्त्रात्मक क्राति अभिप्रेत थी वह इटलो में न हुई। मैमिनी की तरह यद्यपि गांधीजी अध्यात्मवादी थे किर भी वे सशस्त्र क्रातिवादी नहीं थे। आम जनता के हाथों में शस्त्र देकर लोकतन्त्रात्मक क्राति होने का गोरिवालडी का विश्वास गांधीजी को मान्य नहीं था। गांधीजी का विचार था कि अगर नरेशों या सर्गमायेदारों के राजदरबारी पद्धतों से या उनके मातहत राजनीतिज्ञों द्वारा आधुनिक भारत का निर्माण हुआ तो यहाँ लोकतन्त्र स्थापित होने के बदले सामन्तशाही का आसन नम जायगा। उनके मतानुसार भारतीय लोकशाही का जन्म आम जनता को हथियार देकर नहीं बल्कि उसका आत्मबल संगठित करने से और उससे निर्माण होने वाले सर्वव्यापी असहयोगी युद्ध से या शातिमय कानून-भग से होगा। भारतीय स्वराज्य को रक्षा के लिए वे ब्रिटिशों की मटद जरूरी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि हिंदी जनता में आत्मबल के सगठन से जो लोकतन्त्र बनेगा वह बाइंगी हमलों के अलावा भातरी तानाशाही व साम्रज्यवादी प्रवृत्ति से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा कर सकेगा। इसीलिए करीब ३० साल तक सत्याग्रह का दीक्षा लिये हुए क्रातिकारियों के नेतृत्व में आम जनता का आत्मबल याने शातिमय प्रतिकार की शक्ति जुटाने की कोशिश गांधीजी ने की। इस कार्य के आधार पर भारतीय जनता ने अग्रेजों से अपनी आखिरी लड़ाई को भी चलाया। इससे समस्त सासार की राजनीति में आज इस अद्वितीय क्राति को महत्व मिल रहा है।

मानव-सकृति तानाशाही व पूर्जीवाद से ऊन गई है। यूरोप के इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि द्वात्रवृत्ति तथा वैश्यवृत्ति के अनियन्त्रित सगठन से सही लोकतन्त्र का निर्माण नहीं हो सकता। जनता के व्रहतेज या आत्मबल को छोड़कर सिर्फ शस्त्र और द्रव्यबल पर खड़ा युग्मीय सकृति आज नष्टप्राय हो रही है। यूरोप में सुख-शाति पैदा करने के लिए वहाँ की जनता का आत्मबल संगठित करना और शातिमय प्रत्यक्ष प्रतिकार से सही लोकसत्ता व समाजसत्ता की स्थापना करना ही

एक मार्ग है। लेकिन उसके लिए आवश्यक आत्मबल, इस मार्ग से नेतृत्व करने के लिए जरूरी तपोनिष्ठ नेता और उसकी आज्ञा में आम जनता को सगठित करके आत्मबल के सहारे आर्थिक व अन्यायों का प्रतिक्षार करने की तालीम जनता को देनेवाला सत्याग्रही वर्ग आज यूरोप में नजर नहीं आ रहा है, जिससे अपनी स्वत्त्वता की गिरावट को रोकने में उनके सफल होने की कोई आशा नहीं है। यूरोपीय नेतृत्व का जमाना पहले जग के बाद ही मिट चुका है। अब भारतीय नेतृत्व का समय आनेवाला है, ऐसा भारत के सत्याग्रही कातिकारियों को लग रहा है।

भारतीय राष्ट्रवाद शुरू से क्षात्रवृत्ति या वैश्यवृत्ति पर आधारित नहीं रहा। गांधीजी का यह आध्यात्मिक, राजकीय व सामाजिक सिद्धान्त है कि कोई भी राज्य-संस्था सपूर्ण न्याय की प्रस्थापना नहीं कर सकती और इसीलिए टड़हीन समाज-रचनाया राज्यसंस्था का अत्यत अभाव ही मानव-समाज की पूर्णावस्था है। आजतक भारत एक तरह की राष्ट्राय क्राति में सलग्न रहा और इसी अवस्था में सत्याग्रह-तत्त्वज्ञान का खिलाफ खुला मुकाबला करने के लिए सत्याग्रही शक्ति कभी खड़ी न रही। इसीलिए कुछ लोग यह आक्षेप कर सके कि सत्याग्रह-तत्त्वज्ञान सरमायेदारों व पूँजीवादियों की टबैल है। लेकिन यह सरासर गलत है। यूरोप की तरह अगर भारत आजाद होता और पूँजीवाद व लोकशाही के दमनचक्र से आम जनता को रौदा जाता तो सारे ससार को दिखाई देता कि सत्याग्रही तत्त्वज्ञान इस दमनचक्र के खिलाफ खुला विद्रोह कर रहा है। जिससे सारे ससार को विश्वास हो जाता कि सत्याग्रह-दर्शन सच्ची लोकसत्ता व समाज सत्ता का हामी है।

यह बात कई बार स्पष्ट कर दी गई थी कि हिंदुस्तान में जिस स्वराज्य की स्थापना होगी, वह प्रजासत्त्वात्मक होगा व उसमें नरेश व पूँजीपति रहेंगे भी तो वे महज जनता के सेवकों के तौर पर रहेंगे। शुद्ध बीद्धिकवाद की छिप से, समाज में सरमायेदार, जमींदार व कारखानेदार वर्ग होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहनेवाले समाजवादी तत्त्वज्ञान को गांधीजी स्वीकार

नहीं करते थे। उनके मतानुसार धनिकवर्ग का स्वामित्व तो रहता ही नहीं। विश्वस्तरूप में भी वे कबतक रहें अथवा समाज ने जो थाती उन्हें सौंपी है, वह उनसे कब पूरी तरह वापस ले ली जाय, इसका निर्णय समय-समय पर तत्कालीन लोकमत के अनुसार किया जाय, यह प्रजासत्ता का सिद्धात भी सत्याग्रह-दर्शन में सन्निहित है। गांधीजी यह नहीं मानते थे कि देश की सब जमीन, खटानों और कलाकारखानों-आदि का राष्ट्रीयकरण किया जाय। उसके अनेक कारण हैं और इस प्रश्न की ओर देखने का उनका दृष्टिकोण शुद्ध बुद्धिवादी समाजवादियों से मूलतः ही भिन्न है। फिर भी यह मतभेद अथवा दृष्टिभेद हमें समाजवाद के विलक्षण प्रतिकूल नहीं मालूम होता जैसा कि आम तौर पर लोग समझते हैं। निस तरह उनके राजनैतिक तत्त्वज्ञान में राजा अथवा टड़धारी राजसथा के लिए अतिम दृष्टि से स्थान नहीं है, उसी तरह उसमें निजी संपत्ति को भी अतिम दृष्टि से स्थान नहीं है। सत्याग्रही नीतिशास्त्र के अनुसार निजी संपत्ति चोरी के सिवा कुछ नहीं है। फिर धनिक, राजे-रजवाडे या जमींदार, सरदार वर्ग को समाज का दृस्टी या सेवक बनाया जाय, इस विचार में भी यह समाजवादी तत्त्व समाया हुआ है कि महज स्वामित्व के अधिकार के बल पर सामाजिक संपत्ति का उपभोग भी समाज की सेवा के बिना नहीं किया जा सकता। आज सत्याग्रही व समाजवादी पक्ष में जो मतभेद दिखाई देता है वह व्यावहारिक व ऊपरी है, कोई मूलभूत तात्त्विक स्वरूप का भेद नहीं है।

किमी भी सामाजिक व राजकीय सुधार करने की इच्छा रखनेवाले के मन में दो प्रवृत्तियाँ पैदा हो सकती हैं। एक यह कि पुरानी सामाजिक व राजनैतिक स्थायों के बाह्य रूप को कायम रखकर उन्हींके अदर नवीन तत्त्वों का प्रवेश किया जाय व उनके अन्तर्ग में क्राति कर दी जाय। लेकिन शुद्ध बुद्धिवाद की दृष्टि से यह गौण और बहुधा खतरनाक मालूम होती है। फिर भी इस दण से सामाजिक, धार्मिक या राजनैतिक स्थायों के अन्तर्ग में क्राति करने या हो जाने के अनेक उदाहरण संसार के इतिहास में पाये जाते हैं। अंग्रेजों ने अपने राजसत्ताके राज्यसंगठन का

अन्तरंग आमूल बदलकर इसे प्रजासत्तात्मक बना डाला। हमारे वेदात् ने अपह जातियों में रुद्ध मूर्तिपूजा को, अनेक देवताओं के विविध सप्रदायों को, बाह्यतः वृत्ति न पहुँचाते हुए सामान्य जनता में 'अह ब्रह्मोऽस्मि' के सर्वश्रेष्ठ सिद्धात् के प्रचार का प्रयत्न किया। भागवत्-धर्मी साधुसन्तों ने वर्णाश्रम-धर्म की पुरानी चौखट को बाहर से कायम रखकर गौतम बुद्ध की भूतदया, सामाजिक समता और अहिंसा का समर्थन किया और इसी क्रम को जारी रखकर म० गाधी वर्णाश्रम-धर्म व रामराज्य—इन पुराने शब्दों के आधार पर जीसवीं सदी के अनुरूप सामाजिक समता व प्रजासत्ता का प्रचार भारतीय जनता में कर रहे थे। मतलब यह कि सामाजिक धार्मिक व राजनैतिक संस्थाओं का मूल बाह्यरूप कायम रखकर उनके अतरंग में क्राति करने की एक सुधार-वृत्ति व पद्धति सासार के इतिहास में दिखाई देती है। यह वृत्ति अग्रेजों व हिंदू लोगों में अनेक वर्षों की परपरा से चली आई है। श्रीकृष्ण, शकराचार्य व भागवत्-धर्मी साधुसन्तों ने इसी वृत्ति का अवलबन लेकर हिंदू समाज का विस्तार किया। ल०० तिलक व म० गाधी ने सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक विषयों में इसी वृत्ति का अवलबन लेकर विदेशी सत्ता के खिलाफ चलनेवाला राष्ट्रीय क्राति का कार्य भाग्त के इतिहास में हद दर्जे तक पहुँचा दिया। हमारी सकृति में यद्यपि सर्वांगीण क्राति करना आवश्यक था, फिर भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्राप्त होने तक वह असम्भव था, इसीलिए सिर्फ राजनैतिक विषयों को छोड़कर अन्य सुधार-कार्यों में यह वृत्ति व पद्धति ग्रहण करना उन्हें आवश्यक व इष्ट मालूम हुआ। ल०० तिलक व म० गाधी के क्रातिवाद का और सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक द्वेषों में नरम वृत्ति का यही एक खुलासा हो सकता है और यही उसका समर्थन है।

इस सुधार-वृत्ति से भिन्न एक शुद्ध बुद्धिवादी क्रातिकारी वृत्ति है। प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध ने इसीको अंगीकार किया था। हमें ऐसा लगता है कि आधुनिक भारत की सब समस्याएँ इस बुद्धिवादी क्रातिकारी वृत्ति का अवलब लिए बिना नहीं हल हो सकेगी। फिर भी यह बुद्धिवादी क्रातिकारी वृत्ति सशस्त्र न बनकर सत्याग्रही रह सकेगी और उसके वैसा

रहने में भारत का सही हित और माहात्म्य है। आज ऐसी कोशिश समाजवादी नेता कर रहे हैं। पहला प्रयत्न व्यक्तिवादी था तो आज का समाजवादी है, इतना भेट यद्यपि दिखता है फिर भी दोनों प्रयत्नों का अतरण एक ही है। बौद्धिक क्रातिवादी वृत्ति फैलने से भारतीय सम्झौते की मूल प्रकृति नष्ट होगी, गांधीजी के सत्याग्रही पक्ष को समाजवादी पक्ष के बारे में ऐसा डर मालूम होता है। इसके विपरीत गांधीवादियों के प्रयत्नों में भारत के इतिहास का अधानुकरण होने का व अपने तथा अपनी सम्झौते के पिछड़ जाने का डर समाजवादी पक्ष को लगता है। लेकिन ऐसे डर का अब कोई कारण नहीं है। हमारा मत है कि प्राचीन भारत की आत्मप्रेरणा का उद्घार करनेवाला पक्ष व बुद्धिवाद के सहारे हमारी व समाज के अन्य राष्ट्रों की सम्झौते की निर्विकार भाव से तुलना व अव्ययन करके आगे बढ़नेवाला पक्ष इनमें द्वैतभाव फैलने का या व्यवहारिक विरोध उत्पन्न होने का समय अब नहीं रहा है।

लो० तिलक, योगी अरविंद व म० गांधी के प्रयत्नों से भारतीय सम्झौते का उज्ज्वल पक्ष सासार के सामने आ गया है। पश्चिमी सम्झौते के अनिष्ट पक्ष को भी सासार पहचान चुका है। भारतीयों के हृदय में स्वतंत्र इतिहास निर्माण करने की आत्मप्रेरणा पूरी तरह जागृत हो गई है व उसके राष्ट्रवाद का अनुकरणात्मक स्वरूप म० गांधी का नेतृत्व ग्रहण करने के बाद नष्ट हो गया है। यह डर अब बाकी नहीं रहा कि आधुनिक भारत आज या कल हमाने प्राचीन इतिहास का या सासार के किसी भी गप्ट के आधुनिक इतिहास का अधानुकरण करेगा। स्वतंत्र इतिहास निर्माण करके समाज को नवसदेश देने की आत्मप्रेरणा उसमें जागृत हुई है। उसने आजादी के आदोलन में सत्याग्रह का जो अपूर्व क्रातिशास्त्र निर्माण किया उसकी ओर सारे सासार का ध्यान लिच गया है तथा स्वतंत्र रूप से निर्माण करने की आत्मप्रेरणा उसे है। समय आया है कि उसकी आत्मप्रेरणा शुद्ध बुद्धिवाद की दीक्षा ले और अकेले श्रीकृष्ण की ही नहीं गौतम बुद्ध की परंपरा को भी वह अपना ले।

भारत के आजाद बन जाने पर देश के विचारशील लोगों का व

राजनैतिक नेताओं का ध्यान इस प्रश्न पर केन्द्रित हुआ कि देश की सभ्यता को समाजवादी बनाने का काम अब कौन और किस तरह करेगा। भारतीय स्वातंत्र्य के प्राप्त करने का श्रेय म० गांधी तथा उनके सत्याग्रही तत्वज्ञान को मिल गया। अब समाजवाद के बारे में गांधीजी का क्या रूख है, इसके समझने की आशयकता इरेक महसूस करने लगा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों तथा राजनैतिक नेताओं को ऐसी आशाएँ बधी थीं कि जिस तत्वज्ञान के सहारे व जिस नेता के नेतृत्व में भारत को राजनैतिक आजादी मिली, उसीके सहारे व मार्ग-दर्शन में शेष सामाजिक-आर्थिक क्राति का कार्य पूरा हो सकेगा। जबसे भारत में समाजवादी पक्ष स्थापित हुआ और भारतीय जनता के सामने वह समाजवादी क्राति के विचार रखने लगा तबसे गांधीजी कहते थे : “मैं भी एक समाजवादी ही हूँ। सत्याग्रही क्राति-शास्त्र का उपयोग स्वतन्त्र भारत का राज्य समाजवादी बनाने के काम में हो सकता है।” यही विश्वास नौजवान समाजवादी कार्यकर्त्ताओं में वे पैदा कर रहे थे। १९४२ के आदोलन के पहले, कांग्रेस के रामगढ़-अधिवेशन में रखने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण ने गांधीजी के पास एक प्रस्ताव मेजा था, जिसमें स्वतन्त्र भारत में जिस समाजवादी राज्य की प्रस्थापना करनी है उसका पूरा टॉचा दिया था। गांधीजी ने उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की थी। उसके बाद ८ अगस्त १९४२ के दिन जब सत्याग्रह-संग्राम का प्रस्ताव उन्होंने श्र० भा० कांग्रेस-समिति में रखा तब उन्होंने एलान कर दिया कि वे फैच तथा रुसी क्राति से अधिक मूलगामी क्राति की प्रेरण लोगों को दे रहे हैं। ८ अगस्त के अपने भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा : “मेरा विश्वास है कि विश्व के इतिहास में हमारे स्वातंत्र्य संग्राम से अधिक न्यायसंगत लोकतात्रिक सधर्षे कहीं नहीं हुआ है। जब मैं जेल में था तो श्री कालीइल-रचित फ्रास की क्राति का इतिहास मैंने पढ़ा और प० जवाहरलालजी से मुझे रुस की क्राति का कुछ हाल मालूम हुआ। मेरा यह विश्वास पक्ष हुआ कि ये सधर्षे हिंसात्मक साधनों से किये जाने के कारण जनतन्त्र के आदर्श को प्राप्त करने में असफल रहे। जनतन्त्र की जो मेरी कल्पना है और जिसका

आधार अहिंसा है, उसमें सबके लिए समता व स्वतन्त्रता होगी। प्रत्येक अपने भाग्य का स्वयं निमोता होगा। इसी स्वातन्त्र्य-संग्राम के लिए मैं आज आपको आहान कर रहा हूँ।”

१९४७ में जब भारत को आजादी मिलने की तिथि निश्चित हो गई तब उन्होंने देखा कि स्वतन्त्र भारत में समाजवादी राज्य प्रस्थापित होना अटल है। इस समाजवाद की स्थापना अगर अहिंसा के आधार पर हुई तो समाजवादी संस्कृति यहाँ हमेशा के लिए टिक सकेगी ऐसे विचार उन्होंने खुलामखुला प्रकट किये थे।

एक क्रेंच दोस्त को जबाब देते हुए गांधीजी ने कहा—“मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में समाजवादी राज कायम होकर रहेगा। मुझे आशा है कि हिंदुस्तानी समाजवाद आराम कुर्सियों पर बैठकर उस्लों की ढाँग हाक-नेवालों की चीज न रहेगा, वैलिंग असली रूप अखिलयार करेगा। इस समाजवाद का मकसद साफ और पूर्ण होना चाहिए, वर्ना हिंदुस्तान की समाजवादी सरकार किसी अनिश्चित रास्ते चलने से नाकामयाच हो सकती है। मुझे खुद तो यही उम्मीद है कि हिंदुस्तान का भावी समाज अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा होगा। तभी समाजवाद हिंदुस्तान में हमेशा कायम रह सकेगा।” *

अगर भारत में स्थापित होनेवाला समाजवाद सत्य और अहिंसा के साधनों से लाने का प्रयत्न कायेसियों या भारतीय समाजवादियों ने न किया तो देश की क्या दशा होगी, इसपर कायेसजनों को सचेत करते हुए गांधीजी ने ७ मई १९४७ को लिखा : “तुम्हारा स्थेय सदा साफ और पूर्ण होना चाहिए और उसे प्राप्त करने में अगर तुम लोगों ने सत्य और अहिंसा को पूर्णरूपेण न अपनाया तो जिस समाजवाद को तुम स्थापित करना चाहते हो, वह छिन्न-भिन्न होगा और जिस प्रकार कचे पहाड़ से घाटी के बीच गिरनेवाले पटार्थ का नामोनिशान मिट जाता है, वैसे ही तुम्हारी दशा हो जायगी। अगर कायेसजन या समाजवादी अपने उन ऊँचे आदर्शों पर कायम न रहें जिनकी ओर उनकी उत्तम परंपराएँ इंगित करती हैं तो

* हरिजन, १८ मई, १९४७

देशभर में एक ऐसी क्राति होगी जो साम्यवाद का मर्ग सुगम कर देगी। मैं उस दुखद घटना को देखूँगा नहीं, लेकिन मैं सावधान करता हूँ कि अपनी गति-विधि को ध्यान से बढ़ाओ। ऐसा न हो कि आनेवाली संतति तुम्हें कोसे।”

ऊपर दिये गये उद्धरणों से पता चलता है कि स्वतन्त्र भारत की राजनीति कौन-सा रूप लेनेवाली है और उसमें अहिंसक समाज का निर्माण करनेवालों ने कौन-सा रख अस्तित्वार करना है। राजनैतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद अहिंसक समाज का निर्माण करके राज्य को अधिक-से-अधिक अहिंसक वृत्ति से चलाना वही भारत की मुख्य समस्या है। इस देश में प्रगति करने की इच्छा रखनेवाले राज्य का निर्माण आर्थिक समता के आधार पर ही होना चाहिए। इसके बारे में गांधीजी को बरा भी संदेह नहीं था। रचनात्मक लोकसेवा के जरिये नवसमाज का निर्माण करने की कोशिश करनेवाले अपने सत्याग्रही अनुयायियों को उन्होंने यह साफ कह दिया था कि जबतक आर्थिक समता के आधार पर समाज नहीं बनता है तबतक अहिंसक समाज तथा अहिंसक राज्य-जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। वे कहा करते कि आज की नई दिल्ली में दिखनेवाले महल और उन्हीं के बाजू में वनी गरीबों की भोपड़ियों में जो विषमता है वह स्वतन्त्र भारत में पलभर भी न टिक सकेगी, न टिकनी चाहिए। उनको यह साफ दिखाई देता था कि अगर देश के धनियों ने अपनी सपत्नि को त्यागकर यह विषमता नष्ट न की तो आज या कल इस देश में अत्याचारी व रक्तरन्ति क्राति होगी। स्वतन्त्र भारत की राजनीति का सही रख ऐसा होना चाहिए कि जिससे रक्तरन्ति क्राति टल जाय, देश की आर्थिक विषमता नष्ट हो और समता के आधार पर अहिंसक समाज और अहिंसा की दिशा में आगे बढ़नेवाले राज्य का निर्माण हो जाय। इसीलिए स्वतन्त्र भारत में जो काप्रेस-मविमडल बना उसके सूत्र उन्होंने प० जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौप दिये। इतना ही नहीं बल्कि वे चाहते यह थे कि जब प० नेहरू स्वतन्त्र भारत के प्रधान मंत्री बनेंगे और काप्रेस के पुरानी पीढ़ी के सब नेता देश के कारोबार को

सम्भालेंगे तब काग्रेस का अध्यक्षपद आचार्य नरेंद्रदेव या जयप्रकाश नारायण-जैसे समाजवादी दल के नेता को दे दिया जाय। लेकिन १९४७ के अन्त में गांधीजी ने जो दूरदर्शितापूर्ण सलाह दी थी, उसको पुरानी पीढ़ी के काग्रेसनेताओं ने नामजूर किया जिससे गांधीजी की मृत्यु के बाद समाजवादी दल काग्रेस से अलग हो गया। इस तरह काग्रेस का समाजवाद की दिशा में अग्रसर होना रुक गया और काग्रेस केवल राजनैतिक लोकतन्त्र व राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की रक्षा करनेवाला राष्ट्रीय राजनैतिक दल बन गया। सामान्य जनता का हित करने के लिए स्थापित शासन से भगद्दनेवाली तथा जनता की क्राति-प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रीय संस्था एक सच्चाधारी राजनैतिक दल में बदल गई। अब लोगों को सामाजिक क्राति के लिए प्रोत्साहित करके उसके बल पर क्रातिकारक राजनीति का चलाना उसके द्वारा हो सकने की कोई सभावना ही नहीं रही है।

स्वतन्त्रता मिलने पर यहाँ की राजनीति समाजवाद की ओर अग्रसर होगी, इसमें किसीको सहेह नहीं था; दो महायुद्धों के बीच मानव-समाज की लोकशाही-निष्ठा पर एक विकराल संकट आ पड़ा था। १९६३ सदी के मध्य में यूरोप में कॉर्ल मार्क्स ने समाजवादी ध्येय को क्रातिकारक रूप दिया था। फिर भी १९४७ में रूस में बोल्शेविक क्राति हुई। उस समय तक इस क्रातिकारक समाजवाद को जागतिक राजनीति में कोई खास स्थान न था। लेकिन बोल्शेविक क्राति के बाद सभी देशों में क्रातिकारी समाजवादी शक्तियाँ दिखाई देने लगीं। यह क्रातिकारी समाजवाद मार्क्स-प्रणीत वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में सारे भूसार में फैलने लगा। हरेक देश के शिक्षित नौजवान इस तत्वज्ञान की ओर खिचने लगे। लेकिन शीघ्र ही लोगों को अनुभव हुआ कि मार्क्स का क्रातिशास्त्र लोकतन्त्र के लिए विश्वातक तथा तानाशाही के लिए उपकारक है। मार्क्सवाद जिस समाजवादी क्राति को चाहता था, उसको दबाने के लिए यूरोप में फैसिजम तथा नात्सीवाद के नाम पर एकदलीय तानाशाही के नये नमूने तैयार होने लगे। यह तानाशाही राष्ट्रीय वृत्ति, धर्मभावना व आध्यात्मिक संस्कृति का बहाना बनाकर समाज में अपनी जड़ें जमा रही थीं। बास्तव में यह

फासिस्ट तानाशाही समाजवाद तथा लोकतंत्र-जैसे प्रगतिशील तत्वों को मिटाने की इच्छा रखनेवाली एक प्रतिगामी शक्ति थी। १९३० के बाद पूरे यूरोप में उसका नारा बुलट था। यूरोपीय साम्राज्यशाही के पजे से अपने को मुक्त करने की कोशिश करनेवाले एशियाई देश में भी यह प्रतिगामी राष्ट्रीय तानाशाही प्रिय होने लगी थी। १९३० से १९३६ के बीच एक सिरे पर कम्युनिस्ट तानाशाही थी तो दूसरे पर फासिस्ट तानाशाही, और इन दोनों के बीच में लोकशाही संस्कृति से लोगों की निष्ठा डावाडोल हो रही थी।

१९२० से १९४० तक की अवधि में भारत में कम्युनिस्ट-तत्वज्ञान की चर्चा जोरो पर थी। १९३३-१९३४ के बाद मुस्लिम लीगियों की फिरका-परस्ती और उसके विरोध में सगठन करनेवाली हिंदूराष्ट्रवादी निष्ठा फैलने लगी थी। ये दो फिरकापरस्त गिरोह धर्म-भावना व राष्ट्र-भावना को विकृत बनाने में संलग्न थे। यूरोप में कम्युनिज़म व फैसिलम के बीच जो रस्साकशी हो रही थी उसकी एक तरह से यह नकल ही थी। लेकिन ये प्रवृत्तियाँ हिंदी राजनीति में प्रभावशाली न बन सकीं, क्योंकि १९२० से १९४० तक हिंद की राजनीति का प्रवाह काग्रेस तथा गांधीजी के निःशस्त्र क्राति के बहाव के पीछे दौड़ रहा था।

बत्र अन्यत्र में लोकशाही-निष्ठा दुर्दिनों के फेर में चक्कर खा रही थी तब इधर हिंदुस्तान में गांधीजी लोगों के आत्मबल को तथा सत्यनिष्ठ अहिंसावृत्ति को जगाकर ससार की लोकशाही एव समाजवाद को क्राति-कारी अहिंसा का अधिष्ठान दिला रहे थे। गांधीजी की क्रातिकारी अहिंसा से मानव-मस्कृति में जो लोकशाही व समाजवाद के पुरोगामी ध्येय निर्मित हुए हैं, उनको सुप्रतिष्ठित तथा चिरजीव बनाने का रास्ता मिलनेवाला है, इस बात को पहले-पहल मारतीय युवकों के नेता प० जवाहरलाल नेहरू ने महसूस किया। इसके दरमियान भारत में जो क्रातिकारक राज-नैतिक शक्ति पैदा हुई थी, उसको १९२० से १९४० के बीच म० गांधी तथा प० जवाहरलाल ने लोकशाही समाजवाद के मार्ग पर लाया, ऐसा कहने में बरा भी अत्युक्ति नहीं होगी।

१६३४-३५ के बाद कांग्रेस में एक समाजवादी दल कायम हुआ। यह कहना पड़ेगा कि इस पक्ष की स्थापना से हिंदी राजनीति में समाजवाद का ध्येय चबूत्र हो गया और रूप से स्फूर्ति पानेवाले कम्युनिस्ट पक्ष के अलावा दूसरा समाजवादी क्रातिकारी दल भारत में सगठित होने लगा। यद्यपि यह दल भी मार्क्सवाद को मानता था फिर भी हिंदुस्तान में कांग्रेस के द्वारा चलनेवाले आदोलन और गांधीजी का राष्ट्रीय नेतृत्व इन दो बातों के बारे में इस पक्ष का रूप कम्युनिस्टों से हमेशा ही भिन्न रहा। १६३० में जो सत्याग्रह-आदोलन गांधीजी ने चलाया था उसमें सम्मिलित नौजवानों ने ही इस पक्ष की नींव डाली थी। इस दल की मान्यता थी कि कांग्रेस व गांधीजी का नेतृत्व ये दो हिंदी राजनीति की पुरोगामी शक्तियाँ हैं, और उनसे एकात्म होकर ही भारतीय समाजवादी दल को काम करना चाहिए। प० जवाहरलाल नेहरू स्वयं समाजवादी विचार के नेता थे और गांधीजी भी समाजवादी ध्येय के अनुकूल थे। इतना ही नहीं वहिंक तरणों के इस दल में से कुछ नेताओं को कांग्रेस की कार्यसमिति में लेकर उनके द्वारा देश के नौजवानों के हृदय के भाव समझकर उसमें जो सत्याश हो उसको स्वीकार करके अपनी राजनीति का विकास करने का तरीका उन्होंने जारी किया था। साथ ही इस बात के लिए वे सटैव सचेत रहते थे कि मार्क्सवाद जिस सशस्त्र क्राति को मनूर करता है वह वृत्ति इस नये दल के द्वारा कांग्रेस में दाखिल न होने पाये। भारतीय क्राति का अहिंसात्मक रूप कायम रखकर समाजवादी ध्येयों का प्रचार करनेवाले दल के सगठन में उन्होंने कभी वाधा न डाली, उलटे उसकी हरदम सहायता ही की।

प० नेहरू तथा म० गांधी की राजनीति के इस तरह समाजवाद के अनुकूल होने से कांग्रेस में नौजवानों का समाजवादी दल प्रतिष्ठा पाने लगा और कुछ लोगों को आशा होने लगी कि आजादी के बाद समाजवाद की स्थापना करने का ध्येय कांग्रेस कबूल कर लेगी, लेकिन इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना असम्भव था। कई विचारशील लोगों को लगता था कि अहिंसक क्राति के मार्ग से राष्ट्रीय स्वातंत्र्य मिलने पर ही वह

वृत्ति राष्ट्र में टिक सकेगी और अगर उसमें वह असफल रही तो सैद्धांतिक दृष्टि से अहिंसक क्राति का ध्येय श्रेष्ठ होने पर भी व्यहार्य नहीं होगा और भारत को उस दिशा में प्रयत्न करना छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं में भी इसी तरह की सदिग्ध वृत्ति गांधीजी की अहिंसक क्राति के सबध में हो तो कोई आश्चर्य नहीं। समाजवादी दल में शामिल होनेवाले नौजवान भी अहिंसक क्राति के बारे में मौन या शकाशील थे। उनका वैसा होना स्वाभाविक ही था।

गांधीजी की अहिंसक क्राति की निष्ठा स्वयंभू व अविचल थी और हर दम विकसित होती रही। गांधीजी से जितनी मात्रा में लोग एकमत होते उनके हृदय में उतनी ही मात्रा में अहिंसक क्रातिनिष्ठा दृढ़तर बनती रही। भारतीय राजनीति में गांधीजी के बढ़ते हुए प्रभाव और यश पर भारतीय जनता की क्रातिकारी वृत्ति का अहिंसक होना निर्भर था अर्थात् कांग्रेस के अंतर्गत जो समाजवादी दल प्रस्थापित हुआ था उसकी अहिंसक क्राति की निष्ठा उसकी राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-आदोलन में मिलनेवाली काम-याची पर निर्भर थी। १९४२ के आदोलन में क्रातिकारी अहिंसा-वृत्ति की भारतीय जनता के हृदय की निष्ठा डॉवाडोल हो रही थी। फिर भी उसका असर उस आदोलन पर था जिससे आगे चलकर अंग्रेज-राजनीतिज्ञों ने म० गांधी व कॉंग्रेस से समझौता करके आजादी की समस्या को हल कर दिया। यह सब देखकर अगर अहिंसक क्राति के बारे में समाजवादी दल को अधिक विश्वास हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। गांधीजी ने भारतीय स्वातन्त्र्य का आदोलन अपनी अहिंसा की नीति से कामयाच कर दिखाया और मार्क्सवाद पर भरोसा रखकर जिन्होंने समाजवादी दल की स्थापना की थी, उनके हृदय में भी अहिंसक क्रान्तिकारी प्रेरणा जमाई। इस तरह प्रसुत अहिंसा-वृत्ति को जागृत करके गांधीजी ने उसे क्रातिकारक प्रतिष्ठा दिलवा दी। इसी बजह से भारत के आजाद होने पर यद्यपि समाजवादी दल कॉंग्रेस से अलग हो गया है, फिर भी, कॉंग्रेस-दल और समाजवादी दोनों इस बात में एकमत है कि भारतीय समाजवादी क्राति अहिंसा के मार्ग से ही की जायेगी।

भारतीय समाजवादियों ने निःसंदिग्ध रूप में इस नीति को कबूल कर लिया जिससे गांधीजाट व समाजवाद के बूते पर दो राजनैतिक पंथ बनने की समावना नहीं रही और इन दोनों निष्ठाओं के लोगों को अपने में समा लेनेवाला और अहिंसा के जरिये लोकतात्त्वमक समाजवाद का ध्येय हासिल करने के लिए कोशिश करनेवाला एक ही प्रजासमाजवादी पक्ष आज भारत में बन गया है। यह कहना होगा कि आज राजनैतिक मच्च-पर कांग्रेस तथा प्रजासमाजवादी पक्ष के दो अखिल भारतीय दल हैं और दोनों को गांधीजी का अहिंसात्मक राजनीति की विरासत मिल गई है। कांग्रेस का नेतृत्व प० जवाहरलालजी कर रहे हैं और उस पक्ष ने अभी तक समाजवाद का ध्येय प्रकट रूप में मजूर नहीं किया है। लेकिन उसकी यह निश्चित नीति है कि अपने देश को समाजवाद की दिशा में अग्रसर होना होगा, और यह काम लोकतात्त्वमक तथा अहिंसक साधनों से ही पूरा होना चाहिए। ऊपरी निगाह से देखने पर लोगों को उलझन होती है कि शगर लोकशादी, समाजवाद तथा अहिंसक क्राति या सत्याग्रह के सिद्धान्त को दोनों पक्ष मानते हैं तो दो टल बनने की क्या जरूरत थी? लेकिन जब हम गहराई में जाकर सोचते हैं तब यह स्पष्ट होता है कि भले ही प० नेहरू कॉम्प्रेस के नेता बनाये गये हों; लेकिन उस पक्ष की स्थापना और परवरिश समाजवादी निष्ठा पर नहीं हुई है। जिससे उस पक्ष का समाजवाद में पूरी निष्ठा अभी तक नहीं है। डस्के विपरीत समाजवाद के प्रतिकून विचार के लोग उसमें काफी तादाद में छुस गये हैं और समाजवाद की दिशा में कदम उठाते बढ़, उसका विरोध करते हैं। वे समाजवाद का स्थापना को जितनी देर तक मुल्तवी रखा जा सके, रखने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पक्ष समाजवाद की प्रस्थापना के ध्येय को लेकर ही बना है। उस पक्ष ने सोच-समझकर अनन्याचारी क्राति के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। अपने देश को उस दिशा में आगे बढ़ाने के बारे में उसके नेताओं के विचार तथा योजनाएं निश्चित हैं। उनको कांग्रेस की नीति पर्याप्त मात्रा में उपयोगी नहीं मालूम होती। उन्हें लगता है कि कॉम्प्रेस के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे ठीक दिशा

में निष्ठापूर्वक वह आगे बढ़ सके। कॉग्रेस के प्रतिनिधियों का जिस विधान-परीषद् में बहुमत था उसीने निजी सपत्ति के बारे में जो नीति निर्धारित की, वह समाजवाद की दिशा में राष्ट्र को बढ़ने से रोकेगी। इसीसे समाज-वादी पक्ष के लोग ऐसी दलील करते हैं कि कॉग्रेस को समाजवाद की स्थापना के लिए कोई उत्साह नहीं है। इस दलील का प्रतिवाद करना कठिन है। इसलिए, जो यह मानते हैं कि समाजवाद की प्रस्थापना के बगैर हमारे देश में आर्थिक सुधार नहीं होगा उनके सामने दो ही मार्ग रह जाते हैं : कॉग्रेस की ओर से अपने सिद्धान्त मजूर करवाना या कॉग्रेस से अलग होकर अपना स्वतंत्र दल सगठित करना। जब भारतीय समाज-वादियों ने देखा कि न तो कॉग्रेस समाजवादी नीति कबूल करेगी, न समाज-वादी दल को कॉग्रेस के अंतर्गत सगठित करने का अवसर देगी, तब अपने सिद्धान्तों की रक्षा तथा सबद्धन के लिए कॉग्रेस से अलग होने का फैसला उन्हें करना पड़ा। लोकशाही तथा अहिंसक क्राति की जो विरासत गांधीजी की तरफ से उन्हें मिली थी उसीके आधार पर उन्होंने एक नया अखिल भारतीय पक्ष सगठित किया। लोकतत्त्वात्मक मार्गों से व अहिंसक रीति से हमारे देश को अग्रसर होना हो तो आज या कल इस पक्ष के नेतृत्व को कबूल करना होगा।

इन दो पक्षों के अलावा अहिंसात्मक क्राति पर भरोसा न रखकर शास्त्रीय समाजवाद का ठेकेदार कम्युनिस्ट पक्ष भी देश में है। आज तक भारतीय राजनीति में यह पक्ष अपने को प्रभावशाली नहीं बना सका। अगर गांधीजी के नेतृत्व में भाग्य स्वतंत्र न होता तो शायद यह पक्ष पनपता। आजादी के बाद भी अगर अहिंसक लोकतत्र की रीति से समाजवाद की प्रस्थापना करनेवाला पक्ष न होता तो सभव था कि यहाँ के क्रातिकारी अधिक मात्रा में कम्युनिस्टों की ओर आकर्षित हो जाते। हमारा विश्वास है कि इस देश में जो अहिंसक क्रातिनिष्ठा है वह मत्याप्रही समाजवाद की निष्ठा में परिणत होकर भारत में समाजवाद स्थापित करने में सहायक होगी। सामाजिक तथा आर्थिक रचना में क्राति लाने के सबूध में जो मतभिन्नता व वृत्तिभिन्नता है उसके कारण कॉग्रेस, प्रजा-

समाजवादी तथा कम्युनिस्ट ये तीन पक्ष बने हैं। इनके अलावा कुछ फिरकापरस्त दल भी देश में हैं। पाकिस्तान बन जाने से तथा पृथक् निर्वाचन-अधिकार रद्द होकर एक मतदान-पद्धति चालू हो जाने से अब फिरकापरस्त दलों को चलाना मुश्किल होगा। इससे आब राजनैतिक ज्ञेत्र में न उनकी कोई हस्ती है, न कार्य। प्रातों में अपनी-अपनी जमातों के हित के दावेदार बने जो छोटे-छोटे फिरकापरस्त गिरोह हैं, उनको भी राजनैतिक दृष्टि से महत्व मिलने की कोई संभावना नहीं है।

यूरोप के लोकशाही राज्यों के इतिहास से ऐसा महसूस हुआ है कि लोकतन्त्रात्मक राज्य के सुचारू रूप से चलने की दृष्टि से देश में दो प्रबल संगठित पक्षों का होना लाभदायी होता है। लोकशाही शासन को चलाने-वाले पक्षों की निष्ठा लोकतन्त्र में होना भी जरूरी है। अगर इस लोक-शाही को समाजवाद में परिणत करना है तो धन का सामाजिक स्वामित्व तथा वर्गीयीन समाज-रचना का घ्येय इन पक्षों के सामने होना चाहिए। ब्रिटेन के समाजवादी धन का सामाजिक स्वामित्व का सिद्धात केवल बुद्धिवल पर सारे समाज से स्वीकृत करके समाजवादी लोकशाही का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। अबतक वहाँ के सब पक्षों ने इस घ्येय को मजूर नहीं किया है। इस रस्ते से बड़ी धीमी चाल गुजरना पड़ता है और भारत के लिए इस धीमी चाल से जाना सभव नहीं है। केवल बुद्धिवल सामाजिक काति के लिए अपर्याप्त है और शस्त्रवल का सहारा लेने से तानाशाही की वृत्ति बढ़कर लोकशाही को खतरा पहुँचता है। इसलिए भारत ने अपनी राजनीति को आत्मवस्त्र के सहारे खड़ी करने की नीति को स्वीकार किया। गांधीजी ने सत्याग्रही क्रातिशास्त्र की नसीहत भारत को दी और लोकशाही तथा समाजवाद के लिए आधारभूत सिद्धातों को उसमें जोड़ दिया। राजा का प्रभुत्व प्रजा के हृदय की न्याय-बुद्धि की तरफ होना चाहिए और समाज में जो सम्पत्ति हो, उसका स्वामित्व किसीका निजी न होकर परमेश्वर का याने समाज का होना चाहिए, ये दो तत्व क्रमशः लोकशाही व समाजवाद के घ्येय के आधारभूत तथा आधारितिक समाज-रचना के लिए आवश्यक हैं। भारत

के जो राजनैतिक दल सत्याग्रह-निष्ठा को मजूर करते हैं, उनको लोकशाही तथा समाजवाद का समन्वय करके पूँजीवादी लोकतत्र को समाजवाद में परिणत करने का शातिमय मार्ग सत्याग्रह के रूप में मिल जाता है। भारतीय लोकतत्र अबतक समाजवादी नहीं बना है, और वैसा करने में बाधा डालने वाली कुछ धाराएँ भारतीय सविधान में हैं, फिर भी सविधान बनाने का बल भारतीय जनता में सत्याग्रह से ही पैदा हुआ है, इसको कोई भी भूल नहीं सकता। उसके बल पर आधुनिक भारत में सत्याग्रह का क्रातिकारी तत्वज्ञान सुप्रतिष्ठित हो गया है और उसमें लोकशाही व समाजवाद का जो समन्वय हुआ है, उससे सत्याग्रह को मान्यता देनेवाला कोई भी राजनैतिक पक्ष इन्कार नहीं कर सकता। आधुनिक यूरोप में लोकशाही व समाजवाद के सामाजिक तत्वज्ञान में जैसा विरोध पैदा हुआ वैसा भारत में न हो पाया। इसके विपरीत दोनों का समन्वय करनेवाला और उन दोनों ध्येयों को संपूर्ण करनेवाली क्राति करनेवाला एक नया जीवन-दर्शन यहाँ विकसित हो रहा है। इस जीवन-दर्शन के आधार पर भारतीय स्वकृति पुनर्जीवित होकर आधुनिक मानव-स्वकृति का नेतृत्व करने को समर्थ है।

सत्याग्रह-निष्ठा और आधुनिक क्रातिशास्त्र के आधार पर आधुनिक भारत में समाजवाद के निर्माण होने की बात सत्य होने पर भी वह सत्य-ग्रह-निष्ठा का अंतिम साध्य नहीं है। वर्गहीन समाज तथा दड़हीन राज्य के नाम से सूचित होनेवाला ईश्वरीय राज्य, रामराज्य अथवा आत्मराज्य सत्याग्रह-निष्ठा का अंतिम ध्येय है। अव्यभिचारी सत्यनिष्ठा तथा निरपवाट अहिंसा-वृत्ति की दीक्षा जिन्होंने ली है, ऐसे शुद्ध सत्याग्रही लोकसेवकों को चाहिए कि वे अनासक्त लोकसेवा के जरिये आत्मोद्धार व समाजोन्नति के लिए अखण्ड सत्याग्रह की साधना करते रहें। यद्यपि ऐसे लोकसेवक राजकीय, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में उस काल में आवश्यक क्राति लाने में सहायता देते रहेंगे, फिर भी किसी एक राजनैतिक दल में उन्हें शरीक नहीं होना चाहिए, न किसी शासन में पदाधिकारी ही बनना चाहिए। सत्ता व संपत्ति के त्याग से तथा अनासक्त लोकसेवा से जो

आत्मवल पैदा होगा उसके आधार पर समाज में सर्वागीण क्राति लाने का अहिंसक शास्त्र उनको बनाना होगा। गांधीजी ने जिस क्रातिकारी सत्याग्रह-निष्ठा का आधुनिक भरत में निर्माण किया है, उसके अध्यर्थ आचार्य विनोदा भावे बने हैं।

सशस्त्र क्राति के साधनों से प्रस्थापित शासन को उखाङ्कर नया शासन खड़ा करने के मार्ग से सामाजिक क्राति को लाने की कोशिश करने पर निरकुश राज्यसत्त्वाधारी एकपक्षीय तानाशाही की स्थापना होने का खतरा रहता है। इसलिए लोकशाही में ऐसी आशा की जाती है कि एक सत्ताधारी पक्ष और उसका विरोध करनेवाले एक या अनेक सत्ताकान्दा राजकीय पक्ष देश में हों तो कोई भी पक्ष दमन या ज्यादतियों नहीं कर सकेगा और लोग न्याय के रास्ते चलनेवाले पक्ष को चुनकर न्याय का शासन लाने में समर्थ होंगे। क्राति-काल में भी यह पक्षविशिष्ट लोकशाही कायम रखकर वहुमत से चुने हुए प्रतिनिधियों में जिस पक्ष का वहुमत होगा उसके हाथों में शासन सौंपकर उनके बनाये कानून और शासन को चुपचाप मान ले, यही न्याय-संस्थापन की हृषि के अनुकूल है, ऐसा विचार फैल गया। लेकिन सामाजिक न्याय-संशोधन व न्याय-संस्थापन की हृषि से पक्षविशिष्ट लोकतत्र का यह तरोंका अपर्याप्त है। खासकर जब समाज के मानस में न्याय-अन्याय के विचारों में परिवर्तन लाने का क्रातिकाल आ जाता है, तब अलग-अलग राजनैतिक पक्षों की सत्ताप्राप्ति की होड़ में लोकतत्र टूट जाता है या समाज पर अन्याय बढ़ जाते हैं और शासनतत्र डॉवाडोल हो जाता है। इस अनुभव को उपेक्षित न करके लोकशाही शासन-व्यवस्था में न्याय-संशोधन तथा संस्थापन के बारे में जो दील आ जाती है, उसको मिटाकर कार्य की प्रगति शीघ्रता से ही तथा न्याय-संस्थापन के बारे में जो क्रातिकारी विचार हैं वे जनता में फैले और अहिंसक रीति से अन्याय का प्रत्यक्ष प्रतिकार करने की ताकत उसमें आ जाय इसीलिए सत्याग्रह का क्रातिशास्त्र पैदा हुआ है।

अन्याय-निवारण, अहिंसक प्रतिकार तथा अनन्याचारी असहकार की जन-वृत्ति जैसे-जैसे जोर पकड़ेगी, वैसे-वैसे पक्षविशिष्ट लोकशाही के दोष

नष्ट होंगे तथा विभिन्न पक्षों की सत्ता के लिए चलनेवाली होड़ से पैदा होनेवाला सघर्ष शाति की मर्यादा से बाहर नहीं जायगा और न उसमें एकपक्षीय तानाशाही का खतरा रहेगा। इसीलिए किसी भी राजनीतिक दल में न मिलकर जनता के दिलों में न्याय-बुद्धि तथा अहिंसा-वृत्ति जगाकर उसके आधार पर सामाजिक क्राति लाने की कोशिश करनेवाले सत्याग्रही लोकसेवक जितनी अधिक तादाद में सामाजिक क्राति के इस कार्य में सम्मिलित होंगे उतनी मात्रा में यह सामाजिक क्राति अहिंसक रहेगी और लोकतन्त्रात्मक रीति से लाई जा सकेगी। इस तरह लोकशाही शासन अधिक दोषरहित तथा कार्यक्रम बनेगा और उसकी माफैत वर्गीयन समाज तथा टड़हीन शासन की दिशा में समाज अग्रसर होगा। इस तरह सोचने से पता चलेगा कि आधुनिक भारत में जो सत्याग्रही दर्शन व सत्याग्रही क्रातिशास्त्र पैदा हुआ है, वह लोकशाही तथा समाजवाद में अत्मभूत ध्येयों को अपने में मिलाकर समाज को आत्मराज्य की दिशा में अग्रसर करेगा।

: १४ :

भारतीय संस्कृति का अमृत तत्त्व

प्राचीन भारत में गुणी, विद्वान् व साहसी पुरुष थे। उसी तरह राजनीतिज्ञ राजा-महाराजा भी थे। इनमें से किनकी ओर मानवजीवन का आदर्श पाने के लिए देखते थे ? कृषि-सुनियों की ओर।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

हिन्दुस्तान के पतन का कारण बौद्धों और ब्राह्मणों का अलग-अलग होना है। यही कारण है जो हिन्दुस्तान में ३००,०००,००० भिखारी हैं व इसीलिए हिन्दुस्तान पिछले १००० वर्षों से भिन्न-भिन्न विजेताओं का गुलाम रहा है। अतएव हमें चाहिए कि हम ब्राह्मणों के अद्भुत बुद्धिज्ञान का बुद्ध के विशाल हृदय, उच्च आत्मा एव उनके मानवी गुणों का निर्माण करने की अद्भुत शक्ति के साथ सयोग कर दें।

—स्वामी विवेकानन्द।

भारत खड़ सासार की रंगभूमि पर एक नये राष्ट्र के रूप में प्रवेश कर रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश के तौर पर ही वह आजतक

परिचित था। अपनी इस हालत से वह उकता गया और ससार में एक स्वतंत्र राष्ट्र के नाते जीने की महत्वाकान्दा उसमें जागृत हुई। इस आकान्दा की सफलता के लिए पहले यूरोपीय महासमर से लेकर १९४७ तक उसने अग्रेजों के खिलाफ अपना सत्याग्रह संग्राम जारी रखा। जब स्वयं-निर्णीत स्वातंत्र्य-विधान उसने हासिल किया तभी यह संग्राम समाप्त हो सका। अब आगे भारतीय संस्कृति का रूप क्या होगा और सत्याग्रह-साधना से स्वाधीन बना भारत ससार को क्या सदेश देता रहेगा, इन प्रश्नों के जवाब इस आखिरी अध्याय में हम दे रहे हैं।

इन प्रश्नों का विचार करते समय इंग्लैण्ड के एक सामाजिक तत्व-वेत्ता ब्रैंटेंड रसैल के विचार कुछ मार्ग-दर्शक हो सकते हैं। १९२४ में विलफ्रेड वैलाक ने 'प्रजा-सत्ता का आध्यात्मिक अधिष्ठान' * नामक एक पुस्तक लिखी। ब्रैंटेंड रसैल ने उसकी प्रस्तावना में पूर्वी व पश्चिमी संस्कृति की तुलना करते हुए लिखा है—

"जापान ने इस भय से कि कही पश्चिमी शस्त्र-विद्या उसपर हाथी न हो जाय, पश्चिमी तत्वज्ञान की विजय स्वीकार कर ली। यदि दूसरे पूर्वी राष्ट्र भी उसी का अनुकरण करेंगे तो यूरोप खड़ के दुरुण यांत्रिकीय संस्कृति के कुछ समय तक जगली अवस्था में पहुँचे जिन उसके उद्धार की कुछ आशा नहीं रहेगी। परन्तु यदि यह प्रतिकार सैनिक बल के द्वारा न होकर आध्यात्मिक बल के द्वारा होगा तो, यूरोप के आपस की यादवी से निर्माण होते हुए भी, यूरोपीय संस्कृति के स्थायी अर्श की विरासत ऐश्विया को मिलेगी और जिन लोगों पर गोरे गध्हों का भवितव्य अवलम्बित है उनसे अधिक शांति-प्रिय व कम भौतिक वृत्ति के लोगों को उस विरासत के मिलने को समावना है। तथापि यह कार्य केवल पुराण-प्रियता के बल पर न हो सकेगा। पुराण-परम्परा कितनी ही पूज्य क्यों न हो उसे चिरतन करने का प्रयत्न करने से काम न चलेगा। भौतिक विद्या और यंत्र-कला की बदौलत आज ससार का स्वरूप बदल गया है। उन्हें आत्मसात् करके व उनपर प्रभुत्व

* The Spiritual Basis of Democracy

प्राप्त करके उन्हें कल्याणकारी बनाना चाहिए। उनकी उपेक्षा करना उचित न होगा। दूर-दृष्टि से विचार करने पर वे अहितकारक नहीं, हितकारक सांवित होंगी, क्योंकि मनुष्य को भौतिक चिन्ता से मुक्त करने का सामर्थ्य उनके पास है। जिस प्रजा-सत्ता के आध्यात्मिक अधिष्ठान को हूँ ढाने का प्रयत्न बैलाक महोदय कर रहे हैं वह पश्चिमी जगत् में पैदा हुई है। नामधारी प्रजासत्ताक राष्ट्रों में और उसके बाहर भी उसका स्वरूप अभी बहुत मर्यादित व अपूर्ण है; परन्तु उसके पहले की राज-पद्धति से वह श्रेष्ठ अवश्य है व उसका अवलबन लेनेवालों के दुर्गुणों की वजह से उसका नाश करना उचित नहीं। जिस तरह पूर्वी सासार के दृष्टिकोण में भलाई व बुराई दोनों हैं उसी तरह पश्चिमी दृष्टिकोण में भी हैं।

‘पश्चिमी दुनिया जरूरत से ज्यादा जल्दबाज है तो पूर्वी दुनिया कदाचित् जरूरत से ज्यादा सहनशील रही है। बहुत बार पश्चिमी लोगों की शक्ति से सासार का अधिष्पात होता होगा (आज ऐसा ही हो रहा है) तो दूसरी ओर विशुद्ध पूर्वी तत्त्वज्ञान बड़े-बड़े सुधार करने में शायद ही समर्थ हो सके। जब पश्चिमी और पूर्वी विशेषताओं का संयोग होगा तभी नवीन आदर्श दुनिया के सामने आयेगा। किसी भी एक संस्कृति की आत्मस्तुति से उसका जन्म नहीं होगा। पश्चिमियों का सामर्थ्य पूर्वियों के आदर्श में काम आना चाहिए। पूर्वियों की आध्यात्मिकता पश्चिमियों के भौतिक साधनों की सहायता से जीवनोपयोगी बननी चाहिए। आज की दुनिया की रक्षा पुराने साधनों से नहीं हो सकती। आज के संकट नये हैं व उनको निवारण करने का तत्त्वज्ञान भी नथा ही होना चाहिए।’’

अब हम भारतीय व यूरोपीय संस्कृतियों की तुलना करके इस बात का विचार करें कि यूरोपीय संस्कृति में से भारतीयों के लेने लायक क्या है? अथवा यूरोपीय संस्कृति के नष्ट हो जाने पर भी कौन तत्व उसमें से चिरन्तन होने योग्य है? जब इन दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो प्रायः यूरोपीय संस्कृति की तुलना मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति से—अर्थात् हिन्दुस्तान के ब्रिटिश समाज्य में आने से पहले की संस्कृति से

की जाती है। बटेंड रसैल ने प्रबोक्त उद्दरण में भौतिक-विद्या, यंत्र-निला प्रालासता व कर्म-शक्ति वे यूरोपीय संस्कृति के लक्षण बताये हैं व यह स्वनित किया है कि यूरोपीय संस्कृति भले ही अपनी सामर्थ्य का दुर्घटयोग करके संसार को पीड़ा देती हो, और तो और अपने विनाश में भी प्रवृत्त हो रही हो : परन्तु पूर्वी संस्कृति तो बिल्डुल सामर्थ्यदीन हो रही है। अरनी गुलामी को मिटाने की शक्ति उसमें वाकी नहीं बची। वृत्तिक संविदों ने वह अन्धाय और जुल्म तुमचाय सहन करती आ रही है। पूर्वी संस्कृति की यह सहन-शोनाचा, अकर्मणता किसी को भी बाल्यनाय नहीं लगेगा। उसी तरह यूरोपीय संस्कृति के इमले ने बचने के लिए जापान ने वो सब तरह उनीं को अर्गाकार निया पूँजीवाद की स्थापना की, सामन्तशाही को मिटाकर ल्यापित प्रजा-उत्ता को बनिक-उत्ता का विकृत रूप दिया व राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद की ढाँका देकर एशिया को पादकान्त करने की आकुरी महत्वाकांक्षा धारण की, इसे भी बोइ सृष्टिशायी न कहेगा। एशिया के पूर्व के ठेठ जापान से लेकर पश्चिम के तुर्किस्तान तक सब राष्ट्रों के सामने आज यह महत्व का प्रश्न खड़ा है कि साम्राज्यवाद के पैंचीवाद के आक्रमण में कैमे बचाया जाय रहिए दुसराने को छोड़ देते तो दूसरे बहुत में देशों में, रूस की राज्यकाति होने तक, वही धारणा फैली हुई थी कि इस इमले का सुकान्ता करने के लिए यूरोपीय संस्कृति का अवलम्बन लिए बिना कोई चाग नहीं है। उसके बाद एशिया के देशों में रसी राज्य-क्राति का अनुकरण करनेवाला एक कम्युनिस्ट दल पैदा हुआ। योड़े ही समय में तुर्किस्तान से लेकर चीन तक इस दल का जल पैल गया और एशिया के स्वतन्त्र देशों के राष्ट्रीय नेताओं को यह मालूम होने चाहा कि यूरोप के साम्राज्यवाद के पजे में सूक्त होने का उपाय बोल्शेविकों ने सहयोग करना है। इसी समय चीन के राष्ट्रीय नेता डाकटर सनयातसेन ने बोल्शेविकों से चीनी राष्ट्रवाद का सहकार्य करके चीन को यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल में छुड़ाने की नीति निर्धारित की। एशिया का दुर्बल राष्ट्रवाद और बोल्शेवी काति-शास्त्र का सहयोग कुछ दिन दिका। पर योड़े ही दिनों

मेरे उनका सम्बन्ध टूट गया व एशिया के भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय पक्षों में यह भावना फैली कि बोल्शेविक क्रातिशास्त्र का अवलभवन ज्यों-का-त्यों नहीं लिया जा सकता, या न लेना चाहिए। उधर बोल्शेविकों ने विश्वक्राति के अपने ध्येय को कुछ समय तक एक किनारे रखकर अपने ही राष्ट्र का संगठन करने की नीति निश्चित की। आज फिर चीन अपने देश में कम्युनिस्ट राज्यक्राति को सफल बनाकर बोल्शेविक रूस का मित्र बन गया है। रूस अब अपनी बोल्शेविक क्राति के जाल पूर्ण एशिया में तथा यूरोप में फैलाने की कोशिश कर रहा है।

इस समय हिंदुस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है व इधर म० गांधी के नेतृत्व में एक नि शस्त्र क्राति-शास्त्र व सत्याग्रही सस्कृति-शास्त्र पैदा हो चुका है। उसने आधुनिक भारत के हृदय में ऐसा आत्म-विश्वास पैदा किया है कि सत्याग्रही तत्वज्ञान के बल पर ही भविष्य में मानव-सस्कृति के इतिहास में हम एक नया अध्याय लिखेंगे। आत्मविश्वास सच्चा है या झूठा, इसका फैसला भविष्य ही करेगा। परन्तु सत्याग्रही तत्वज्ञान से केसी मानव-सस्कृति निर्मित होगी, यूरोपीय सस्कृति से उसे क्या सीखना है, कम्युनिस्ट क्राति-शास्त्र व समाजवादी सस्कृति से वह कुछ पाठ सीख सकती है या नहीं, और सत्याग्रह-संग्राम के फलस्वरूप जो नवीन भारतीय सस्कृति जन्मी है उसका रूप क्या होगा व स्वतन्त्र भारत के सामने आनेवाले प्रश्नों के उत्तर वह किस प्रकार देगी, इन ब्रातों का विचार कर लेना जरूरी है। आधुनिक भारत में जो यह एक प्रकार का सास्कृतिक अभिमान पैदा हुआ है कि मानव-सस्कृति को देने के लिए हमारे पास कुछ बहुमूल्य तत्व हैं व उनकी बदौलत हमारे पास कुछ समय के लिए ससार का नेतृत्व आ सकेगा, वह अपूर्व है। जिस एक महात्मा के रूप में वह आज संसार के सामने आया है वह भी एक अलौकिक विभूति है। यह अपूर्व अभिमान व महात्मा गांधी की अलौकिक विभूतिमत्ता दोनों बातें विलकुल भ्रामक हैं, वह एक भ्रातिरूप माया है, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। ताहम यह भी उनको मानना पड़ता है कि यह आतिरूप माया संसार की एक प्रचंड शक्ति है। इस भावी सस्कृति के स्वरूप की

रूप-रेखा हम यहा मानव-रूप में रखना चाहते हैं।

आधुनिक यूरोपीय संस्कृति का मूल्याकन करते हुए पहले यह देखना चाहिए कि श्रेष्ठ मानव-संस्कृति किसे कहते हैं। भारतीय संस्कृति को तरह यूरोपीय संस्कृति की परम्परा भी बढ़ी है। आधुनिक यूरोपीय संस्कृति ने तो आज हिन्दुस्तान को गुलाम बना रखा है व उसको सब तरह लूट लिया है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत में यह अभिमान उदय हुआ है कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। इसलिए पहले यह समझने की जरूरत है कि मानव-संस्कृति की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में भारतीयों का मत या आदर्श क्या है। इस प्रकरण के आरम्भ में कवि-श्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ ठाकुर का एक अवतरण दिया है जिसमें उन्होंने भारतवासियों के मानवीय आदर्श का वर्णन किया है। उन्होंने भारत के ऋषि-मुनियों को मानवता का आदर्श बताया है। यही ऋषित्व, ब्रह्म-तेज, आत्म-बल अथवा साधुत्व भारतीय संस्कृति का मानवीय आदर्श है। भारतीय संस्कृति अगर ससार को कुछ सिखा सकती है तो यह साधुत्व ही। भारत में प्राचीन काल से ऋषिवर्ग की सृष्टि हुई व आज भी उसे उस वर्ग के नेतृत्व की आवश्यकता मालूम होती है। महात्मा गांधी को आज भारत में जो सम्मान मिल रहा है वह इसलिए कि उन्होंने भारतवर्ष के अंतःकरण में ऋषि-मुनियों के सम्बन्ध में प्राचीन आदर फिर से पैदा किया व भारत के प्राचीन ब्रह्मतेज अथवा आत्म-बल को पुनः संगठित करके ऐसा विश्वास फिर से जाग्रत किया कि यह आत्म-बल ही आम-जनता के सर्वांगीण स्वातन्त्र्य का रामबाण उपाय है। इस साधुत्व को समझने के लिए व उस दृष्टि से मानव-संस्कृति का मूल्याकन करने के लिए नीचे लिखी सूक्ति आधार का काम दे सकती है :

विद्या विवादाय धनं मदाय । शक्तिः परेषा परिपीडनाय ।

खलस्य साधोर्विपरीतमेतद् । ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय ।

इस उक्ति में खल और साधु, दुर्जन और सजन का भेद चहुत अच्छी तरह बताया गया है। इसीके आधार पर हम मानव-संस्कृति के हीन व श्रेष्ठ स्वरूप का भेद समझ सकेंगे। विद्या, धन और शक्ति

की आवश्यकता मनुष्य को है व उनकी वृद्धि करना प्रत्येक मनुष्य समाज का कर्तव्य है। परन्तु इस विद्या, धन और शक्ति का उपयोग मनुष्य किस प्रकार करता है यह देखकर उसकी संस्कृति की श्रेष्ठता या लघुता का निर्णय करना पड़ता है। केवल विद्या, धन या शक्ति की वृद्धि करने से ही मानव-संस्कृति की प्रगति नहीं हो सकती। बल्कि इस विद्या, धन या शक्ति का उपयोग कैसा व किस काम में हो रहा है यह देखकर ही यह कहना पड़ता है कि किसी समाज की संस्कृति बढ़ रही है या नष्ट हो रही है। मनुष्य विद्वान् हो, सधन हो व सशक्त भी हो, परन्तु अगर अपनी विद्वत्ता का उपयोग सत्य-सशोधन में न करके केवल विवाद के लिए करे या अपने धन का उपयोग दान के लिए न करके उन्मत्त होने के लिए करे, और अपनी शक्ति का उपयोग रक्षण के लिए न करके परिपीड़न के लिए करे तो उसे साधु की कोटि में न रखकर खल की कोटि में रखना पड़ेगा —फिर वह कितना ही विद्वान्, धनवान् अथवा बलवान् क्यों न हो। यही न्याय समाज पर भी लागू होता है। आज की यूरोपीय संस्कृति विद्या, धन व शक्ति तीनों गुणों से युक्त है, परन्तु वह इन गुणों का दुरुपयोग करती है, इससे इन गुणों को दुरुगुणों का रूप प्राप्त हो गया है। अतः यह कहने की अपेक्षा कि वह इन गुणों से मरिडत है यही कहना ज्यादा सही है कि वह पूर्वोक्त दुरुगुणों से कलंकित हो रही है। भारतीय संस्कृति के अभिमानी इसका कारण यह चताते हैं कि उनकी विद्या, धन व शक्ति को अन्यात्म का अधिष्ठान नहीं है। यूरोपीय संस्कृति को यह हीनता क्यों, कैसे और कब प्राप्त हुई इसका भी इतिहास है।

१४वीं सदी के अंत में मुसलमानों के कुस्तुन्तुनिया लेने के बाद वहाँ की प्राचीन विद्या के पंडित पश्चिमी यूरोप में फैले और इस्लामी संस्कृति का सधर्ष व प्राचीन ग्रीक-विद्या का पुनरुज्जीवन इन दोनों से यूरोपीय विद्या व व्यापार को जो गति मिली उससे आधुनिक यूरोप का जन्म हुआ। इससे पहले कुछ समय तक यूरोपीय संस्कृति मध्य-युगीन धर्माधिकारियों के प्रभाव में रही। इन धर्माधिकारियों की विद्या इस

समय चिलकुल मृतावंस्था को पहुँचने लगी थी। विद्या ज्ञान-प्राप्ति के लिए है व ज्ञान की प्राप्ति अनुभव से होती है इस सिद्धात को भूलकर ये ईसाई धर्म-शास्त्री व पडित महज ग्रथ-प्रमाण के आधार पर शुष्क वादविवाद में विद्या का उपयोग करने लगे थे। धर्म-ज्ञान, आत्म ज्ञान व भौतिक-ज्ञान सभी के लिए अनुभव की जरूरत होती है। उनके सिद्धान्त यदि नवीन अनुभव की कसौटी पर सही न उतरते हो तो उनमें सुधार होना चाहिए। यह सुधार करने का अधिकार प्रत्येक पीढ़ी के लोगों को है। मानव-प्रगति के आधारभूत उस तत्व को मानने व उसके अनुसार समाज के बदलते हुए व्यवहारों का विचार करके नई परिस्थिति के अनुरूप नवीन समाज-व्यवहन निर्माण करके अथवा पुराने समाज-व्यवहनों को सुधार कर, नवीन समाज-धारणा करने के लिए वे तैयार न थे। ऐसा न करने के लिए उन्हें ग्रथ-प्रमाण से बुद्धि-प्रमाण व अनुभव-प्रमाण पर आना चाहिए था, मगर ऐसा करने की शक्ति व योग्यता उनमें न रह गई थी। इधर विचारशील लोगों को यह मालूम होने लगा कि प्राचीन धर्म-व्यवहन अथवा धर्म-विचार नई परिस्थिति में न तो कायम ही रह सकते हैं न बुद्धि को ग्राह्य ही हो सकते हैं। तब ईसाई धर्माधिकारी व रोमन कैथोलिक धर्म-संस्था के खिलाफ आधुनिक यूरोप ने बगावत मन्चायी। शुरू में तो यूरोप के राजाओं ने पोप के धर्म-व्यवहन व सत्ता को अपने पर से हटाने में इस बगावत से फायदा उठाया। बाद में उन्होंने खुद धर्म-संस्था के अधिष्ठित बनने का प्रयत्न किया। आठवें हेनरी ने इसी प्रकार धर्म-क्राति की। इस क्राति से राजा लोग मथ्य-युग की अपेक्षा द्वादा अनियमित व स्वेच्छाचारी बन गये। हग्लैरड का सामन्त-वर्ग इससे पहले ही नाम शेष हो चुका था। अब धर्माधिकारी वर्ग भी राजाओं का दास बन गया। पोप का बाह्य-व्यवहन भी न रहा। इस प्रकार अन्तर्वाह्य अनियन्त्रित बनकर राजा लोग यह समझने लगे कि हमारी आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा है। “ना विष्णुः पृथिवीपति,” की उक्ति के अनुसार वे अपने को परमेश्वर के ऐहिक प्रतिनिधि समझने लगे। इन अनिर्वन्ध, अनियन्त्रित राजाओं पर व्यवहन और नियन्त्रण लगाने का काम यूरोप के व्यापारी-

वर्ग ने किया। इसी व्यापारी-वर्ग में कैलहिन का प्लूरिटन-पंथ चला व उसी के नेतृत्व में आधुनिक यूरोप के बुद्धिवाद, व्यक्तिवाद, प्रजा-सत्ता और राष्ट्रवाद ये सामाजिक ध्येय निर्माण हुए। जिस मध्यम व्यापरी-वर्ग में इन ध्येयों का उदय हुआ उनका वर्गस्वार्थ इन ध्येयों से एकात्म हो गया और जब इन आदर्शों के शुद्ध स्वरूप व धनिक-वर्गस्वार्थ में विरोध उत्पन्न हुआ तब ये ध्येय विकृत हो गये। वर्तमान यूरोपीय सङ्कृति बुद्धि-स्वातन्त्र्य, व्यक्ति-स्वातन्त्र्य, जन सत्ता व राष्ट्रवाद के आदर्शों को आज कैसा विकृत बना रही है, उसपर गौर किया जाय तो यह बात समझ में आ जाती है कि यह संस्कृति क्यों बिनाश की ओर जा रही है।

पहले-पहल बुद्धि-स्वातन्त्र्य को लें। प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि-स्वातन्त्र्य रहना चाहिए, मगर इसके लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी ग्रन्थ अथवा धर्म-गुरु की दासता को स्वीकार न करे। यह कहना एक बात है, मगर यह कहना कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने व नवीन मत्य को शोध करने में सबकी बुद्धि एकसा सार्थक रखती है, दूसरी बात है। दोनों में बड़ा अन्तर है। यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य की बुद्धि बाह्य दासता से मुक्त होने पर पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है अथवा उसमें सत्य-शोधन की शक्ति आ जाती है। ऐसा होने के लिए यह जरूरी है कि वह बुद्धि अन्तः-करण की व्यक्ति व अव्यक्ति वासना व विकारों की दासता से मुक्त हो। मनुष्य की बुद्धि पर जैसे संस्कार पढ़े होंगे व उन संस्कारों के कारण उसे जो सामर्थ्य मिला होगा उनके बंधनों से भी उसे मुक्त होने की जरूरत है। मनुष्य बुद्धि की सहायता से बाह्य-जगत् व अपने अंतरंग का ज्ञान प्राप्त कर सकता है व बाह्य तथा अंतःसृष्टि पर भी प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है। इस प्रभुत्व को भी अंतर्बाह्य सृष्टि पर प्रस्थापित करने के लिए उसे बुद्धि की एकाग्रता, धृति, अनासक्ति, निर्विकारता आदि गुण प्राप्त करने पड़ते हैं। खासकर जबतक उस बुद्धि में नवीन सत्य का आकलन करके नवीन आदर्श-सृष्टि करने का सामर्थ्य नहीं आ जाता या होता तबतक अपनी या अपने समाज की प्रगति का सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता। इस तरह वह बुद्धि जो नवीन आदर्श का निर्माण कर सकती है दर असल स्वतंत्र-

बुद्धि हो सकती है और उसी को प्रतिमा कहते हैं। साधारण बुद्धि वाला परिस्थिति के आधीन रहती है व उस परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके वह आधिक-से-आधिक इतना ही दिखा सकती है कि उसमें आधिक-से-आधिक सुख से कैसे रहें। यह सामान्य बुद्धि व्यक्तिगत, वर्गीय, राष्ट्रीय वर्गीय अनेक समुचित स्थायीं व परपरागत विचारों एव सस्कारों के आधीन रहती है। इन सस्कारों, दुर्वासनाओं व दुर्विकारों के चश्मों से वह बाह्य सुष्ठि व सामाजिक व्यवहारों की ओर देखती है, वल्कि यों कहें कि ऐसा संस्कारवश, वासनावश व विकारवश बुद्धि अपनी एक विकृत सुष्ठि ही निर्माण कर लेती है। यह विकृत सुष्ठि ही मानवी बुद्धि को भ्रष्ट या बद्ध करनेवाली माया है। इस माया से मुक्त हुए विदा न सत्य सुष्ठि का ज्ञान हो सकता है न वीन आदर्श निर्माण करने का सामर्थ्य उसमें आ सकता है। अद्वैत वेदान्त का यह आध्यात्मक सिद्धान्त है कि ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करने की ज्ञमता प्रत्येक मनुष्य में है। मनुष्य के मन, बुद्धि व आत्मा के व्यक्ति व अव्यक्ति दो स्वरूप हैं। दोनों का अशुद्ध अश ज्ञतक नष्ट न होगा तज्ज्ञतक बुद्धि वास्तविक आत्म-स्वरूप व जगत्-स्वरूप को समझने के लायक नहीं बन सकती। मनुष्य की बुद्धि का बाह्य विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना मानवी उच्छति के लिए जितना आवश्यक है उतना आवश्यक अन्तःसुष्ठि पर अर्थात् हृदय की व्यक्ताव्यक्त वासना व विकारों पर प्रभुत्व स्थापित करना भी है। पहला भौतिक विद्या का और दूसरा आत्मिक विद्या का ज्ञेत्र है। भौतिक विद्या व उसके सिद्धान्त जैसे अनुभवगम्य व अनुभव-सिद्ध होने चाहिए वैसे ही आत्म-विद्या के सिद्धान्त भी होने चाहिए। भौतिक विद्या की तरह आत्मिक विद्या भी विकासशील व सजीव होनी चाहिए। इन दोनों विद्याओं के विकास का सामर्थ्य मानवी बुद्धि में है, परन्तु वह उसके शुद्ध व स्वतन्त्र स्वरूप में है, अशुद्ध व परतन्त्र रूप में नहीं। तत्त्वर देखें तो प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि को शुद्ध व स्वतन्त्र बना सकता है व उसकी सहायता से भौतिकी व बाहरी जगत् पर स्वामित्व—विश्व-नियमों से मर्यादित स्वामित्व—प्राप्त कर सकता है। अद्वैत-वेदान्त यहीं सिद्धान्त बताता है।

शब्द व्यवहार में हमें स्वतंत्र व परतत्र बुद्धि में इस प्रकार भेद करना पड़ता है। (१) जनसाधारण की अशुद्ध व परतत्र बुद्धि तथा (२) उनके असामान्य नेता की शुद्ध व स्वतंत्र बुद्धि। इसी व्यवहार-दृष्टि से साधारण बुद्धि को प्रश्ना व नये सत्य का आविष्कार व स्वतंत्र बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। एजलस ने लुडविक फ्यूरवेक-सवन्धी अपनी पुस्तक में मार्क्स और अपने जैसे उसके अनुयायियों की बुद्धि में ऐसा ही भेद बताया है—“जिस तरह एक उच्च भूमि पर खड़ा मनुष्य आस-पास बहुत दूर-दूर की चीजों को तुरन्त देख सकता है वैसी ही स्थिति हमसे तुलना करते हुए मार्क्स की थी। मार्क्स ‘प्रतिभाशाली’ था व हम ज्यादा-से-ज्यादा ‘बुद्धिमान्’ कहे जा सकते हैं। इसलिए मार्क्स जो कर सका वह मुझसे नहीं हो सकता था।” प्रतिभा-संपन्न असामान्य नेता की शुद्ध व स्वतंत्र बुद्धि व सामान्य मनुष्य की अशुद्ध, परतत्र बुद्धि के तात्त्विक व व्यावहारिक भेद पर ध्यान न देकर समाज-निर्माण करना या उसमें काति करके आमूल परिवर्तन करना असम्भव है। बुद्धि-स्वातंत्र्य के सिद्धान्त में इस भेद का विशेष नहीं और न सामाजिक व्यवहार में नेतृत्व व अनुयायित्व दो भेद करके खास मर्यादा में स्वतंत्र बुद्धि के नेता का अनुशासन मानना भी बुद्धि-स्वातंत्र्य से असगत हो जाता है। इसी प्रकार यह मानना भी बुद्धि-स्वातंत्र्य के विशद्ध नहीं है कि जबतक मनुष्य की बुद्धि दुर्बासना व दुर्विकार से मुक्त न होगी तबतक वह शुद्ध व स्वतंत्र नहीं बन सकती। जबतक शुद्ध बुद्धि के प्रतिभावान् नेता न होंगे तबतक मनुष्य-समाज की उन्नति नहीं होगी, न सर्वांगीण क्रान्ति जैसे महत् कार्य की सिद्धि ही हो सकती है। इससे यह नतीजा निकलता है कि समाज की उन्नति के व उसमें आवश्यक परिवर्तन कम-से-कम क्लेश से, करने के लिए आम जनता की बुद्धि को भरसक शुद्ध व स्वतंत्र रखने का प्रयत्न करना लोक-मान्य नेता का कर्तव्य है और लोगों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपनी अन्तःशुद्धि का सतत प्रयत्न करते रहें। बुद्धि-स्वातंत्र्य के सिद्धान्त का यह शुद्ध और श्रेष्ठ रूप आधुनिक यूरोप ने नहीं पहचाना व अपना

नेतृत्व शुद्ध बुद्धि के अथवा प्रतिभावान् निःस्वार्थी लोगों के हाथों में न देकर उस धर्मान्क-वर्ग के हाथ में दे दिया है जिसकी बुद्धि वर्ग स्वार्थ से मलिन हो चुकी है और जिन्होंने उसका विनियोग नित्य स्वार्थ-साधन में किया है। आधुनिक यूरोप की वर्तमान आपत्ति का यह एक मुख्य कारण है। फिर आधुनिक यूरोप की तमाम विद्या व कला इस धर्मान्क-वर्ग की दासी बन गई है व ऐसा वर्ग कहीं यूरोप खड़ में नहीं दिखाई देता जो यह मानता हो कि जनसाधारण की सार्पात्तिक व सास्कृतिक उन्नति करना सब विद्या और कला का उद्देश्य है, अथवा जो ऐसा आचरण करता हो। और जो अपने आत्मबल के द्वारा लोगोंके आत्मबल को जाग्रत व सगठित करके समाज के लिए आवश्यक क्रान्ति को उपयोगिता उसे जैचाकर आत्मबल से वैसी क्रान्ति करा दे। आधुनिक यूरोप की श्रद्धा ही आज आत्मबल पर नहीं रही है और न वहाँ के किसी देश ने अव-तक शक्ति-बल से भी अभीष्ट सर्वांगीण समाज-क्रान्ति करने का सामर्थ्य प्रकट किया है।

समाज-रचना-सञ्चन्धी नवीन तत्व अथवा समाज में न्याय-स्थापना करनेवाले नवीन सत्य मानव बुद्धि में कव और कौसे उदय होते हैं व उन सत्यों की स्थापना के लिए आवश्यक समाज-क्रान्ति कैसे की जाती है इसका और अधिक विवेचन करना आवश्यक है। ससार नित्य परिवर्तनशील है। ससार की कोई भी वस्तु स्थिर व अन्तर नहीं है। इसीलिए उसे जगत् अर्थात् गतिमान् नाम प्राप्त हुआ है। मानव-समाज में, उसकी अवस्थाओं में, हम जान सकें या न जान सकें, मगर एक-सा अन्तर होता रहता है। ससार में चिरन्तन अथवा सनातन जैसा कुछ नहीं है। जगत् का अथवा समाज का स्वरूप जैसे परिवर्तनशील है उसी तरह उसका अवलोकन व निरीक्षण करके उसमें अपने अनुकूल परिवर्तन कैसे होंगे या उसके परिवर्तन हमारे अनुकूल कैसे बनाये जा सकेंगे इसका शोध करनेवाली मानवी बुद्धि का जान भी सतत बढ़ता रहता है। समाज की एक अवस्था में न्याय-स्थापना के लिए जो तत्व उपयोगी होते हैं वही दूसरी अवस्था में अनुपयोगी और विवातक सामित होते हैं। जिस बुद्धि को यह

अनुभव होता है कि समाज की जीवन-यात्रा जिस तत्व के अनुसार चलती आ रहा है उसके अनुसार अब आगे नहीं चल सकती, उसे प्रत्यापित सामाजिक अवस्था की अपूर्णता व सदोषता जँचने लगती है। मानवी बुद्धि में इश्य विश्व व इश्य सामाजिक परिस्थिति का प्रतिबिम्ब पड़ता है। इस प्रतिबिम्ब को देखकर जब मनुष्य को असन्तोष होता है तो वह अपने समाज की प्राचीन अवस्था का चित्र अपनी बुद्धि द्वारा देखने लगता है अथवा यदि उससे भी उसका समाधान न हुआ तो अपने समकालीन इतर समाजों की स्थिति का चित्र उसके बुद्धिनेत्र के सामने खड़ा होता है। इसकी मिसाल लीजिए : २०वीं या १६वीं सदी का परतन्त्र भारतीय अपनी राजनैतिक परतन्त्रता और आर्थिक दरिद्रता का इश्य देखकर असतुष्ट हुआ तो उसकी बुद्धि अपने प्राचीन स्वराज्य की ओर घूमती है। यदि वह पूना में हो तो उसे पूर्वकालीन मराठी साम्राज्य की याद आती है। दिल्ली में हुआ तो मुगल बादशाहत के चित्र दिखाई देते हैं। इन दोनों चित्रों को देखकर उसकी बुद्धि को जँचा कि अब वह पहले की अवस्था नहीं आ सकती अथवा वह भी अपूर्ण, सदोष व त्याज्य है ऐसा उसकी बुद्धि को लगा तो अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के स्वराज्य-चित्र उसकी आँखों के सामने खड़े होते हैं। किसी को यूरोप की प्रजा-सत्ता का स्वराज्य-चित्र प्रिय लगता है तो किसीको रूस की समाज-सत्ता का चित्र अधिक मनोरम मालूम होता है। परन्तु गतकालीन व स्थाकालीन स्वराज्य-चित्र के प्रतिबिम्बों का निरीक्षण करने के बाद किसी भी एक चित्र से बुद्धि का समाधान नहीं हो सकता व उनके दोष, अपूर्णता अथवा अन्धकार को जो बुद्धि कायल हो सकती है उसमें यदि अपूर्णता से पूर्णता की ओर, सदोषता से निर्दोषता की ओर या अन्धकार से प्रकाश की ओर जाने की मानवीय आत्मा की नित्य प्रेरणा होगी तो वह अपने राष्ट्र व समाज की भावी स्वतन्त्रता का एक नवीन चित्र खड़ा करती है और उसके अनुसार प्रत्यक्ष सृष्टि का निर्माण करके समाधान पाती है। मतलब यह कि मानवी बुद्धि में भिन्न-भिन्न काल व अवस्थाओं को देखकर उनके गुण-दोषों का निर्माण करने का जैसा सामर्थ्य

है वैसे ही नवीन आदर्श-सूष्टि निर्माण करके उसके अवलोकन करने का व उसकी सम्प्राप्ति के उपाय खोज निकालने का भी सामर्थ्य है। नवीन आदर्श-सूष्टि निर्माण करने के उसके सामर्थ्य ही को प्रतिभा कहते हैं। यों तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि में यह प्रतिभा-शक्ति अव्यक्त रूप में रहती है; परन्तु प्रकट होती है वह बाज-बाज लोगों की बुद्धि द्वारा ही। मानव-बुद्धि के लिए अजात-चेत्र में पहुँचकर नवीन सत्य को पाने व शोधन करने का जो सामर्थ्य है वह उसे कैसे और कहाँ से प्राप्त हुआ इसके सम्बन्ध में सासार में दो-तीन उपपत्तियाँ प्रचलित हैं। हम उनका भी थोड़ा चिचार कर लें।

इन उपपत्तियों को हम आधिटैविक, आधिमौतिक व आध्यात्मिक नाम भी दे सकते हैं। सामान्य बुद्धि में न आनेवाले नवीन सत्य प्रतिभावान्, असामान्य विभूति के मन में कैसे स्फुटित होते हैं, इसकी आधिटैविक उपपत्ति इस प्रकार है कि ऐसे असाधारण बुद्धि के लोगों को परमेश्वर की प्रेरणा से ये सत्य दिखाई देते हैं। वैदिक मन्त्रों के ऋषि मन्त्र-दृष्टा ये—ऋषयो मवद्रष्टार—जब सावारण लोग ऐसा कहते हैं तब उनके मन में यही आधिटैविक उपपत्ति रहती है। परमेश्वर के स्वरूप-सम्बन्धी द्वैत के तत्त्वज्ञान पर यह आधिटैविक उपपत्ति अधिष्ठित रहती है। जीवात्मा व परमात्मा ये दो ही ऐसा मानकर परमात्मा जीवात्मा के प्रश्न-चक्षुओं को नवीन सत्य का दर्शन कराता है, इस तरह यह उपपत्ति है। इसके विषयीत एक आधिमौतिक उपर्यात्त है। इसके अनुमार जीव दृष्टा है और जगत् उसका दृश्य है। इस दृश्य जगत् का दर्शन करके व उसके स्वरूप को समझकर उसमें व्यवहार करना मानव-बुद्धि का मुख्य कार्य है। दृश्य विश्व के अथवा समाज की दृश्य परिस्थितियों के परिवर्तनों का अवलोकन करना व इस परिवर्तन के नियमों को खोज निकालना मानवीय बुद्धि का धर्म है। बाह्य परिस्थिति के परिवर्तनों में से ही मानवी बुद्धि को नवीन आदर्शों का अथवा नवीन सत्य का ज्ञान होता है। यों भी कहें कि इस बात में बाह्य दृश्य परिस्थिति व उनमें होनेवाले परिवर्तन ही मानव-बुद्धि का गुरु है। यह गुरु जो-कुछ शिक्षण देगा उसके अनु-

सार मानवी बुद्धि का ज्ञान बढ़ता है व उसे जो सत्य दिखाई देगा उसे बुद्धि ग्रहण करती है। मानवी बुद्धि को नवीन सत्यों का जो दर्शन होता है उसकी यह आधिभौतिक मीमांसा है। इस मीमांसा में सारा कर्तृत्व दृश्य परिस्थिति व उठके परिवर्तन को ही दिया गया है। एक तरह से मानव-बुद्धि इस उपपत्ति के अनुसार दृश्य परिस्थिति की अथवा उसमें होनेवाले परिवर्तनों की दासी बनती है। इस उपपत्ति को यान्त्रिक-भौतिकवाद (Mechanical Materialism) कहते हैं। इसमें मानवीय बुद्धि का स्वातन्त्र्य व कर्तृत्व बिलकुल नहीं माना गया है। इसमें मनुष्य-बुद्धि को स्वतन्त्रता नहीं, मानवीय कर्तृत्व को अवसर नहीं और उससे निर्मित नीतिशास्त्र में आदर्शवाद की कोई गु जायश नहीं। उसके नीति-शास्त्र का आदर्श आधिभौतिक सुखवाद है और त्यागी आदर्शवादी मनुष्य व सुख-परायण स्वार्थी मनुष्य का मेद भी उस तत्त्वज्ञान पर बने मानस-शास्त्र अथवा नीतिशास्त्र नहीं जानते।

कार्ल मार्क्स प्रभृति कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञों का भौतिकवाद इस यान्त्रिक-भौतिकवाद से भिन्न है। मार्क्स आदि के भौतिकवाद को स्वयंविकासी भौतिकवाद (Dialectical Materialism) कहते हैं। इसका यह मत है कि जड़ निर्जीव सृष्टि के परिवर्तनों के यान्त्रिक नियम सजीव सृष्टि पर लागू नहीं होते हैं और मानवेतर सजीव सृष्टि के प्राणी-शास्त्र के नियम आदर्शवादी मानव-सृष्टि पर ज्यो-के-ल्यो लागू नहीं किये जा सकते। मानस-शास्त्र व नीति-शास्त्र के ये सिद्धान्त कि मानव-बुद्धि स्वतन्त्र है, आदर्श सृष्टि निर्माण कर सकती है और उस आदर्श की प्राप्ति के लिए स्वार्थ-न्याग-पूर्वक प्रयत्न करना मानवीपन की उन्नत अवस्था है, आदि इस भौतिकवाद को मान्य है। परन्तु उसका यह कहना है कि मानव बुद्धि को नवीन समाज-रचना के जो आदर्श सूझते हैं वे मनुष्य-समाज की आधिभौतिक बुनियाद में अर्थात् उसमें रुद्ध धनोत्पादन व धनविभाजन-पद्धति में क्रान्ति होने के कारण सूझते हैं और इसलिए, दृश्य सामाजिक परिस्थिति के परिवर्तन मानवीय आदर्श सृष्टि के परिवर्तन का कारण हैं व इस कारण का विचार किये जिना इस बात

की ठीक-ठीक मीमांसा नहीं हो सकती कि मानवीय इतिहास में जो भिन्न आदर्श बने वे क्यों बने व पुराने आदर्शों को पीछे हटाकर नवीन आदर्श प्रस्थापित करनेवाली क्रान्ति क्यों हुई ? परन्तु यान्त्रिक-भौतिकचाद की तरह मानव-तुदि की स्वतंत्रता उसके द्वारा निर्मित आदर्श-सुष्ठुपि का महत्व व इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य-बलों की व आदर्श स्याग की आवश्यकता का महत्व मार्क्स-प्रस्थापित के भौतिकचाद में अमान्य नहीं । परिस्थिति मानव-तुदि की गुरु है यह मानकर भी इस परिस्थिति को मार्ग दिखाने का सामर्थ्य आदर्श निर्माण करनेवाली मानव-तुदि को है व इस दृष्टि से परिस्थिति-रूप गुरु को सिखाने का काम मानव-तुदि करती रहती है, इस सिद्धान्त पर यान्त्रिक-भौतिकचाद ने ध्यान नहीं दिया ऐसा मार्क्स ने साफ तौर पर कहा है ।

इसका अर्थ यह हुआ कि 'परिस्थिति मानवी तुदि की गुरु है' इस सिद्धान्त से आगे बाकर परिस्थिति का भी गुरुत्व अथवा प्रभुत्व मानवी-तुदिध को देना लाजमी हो जाता है । किन्तु समाज के सभी व्यक्तियों की बुद्धि में यह स्वतंत्रता नहीं रहती । इसलिए परिस्थिति जो अपने सामने झुकाकर उसपर प्रभुत्व जानेवाले मनस्ती पुच्छ व प्राप्त परिस्थिति के सामने झुक जानेवाले माधारण लोगों के कर्तृत्व और तुदि में अपने आप मेड करना पड़ता है । कार्ल-मार्क्स का कहना है कि पुराने भौतिकचाद में ऐसा मेड किया भी गया है ; परन्तु उसे यह दौत मलूर नहीं । सामाजिक परिस्थिति व समाज की मनोगत आदर्श-सुष्ठुपि का परिवर्तन परस्परावलम्बी व परस्पर सापेक्ष होता है । उनके कार्य-कारण-सम्बन्ध भी दोनों पक्ष में प्रतियोगी रहते हैं । इसलिए सामाजिक परिस्थिति में हीनेवाले परिवर्तनों का विचार न करने से आदर्श सुष्ठुपि का विकास समझ में नहीं आ सकता । उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तनों की मीमांसा भी मानव-तुदि की आदर्श निर्माण करने की शक्ति और मनुष्य-कर्तृत्व की उपेक्षा करने से नहीं की जा सकती । कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक तत्व-मीमांसा में जो नई और महत्व की बात जोड़ी है वह यही है । हेगेल प्रभृति आध्यात्मिक इतिहास-मीमांसकों ने महत्व सामाजिक आदर्श

के विकास पर सारा जोर देकर समाज की भौतिक परिस्थिति के उन परिवर्तनों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिनके कारण उन आदर्शों का विकास हुआ है। इस कमी को पूरा करने के लिए मार्क्स ने अपनी इतिहास की भौतिक मीमांसा निकाली व उसके आधार पर समाज-सचा व क्रान्ति का भविष्य बतलाया। परन्तु इसके लिए उसने न तो यान्त्रिक भौतिकवाद को स्वीकार किया और न मानव-बुद्धि की स्वतन्त्रता व मानवी कर्तृत्व की आवश्यकता की अवहेलना की।

मनुष्य स्वतन्त्र है व अपने बुद्धि-बल से दृश्य चिश्व व सामाजिक परिस्थिति के परिवर्तनों के नियम निकालकर नवीन आदर्श का निर्माण व स्थापन कर सकता है। यह सही हो तो भी उसका यह स्वतन्त्र्य व समार्थ सृष्टि के अन्तर्बाह्य नियमों से मर्यादित है व उन नियमों का उल्लंघन करके नहीं बल्कि उनका पालन व उपयोग करके ही वह अपनी स्वतन्त्रता का आनन्द पा सकता है, यह हरभिज न भूलना चाहिए। इस विषय में अध्यात्मवादी हेगेल और स्वयं-विकासी भौतिकवादी मार्क्स-एंजल्स में मत-भेट नहीं। एंजल्स ने मानवी स्वतन्त्रता के सिद्धान्त और सृष्टि के परिवर्तन के नियमों की नियति का समन्वय हेगेल के पूर्वोक्त मत के आधार पर हो किया है। सृष्टि की नियति का उल्लंघन मनुष्य नहीं कर सकता, बल्कि उसका ज्ञान प्राप्त करके उसके नियमों का पालन करते हुए ही, उसपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। इन्द्रियोचर बाह्य दृश्य सृष्टि व सेन्ड्रिय जीव की आन्तरिक, बाह्य इन्द्रियों के लिए अगोचर सृष्टि, इन दोनों पर भी, उनके परिवर्तन-नियम जानकर, मनुष्य अपनी मर्यादित स्वतन्त्रता चला सकता है व ऐसा करना उसका श्रेष्ठ कर्तव्य भी है।

यह विवेचन स्वयं-विकासी भौतिकवाद के आधार पर हुआ। अब यह देखना है कि अद्वैत-वेदात इसके आगे चलकर क्या कहता है? ऊपर एंजल्स का मानवी स्वतन्त्रता-सम्बन्धी जो सिद्धान्त बताया गया, उसमें यह कहा गया कि मनुष्य के लिए जैसे इन्द्रियोचर बाह्य सृष्टि पर प्रभुत्व प्राप्त करना आवश्यक है वैसे ही मनोगोचर अन्तःसृष्टि पर भी आवश्यक है।

पहला प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक विद्या का व दूसरे के लिए अध्यात्म-विद्या का अध्ययन करना पड़ता है। इन्द्रियोचर दृश्य विश्व और सेन्ट्रिय दृष्टि जीव उन दोनों के व्यवहार व परिवर्तन के नियम अव्यक्त रहते हैं। इन्द्रियोचर सृष्टि-परिवर्तन के ये अव्यक्त नियम जानना मानवी दुद्धि का काम है। उसे भी खोजकर मनुष्य को जानना पड़ता है। दृश्य व दृष्टि दोनों के व्यक्त स्वरूप में परिवर्तन लानेवाले अव्यक्त नियम अथवा उनके अव्यक्त स्वरूप एक ही है व इसीलिए अद्वैत-वेदात् का मत है कि दृष्टि दृश्य-विश्व के परिवर्तनों को अपने अनुकूल बनाने का सामर्थ्य रखता है व अपनी दुद्धि से आदर्श सृष्टि निर्माण करके उनपर प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है। दृष्टि व दृश्य दोनों के अव्यक्त स्वरूप से जव-तक तादात्म्य नहीं हो जाता तबतक मनुष्य, अध्यात्म-विद्या हो या भौतिक विद्या, उनके नवीन सत्यों का दर्शन नहीं कर सकता। वृत्तिक यो कहें कि जो अव्यक्त स्वरूप को नहीं समझ सका वह जीव सृष्टि व दृश्य-सृष्टि का स्वरूप भी ठीक-ठीक नहीं समझ सकता। हमारा अर्थात् जीवात्मा का, जो शुद्ध अव्यक्त स्वरूप है वही परमात्मा है। परमात्मा किंवा परमेश्वर जीव और जगत् का ही एक अव्यक्त व शुद्ध रूप है और कुछ नहीं। परमेश्वर हमारे प्रजा-चक्षुओं को नवीन सत्य का दर्शन कराता है व मन्त्र-दृष्टि समाधि-अवस्था में उनका दर्शन करते हैं—इसका अर्थ यही है कि हमारे अव्यक्त अन्तरात्मा के जाग्रत होने से हमारी दुद्धि में स्फूर्ति या तेज आता है व वह अपने दृश्य-संशोधन विषय में तज्ज्ञिन हो जाती है जिससे वह आदर्श सृष्टि का दर्शन कर सकती है। इस दृष्टि से सामान्य दुद्धि व प्रतिभा, अथवा जीवात्मा व परमात्मा, दृश्य-जगत् और उसके अव्यक्त नियम अथवा परिवर्तन-कारण, इनमें अद्वैत-वेदान्त भेद की कल्पना नहीं करता। दृश्य-जगत् का स्वरूप दृष्टि के ज्ञान पर अवलम्बित रहता है। अज्ञानी व ज्ञानी जीव की सृष्टियाँ भिन्न-भिन्न रहती हैं, जिनमें पहली मोहमयी व दूसरी सत्य है। ज्ञानी जीव को सत्य सृष्टि प्रतीत होती है व अज्ञानी जीव को अज्ञानी सृष्टि। यह अज्ञान व ज्ञान भौतिक व आत्मिक दो तरह का है। आत्मिक ज्ञान से दृष्टि का

अव्यक्त स्वरूप प्रतीत होता है व भौतिक ज्ञान से दृश्य-जगत् का । जो मनुष्य अव्यक्त परमात्मा से एक-रूप हो गया है वह किसी भी देवता की शरण नहीं जाता या यों कहें कि आत्म-स्वरूप से भिन्न किसी भी परमेश्वर को नहीं जानता । शकराचार्य कहते हैं :

“नाह नमामि देवान् । देवानतीत्य न सेवते देवम् ॥

न तदनु करोति विधान । तस्मै यतते नमो नमो महाम् ॥”

अर्थात्—मैं किसी भी देव को नमस्कार नहीं करता । देवाताओं के परे चले जानेवाला मनुष्य किसी भी देव की सेवा नहीं करता व उसके बाद किसी भी तरह का पूजा-विधान नहीं करता । मैं खुद यत्न-शील, अपने को ही बारबार नमस्कार करता हूँ । यदि ऐसा कहें कि परमेश्वर नहीं है तो जीव और जगत् के अव्यक्त शुद्ध रूप की ओर साधारण लोगों का ध्यान नहीं जाता । अतः लोगों को यह सिखाने के लिए कि जीव व जगत् का अव्यक्त स्वरूप भी है, आस्तिकवाद ग्रहण करना पड़ता है । परन्तु आस्तिकवाद स्वीचार करने से आप लोग यह मानकर कि अपने उद्धार की सारी जिम्मेदारी व वोभा उठानेवाला परमेश्वर नामक जीव व जगत् से भिन्न कोई तीसरा पदार्थ है, निष्क्रिय बन जाते हैं व वही हमारी बुद्धि में प्रकाश ढालेगा, ऐसा समझकर अपनी बुद्धि तक नहीं चलाते । महान् पुरुष अपनी बुद्धि से जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे वे परमेश्वर-निर्मित मानते हैं व उसके लिखे ग्रन्थ को पवित्र मानकर शब्द प्रमाण की ओर झुकते हैं । बुद्धियोग और कर्मयोग का इस प्रकार लोप होने से भौतिक विद्या व आत्मविद्या की प्रगति रुक जाती है, धर्म के नाम पर अधर्माचरण होने लगता है व विद्या ज्ञान के लिए नहीं विवाद के लिए है, ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है । मनुष्य को बताना पड़ता है—“परमेश्वर और कुछ नहीं, जीव व जगत् का अव्यक्त रूप ही है व यह दृश्य-विश्व है—अपूर्णता से पूर्णता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अनधकार से प्रकाश की ओर जानेवाली मनुष्य की यत्न-रूपी व ससार की अनन्त वस्तुओं में अखण्ड परिवर्तन करनेवाली, अव्यक्त शक्ति का व्यक्त रूप । वही दृष्टि व दृश्य का अव्यक्त स्वरूप अर्थात् परमेश्वर है । तू ही परमेश्वर

है, 'परमेश्वर ही जगत् है। उसी के कारण सासार में परिवर्तन व तेरा उद्धार होता है। तू ही खुद अपना उद्धार कर सकेगा। यत्न ही परमेश्वर है। 'परमेश्वर है' यह तेरी वाणी बोलती हो तो भी वह भिन्न नहीं है ऐसा ही तू अनुभव कर व भौतिक विद्या और आध्यात्म-विद्या की सहायता सेकर अपने प्रयत्न से सासार पर प्रभुत्व पाने का अपना अधिकार तू प्राप्त कर।'" भारतीय तत्त्वज्ञान के आज तक के सारे ज्ञान का यह सार तथा अमृत है। आत्म-ज्ञान का यह सिद्धान्त भौतिक ज्ञान की वृद्धि अथवा उपासना के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही है। वह जिस प्रकार मानवी प्रयत्न, जीव का स्वातन्त्र्य व वृद्धि की आदर्श निर्माण करने की शक्ति का विरोधी नहीं उसी प्रकार आत्मसुष्ठि व भौतिक सुष्ठि के नियमों का, वर्त्तक नियति का भी, विरोधी नहीं। सुष्ठि के नियम और जीव-स्वातन्त्र्य का उसमें समन्वय है व जीवात्मा को परावर्तनी न बनाकर स्वावलंबी आत्मोद्धधार का ही उपदेश करता रहता है। भौतिक फलों की प्राप्ति का जिस प्रकार प्रयत्न ही एक साधन है उसी प्रकार वह आत्मज्ञान या मोक्ष-प्राप्ति का भी साधन है। मोक्ष की कोई पोटड़ी ईश्वर के पास नहीं है। चित्त-शुद्धि और इन्द्रिय-जय के द्वारा मन को निर्विषय करना मोक्ष-प्राप्ति का सही उपाय है। अद्वैत सिद्धान्त का यही सन्देश मनुष्य के लिए है।

आधुनिक यूरोप की प्रगति का श्रेय वहाँ के व्यापारी-वर्ग को है। आज उस प्रगति को रोकने का श्रेय भी उसी वर्ग को है। यूरोप का नेतृत्व व्यापारी-वर्ग के हाथ में आने पर वहाँ की संस्कृति का भौतिक बन जाना स्वाभाविक था। भौतिक सम्पत्ति का अर्जन ही समाज में इनका कार्य और वही इनका नित्य व्यवसाय—इससे मानवी सुख ही भौतिक सुख और भौतिक सुख का अर्थ धन से प्राप्त सुख, ऐसी मानवी सुख की व्याख्या यूरोप में शीघ्र ही रुढ़ हो गई। फिर व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का अर्थ हुआ धनार्जन की स्वतंत्रता, व्यक्ति-सुख का अर्थ हुआ धन से मिलनेवाला सुख। इस व्यक्तिगत सुख व धन की रक्षा करना राज्य सत्ता का आठि-कर्तव्य हुआ व राज्य-सत्ता हुई व्यक्ति-गत संपत्ति की रक्षा करनेवाली स्थिति। इस तरह का आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक तत्त्वज्ञान वहाँ शीघ्र

ही फैल गया। व्यापारी-वर्ग के सामाजिक तत्वज्ञान से 'व्यक्ति यदि अपनी सपत्ति बढ़ाता है, तो राष्ट्र की सपत्ति अपने-आप बढ़ती है।' इसलिए राजसत्ता व्यक्ति की आर्थिक उन्नति में बाधक न बने। उसे बाधक न बनने देने के लिए राजसत्ता को लोग अपने हाथ में लें व प्रत्येक देश के लोग अपने राष्ट्र की सम्पत्ति, सत्ता व वैभव बढ़ाने का प्रयत्न करें, इसी में व्यक्ति, राष्ट्र और समस्त मानव-जाति का कल्याण है।' ऐसा मायावी वेदान्त उत्पन्न हुआ। धनार्जन ही सब विद्याओं और शास्त्रों का ध्येय बन गया। अपने राष्ट्र का भौतिक सुख ही सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म बन बैठा। राज-सत्ता को लोक-सत्ता का रूप प्राप्त हुआ, परन्तु यह लोक-सत्ता शीघ्र ही धलिक-सत्ता बन गई और धनिक वर्ग का ही हित राष्ट्र का हित मान लिया गया।

यह व्यक्तिवादी, सामाजिक विचार-श्रेणी कुछ समय तक यूरोप की प्रगति का कारण बनी। जबतक व्यक्ति बिना कष्ट के धनार्जन नहीं कर सकता था, जबतक साहस ही से श्री नहीं प्राप्त होती थी और जबतक संयम के बिना सचय नहीं हो सकता था, तबतक यह कहा जा सकता था कि मनुष्य ने जो-कुछ कमाया वह उसकी मेहनत का फल है; प्रत्येक व्यापारी को जो नफा मिलता था वह उसके साहस का फल है। प्रत्येक साहूकार को जो व्याज मिलता था वह उसके संयम का फल है। परन्तु जबसे धनोत्पादन के साधन बढ़ल गये, उद्योग-धन्धे बढ़ गये और छोटे यह-उद्योग टूटकर बड़े-बड़े कारखाने बन गये तबसे यह व्यक्तिवादी अर्थ-शास्त्र व समाज-शास्त्र, जो छोटे धन्धों से उपजीविका करनेवाले समाज पर लागू होता था, इस कारखानेदार व पूँजीवादी समाज पर लागू न होने लगा। पूँजीवादी समाज में धनार्जन और कष्ट का अनुपात लगा रहता है। धन-सचय का और संयम का कुछ संबंध नहीं रहता और यदि नफेजाज पूँजीपति को साहस करना भी पड़ा तो वह अपने कष्टार्जित धन पर नहीं, ग्रायः दूसरों के धन पर ही सभव होता है। समाज के धनोत्पादन के सब साधन अत्पंसंख्यक वर्ग के पास चले जाने पर, व बहु-सख्यक निर्धन-वर्ग को जीवन के आत्मशयक साधन प्राप्त करने के

लिए श्रमणी श्रम-शक्ति को बेचकर इन आत्म-संस्थक धनिकों का दास बनने की नौवत आने पर, इन दोनों वर्गों में हानेवाले ठहराव व इकार खेच्छापूर्वक या राजी-रजामन्दी के इकार नहीं हो सकते। इस प्रकार आर्थिक गुलामी में हूँवे निर्भन, आशन व आसंगाडित व्यक्ति को शासन-कार्य में धनिक, विद्वान् व सरगठित वर्ग के व्यक्ति के बरबर एक मत का आधिकार देने से सदी लोकसत्ता नहीं पैदा हो सकती। ऐसे प्रजा-सत्ताक राज्य की सब प्रातिनिधिक सूचयाएँ धनिक-वर्ग के हृथ में चली जाती हैं। उहमें सब कानून-कायदे धनिक-वर्ग की सपत्ति के लिए बनाये जाते हैं। ऐसी प्रातिनिधिक सूचयाओं के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमंडल धनिक-वर्ग की संपत्ति की रक्षा करनेवाली एक दृष्टधारी सूचा बन जाती है। लोक-सत्ता का अर्थ है लोकमतानुसार शासन करना, परन्तु लोकमत बनानेवाले अखबारों व पुस्तकों पर, नहीं-नहीं जान-दान करनेवाले विद्यापीठ व सर्वजनिक शिल्प-संस्थाओं पर भी देश के धनिक-वर्ग का आक्रमण व प्रत्यक्ष निर्यत्रण होने लगता है। ऐसी लोक-सत्ता में व्यक्ति-सत्त्व का अर्थ धनिकों का सुख और निर्भनों की दासता और राष्ट्रहित का अर्थ धनिक-सत्ता का व राष्ट्रवाद का साम्राज्यवाद का विकृत रूप प्राप्त होता है।

इस विकृति को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है—समाज के धनोत्पादन के साधन धनिक-वर्ग की निजी सपत्ति में से निकालकर सर्वजनिक मिलकियत बना देना—अर्थात् समाज-सत्ताक प्रजा-सत्ता स्थापित करना। यूरोप के सामाजिक तत्वज्ञ आज इस बात को मानते हैं, परन्तु आधुनिक यूरोप के सामने आज यहीं एक प्रश्न है कि यह काति की कैसे जाय? इस प्रश्न का जो उत्तर काल मार्क्स ने दिया है उसी में से आज के वैज्ञानिक समाजवाद उस कम्युनिज्म और उसके वर्ग-युद्ध-रूपी क्रातिशाल का जन्म हुआ है। इसके विपरीत इस काति को रोकने के लिए व प्रजासत्ता का आवरण हटाकर, नागरिकों की मूलभूत स्वतन्त्रता को छीनकर, केवल पूँजी-प्रधान समाज-रचना को चिरत्तन करने के लिए फासिज्म का उदय हुआ है। मालिक और मजदूर इस वर्गभेद को मिटाकर

एकवर्गीय समाज-रचना करने के लिए कम्यूनिज्म का क्राति-शास्त्र बना। इसके विपरीत प्रचलित वर्ग-भेद कायम रखकर समाज-सत्ताक क्राति को दबाने के लिए फासिज्म का क्रान्ति-प्रतिचंचक शास्त्र आज यूरोप में निर्माण हुआ है। इन दोनों शास्त्रों का विश्वास शस्त्र-बल पर है। शस्त्र-बल के भगव्हों के इस बातावरण में, आधुनिक यूरोप में, आत्म-बल पर अधिष्ठित क्रान्ति-शास्त्र फैलाने की अथवा इडे पैमाने पर उसके अवलंबन लिये जाने की सभावना आज तो नहीं दिखाई देती। आधुनिक भारत में आत्मबल के जिस निःशस्त्र क्रान्ति-विज्ञान का विकास हुआ है वह कम से-कम भारतवर्ष में, प्रजा सत्ता से समाज-सत्ता में जाने के जरूर काम आवेग और आज जो उसे अकेली राष्ट्रीय प्रजा-सत्तात्मक क्रान्ति का रूप मिला है उसके विकास में से ही स्वतंत्र भारत की सर्वांगीण सामाजिक क्रान्ति पैदा होगी-ऐसा हमारा मत है।

कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद का भी थोड़ा विचार यहाँ कर लें। मार्क्स ने यूरोप की पिछली दो-तीन सदियों के इतिहास का अवलोकन करके अपने शास्त्रीय या वैज्ञानिक समाज-सत्ता के क्रातिवाद का स्वरूप निश्चित किया। मध्ययुगीन यूरोप में, सामन्तशाही के उदर में से ही व्यापारी-वर्ग का उदय हुआ। सरदारों और राजाओं की भौतिक व आर्थिक जरूरतें पूरी करने के व्यवसाय से उसकी बढ़ती हुई। इस बाद में सरदार लोगों की ओर से विघ्न डाला जाने लगा। उनकी आपसी संघर्ष से देश में शाति नहीं रहती थी, जिससे व्यापार व लेन-देन की उन्नति नहीं हो सकती थी। यह देखकर सरदार-वर्ग को मिटाने में राजा लोगों की उसने मदद की और सामन्तशाही को मिटाने में सहयोग दिया। यह सामन्तवर्ग हमारी वर्ण-व्यवस्था का क्षत्रिय-वर्ण था। सामन्तशाही-पद्धति में लोगों की रक्षा करना उनका व्यक्तिगत कार्य ही था। आसपास चार सिपाही इकट्ठे किये और अपने बाहुबल से चाहे जहाँ एक छोटा-सा राज्य कायम कर लेते थे। यह बिलकुल प्रारम्भिक अवस्था का क्षात्र-धर्म था। फिर चार की जगह चार सौ सिपाही व चार हजार पैदल व धुम्पसवार इकट्ठे करके उन्होंने धड़ाधड़ राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया। ताहम कुछ

समय तक इन सामन्त लोगों ने देश व प्रजा की रक्षा की। परन्तु बाद को यह लोग व्यापारियों व साहूकारों को ही लूटने लगे व देश में अराज-कता फैलाने लगे। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एकत्रिती शासन स्थापित करने में इससे रक्खावट पैदा होने लगी और शाति-काल में जो सम्पत्ति और स्वस्कृति की उन्नति हो सकती है वह रुक गई। इसके विपरीत व्यापारी-वर्ग, स्वदेश और विदेश में व्यापार करके अपने देश की धन-टौलत बढ़ाने लगा। तब राजाओं ने इस सामन्त-वर्ग को, जो देश की साम्पत्तिक उन्नति में बाधा डालता था नष्ट करके, रक्षण की बिभेदारी अपने हाथ में ली और इन उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण किया। उस समय इस सामन्त-वर्ग ने परम्परागत व्यक्तिगत अधिकार और स्वतन्त्रता-रक्षा के नाम पर इस राष्ट्रीयकरण का विरोध किया। उसने यह पुकार मचाई कि हमारे जैसे अभिजात श्रेष्ठ वर्ग को कल के उपजे व्यापारी-वर्ग के समान टर्जे में ला रखना अप्राकृतिक है। ऐसी सामाजिक विषमता कानून के द्वारा नहीं पैदा की जा सकती, निधन कुछ समय तक वह कायम नहीं रह सकती। जागीरें दिये विना सेनापतित्व स्वीकार करके देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को कोई भी आगे न बढ़ेगा और इसलिए, जागीरदार-वर्ग को नष्ट करने से अन्त में राष्ट्र की ही हानि होगी ऐसा भय उन्होंने दिखलाया। फिर भी यूरोप के बड़ते हुए व्यापारी-वर्ग ने अभीष्ट सामाजिक व राजनैतिक क्राति कर ही डानी। तब राजा अपनी सैनिक-सत्ता व सम्पत्ति का दुर्लभयोग करने और धनिक समाज पर मनमाना कर लाठने लगे, तब किसानों का नेतृत्व करके, व्यापारी-वर्ग ने प्रजा-सत्ता की स्थापना की, सामाजिक समता की घोषणा की व राष्ट्रीय बन्धुमावना का दिहोरा पिटवाया। इस तरह जर्मांदार, जागीरदार व व्यापारी-वर्ग की सलाह से यूरोप में प्रजा-सत्ता का जन्म हुआ। बाद को यही व्यापारी साहूकार, औद्योगिक क्राति के पश्चात्, मिलमालिक और कारखानेदार बन गये।

इस औद्योगिक क्राति से धनोत्पादन को मात्रा बढ़ गई; परन्तु अब इस मात्रा-भेद से प्रकार-भेद पैदा हो गया। छोटे पैमाने के उद्योग धन्धों से धनोत्पादन प्रायः मालिकों के श्रम से होता है। बड़े-बड़े कारखानों से

धनोत्पादन मालिक के अम से नहीं, बल्कि मजदूरों के अम से होता है। इस तरह धनोत्पादन की मात्रा के बढ़ते ही उसका प्रकार भी बदल गया। मात्रा-भेद से जब प्रकार-भेद पैदा होता है तब फिर पहले की समाज-रचना का प्रकार भी बदलना पड़ता है। जो बन्धन छोटे धन्धोवालों के समाज में निभने के लिए काफी होते हैं वे बड़े उद्योगपतियों को नहीं होते।

कोई प्राणि-शास्त्रज्ञ शायद यह कहे कि घरेलू चिल्ही, जंगली चिल्ही और शेर इनकी आकृति में कदाचित् मात्रा-भेद ही है। परन्तु कोई समाज-शास्त्री यह नहीं कहेगा कि घरेलू चिल्ही की तरह जंगली चिल्ही या शेर को समाज में विना रोक-टोक के आचाद रहने दिया जाय। वैल-गाड़ी की राहदारी का नियंत्रण करने के लिए जो नियम काफी होते हैं वे मोटर के लिए काफी नहीं होते और पॉच-पचास घर के गेंव के सार्वजनिक आरोग्य के नियम पॉच-पचास हजार घरवाले औद्योगिक शहर की आरोग्य-रक्षा के लिए काफी नहीं होते। इन उदाहरणों से यह दिखाई देगा कि मात्रा-भेद से प्रकार-भेद पैदा होता है और जब समाज के सामाजिक व्यवहारों का परिणाम और प्रकार बदलता है तो उसके नियम का भी प्रकार बदल जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि पहले की समाज-रचना का सारा रूप ही बदल कर उसमें क्रान्ति करनी होती है। कार्ल मार्क्स ने यह दिखाया कि औद्योगिक क्रान्ति के कारण ऐसी ही एक सर्वांगीण सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता ही नहीं बल्कि शक्यता भी उत्पन्न हो गई है। सामन्तशाही से प्रजासत्ता में जाने की क्रान्ति जिस तरह व्यापारी-वर्ग के नेतृत्व से हुई उसी तरह उसने यह भी बता दिया कि, प्रजासत्ता से समाजसत्ता की अवस्था में जाने की क्रान्ति मजदूर-वर्ग करेगा, जो कि पूजीवाद के अधीन बना है, उसी के काम के लिए संगठित हुआ है और उसी समय में धनोत्पादन का काम अपने संगठित प्रयत्न से करते हुए ज्ञान-ज्ञान जिसका शोषण होता है।

उसका यह मत था कि यह क्रान्ति एक-वर्गीय समाज की स्थापना करके मानव-समाज की नैतिक व सास्कृतिक उन्नति करेगी, परन्तु उसका यह भी कहना था कि उस क्रान्ति के लिए यह एक ही कारण काफी न

होगा। समाज की एक रचना मिटकर जब उसकी जगह दूसरे प्रकार की रचना अस्तित्व में आती है तब वह केवल नैतिक व सास्कृतिक उन्नति की आकांक्षा से ही नहीं हो सकती। कोई भी समाज-रचना महज नैतिक व सास्कृतिक हाइ से अपूर्ण हो तो इसी कारण से लोग उसे बदल डालने या उसमें क्राति करने के लिए तैयार नहीं होते। उसमें क्राति उसी अवस्था में होती है जब वह अपने अन्तर्गत विरोधों से नष्ट-प्राप्त हो जाती, अच्छी तरह चल नहीं सकती या नष्ट हो जाती है, और सब लोग वह समझने लगते हैं कि उससे हमारी जीवन-याचा अब चल नहीं सकती। प्रत्येक समाज-रचना में ऐसे अन्तर्गत विरोध रहते हैं व बढ़ते हैं और जब वह समाज-रचना दूट पड़ती है, तभी नवीन समाज-रचना स्थापित करनेवाली क्राति होती है। इस प्रकार के अन्तर्गत विरोध पूँजीवादी समाज-रचना में हैं और उसकी बढ़ती के साथ-साथ बढ़ते भी हैं। प्रत्येक समाज-रचना के विनाश-बीज उसीके इस अन्तर्विरोध में खुले-मिले रहते हैं व उस समाज-रचना की बढ़ती के साथ उनकी भी वृद्धि होती रहती है। पूँजीवाद के विकास के साथ ही उसके विनाश-बीज यानी मजदूर वर्ग भी बढ़ और संगठित हो रहा है।

पूँजीवाद का प्रमुख अन्तर्विरोध इस प्रकार बताया जा सकता है—
 ‘इस समाज-बन्ध की तमाम प्रेरक शक्ति व्यक्तिगत नफा व स्पर्धा में है। मुनाफे के लिए मजदूरों का वेतन कम करना और माल की दर बढ़ाना ये दो साधन पूँजीपति काम में लाता है व आपस की ग्रतिस्पर्धा के कारण मजदूरों को चूसने की नीति वह नहीं छोड़ सकता। मजदूरों का वेतन कम करके उन्हें चूसना और अपने माल की खपत बढ़ाना, दोनों बातें एक-दूसरे से मेल नहीं खाती। आम जनता का शोषण होने से उसकी क्रय-शक्ति कम होती है व खरीददार न मिलने से माल की खपत न हुई तो कारखाने बन्द करने पड़ते हैं। कारखाने बन्द हुए तो लोग बेकार होते हैं और बेकारी से जनता की क्रयशक्ति और भी घट जाती है। इसीसे ओद्योगिक संकट पैदा होते हैं। सकटों को दूर करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों ने साम्राज्य का अवलोकन लिया। इससे कुछ समय तक वे इस

सकट से बचे रहे। ताहम आज यूरोप के साम्राज्यवादी देश, इस उपाय से भी, उस सकट को दूर नहीं कर सकते। इससे छूटने के लिए जिस साम्राज्यवाद का अवलबन उन्होंने लिया उसके द्वारा आज पहले से भी अधिक भयकर सकट-परम्परा महायुद्ध के रूप में उनके सामने आ गई है। फिर साम्राज्य के विजित राष्ट्र भी अपनी औद्योगिक उन्नति करके यूरोपीय राष्ट्रों से औद्योगिक स्वर्धा कर रहे हैं जिससे चीन, हिंदुस्तान जैसे देशों की मछियों उनके हाथ से जा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिन यूरोपियन पूँजीपतियों ने चीन व हिंदुस्तान में अपनी पूँजी लगाकर कारखाने खड़े किये उन्हींकी स्वर्धा आज यूरोपियन कारखानेवालों को तुम रही है। हिंदुस्तान-जैसे देश का सौ साल तक सतत शोषण होने से यहाँ की निर्धन जनता भी यूरोपीय कारखानेवालों का माल ले नहीं सकती। इस तरह जिस सकट को वे टालना चाहते थे वह अधिक भीषण रूप में उनके सामने आ खड़ा हुआ है। प्रत्येक देश में मालिक और मजदूरों का वर्ग-कलह जोरों पर है, जिसमें से क्राति हुआ ही चाहती है। इस तरह पूँजी-वादी समाज-रचना व स्वस्कृति अपने अन्तर्विरोध के हवन-कुण्ड में जल-कर भस्म हो जावेगी'—मार्क्स की यह भविष्यवाणी यूरोप में बहुत कुछ सच निकली है व सच निकलने की विलकुल तैयारी में है, यह कहना गलत नहीं। लेकिन 'यूरोप की वर्तमान पूँजीपति-स्वस्कृति नष्ट होने पर उसमें से नवीन समाज-सत्ताक स्वस्कृति निर्माण होगी।' मार्क्स का यह कथन अवश्य ही सच होगा, यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। हमें इसकी सभावना बहुत कम मालूम पड़ती है। परन्तु हों, इस बात में कोई सन्देह नहीं कि मानव-स्वस्कृति अब आगे समाज-सत्ताक रूप ही धारण करेगी।

मार्क्स के क्राति-शास्त्र का स्वरूप समझने के लिए उसके एक-दो और मतों का जिक्र करना जरूरी है। समाज-सत्ताक क्राति साधरणतः प्रजा-सत्तात्मक वैध उपायों से नहीं बल्कि सशस्त्र क्राति के द्वारा सफल होगी यह उसका साधारण सिद्धात था। उसका मत था कि इस समाज-सत्ताक सशस्त्र क्राति के बाद कुछ समय तक अनियन्त्रित मजदूर-सत्ता (Dictator-

torship of Proletariat) स्थापित होगी। जब पूँजीवाद निर्मूल हो जायगा तो समाज में मजदूर-वर्ग के अलावा कोई वर्ग बाकी न रहेगा और एकवर्गीय समाज-रचना स्थापित हो जायगी। इस एक-वर्गीय समाज-रचना में धनोत्पादन के सब साधन समाज की मिलित्यत हो जायेंगे, जिससे सामुदायिक धनोत्पादन का सारा लाभ सबको एक-सा मिलेगा। सबके सुख की मात्रा बढ़ जायगी, सबकी आवश्यकताएँ यान्त्रिक उत्पादन की सहायता से बहुत थोड़े कष्ट में पूरी होने लगेगी। यह विश्वास रहेगा कि हमारे कष्ट का फल कोई दूसरा वर्ग नहीं छुनेगा, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आज या कल सबका सब हमारे या हम-जैसे मजदूरों को आज या अगली पीढ़ी में मिलता रहेगा जिससे वे खुशी-खुशी धनोत्पादन के सब कष्ट स्वीकार करेंगे। बाल, बृद्ध, चीमार सबकी सेवा-शुश्रूषा समाज के द्वारा होती रहेगी और सब प्रौढ़ सशक्त व्यक्तियाँ को काम देकर उनकी आवश्यकता के योग्य वेतन देने की व्यवस्था समाज करेगा। समाज के सब लोगों को ऐसी स्थिरता का अनुभव होने से धन-सचय का लोभ कम हो जायगा। जब समाज में ऐसा लोकमत बन जायगा कि समाज के किसी भी वयस्क और सशक्त व्यक्ति को बिना काम किये पैसा या धन नहीं मिल सकता व ऐसा करना उचित भी नहीं तथा ऐसा प्रत्यक्ष व्यवहार समाज में सालों तक होता रहेगा व जब समाज की भौतिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए कम श्रम की जरूरत रहने से एकवर्गीय समाज में अनेक वर्षों तक बन्धु-भावना रुद्ध हो जायगी व मजदूर-संस्कृति की स्थापना होगी तो फिर समाज में किसी प्रकार के दशङ्घारी शासन-यन्त्र की जरूरत नहीं रह जायगी। सामाजिक विषमता से पैदा होनेवाले अपराध, अत्याचार, अशांति भिट जायगी व मजदूर-संस्ता का शासन-यन्त्र बेकार बनकर अपने आप भिट जावेगा। इसके बाद वास्तविक वर्ग-विग्रह-रहित मानव-संस्कृति का उदय होकर मानव-इतिहास का वर्ग-विग्रही जगली युग नष्ट हो जायगा।

यह जो समाज-सत्त्वाक कान्ति का स्वरूप बताया गया, वह मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादान्तर्गत कान्ति-शास्त्र का स्थूल स्वरूप है। समाज

की प्राथमिक अवस्था को छोड़ दें तो उसकी प्रत्येक अवस्था में दो वर्ग रहते हैं—गुलाम और उनके मालिक, भूदास व जमीदार और मजदूर व मिलमालिक। इनमें से पहला वर्ग श्रम और कष्ट करके समाज के धनोत्पादन का सारा भार उठाता है और दूसरा वर्ग उनको उसमें से महज इतना-सा हिस्सा देकर जिसमें वे मात्र जी सके, शेष सारा माग खुद इडप लेता है। गुलामों का वर्ग नष्ट होने पर, मध्ययुग में, भूदास-वर्ग बना और मध्य-युगीन स्वस्कृति के लिये हो जाने पर आजकल का मजदूर-वर्ग निर्माण हुआ तथापि प्राचीन, मध्य-युगीन व अर्चाचीन तीनों काल में मानव-संस्कृति किसी-न-किसी रूप की गुलामी पर ही खड़ी रही और है। आधुनिक यूरोप में मजदूर-वर्ग स्वतंत्र नागरिक बन गया है, उसे मतदान का अधिकार मिला है। मजदूरों में से हर एक को चाहे जितना धन कमाकर पूँजीपति बनने की स्वतंत्रता कानून ने दे दी है। मगर इससे यह कहना कि पूँजीपति समाज में गुलामी नहीं है, गलत है और आज के समाज में निर्धन मजदूर-वर्ग को इकरार-स्वातंत्र्य है यह मानना चिल्कुल अभ्र है। यह ज्ञात कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छी तरह साखित कर दी है। पूँजीपति समाज में धनोत्पादन के सब साधन मुझीभर धनिकों के हाथ में रहते हैं और बहुसख्यक निर्धन-वर्ग को अपनी श्रम-शक्ति बेचनी पड़ती है व पूँजीपति जो-कुछ भी बेतन दे उसे चुपचाप ले लेना पड़ता है। इस श्रम-शक्ति से क्रय-विक्रय में मजदूर के पस्ते अधिक-से-अधिक हुआ तो महज उपजीविका भर के साधन पड़ सकते हैं व उनके बल से उत्पन्न सारी संपत्ति पूँजीपति-वर्ग को मिलती है। जिस तरह बैल के सारे श्रम-कष्ट से उत्पन्न अनाज मालिक के कब्जे में जाता है, बैल के चारा-पानी के खर्च के अलावा जो-कुछ धन बचता है वह सब मालिक को मिलता है उसी तरह समाज के मजदूर-वर्ग के उदर-निर्वाह के बाद बचा सारा धन, जमीन, व्याज व मुनाफा अनेक रूपों में मालिक-वर्ग को मिलता रहता है। इस पूँजीपति समाज में मजदूर का दर्जा बैल या गुलाम के दर्जे से भिन्न नहीं होता। इसलिए जबतक मालिक-वर्ग के पास सकलित धनोत्पादन के सब साधनों को, जिन्हें समाज के सब लोगों के जीवन-साधन

कहना चाहिये, सार्वजनिक संपत्ति बनाकर समाज-सत्ताक प्रजातत्र स्थापित न होगा तबतक भनुष्य-समाज से गुलामी का अन्त नहीं होगा, न मानव-संस्कृति से वर्ग-कलह ही नष्ट हो सकता है। मार्क्स का यह मुख्य सिद्धांत है। समाज सत्ताक अवस्था समाज को प्राप्त करने के लिए वर्ग-विश्रेष्ट से उत्पन्न मजदूर-सत्ता या श्रमिक-सत्ता एक सर्व-सामान्य उपाय है, ऐसा भी उसका मत था।

आज तक समाज में एक परोपकीयी व दूसरा श्रमोपजीवी ऐसे दो वर्ग रहते आये हैं। इनमें से राजसत्ता परोपकीयी वर्ग के पास रहने से समाज के सब कानून-कायदे, रुढ़ि, धर्माचार, धर्म-विचार, सामाजिक आदर्श, नैतिक विचार, विज्ञान और कला इन सबपर सत्ताधारी व परोपकीयी वर्ग को छाप पड़ी है। इससे आज तक की मानव-संस्कृति समाज के आधार-भूत वर्ग-भेद वर्ग विश्रेष्ट से विकृत हो चुकी है। समाज के कानून, रुढ़ि, धर्माचार, धर्मविचार, सामाजिक आदर्श, नैतिक विचार, विज्ञान व कला, सामाजिक नियम इन सबका उपयोग वरिष्ठ वर्ग ने अपने स्वार्थ के लिए व कनिष्ठ वर्ग की दासता को समर्थनीय व चिरन्तन करने में किया है। गजनीति, समाज-नीति, अर्थ-नीति, इन सबमें मानव-संस्कृति का मूलभूत यह वर्ग-विश्रेष्ट प्रतिविनियत हुआ है और राजा तथा राज्याधिकारी, समाजनेता और उसके अनुयायी, अर्थ-शास्त्रज्ञ व धर्म-शास्त्रज्ञ, कवि व दूसरे कलाकार इन सबने समाज के इस वर्ग-भेद व तत्त्वन्य विषमता को स्वीकार किया है। इस दृष्टि से आजतक का मानव-संस्कृति का इतिहास वर्ग-विश्रेष्ट का इतिहास है और अबतक उसमें जो सर्वागीण समाज-क्रान्तियाँ हुई हैं वे वर्ग-विश्रेष्ट से उत्पन्न क्रान्तियाँ हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का मत है। उसके इस सिद्धान्त के अनुसार समाज-सत्ताक क्रान्ति वर्ग-विश्रेष्ट में से ही उत्पन्न होगी और वह प्रायः सशत्र ही होगी। मानव-संस्कृति को पूँजीवादी युग के बाद कौन सा स्वरूप प्राप्त होगा व कैसा होगा इसकी साधारण व्यवहार। इस सिद्धान्त से हो सकती; परन्तु किस देश में कौन सी क्रान्ति किस तरह होगी व कब होगी और वहाँ समाजवाद की स्थापना किस साधन व अनुक्रम से

होगी इस व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से अत्यन्त महत्व के प्रश्नों का उत्तर देने में मार्क्स की इस उपपत्ति का, स्थूल सामान्य ज्ञान किसी काम नहीं आता। मार्क्स-एंजल्स के बाद लेनिन ने कम्यूनिज्म के व्यावहारिक क्रान्ति-शास्त्र में बहुत उचित की है ; लेकिन यह अनुभव हुआ कि लेनिन का क्रान्ति-शास्त्र भी रूस के बाहर सासार में दूसरी जगह ज्यो-कान्त्यों लागू नहीं किया जा सकता। तब लेनिन के बाद कम्यूनिस्ट नेताओं ने भी इस क्रान्ति-शास्त्र में बहुत घटा-बढ़ी की है। फिर भी यह मानना कि कम्यूनिज्म ने एक ऐसा क्रान्तिशास्त्र बना रखा है, जो सासार के सभी राष्ट्रों पर घट सकता है, महज भ्रम है और ऐसी अपेक्षा करना भी हमारी राय में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का द्योतक नहीं है।

पहले महायुद्ध के बाद कुछ ही दिनों में मार्क्सवादी विचारों ने हिंदू की राजनीति में प्रवेश किया। १९२० में गांधीजी द्वारा छेड़ा गया अनत्याचारी असहयोग का आन्दोलन जब मंट पड़ा गया तब १९२२ में भारत में कम्यूनिस्ट पार्टी की प्रस्थापना हुई। १९२७ तक बड़े-बड़े औद्योगिक शहरों के मजदूर-वर्ग में उसका प्रचार प्रचुर मात्रा में हो गया। लेकिन इसके बाद सायमन कमीशन के बहिष्कार के रूप में राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ने लगा और अत में उसकी परिणति १९३० में भारतीय स्वातंत्र्य के सत्याग्रह-समाम में हो गई। कम्यूनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के इस आन्दोलन में विलकुल ही सहयोग नहीं दिया। इसीसे १९३४ में मार्क्सवाद के आधार पर समाजवादी दल कांग्रेस के अन्दर स्थापित हुआ। यह राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के आन्दोलन से व उस आन्दोलन को चलानेवाली कांग्रेस से अधिक मात्रा में समरस होनेवाला दल था। इसके कुछ दिनों बाद भाई मानवेंद्रनाथ राय ने मार्क्सवाद के आधार पर एक और पक्ष की स्थापना की ; अब यह रायवादी दल राजनीति से अलग होकर विलीन हो गया है। भारतीय समाजवादी पक्ष ने अपने को प्रजा समाजवादी पक्ष में रूपातिरित कर लिया है और गांधीवाद का क्रातिकारी रूप पहचानकर व उसका क्रातिकारी अहिंसात्त्व अपनाकर वह यह कहने लगे हैं कि मार्क्सवाद का पुनःसंशोधन करना चाहिए। कम्यूनिस्ट यह

एकवर्गीय समाज-रचना करने के लिए कम्यूनिज्म का क्राति-शास्त्र बना। इसके विपरीत प्रचलित वर्ग-भेद कायम रखकर समाज-सत्ताक क्राति को ठबाने के लिए फासिज्म का क्रान्ति-प्रतिवन्धक शास्त्र आज यूरोप में निर्माण हुआ है। इन दोनों शास्त्रों का विश्वास शास्त्र-बल पर है। शास्त्र-बल के भगवों के इस वातावरण में, आधुनिक यूरोप में, आत्म-बल पर अधिष्ठित क्रान्ति-शास्त्र फैलाने की अथवा ढड़े पैमाने पर उसके अवर्लंबन लिये जाने की सभावना आज तो नहीं दिखाई देती। आधुनिक भारत में आत्मबल के जिस निःशस्त्र क्रान्ति-विज्ञान का विकास हुआ है वह कम से-कम भारतवर्ष में, प्रजा सत्ता से समाज-सत्ता में जाने के जरूर काम आवेगा और आज जो उसे अकेली राष्ट्रीय प्रजा-सत्तात्मक क्रान्ति का रूप मिला है उसके विकास में से ही स्वतंत्र भारत की सर्वांगीण सामाजिक क्रान्ति पैदा होगी-ऐसा हमारा मत है।

कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद का भी थोड़ा विचार यहाँ कर ले। मार्क्स ने यूरोप की पिछली टौ-तीन सदियों के इतिहास का अवलोकन करके अपने शास्त्रीय या वैज्ञानिक समाज-सत्ता के क्रातिवाद का स्वरूप निश्चित किया। मन्युगीन यूरोप में, सामन्तशाही के उदर में से ही व्यापारी-वर्ग का उदय हुआ। सरदारों और राजाओं की भौतिक व आर्थिक जरूरते पूरी करने के व्यवसाय से उसकी बढ़ती हुई। इस बढ़ में सरदार लोगों की ओर से विघ्न ढाला जाने लगा। उनकी आपसी सघर्ष से देश में शाति नहीं रहती थी, जिससे व्यापार व लेन-देन की उन्नति नहीं हो सकती थी। यह देखकर सरदार-वर्ग को मिटाने में राजा लोगों का उसने मद्द की ओर सामन्तशाही को मिटाने में सहयोग दिया। यह सामन्तवर्ग हमारी वर्ण-व्यवस्था का क्षत्रिय-वर्ण था। सामन्तशाही-पद्धति में लोगों की रक्षा करना उनका व्यक्तिगत कार्य ही था। आसपास चार सिपाही इकट्ठे किये और अपने बाहुबल से चाहे जहाँ एक छोटा-सा राज्य कायम कर लेते थे। यह चिलकुल प्रारम्भिक अवस्था का क्षात्र-धर्म था। फिर चार की जगह चार सौ सिपाही व चार हजार पैदल व घुड़सवार इकट्ठे करके उन्होंने धड़ाधड़ राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया। ताहम कुछ

भारतीय समाजवाद को खड़ा करने की कोशिश व प्रयोग वे कर रहे हैं। लेखक मानता है कि इससे महात्मा गांधी का सत्याग्रही क्रातिकारी-तत्त्व और लोकशाही समाजवाद का समन्वय होगा और भारत में मार्क्सवाद से श्रेष्ठ सामाजिक तत्वज्ञान व क्रातिशास्त्र का निर्माण होगा। गत पच्चीस-तीम सालों तक मार्क्सवाद फैलाने का काम जिन लोगों ने किया उनको चाहिये था कि उसों अर्सें में इस देश में गांधीवाद ने जो राजनीति चलाई उसका सहानुभूति से निरीक्षण करते। इससे उन्हें पता चलता कि मार्क्सवाद में जिन तत्त्वों का अभाव है वे गांधीवाद में हैं और उन्हीं की आवश्यकता भारतीय राजनैतिक आदोलनों में थी। इसीसे हिंदी राजनीति में गांधीवाद तथा गांधीजी का नेतृत्व इन दोनों का प्रभाव बढ़ता गया और गांधीजी के हाथों में यहाँ की राजनीति के सूत्र आ गये। इससे मार्क्सवाद की कमियों का पता हिंदी समाजवादियों को लग जाना चाहिये था और समाजवादी तत्वज्ञान तथा क्रातिशास्त्र को मार्क्सवाद से अधिक निर्दोष तथा ठोस नीव पर खड़ा करने की जरूरत महसूस होनी चाहिये थी। शायद उस आवश्यकता को ज्ञानकर ही प्रजा समाजवादी पक्ष के नेताओं ने आज अपनी नीति निर्धारित की है। रायवादियों ने तो राजनैतिक ज्ञेत्रों का त्याग ही किया है। सिर्फ कम्युनिस्ट दल ऐसा है कि जिसको अभी तक मार्क्सवाद में किसी बात की कमी महसूस नहीं हो रही है।

जिन तत्त्वों के अभाव में मार्क्सवाद का प्रभाव यहाँ की राजनीति पर नहीं पड़ा, ऐसा लगता है कि उनका यहाँ थोड़े में जिक करना असुगत न होगा। इसके बारे में सोचते समय निम्न चार बातों का विचार करना चाहिए,

- (१) राष्ट्रीय भावना व वर्ग-विभ्रह।
- (२) रक्तरजित क्राति को टालने का तंत्र।
- (३) सामाजिक विचार-सुष्ठि और बाह्य वस्तु-सुष्ठि।
- (४) धर्म-भावना व क्राति-वृत्ति।

इनके बारे में मार्क्सवाद की जो भूमिका है उसके अनुसार विचार

करने से पढ़ा चलेगा कि मास्कर्वाद जिथ वह हिंदुस्तान में आया तबसे आज तक इस देश की हालत ऐसी रही है कि जिससे उसके बारे में पुनर्विचार करना भल्ली है। इसीलिए हमें लगता है कि मास्कर्वाद का चश्मा जिन्होंने अपनी श्रौतोंपर से न हटाया और निरह्वार व निर्विचार मन से यहॉं की हालत का निरीक्षण न किया, वे अपना असर हिंदा राजनीति पर न अवश्यक ढाल सके हैं, न आगे ढाल सकेंगे।

हिंदुस्तान में जब मास्कर्वाद पहले आया तब पहला महायुद्ध खत्म हो चुका था। तबसे तीस-पैंतीस साल के प्रयात से हिंदी जनता के हृदय में कांग्रेस ने राष्ट्रीय भावना पैदा की, जो मुयुस्तुरूप धरण करके विदेशी साम्राज्यशाही से संपूर्ण स्वार्थनता का समाम करने के लिए तैयार हो गई। इस आदोलन की आश्र प्रेरणा राष्ट्रीय भावना ही रही। इसके विपरीत मास्कर्वाद वर्ग-विग्रह को क्रातिशाल की आश्र प्रेरणा भावना है। जब अग्रने गृह से विदेशी सत्ता को हटाना हो तब देश की राजनीति में अलग-अलग बगों के स्वार्थ में विरोध नहीं होता ऐसी चात नहीं। लेकिन ऐसी हालतवाले देशों में अग्रर क्राति करनी है तो केवल वर्ग-विग्रह के तत्व पर अपना राजनीति का आधार न रखकर वर्ग समन्वय का तत्व मान कर ही क्रातिकार्य में शामिल होना चाहिए। लेकिन जो मानते थे कि मास्कर्वाद व उसके तत्वज्ञान में कोई नई चात जोड़ने की आवश्यकता नहीं है या वह एक परिपूर्ण क्रातिशास्त्र व तत्वज्ञान है, उनके लिए गृहीय भावना पर जार देकर चलनेवाले स्वतन्त्र-समाज में शामिल होना असमव था। यही बजह है कि भारतीय कम्युनिस्ट दल भारत के राष्ट्रीय समाज से या उसकी राष्ट्रीय इक्ति से कभी सहमत न हो सका। १९२० में १९४७ तक जब कभी भारत में विदेशी साम्राज्य-सत्ता के लिलाफ प्रचड़ आदोलन उठ सुडे हुए तब कम्युनिस्टोंने इन आदोलनों से अलिप्त रहने की नीति शाखियार की। इतना ही नहीं बल्कि उनका विरोध भी किया। भारत के स्वतन्त्र होने पर जब यहॉं लोकतन्त्र को माननेवाली पहली राष्ट्रीय सरकार बनी तब उसके लिलाफ वर्ग-विग्रह के आधार पर उन्होंने सशास्त्र क्राति की और सरजामशाही निजामी रियासत का सहारा लेकर वे भारत के

दुकडे करने पर उतारू हो गये। पाकिस्तानवादियों के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ राजनैतिक मोर्चा खड़ा किया। हिंदी कम्युनिस्ट-राजनीति के गत पचीस-तीस सालों के इतिहास को देखने से पता चलता है कि वह अविवेक से कितना भरा है। भारतीय कम्युनिस्ट-पक्ष ने मार्क्सवाद से वर्ग-विश्राम का तत्व उठा लिया और उसका कहौं और कितना उपयोग करना चाहिये या उसकी मर्यादाएँ क्या हैं, इसका विचार न करके हिंदी राजनीति में उसका दुरुपयोग ही किया। उनके अविवेक से हिंदी राष्ट्रीयता की प्रगति में अनेक बाधाएँ आईं। गत तीस-पैंतीस सालों में भारत में जो क्रातिकारी आदोलन हुए उनसे नसीहत लेकर मार्क्सवादी अपने तत्वज्ञान का विकास जरूर कर पाते, लेकिन स्वतंत्र प्रज्ञा का यह रास्ता छोड़कर उन्होंने भारतीय राजनीति से अपने को हमेशा के लिए अलग कर दिया है।

ब्रिटिश-राजनेताओं को यह बात मालूम थी कि एक-न-एक दिन यहाँ से उन्हें अपना डेरा उठाना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा ऐसी कोशिश की कि यहाँ की क्राति शातिमय रहे। कांग्रेस की स्थापना करने में ह्यूम, बेडरबन्न आदि ने हिंदी नेताओं को सहयोग दिया और लोकतन्त्रात्मक राजनीति का प्रारम्भ किया। उनके सामने यह ख्येय था कि हिंदुस्तान में खून बहाये बगैर स्वराज्य-प्राप्ति की राजनीति सफल हो। दादाभाई, रानडे, तिलक, गोखले आदि सबके हृदय पर व राजनीति पर हम उनके इस बर्ताव का असर देखते हैं। इसीसे १९०५ के बाद जो राष्ट्रीय पक्ष बना उसने भी जहौं तक हो, रक्तपात टालने की कोशिश की और बहिष्कार-योग की निःशस्त्र क्राति की नीति अपनाने का फैसला व्यवहार-दृष्टि से किया। इसी बहिष्कार-योग को म० गाधी ने क्रातिकारक अहिंसा का अधिष्ठान दिया व सपूर्ण स्वाधीनता का आदोलन अलग-अलग रूपों में तो साल चलाकर उसको कामयाब बनाया। ब्रिटिश-राजनेताओं ने गाधीजी के आदोलन का यद्यपि पूरी तरह सुकाबला किया किर भी इस बात को कभी उन्होंने नजर-अदाज नहीं होने दिया कि भारत तथा ब्रिटेन का पारस्परिक झगड़ा रक्तपात को टालकर चल सकता है। लार्ड रीडिंग, लार्ड अर्विन और

लार्ड लिनलिथगो इन तीनों बाइसरयों के जमाने में गाधीजी ने एक-से-एक बढ़कर प्रचड़ आदोलन किये। इन बाइसरयों ने इन आदोलनों को दबाने की पूरी कोशिश की। किर भी आदोलन रुक जाने पर कागेस व गाधीजी के साथ समझौते हुए। अत मे भारतीय स्वाधीनता का सबाल यथासभव रक्षपात को टालकर ही हल हुआ। इसीसे निःशस्त्र क्राति का जन्म हुआ है और वह भारतीय जनता के व नेताओं के अतःकरण में अपनी जड़ जमा चुकी है। खूबराबी टालकर क्रातिकारक परिवर्तन करने का यह जो एक नया तन्त्र भारतीय राजनीति के इतिहास में विकास पाता आया है व सुप्रतिष्ठित हो गया है, उसको नजर-अदाज करके भारतीय कम्युनिस्टों ने अपनी राजनीति चलाई। अनत्याचारी निःशस्त्र क्राति की यह वृत्ति मार्क्सवाद में कुछ मत्त्व की बात जोड़ सकती है, इस सत्य को, शिर्फ समाजवादियों ने ही पहचाना और अपने पक्ष को सत्याग्रह का अधिष्ठान देकर उसकी विजेताओं को सामने रखा। भारतीय घटनाओं से मार्क्सवाद को सीखने योग्य कुछ है ही नहीं, यह मानकर भारतीय कम्युनिस्ट टल अपनी राजनीति को उसी पुराने ढरें पर चला रहा है।

मार्क्सवादी विचारणद्वाति मे आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि समाज की चाह्य परिस्थिति में जो परिवर्तन होते हैं, उनका ग्रसर समाज के विचारों पर है और समाज की रुद्ध विचार-प्रणाली परिस्थिति में होनेवाले परिवर्तनों से अपने आप बदल जाती है। इसीलिए परिस्थिति के परिवर्तन के साथ समाज के विचारों में परिवर्तन करने के लिए कोई खास कोशिश करनी पड़ती है या किसी खास समाज के विचारों में परिवर्तन करने के लिए उसके मन के पूर्व संस्कारों का गहरा अध्ययन करके समाज की अवस्था के लिहाज से उपाय-योजना करनी पड़ती है, ऐसा मार्क्सवादी नहा मानते। अगर वे भारतीय समाज की खास मानसिक ग्रवस्था व उसके सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते तो उनको पता चलता कि हमारे समाज ने सदियों से अपनी सामाजिक विचार-सूष्टि में त्रुदिपूर्वक परिवर्तन लाना छोड़ दिया है। इस समाज की चाह्य परिस्थिति मे चाहे जितने परिवर्तन हो जाय;

लेकिन समझ-बूझकर वह अपनी सामाजिक विचार-सृष्टि में परिवर्तन नहीं करता। नई परिस्थिति के अनुकूल नई विचार-सृष्टि का निर्माण वह नहीं करता, न औरों से उसको वह स्वीकार करता है। प्राचीन विचार सृष्टि से चिपक बैठने की उसकी प्रवृत्ति है। एक तरह से यह समाज की बौद्धिक मूढ़ता या जड़ता है। उसकी बुद्धि से यह जड़ता या मूढ़ता का पर्दा हटाने के लिए उसके अतःकरण में चैतन्य पैदा करनेवाले अनासक्त बुद्धि के निष्काम कर्मयोगा लोकसेवक अब आगे आ जाने चाहिए। इस समाज की मानसिक अवस्था यूरोप के मध्ययुगीन या उससे भी पहले के समाज की मानसिक अवस्था—जैसी है। यहाँ के लोगों ने अभी आधुनिक यूरोप की सर्वांगीण सामाजिक क्राति की कल्पना या ध्येयों का रहस्य या महत्व अभी तक वास्तविक रूप में नहीं समझा है। ऐसे समाज में क्राति लाने की इच्छा रखनेवालों का यह ध्यान में रखना चाहिए कि समाज के उद्धार में बाह्य परिस्थिति से उसकी पिछुड़ी विचार सृष्टि व विकृत भावनाएँ ही अधिक बाधा पहुँचाती हैं। ऐसे समाज को जो क्रातिप्रवण बनाना चाहिते हैं उनको चाहिए कि जहाँ तक हो सके वे उसे अत्याचार के अविवेक से बचाय और उसकी मानस-सृष्टि व विचार-सृष्टि में उचित क्राति करें। उसकी प्रतिकार-शक्ति को स्थगित तथा अनुशासन के बधानों में रखकर वह खास दिशा में ही कार्य करती रहे और असमय उसका स्फोट न हो या सबके विनाश की वह कारण न बने, इसके लिए सचेत रहना चाहिए। इस प्रकार समाज के हृदय में नया चैतन्य लाने और उसकी विचार-सृष्टि में क्राति पैदा करने में म० गाधी द्वारा खोजा हुआ सत्याग्रही क्रातिशास्त्र कारगर सिद्ध हुआ है। ऐसे शास्त्र की महत्वा को समझने में परिस्थिति के साथ आप-ही-आप आदमी की विचार-सृष्टि में भी परिवर्तन होता है ऐसा माननेवाले कम्युनिस्टों को बहुत दिक्कत होती है और अभी तक वे उसे समझ नहीं सके हैं। माझसं के शास्त्रीय समाजवाद के जन्म से पहले टो-टार्डी सौ वर्षों में यूरोप में धार्मिक तथा सामाजिक क्रातिकारियों का जो दिव्य बलिदान हुआ, उसमें से जो आत्मतेज निकला उसीसे यूरोपीय जनता क्रातिकारी विचारों को स्वीकार करने योग्य बनी थी।

यहों की जनता को इसके कांचिल बनाने के लिए इस तरह का बलिदान करना होगा और उस समय यह क्रातिशक्ति अधिकार से या असत्यम से विकृत होकर वेकार न बन जाय इसके बारे में सावधान रहना होगा । अगर एक ही साथ इन दोनों कामों को उठाना हो तो सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अनासक्त स्थितप्रज के या निष्काम कर्मयोगी के आध्यात्मिक गुण अपने में लाने की कोशिश करें । भारतीय क्रातिकारियों के सामने म० गाधी तथा तिलक ने यही आदर्श रखा था । समाजवादी क्राति लाने की इच्छा रखनेवालों को चाहिए कि वे इस आदर्श को अपना लें । लेकिन हर एक धर्मभावना तथा धर्मशास्त्र को जड़-मूल से उखाड़ फेंकने की इच्छा रखनेवाले मार्क्सवादी इस आदर्श को हर्गिज अपना नहीं सकते । अगर इसको अपनाना है तो मानवी दर्शन को केवल भौतिकबाट के सहारे खड़ा करने से काम नहीं चल सकेगा । इसी अनुभूति से श्री जयप्रकाश नारायण ने ऐसा जाहिर कर दिया है कि भौतिकबाट की मर्यादाओं को लॉब्वने पर ही मानव की नैतिक प्रेरणा की समाधान-कारक मामासा की जा सकती है । श्री जयप्रकाश नारायण के इन उद्गारों से कम-से-कम इतना पाठ तो मार्क्सवादियों को जरूर सीखना चाहिए कि मानव-हृदय की धर्मभावना व अध्यात्म-वृत्ति के गहरे अध्ययन की जरूरत है ।

भारतीय समाज की मन-स्थिति व विचार-सूष्टि में परिवर्तन करके अन्याय के खिलाफ झगड़ने की वृत्ति या प्रतिकार-भावना को जगाना भारतीय क्राति की अहम चीज है और जब इस तरह की मानसिक क्राति हो जाती है तब राजकीय व सामाजिक क्राति लाने के लिए प्रत्यक्ष सशस्त्र क्राति की आवश्यकता नहीं रहती, यह बात कम्युनिस्टों के दिमाग में कभी भी नहीं आई । इसके विपरीत इस देश की राजनीति कम-से-कम गत पचास या साठ वर्षों से इस सिद्धान्त पर अपना आधार रखकर चली आ रही है और उसने जो प्रगति की है उसको देखकर आगे भी वह इसी आधार पर चलती रहेगी ऐसा दिखाई देता है । इस क्राति को लानेवालों ने केवल राजकीय या सामाजिक विचारों को आदोलित नहीं किया

बल्कि समाज के हृदय की शुद्ध धर्मभावना तथा क्रातिकारी अध्यात्म का भी उपयोग उसके लिए किया है। इस तरह आधुनिक भारत में धर्म व अध्यात्म का एक क्रातिकारी रूप प्रकट होता आया है।

कम्युनिस्ट-तत्त्वज्ञान में धर्मभावना के बारे में कहा गया है कि वह क्राति-विरोधी शक्ति है और मानव-समाज को ऐहिक अभ्युदय से हटाकर पारलौकिक सुख-स्वप्नों में ही निमग्न रखती है। इस तरह वह अफीम की गोली का-सा काम करती है। आधुनिक भारत के राजनैतिक नेताओं ने यहाँ की जनता के हृदय की गहराई में पैठी धर्मभावना व अध्यात्म-वृत्ति जगाकर उसे क्रातिकारी रूप देने की कोशिश की। धर्म व अध्यात्म के इस क्रातिकारी स्वरूप का खण्डाल किये बगैर कोई भी व्यक्ति सामाजिक घटनाओं की व इतिहास में दिखनेवाली धर्मभावना व अद्यात्म-वृत्ति की मीमांसा नहीं कर सकेगा। मार्क्स को उस जमाने के यूरोप में धर्मसंस्था का जो दर्शन हुआ वह सामाजिक क्राति के विरोध के लिए प्रस्थापित राज्य-संस्था के निमित्त जनता का नैतिक पृष्ठपोषण प्राप्त करा देनेवाली प्रतिक्राति-कारक शक्ति थी। लेकिन कार्ल मार्क्स को धर्म संस्था के जिस प्रतिक्रियावादी रूप का दर्शन हुआ वही धर्म व अध्यात्म का सही व स्थायी रूप नहीं है। लो० तिलक, म० गाधा या आचार्य विनोदा भावे के जीवन में धर्म व अध्यात्म को जो क्रातिकारी रूप प्राप्त हुआ है वह देखने के बाद हिंदू कम्युनिस्टों को यह ज्ञान हो जाना चाहिये था कि मार्क्सवाद द्वारा धर्म व अध्यात्म की जो मीमांसा की गई है वह अधूरी तथा एकाग्री है। लेकिन आश्र्वय की जात यह है कि जब जयप्रकाश नारायण-जैसा एकाध सामाजिक क्रातिवादी, आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करता है तब 'वह प्रतिक्रियावादी बन रहा है' ऐसा शोरगुल मार्क्सवादी मचाते हैं। इससे सद्देह होने लागा है कि शायद ये साप्रदायिक विचारबन्त इस बात को भूल गये हैं कि सही ज्ञान पुस्तकों को पढ़ने से नहीं, परिस्थिति को पढ़ने से मिलता है। मतलब यह कि गत पचास-साढ़ वर्षों की भारतीय राजनीति का इतिहास, यहाँ की सामाजिक व धार्मिक घटनाएं और इन सबके पीछे यहाँ के नेताओं का जो तत्त्वज्ञान था उससे कम्युनिस्ट दल तथा उनके

विचारा के लोग सहमत न हो सके और न उससे उन्होंने कुछ नसीहत ही ली।

भारत में आज राष्ट्रीय स्वातंत्र्य की क्राति का युग चीतकर समाजवादी क्राति का युग शुरू हुआ है, इसको हर कोई माफ देख सकता है। लेकिन भारतीय समाजवादी क्राति का तत्वज्ञान और उसके लिए होनेवाले प्रयत्न केवल मार्क्सवादी तत्वज्ञान के ब क्रातिशास्त्र के ऊपर ही अपना आधार रखेंगे, ऐसी आशा रखना शास्त्रीय बुद्धि का द्योतक नहीं होगा। उच्चीसवीं सदी के मध्यकाल में मार्क्स को यूगेप के डॉतिहास में जो घटनाएँ देखने को मिलीं, उनमें उसने मार्क्सवादी तत्वज्ञान बनाया था। आज भारत तथा अन्न एशियाशी देशों में जो समाजवादी युग आ रहा है उसका तत्वज्ञान ब क्रातिशास्त्र मार्क्सवाद से अधिक गहरी तथा व्यापक दृष्टि स्वीकार करने में ही बन सकेगा। हमें आशा है कि इस तरह गहरी तथा व्यापक तात्त्विक दृष्टि ने सोचने पर धर्मभावना ब ग्राह्यात्म-वृत्ति का क्रातिकारी स्वरूप समाजवादी भी महसूस करेंगे और उसी दृष्टि से सत्याग्रही क्रातिशास्त्र का महत्त्व को बे जान सकेंगे।

ऊपर जिन चातों का विवेचन हमने किया है, इमारी राय है कि उनके बारे में गांधीवाद भा. मार्क्सवाद से कुछ सीख सकता है। गांधीवादियों में ग्राह्यी भावना का श्रेष्ठ तथा वर्ग-भावना को कनिष्ठ या हीन मानने की वृत्ति देखी जाती है। लेकिन तर्कणास्त्रीय या न्यायशास्त्रीय दृष्टि से इस प्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया जा सकता। जिस तरह गुजाराम देश की ग्राह्यी भावना पुणेगामी गजनीति का अनिष्टान बन सकती है, उसी तरह पीडित और पीड़क या मालिक और मजदूर के वर्गभेद से विभाजित समाज में पीडित वर्ग भी या मजदूरों के संगठन की वर्गविरोधी भावना पुणेगामी गजनीति का अधिष्ठान बनकर वर्गहीन समा के ध्येय की तरफ अग्रसर होने में सहायक हो सकती है। अनत्याचारी असहयोग या सविनय कानून-भंग का तत्व परतंत्र देश के उद्धार के लिए उपयुक्त होने से जिस तरह लागू किया जा सकता है व समर्थनीय ठहरता है, उसी तरह वह आर्थिक ब सामाजिक दासता में पड़े किसान-मजदूर वर्ग के उद्धार

में उपयुक्त और समर्थनीय ठहरता है। अतः उस काम में उसका उपयोग करना सत्याग्रही क्रातिकारी का कर्तव्य है। यह विचार निस्संकोच होकर गाधीवाद को कबूल करना चाहिए।

सत्याग्रही क्रातिकारियों को चाहिये कि राजनीति में भाग लेते समय निरी आदर्श-निष्ठा की नीति न चलाकर वास्तववादी दृष्टि को स्वीकार करे। राज्य-सम्पद के दड़धारी होने से उसके चलनेवालों के सब व्यवहार शुद्ध अद्वितीय की क्षमता पर खरे नहीं उत्तर सकेंगे, फिर भी मानव-समाज की आज की अवस्था को देखकर राज्य-सम्पद की दड़-शक्ति को व्यवहार-दृष्टि से उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। जो सैद्धान्तिक दृष्टि से किसी खास अवस्था में सशस्त्र क्राति को अटल या समर्थनीय मानते हैं, लेकिन साथ-ही ऐसी खुँखराच क्राति को टालने के अनन्याचारी उपायों से जो भरसक प्रथन करते हैं या राजनैतिक नीति के तौर पर जिन्होंने अनन्याचारी क्राति के तत्व को हृदय से स्वीकार कर लिया है ऐसे लोगों से राजनैतिक मामलों में सशर्त सहयोग देने की नीति उन्हें अखिलयार करनी चाहिए। दड़शक्ति के सहारे के सिवा चलनेवाली समाज-व्यवस्था, फिलहाल व्यावहारिक दृष्टि से कोई सभव नहीं मानता, इसलिए सत्याग्रही क्रातिकारियों को चाहिये कि वे शासन-यंत्र की दड़शक्ति को वास्तववादी दृष्टि से मजबूर करलें। शासन-यंत्र की दड़शक्ति ऐसी शक्ति है कि जिसको न्यायबुद्धि व सरक्षण-बुद्धि के आधार पर समाज मानता है, लेकिन समाज-रचना में बद्धमूल अन्याय समाज बर्दीश्त न कर सकता हो व समाज की न्याय-बुद्धि अग्र उसके खिलाफ बिनोह करे और प्रस्थापित शासन-यंत्र की दड़शक्ति को दिया हुआ अपनी न्याय-बुद्धि का आधार निकाल ले तो ऐसे समाज में दड़शक्ति के रूप में जो सत्ता अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करती है वह समाज की न्यायबुद्धि के आधार पर बनी दड़शक्ति न होकर एक तरह से सघठित हिंसाशक्ति ही होती है, ऐसा कबूल करना पड़ेगा। सत्याग्रही क्रातिकारी इस बात को अस्वीकृत नहीं कर सकता कि जो शासनयंत्र अपने हाथ में इस तरह से सघठित हिंसाशक्ति का उपयोग समाज पर ज्यादतियों व जुल्म करने के लिए करता है उसके नीचे दब जाने से श्रम्भा-

भारतीय संस्कृति का अमृत तत्व

तो यही है कि ऐसी अवस्था में समाज सशब्द विद्वेष्ट करे। समाजशास्त्र व इतिहास-मीमांसा का विचार करते समय मक्षसंवादियों द्वारा प्रतिपादित क्रातिशास्त्र से गाधीवादियों को कुछ मामलों में जल्ल सीखना पड़ेगा। टडशक्ति का उपयोग करने में अत्यधूत अपरिहार्य हिंसा और अपरिहार्य बनी सशब्द क्राति के बक्त की हिंसा में भी फर्क है, वह नित्य या देशकाल-परिस्थिति-निरपेक्ष नहीं है। यह न भूलना चाहिये कि वह सापेक्ष प्रमाण-मेट ही है और कुछ अवसरों पर दोनों को हिंसा की मात्रा एक-दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। यह सब ध्यान में रखकर ही सत्याग्रही क्राति-कारियों को चाहिये कि वे खूँखगच क्राति को यालने की भरसक कोशिश करें। इस मामले में वे अपनी तार्किक तत्वनिष्ठा के आधार पर दोनों करें या ऐसी वृत्ति भा न रखें कि जो हमारी निरपवाद अहिंसा को पहले मजबूर कर लेंगे, उन लोगों को ही हम अपना महयोग देंगे।

जब केवल मैदानान्तक दृष्टि से राज्य-मीमांसा व इतिहास-मीमांसा की जाती है तब सशब्द क्राति के पुरोगामी होने के सबध में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन आधुनिक भारत की तरह जिस देश में जनता को नागरिक स्थानान्तर के सत्याग्रह की व अनत्याचारी क्राति की शिक्षा मिल चुकी है तथा उस आधार पर लोकशाही राज्य की स्थापना हो गई है, ऐसे देशों में सत्याग्रही क्रातितत्र व लोकशाही राज्ययत्र के आधार पर पूर्ण अनत्याचारी उपायों से समाजवादी क्राति हो सकेगी इसमें किसी विवेकी समाज-वादी को किसी प्रकार की शका नहीं रही है। इसी आधार पर अपने दल के द्वारा अनत्याचारी नीति को चलाने का फैलता प्रजासामाजवादियों ने दृष्टि को मजबूर किया गया है उसका उपयोग करना होता जिस दृष्टि से इस पक्ष की नीति को शुद्ध सत्याग्रही या पूर्ण आहिंसक नहीं कहा जा सकेगा। लेकिन बास्तववादी दृष्टि से समाजवादी क्राति के लिए ऐसे दल से शुद्ध सत्याग्रहियों को सशर्त सहयोग करना चाहिए व उस कार्य को अविलम्ब पूरा करना चाहिए। सामाजिक क्राति की जनभावना को

तीव्र बनाने का काम आज भूदान-यज्ञ व सपत्तिदान-यज्ञ के रूर में भारत में शुरू हो गया है। इसीमें से उपनिर्दिष्ट प्रकार का गांधीवादी व समाज-वादी लोगों का सहयोग निर्माण होगा व हो रहा है।

वर्गहीन समाज की स्थापना का ध्येय मजूर करने पर समाज में वर्ग-स्थान व आर्थिक विषमता नष्ट करना जरूरी हो जाता है। मनुष्य की उत्पादन-क्षमता बढ़ने के कारण यह आज किस तरह सभव व अपरिहार्य हो गया है, गांधीवाद उसकी समाजशास्त्रीय मीमांसा मार्क्सवाद से सीख सकता है। यद्यपि हजारों सालों से बन्धुभाव व समता का ध्येय नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों ने मजूर किया था फिर भी उत्पादन-कार्य जारी रखने की व उसमें विकास करने की दृष्टि से उस समय आर्थिक विषमता व वर्ग-स्थान की आवश्यकता व उपयोगिता लोग महसूस करते थे। इसी दृष्टि से धर्म-स्थानों ने उसे मंजूर कर लिया था व समाज-धारण के लिए जरूरी मानकर आर्थिक वर्गभेद को साधु-सत प्राकृतिक व न्याय मानते थे। लेकिन आज मानव की उत्पादन-क्षमता बहुत बढ़ गई है जिससे समता व बन्धुभाव के ध्येय को सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित करके वर्ग-स्थान को मिटाना सभव व आवश्यक हो गया है। वर्गस्थान की उत्पत्ति, अभिवृद्धि व विनाश की समाजशास्त्रीय मीमांसा जिस तरह मार्क्सवाद में की गई है वैसी और किसी भी सामाजिक तत्वज्ञान में नहीं की गई है।

अगर इस धर्मभावना व आध्यात्मिक वृत्ति के आधार पर सामाजिक क्राति का काम चालू रखना है तो यह धर्मभावना किसी खास धर्म से एकरूप नहीं मानी जानी चाहिए, मानव-हृदय की समाजहित-बुद्धि से व सर्वोदय-बुद्धि से उसको एकरूप मानना चाहिए। सत्याग्रही क्रातिकारी इसका सतत दक्षतापूर्वक ध्यान रखे। उसी तरह मानव हृदय की आध्यात्म-वृत्ति को किसी खास सामाजिक व राजनैतिक संगठन से या आध्यात्मशास्त्र के किसी सप्रदाय से एकरूप नहीं बनने देना चाहिए। यद्यपि सत्यनिष्ठा व प्रेम-भावना मानव-हृदय की सनातन वृत्तियों हैं फिर भी सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक शास्त्र का कोई खास सिद्धात नित्य या सनातन नहीं होता।

मानव-नुद्धि द्वारा आकलन किये हुए किसी सत्य को पूर्ण व अतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। उस पूर्ण व अतिम सत्य की खोज का काम जीवन की सभी शक्तियों का उपयोग करके मानव हमेशा करता रहे। इस सत्य-ग्रही निष्ठा से जो बात अपने हृदय व अपनी नुद्धि को उस समय सत्य प्रतीत होगी उसके प्रनुसार उसको अपना बर्ताव रखना चाहिए। यही मानव की निरपेक्ष तथा आदर्शभूत जीवन-निष्ठा है और इस जीवन-निष्ठा की माध्यम के लिए भौतिक, जागांचिक व आध्यात्मिक शास्त्र के व्यवहार के सुभवितिपूर्ण माने जानेवाले सिद्धान्तों के खिलाफ कार्ति करने के लिए सत्याग्रही को दृष्टम तैयार रखना चाहिए। अगर यह वृत्ति टिक सकी तो सत्याग्रही जीवन-निष्ठा का कातिकारी रूप प्रकट होगा व मानव-समाज शाज जिम नई सम्झौति का निर्माण करना चाहता है वह अद्वैतसेव प्रस्थापित होगी।

अब हम इस बात का विचार करें कि वर्ग-युद्ध व सशस्त्र कान्ति के सम्बन्ध में कार्ल मार्क्स का तात्त्विक सिद्धान्त क्या है और उसमें निःशब्द क्रान्ति के द्वारा समाज-सत्त्वा प्रस्थापित करने की कल्पना समाप्त कर्ता है कि नहीं। भले ही मार्क्स का यह मत नहीं कि समाज-सत्त्वाक क्रान्ति आमतौर पर शम्भव द्वाग हा करनी पड़ेगी फिर भी मार्क्स ने यह कहा है कि इस क्रान्ति के साधन प्रत्येक देश की अपनी परिस्थिति और परम्परा के विचार ज बदलने पड़ेंगे और इङ्गलैण्ड या अमेरिका जैसे प्रजा-सत्त्वाक देशों में शान्ति-मार्ग से भी वह हो सकेगी। १८७२ में एमस्टर्डम के अपने भाषण में वह कहता है—

“आपको यह नहीं खायाल करना चाहिए कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही साधन सबपर लागू हो सकेगा। प्रत्येक देश के आचार-विचार और परिस्थिति का हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा और हम इस बात से इनकार नहीं करते कि कुछ ऐसे देश जैसे सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका और इङ्गलैण्ड में मजदूर लोग शान्ति-मार्ग से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।”

लेनिन ने कार्ल मार्क्स के इस मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है

कि “१८७१ के लगभग इङ्गलैंड में नौकरशाही व सैनिक-सत्ता का प्राचल्य न होने के कारण मार्क्स को यह लगना स्वाभाविक था कि इङ्गलैंड में शान्ति-मार्ग से समाजसत्ताक क्रान्ति हो सकेगी ; परन्तु आज (१६१७) इङ्गलैंड और अमेरिका में सैनिक सत्ता और नौकरशाही का पूर्ण साम्राज्य है इसलिए मार्क्स ने इङ्गलैंड, अमेरिका और दूसरे देशों में जो भेद किया है वह ठीक नहीं है ।” १८७५ के बाद इङ्गलैंड में साम्राज्यवादी विचार-धारा अधिक फैलने लगी, क्योंकि हिन्दुस्तान जैसे विजित देश की आर्थिक लूट के प्रभाव से वहाँ की जनता को यह आशा होने लगी कि इङ्गलैंड के सब वर्गों की दाल-रोटी और सुख-सुविधा का प्रश्न हल हो सकेगा । १८वीं सदी के मध्य तक वहाँ के मजदूरों को यह आशा नहीं हुई थी व इसलिए मार्क्स का वर्ग-विग्रही तत्त्वज्ञान वहाँ पनपने लगा था , लेकिन बाद में जब वह आशा बँध गई तो वर्ग-विग्रह पीछे रह गया व साम्राज्यशाही लोकप्रिय होने लगी । वहाँ का समाजवाद भी वर्ग-विग्रह को ताक में रखकर वर्ग-सन्धि के सिद्धान्त का अवलम्बन लेने लगा और ब्रिटिश-राष्ट्रवाद प्रजातंत्र के तत्व से खिसककर साम्राज्य-चाद का रूप धारण करने लगा । पिछले महायुद्ध के समय इस वर्ग-सन्धि या साम्राज्य-सत्ताक राष्ट्रवाद की भावना का अनुसरण करके ही इङ्गलैंड के मजदूर और उनके नेताओं ने अपनी धन-सत्ताक सरकार से सहकार्य किया । अब फिर वहाँ की जनता यह समझने लगो है कि इस साम्राज्यवाद से हमारा प्रश्न सदा के लिए हल नहीं हो सकता । परन्तु यह विश्वास नहीं होता कि सशब्द या निःशस्त्र मार्ग से भी, समाज-सत्ताक राज्यकान्ति को सफल बनाने योग्य सद्गुण-सप्ति आज वहाँ की जनता में बाकी बच रही है । यह भी एक विकट प्रश्न है कि इस सद्गुण-सप्ति के अभाव में वह समाज-सत्ता की स्थापना कर सकेगी कि नहीं । फिर भी हमारा यह रूपाल है कि यदि हिन्दुस्तान-जैसे देश को स्वतंत्रता देने के लिए ब्रिटिश-राजनेता मजबूर हो गये और स्वतंत्रता व समानता के आधार पर इङ्गलैंड व हिन्दुस्तान में सन्धि हुई तो जिस तरह हिन्दुस्तान के पूँजीपति ब्रिटिश-पूँजीपतियों से मित्रता करेंगे उसी तरह ब्रिटिश

मजदूर और उनके समाजवादी नेता भी भारतीय जनता के समाजवादी नेताओं से मित्रता कर लेगे। भारतवर्ष ने यदि अपने सत्याग्रह के बल पर स्वयं-निर्णयी पूर्ण स्वराज्य का विधान प्राप्त कर लिया तो वहाँ का समाजवादी टल सत्याग्रही शक्ति के बल पर हिन्दुस्तान की भावी सर्वेगीण क्रान्ति करने लगेगा। तभी इंग्लैण्ड के मजदूर-वर्ग का साम्राज्य-मद उत्तर जायगा व उसे भारतीय समाजवादी टल का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह आज भी इंग्लैण्ड व हिन्दुस्तान दोनों देशों में समाज-सत्ताक क्रान्ति के जान्ति-मार्ग से सफल होने की सभावना है।

इंग्लैण्ड के समाजवादी चलिक कम्युनिस्ट विचारधारियों को भी यह विचारधारा पठने लगी है और वहाँ के बहुतेरे लोग यह मानते हैं कि सत्याग्रही भारतीय राष्ट्रवाद से स्वतंत्रता और समानता के आधार पर समझौता और सधि करनी चाहिए। जिस तरह १६ वीं सदी में ब्रिटिश लिवर्गल नेता हिन्दुस्तान को सशस्त्र क्रान्ति का अवसर न मिले इस हेतु से भारतीय कांग्रेस से समझौते की नीति रखने की प्रेरणा अपने देश-बन्धुओं से करते थे, उसी तरह आज इंग्लैण्ड के समाजवादी विचारों के नेता इस ख्याल से कि हिन्दुस्तान की भावी सामाजिक क्रान्ति कहीं हिंसात्मक न बन जाय, अहिंसात्मक ही रहे। यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान के स्वयंनिर्णय—स्वातंत्र्य-अधिकार—को स्वीकार करके भारतीय राष्ट्रवाद के साथ समानता की सन्धि कर ली जाय। फैनर ब्राकवे अपनी (Indian Crisis १६३०) नामक पुस्तक में लिखते हैं।

“हिन्दुस्तान में जिनकी पूँजी लगी हुई है उनसे मैं कहूँगा कि हिन्दुस्तान की ब्रिटिश पूँजी को असली सत्तरा राजनैतिक क्रान्ति से नहीं बल्कि सामाजिक क्रान्ति से है। प्रस्तुत राजनैतिक आनंदोलन से जो क्रान्तिकारी मनोवृत्ति बन गई है वह एक नष्ट होगी और यदि इसकी जड़ गहरी चली गई तो राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद ही निश्चित रूप से शुरू होनेवाली जनता की आर्थिक उन्नति की लड़ाई में भी वह व्यक्त हुए बिना न रहेगी। इसलिए जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा

करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे इस राजनैतिक लड़ाई का फैसला समझौते के द्वारा तुरन्त कर लें। इसी में उनका हित है।”

१६वीं सदी के ब्रिटिश-राजनेता अपने राष्ट्र की राजनीति इस दृष्टि से ठहराने पर जोर देते थे कि हिंदुस्तान के स्वतन्त्र होने पर भी वहाँ हमारा व्यापार चलता रहे। आज की परिस्थिति के अनुसार इग्लैंड के दूरदर्शी ब्रिटिश राजकीय तत्वज्ञ, इस दृष्टि से कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्राति रक्ष-पात का उग्र स्वरूप न धारण कर ले व उसमें अपने देशबन्धुओं व उनकी पूँजी की एकाएक आहुति न हो जाय, ब्रिटिश राष्ट्र से कहते हैं कि सत्याग्रही भारतीय राष्ट्रवाद के साथ समझौता करके भावी सामाजिक क्राति के शातिमय होने का अनुकूल बातावरण निर्माण किया जाय। यह सलाह ब्रिटिश राष्ट्र को जँचगी या नहीं यह इस बात पर अवलंबित है कि भारतीय जनता सत्याग्रह-संग्राम में कितना त्याग करने के लिए तैयार है और संघ-शासन के विधान को कहाँ तक असफल बना सकती है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता इसमें सफल होगी और उसीसे हमें आशा है कि हिंदुस्तान की भावी सामाजिक क्राति भी वह शातिमार्ग से कर सकेगी। हाँ, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सत्याग्रही पक्ष अपना तत्वज्ञान सामाजिक क्राति पर लागू करे व यहाँ का पूँजीवाद ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों के बराबर दूरदर्शिता प्रदर्शित करे। यह दूसरी बात सर्वोश में पहली बात पर अवलंबित है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सत्याग्रही तत्वज्ञान ने सामाजिक क्राति का जिम्मा लिया तो हमारा ख्याल है कि भारतीय पूँजीवाद दूरदर्शी स्वार्थ-भाव से ही सही, शातिमय क्राति के सामने सिर झुकाये चिना न रहेगा अर्थात् यदि सत्याग्रही तत्वज्ञान ने यह भावी कार्य अपने जिम्मे न लिया व प० नेहरू से उपदिष्ट समाज-सत्ताक प्रजातन्त्र का घ्येय स्वीकार न किया तो फिर यहाँ की समाज-क्राति सशस्त्र रूप धारण किये चिना न रहेगी।

आजकल यह मानने का एक चिंताज चल पड़ा है कि सत्याग्रह व वर्ग-विग्रहात्मक सामाजिक क्राति ये दोनों बातें तत्वतः भिन्न हैं और उनका समन्वय नहीं हो सकता। इसका कारण जिस तरह सत्याग्रही तत्वज्ञान के

विरोधी हैं उसी तरह उसके भक्त भी हैं। इसलिए यहा इस बात का भी कुछ विवेचन करना जरूरी है कि वर्ग-विग्रह का सिद्धात कहाँ तक यथार्थ है व वर्ग सन्धि या वर्ग-सहकार्य का सिद्धात कहाँ तक ठीक है। इसके लिए पहले हम निर्विकार भाव से वह समझ लें कि वर्ग-विग्रही-सिद्धात के समर्थक शुद्ध वैज्ञानिक व तात्त्विक दृष्टि से उसके विषय में क्या कहते हैं। इस विषय में कम्युनिस्ट-तत्त्वज्ञान के समर्थक श्री एडवर्ड कौजस अपनी (An Introduction to Dialectical Materialism) पुस्तक में कहते हैं—“वर्ग-विग्रह व वर्ग-सहति इन दो सिद्धातों के विरोध का अव्ययन करना बहुत उपयोगी है। इस विषय में दो विचारधारायें नजर आती हैं। एक वर्ग-विग्रह का ही निवेद करती है और दूसरी वर्ग-सहति का। ये दोनों विचारधारायें गलत व अवैज्ञानिक हैं। वर्ग-विग्रह तो एक वस्तुस्थिति है। वह राजनीति और उद्योग-धन्वन्तों में रोज दिखाई देती है। उससे इन्कार वही कर सकते हैं जो यह समझते हैं कि इस वर्ग-विग्रह को चालू रखने का प्रबन्ध उपाय यह है कि उससे इन्कार किया जाय अथवा वह इन्कार कर सकेगा जो बुद्धि जीवी श्रेणी का होगा और जिसका संबंध वास्तविक जगत से टूट गया होगा। सच तो यह है कि आज के समाज में वर्ग-विग्रह यह एक ही हकीकित नहीं है, बल्कि वर्ग सहति के भी अनेक प्रकार पाये जाते हैं। यह प्रश्न है कि भिन्न-भिन्न वर्गों की अमुक अश में शाति और सहति का तत्व और वर्ग-विषयह का तत्व ये दोनों एक ही समय समाज में कैसे रह सकते हैं? वर्ग-विग्रह और वर्ग-सहति ये परस्पर-विरुद्ध तत्व एक ही समय एक समाज में नहीं रह सकते इस मत पर वही लोग डटे रह सकते हैं जिनका माननम अवैज्ञानिक है। क्योंकि किसी कुटुम्ब में भोजन के मामले में पति-पत्नी का मतैक्य हो तो भी अपने कमरे में गर्भीं कितनी रहे अथवा सिनेमा या आजबवधर देखने के लिए जायें इसके बारे में दो मत या विरोध हो सकता है। घर में भगाडे होते रहते हों तो भी यह नहीं कह सकते कि खास मर्यादा में कौटुम्बिक ऐस्य नहीं रह सकता।। वर्ग-विग्रह व वर्ग-सहति के तत्व एक-दूसरे का उच्छेद न करते हुए भी एक ही समय

समाज में रह सकते हैं साम्राज्यशाही तरीके से विजित लोगों का द्रव्य-शोषण किया जाय और उसका नफा दोनों बॉट ले—इस विषय में ब्रिटेन के दोनों वर्गों का समान भौतिक-हित के पाये पर मतैक्य हो सकता है। जबतक विजित लोगों के द्रव्य-शोषण से भिन्न कोई ऐसा उपाय जिससे समाज का समाज-सत्ताक संगठन होकर ऊँची रहन-सहन कायम रहे, हम नहीं बना सकते तबतक ऐसा ही चलता रहेगा। ब्रिटेन अगर समाजवादी बन जाय तो वह भारतीय किसान को लूटकर भारतीय बाजारों का नाश करनेवाले साहूकारों की और स्वदेशी या विदेशी पूँजीवालों की रक्खा नहीं करेगा। हिंदुस्तानियों के साथ सहकार करके वह हिंदुस्तानी बाजार की क्रय-शक्ति बहुत बढ़ा सकता है। उसी तरह अपने देश की जनता की रहन-सहन का स्तर बढ़ाकर भी वह ब्रिटिश बाजार की खपत बहुत बढ़ा सकता है। यदि वह समाजवादी व्यवहार या मार्ग हम लाखों मजदूरों को दिखा सके तो वे टोरी-दल को छोड़ देंगे। फासिज्म का उदय भी भिन्न-भिन्न वर्गों को हितैक्य-भावना पर अवलम्बित रहता है। इटली व जर्मनी में अनेक आक्रमणों के बाद भी जब तत्कालीन परिस्थिति में राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेकर समाज की सब व्यवस्था करने में वहाँ का मजदूर-वर्ग असमर्थ साचित हुआ तब वर्ग-विग्रह के क्लेश लाँगा के लिए असह्य हो गये और उनमें से बहुतों ने यह इच्छा की कि किसी तरह इनका एक बार खातमा हो। इसीसे फासिज्म को उदय का मौका मिल गया केवल अप-चादात्मक परिस्थिति में ही वर्ग-विग्रह वर्ग-सहिति को विलकुल अधकार में फेंक देता है व ऐसे ही समय राज्य-क्राति होती है। जब रूस के किसानों और मजदूरों को वहाँ के पूँजीवालों और जमीदारों से कुछ भी मिलने की आशा नहीं रही व इस उच्च श्रेणी के सब प्रयत्न विफल हुए तभी किसान-मजदूर बोल्शेविक प्रचार से प्रभावित होने लगे। रूस में जो वर्ग-भावना की चेतना उत्पन्न हुई वह भी मुख्यतः इस बदली हुई परिस्थिति के कारण हुई। इस स्थिति के पहले बोल्शेविकों के प्रचार की ओर किसान-मजदूरों का ध्यान नहीं गया था।” हमारी राय में वर्ग-विग्रह का यह विवेचन अत्यन्त शास्त्र-शुद्ध है और समाजवादी तथा सत्याग्रही दोनों

तत्त्वज्ञानों के मानने योग्य है। एक ही राष्ट्र के भिन्न-भिन्न वर्ग किसी-न-किसी समान-हित के लिए एक हो जाते हैं और जिस मात्रा में उन हित-सम्बन्धों में विरोध होगा, उस मात्रा में वे परस्पर-विग्रह के लिए तैयार हो जाते हैं। एक राष्ट्र के भिन्न-भिन्न वर्गों में जैसा हित-विरोध रहता है, वैसे ही कुछ चारों में हित-समानता भी हो सकती है। जब समाज में हित-समानता की भावना अधिक तीव्र होती है तब वर्ग-विग्रहात्मक क्राति नहीं हो सकती और जब वर्ग-विरोध की भावना हित-समानता की भावना से अधिक तीव्र होती है तब वर्ग-विग्रहात्मक क्रान्ति ठल नहीं सकती। वर्ग-विरोध की या हित-समानता की भावना का तीव्र होना केवल प्रचार पर अवलम्बित नहीं वल्कि उस समाज या राष्ट्र की आर्थिक अथवा राजनीतिक परिस्थिति पर अवलम्बित रहता है। जिस देश के सभी वर्ग सत्ताहीन बनकर विदेशियों के जुलम व द्रव्य-शोपण के स्थान बने होते हैं उसमें वर्ग-विग्रहात्मक क्राति का तत्व पैठने योग्य अनुकूल परिस्थिति नहीं होती। ऐसी ही स्थिति दूसरे राष्ट्रों को लूटनेवाले साम्राज्यवादी राष्ट्र के वर्गों की रहती है। उनमें वर्ग-विग्रह की भावना की अपेक्षा समान-हित की भावना ही अधिक तीव्र रहती है और इसलिए वहाँ की परिस्थिति भी वर्ग-विग्रहात्मक क्रान्ति के प्रतिकूल ही रहती है। ऐसे समय इन दोनों परिस्थिति के राष्ट्रों में एक प्रकार के राष्ट्रवाद की भावना प्रवल हो जाती है। पहले राष्ट्र में वह विदेशी हमलों के प्रतिकार के स्वरूप में व्यक्त होती है और दूसरे राष्ट्र में विदेशी पर आक्रमण के रूप में। इनमें पहला रूप सासार की शान्ति का पोषक और दूसरा विरोधक रहता है। पहले प्रकार का राष्ट्रवाद मानव-संस्कृति की प्रगति का कारण होता है और दूसरा उसकी अधोगति का। हिन्दुस्तान का वर्तमान राष्ट्रवाद पहले प्रकार का है और वह मानव संस्कृति की प्रगति और संसार की शान्ति का पोषक है। हिन्दुस्तान में ग्राज कोई भी वर्ग सत्ताधारी नहीं बन सका है, इसलिए यहाँ की लड़ाई फिलहाल वर्ग-विग्रहात्मक अथवा समाज-सत्ताक क्राति रूपी नहीं बन सकती। एक बार जहाँ हिन्दुस्तान में राजसत्ता आई नहीं कि फिर जो शक्ति यहाँ के राष्ट्रवाद से निर्माण होगी, वह कुछ समय तक सधन-

निर्धन वर्ग के विरोध बल्कि विग्रह के रूप में व्यक्त हुए जिना नहीं रहेगी। मगर ऐसी अवस्था में सत्याग्रही कांग्रेस के लिए यह सभव होगा कि वह प्रजातन्त्र की राजसत्ता अपने हाथ में लेकर उसका उपयोग निर्धन पक्ष की तरफ से करे। जिस समय हिन्दुस्तान का सधन वर्ग सगठित होकर उस प्रजातन्त्र को हस्तगत करने लगेगा तब कांग्रेस को यदि अपना सत्याग्रही तत्त्वज्ञान न छोड़ना होगा तो कुछ समय के लिए वर्ग-विग्रह का सिद्धान्त स्वीकार किये जिना चारा न रहेगा। इस समय अगर कांग्रेस अपने देश की राजसत्ता हस्तगत न कर सकी तो उसे प्रस्थापित राजसत्ता के साथ असहयोग-युद्ध की घोषणा करनी पड़ेगी। विदेशी सरकार के आश्रय से जो हित यहाँ पर प्रबल हो गये हैं उनका विरोध किये जिना कांग्रेस इस देश में वास्तविक लोकसत्ता अथवा सच्चा स्वराज्य स्थापित न कर सकेगी।

हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय सरकार के सामने देश के ४० करोड़ लोगों की दाल-रोटी का सवाल बहुत तीव्र रूप में उपस्थित है। आजतक हिन्दुस्तान की जनता का जो द्रव्य-हरण हुआ उससे यहाँ की जनता और मध्यम-वर्ग दोनों फाकेकशी और बेकारी से जर्जर हो गये हैं। इन ४० करोड़ लोगों के राष्ट्र का प्रश्न पूँजीवाद और साम्राज्यवाद से हल होना असंभव है। इंग्लैण्ड अथवा जापान-जैसे छोटे राष्ट्रों के लिए अपनी जनता और मध्यम-वर्ग का प्रश्न कुछ समय तक हिन्दुस्तान या चीन को गुलाम बनाकर हल करना सुमिक्न हो सकता है, परन्तु हिन्दुस्तान या चीन जैसे खण्डतुल्य देश इस पद्धति से अपनी ३५-४० करोड़ जनता का सवाल हल नहीं कर सकते। इस कारण भारतीय राष्ट्रवाद का इंगिश या जापानी राष्ट्रवाद की तरह साम्राज्यवादी बन जाना स्वभावतः ही अशक्य है अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्य के आश्रय से उदय हुआ पूँजीवाद यहाँ अपना आसन सुस्थिर नहीं कर सकता और यदि कुछ समय तक उसने यहाँ राजसत्ता अपने हाथों में ले भी ली तो भी जनता और मध्यम-वर्ग का प्रश्न हल न कर सकने के कारण उसे वह सत्ता अपने हाथ से खो देनी पड़ेगी। आज जो ब्रिटिश पूँजीपति अपना आसन जमाकर यहाँ बैठे हैं उनकी जगह यदि भारतीय पूँजीपतियों को स्थापित कर दें

तो उससे भारतीय जनता का प्रश्न हल नहीं होता। हिन्दुस्तान के धनोत्पादन की नवज़ चाहे भारतीय पूँजीवालों के हाथ में आ जाय या त्रिटिश पूँजीपतियों के हाथ में रहे, भारतीय जनता के हित-संवर्धन को दृष्टि से दोनों का फर्क महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। उस नवज़ का भारतीय जनता के हाथ में आना ग्रथात् किसी-न-किसी रूप में समाज-सत्ता की प्रस्थापना होना ही भारतीय जनता के हित-संवर्धन के लिए आवश्यक है और यह कार्य काग्रेस वर्ग-विग्रह के तत्व को समर्खे और उसका अवलोकन लिये बिना नहीं कर सकती।

क्या 'वर्ग-विग्रह' का तत्व भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान से असंगत है? इस मत पर विचार करते हुए सबसे पहले हम यह देखें कि सत्याग्रही तत्वज्ञान और वर्ग-विग्रह के तत्व में क्या मूलतः ही विरोध है? फिर भारतीय संस्कृति के इतिहास की दृष्टि ने उसका विचार करें। अचतक सत्याग्रही तत्वज्ञान की उत्पत्ति और अभिवृद्ध राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-सम्राप्ति से हुई। इसमें वर्ग-विग्रह की नीति का अवलोकन नहीं लिया गया यह ठीक ही हुआ। इस तत्वज्ञान में एक प्रकार की राष्ट्रीय बन्धु-भावना जाप्रत हुई। राष्ट्र के सब लोग एक बड़े एकत्र-कुटुम्ब के अनेक व्यक्तियों की तरह ही और उन सबके हित मन्मन्य परस्पर-विरोधी नहीं बल्कि परस्पर-बलवंती हैं। यह बन्धु-भावना अथवा राष्ट्रीय एकत्र-कुटुम्ब-भावना समाज-सत्ता के तत्व से किसी तरह असंगत नहीं बल्कि पोषक ही है। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि सामूहिक संपत्ति और श्रम-सहकार्य के सिद्धान्त या तत्व पर ही एकत्र-कुटुम्ब बन और टिक सकता है। जिस एकत्र-कुटुम्ब में सामूहिक संपत्ति नहीं अथवा सामूहिक हो तो भी उसका उपयोग सब समान रूप में नहीं कर सकते और जिसके सब प्रौढ़ और सुदृढ़ व्यक्ति उस कुटुम्ब की संपत्ति और सुख में वृद्धि करने के लिए तन-ग्राण से प्रयत्न नहीं करते हैं वह अन्त में नष्ट हुए बिना न रहेगा। एकत्र-कुटुम्ब के एक-दो व्यक्ति तो मामूलिक संपत्ति से लाभ उठाते रहें और दूसरे महज कष्ट भुगतते रहें ऐसी दशा में यदि उस एकत्र-कुटुम्ब में विग्रह उत्पन्न हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर ही आती है जो सामूहिक संपत्ति का उपभोग

बिना कुछ कष्ट किये करता हो। ऐसे व्यक्ति के व्यवहार को आम तौर पर एकत्र-कुटुम्ब की बुजुर्गशाही कहते हैं। पूँजीवाद इस तरह की राष्ट्रीय परिवार की एक बुजुर्गशाही है। पूँजीवाद की इस बुजुर्गशाही को कायम रखकर राष्ट्रीय कुटुम्ब की जीवन-यात्रा नहीं चल सकती और उस कुटुम्ब में वर्ग-विश्राम निर्माण हो जाता है। इसलिए इस बुजुर्गशाही को नष्ट करना और 'राष्ट्र के प्रत्येक प्रौढ़ और सुदृढ़ नागरिक को शारीरिक अथवा बौद्धिक कष्ट किये बिना सपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा' इस सिद्धान्त पर राष्ट्र के श्रौद्धोगिक जीवन की इमारत खड़ी करना एवं ऐसे कानून बनाना जिनसे एकत्र-कुटुम्ब के व्यक्ति की तरह राष्ट्र के सब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक व पोषक रीति से राष्ट्रीय सपत्ति का उपभोग किया जा सके, समाजवाद की प्रस्थापना करना है। इसके विपरीत राष्ट्र के तमाम व्यक्तियों के जीवन-साधन पूँजीवाद के हाथ में देने और बहुजन समाज को उसकी आर्थिक दासता में पटक देने का अर्थ है वर्ग-विश्राम को चिरन्तन करना। समाजवाद का ध्येय वर्ग-विश्राम को चिरन्तन करना नहीं है बल्कि पूँजीवाद की बुजुर्गशाही से उत्पन्न होनेवाले वर्ग-विश्राम को नष्ट करके न्याय और समता के पाये पर राष्ट्रीय एकत्र-कुटुम्ब की स्थापना करना है। सच पूँछिये तो समाजवाद सर्वोदयवाद ही है। हाँ, उसका यह स्पष्ट मत है कि सर्वोदय व सहकार्य की भावना समाज में पूँजीवाद को कायम रहकर नहीं लाई जा सकती। पूँजीवाद की बुजुर्गशाही से उत्पन्न वर्ग-विश्राम को नष्ट करना पूँजीवाद से भगड़े बिना सभव नहीं। ऐसा भगड़ा करने का अर्थ वर्ग-विश्राम निर्माण करना नहीं, बल्कि पूँजीवाद-द्वारा निर्मित वर्ग-विश्राम का शिकार बनी हुई जनता को सत्याग्रही बनाना है। सत्याग्रही न्याय स्थापना की लड़ाई से डरता नहीं और डरेगा तो वह सत्याग्रही नहीं रहेगा।

एक दूसरी हाँसि से यह प्रतिपादन किया जाता है कि सत्याग्रही तत्वज्ञान और समाजवाद में अनुल्लंघनीय मतभेद है। सत्याग्रही तत्वज्ञान में यह मान कर चला जाता है कि मनुष्य-स्वभाव सुधार-क्षम है अथवा प्रत्येक मनुष्य के अन्तःकरण में न्याय-बुद्धि के रूप में परमेश्वर निवास

भारतीय सकृति का अमृत तत्व

करता है। इसके विपरीत समाजवादी तत्त्वज्ञान में यह माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वार्थ-साधु है। इस तरह से यह मत-भेद प्रकट किया जाता है। किन्तु हमारी राय में इस मत-भेद का इस तरह प्रतिपादन शास्त्र-शुद्ध नहीं। समाजवाद यह नहीं कहता कि मनुष्य-स्वभाव चिलकुल स्वार्थ-प्रथान है और न इसके विपरीत सत्याप्रही तत्त्वज्ञान का यह मत है कि मनुष्य स्वभाव जैवल न्याय-प्रधान है। मनुष्य-स्वभाव में स्वार्थ-बुद्धि व न्याय-बुद्धि दोनों तत्व हैं और दोनों में यह मानना पड़ता है कि स्वार्थ-बुद्धि जबतक न्याय-बुद्धि से सूखत न होगी मानना पड़ता है कि शास्त्रान्ति का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। समाज की स्वार्थ-बुद्धि पर न्याय-बुद्धि का नियन्त्रण रहने के लिए समाज का आर्थिक संगठन खाल प्रकार का होना चलती है और जबतक वह वैसा न हो जायगा तबतक समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए समाज-वादी तत्त्वज्ञान कहता है कि समाज की न्याय-प्रस्थापना उसके आर्थिक संगठन पर आरूप और उसके सुधार पर अवलंबित रहती है। मनुष्य-स्वभाव का व्यक्त स्वरूप किस तरह का होगा यह भी समाज के आर्थिक संगठन पर ही अवलंबित रहता है। जबतक यह संगठन न्यायविर्षित नहीं होता ही अवलंबित रहता है। अबतक यह भी समाज का सामान्य व्यक्ति न्यायनिष्ठ है। अबतक यह रचना चब्दी-दोसी समाज-रचना अन्याय पर लड़ी है और जबतक यह रचना चब्दी-न जायगी तबतक समाज के सामान्य व्यक्ति का स्वभाव न्याय-प्रधान न होकर स्वार्थ-प्रधान ही रहेगा। समाजवाद यह नहीं कहता कि पूँजीपति न सब स्वार्थी और मजदूर न न्यायग्रिय होते हैं। उन्हें यह तो मजदूर है कि पूँजीपति और मजदूर का भगाडा वर्ग-स्वार्थ का भगाडा है तथा पिय उसका मत है कि पूँजीपतियों का वर्ग-स्वार्थ ग्राधिक न्याय-न्युक्त समाज-रचना करने में जितना बाधक होता है उतना मजदूरों का वर्ग-स्वार्थ नहीं, चर्चिक वह उस्य सहायक बनता है। सामाजिक व्येय का देख समाज में न्याय-प्रस्थापना ही है और न्याय-प्रस्थापना के बाट उस समाज के सभी व्यक्तियों का हित होता है। परन्तु उससे सभी वर्गों का स्वार्थ अधिक सघता है ऐसा नहीं। कुछ वर्गों का स्वार्थ वर्तमान समाज में

जितना सधता है उतना समाजवादी समाज में न सधेगा, इस कारण उस वर्ग के सामान्य लोग उस आदर्श की स्थापना का विरोध करते हैं और आज के समाज में जिस वर्ग का न्याय्य स्वार्थ भी कुचला जाता है वे नवीन ध्येय की स्थापना के लिए आवश्यक स्वार्थ-त्याग करने को व्यापक रूप में तैयार रहते हैं। यह समाजवाद का विचार है। समाज-सत्ताक आर्थिक सगठन यद्यपि न्याय-प्रस्थापना के लिए है तो भी उसकी बदौलत जमींदारों और मिल-मालिकों के स्वार्थ को धक्का पहुँचता है। अतः उस वर्ग के सामान्य व्यक्ति समाज-सत्ताक कान्ति में शामिल नहीं होगे। इतना ही नहीं, बल्कि समाजवादी कार्यकर्त्ताओं को यह मानकर अपनी नीति निश्चित करनी चाहिए कि वे उस काति का विरोध ही करेंगे। जब सत्याग्रही तत्वज्ञान सामाजिक कान्ति को जिम्मेदारी लेगा तब भी हमारा ख्याल है कि इसे ऐसी ही नीति स्वीकार करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के ध्येय की जो लड़ाई काग्रेस लड़ चुकी है उसकी नीति भी इसी सिद्धान्त पर रखी गई थी। स्वातन्त्र्य प्राप्त करने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई उसमें हिंदुस्तानियों ने ही सारा भार उठाया और वही मानकर सत्याग्रह व असहयोग की योजना भी की जाती थी। भारतीय स्वातन्त्र्य के लिए अग्रेज क्यों नहीं लड़े, ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। ऐसा मानकर कोई नहीं चला कि भारतीय स्वातन्त्र्य सासार में न्याय-प्रस्थापना करने की लड़ाई है इसलिए सासार के किसी भी देश के न्याय-प्रिय अथवा न्याय-निष्ठ लोग इस झगड़े में समान रूप से शामिल हों। यतः इसका निकट सम्बन्ध भारतवासियों के न्यायोचित राष्ट्रीय स्वार्थ-साधन से था इसलिए वे ही इस लड़ाई में अधिक-से-अधिक स्वार्थ-त्याग करेंगे और जिन ब्रिटिश लोगों के राष्ट्रीय स्वार्थ के विरुद्ध यह लड़ाई है वे इसका अधिक-से-अधिक विरोध करेंगे—यह मानकर ही सत्याग्रह-संग्राम की नीति निर्धारित की गई। इसका अर्थ यह नहीं कि इस लड़ाई में कोई भी अग्रेज शामिल न हुआ या इसके साथ किसी भी अग्रेज ने सहानुभूति न दिखाई। अपवाद के तौर पर कुछ अग्रेज इसमें शामिल भी हुए और बहुतेरे अग्रेजों ने इसके साथ सहानुभूति भी दिखाई, परन्तु इससे पूर्वोक्त सिद्धान्त को बाघा नहीं पहुँचती।

इसके आधार पर साधारण मनुष्य-स्वभाव-विषयक जो विचार-प्रणाली निश्चित की गई है उसके बिना समाज-सत्ताक क्रान्ति नहीं हो सकेगी अर्थात् जबतक पूँजीपतियों को यह दिखाई न देगा कि अब पूँजीवादी समाज-रचना का आगे चलना असमव है या प्रस्थापित राज-सत्ता जबतक अपनी सत्ता के बल पर बहुजन-समाज के पृष्ठ-पोषण से क्रान्ति करने का निश्चय न कर ले, तबतक समाज-सत्ता की प्रस्थापना नहीं होगी। यह बात नहीं कि इस न्याय-स्थापना के कार्य में कोई भी पूँजीपति शामिल न होगा, हॉ, उनमें आम पूँजिपति शामिल न होंगे। जो थोड़े बहुत होंगे वे भी अपना स्वार्थ छोड़कर। जिन पूँजीपतियों को इस कार्य में शरीक होना होगा उन्हें अपना वर्गस्वार्थ छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। हजरत ईसा ने कहा था कि एक बार सुई के नाके में से कैंट निकल सकता है; परन्तु धनिक को ईश्वरीय साम्राज्य में प्रवेश नहीं मिल सकता। म० गाधी भी कह गये हैं कि परिग्रही मनुष्य सत्याग्रही नहीं बन सकता। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह-आदेलन में उन्हें सघनों की बनिस्त निर्धनों की ही सच्ची मदद मिली थी। इन विचारों और अनुभवों में मनुष्य-स्वभाव का जो सिद्धान्त बताया गया है उससे अधिक या भिन्न बात इस विचार में ग्रहण करने की जरूरत नहीं है कि 'पूँजीवादी समाज-सत्ताक क्रान्ति का विरोध करेंगे।' समाज के अन्याय का प्रतिकार वे लोग करते हैं जो उस अन्याय से पीड़ित होते हैं व प्रतिकार का विरोध वे लाग करते हैं जो उस अन्याय से अपना स्वार्थ साधते हैं। यह मामूली व्यवहार जो नहीं जानते वे समाज के अन्याय-निवारण की लहड़ई में सफलता नहीं पा सकते। सत्याग्रही तत्वज्ञान का व्यवहार भी इसी नीति से किया जाता है और होता है।

‘इस जो यह कहते हैं कि सत्याग्रह की अहिंसात्मक असहयोग-क्रान्ति का तत्व केवल विदेशी राजसत्ता पर ही नहीं, स्वकीय राजसत्ता और स्वकीय धनिक वर्ग पर भी लागू होता है उसके लिए टाल्स्टाय के विचारों का भी आधार है।’ टाल्स्टाय जिस देश में पैदा हुए वह राजनैतिक हृषि से परतन्त्र न था। इसलिए उन्होंने इसी बात का विचार किया है कि

अहिंसात्मक असहयोग का सिद्धात् अपने तथा इतर स्वतंत्र देशों के धनिक वर्ग व सरकार के खिलाफ काम में लाकर ससार के सब श्रमजीवी अपनी मुक्ति किस प्रकार कर सकते हैं। १९०१ में लिखे (The Only Means) नामक निबन्ध में वे लिखते हैं :

“ससार में १ अरब से ज्यादा मजदूर हैं। संसार का सब धन-धान्य, मनुष्यों के जीवन व वैभव के सब साधन मजदूर ही तैयार करते हैं, परन्तु जिस चीज को वे बनाते हैं उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता, बल्कि सरकार व धनिक वर्ग को मिलता है। मजदूर सतत दरिद्रता, अज्ञान, और गुलामी में सड़ते हैं और जिन लोगों के लिए अब वस्त्र और घर बनाते व जिनकी वे सेवा करते हैं वही लोग उनके साथ तुच्छता का व्यवहार करते हैं। किसानों की जमीनें जब्त होती हैं, छिन जाती हैं और वे उन लोगों की निजी मिलिक्यत बन जाती हैं जो उसके लिए कष्ट और अम नहीं करते। इससे जमीन के मालिक जो-कुछ मजदूरी या मुआ-बजा दे देते हैं उसी पर उन लोगों को जो जमीन पर मरते-खपते हैं अपनी गुजर करनी पड़ती है। जो जमीन छोड़कर किसी कारखाने में काम करने जाते हैं तो वे पूँजीपतियों के गुलाम बनते हैं। अगर उन्होंने करबदी या लगान-बदी का आदोलन किया या हड्डताल करने की कोशिश की तो फौज और पुलिस का धावा होता है व उन्हें जबरदस्ती कर देने व काम करने पर मजबूर किया जाता है।

“जमीदार, सरकार, मिल मालिक व सैनिक अधिकारी इनके खिलाफ मजदूरों को बहुत शिकायते रहती हैं। मगर वही मजदूर जमीदारों, सरकारों आदि की मदद करते हैं। जिन बातों की वे शिकायत करते हैं वही खुद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीसे जमीदार जमीन की पैदावार हृद्दप जाता है, सरकार कर बसूल कर लेती है। मजदूरों की यह फरियाद है कि जिस जमीन को हम अपना मानते हैं उसपर जब हम कब्जा करने लगते हैं या सरकारी कर नहीं देते अथवा हड्डताल का सगठन करते हैं तो हमपर फौज चढ़ाई करती है। मगर जो फौज उनपर भेजी जाती है उसके सैनिक इन किसान-मजदूरों में से ही आते हैं। वे अपने व्यक्ति-

नात स्वार्थ से या सजा के भय से फौज में नौकरी करते हैं और उन्हें यह कसम दिलाई जाती है कि अपने मनोदेवता व ईश्वरीय-नियम को एक और ताक में रखकर अधिकारी जिसे कल्प करने का हुक्म दें उसे वे कल्प कर लें। मतलब यह कि मजदूरों की तमाम मुसीबतों का कारण खुद वही है। अगर वे धनिक वर्ग व सरकार से सहयोग करना छोड़ दें तो उनकी तमाम आपत्तियों का अपने आप अन्त हो जायगा ।”

टाल्स्टाय ने पूँजीवाद और सैनिक सत्ता के जुल्म से आत्म-बल के द्वारा मुक्त होने का मार्ग तो दिखाया, परन्तु वे खुद रूप में उसके अनुसार कुछ न कर सके। इसीसे यहाँ लेनिन आदि का सशस्त्र क्रान्तिकार फैला। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी ने टाल्स्टाय के अहिंसात्मक असहयोग का अवलम्बन लेकर भारत के राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के भगवे को सफलता पूर्वक निपाया। म० गांधी में टाल्स्टाय की अपेक्षा व्यावहारिक राजनीतिज्ञता व नेतृत्वकला अधिक थी और यहाँ शासकों ने भी दूरदर्शी स्वार्थ से क्यों न हो, निःशस्त्र क्रान्तिकार के प्रचड़ सगठन करने का योद्धा-बहुत अवमर दिया। जारशाही की अपेक्षा विदिशा-साम्राज्यशाही में नागरिक स्वतंत्रता कुछ अधिक है। इसीसे म० गांधी टाल्स्टाय के निःशस्त्र क्रान्ति-शास्त्र को बहुत परिणत अवस्था तक ले जा सके। फिर भी उनका कार्य विदेशी सत्ता से अपनी जनता को मुक्त करना था। इससे स्वकीय राजा और धनियों के विरुद्ध लड़ाई का रूप उस निःशस्त्र क्रान्ति-शास्त्र को नहीं मिला। अब उसी का उपयोग टाल्स्टाय के बताये काम में करना पड़ेगा। कहना नहीं होगा कि अब यह कार्य म० गांधी के आगे की पीढ़ी के सत्याग्रही नेताओं को करना है। प० जवाहरलाल-जैसे नवीन पीढ़ी के नेता अहिंसा-त्मक क्रान्ति-शास्त्र का समर्थन करते हुए भी यह साफ-साफ कह चुके हैं कि स्वराज्य की प्राप्ति के बाद जवतक हम समाज-सत्ता के स्थापना नहीं करेगे तबतक यहाँ की आम जनता व मध्यम-वर्ग की दालनोटी का प्रश्न अच्छी तरह हल नहीं हो सकता।

भारतीय संस्कृति का भी स्वरूप समाजसत्ताक होगा, इस विषय में अब काग्रेस की नई पीढ़ी में बहुत-कुछ एकवाक्यता होने लगी है। फिर भी

एक बात पर यहाँ विशेष रूप से विचार कर लेने की जरूरत है। वह है औद्योगिक विकेन्द्रीकरण (Industrial de-centralisation)। इसके लिए आधुनिक यूरोप के जिन चार प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों की विचार-प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है वे हैं : अँडम स्मिथ फ्रेडरिक लिस्ट, कार्ल मार्क्स व प्रिंस कोपाटकिन। इनमें अँडम स्मिथ व्यक्तिवादी, फ्रेडरिक लिस्ट राष्ट्रवादी व कार्ल मार्क्स तथा प्रिंस कोपाटकिन समाजवादी अर्थ-शास्त्रज्ञ थे। अँडम स्मिथ के व्यक्तिवादी अर्थ-शास्त्र से खुले मैदान का अनिवृद्ध स्पर्धा का और भौगोलिक अम-विभाग का सिद्धान्त स्थिर हुआ। उसके आधार पर पूँजीवाद और साम्राज्यवाद की वृद्धि हुई। भौगोलिक अम-विभाग के तत्वानुसार एशिया के उर्वर राष्ट्र महज खेती करके अनाज और कच्चा माल दें और इङ्ग्लैंड आदि यूरोपीय देश पक्का माल बनानेवाले अधिक मुनाफे के काम-धन्धे करें—यह अम-विभाग निर्संसिद्ध माना जाने लगा। खुले व्यापार व अनिवृद्ध स्पर्धा के सिद्धान्त की बढ़ौलत जब नैपोलियन ने सारे यूरोप में महायुद्ध की ज्वाला फैलाई उस समय ब्रिटिश पूँजीवाद को, जो हिन्दुस्तान को निगलकर बैठा था, औद्योगिक ज़ोत्र में मिली अपनी अग्रसरता स्थिर करने का मौका मिला और एशिया की तरह यूरोप के लोगों को भी पक्का माल देने का ठेका ब्रिटिश पूँजीवादियों को मिलने लगा। यह देखकर जर्मन अर्थ-शास्त्रज्ञ फ्रेडरिक लिस्ट ने खुले व्यापार के सिद्धान्त पर आधार रखकर जकात का नवीन राष्ट्रीय अर्थ-शास्त्र निर्माण किया। इस अर्थ-शास्त्र के सिद्धान्तानुसार बाल्यवादस्था के उद्योग-धन्धों को विदेशी माल पर जकात के द्वारा सरक्षण देकर इङ्ग्लैंड की तरह प्रत्येक यूरोपीय देश अपने यहाँ प्रचल उद्योग-धन्धे खड़े करे और एशिया के देशों से अन्न तथा कच्चा माल लाकर पिछड़े हुए देशों को पक्का माल पहुँचाने की ठेकेदारी में सब यूरोपीय देश ब्रिटिशों से स्पर्धा करें—इस तरह का नवीन साम्राज्यवादी राष्ट्रीय अर्थ-शास्त्र पैदा हुआ। फ्रेडरिक लिस्ट ने अँडम स्मिथ प्रभृति ब्रिटिश अर्थ-शास्त्रियों के व्यक्तिवादी तत्वज्ञान के अन्दर छिपे राष्ट्रीय स्वार्थ की तो कलई खोल दी,

परन्तु ऐसा करते हुए उसने अपने राष्ट्रीय स्वार्थ को नहीं छोड़ा। उसने अपने राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में यह साफ-साफ लिखा है कि एशिया के देशों को यूरोपीय देशों के कारबानों के लिए आवश्यक कच्चा माल तैयार करने के लिए ही प्रकृति या ईश्वर ने पेटा किया है।

इस प्रकार क्रेडिट लिस्ट ने १६वीं सदी के मध्य में जर्मन राष्ट्रवाद को साम्राज्यशाही दीक्षा देनेवाले अर्थशास्त्र की बुनियाद ढाली। हमारे यहाँ न्याय० रानडे के समय से इसी राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के ठग पर भारतीय अर्थशास्त्र निर्माण हुआ। परन्तु हिन्दुस्तान में साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र खड़ा नहीं हो सकता था। अतः यह भारतीय अर्थशास्त्र आगे की भारतीय सकृति की नींव ढालने के लिए काफी न था। इसके बाद जर्मनी में कार्ल मार्क्स ने अपना समारन्प्रसिद्ध समाजवादी अर्थशास्त्र तैयार किया। इसमें मुख्य निदान यह है कि देश के कानूनों व जमीन पर किसी का निची स्वामित्व न हो, विक्री राष्ट्र का सामूहिक स्वामित्व हो। इस सिद्धान्त को स्वीकार किये चिना हिन्दुस्तान के आज वक्त का प्रश्न ही हल नहीं हो सकता, वर्ग-विभग से राष्ट्रीय भावना के दुकडे हुए चिना नहीं रहते और प्रजासत्ता धनिक-शाही का रूप ले लेती है—यह मत शान भारतीय समाजवादियों द्वारा मान्य हो चुका है। तथापि इतने ही निदानों के आधार पर भाची भारतीय सकृति की आर्थिक नींव नहीं ढाली जा सकती। उसके लिए प्रिय कोपाटकिन द्वारा प्रतिपादित शौचोगिक विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त हिन्दुस्तान को स्वीकार करना पड़ेगा। कोपाटकिन समाजवादी था। फिर भा हिन्दुस्तान में जो समाजवाद आज आ रहा है वह मार्क्स के अनुयायी द्वारा आ रहा है, इससे कोपाटकिन के शौचोगिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त की ओर समाजवादी दल का ध्यान जितना चाहिए, नहीं जाता। इसमें प्रतिपादन ग्रामोद्योग का संगठन करनेवाले गांधीजी के अनुयायी बहुत बार करते हैं, परन्तु वे कोपाटकिन के इन समाजवादी विचारों का विशेष उल्लेख नहीं करते कि इस संगठन में नैसिक शक्ति व यन्त्रकला का उपयोग कर लेना चाहिए व घोटालान के सब साधनों पर समाज का स्वामित्व कर देना

चाहिए। वस्तुतः भारतवर्ष को औद्योगिक विकेन्द्रीकरण और धनोत्पादन के साधनों पर सामुदायिक स्वामित्व इन दोनों तत्वों का अवलम्बन लेना पड़ेगा। ऐसा होने पर ही हिंदुस्तान में खेती व उद्योग-धन्वे दोनों की कड़ी ठीक तरह से जुड़ सकेगी, भारतीय स्वस्कृति का ग्राम-प्रधान स्वरूप कायम रखना जा सकेगा, औद्योगिक विकेन्द्रीकरण के साथ ही राजसत्ता का भी विकेन्द्रीकरण करके जनसत्ता का अधिक पोषण किया जा सकेगा और भारत के सब विभागों की सर्वागीण उन्नति होकर राजसत्ता के व धनोत्पादन के केन्द्रीकरण से उत्पन्न सब आपत्तियों दूर हो सकेंगी। प्रत्येक राष्ट्र, उसका प्रत्येक प्रान्त और प्रान्त-विभाग आर्थिक दृष्टि से भरसक स्वयंपूर्ण बनाया जाय, प्रत्येक विभाग के लिए आवश्यक कच्चा व पक्का माल भरसक जहाँ का वहाँ तैयार किया जाय, प्रत्येक विभाग के लोगों की सब शक्तियों का विवास होने के लिए उस विभाग का औद्योगिक जीवन भरसक विविधता-सम्पन्न किया जाय और इस तरह प्रत्येक राष्ट्र-विभाग को स्वावलम्बी व यथासंभव सर्वगुण-सम्पन्न बनाने का ध्येय अपने सामने रखा जाय—यह क्रोपाटकिन की विचार-प्रणाली है। इस तरह से स्थानिक स्वयंपूर्णता व स्वावलम्बन का सिद्धान्त ग्रहण करने से खेती व दूसरे उद्योग धन्वे, कच्चे व पक्के माल की खपत, उत्पादक व उपभोक्ता, खेती व कारखाने का काम इन सबका समुचित मेल बैठाकर नियोजित आर्थिक संगठन (Planned economy) बनाना बहुत आसान व सुविधाजनक हो जाता है। चूंकि यह संगठन छोटे क्षेत्र व छोटे लोक-समुदाय से शुरू होता है वह बहुत फुटकर नहीं बनने पाता। इस कारण स्थानिक लोगों की आवश्यकताओं व मर्तों का उसपर उचित प्रभाव पड़ता है, वह अधिक लोकमतानुवर्ती रह सकता है व उसके मात्रात् प्रत्येक विभाग के लोगों की स्वतन्त्रता व सुख अधिक सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा खुली हवा, काफी पानी, खुले मैदान और सूर्य-किरणों का प्रवेश-आदि प्राकृतिक सम्पत्ति का काफी लाभ सबको मिलेगा जिससे राष्ट्रीय जीवन अधिक नीरोग, तेजस्वी, सम्पन्न और सुसंस्कृत हो सकता है। उद्योग-धन्वे व खेती में विजली-जैसी प्राकृतिक शक्ति के उपयोग

करने का ज्ञान आब हमारे पास है। इसी तरह लोकसत्ता व समाजसत्ता जैसी शासन व समाज व्यवस्था-सम्बन्धी पद्धति भी हमें उपलब्ध है। इन सबका उपयोग करने से भावी भारतीय संस्कृति को पहले की तरह आम-प्रधान व कुषिप्रधान रखकर भी भौतिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न, औदिक दृष्टि से अधिक प्रगतिशील, सामाजिक दृष्टि से अधिक समतापूर्ण, राजनैतिक दृष्टि से अधिक लोकसत्ताक और धार्मिक दृष्टि से अधिक प्रवृत्तिमय किन्तु शान्ति-प्रधान बनाना शक्य है। परन्तु इसके लिए भौतिक विद्या, यशकला, बुद्धि-स्वातन्त्र्य, व्यक्ति-स्वातन्त्र्य, सामाजिक व आर्थिक समता, लोकसत्ता व समाजसत्ता हन आधुनिक जगत् के तमाम भौतिक व सामाजिक आविष्कारों से पूरा लाभ उठाना चाहिए व ऐसा करते हुए हमें अपनी प्राचीन आध्यात्मिक संपत्ति को न गंवाते हुए उसको बृद्धि के लिए इन सबका उपयोग करना चाहिए। इस तरह की भावी भारतीय संस्कृति की नींव डालने में हमें क्रोपाटकिन के उस अर्थशास्त्र से जो राष्ट्रवादी व समाजवादी अर्थशास्त्र का समन्वय करके उसने बनाया है, पूरा-पूरा लाभ उठाना पड़ेगा।

जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय समाजवादी अर्थशास्त्र के रूप में जो साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र आगे चला था उसका क्रोपाटकिन के अर्थ-शास्त्र से कोई सबध नहीं था। हिटलर का नाड़ी अर्थशास्त्र भले हो अपने को राष्ट्रीय समाजवादी अर्थ-शास्त्र कहता रहा, बस्तुतः वह पूँजीवादी व साम्राज्यवादी अर्थ-शास्त्र ही था। एक अर्थ में यह व्यक्तिवादी अर्थशास्त्र के खिलाफ था और इसीसे उसे 'राष्ट्रीय' कहते थे। उसका उद्दम फ्रैंडरिक लिस्ट के अर्थशास्त्र से हुआ व समाजवाद से उसका कोई सबध नहीं रहा। ब्रिटिश पूँजीवाद की बृद्धि व्यक्तिवादी वातावरण में हुई है इससे वर्षों के पूँजीवादी शेर-जैसे बन गये हैं। वे सघ बनाकर रहने व चलने को बहुत प्रवृत्ति नहीं दिखाते। जर्मन पूँजीवाले राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र को कुत्रछाया में पहले, इससे उनमें सघ-भावना ज्यादा रहा। वे सियाल की तरह रहे। दोनों एकसे हिलते हैं और दोनों का सच्चा ग्रर्थशास्त्र साम्राज्यवादी है। सच्चे राष्ट्रवादी व समाजवादी अर्थशास्त्र में विरोध नहीं है,

उनका समन्वय हो सकता है और वह कैसे हो सकता है यह प्रिंस कोपाट-
किन ने अच्छी तरह दिखा दिया है। इसी अर्थशास्त्र के आधार पर
भारतीय संस्कृति की इमारत हमें खड़ी करनी होगी।

अब हम वर्ग-विभाग व समरजवाद का भारतीय संस्कृति की
परम्परा की दृष्टि से विचार करें व यह देखें कि भारतीय संस्कृति की
प्रगति कब व कैसे रुकी। तभी यह बात निश्चित हो सकेगी कि
भारतीय संस्कृति का रूप क्या होगा व मानव-संस्कृति को वह
कौन-सा महत्वपूर्ण संदेश देगी। भारतीय संस्कृति सासार की एक
महान् व अत्यन्त प्राचीन संस्कृति है व सासार उससे बहुत-कुछ सीख
सकता है। जितनी यह बात सही है उतनी ही यह भी सही है कि अब
उसकी प्रगति रुक गई है व मौजूदा समय में वह यूरोपीय संस्कृति से
पिछ़ा गई है। हमारी संस्कृति की प्रगति क्यों रुक गई, यह जानकर
जबतक हम आगे कदम न बढ़ावेंगे, तबतक उसे उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त
न होगा और न मानव-संस्कृति में वृद्धि करने की हमारी आकांक्षा ही
सफल हो सकती है। मानव-संस्कृति में वृद्धि का कार्य मध्य-युग तक यूरो-
पीय व भारतीय दोनों संस्कृतियों प्रायः एक समान करती रहीं। वर्तिक यह
कहना होगा कि कुछ बातों में मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति तत्कालीन
यूरोपीय संस्कृति से अधिक श्रेष्ठ व सपन थी। इधर आधुनिक-
काल में यूरोपीय संस्कृति बहुत आगे निकल गई। किन्तु अब उसकी
भी गति कुणित हो गई है और आगे रास्ता ढूँढ़ने की शक्ति उसमें
बाकी नहीं है। यूरोप के तत्वज्ञों को आगे का मार्ग दिखाई न देता हो,
सो बात नहीं। परन्तु लोगों को उस मार्ग पर ले चलने का सामर्थ्य
वहाँ के लोकनायकों में नहीं है। यूरोपीय संस्कृति पूँजीवाद व साम्राज्य-
वाद के भेंवर में पड़ गई है और उसके चक्र में से उसे चचा ले जाने
की शक्ति उसके नाविकों या कर्णधारों में नहीं दिखाई देती। यूरोप के
चार प्रमुख राष्ट्र—इंग्लैण्ड, फ्रास, जर्मनी व इटली में से जर्मनी व
इटली में सामर्थ्योपासकों का एक-एक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया था व
हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे समर्थ पुरुषार्थी राष्ट्रनायक, उन्हें प्राप्त हो

गये थे। इस तरह नर्मनी व इटली में सामर्थ्य तो उत्पन्न हुआ, परन्तु उसका उपयोग मानव-संस्कृति की प्रगति में नहीं बल्कि उसे प्रतिगामी व आधुनिक यूरोप में पूँछे-फैले प्रभावसंता व नागरिक स्वातंत्र्य के तत्वों को उन्होंने दिन दहाडे पैरों तले रौद्रकर मानों इस बात का बीड़ा उठा लिया था कि चाहे सारी मानव वा यूरोपीय संस्कृति नष्ट-भ्रष्ट हो जाय, पर वे प्रभावतात्मक समाज-संताक संस्कृति को यूरोप में न पतनने देंगे। उनके देश के बनिक इसमें उनके पृष्ठ-पोषक बने। इस बनिक वर्ग की सेवा से लाचार व भावी साम्राज्यशाही के लाभ से मोहित बुद्धिप्रधान मध्यम-वर्ग तत्व भ्रष्ट होकर उनकी सेवा करने में लगा व अशान किसान-वर्ग को मजदूरों से फोड़कर उन्होंने समाज-संता के लिए भगाड़नेवालों जनता की ढाँग ही तोड़ दी। उनकी स्थापित 'जारशाही' से जनता को मुक्त करने के लिए खून की नदी बहानेवाली संशक्त कानित के सिवा दूसरा मार्ग बहाँ के नेताओं को नहीं दिखाई दिया। परन्तु बिट्लर-शाही व मुसोलिनी-शाही जारशाही से भी ज्यादा बैज्ञानिक बन गई थी और उनका राज्यतत्र भी अधिक कार्यक्रम प्रमाणित हुआ। परिणामतः दूसरे महायुद्ध की प्रचड़ अर्गेन धघकी जिसमें यश्या पर दोनों तानाशाह मिट गए, किन्तु यूरोपीय संस्कृति को नष्टप्राप्त कर गए। ये हमारा अदाना था। यूरोप के दूसरे दो देशों—इंग्लैण्ड व फ्रान्स—अभी सॉफ-संता का बुरका खुलाम-खुला उतार कर नहीं पेक दिया है व वे संसार को यही दिखाते हैं कि आधुनिक यूरोप की संस्कृति की रक्षा हमारे ही कारण हो रही है। परन्तु आज उनकी रित्यां गई-गुजारी हो गई है। इनमें अब किसी प्रकार का सामर्थ्य नाकी नहीं दिखाई देता; अपने साम्राज्य की रक्षा भी उनके लिए दूभर हो गई है व इधर साम्राज्य का लोभ भी पूर्णतः छूटता नहीं है। वहाँ के अनेक विदान् यह तो मानते हैं कि यूरोपीय संस्कृति की बृद्धि व प्रगति अब समाजसंता द्वारा ही हो सकती है, परन्तु अपनी इस विद्वत्ता को राष्ट्र के गले उतारने व राष्ट्र से समाजसंता की स्थापना कराने का सामर्थ्य आज उनमें से किसी में भी नहीं दिखाई देता। जिस समय

देश को महान् समर्थ व पुरुषार्थी नेताओं की आवश्यकता होती है उस समय यदि वे पैदा नहीं होते तो यही कहना पड़ता है कि उस देश के अधःपात का समय आ गया है या उसकी संस्कृति का विनाश नजदीक है। संस्कृति-वृक्ष में जब बुन लग जाता है तब महान् व पुरुषार्थी पुरुष-रूपी फल उसमें नहीं लगते। आज इंग्लैण्ड व फ्रान्स की ऐसी ही शोच-नीय स्थिति हुई दीखती है। आधुनिक-कालीन राष्ट्रीयता, प्रजासत्ता व पूँजीवाद का उदय इन देशों में हुआ। उन्होंने कुछु समय तक मानव-संस्कृति का नेतृत्व भी किया। भौतिक व सामाजिक विद्या की बहुत बुद्धि भी उन्होंने की व इस बात की भी खोज की कि अब आगे के इतिहास में मानव-संस्कृति किस युग में प्रवेश करेगी। परन्तु अपनी संस्कृति की प्रगति करने का सामर्थ्य आज उनमें नहीं बच रहा है। इंग्लैण्ड व फ्रान्स में आज यही अनुभव हो रहा है। वहाँ की राष्ट्रीयता छिन्न-भिन्न हो रही है व प्रजा-सत्ता धनिक-सत्ता बन गई है। उनको बुद्धि यह तो जानती है कि इन दोनों बादों से आगे जाने का समय अब आ गया है, किन्तु वैसा हाथ से किया नहीं जाता। ‘जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः। जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः’ ऐसी दशा को ये देश आज पहुँच चुके हैं।

आधुनिक भारत के म० गाधी व प० लवाहरलाल नेहरू जैसे प्रतापी पुरुष इंग्लैण्ड में नहीं दिखाई देते। वहों की आम जनता साम्राज्य-वाद की लूट से मिली सम्पत्ति के कारण तत्त्व-भ्रष्ट हो गई है। जिस राष्ट्र ने प्युरिटन-काल में प्रस्थापित राजसत्ता के खिलाफ बगावत करके सत्ताधारी वर्ग द्वारा संस्कृति के प्रबाह पर बॉधे बॉध के तोड डालने का सामर्थ्य दिखाया था, उसमें आज निःशब्द क्रान्ति का सामर्थ्य बाकी नहीं बच रहा। आधुनिक भारत ने १९३० व ३२ में अपूर्व सत्याग्रह-संग्राम किया और प्रस्थापित राजसत्ता द्वारा वे-कायदा घोषित काग्रेस का लड़ाऊ क्रान्ति-यन्त्र प्रतिपक्ष के द्वारा होनेवाले दमन के उग्र व भयकर शब्द-सपात के बाबजूद एक साल तक चालू रखदा। किन्तु १९२६ में ब्रिटिश मंजदूरों ने जब सार्वत्रिक हड्डताल-रूपी प्रत्यक्ष प्रतिकार का हथियार प्रस्थापित राजसत्ता पर चलाया तो उसके वे-कायदा घोषित करने की धमकी भर से वह

छोड़ दिया गया। अपनी इस कृति के द्वारा ससार को निरिश मजबूर-दल ने मानों यह बता दिया कि किसी भी प्रकार की राज्यक्रान्ति करने का सामर्थ्य उनमें नहीं रहा व अब वे आगे अपनी संस्कृति की प्रगति नहीं कर सकते। उसके बाद तो मैकडानल्ड-जैसे नेताओं का कंलवेटिव दल से मिलकर, जन्म भर नेतृत्व करके पाले-पोसे समाजवादी दल व तत्वज्ञान को दगा देना कमप्रात हो था। इसके विपरीत म० गांधी ने सत्याग्रही तत्वज्ञान की सहायता से आधुनिक भारत में एक प्रचण्ड सामर्थ्य उत्पन्न किया। इस सामर्थ्य का उधिष्ठान प्राचीन भारत का आत्मबल है और इस सामर्थ्य की बटौलत आधुनिक भारत में अपनी प्राचीन संस्कृति का अभिमान भी पैदा हुआ है। उसके साथ ही आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के प्रति एक तरह की तुच्छता या अनादर भी उत्पन्न हुआ है। इस अनादर-भाव के कारण, सभव है, आधुनिक भारत का अधःपात भी हो जाय। यदि भारताय अतःकरण में यह भावना प्रवल होती गई कि आधुनिक यूरोप की प्रत्येक बात व विचार त्याज्य व तुच्छ है तो वह अपनी प्राचीन संस्कृति के दोषों से चिपका रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि, कुछ विचार-शील लोगों को आज ऐसा भी लगने लगा है कि अनादर करते-करते कहीं उसके उद्घाव अग का अनादर न किया जाय व हीन अगों का, अनजान में, आदर। किंतु यह बात पक्की है कि आधुनिक भारत आज कार्यक्रम व समर्थ बनने लगा है। उसकी यह कार्य-क्रमता व सामर्थ्य एक-सा बढ़ भी रहा है। इसलिए ऐसी आशंका के सच होने की मुँजायश बहुत कम रह जाती है। जब कोई देश जी-जान से अपने उद्धार के प्रयत्न में जुट पड़ता है व उसके लिए आवश्यक त्याग करने की भावना उसके बुद्धिशाली लोगों में बढ़ने लगती है तो उसके तत्वज्ञान के सदोप रहते हुए भी उसका अधःपात नहीं होता, बल्कि उसके उद्योग-सामर्थ्य से वह धीरे-धीरे निर्दोष बनने लगता है। आत्मोद्धार के लिए ऐसा उद्योग करने की आत्म-प्रेरणा आज भारत में जाग्रत हो गई है व हमें यह पक्की आशा है कि वह अपने राष्ट्रीय तत्वज्ञान को अधिकाधिक निर्दोष व शुद्ध बनाता जायगा। फिर भी हमें यह देख लेना जरूरी है कि

हमारे तत्वज्ञान में, पूर्वोक्त कारण से आज कौन-सी बुराई आ जाने का ढर है, किस बुराई के कारण प्राचीन संस्कृति की प्रगति कुरिठत हुई व उसे आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के सामने हार खानी पड़ी ।

आधुनिक यूरोपीय संस्कृति की उत्पत्ति वर्ग-कलह के रूप में हुई व आज उसका विनाश भी सम्भवतः वर्ग-कलह में ही होता दीखता है । इससे कुछ लोगों की यह मानने की प्रवृत्ति है कि वर्ग-कलह का सिद्धान्त हमें विलकुल मजूर नहीं । हमें ऐसा लगता है कि यह प्रवृत्ति कदाचित् हमारी प्रगति में रुकावट डाले । हमारा यह स्पष्ट मत है कि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के बाद अब हमें वर्ग-विग्रह का तत्त्व मजूर करना पड़ेगा व सत्याग्रह से उसका समन्वय करना पड़ेगा । आधुनिक यूरोप ने जो वर्ग-विग्रह किया या उसका अवलभन लिया उसमें उसने कोई गलती नहीं की । मगर उसने जो भूल की वह तो यह कि वर्ग-विग्रह करते हुए उसने हिंसात्मक साधनों का अतिरेक कर दिया, राष्ट्रीय बन्धुत्व से उसका विलकुल समन्वय नहीं किया व इस वर्ग-विग्रह के सिलसिले में प्रजासत्ताक संस्थाओं की विलकुल जस्तरत न होगी—यह मानकर प्रजासत्ता पर ही तलवार खींच ली । सत्याग्रह यदि वर्ग-विग्रह की नीति बना ले तब भी राष्ट्रीय बन्धुत्व को आच आने की जस्तरत नहों है, क्योंकि सत्याग्रह-संग्राम में प्रतिपक्ष के व्यक्तियों के द्वेष की गु जायश नहीं होती । वह तो खास तौर की अन्यायी समाज-रचना या खास संस्थाओं के विरुद्ध ही सकता है, उसके किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं । पूँजीवादी संस्था या वर्ग को मिटाने का अर्थ पूँजी-वादियों को मिटाना नहीं है । समाजवादी तत्वज्ञान की भी तत्त्वतः यही भूमिका है । कालं मार्क्स ने अपने 'कैपिटल' नामक ग्रन्थ की प्रस्तावना में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि हमारा झगड़ा पूँजीवादियों से नहीं, पूँजीवादी संस्था से है । यदि सत्याग्रही तत्वज्ञान ने समाज-सत्ताक व्यवस्था स्थापित करने का निश्चय किया तो वह इस विचार-संरणी का और भी जोर से संर्मर्थन करेगा व क्रातिकाल में भी अहिंसात्मक बाता-

वरण कायम रखेगा—इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसी तरह सत्याग्रही तत्वज्ञान लोकसत्ता व सत्याग्रही प्रत्यक्ष प्राप्तिकार का समन्वय करके निःशास्त्र काति को सफल करके दिखा देगा। इस तरह सत्याग्रही तत्वज्ञान के यह बिलकुल कावू की चात है कि वह वर्ग-विश्राम व समाज-सत्ताक कान्ति को मानकर भी उसका राष्ट्रीयता व लोकसत्ता से समन्वय कर दे। अलवचा वर्ग-विश्राम व समाज-सत्ताक कान्ति का अवलोकन लिये बिना यह भावी भारतीय संस्कृति की इमारत खड़ी न कर सकेगा। यह मत हमें नहीं ज़ंचता कि वर्ग-विश्राम का तत्व प्राचीन भारतीय संस्कृति से बिलकुल असंगत है। हाँ, यह सच है कि आधुनिक यूरोप के व्यापारी पूँजीवादी वर्ग ने सामतवर्ग के खिलाफ जिस तरह का वर्ग-विश्राम किया, अथवा वहाँ मजदूर आज पूँजीवाद के खिलाफ जिस तरह वर्ग-कलह कर रहे हैं वैसा भारत के वैश्यों ने नहीं किया व अबतक यहाँ के मजदूर भी पूँजी-वाद के खिलाफ वैसा नहीं कर रहे हैं। तथापि उसके साथ ही यह भी सच है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के मुकावले में पिछङ्ग गई, उसकी प्रगति रुक गई व अन्त में उसे आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के सामने हार खानी पड़ी। आधुनिक यूरोपीय व्यापारी मध्यम वर्ग ने धर्माधिकारी व मामन्त-वर्ग के खिलाफ किसान-वर्ग की सहायता से सफल ब्रावत की, निरान यूरोपीय मध्यम-वर्ग को, श्रद्धायुग से बुद्धि-युग में लाकर छोड़ दिया, राजसत्ता पर नागरिक स्वतंत्रता का बधन लगाकर उसे लोक-नियन्त्रित बना दिया, सामन्त वर्ग को नष्ट करके सामाजिक समता व लोकसत्ता के आठर्श का समर्थन किया व मानव-संस्कृति में समाज सत्ताक-युग की भविष्यवाणी की। लेकिन यह सब करते हुए उसने ग्राह्यात्म-विद्या की पूरी उपेक्षा की, समग्र विद्याओं व कलाओं को धनोत्पादन की चेरी बना दिया, आत्मवल को भुला दिया व महज शब्द-बल पर सारा दारोमदार रखा। आधुनिक यूरोप की ये भूलें बहुत बड़ी हैं। यह सब सच है, किन्तु आधुनिक यूरोप की सारी संस्कृति पर तुच्छता का परदा डालकर हम भावी संस्कृति का निर्माण न कर सकेंगे। श्रगर हमने समाज के कनिष्ठ

वर्ग को वरिष्ठ वर्ग के बिसद्ध खड़ा होकर अपने हक-हकूक प्राप्त करने की कला न सिखाई तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी प्राचीन सत्कृति में वर्ग-कलह नहीं था । प्राचीन भारत में ब्राह्मण व द्वित्रियों का वर्ग कलह हुआ था । ब्राह्मण-द्वित्रियों ने वैश्यों से कलह किया है व द्वित्रियों ने शूद्र-अतिशूद्रों को दासता में रखने के अनेक प्रयत्न किये हैं ।

ये सब ब्रानाव-बिंगाड़ वर्ग-कलह के बगैर नहीं हुए हैं । हाँ, यूरोप की तरह यहाँ उसके द्वारा एकराष्ट्रीयता, लोक-सत्ता, नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना नहीं हुई । समाज में कोई शूद्र न रहे, ऐसा आदर्श नहीं पुकारा गया । किन्तु इसे हमारी सत्कृति का बड़पन या गौरव नहीं कह सकते । यूरोपीय वैश्यों ने वर्ग-कलह में हिंसा-नीति स्वीकार की यह उनकी गलती हो सकती है, परन्तु हमारे वैश्यों ने यह गलती नहीं की, इसके लिए उनकी स्तुति नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय वैश्यों की तरह पराक्रम व पुरुषार्थ भी तो नहीं दिखाया और न राष्ट्रीयता व लोकसत्ता की स्थापना ही की । ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक हमारे सब वर्ग राष्ट्रीयता व प्रजासत्ता से अछूते रहे व ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता करके अपना सारा देश परतंत्रता में डाल दिया । वरिष्ठ वर्ग के टमनकारी प्रभाव से वैश्य व शूद्र-अतिशूद्र ये वर्ग पुरुषार्थीन बन गये व उन्होंने अपने बल-बूते पर वर्ग-कलह नहीं किया, यह सही है, परन्तु उन्होंने विदेशी विजेताओं की सहायता करके दूसरी तरह से वरिष्ठ वर्ग के उस एकतर्फा वर्ग-कलह का बदला ही तो चुकाया । इसकी अपेक्षा यूरोपीय वैश्यों का वर्ग-कलह या वहाँ के वर्तमान मजदूरों का वर्ग-कलह हीन नहीं कहा जा सकता । हमारे वैश्य व शूद्र-अतिशूद्रों ने तो अन्याय सहन करने का मानो व्रत ही ले रखा था इन्होंने तो विदेशियों से मिलकर अपने देश को पराधीन भी बना दिया । इससे तो आधुनिक यूरोप ने वर्ग-कलह में हिसा का अचलम्बन लेकर भी जो बड़ों के अन्याय से भगड़ने का सिद्धान्त कायम रखा व इस भगड़े के दर्भियान अनेक श्रेष्ठ सामाजिक व राजनैतिक आदर्श खड़े ढरक ले, उसके लिए मानव-सत्कृति के इतिहास लेखकों को आधुनिक यूरोप के गुण गाने पड़ते हैं । अब आधुनिक भारत का तत्तक उद्घार

नहीं हो सकता जबतक कि वह बड़ों के अन्यथा के खिलाफ वगावत करने का तत्व अग्रीकार न कर ले । लेकिन हॉ, उसे आवृनिक यूरोप के दोष दिखाने का अधिकार तभी मिलेगा जब हम इस वगावत को शाति या अहिंसा द्वारा सफल बनाने का महाकार्य कर दिखावें ।

आर्यों के भरतखण्ड में वस जाने पर उन्होंने वर्णाश्रम-धर्म के रूप में अपनी संस्कृति बनाई । इनमें शूद्र व अतिशूद्र दास-कर्म करनेवाले वर्ण भी थे । वास्तव में देखा जाय तो वर्णाश्रम-धर्म-संस्कृति ब्राह्मण, लूत्रिय व वैश्य इन तीन वर्णों की ही संस्कृति थी, शूद्र व अतिशूद्र तो उनके दास ही थे । उस समय के सभी समाजों में दास-प्रथा थी । यूरोपीय समाज में भी मध्ययुग के अन्त तक हमारे चातुर्वर्ण्य की तरह चार वर्ग थे । उस काल में सामाजिक समता का अर्थ इन चार वर्गों को तोड़ना नहीं था बल्कि किसी भी वर्ग से जन्मे हुए व्यक्ति का गुण-क्रमोनुसार दूसरे वर्ग में प्रवेश पाना था । सबसे निचले शूद्र को भी सबसे ऊँचे ब्राह्मण-वर्ग तक पहुँचने की छुट्टी रहे, इतना ही सामाजिक सुधार का अर्थ था । जब समाज में धनोत्पादन की मात्रा बहुत कम होती है तब बहुजन-समाज संस्कृति व सम्पत्ति से दूर ही रहता है । ऐसे समय सभी को सुसंस्कृत व सुसम्पन्न करने का आदर्श बहुत करके किसी को सूझता ही नहीं है व सूझा भी तो वह व्यवहार में काम नहीं दे सकता । हमारे यहाँ भी जैन व बौद्ध-काल से, बल्कि उससे भी पहले यह प्रयत्न होते आ रहे हैं कि शूद्रों की दासता कम को जाय व उनकी भौतिक उन्नति तथा ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग खुले किये जायें । बहुतों का अनुमान है कि चार्वाक का लोकायत-मत इसी तरह का था । किसी भी वर्ण में जन्मे व्यक्ति को ब्राह्मणत्व का दर्जा मिलने की कल्पना विशिष्ट-विश्वार्मित्र के समय से चली है व इसके प्रचार में से एक विचार-कलह व उसमें से एक प्रकार का वर्ग कलह भी उत्पन्न हुआ था । श्रीकृष्ण के भागवत-धर्म में —‘स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम्’ यह मत मान्य हुआ है व स्त्रियों तथा शूद्रों को समाज में सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त करने की छुट्टी दी गई है । बौद्धकाल में तो एक तरह से सर्वांगीण समाज-क्रान्ति

ही हुई थी व ऐसा लगता है कि उस समय विचार-कलह व वर्ग-कलह प्रचलित रहा होगा । हाँ, यह सच है कि बाद के काल में शूद्रों को वैदिक स्वस्कृति का अधिकार नहीं दिया गया, किंतु यह कहना अनुचित न होगा कि खुद वह वैदिक स्वस्कृति ही पछें रह गई व बौद्ध तथा भागवत्-स्वस्कृति आगे आ गई । बौद्ध-स्वस्कृति ने तो वैदिक परम्परा के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला बगावत मचाई थी । भागवत् स्वस्कृति ने खुली बगावत का मार्ग नहीं ग्रहण किया तो भी गीता को वेद से अधिक श्रेष्ठ स्थान देकर वैदिक-स्वस्कृति को गौणता दी । भागवद्मर्मी सत खुल्लमखुल्ला कहने लगे कि वेद व उपनिषद् के अन्तर्गत आत्मोद्धार-सम्बन्धी सारा तत्वज्ञान जब भगवद्गीता में है व भक्ति-मार्ग के इतर प्राकृत ग्रन्थों में भी वह भरपूर है तो फिर वैदिक-ज्ञान की कथा जल्दत था महत्ता हमारे लिए रही । हालाँकि आज भी वैदिक कहलानेवाले ब्राह्मण ऐसा दुराग्रह रखते हैं कि शूद्र चाहे कितना ही बड़ा हो उसे हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे, अथवा उसका राज्याभिषेक नहीं करेंगे । किंतु, इसके विपरीत व्यास-बाल्मीकि ऋषि-कोटि से चले गये व शूद्र-अतिशूद्र जाति के साथु-सन्त हजारों ब्राह्मणों के आध्यात्मिक गुरु बन गये । शूद्रों का वैदिक पद्धति ने भले ही राज्याभिषेक न किया हो, परन्तु उन्होंने राजसत्ता व साम्राज्य-सत्ता का उपभोग किया एव उनकी सेवा करके ब्राह्मणों ने उनकी स्तुतियाँ कीं व गुण गाये । जो शूद्र महज पण्डित्यात्मक कर्म करने के योग्य माना गया था वह कृषि गौरक्ष-वाणिज्य तो करने लगा ही, परन्तु मत्री, राजा, नहीं नहीं, साधु-सन्त, ऋषि व आध्यात्मिक गुरु भी बन गया । भारतीय संकृति में यह एक प्रचंड क्राति हुई थी । इतिहासाचार्य स्व० राजवाडे उसका वर्णन इस तरह करते हैं—

“उत्तर कुरु में जो अर्धजगली शूद्र महज दास-कर्म करके समाज-सोपान की बिलकुल निचली सीढ़ी पर ऊकराया जाता था वह अब नन्दों व मौर्यों के शूद्र व वृषल शासन-काल में अध्यात्म, नीति, प्रब्रज्या, एक-वर्णता, सर्व-समता व साम्राज्य का विजयी सञ्चालक हो गया । बुद्ध व जिन, विशेषतः गौतम बुद्ध द्वारा की गई यह क्राति मामूली धर्म-क्राति

या राज-क्राति अथवा मत-क्राति नहीं थी, वह सर्वव्यापी भयकर समाज-क्राति थी। इस प्रचण्ड क्राति ने वैदिक समाज की नींव उखाड़ दी, व चातुर्वर्णिक समाज उथल-पुथल हो गया।”

यह प्रचण्ड समाज-क्राति बिना वर्ग-विश्रह के नहीं हुई। इसके बाट यद्यपि बुद्धधर्म हिन्दुस्तान में नहीं रहा तो भी उसका यह कार्य सदा के लिए कायम रहा। बुद्ध ने वैदिक देवताकारण, यज्ञ-यामादिक कर्मकारण और सामाजिक विषयमता के खिलाफ विद्रोह किया। फिर बुद्ध-धर्म से जाकर मूर्ति-पूजा उदय हुई और कुछ समय तक पौराणिक देवताकारण, व्रतोद्यापन व पूजा-विधान एवं कुमारिल मट्टाडि के कर्म-मीमांसा का दौरदौर रहा। लेकिन शंकराचार्य ने अद्वैत वेदान्त के जानकाड़ को आगे करके देवताकारण व कर्मठता को गौणत्व दिया और भागवत् धर्मों सतों ने अद्वैत वेदान्त के शुद्ध तत्त्वज्ञान को भक्ति-मार्ग में लाकर आम जनता औ निष्काम-भक्ति से आत्मोद्धार का व मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। इन सब बातों के होते हुए कमेठ मीमांसक ज्ञानमर्गी तथा भक्तिमार्गियों के पीछे पड़ गये। प्रत्येक साधु-सत के समय उनकी समता-प्रस्थापना के कार्य का विरोध किया व एक प्रकार का वर्गकलह भी पैदा किया, परन्तु साधु-सतों ने सत्याग्रही वृत्ति धारण करके अपना धर्म सुधार जारी रखा। जो गौतम बुद्ध नास्तिक व वेद-निन्दक माना जाता था उसे हिन्दु जनता ने ईश्वर-अवतार बना दिया। इस प्रकार संस्कृति-सुधार का यह कार्य हुआ तो, पर मध्ययुगीन भारत आधुनिक युग में न आ सका। विटिश शासन-काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भागवत्-धर्मों साधु-सतों की सत्याग्रही वृत्ति में से एक निःशब्द कातिशाल निर्माण हुआ। यदि स्वतंत्र भारत में यह पैदा हुआ होता तो सहज ही उसे सर्वांगीण क्राति का रूप मिल गया होता। वह आभी तक नहीं मिला है। इमारा खयाल है कि वह जल्द ही मिलेगा व उसके आश्रम से वर्ग विश्रहात्मक सर्वांगीण समाज-क्राति हुई भी तो यह भारतीय राष्ट्रीयता व प्रजसत्ता को ओँच न आने देते हुए होगी। इस तरह आधुनिक यूरोप में निर्मित संस्कृति को आत्मसात् करके, जो क्राति उसके द्वारा न हो सकी उसे अहिंसा के

द्वारा करके जब दिखा देगा तभी सत्याग्रही तत्वज्ञान की सच्ची महत्त्व दुनिया को म लूम होगी व आधुनिक भारत का निर्माण करनेवाली संस्कृति आधुनिक यूरोपीय संस्कृति से श्रेष्ठ सावित होगी ।

आधुनिक भारत में म० गाधी श्रीकृष्ण अथवा गौतम बुद्ध की तरह ही एक अत्यन्त महान् विभूति हुए । उनके सत्याग्रही तत्वज्ञान में मागवत और बौद्ध दोनों धर्मों के तत्व का समन्वय हुआ है और उसे उन्होंने सामाजिक और राजनैतिक क्राति का रूप दे दिया है । श्रीकृष्ण या बुद्ध के समय जिस तरह की सर्वांगीण क्राति भरतखण्ड में हुई उससे भी अधिक सर्वांगीण क्राति का समय आज आ गया है । आज हमारे सामने सिर्फ़ इतना ही प्रश्न नहीं है कि शूद्र अथवा अतिशूद्र में से योग्य व्यक्ति को गुणकर्मा-नुसार द्विजत्व प्राप्त हो अथवा, वह वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण बन सके । बल्कि आज तो समाज के वर्ग-भेद को ही नष्ट करके एक-वर्ग समाज स्थापित करने की आवश्यकता मालूम होने लगी है । आधुनिक यूरोप में व्यापारीवर्ग के नेतृत्व में जो संस्कृति निर्माण हुई उसके द्वारा लोक-सत्त्वा व सामाजिक समता का आदर्श सामने आने से ही एकवर्ग समाज की कल्पना संसार के सामने प्रस्तुत हुई है । फ्रेंच राज्य-क्राति के समय समता स्वतंत्रता व बन्धुता के सिद्धात पर मानव-संस्कृति की रचना करने का प्रयोग पहले पहल हुआ । उस समय यह समझा गया था कि

जासत्ता व नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना हुई नहीं कि सब लोग एक ही वर्ग में आ जायें । सामन्तशाही खत्म होगी, जमीदार-वर्ग नष्ट होगा, और सबको सामाजिक समता व नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार मिलने पर शूद्र अथवा दास या भूदास-वर्ग नहीं रहेंगे । इस तरह क्षत्रिय व शूद्र-वर्ग न रहा तो समाज में सिर्फ़ किसान, मजदूर व व्यापारी इनका एक वैश्य वर्ग रह जायगा । प्रत्येक को जहों धार्मिक और बौद्धिक स्वतंत्रता मिली कि नैतिक, आध्यात्मिक या धार्मिक उन्नति के लिए स्वतंत्र रूप से धर्माधिकारी-वर्ग की भी आवश्यकता नहीं रहेगी । प्रत्येक किसान को अपनी जमीन व व्यापारी तथा कारीगर को मजदूरी या मुनाफा उनके कष्ट, साहस और संयम के अनुपात में मिलने लगे

तो समाज के किसी भी व्यक्ति को चाहे वो स्थाग मिल सकता है। फलतः किसी व्यवसाय के लोगों को कुछ समय तक उचित से अधिक मुनाफ़ा मिला तो उस व्यवसाय में दूसरे लोग शरीक हो जाते हैं और अनुचित मुनाफ़े का अनुपात कम हो जाता है। इसके विपरीत जब किसी व्यवसाय में काम करनेवाले को उसके काम का उचित मुआवजा नहीं मिलता तो उस व्यवसाय के लोग दूसरे धरे अपना लेते हैं और शेष लोगों को उचित मुनाफ़ा मिलने लगता है। इस तरह व्यवसाय-स्वातन्त्र्य और ठहराव-स्वातन्त्र्य की नींव पर सब अपने अपने श्रम के अनुपात से सपत्ति प्राप्त कर सकेंगे व अपने-आप एकवर्ग समाज कायम हो जायगा, ऐसी अपेक्षा उस समय थी। इसका कारण यह था कि श्रौद्धोगिक कान्ति से जो प्रचरण मिल-उद्योग शुरू हुए उनका वास्तविक रूप और परिणाम उस समय ध्यान में नहीं आया। ज्यो-ज्यो श्रौद्धोगिक क्रान्ति का स्वरूप विशद होने लगा और समाज के बहुसंख्यक लोगों पर उसके परिणाम दिखाई देने लगे, त्यो-त्यो अनुभव हुआ कि नागरिक-स्वातन्त्र्य, व्यवसाय-स्वातन्त्र्य व ठहराव या इकरार-स्वातन्त्र्य की दुनियाँ पर प्रजासत्ता के द्वारा एक-वर्ग समाज-रचना नहीं हो सकती। बड़े उद्योगों के कारण घरेलू धन्वे झूँव गये और किसानों को मिली जमीन बेचने की स्वतन्त्रता से साहूकार, दुकानदार व पूँजीवालों के दमनकारी प्रभाव में फिर बड़ी जमींदारिया बनने लगो। यान्त्रिक सहायता से प्रचरण उद्योग-धन्धों की तरह विस्तृत खेती करना भी सुलभ है यह पता लगते ही छोटी-छोटी खेती नष्ट होकर श्रौद्धोगिक पद्धति की खेती का प्रचरण कृषि-व्यवसाय शुरू हुआ। इन सब प्रवृत्तियों का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि प्रत्येक देश के कारखाने, जमीन व खाने एक अल्प-संख्यक धनिक-वर्ग के कब्जे में चली जायेंगी और प्रत्येक राष्ट्र की बहु संख्यक जनता इस अल्प-संख्यक मालिक-वर्ग की आर्थिक गुलामी में जा पड़ेगी—यह देखकर समाजवादी तत्वज्ञों ने यह ठहराया कि कारखाने, जमीन और खानों पर जबतक सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित न होगा तबतक एकवर्ग समाज, स्वतन्त्रता, समता व ब्रह्मत्व के आदर्श अमल में नहीं आ सकते।

समाज-सत्ता का यह तत्व औद्योगिक क्षेत्र में लागू किया हुआ प्रजासत्ता का ही सिद्धान्त है। कार्ल मार्क्स ने यह प्रतिपादन किया कि इस प्रजा-सत्ता की स्थापना मार्शलिंग-वर्ग की उदारता से नहीं बल्कि मजदूरों के विद्रोह से होगी। इस तरह उन्होंने शास्त्रीय समाजबाद का निरूपण करके पूँजीबाद के अन्तर्विरोध और वर्ग-कलह के आधार पर मावी समाजसत्ता क कान्ति का शास्त्रीय भविष्य-कथन किया। यह भविष्य-वाणी रूप में मोटे तौर पर सही निकली। और तबसे समाज-पत्ता का एक-वर्ग समाज का आदर्श सब ससार में फैला। हिन्दुस्तान को प्रजा-सत्ता और राष्ट्रीय-स्वातंत्र्य के साथ ही समाज-सत्ता का आदर्श स्वीकार करना पड़ेगा व जमीन तथा कारखानों का व्यक्तिगत स्वामेत्त्व मिटाकर सर्वजनिक स्वामित्व स्थापित करने का कान्ति-कार्य निःशास्त्र साधन से सफल करके दिखाना है। यह कान्ति-कार्य सगठित असहयोग व सत्याग्रह के तत्त्वानुसार करना किसान और मजदूरों के लिए किस तरह सभव है यह टॉल्टाय के इसी प्रकरण में दिये अवतरण से मालूम हो जाता है।

आधुनिक जगत् की भौतिक विद्या, उसकी बदौलत प्राप्त धनोत्पादन के भौतिक साधन, यन्त्रकला व बिजली-जैसी नैसर्गिक शक्ति का उपयोग सुलभ होने के कारण आज समाज में शूद्र-अतिशूद्र-जैसे दासवर्ग या दास-सदृश वर्ग रखने की आवश्यकता किसी भी समाज में नहीं रही है। उसी तरह सामन्तशाही व पूँजीबाद की भी जरूरत आज समाज में नहीं रह गई है। जिस समय राज्यशास्त्र व युद्धकला चाल्यावस्था में थी तब सामन्त-शाही समाज-रक्षा का काम अच्छी तरह कर रही थी व किसी राजा या समाज के जुल्म-ज्यादती करने पर बाहुबल से उसका मुकाबला करना सामन्त के लिए कठिन न था। बाद में जब बड़े-बड़े राज्य कायम हुए तब सामन्तशाही तोड़नी पड़ी व तमाम फौज व फौजी अफसरों को नकद तनखाह मिलने लगी। जो जितना प्रदेश जीत ले व बाहुबल पर राजा बन वैठे, यह व्यक्ति-स्वातन्त्र्य नष्ट हुआ। इससे सामन्य जनता की स्वतन्त्रता बढ़ गई। अब आज कारखानेदार-जमीदार-वर्ग को हटाकर आम जनता की स्वतन्त्रता बढ़ाने व उनकी दासता मिटाने का

समय आ गया है। जिस समय हरेक अपने कष्ट के अनुपात से ही धनार्जन कर सकता व विना कष्ट के अधिक धन-सच्चय नहीं कर सकता था उस प्राथमिक औद्योगिक अवस्था में यह सिद्धान्त कि जो जितना चाहे पैसा पैदा करे व उससे लाभ उठावे, समाज की अभिवृद्धि का पोपक था। किन्तु आज के प्रचंड धनोत्पादन के समय में ऐसी स्वतन्त्रता किसी को नहीं दी जा सकती। आज समाज की सम्पत्ति व उसे प्राप्त करने के लिए किये जानेवाले कष्ट का अनुपात विषम या व्यस्त हो गया है। सम्पत्तिशाली को हजारों लोगों के जाबन पर सत्ता प्राप्त होने लगी है। इस सत्ता व सम्पत्ति को आप बतौर दृष्टि के रखें—यह कहकर इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता। जब समाज के धनोत्पादन के साधन न्यायालीकृत होते हैं—अर्थात् धनार्जन से कष्ट का अनुपात सम रहता है—तब इस उपदेश से काम चल सकता है कि न्याय-प्राप्ति सर्वतों को समाज की थाती समझकर इस्तेमाल करो, बहुत जिम्मेदारी के साथ उससे लाभ उठाओ, ऐसा करते सुए आत्मकल्याण व लाक्कल्याण का भी व्यान रखो व विला बर्लरत के उसका उपयोग न करते हुए शेष सम्पत्ति दान कर दो। परन्तु समाज में धनार्जन के कौन-से साधन बाकायदा हों, इसके निर्णय का जो काम कानून का है वह इस नैतिक उपदेश से नहीं हो सकता। धनोत्पादन की पद्धति के बदलने से धनोत्पादन के मार्ग का रूप भी बदलता है और इस बदली हुई आर्थिक परिस्थिति में धनार्जन के कौन से मार्ग खुले रहें व कौन से बन्द, इसका फैसला कानून के द्वारा करना पड़ता है। पहले की पद्धति में जो मार्ग समाज के लिए हानिकारक नहीं थे अथवा जिनमें समाज की ज्यादा हानि होने की समावना नहीं थी वही मार्ग नवीन पद्धतिशाले समाज में अत्यन्त हानिकारक सावित होते हैं। फिर भी जिनके लिए वे मार्ग लाभदायक होते हैं उन्हें उन मार्गों से मिली सम्पत्ति कष्टार्जित ही मालूम होती है और वे इस बात को कुबूल नहीं करते कि यह सम्पत्ति अन्याय-पूर्वक अर्जित है। इन रास्तों को बन्द करने में ऐसे वर्गों की ओर से विरोध होता है और सो भी परम्परा व इक-मिलिक्यत के नाम पर। धनार्जन की मार्ग-परम्परा व उससे उत्पन्न हक-

मिल्हिक्यत परिस्थिति-सापेक्ष होते हैं व जबतक व्यक्तियों के स्वामित्वाधि-कार—हक—मिल्हिक्यत—की कानूनन मर्यादा न बौद्धी जाय व जो अधिकार समाज को हानि पहुँचाते हैं वे न छीन लिये जायें तबतक समाज की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे वर्ग इस सिद्धात को मजूर नहीं करते। ऐसे वर्गों के विरोध के बदौलत ही समाज में क्राति की नौबत आती है। औद्योगिक क्राति के कारण आज समाज-सत्ताक क्राति की जरूरत पैदा हो गई है व इस क्राति का कार्य इस सिद्धात से नहीं हो सकता कि व्यक्ति सम्पत्ति व सत्ता का उपभोग समाज के ट्रस्टी—बाली—के तौर पर करे। समाज में सत्ता व सम्पत्ति का बटवारा कैसे किया जाय, समाज के व्यक्तियों को सत्ता व सम्पत्ति का लाभ किस तरह मिले व सत्ता तथा सम्पत्ति के चेंटवारे में समाज की नैतिक उन्नति व भौतिक साधनों का हिसाब लगाकर किस अनुपात से कानून द्वारा समता अमल में लाई जाय व किस हिसाब से विषमता कायम रखी जाय, इसका निश्चय एक बार हो जाय और तत्कालीन भौतिक व नैतिक उन्नति के अनुरूप समाज-रचना का बाकायदा सिलसिला जम जाय तो फिर उस समाज-रचना के अनुसार सत्ता व सम्पत्ति का जो भाग किसी व्यक्ति को मिलेगा उसका उपभोग वह कैसे करे, यह बताने के लिए इस सिद्धान्त का जन्म हुआ है। इस सिद्धान्त से लोक-सत्ताक अथवा समाज-सत्ताक क्रान्ति का कार्य नहीं हो सकता; हाँ, समाज-सत्ताक क्रान्ति के बाद भी कुछ व्यक्तियों को अधिक सत्ता देनी पड़ेगी व कुछ को औरों से ज्यादा सम्पत्ति भी रखने देना पड़ेगी। उस सत्ता व सम्पत्ति के उपभोग के सम्बन्ध में कानून के कुछ बन्धनों के रहते हुए भी उनसे यह काम पूरी तरह से नहीं हो सकता। उनके लिए इस नैतिक तत्व के उपदेश की जरूरत रहेगी। परन्तु इस काम के लिए भी ऐसे सत्याग्रहियों की जरूरत रहेगी, जो इस उपदेश को प्रत्यक्ष अपने आचरण में लाकर दिखाते हों, कानूनन जो सत्ता व सम्पत्ति उन्हें मिल सकती है उसकी परवाह न कर अपनी कम-से-कम जरूरतों के लिए आवश्यक सम्पत्ति कष्ट से प्राप्त करके अधिक सम्पत्ति व सत्ता की अभिलाषा न रखते हों, यदि अधिकारी लोगों पर ज्यादती करते हों तो

जनता को यह दिखा दें कि उसका प्रतिकार कैसे किया जाय व यह अन्याय-अत्याचार जब असहा हो उठे तब समाजसत्ताक प्रजातत्र के लिताफ़ भी श्रीहिंसात्मक असहयोग का प्रयोग करके प्रस्थापित राजतत्र को बन्द कर दे । समाज-सत्ताक प्रजातत्र की स्थापना हो जाने पर भी अधिकारी व प्रजा तथा शासक व शासित यह भेद रहने ही वाले हैं और जबतक यह भेद कायम है तबतक वास्तविक एक-वर्गीय समाज-रचना नहीं हो सकती । समाज-सत्ताक प्रजातत्र मानव-समाज की पूर्णावस्था नहीं है । इस समाज-सत्ताक प्रजातत्र में भी ऐसे दूरदर्शी व निःस्वार्थ लोक-सेवक चाहिए जो उन अन्यायों को भी महसूस कर ले जो अधिकारी वर्ग या बहुमत को प्रतीत न हों या लाजिमी मालूम हों, व जो यह दिखा दें कि वे टाले जा सकते हैं । ऐसा सत्याग्रही-वर्ग, जिसने सत्य-सशोधन व सत्य-संस्थापन को ही अपना नित्य ध्यवसाय बना लिया है व जिसके लिए अपनी शारीरिक, बौद्धिक व आत्मिक शक्ति का उपयोग करने में ही जिन्हें सच्चा आनंद व जीवन की कृतार्थता मालूम हो, समाज-सत्ताक प्रजातत्र के भावों विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।

म० गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जिस आत्मवल को समर्पित व सवर्धित करने का प्रयत्न किया उसकी परम्परा भारतवर्ष में बहुत बड़ी है । अत्यन्त प्राचीन बाल में आश्रमवासी मूर्तियों के ब्रह्मतेज के रूप में वह भरतखण्ड में जन्मा । फिर ब्राह्मण-वर्ग ने यज्ञ-यागादि कर्मकारण व देवता-कारण का प्रभाव बढ़ाकर स्वर्ग-प्राप्ति के सकाम धर्म को प्रधानता दी । तब गौतम बुद्ध ने इस आत्मवल का सरक्षण व सवर्धन करके देवता-कारण व सामाजिक विषयमता के विरुद्ध क्रान्ति करने के लिए बुद्ध-धर्म का व मिन्नु-संघ का सगठन किया । बाट को यह भिन्नु-संघ भी श्रवनत होकर परिग्रही बन गया व राजा लोगों की दासता में चला गया । तब कुमारिल मधुदि ने वैदिक धर्म का जो पुनरुज्जीवन किया उसमें फिर कर्मकारण व देवताकारण की महिमा बढ़ी । इसके पश्चात् शक्तराचार्य ने पीठों व मठों की स्थापना करके अद्वैत वेदान्त के आधार पर शिक्षित लोगों में बुद्ध तत्त्वज्ञान का प्रसार किया और भागवत्-धर्मी सत्तों ने इसी अद्वैत के

आधार पर निष्काम भक्ति के मार्ग का उपदेश करके आम लोगों में आत्म-बल जाग्रत किया। आज म० गांधी ने इसी परम्परागत प्राचीन आत्मबल का सगठन करके उसे राजनैतिक व सामाजिक क्रातिकारी रूप दिया है। सत्याग्रही वर्ग अब किसी खास मत पर अधिष्ठित कोई धर्म-सप्रदाय नहीं रह गया है। महज व्यक्तिगत आध्यात्मिक मोक्ष सत्याग्रह का ध्येय नहीं है। लोगों को सर्वांगीण उच्चति के लिए उन्हें सर्वांगीण क्राति का मार्ग दिखाने-वाला वह एक अखण्ड क्रातिशास्त्र है। लोक-सत्ता व समाज-सत्ता के रूप में उदित एकवर्ग समाज के आदर्शों को आत्ममात् करके मानव-समाज को पूर्णावस्था प्राप्त होने तक उसका नेतृत्व करने का सामर्थ्य इस सत्याग्रही तत्वज्ञान में है। भौतिक विद्या व यन्त्रकला से उसका विरोध नहीं। बाह्य सृष्टि से कैसा व्यवहार किया जाय व उसकी नियति को अपने अनुकूल व उच्चतिकारी कैसे बनाया जाय, यह ज्ञान मनुष्य को भौतिक-विद्या से ही प्राप्त हो सकता है। अन्नमय प्राण व प्राणमय पराक्रम इस भौतिक सत्य की तरफ से प्राचीन भारत ने आँखे नहीं मूँद ली थीं। भूखे आदमी को ब्रह्म अन्न के ही रूप में प्रतीत होता है और वेदाती मनुष्य को भी दोपहर को १२ बजे 'अन्न पूर्णब्रह्म है' यह कहकर भोजन करना पड़ता है। इसको भुलाकर कोई भी समाज-नरचना नहीं टिक सकती व टिकाने का प्रयत्न भी किया तो वह सफल नहीं हो सकता। पूँजीबादी धनोत्पादक पद्धति से बहुसंख्यक लोगों की दाल-रोटी का सवाल अच्छी तरह नहीं हल होता व धनी-गोपी का सापेक्ष अन्तर बढ़कर समाज व राष्ट्र के दो विरोधी गुह्य बन जाते हैं। जीवन व धन की क्षणभर भी स्थिरता न होने के कारण बहुसंख्य सामान्य जनता की नीतिमत्ता भ्रष्ट होने लगती है—'बुभुक्षितः किञ्च करोति पापम् ज्ञाणं नरा निष्कर्षण भवन्ति' के अनुसार सामाजिक नीतिमत्ता की दुनियाद अन्न-प्राप्ति के भौतिक आधार पर पड़ी हुई है। सत्याग्रही तत्वज्ञान इसकी उपेक्षा नहीं करता। किन्तु हाँ, यह तत्व उसे मान्य नहीं है कि मनुष्य-समाज की आवश्यक भौतिक जरूरतें पूरी होने के पश्चात् भौतिक सम्पत्ति की बढ़ती के अनुपात से उसकी नैतिक उच्चति होती है अथवा उसकी सकृति अधिक उच्चत बनती है।—'नात्यशनतस्तु योगाऽस्तिन

चैकान्तमनश्नतः? भ्रथात्—अधिक खाने से भी योग प्राप्ति नहीं होती व चिलकुल न खाने में भी नहीं होती—यह आध्यात्मिक उन्नति का सिद्धान्त है। पैंडीबाटी समाज में परिमित भौतिक उपयोग करनेवाला एक छोटा मालिक-वर्ग व उनकी आधिक दासता में खपनेवाला दूसरा बुझित बहु-सख्यक सेवक वर्ग बनता रहता है—इसमें ऐसे समाज में शारीर व नीति की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। जिस समाज के बहुसख्य लोगों को जीवन व जीवन-साधनों की चिलकुल स्थिरता नहीं उसमें शारीर व नीति का रहना अशक्य है। हिंदुस्तान-जैसे खण्ड-तुल्य राष्ट्र में चालीस करोड़ लोगों की टाल-नोटी का सवाल पैंडीबाट व साम्राज्यवाद के द्वारा हल करना ग्रसमध है व इतनी बड़ी लोक सख्या की जावा-याना सुव्यूर्वक चलाने का सामर्थ्य महज हस्त-व्यवसाय व गामोद्योगों में या ल्लोटे पैमाने पर की गई खेती में है—ऐसा भी ठिक्काई नहीं देता। फिर इतना बड़ा भारतीय समाज महज आश्रमवासी श्रमियों की तरह भौतिक सुखों में विरक्त रहकर आध्यात्मिक सुख पर ही मनुष्ट रहेगा, यह नहीं हो सकता। खण्ड-तुल्य भारत की इस समस्यापृत्ति के लिए भौतिक वचा और यन्त्रकला का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए व यह काम धनोत्पादन व धन-विभाजन के कार्य को समाज-मत्ता के अधोन करके ही करना चाहिए। पर इस समाज-मत्ता को न्यायित करते हुए व स्थायित होने के बाट भी सत्याग्रही वर्ग की आवश्यकता भरत-खण्ड को ही नहीं, सारी मानव-सस्कृति को रहेगी।

इसके बाट अब भारतीय सम्झूति व मानव-सस्कृति का भेद नहीं रह जायगा। भौतिक हाइ से ग्राब सारा मानव-समाज एक कुदुम्ब में आथवा एक घर में समा-मा गया है। उसके लोगों को एकत्र रहे बिना गति नहीं है व उनके एकत्र रहने में ही मानव कुल की उन्नति है। परन्तु एक घर में एकत्र रहनेवाले लोगों की तरह उन्हें बन्धु-भावना से रहना सीखना चाहिए। इसमें आगे अब मानव-सस्कृति की उन्नति इस बन्धु-भावना के प्रचार व प्रस्थापना पर अवलम्बित है। मानव-हृदय की इस बन्धु-भावना को प्रेम कहते हैं व यह प्रेम-रूपी परमेश्वर प्रत्येक के अन्तःकरण में रहता है, यह सिद्धात सत्याग्रही सस्कृति

का आधार है। एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अथवा एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर होनेवाले अन्याय का प्रतिकार करने के लिए जोर-शोर की लड़ाई करते हुए भी इस बन्धु-भावना के अन्तिम सिद्धान्त पर सत्याग्रह की ढढ़ा है। मानवी अन्तःकरण की न्याय-भावना व प्रेम-भावना अथवा सत्य अहिंसा से श्रेष्ठ परमेश्वर का कोई दूसरा स्वरूप नहीं। जिनका मत्य व प्रेम पर विश्वास है व सत्य-सशोधन तथा सत्य-संस्थापन के लिए आवश्यक त्याग व कष्ट-सहन की तैयारी है वे अपने को ईश्वरवादी कहें या निरीक्षरवादी, वे बुद्ध की तरह शून्यवादी हों अथवा शक्तराचार्य की तरह चक्र-सृष्टि के मूल में एक अच्छर व अज्ञेय निर्गुण तत्व के माननेवाले हों, वे ईसा के अनुयाई हों या मुहम्मद के, वे सत्याग्रही बन सकते हैं। सत्याग्रही के लिए आत्मविद्या की जरूरत है; लेकिन इस आत्मविद्या में गूढ़ अथवा विवादास्पद जैसी कोई चात नहीं है। आत्मा रथी व बुद्धि सारथी है, इन्द्रियों धोड़े हैं, मन उनकी लगाम है इतना अध्यात्मशास्त्र उसके लिए काफी होता है। बुद्धरूप सारथी विषयोपभोग में छब्बे न जाय, उसके साथ की मनोनिग्रह की बागडोर ढाँली न पड़ जाय और विषयभोग के चक्र में पड़कर इन्द्रिय-रूपी धोड़े सरपट न दौड़ने लगें, इतना ही अध्यात्मशास्त्र है। बाह्य सृष्टि पर प्रभुत्व स्थापित करने व समाज के भौतिक सुखों की समस्या हल करने के व्यवहारों के लिए जिस तरह भौतिक विद्या की आवश्यकता है, उसी तरह अन्तः-सृष्टि पर प्रभुत्व स्थापित करने के व्यवहारों के लिए आत्मविद्या की जरूरत है। सत्याग्रही की आत्म-विद्या विवाद के लिए नहीं, व्यवहार के लिए है। अन्य-प्रमाण नहीं, अनुभव-प्रमाण उसकी अन्तिम कसौटी है। केवल भौतिक विद्या की उपासना करनेवाले लोग अन्धकार में पड़ते हैं व केवल आत्मविद्या का उपासना करने वाले उससे भी धोर अन्धकार में पड़ते हैं, ऐसा ईशोपनिषद् में कहा है। इसका अनुभव आधुनिक यूरोप के इतिहास से और पिछले तीन-चार सौ साल के भारत के इतिहास से ससार को हो चुका है। आधुनिक भारत उसके अत्यन्त कठुफल खूब चख चुका है। अतः अब आगे वह भौतिक विद्या

अथवा आत्मविद्या दोनों में से किसी की भी उपेक्षा करेगा, ऐसा नहीं मालूम होता।

अनियन्त्रित विदेशी राजसत्ता से स्वकीय लोक-सत्ता में आधुनिक भारत प्रवेश कर चुका। इसके बाद जल्दी ही जिस सत्याग्रही सत्य के सहारे उसे लोक-सत्ता की स्थापना करनी चाहिए उसी के बल पर वह समाज-सत्ता की भी स्थापना करेगा, किन्तु समाज-सत्ता भी भारत का अन्तिम संदेश नहीं है। उसका अन्तिम संदेश तो आत्म-सत्ता है। इस आत्म-सत्ता की स्थापना होकर मानव समाज में जब किसी दडघारी राजनैतिक सत्य की विलक्षुल आवश्यकता न रहेगी तभी सच्ची एकवर्ग समाज-रचना स्थापित होगी। आधुनिक काल का एक-वर्ग समाज-रचना के व प्राचीन ब्राह्मणत्व के ध्येय में बहुत अन्तर नहीं है। जैसे सत्ययुग में सिर्फ एक हो ब्राह्मण-वर्ग था, वही अवस्था फिर समाज में प्राप्त हो, यही मानव-समाज का पूर्ण अवस्था की कल्पना भारतवासी के हृदय में समाजवाद को आत्मसात् करने के बाद उदय होगी। आधुनिक भारत के समाजवादी नेता प० जवाहरलाल नेहरू ने इसी तरह के विचार अपनी 'मेरी कहानी'^२ में व्यक्त किये हैं। इस तरह आधुनिक सार के अन्य राष्ट्रों के वर्तमान कालीन इतिहास से अपने कार्यों में स्फूर्ति पानेवाले आधुनिक भारत के समाजवादी नेता और प्राचीन भारत का आध्यात्मिक संस्कृति का अभिमान रखनेवाले महात्मा

* मगर पश्चिम इस एक-दूसरे का गला काटनेवाली सभ्यता को उराइयों का ड्लाब भी अपने साथ लाया है— साम्यवाद का सहयोग कर, सबके हित के लिए जाति या समाज की सेवा करने का मिद्दान्त। यह भारत के पुराने ब्राह्मणोचित आदर्श से बहुत भिन्न नहीं है। लेकिन इसका अर्थ है तमाम जातियों, कर्मों और भूमों को ब्राह्मण बना देना (अवश्य ही धार्मिक अर्थ में नहीं) और जातिमेंद को मिटा देना। हो सकता है कि जब भारत इस लिवास को पहनेगा और वह जरूर पहनेगा, ज्योकि पुराना लिवास तो चिथड़े चिथड़े हो गया है, तो उसे उसमें इस तरह काट्छाट करनी पड़ेगी जिसमें वह मौजूदा अवस्थाएँ और पुराने विचार दोनों का मेल साध सके। जिन विचारों को वह ग्रहण करे वे अवश्य उसकी भूमि के समरस हो जाने चाहिए। पृष्ठ ६०३ (आठवा मन्त्रकरण)

गांधी जैसे सत्याग्रही जगद्वन्द्य नेता दोनों के दृष्टि-पथ में पानेवाली भावी भारतीय सस्कृति के चित्र का द्वैत नष्ट हो सकता है। जिस अनुपात से स्वतन्त्र भारत की भावी सस्कृति मूर्त्त-रूप धारण करने लगेगी उसी अनुपात से यह द्वैत पूर्णतः नष्ट होकर उसका स्थृहणीय रूप सारी मानव-जाति की भौतिक व आत्मिक आकाङ्क्षाओं को सतुष्ट करने में समर्थ होगा और वही भारतीय सस्कृति मानव-सस्कृति कहलाकर सारे समाज में फैलेगी, यह हमारा दृढ़ विश्वास है।

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु । सर्वे सन्तु निरामयाः ॥
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु । मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥



मंडल का उपलब्ध साहित्य

गाथीजी लिखित	२६ ईशावास्योपनिषद्	=)
१ प्रार्थना प्रवचन (भाग १)	३) ३० सर्वोदय-विचार	१०)
२ " " (भाग २)	४) ३१ स्वराज्य-शास्त्र	११)
३ गीता माता	५) ३२ भू-दान-यह	१)
४ पढ़ह आस्त के बाद	६) ३३ गाथीजी को अद्वाजलि	१=)
५ धर्मनीति	७) ३४ राजघाट की सन्निधि में	१=)
६ द० अकीका का सत्याग्रह	८) ३५ सर्वोदय का घोषणापत्र	१)
७ मेरे समकालीन	९) ३६ सर्वोदय के सेक्वेंस से	१)
८ आत्मकथा	१०) ३७ विचार-पोषी	१)
९ गीता-बोध	११) नेहरूजी लिखित	
१० अनामविनयोग	१२) मेरी कहानी	=)
११ आम-सेवा	१३) हिन्दुस्तान की समस्याए	११)
१२ मगल-प्रभात	१४) लड़खड़ाती दुनिया	२)
१३ सर्वोदय	१५) राष्ट्रपति	२)
१४ नीति-धर्म	१६) राजनिति से दूर	११)
१५ आश्रमवासियों से	१७) हमारी समस्याए (दो भाग)	१)
१६ राजवाणी	१८) विश्व-इतिहास की भलक	११)
१७ सत्यवीर की कथा	१९) अन्य लेखकों की	
१८ महिला आत्मकथा	२०) गाथीजी की देन (राजेन्द्रप्रसाद) १।।)	
१९ हिंदू-स्वराज्य	२१) महाभारत-कथा (राजाजी) ५)	
२० बापू की सीरा	२२) कुञ्जा मुन्दरी "	२)
२१ गाथी-शिक्षा (तीन भाग)	२३) कारावास-नहानी (सु० नैयर) १०)	
२२ आज का विचार	२४) बापू के चरणों में	१।।)
विनोबाजी लिखित	२५) बा० बापू और भाई	१।।)
२३ विनोद के विचार (दो भाग)	२६) गाथी-विचार-दोहन	१।।)
२४ गीता-प्रवचन	२७) अहिंसा की शक्ति (झेंगा) १।।)	
२५ जीवन और शिक्षण	२८) सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन (डा० थार्म) ७)	
२६ शान्ति-चाचा	२९) ३८ सत्याग्रह-भीमासा (दिवाकर) ३।।)	
२७ स्थितप्रक्ष-दर्शन	३०) ३५ दुर्दवाणी (विद्योगी हरि) १)	
२८ ईशावास्यवृत्ति	३१) ३६ सत्तवाणी " १।।)	
	३२) ३७ अद्वाजल " १)	

५८ अयोध्याकाढ़ (विशेषी हरि)	१)	६० तामिलनेद (तिरुल्लुवर)	१॥)
५९ सत्सुधासार „	१।।)	६१ आत्मरहस्य (रत्नलाल जैन)	३)
६० प्रार्थना „	॥।।)	६२ थेरीनाथार्थे (भरतसिंह उपाठ)	१॥।)
६१ भागवत-धर्म (हरि० उपाध्याय)	६।।।)	६३ बुद्ध और बौद्ध साधक „	१॥।)
६२ श्रेयार्थी जगनालालजी „	६।।।)	६४ जातक-कथा (आनन्द कौ०)	२॥।)
६३ स्वतन्त्रता की ओर „	४)	६५ हमारे गाव की कहानी	१॥।)
६४ वापू के आश्रम में „	१)	६६ रामतीर्थसदेश (३ भाग)	१॥०)
६५ वापू (धनश्यामदास विडला)	२)	६७ रोटी का सबाल (क्रेपाटकिन)	३)
६६ रूप और स्वरूप „	॥॥।)	६८ नवव्युक्तों से दो बातें „	१॥०)
६७ डायरी के यन्ने „	१)	६९ सागभाजी की खेती	३॥।)
६८ ध्रुवोपाल्यान	।।)	१०० पशुओं का इलाज (प० प्र० गुप्त) ॥)	
६९ स्त्री और पुरुष (टाल्स्ट्राय)	१)	१०१ काश्मीर पर हमला	२)
७० मेरी मुक्ति की कहानी „	१॥।)	१०२ पुरुषार्थ (डा० भगवान्दूस)	६)
७१ प्रेम में भगवान „	२)	१०३ कञ्ज—कारण और निवारण	२)
७२ जीवन-साधना „	१।।)	१०४ पाचवें पुत्र को वापू के	
७३ कलवार की करतूत „	।।)	आशीर्वाद	६॥।) ०
७४ वालकों का विवेक „	॥॥।।)	१०५ कादम्बरी	१॥०)
७५ हम करें क्या ? „	३॥।)	१०६ उत्तररामचरित	१॥०)
७६ हमारे जगाने की गुलामी „	॥॥।।)	१०७ वेणी-सहार	१॥०)
७७ समाजिक कुरीतिया	२)	१०८ शकुन्तला	१॥०)
७८ बुराई कैसे मिटे	१)	१०९ बद्रीनाथ	१॥०)
७९ जीवन-सदेश (खलील जिब्रान) १।।)		११० जगल की सैर	१॥०)
८० जीवन-साहित्य (काका कालेलकर) २)		१११ भीम्प पितामह	१॥०)
८१ लोक-जीवन „	३॥।।)	११२ शिवि और दधीचि	१॥०)
८२ अशोक के फूल (द्विवेशी) ३)		११३ विनोबा और भूदान	१॥०)
८३ पृथ्वी-पुत्र (वासुदेवशरण अश्र०) ३)		११४ मानवता के भरने	१॥।।)
८४ पचदरी (स० यशपाल जैन) १।।)		११५ भारतीय संस्कृति	३॥।।)
८५ काग्रेस का इतिहास (३ भाग) ३०)		११६ गांधी-मार्ग	१॥।)
८६ सप्तदरी (स० विष्णु प्रभाकर) २)		११७ शिशु-पालन	१॥)
८७ रीढ़ की हड्डी „	१॥।)	११८ शिद्धाचार	१॥०)
८८ अमिट रेखाए (सत्यकी मल्लिक) ३)		११९ गांधी-डायरी	१), २)
८९ एक आदर्श महिला	१)		

